कौण्डभट्टविरचितः

वैयाकरणभूषणसारः

(सावित्रीहिन्दीव्याख्योपेतः)

व्याख्याकारः सम्पादकश्च

डॉ. आद्याप्रसादमिश्रः

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः

वाराणसी

गङ्गानाथझा-ग्रन्थमाला
[११]

कौण्डभट्टविरचितो

वैयाकरणभूषणसारः

'सावित्री'-हिन्दी-व्याख्योपेतः

व्याख्याकारः सम्पादकश्च

डॉ० आद्याप्रसादमिश्रः

उपाचार्यः,
व्याकरणविभागे
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
वाराणसी

वाराणस्याम्

२०४५ तमे वैक्रमाब्दे १९१० तमे शकाब्दे १९८८ तमे खैस्ताब्दे

अनुसन्धानप्रकाशनपर्यवेक्षकः,
निदेशकः, अनुसन्धानसंस्थानस्य
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये
वाराणसी ।

●

प्रकाशकः —
डॉ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठी
प्रकाशनाधिकारी,
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
वाराणसी–२२१००२

●

प्राप्तिस्थानम् —
विक्रयविभागः,
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य
वाराणसी–२२१००२

●

प्रथमं संस्करणम्, ११०० प्रतिरूपाणि
मूल्यम्,—७०.०० रूप्यकाणि

●

मुद्रकः —
घनश्याम उपाध्यायः
व्यवस्थापकः,
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयीयमुद्रणालयस्य
वाराणसी ।

शिवसङ्कल्पः

प्रथन्ते लोके भाषाः परःसहस्राः। प्रथन्तेतमां च तत्तद्भाषाणां प्रयोक्तारस्तत्तद्देशाभिजना जनाः पारंपरार्वम्। परमिदं महच्चित्रं यदमूषु सर्वलोकसिद्धासु भाषासु सर्वास्वप्यविद्यमानं किमपि लोकोत्तरं तेजः प्रतितिष्ठति संस्कृतभाषायाम् भारतभूमेः सर्वस्वभूतायाम्। जायन्ते, वर्धन्ते, अपक्षीयन्ते, लुप्यन्ते, म्रियन्ते च सर्वा अन्या भाषाः विश्वस्य। परं सकृज्जातं संस्कृतं नापक्षीयते, न विकुरुते, न लुप्यते, न म्रियते। सैषा तिष्ठति स्थास्यति च लोके शाश्वतीः, समाः, अविकृता, अक्षीणा, अलुप्ता, अमरा च। नैषा नियम्यते समस्तभाषान्तरनियामकैर्नियमैः। अतएवेयममरा देवी च निगद्यते। अतएवेयं विश्वभाषासु मुकुटायते।

यथैव मुकुटायते संस्कृतं विश्वभाषासु तथैव मुकुटायते संस्कृतव्याकरणमपि विश्वभाषाव्याकरणेषु। नास्ति लोके भाषाव्याकरणमन्यत् येन बद्धा तिष्ठति कापि भाषा सहस्रद्वयाधिकानि वर्षाणि मन्त्रस्तम्भितेव। तदिदं संकल्पबलं भगवतः पाणिनेः, तपोबलं भगवतः पतञ्जलेश्च।

यद्यपि पाणिनिसूत्राणामष्टाध्यायी शब्दसाधुत्वसाधनमात्रप्रयोजना प्रतिभायादापाततः, तथापि संस्कृतव्याकरणं न पर्यवस्यति शब्दप्रक्रियामात्रव्याकरणेन। अस्त्येव बीजमस्मिन्नेव पाणिनिसूत्रग्रन्थे शाब्दिकदर्शनस्यापि, यत् परस्तादङ्कुरितं, पल्लवितं, पुष्पितं, फलितञ्च महाभाष्यवाक्यपदीयादिषु। अत एवार्वाचीनशाब्दिकमूर्धन्यैर्भट्टोजिदीक्षितैः शब्दसाधुत्वप्रक्रियार्थं निर्मितया सिद्धान्तकौमुद्या तद्व्याख्यया मनोरमया चापरितुष्यद्भिः शाब्दिकदर्शनरहस्यानां व्याचिकीर्षया शब्दकौस्तुभोऽपि प्राणायि। तानीमानि व्याकरणदर्शनरहस्यानि महाभाष्यरूपादाकरादेव संचितानीत्येतदपि स्पष्टमभ्यधायि तैरनन्तरप्रणीते वेदान्तग्रन्थे तत्त्वकौस्तुभाख्ये। तत्रेत्थं प्रतिजज्ञिरे दीक्षितेन्द्राः—

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः।
शाङ्करादपि भाष्याब्धेस्तत्त्वकौस्तुभमुद्धरे॥

इदमपि विभावनीयमत्र सुधीभिर्यदस्यैव पद्यस्य स्वपितृव्यप्रणीतस्य पूर्वार्धः प्रस्तुतग्रन्थलेखकैः कौण्डभट्टैरपि यथाक्षरच्छायं समावेशितः इह ग्रन्थारम्भे। उत्तरार्धेन च प्रतिजानते कौण्डभट्टा यत् ते भट्टोजिदीक्षितोपज्ञमेनं शब्दकौस्तुभमवलम्ब्यैव वैयाकरणभूषणसाराख्यमिमं ग्रन्थं प्राणैषिषुरिति, तत्रत्यान् एव अर्थानिह सञ्चिक्षिपुरिति च।

इदमत्र भूषणसारस्थं प्रतिज्ञापद्यम्—

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः।
तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते॥

प्रसङ्गादिदमपि विभावयन्तु सहृदया भट्टोजिदीक्षितप्रणीतयोः सिद्धान्तकौमुदी-शब्दकौस्तुभयोः ग्रन्थयोः 'कौमुदी' शिरस्क-'कौस्तुभ' शिरस्कनामकरणभेदस्य परमं रहस्यम्। तथा हि—एकस्य ग्रन्थस्य कौमुदीति, अपरस्य कौस्तुभ इति नामभेदकल्पने केनापि विनिगमकेन अवश्यं भाव्यमिति तावन्निश्चप्रचम्। तत्र शब्दार्थमर्मज्ञा भट्टोजि-दीक्षिताः शब्दप्रक्रियाविवरणपरस्य ग्रन्थस्य सर्वजनसेव्यत्वं ख्यापयितुं तं 'कौमुदी'-संज्ञया, शब्दार्थतत्त्वरहस्यविवेचनात्मकदार्शनिकग्रन्थरत्नस्य महार्घत्वं विशिष्टशिष्ट-जनमात्रसेव्यत्वं च द्योतयितुं तं कौस्तुभसंज्ञया च समयूयुजन्निति प्रतिभाति। यथा हि कौमुदी आपण्डितमाहालिकं सर्वलोकसुलभा, सर्वोपभोगक्षमा, सर्वजनाह्लादिनी च भवति, न तथा श्रीमन्नारायणवक्षःस्थलशोभमानं कौस्तुभरत्नमिति नायं तिरोहितः कौमुदीकौस्तुभनिसर्गभेदो वागर्थविदां सहृदयपण्डितानाम्। ग्रन्थयोरनयोरपि ईदृश एव कोऽप्यधिकारिभेदो दीक्षितविवक्षितः स्यादित्यनुमानं युक्तरूपमुत्पश्यामः।

आस्तामिदं प्रसक्तानुप्रसक्तानुधावनम्। अयं तावन्निर्गलितार्थ इहत्यस्यास्मत्पूर्व-प्रघट्टकस्य। कौण्डभट्टप्रणीतो वैयाकरणभूषणसाराभिधो ग्रन्थोऽयम् आ पतञ्जलेः आ च भट्टोजिदीक्षितादविच्छिन्नधारं वहन्तीं व्याकरणदर्शनसिद्धान्तपरम्परां यथा-यथमात्मसात्करोतीति, अत एव विशुद्धसंप्रदायानुगततया नितरां प्रामाणिक इति च। सिद्धे चैवमस्य विद्वज्जनमहनीयत्वे, इदं तावन्नितरां स्थाने यदसौ पारम्पर्यक्रमागत-व्याकरणदर्शनसिद्धान्तसंग्राहको ग्रन्थतल्लजो बहुभिः शाब्दिकतल्लजैः ग्रन्थार्थगाम्भीर्य-समुद्घाटकैः स्वोपज्ञैः प्रौढैर्व्याख्यानैर्विभूषित इति।

इदमत्रावधेयम्। कौण्डभट्टेनास्मिन् ग्रन्थे प्राचीनाचार्यप्रोक्ता एव शाब्दिक-सिद्धान्ता यथातथं प्रतिपादिताः, न तु तत्र नूतनं किमप्याविरकारि। एवं स्थितेऽपि वैया-करणभूषणसारस्यायं महानुत्कर्षो यदस्मिन् कौण्डभट्टेन महाभाष्यवाक्यपदीयप्रभृतिषु मूलग्रन्थेषु तट्टीकासु चोन्मीलितानां शाब्दिकदर्शनसिद्धान्तानां नव्यन्यायशास्त्रसिद्धया शैल्या पुरस्कृत्य नवीनीकरणं नाम। नव्यन्यायशैल्या हि तथा समाक्रान्तं समग्रं भारतीयं दर्शनं यथा तां विना कस्यापि दर्शनस्य वादकथाप्रस्तावेष्ववतरणमेव न सम-भाव्यत ततः परम्। अत एव वेदान्तमीमांसादिदर्शनेष्वपि तदानीन्तनैर्महात्मभिः नव्य-न्यायपद्धत्युपरक्ताः प्रौढप्रौढा उद्ग्रन्थाः प्राणायिषत भूयांसः। तत्र व्याकरणदर्शनस्येदृशीं तदानीन्तनीमपेक्षामपूरयत् कौण्डभट्टो वैयाकरणभूषणेन यथार्थाक्षरेण। यदीदृशं नव्य-न्यायशैल्युपबृंहितं वाग्ग्रन्थं नारचयिष्यत् कौण्डभट्टस्तदा, तर्हि व्याकरणदर्शनं पृष्ठतः कृतमभविष्यद् वादप्रस्थानपङ्क्तिषु। तदेतन्महतो महत् प्रयोजनं संसाध्य, तेन च वादप्रस्थानेषु व्याकरणदर्शनमपि दर्शनान्तरैः सह प्रष्ठे प्रतिष्ठाप्य, मन्महे महदुपकृतं कौण्डभट्टेन व्याकरणस्य।

काममिदं सर्वं प्रकृतस्य वैयाकरणभूषणसारस्य नूनं भूषणायते। तथापि नेदं विस्मरणीयं यत् परिवर्तिनि कालचक्रे, अधरोत्तरीभूते त्रिवर्गसारे, पाश्चात्त्येन अर्थकामपरेण जीवनयात्राक्रमेण समाक्रान्ते प्रत्ने भारतवर्षे, खिलीभूते पण्डितमण्डलेष्वपि श्रुतव्यसनसङ्कल्पे, वाणिज्यायमाने विद्याध्ययनाध्यापनक्रमे, नियोगसाधनत्वेन उपाधि-लाभमात्रचक्षुष्कैः छात्रनेतृभिः भयावहां विकृतिमुपनीतेषु परीक्षाव्यापारेषु, महाभारतीय-द्यूतसभाभवने भीष्मद्रोणादिवन्मूकीभूतेषु परीक्षाभवने भीतभीतेषु निरीक्षकाध्यापकेषु, समूलल्लोपं विलोपिते प्राचीने शास्त्राभ्यासक्रमे, गतप्रायः कालः प्रौढानां शास्त्रग्रन्थानां प्रौढतरव्याख्यानप्रणयनेन तन्निहित-पद-पदावयव-वाक्यादिगाम्भीर्यसमुद्घाटनस्य। अद्यत्वे तु हन्त शास्त्राधीतिनोऽपि कामयन्ते लघुतमेन प्रयत्नेन गुरुतमं फलमासादयितुम्। इदमेव कालदोषजनितं वैपरीत्यं मनसि निधायाह स्म कश्चित् प्राचीनपाण्डित्यपरम्परा-संवर्धितः पण्डितावतंसः स्थूलार्थमात्रपरितुष्टान् गुरुकुलक्लेशादुद्विजमानानध्येतॄनन्तरेण—

अन्तःपातमकृत्वैव सकृद् ग्रन्थान्तरस्थितम्।
आपाततो जिघृक्षन्ति केचिदायासभीरवः॥ इति।

किञ्चान्यत्। आधुनिके युगे सन्ति भूयांसो भाषाचिन्तका भारतीया वैदेशिकाश्च, ये संस्कृतभाषानभिज्ञाः सन्तोऽपि संस्कृतभाषानिबद्धानां प्रौढतरशास्त्रग्रन्थानां सिद्धान्तसारं यथायथं जिज्ञासन्ते। ईदृशा भाषावैज्ञानिकाः समीहन्ते संस्कृतनिबद्धानां शब्दतत्त्व-विषयकाणां प्रकृतवैयाकरणभूषणसारसदृशानां दार्शनिकग्रन्थानां सारं वेत्तुम् आङ्ग्ल-हिन्द्यादिभाषान्तरानुवादमुखेन।

किञ्चान्यत्। सांप्रतं परीक्षोत्तितीर्षामात्रबुद्ध्या व्याकरणशास्त्रमधीयानेषु छात्रेष्वपि सन्ति नैके छात्रा ये ग्रन्थार्थं बोद्धुमपेक्षन्ते साहाय्यं भाषान्तरानुवादानाम्।

ईदृशान् सर्वविधान् पाठकानुपकर्तुमस्मद्विश्वविद्यालयस्य व्याकरणविभागे प्रागुपा-चार्यपदप्रतिष्ठाः संप्रत्याचार्यपदे प्रोन्नताश्च डॉ० आद्याप्रसादमिश्राः प्रकृतग्रन्थस्य सरल-सरलां मन्दाधिकारिणामपि सुखबोध्यां हिन्दीव्याख्यां प्राणैषिषुः। एतद्व्याख्यासम-लङ्कृतम् अस्मद्विश्वविद्यालयेनैव प्रकाश्यमानं ग्रन्थमेनं पूर्वोदाहृतानां समेषां पाठकवर्गाणां करयोः प्रस्तुवतामस्माकं जायते प्रमोदो महान्। श्रद्दध्महे च ग्रन्थोऽयं ध्रुवं कल्पिष्यते बहूनां बहुविधानां पाठकानां बहूपकारायेति। अन्ते चाशास्महे आनन्दवनविहारिणो भगवतो विश्वनाथस्य परमानुग्रहेण ग्रन्थोऽयं लोके प्रचयमियादिति सर्वं शिवम्।

वाराणसी,
४-९-१९८९
भाद्रपदशुक्लचतुर्थी
(गणेशजयन्ती)

वि० वेङ्कटाचलम्
कुलपतिः
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य

विदुषां सम्मतयः

आचार्यः पट्टाभिरामशास्त्री 'पद्मभूषणम्'

'काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्' इत्यभियुक्तोक्त्या न्यायव्याकरणयोरन्योपकारकत्वेनोपादानं दृश्यते। उपकार्यस्वरूपलाभायोपकारक आश्रीयते। यल्लाभायोपकारक आश्रीयते तथैवोपकारकस्यापि किञ्चिदेकं स्वरूपं भवत्येव। तल्लाभायोपकारकान्तरस्याश्रयणम् तस्याप्युपकारकान्तरम् इति धारा भागीरथीधारेव प्रवहन्ती अन्ते यथा भागीरथीधारा सागरमवाप्य लीना भवति तथैव सर्वाणि शास्त्राणि दर्शनानि च जगतामीशितुः परमेश्वरस्य स्वरूपनिरूपणेन विश्राम्यन्ति। अत्र साक्षात् प्रवर्तमानानि कानिचन परम्परापरणीत्यन्यदेतत्। प्रचारभेदस्तु कामं सर्वत्र परिलक्ष्यते। एवं दृष्टिं प्रसार्यानुसन्धीयमाने समेषां शास्त्राणां दर्शनानाञ्च परमुद्देश्यमेकमेव सिद्धचेत्। प्रकारः परं भिन्न एव स्यात्। अत एव मीमांसकैरुपकारकेषु सन्निपत्योपकारकाणि आरादपकारकाणीति प्रविभज्योपकारकाणां स्वरूपं प्रादर्शि। परमापूर्वोत्पत्तये परम्परया सन्निपत्योपकारकाणि साक्षादुपकारकत्वेनारादपकारकाणीति पन्थास्तैः प्रदर्शितः। तत्राप्यधिकरणसिद्धन्याये पर्यालोच्यमाने उपकारकमप्यपकार्यं भवतीति निश्चितं भवति। एवञ्चोपकार्योपकारकभावमात्रेणाङ्गाङ्गिभावकलुषितचेतसां मिथः कलहे प्रवृत्तिं निरुणद्धि मीमासकोन्नीतः पन्था इति सिद्धं भवति।

तत्र व्याकरणं पदगतसाधुत्वासाधुत्वयोः प्रतिपादनायैव केवलं न प्रवृत्तम्, अपि तु परतत्वनिरूपणायापि प्रवृत्तमित्यभ्युपगन्तव्यम्। सर्वेऽपि शास्त्रकृतो दर्शनप्रवर्तकाश्च पाणिनिकपिलादयो महर्षय इमे वेदाविरोधेन स्वस्यानितरसाधारण्या चिन्तनाशक्त्या परतत्वविवेचने प्रवृत्ताः। विभिन्नभागेषु गच्छन्तोऽप्यमी शब्दात्मकवेदमयेन सूत्रेणाबद्धा एकतामनुभवन्ति। दार्शनिकसिद्धाधिकरणन्यायेनार्थे विद्यमानेऽपि देवतायाः शब्दात्मकत्वं यथा मीमांसकास्साधयन्ति यथा ओंकारात्मकशब्दब्रह्म साधयन्तो वैयाकरणाः पाणिनीयं दर्शनं विस्तारयन्तो दार्शनिकानां श्रेण्यां स्वीयमपि स्थानं द्रढयन्ति।

तत्र वैयाकरणभूषणसारस्य निर्माता श्रीकौण्डभट्टः व्याकरणग्रन्थकृत्सु विशिष्टं स्थानमावहति। अस्य ग्रन्थकृत इतिवृत्तं वैशिष्ट्यञ्च स्वीयविस्तृत-भूमिकायां विद्वद्वरेण मिश्रोपाह्वाद्याप्रसादेन साधु न्यरूपीति पुनस्तद्वर्णनं पिष्ट-पेषणमिव स्यात्। वैयाकरणभूषणसारस्य मूलमात्रस्य व्याख्यासहितस्य च प्रकाश-नान्यनेकानि विद्वद्भिस्सम्पादितान्युपलभ्यन्ते। तेष्वदः पण्डितश्रीआद्याप्रसादीयं प्रकाशनं काञ्चन विशेषतामाबिभर्ति। अस्मिन् प्रकाशने पण्डितमिश्रमहोदयः स्वीयां सवित्र्याख्यां व्याख्यां राष्ट्रभाषामयीं संयोज्य राष्ट्रभाषायाः कलेवरं संवर्धयन् विभिन्नभाषाभाषिणां प्रान्तेष्वपि आदराय पन्थानमुद्घाटयामास। यतो हि भूषणसारोऽयमा च हिमवतः आ च कुमार्यास्सर्वेषु प्रान्तेषु व्याकरण-पाठ्यक्रमान्तर्गतः सर्वैरेव व्याकरणाध्येतृभिरनिवार्यरूपेणाध्येतव्यश्च। अतश्चाय-मुपादेयतमो ग्रन्थः।

अध्यापकानामध्यापनमेवैकं कार्यं न भवति। अध्यापनेन सह विविधान् अनुसन्धानदृशा विवेचितान् लेखान् विलिख्य प्रकाशनम, ग्रन्थान् व्याख्याय तेषां व्याख्यानम् सारगर्भितविषयोपेतभाषणप्रदानमपि कार्यकोटौ प्रविशति। पुस्तकेनैव विनेयाश्शिक्षिता न भवन्ति, किन्त्वध्यापकनामाचरणानि दृष्ट्वाऽपि ते शिक्षिता भवन्ति। यद्ययमध्वाऽध्यापकैरनुश्रियेत मङ्गलं क्रियेत इति शास्त्रीया पद्धतिः। ग्रन्थलेखरचनादिकमपि मङ्गलमिति विभाव्य यदि वयं प्रवर्तामहे तर्हि नूनं छात्रान्बोलभात्मको विघ्नोऽपहतः स्यात्। तदस्मिन् मङ्गलमये कार्ये पं० आद्याप्रसादस्य प्रवृत्तिमभिनन्दामि। इतोऽप्यधिका प्रवृत्तिरेतादृशेषु कार्येषु भवतु, येन पारम्पर्यपरिप्राप्तशास्त्रसम्प्रदायः परिरक्षितस्स्यादिति भगवन्तमुमारमणमभ्यर्थयते।

पट्टाभिरामशास्त्री "पद्मभूषणम्"

श्रावण शु० १३, सं० २०४५
दि० २६-८-१९८८

आचार्यः पण्डितरामप्रसादत्रिपाठी

श्रीहरिः शरणम्

व्याकरणशास्त्रं शिखरारूढं कुर्वन्महाभाष्यमाधारीकृत्य व्याकरणैकप्राणैः श्रीमद्भट्टोजिदीक्षितैः शब्दकौस्तुभाख्यं ग्रन्थरत्नं विरचय्य तत्रत्यनिर्णीतसिद्धान्तानां संक्षेपेण निबन्धनाय शाब्दबोधप्रकारप्रकाशिका इतरमतोक्तापसिद्धान्तप्रदूषिका च कारिकावली विरचिता। तामेवोपजीव्य विद्वद्वरेण शाब्दिकचक्रचूडामणिना श्रीकौण्डभट्टेन पटीयस्या दार्शनिकप्रणाल्या व्याख्यारूपेण वैयाकरणभूषणसाराभिधं ग्रन्थरत्नं निरमायि। हरिवल्लभादिविद्वन्मूर्धन्यविरचिताभिर्दर्पण-काशिका-प्रभाप्रभृतिभिष्टीकाभिः तत्र स्थितानां धात्वर्थवाद-नामार्थवाद-समासशक्तिवाद-स्फोटवादादिदुरूहसिद्धान्तानां तात्पर्यस्य सारल्येन प्रकाशनमद्यतनानां पिपठिषूणां कृते न सम्भवति इतीमां दुरवस्थामालोच्य सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयीय-व्याकरणविभागे उपाचार्यपदमलंकुर्वता व्याकरणशास्त्रे कृतक्रियमाणभूरिपरिश्रमेणायुष्मता पण्डितप्रवरेण श्रीमता आद्याप्रसादमिश्रमहोदयेन राष्ट्रभाषया निबद्धव्याख्यया निरुक्तं ग्रन्थरत्नं समलंकृतम्।

अधुना ह्रासदर्शनतो ह्रासः सम्प्रदायस्य मीयतामिति न्यायकुसुमाञ्जलि-वचनानुमोदितमेधाह्रासमनुभवता 'हिन्दी' भाषया यदिदं व्याख्याय विद्वत्समक्ष-मुपस्थापितम् तदत्यन्तमौचित्यमादधद् विदुषां विविदिषूणाञ्च महते उपकाराय भविष्यति-इत्येवं स्वीयं शुभाशंसनं प्रकाशयति —

रामप्रसादत्रिपाठी
व्याकरणविभागाध्यक्षचरः
सम्मानितप्राध्यापकश्च
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये
वाराणस्याम्
राष्ट्रपतिसम्मानितश्च

श्रावणे १३ त्रयोदश्याम्
बुधे २०४५ वैक्रमे

प्रोफेसरकालिकाप्रसादशुक्लः
अवकाशप्राप्ताचार्योऽध्यक्षश्च
वेदवेदाङ्गसंकाये
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये
वाराणसी

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये व्याकरणविभागे उपाचार्यपदं भूषयता श्रीमता आद्याप्रसादमिश्रमहोदयेन विहिता वैयाकरणभूषणसारस्य 'हिन्दो' व्याख्या भूमिका च मया सम्यङ् निरीक्षिता परीक्षिता च। महाविदुषोऽस्य व्याख्यायां पदार्था निर्मले गङ्गाम्भसि मुक्तामणय इव भान्ति। व्याख्यायां पदार्थावगमे न केवलमन्तेवासिनां श्रममपाकरोति प्रत्युत विदुषामप्युपकारिणो वर्तते इत्यत्र नास्ति शङ्कापङ्कावकाशः।

भूमिकायां प्रायः शाब्दिकानां समे निगूढाः सिद्धान्ताः स्फोरिताः प्रतिकूला दर्शनान्तरसिद्धान्ता युक्तयुक्त्या प्रत्याख्याताश्च। यदवलोकमवलोकं मनसि महानन्दो भवति चमत्कृतिरपि जायते। अद्यत्वे व्याख्या ईदृश्यः प्रायो दुर्लभा दृश्यन्ते। यतो हि संस्कृताकरग्रन्थानां तत्रापि परिष्कारबहुलानां ग्रन्थानां भाषान्तरकरणं लौहचणकचर्वणमस्ति। एतादृशेन व्याख्यानेन शाब्दिकजगतो महानुपकारो भविष्यतीत्यहं विश्वसिमि।

कालिकाप्रसादशुक्लः
धर्मसङ्घशिक्षामण्डलम्
दुर्गाकुण्डमार्गः, वाराणसी।

दिनाङ्क १७-८-८८

सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये
न्यायवैशेषिकविभागाध्यक्षचर:
डाँ० श्रीरामपाण्डेय:

१

कौण्डेन भट्टेन विनिर्मितोऽयं
वाभाति वाग्भूषणसारहार: ।
वैयाकृतो खेलति यत्र रम्या
विद्वन्मनो रञ्जयतीह नित्यम् ॥

२

ग्रन्थस्य भाग: सकलो दुरूहो
नाभाति विद्यार्थिनिकुञ्जपुञ्जे ।
टीका अनेका रचितास्तथापि
कौ कौतुकं ता दधते न सर्वा: ॥

३

भावप्रकाशे निपुणा: समस्ता-
श्छात्रानभिज्ञाय न बोधिकास्ता: ।
पृच्छन्ति सर्वत्र विपन्नभावा-
स्तोषञ्च कुत्रापि न ते लभन्ते ॥

४

आद्याप्रसादो वितनोति टीकां
काठिन्यदोषं परिहर्त्तुकाम: ।
सूरीविभाभा सफला समर्था
ग्रन्थिं समग्रां विनोति शक्ता ॥

५

सावित्री सकला प्रकाशनिपुणा टीकासमग्रा सती
ग्रन्थस्यास्य समग्रशब्दविभवं संस्फोर्य सा भासते ।
टीकाकारहृदेककञ्जरमणी व्युत्पत्तिदा मोहदा
छिन्दन्ती बुधसंशयं मतिमतां बोधाय सा कल्पताम् ।

वाराणसी
दि० ३१-८-८८

श्रीमतीय:
पाण्डेयश्रीराम:

प्राक्कथनम्

१९८० तमे ख्रिस्ताब्दे मम परमश्रद्धाभाजां सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य तदाधीन्तनानां कुलपतीनामिदानीं शिवसायुज्यप्राप्तवतां विश्वविश्रुतपण्डितानामाचार्यश्रीवदरीनाथशुक्लमहादयानां सत्परामर्शेन प्रेरणया सम्मत्या च कौण्डभट्टकृतवैयाकरणभूषणसारस्य व्याख्यां कर्तुमहमारब्धवान्। परं तेषां समक्षमस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं न जातमिति विचार्य अतीव दुःखायते मे मनः।

आदौ यच्चिकीर्षितम्, यच्च कर्त्तुमीहितमासीत्तत्सर्वं सम्पादयितुं नाहमपारिषम्, तदप्यस्मिन् ग्रन्थेऽन्तःस्थितान् बहून् रहस्यमयान् अस्फुटान्, पदार्थान्नुद्घाटयितुं यावच्छक्यमहमयतिषम् तत्र कियत् साफल्यमित्यत्र विद्वांस एव प्रमाणम्। अत्र मूलग्रन्थे प्रतिपादितविषयाणां सारांशोऽपि भूमिकायामुपनिबद्धः। ततः परमस्य ग्रन्थस्यैतिहासिकी पृष्ठभूमिः, ग्रन्थकर्त्तुरितिवृत्तम्, विभिन्नानां टीकानां टीकाकाराणाञ्च परिचयो विस्तरेणोपन्यस्तः।

वैयाकरणभूषणसारो व्याकरणदर्शनस्यादिमो निबन्धग्रन्थः। इतः पूर्वं न कोऽपि विद्वान् प्रकरणक्रमेण सुव्यवस्थितमीदृशं ग्रन्थं रचयामास। ग्रन्थस्यास्य प्रणेता रङ्गोजिभट्टात्मजः श्रीकौण्डभट्टो व्याकरणप्रक्रियापरम्पराप्रवर्तकानां श्रीभट्टोजिदीक्षितानां भ्रातुष्पुत्र आसीत्। भट्टोजिदीक्षितः स्वीये शब्दकौस्तुभे व्याकरणदर्शनस्य नैकान् पदार्थान् व्याचचक्षे। पातञ्जलमहाभाष्यमेवाधारीकृत्य श्रीदीक्षितः शब्दकौस्तुभं निर्ममे। तत्र प्रतिपादिता एव पदार्था अस्मिन् ग्रन्थे व्याख्याताः। उक्तञ्च —

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः।
तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते॥

श्रीदीक्षितः सम्पूर्णव्याकरणदर्शनसिद्धान्तसङ्ग्रहरूपेण व्याकरणसिद्धान्तकारिकानामकमेकं लघुग्रन्थं निरमासीत्। तत्र चतुस्सप्तति (७४) कारिका आसन्। तासु काश्चन भर्तृहरेर्वाक्यपदीयाद् गृहीताः सन्ति। काश्चन च दीक्षितविरचिता विद्यन्ते तासां सूची परिशिष्टे संलग्ना वर्तते। तासामेव कारिकाणां

व्याख्यानमुखेन रङ्गोजिभट्टो वैयाकरणभूषणं वैयाकरणभूषणसारञ्च रचितवान्। रचनात्परमेव व्याकरणाध्ययनाध्यापने सर्वत्रास्य ग्रन्थस्य प्रचारो जातः। शतद्वयवर्षेभ्योऽद्यावधि अविच्छिन्नरूपेणास्य ग्रन्थस्याध्ययनाध्यापनपरम्परा प्रावर्तत। अधुनाऽपि देशे प्राच्यपद्धत्या प्रवर्तितेषु संस्कृतविश्वविद्यालयेषु, संस्कृत-शिक्षासंस्थानेषु, संस्कृतपाठशालासु, आधुनिकविश्वविद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च संस्कृतपाठ्यक्रमे निर्धारितो विद्यते। बहुभिश्च विद्याविचक्षणैरस्य ग्रन्थस्य रहस्यभेदाय टीका विरचिताः। संस्कृतभाषायां रहस्यावृताः सर्वेऽपि पदार्थाः राष्ट्रभाषाहिन्दीमाध्यमेन प्रकाशिताः स्युरिदानीन्तनानां जनानामस्त्येका महत्याकाङ्क्षा। तस्या एवाकाङ्क्षायाः पूर्त्तयेऽस्य ग्रन्थस्य 'हिन्दी' व्याख्यां कर्त्तुमहमारब्धवान्।

अस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनेऽनपेक्षितोऽधिकः समयो व्यतीतः। वर्षद्वयं यावद् पाण्डुलिपिः मुद्रणालये एव निक्षिप्ता आसीत्। प्रकाशनारम्भेऽपि मध्ये मध्ये कार्या-वरोधो जातः, येन महन्नैराश्यं जातम्। परमकृपालोर्भगवतो विश्वनाथस्या-नुकम्पया यथाकथञ्चिदस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं सम्पन्नम्। अतो विदुषां पुरतो ग्रन्थ-मेनमुपहरतः सन्तुष्यति मे चेतः।

अस्मिन् कर्मणि पूज्यैः गुरुवर्यैः सकलशास्त्रनदीष्णैः न्यायशास्त्रकेशरिभिः प्रशस्तप्रशासनकुशलैः शास्त्रार्थे विलक्षणप्रतिभायुतैः परमकारुणिकैराचार्य-बदरीनाथशुक्लमहोदयैः सर्वतोऽधिकः स्नेहिलः सहयोगः प्रादायि, यदि तेषामा-शीर्वचः, सत्प्रेरणा, सदुपदेशश्च न स्यात् मन्येऽस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं मत्कृते दुष्करमेवाभविष्यत्। अतस्तेषां चरणयोः भूयो भूयः सश्रद्धमाभारभारं प्रकटयितुं मम चित्तमाकुली भवति, किन्तु तथाविधान् शब्दानेव नैव स्मरामि येन तादृश्या भावनायाः प्रकाशनं सम्भवेत्। अतः परमभास्वराय सूर्याय दीपदानवत् विनीतभावेन तेषां चरणयोः सबहुमानं सश्रद्धं प्रणामाञ्जलीनर्पयामि।

अस्माकं गुरुवर्याणां सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये भूतपूर्वव्याकरण-विभागाध्यक्षाणां पण्डितश्रीमुरलीधरमिश्रमहोदयानामाधमर्ण्यं शिरसा वहामि, येषां वात्सल्यमनुकम्पा चाध्ययनकालादेव मे सुलभा। अद्यापि च ते स्वीयैरा-शीर्वचोभिः मां समुत्साहयन्ति।

ग्रन्थग्रन्थिस्फोरणनिपुणैः विविधविद्याविद्योतितान्तःकरणैः शब्दशास्त्र-धुरीणैः, तपोपूतैः गुरुवर्यैराचार्यश्रीरामप्रसादत्रिपाठिभिः ग्रन्थस्यास्य बहुधा व्याख्यानेनाध्यापनेन चाहं भृशमुपकृतः। अतस्तेषां पादपद्मयोः नतेन मूर्ध्ना सप्रश्रयं नैकान् प्रणामान् भूयोभूयः विज्ञापयामि। व्याकरणसाहित्यदर्शनाद्यनेक-शास्त्रविशारदानां विविधशास्त्रग्रन्थलेखने निपुणमतीनां प्रतिभावतां सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालयस्य दर्शनविभागाध्यक्षचराणामाचार्यमहाप्रभुलालगोस्वामिमहो-दयानां शिवं नामधेयं स्मरामि ये ग्रन्थव्याख्यानकाले मम गृह एवागत्य सहजया-नुकम्पया किञ्चिदभिनवं परामृशन्तो नैकान् प्रकाशनविधींश्चोद्‌बोध्य मामुप-कृतवन्तः, तदर्थं तेषामाधमर्ण्यं शिरसा वहामि।

अस्मिन्नेव क्रमे शब्दशास्त्रपारङ्गताः राधामहाकाव्याद्यनेकमहाकाव्य-प्रणेतारः भूतपूर्वव्याकरणविभागाध्यक्षाः पण्डितश्रीकालिकाप्रसादशुक्लमहोदयाः व्याकरणन्यायवेदान्तादिविविधशास्त्रनिपुणाः, शास्त्रार्थसभायां तर्कधुरीणाः, काव्यप्रणयिष्वग्रेसराः, न्यायवैशेषिकविभागाध्यक्षचराः पण्डितश्रीरामपाण्डेय-महोदयाः, प्रतिदिनं गङ्गास्नानसन्ध्यावन्दनादिपूर्वकं दुर्गासप्तशत्याः स्तवनेन तपोमूर्त्तयः पण्डितश्रीरामप्रीतिद्विवेदिनः सादरं सश्रद्धं भूयो भूयः प्रणम्यन्ते ये च समये समयेऽध्यापनेन प्रेरणया शुभाशीर्वचोभिश्च मां कृतार्थी कृतवन्तः।

अत्रावसरेऽस्माकमग्रजकल्पान् प्रशासनदक्षान् आई० ए० एस० पदवीकान् भारतसर्वकारस्य वित्तमन्त्रालये संयुक्तसचिवान् डॉ० जनार्दनप्रसादसिंहमहोदयान् हार्दिकैः साधुवादैः समाजयितुमिच्छामि ये च परिवारप्रमुखसदृशेन अतीवस्नेहेन चास्मिन्शास्त्रानुष्ठाने प्रवृत्त्यर्थं मां मुहुर्मुहुः प्रेरितवन्तः। ग्रन्थस्यास्य प्रकाशने योगतन्त्रविभागे प्राध्यापकैः डॉ० राजनाथत्रिपाठिभिः बहुभिः मम मित्रैः कैश्चिद् धीमद्‌भिश्छात्रैः परिवारजनैश्च सहयोगोऽभ्यधायि ते सर्वेऽप्यभिनन्दनीया एव। तेषु मम पत्नी प्रियम्बदादेवी सर्वथा प्रशंसार्हा, या ग्रन्थप्रकाशनकाले स्वीयेऽनैरुज्येऽपि सर्वानपि गृहभारान् स्वशिरस्यारोह्य गृहप्रपञ्चात् मां पृथक्कृत्यैकान्तचिन्तने व्यवस्थां सम्पादितवती।

अस्यानुष्ठानस्य पूर्त्तये यावच्छक्यं मया सुप्रयत्नोऽभ्यूहितस्तथापि ममाज्ञानेन प्रमादेन च बह्व्यो भ्रान्तयः सम्भवन्ति, काश्चन मुद्रणाऽशुद्धयोऽपि समभवन् तत्कृतेऽहं विनतभावेन क्षमां याचे। अन्ते च पराम्बाऽन्नपूर्णायाः भगवतो विश्वनाथस्य च चरणेषु प्रणामाञ्जलीन् समर्पयन् विरमामि, स्मरामि, च-

गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः।
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः॥ इतिशम्।

आषाढ़शुक्लस्य पूर्णिमा
वि० सं० २०४५
[२९ जुलाई, १९८८]

विदुषां वशंवदः -
आद्याप्रसादमिश्रः
उपाचार्यः, व्याकरणविभागे
सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये
वाराणस्याम्

प्रास्ताविकम्

पाणिनीयव्याकरणस्य वेदाङ्गत्वम्

वेदाङ्गेषु व्याकरणस्य मुख्यतमं स्थानम्। 'मुखं व्याकरणं स्मृतम्' इत्यभियुक्तोक्तिरद्यापि प्रसिद्धा सकलजनानुमोदिता च। वेदाङ्गत्वञ्चास्य शब्दानुशासनतया तदेव व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनम्। 'अथ शब्दानुशासनम्' इति ह्यनुवदन् पतञ्जलिरिममेवार्थं[1] प्रत्यपीपदत्। महाभाष्यकार 'एकः शब्दः सम्यग् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति' इत्युक्त्या व्याकरणस्य स्फोटात्मकब्रह्मणः तादात्म्याख्यं महत्त्वं विबोधयन्नपि शब्दानुशासनं नाम व्याकरणस्य परमं प्रयोजनमिति स्वीयया नवनवोन्मेषशालिन्या प्रज्ञया संसाधितम्। तत्रादौ वेदाङ्गेषु प्रामुख्यं भजमानेषु अस्य व्याकरणशास्त्रस्यैतिहासिकमानुशासनिकञ्च निरूपणं संक्षेपेण प्रस्तूयते।

> [1]अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
> आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः॥

वेदो हि भारतीयवाङ्मयस्य मूर्धन्यतमो ग्रन्थः। अस्याध्ययनं द्विजन्मनां कृते प्रथमकर्त्तव्यतया सोद्घोषं प्रतिपादयन्ति श्रुतिस्मृत्यादयः। यथोक्तम्—'विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम, शेवधिष्टेऽहस्मि रक्ष माम्'। माण्डूक्योपनिषद्[2] विस्पष्टमाचष्टे—'द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति—परा, चैवापरा च। तत्रापरा—ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम्, निरुक्तम् छन्दो ज्यौतिषमिति। अथ परा—यया तदक्षरमधिगम्यते'।

वेदाध्ययनस्यापरिहार्यतां संसाधयन् भगवान् मनुः ब्रूते—

> [3]योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्।
> स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥

न केवलमङ्गिन एव वेदस्याध्ययनं विधेयम्। अपि तु साङ्गस्यैव वेदस्याध्ययनं विहितं सर्वत्राचारशास्त्रे। यथा भगवान् पतञ्जलिः ब्रूते—'ब्राह्मणेन

१, ब्रह्मसूत्रभाष्यम् १।३।२८।

२, मुण्डकोपनिषद् १।१।४।

३. मनु० अध्याय—२

निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च'। पाणिनिशिक्षायामपि साङ्गवेदाध्ययनस्यैव माहात्म्यमुपनिबद्धं वर्तते। उक्तञ्च[१]—

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते॥
शिक्षा घ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते॥

उक्तेषु षडङ्गेषु प्रधानं व्याकरणम्। यथोक्तं [२]फणिभाष्ये—'प्रधानञ्च षडङ्गेषु व्याकरणम्, प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति'। तत्र—

इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।
पाणिन्यमरजैनेन्द्राः जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः॥

इत्यादिरीत्या अष्टविधानि व्याकरणानि व्याख्यातानि। केचित्तु नवधा व्याकरणमित्यपि प्रतिपादयन्ति। तेषु व्याकरणेषु पाणिनिव्याकरणस्यैव प्रामुख्यमित्यामनन्ति विद्वांसः। 'काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्' इत्युक्तिः सर्वविदितैव।

अस्य पाणिनिव्याकरणस्याधारभूतानि 'अ इ उ ण्' प्रभृतीनि सूत्राणि महेश्वरप्रसादाल्लब्धत्वाच्चतुर्दशसूत्री श्रुतिरित्यवमभ्युक्तैरभ्यूहितम्। महाभाष्यकृताऽप्युक्तम्—'सोऽययक्षरसमाम्नायो पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो ब्रह्मराशिः इति। भर्तृहरिरप्याह—यथैवेदमव्युच्छिन्नं चन्द्रतारकादि। एवमस्याक्षरसमाम्नास्य न कश्चिदाधुनिकः कर्त्ताऽस्ति। एवमेव वेदपारम्पर्येण स्मर्यमाण इति। अस्य पाणिनिव्याकरणस्य श्रुतिमूलकत्वं समर्थयन् ऋक्तन्त्रव्याकरणे शाकटायनः प्राह—'इदमक्षरच्छन्दो वर्णशः समनुक्रान्तम्, यथाऽऽचार्या ऊचुर्ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच' बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज-ऋषिभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यस्तं खल्विममक्षरसमाम्नायमित्याचक्षते। न भुक्त्वा, न नक्तं प्रब्रूयाद् ब्रह्मराशिः इति। लघुशब्देन्दुशेखरे श्रीनागेशेनाप्युक्तम्—'श्रुतिमूलकत्वादस्यैव वेदाङ्गत्वम्। अत्र हि एव शब्दोऽप्यर्थकः। तेन पाणिनिव्याकरणात् पूर्वं वेदस्य पञ्चाङ्गत्वापत्तिः निरस्ता'।

वस्तुतस्तु विशेष्यसङ्गत एवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदको भवति। यथा—'पार्थ एव धनुर्धरः' इत्यत्र पार्थेतरावृत्तिर्यद्धनुर्धरत्वं तद्वान् विलक्षणो धनुर्धर

---

१. पाणिनीय शिक्षा—४१।४२।
२. महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम् पृष्ठम् १४७।
३. महाभाष्यम्, प्रथमम् १।१।

इत्यवगम्यते । नैतावता पार्थेतरस्मिन् धनुर्धरत्वं व्यवच्छिद्यते अपि तु पार्थवृत्ति-विलक्षणधनुर्धरत्वमन्यस्मिन् नास्तीति गम्यतेऽन्यथा व्यवहारमात्रोच्छेदापत्तिः स्यात्तथैवेहापि विलक्षणव्याकरणत्वेन स्वरवैदिकप्रयोगादिनिर्माणनिरूपणकर्तृत्वरूपवैशिष्ट्यस्य चन्द्रादीतरव्याकरणे नास्तीतिविशिष्टं वेदाङ्गत्वमेतस्मिन्नेवेति बोद्धचते । इतरव्याकरणेषु वेदाङ्गत्वं निराक्रियतेऽन्यथा एवशब्दप्रयोग-वैयर्थ्यापत्तिः स्यादिति ।

पाणिनेः पूर्वं बहुषु व्याकरणेषु सत्स्वप्यस्याष्टकस्य निर्माणे जाते तानि तिरोहितान्येवाभवन् । इदानीं तेषां नामान्येव स्मर्यन्ते । व्याकरणशास्त्र-प्रणेतारो बहव आचार्या बभूवुः । महर्षिपाणिनिः स्वस्यामष्टाध्यायां विभिन्नानामाचार्याणां मतवैविध्यप्रदर्शनाय नामग्राहपूर्वकं तान्निर्दिशति । तत्र च स्फोटायन--गार्ग्य--शाकटायन—आपिशली-गालव--चाक्रवर्मण—शाकल्याद्यने-काचार्याणां नामानि स्मर्यन्ते । तद्यथा—

१. अवङ् स्फोटायनस्य [६।१।१२३]
२. ओतो गार्ग्यस्य [८।३।२०]
३. त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य [८।४।५०]
४. वा सुप्यापिशलेः [६।१।९२]
५. ई ३ चाक्रवर्मणस्य [६।१।१३०]
६. अड् गार्ग्यगालवयोः [७।३।९९]
७. लोपः शाकल्यस्य [८।३।१९]

तेष्वाचार्येषु केषाञ्चन मतं विकल्पेन स्वीकृतम्, प्रत्याख्यातमपि केषाञ्चिन्मतम् । तद्यथा सूत्रमुक्तम्—तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात् [१।२।५३]।

तत्=प्रकृतम्, युक्तवद्भावलक्षणं निर्दिश्यते तदशिष्यम्=न वक्तव्यम्, संज्ञाप्रमाणत्वात् । संज्ञाशब्दा हि नानालिङ्गसंख्याः प्रमाणम् । तत्र लिङ्गवचनञ्च स्वभावसिद्धमेव न यत्नप्रतिपाद्यम् । तदर्थं सूत्रं नापेक्षितमित्यादिरीत्या खण्डितम् । 'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्' [१।२।५६] इत्यत्रापि पाणिनिः पूर्वाचार्याणां मतं प्रत्याचष्टे । अथ च पाणिनिना येषामाचार्याणां सिद्धान्तः स्वीयेशास्त्रेऽङ्गीकृतः, तेषां वेदाङ्गत्वं पूर्वत एव सुनिर्णीतम् । तदित्थम्, प्राक्तन-व्याकरणानां वेदाङ्गत्वे तदीयपरम्परायां नूतनत्वेनावधेयरूपेणाविर्भूतस्य सर्वथा वैज्ञानिकस्य सर्वाङ्गपूर्णस्य पाणिनिव्याकरणस्य वेदाङ्गत्वमव्याहतमावश्यकञ्च । परमाधुनिकेषु कौमारादिव्याकरणेषु निर्वचनमात्रपरतया तेषां वेदाङ्गत्वं नास्तीति विभाव्यते सुधीभिः । गणरत्नमहोदधौ वर्धमानोपाध्यायेनोक्तम्—

लौकिकव्यवहारेषु यथेष्टं चेष्टताञ्जनः ।
वैदिकेषु च मार्गेषु विशेषोक्तिः प्रवर्तताम् ॥

वेदेऽपि लौकिका एव शब्दा बाहुल्येन प्रयुज्यन्ते। केचन एव तद्विपरीताः सन्ति तथाविधानां वैदिकशब्दानां व्याख्याने न प्रवर्तन्ते कौमारादिव्याकरणानि। अतः कौमारादिव्याकरणानां न वेदाङ्गत्वम् तदुत्तरवर्त्तिषु व्याकरणेषु त्रिमुनिव्याकरणस्यैव वेदाङ्गत्वं सिद्धान्तितं सर्वत्र। अस्मिन्नेव पाणिनिव्याकरणे स्वरचिन्ता, वैदिकशब्दनिर्वचनञ्च कृतं विद्यते।

पञ्जीकारस्त्रिलोचनदेवो दुर्गसिंहव्याख्याप्रसङ्गे लिखति—वैदिकाः शब्दाः लौकिकज्ञैः पुरुषैः ये यथोक्ताः येन प्रकारेण वेदे प्रतिपादितास्तथैव ते निर्णीतार्थाः ज्ञेयाः। उक्तञ्च—

वैदिकाः लौकिकज्ञैश्च ये यथोक्तास्तथैव ते।
निर्णीतार्थास्तु विज्ञेया लोकात्तेषामसङ्ग्रहः॥

अद्वैतसिद्धिकृद्भिः [1]मधुसूदनसरस्वतीपादैः स्पष्टमभिधीयते—कौमारादिव्याकरणं न वेदाङ्गम्, लौकिकपदमात्रव्याख्यानपरत्वात्।

[2]निरुक्तकृद्भिर्यास्कैरुक्तम्—येषां शब्दानां प्रयोगो वेदे दृश्यते तेषां सर्वेषां शब्दानां निर्वचनं वैदिकैर्धातुभिरेव कर्त्तव्यमित्येष नियमो नास्ति, अपि तु लौकिकसंस्कृतेः प्रसिद्धेभ्यो धातुभ्योऽपि भवति। येषामपि शब्दानां संस्काराय धातवः, पाणिन्यष्टके न व्यपदिष्टास्तेषां व्युत्पत्तये 'उणादयो बहुलम्', [३।३।१] इति सूत्रमुपदिष्टम्। इत्थं हि लौकिकवैदिकोभयशब्दानां साधुत्वक्षमस्य पाणिनिव्याकरणस्य वेदाङ्गत्वं निष्प्रत्यूहमिति।

पाणिनिव्याकरणस्य माहात्म्यम्

'काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्' इत्युक्त्या इतरव्याकरणापेक्षया पाणिनीयव्याकरणस्य वैशिष्ट्यमिति सुस्पष्टं प्रतिभाति। एतत्त्वबधेयं यत् अर्थावगत्यर्थं वक्ता शब्दप्रयोगं कुरुते। अर्थज्ञानञ्च विना वृत्तिज्ञानं न जायते। वृत्तिग्राहकेषु च व्याकरणस्यैव प्राधान्यमित्यत्र शिष्टोक्तिरेव नः शरणम्। तथाहि—

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च।
वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति। सान्निध्यतः सिद्धपदस्य धीराः॥

इत्थं हि शक्तिग्राहकेषु व्याकरणस्य प्राधान्यमित्यवसीयते। वाक्ये पदानि प्रविभज्य पदे प्रकृतिप्रत्ययौ च विभज्यार्थविशेषे विहितप्रत्ययात् धातुनिष्पन्नप्रकृतेश्चार्थमवगत्य पदार्थसापेक्षं वाक्यार्थमभ्युपगच्छन्ति मनीषिणः। यद्य-

---

१. शिवमहिम्नस्तोत्रम्—मधुसूदनी टीका।
२. निरुक्तम् २।२।६।

पीतरव्याकरणेष्वपि प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकमर्थविशेषे प्रत्ययविधानं क्रियते परन्तु तत्र साधुत्वान्वाख्यानमेव प्रामुख्येन विधीयते, न तु तत्तादर्थबोधनम्। पाणिनीयव्याकरणे तु अर्थविशेषनिर्देशपुरस्सरमेव शब्दानुशासनं संसाध्यते। अत्र हि अर्थविशेषप्रतिपादनमनुरुद्ध्य स्वरादिविवेचनं वैदिकप्रत्ययार्थबोधनञ्च यथा साधितम्, न तथान्यस्मिन् व्याकरणे। स्वरहीनः शब्दप्रयोगः प्रयोगकर्त्तारमेवार्थभेदवशाद् हन्ति। महाभाष्यकृता शब्दानुशासनप्रयोजनप्रसङ्गे उक्तम्—

दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥

यथा—पुरा किल विश्वरूपाख्ये त्वष्टुः पुत्रे इन्द्रेण हते सति कुपितस्त्वष्टा इन्द्रस्य हन्तारं वृत्राख्यं पुरुषान्तरमुत्पिपादयिषुराभिचारिकं यागं कृतवान्। तथाभूतः सन् वर्धस्वेति प्रतिपादयितुमिन्द्रशत्रुर्वर्धस्वेति प्रयुक्तम्। अत्र इन्द्रशत्रुशब्दे तत्पुरुषसमासप्रयुक्तेऽन्तोदात्ते कर्त्तव्ये प्रमादादाद्युदात्त उक्तस्तेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरघटितपदोच्चारणेन बहुव्रीह्यर्थो लब्धः। तथा सति इन्द्रः शत्रुः शातयिता यस्यैवं भूत्वा वर्धस्वेति अर्थे जाते उत्पन्नमाभिचारिकं पुरुषं इन्द्रो जघान। स्वरदोषादिष्टसिद्धिर्न जाताऽपितु विपरीतैव स्थितिर्जाता। अत्र हि इन्देर्धातोरौणादिके रन् प्रत्यये कृते इन्द्रशब्द आद्युदात्तो व्युत्पादितः। तेन इन्द्र एव अस्य हिंसकः सम्पन्नः। पाणिनिव्याकरणातिरिक्तव्याकरणाध्ययनेऽपि शब्दसाधुत्वज्ञानं संभवति, तथापि स्वरादीनामनिर्देशादभीष्टार्थसिद्धिर्न संभाव्येत् इति पाणिनिशब्दानुशासनस्य वैशिष्टयं न तिरोहितं विदुषाम्।

उच्यते—स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति। स्वाध्यायो वेदः तथा च नित्यकर्मत्वेन वेदाध्ययनस्य च विधिरस्ति। अपि चोक्तम्—अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत च। अध्ययनं तु न केवलं वेदस्यापि तु वेदाङ्गानामपि। [1]मनुस्मृतावप्युक्तम्—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः।
सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते॥

प्रधानञ्च षडङ्गेषु व्याकरणमित्यभिदधाति महाभाष्यकारः पतञ्जलिः। व्याकरणेषु प्रधानं पाणिनीयव्याकरणमित्यङ्गीक्रियते सर्वैरपि प्रमाणभूतैराचार्यैः। अपि चेदानीं विद्यमानानामपाणिनीयव्याकरणानामप्याधारभूतं तत्त्वं पाणिनीयव्याकरणमेव। अधुना कातन्त्र-चान्द्र-हेमचन्द्रशब्दानुशासनादीनि व्याकरणान्यैतिहासिकीमभिवृद्धिं कुर्वन्ति विराजन्ते। गुरुपदहालदारमहोदयेन स्वीये 'व्याक-

---

१. मनु० अध्या० २ श्लोक १४०।

करणदर्शनेर् इतिहास' इत्याख्ये ग्रन्थे महेशव्याकरणस्य चर्चा कृता। उक्तञ्च तत्र—

[1]शब्दाम्बुधिं प्रमथ्यैव शङ्करेण यदुद्धृतम्।
माहेशं तद्विजानीयात् कृत्स्नं व्याकरणामृतम्॥

अनेनैतत् प्रतीयते यद्देवाधिदेवः महेश्वरः शब्दशास्त्रस्याकरस्थानीयः। अत एव व्याकरणशास्त्रनिष्णातेषु पण्डितसमवायेष्वेका गाथा अद्यापि कर्णाकर्णिकयाऽकर्ण्यते। यथोक्तम्—

[2]समुद्रवद्व्याकरणं महेश्वरे तदर्धकुम्भोद्धरणं बृहस्पतौ।
तद्भागभाग्च शतं पुरन्दरे कुशाग्रबिन्दूत्पतितं हि पाणिनौ॥

महाभाष्येऽपि शब्दान्तरेणैष एव निर्देश उपलभ्यते। यथा चाभिहितम्—

[3]बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः शब्दपरायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम।

एतेनैतत् सिद्धयति सकलशास्त्रपारङ्गतो देवगुरुश्चतुर्दशभुवनाधिपतये सर्वसमृद्धिसम्भारभाजनाय महेन्द्राय शब्दपारायणमर्थात् शब्दसङ्ग्रहरूपं ग्रन्थं रचितवान्। परन्तु तेन रूपेण व्याकरणज्ञानं सर्वथाऽसम्भवं मन्यमान उत्सर्गापवादलक्षणं व्याकरणं प्रणिनाय। अनेन लघुनोपायेन व्याकरणज्ञानं सम्प्राप्य वैयाकरणो वेदार्थज्ञाने क्षमो भवति। इत्थं हि वेदार्थज्ञानसंसाधकस्य पाणिनिव्याकरणस्य बार्हस्पत्यव्याकरणादपि वैशिष्ट्यम् अस्ति। अत एवेदं व्याकरणं महेश्वरादागतं तत्कृपया प्राप्तं वेति माहेश्वरव्याकरणं कथ्यते। ज्ञानविषये शिवस्य प्राशस्त्यमुद्घोषितं वर्तते स्मृत्यादिषु। यथाचोक्तम्—

आरोग्यं भास्करादिच्छेत् धनमिच्छेत् हुताशनात्।
ज्ञानञ्च शङ्करादिच्छेत् मुक्तिमिच्छेद् जनार्दनात्॥

माहेश्वरव्याकरणमेव कालक्रमेण पाणिनीयव्याकरणमिति नाम्ना ख्यातमित्यत्र नास्ति केषामपि सचेतसां काचिद् विप्रतिपत्तिः। पाणिनिव्याकरणस्य मूलं चतुर्दशसूत्राण्येव, तानि च धातुमूलकशब्दशास्त्रप्रवृत्त्यर्थमिति। उक्तञ्च नन्दिकेश्वरकृतकारिकायाम्—

अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यं वर्णंचतुर्दशम्।
धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये॥

---

१. व्याकरणदर्शनेर् इतिहास—पृ० ४६५।
२. व्याकरणदर्शनेर् इतिहास—पृ० ४९६।
३. महाभाष्यम्—पस्पशाह्निकम्—पृ० ५४।

आचार्यपाणिनिमते सर्वेषां शब्दानां धातुमूलकत्वमिति। इन्द्रेणापि समर्थितम्—अन्त्यवर्णसमुद्भूताः धातवः परिकीर्त्तिताः। इति।

ऐन्द्रव्याकरणे न केवलं शिवसूत्रसमवायमित्यभिलक्ष्य तदुक्तम्, अपि तु तस्य शब्दयोनित्वमपि ज्ञात्वा प्रदर्शितम्। भरताचार्येण पाणिनिव्याकरणस्य देवाधिदेवेन महेश्वरेण प्रतिष्ठितत्त्वं प्रतिपादयता उक्तम्—

पदज्ञैर्नीतिनिर्बन्धः कर्त्तव्यो मुनिभाषिते।
अनुस्मरन्तः पर्यायान्नाद्रियन्ते हि लक्षणम्॥
यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्णवात्।
तानि किं पदरत्नानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे॥

एतदनुचिन्तनेनैतत् सुस्पष्टं प्रतिभाति यत् पाणिनिव्याकरणं महेश्वरव्याकरणमेव। अथ च पाणिनीयातिरिक्तस्य कस्यापि व्याकरणस्य न तादृशं माहात्म्यं निश्चीयते यादृशञ्च महेश्वरेण प्रवर्तितस्य पाणिनिव्याकरणस्य।

एतच्छास्त्रं महर्षिपाणिनिना महेश्वरप्रसादाल्लब्धमिति विषये भविष्यपुराणस्य द्वितीयखण्डे एकत्रिंशेऽध्याये उक्तम्—

समानस्य सुतः श्रेष्ठः पाणिनिर्नामविश्रुतः।
कणभुग् वरशिष्यैश्च शास्त्रज्ञैः स पराजितः॥
लज्जितः पाणिनिस्तत्र गतस्तीर्थान्तरं प्रति।
स्नात्वा सर्वाणि तीर्थानि सन्तर्प्य पितृदेवताः॥
केदारमुदकं पीत्वा शिवध्यानपरोऽभवत्।
पर्णाशी सप्तदिवसांश्च जलभक्षस्ततोऽभवत्॥
ततो दशदिनान्ते स वायुभक्षो दशाऽहनि।
अष्टाविंशदिने रुद्रो वरं ब्रूहि वचोऽब्रवीत्॥
इति श्रुत्वा महादेवः सूत्राणि प्रददौ मुदा।
सर्ववर्णमयान्येव अइउणादिशुभानि वै॥

पाणिनिव्याकरणस्य वैशिष्ट्यं प्राचीनैः ऋषिभिः विद्वद्भिश्च बहुधाऽङ्गीकृतम्। वृद्धिरादैजिति सूत्रे महर्षिपतञ्जलिना उक्तम्—

प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपाणिः शुचावकाशे प्राङ्मुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म। तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्, किं पुनरियता सूत्रेण।

तस्मिन्नेव सूत्रे किञ्चिदग्रे पतञ्जलिना पुनरप्युक्तम्—

सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदस्मिन् पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्।

उदक् च विपाशः [४।२।७४] इति सूत्रे काशिकाकारेणाभिहितम्—महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य ।

पाणिनेः प्रशंसायां ऋग्वेदभाष्यकारेण वेङ्कटमाधवेनाभिहितम्—शाकल्यः पणिनिर्यास्कः इत्यृगर्थपरास्त्रयः। अर्थात् ऋग्वेदस्य त्रयो ज्ञातार आसन्—शाकल्यः, यास्कः, पाणिनिश्च ।

वेदार्थज्ञाने स्वरज्ञानमेव सर्वतः प्रधानं साधनमिति न तिरोहितं वेदार्थविदां विदुषाम्। महर्षिपाणिनिना स्वरसंसाधनाय सूक्ष्मविवेचनं कृतम्, तदर्थं पञ्चावृत्तशताऽधिकानि सूत्राणि विरचितानि। अपाणिनीयव्याकरणेषु न क्वचित् स्वरसाधनप्रक्रियाऽवलोक्यते ।

न केवलं भारतीया एव विद्वांस पाणिनिव्याकरणेन प्रभाविता आसन् अपि तु वैदेशिका अपि शास्त्रधुरीणाः पाणिनेः वैशिष्ट्यं प्रतिपादयामासुः। तद्यथा—

१. चीनदेशीयः पथिकः ह्वेनसाङ्ग उक्तवान्—महर्षिः पाणिनिः पूर्णमनोयोगेन शब्दभण्डारतः शब्दराशिं सञ्चेतुमारब्धवान्। १००० पद्येषु सर्वा व्युत्पत्तिः विरचिता। प्रतिपद्यं ३२ अक्षराणि सन्ति। एतावतैव सर्वोऽपि प्राचीनो नवीनश्च ज्ञानराशिः परिसमाप्तः। शब्दाक्षरविषयकं किमपि ज्ञानं नावशिष्टमभूत् ।

२. इङ्गलैण्डदेशनिवासी प्रो० मोनियरविलियम्समहोदयोऽभिधत्ते-संस्कृतव्याकरणमष्टाध्यायी ग्रन्थः मानवस्तिस्तष्कस्य प्रतिभाया आश्चर्यतममुदाहरणमस्ति यदद्यावधि केनचिदन्येन देशेन न समक्षमुपस्थापितम् ।

३. जर्मनदेशोद्भवः प्रो० मैक्समूलरोऽभिदधाति—'हिन्दू'जातीनां व्याकरणयोग्यता जगति कस्या अपि जातेः व्याकरणमतिशेते ।

४. 'कोलब्रुक' महाशयस्य मतम्—व्याकरणस्य नियमा अत्यन्तं सावधानतया विनिर्मिताः, तेषां शैली प्रतिभापूर्णा आसीत् ।

५. सरः W. W. हण्टरमहोदयः कथयति—विश्वस्य व्याकरणेषु पाणिनिव्याकरणं सर्वोत्कृष्टं विद्यते। तस्य वर्णशुद्धता धात्वन्वयसिद्धान्तः, प्रयोगविधयश्च अपूर्वा अद्वितीयाश्च वर्तन्ते ।

६. लेनिनग्राडस्य प्रो० टी० शेखात्सकी महोदयो वदति—पाणिनीयव्याकरणं मानवमस्तिकस्य सर्वोत्कृष्टासु रचनास्वन्यतममिति ।

सूत्राणां लक्ष्ये प्रवर्तनाय विलक्षणैव प्रतिभा आसीत्। द्वयोः सूत्रयोरेकस्मिन् लक्ष्ये युगपत्प्रवृत्तौ क्वचित् विप्रतिषेधे परं कार्यम्, क्वचित् पूर्वत्रासिद्धम्,

"वासरुपोऽस्त्रियाम् [३।१।९४] इत्यादिरीत्या संशयनिरसनपूर्वकमन्यतरसूत्र-प्रवृत्तिः निर्णीयते। एतादृशं गणितीयग्रन्थिगुम्फितं वैलक्षण्यमवलोक्य कस्य प्रतिभाजुषो विदुषश्चित्तं नाश्चर्ययुतं भवति।

पाणिनिव्याकरणस्य दार्शनिकता

यद्यपि 'अथ शब्दानुशासनम्' इति महाभाष्यकाररीत्या लोके वेदे च प्रयुज्यमानानां शब्दानां साधुत्वासाधुत्वविवेचनमेव व्याकरणस्य मुख्यं प्रयोजनं प्रतिभाति, तथापि यदा भाषायां प्रयुक्तानां शब्दानां प्रयोगकारणचिन्तनं भवति, पदार्थस्य तत्सामर्थ्यस्य चाऽऽलोडनं क्रियते, तदा व्याकरणमपि दर्शनशास्त्रभूमिका-मधिगच्छति। अनया रीत्या व्याकरणशास्त्रं द्विधा विभजते—

(१) शब्दसाधुत्वविषयकम्।
(२) पदपदार्थतत्सामर्थ्यचिन्तनविषयकञ्चेति।

तत्र प्रथमविषयकाध्ययनं व्याकरणप्रक्रियासंबद्धम्, तद्व्याख्यानं तु नेह विवक्षितमिति ज्ञेयम्। द्वितीयभागचिन्तनमेव व्याकरणदर्शनव्यपदेश्यमित्य-वधेयम्। व्याकरणदर्शने स्फोटः, ध्वनिः, लकारार्थः, नामार्थः, सुबर्थः, समासशक्तिः, शब्दशक्तिरित्यादिविषयाः विचार्य्यन्ते।

शब्दतत्वविद आचार्याः व्याकरणदर्शने अर्थावबोधाय स्फोटाख्यमेक-मभिनवं परमतत्वं मन्वते। अत्र विषये 'अवङ् स्फोटायनस्य' [६।१।१२३] इति सूत्रे स्फोटायनशब्दं व्याचक्षाणो हरदत्तो [१]व्याचष्टे—'स्फोटोऽयनं पारायणं यस्य स स्फोटायनः स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः। ये त्वौकारं पठन्ति ते नडादिषु अश्वादिषु वा स्फोटशब्दस्य पाठं मन्यन्ते'। अनेनैतत् प्रतीयते यत् स्फोटायनो वैयाकरणानां स्फोटतत्वस्य प्रथमव्याख्याता बभूव। 'स्फोट-सिद्धिः' नामकग्रन्थस्य प्रणेता श्रीभरतमिश्रो ब्रवीति—यदुदुम्बरायण आचार्यः नित्यशब्दात्मनः स्फोटस्य व्याख्यानं कृतवान्। आचार्यो व्याडिः प्राचीनभारतीय-वाङ्मये दाक्षायणेति नाम्ना ख्यातः, स संग्रहनामकं व्याकरणदर्शनग्रन्थं व्यरचयत्। एतद्विषये उद्योतकारो नागेशोऽभिधत्ते—संग्रहो[२] व्याडिकृतो लक्षश्लोकसंख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः। एप ग्रन्थ इदानीं नैव प्राप्यते, परं कीदृशाः किं विषयकाश्च विचारास्तत्र संग्रथिता इत्येतद्विषये महाभाष्ये पतञ्जलिनोक्तम्—संग्रहे[३] तावत्

---

१. काशिका-पदमञ्जरी—६।१।१२३।
२. महाभाष्यम्—पश्पशाह्निकम्—उद्योतः।
३. महाभाष्यम्—पश्पशाह्निकम्—।

प्राधान्येन परीक्षितम्—नित्यो वा स्यात् कार्यों वेति। तत्रोक्ताः दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि। तत्र त्वेष निर्णयः यद्येव नित्योऽथापि कार्यं उभयथापि लक्षणं प्रवर्त्यम्।

महर्षिपाणिनिः महत्या तपश्चर्यया—शिवमाराध्य तत्प्रसादेनाध्यात्मिकीशक्ति सम्प्राप्तवान्। समनुप्राप्तत्वाच्च 'अइउण्' प्रभृतीनि चतुर्दशसूत्राणि तदाधारीकृत्य च चतुः सहस्रसूत्रेषु लौकिकान्, वैदिकांश्च सर्वानापि शब्दान् व्युत्पादयामास। महेश्वरकृपयेदं शास्त्रं पाणिनिना लब्धमिति विद्वज्जगति प्रसिद्धम्। यथोक्तम्—

शङ्करः शाङ्करीं प्रादात् दाक्षीपुत्राय धीमते।
वाङ्मयेभ्यः समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थितिः॥
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्।
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः॥
येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः।
तमश्चाज्ञानज भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः॥

अनेनैतत् सुस्पष्टं यत्पाणिनिः महेश्वरानुकम्पया नादस्फोटात्मकं ब्रह्मस्वरूपमक्षरसमाम्नायमवाप। एतस्य शिवसूत्रसमूहस्य व्याकरणाधिकरणे प्रत्याहारसंज्ञार्थमभिप्रेतत्वेऽपि तत्रैव निहितमाध्यात्मिकं तत्त्वं शिवतत्त्वविशारदैः नन्दिकेश्वरमहोदयैः काशिकायां विवृतम्। क्रौञ्चदीपनिवासिभिः शिवभक्तैरुपमन्युनामकैराचार्यैरततत्त्वविमर्शिन्यां जटिलांशस्य व्याख्यानं कृतम्। अत्र विषये महामहोपाध्यायहरप्रसादशस्त्रिमहाशयनामविकलः शब्दराशिः समुद्ध्रियते—

Thesc alphabatical sutras are called shiva sutras especially in the school of panion for tradition has it, That he (नन्दिकेश्वर) Was a favarite of shiva and has got 14 sutras directly from him, But The God shiva is without action attributes. His action principle is Nandi, The son of ऋषि named शिलाद. Nandi by his autorties rose to be the commander of shiva's followers of Ganas. And rival of his son Ganesa Nandi is of the called नन्दिकेश्वर। In the present Work Nandikeswarw is made to 26 verses. Giving the highest spritual intetpretation to the 14 shiva-sutras ; This is the Nandikeswar's kasika. This commentator is another great fevarite of shiva named उपमन्यु Who by his austerities rose to such

favour of siva that had to carry favours with him for obtaining a desired boon from shiva.

नन्दिकेश्वरकाशिकायां तद्व्याख्याने सूत्रस्य यादृशं विवरणमुपलभ्यते तेन व्याकरणस्याध्यात्मिकी शास्त्रता सरलतयैव सिद्ध्यति। आदौ 'अ इ उ ण्' इति सूत्रस्य काशिकास्थं विवरणं तदीयैरेव शब्दैः किञ्चिदुच्यते। तथाहि—

अकारो ब्रह्मरूपस्य निर्गुणः सर्ववस्तुषु।
चित्कलामिं समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः॥

अस्य श्लोकस्य व्याख्याने आचार्य उपमन्युः सुस्पष्टं व्याकरणदर्शनस्वरूपं प्रतिपादयति। तथाहि—

अः = परमेश्वरो निर्गुणः, इम् = मायामाश्रित्य, उः = व्यापकः सगुणः ईश्वरः, ण् आसीदिति सूत्रार्थः सूचितः।

सर्ववस्तुषु परा--पश्यन्ती--मध्यमा--ईम् = चित्कलामित्यत्र गायत्रीमिं चेतिवत्। चतुर्थकारिका च—

अकारः सर्ववर्णाग्र्यः प्रकाशः परमेश्वरः।
आद्यन्तमन्त्येन संयोगादहमित्येव जायते॥

आचार्य उपमन्युः एतस्याः कारिकायाः व्याख्यानं कुर्वन् ब्रूते—आदिरन्त्येन सहेता [१।१।७१] इत्यादिरकारोऽन्त्यो हकारः, अकारादिहकारान्ता वर्णास्ततः परमात्मन एवाभवन्नित्यर्थः। एवमेवान्यासु सर्वासु कारिकासु तैः व्याकरणाध्यात्मिकराद्धान्तः श्रुत्यनुरूपतया प्रादर्शि। 'वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे इति सूक्ष्मा वागेव विवर्तते विपरिणमते वेति बोद्धव्यम्। अत एव श्रुत्यन्तरं बहु संगच्छते---

'वाचैव विश्वं बहुरूपं निबद्धम्, तथैवैकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते।'

वाक्यपदीयप्रथमकाण्डस्थैकविंशत्युत्तरशततमश्लोकव्याख्याने प्रमाणतया श्रुतिवाक्यमेतदर्थबोधकमुद्धरति काशिका व्याख्याकारः = 'वागेव विश्वा भुवनानि यज्ञे इत्यादि। तदेवं व्याकरणे दर्शनस्य विचाराणामुपलभ्यमानतया व्याकरणस्य दर्शनत्वं को नाम निवारयितुं प्रभवेत्।

पाणिनिसम्प्रदाये एषा किम्वदन्ती श्रूयते—सनकादिसिद्धपुरुषानुद्धर्तुं पाणिनेः कृते व्याकरणसूत्राणि च रचयितुं ढक्कानिनादेन भगवान् शिवः प्रत्याहारसूत्राण्युपदिदेश। प्रत्याहारसूत्रस्थवर्णोपदेशप्रसङ्गे कीलहार्नमहोदयो महाभाष्यस्यैतद्[1] वचनं स्मरति—

---

१. महाभाष्यम् (कीलहार्न) पस्पशाह्निकम्—अथ किमर्थो वर्णानामुपदेशः इति सन्दर्भः।

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते।
तदर्थमिष्टसिद्धचर्थं लघ्वर्थञ्चोपदिश्यते ॥ इति ।

प्रत्याहारसूत्रानन्तरं पाणिनिः 'वृद्धिरादैच्' इति प्रथमं सूत्रं रचयामास। एतत्सूत्रव्याख्याने आचार्योऽक्षरपदं व्याचष्टे । तत्र किमिदमक्षरमिति जिज्ञासायाम् 'अक्षरं न क्षरं विद्यात्, 'अश्नोतेर्वा सरोऽक्षरम्' इति वार्त्तिके च 'न क्षीयते, न क्षरति वा तदक्षरम्' इत्यनेन शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपाद्य 'अथवा' इति पक्षान्तरेण अक्षरशब्दस्य व्यापकत्वरूपमर्थं संगृह्य स्फोटस्य व्यापकरूपस्य नानादेशेष्वेकदैवाभिव्यक्तिं प्रादर्शत्। एतदनन्तरमेव महाभाष्यकृत् पतञ्जलिरुपदेशविषये चिन्तयति—किमर्थमुपदेशः क्रियते, यतो वर्णानामुपदेशः पदस्य च साधुत्वान्वाख्यानमिति परस्परविरोधः समापतति ।

ततः समाधानवार्त्तिके महाभाष्यकारोऽभिधत्ते—सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति मातपितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते ।

एतदपि न विस्मर्त्तव्यं यदुपक्रमोपसंहारादिना कस्यापि ग्रन्थस्य तात्पर्यनिर्णयो भवति। पाणिनिः 'अइउण्' इत्यत्र परमेश्वरबोधकेन 'अ' इत्यनेनोपक्रमते, 'अ अ' [८।४।६८] इत्यन्तिमेन सूत्रेणोपसंहरति । उपक्रमोपसंहारयोः विषयभूतेऽर्थ एव मध्येऽभ्यासादिना ग्रन्थतात्पर्यविषयतया निर्धार्यत इति प्रसिद्धया शास्त्ररीत्या समग्रस्य पाणिनिव्याकरणस्य तत्परत्वमवधारितं भवति ।

अत एव करणे क्तिन्प्रत्ययान्तवृद्धिशब्दस्य निष्पत्तिं मत्त्वा वर्धते विश्वमनेनेत्यर्थकस्य वृद्धिशब्दस्येश्वरपरतां विभावयता पाणिनिनादिमसूत्रे उद्देश्यविधेयभावप्रयोगनियममुल्लंघ्यापि वृद्धिशब्दमादौ प्रायुङ्क्त। वृद्धिशब्दस्येश्वरपरतयैव तस्य माङ्गलिकत्वमप्युपपद्यते। तदित्थं वृद्धिशब्दस्येमं महिमानं दृष्टिगतं विधाय पाणिनिः तेनैवेष्टशब्देन आदैचौ परिविभावयिषया 'वृद्धिरादैच्' इति प्रथमं सूत्रं निर्ममे। एवमेव पाणिनिव्याकरणस्य दार्शनिकत्वोपपादिकान्यन्यान्यपि बहूनि सूत्राणि प्राप्यन्ते, येषामुपयोगो विस्तरभयाद् त्यज्यते तेषां दार्शनिकत्वं तदर्थनिरूपणादेव निपुणमतिभिरवसेयम् ।

व्याकरणस्य दर्शनात्मकतायाः प्रमुखः प्रतिष्ठापक आचार्यभर्तृहरिरेवेति सर्वेऽपि शब्दतत्त्ववेत्तारो वैयाकरणा आमनन्ति। एकत्रोऽयं महाभाष्यस्य सेतुनाम्नीं टीकां निर्माय तत्र ग्रन्थग्रन्थिविवेचने स्तुत्यं प्रयासं कृतवान्। अपरत्र च पाणिनेः, तत्परवर्त्तिनाञ्च ग्रन्थानवलम्ब्य व्याकरणस्य दार्शनिकतत्वप्रतिपिपादयिषया 'वाक्यपदीयम्' रचितवान्। वाक्यपदीयसदृशोऽन्यः कश्चन व्याकरणस्य

दार्शनिकतत्वप्रतिपादको ग्रन्थः व्याकरणशास्त्रे इदानीं नास्तीति निर्विवादम्। शब्द-ब्रह्मप्रतिपादनेच्छया 'अनादिनिधनं ब्रह्म' इत्युपक्रमवाक्यं विलिख्य ब्रह्मकाण्डोपसंहारे "दैवी वाग् व्यवकीर्णेयम्" इत्यनेनोभयोः वाक्ययोरेकार्थकत्वं प्रदर्शितम्। मध्ये च एतस्यैव विषयस्य पुनः पुनरभ्यासेनार्थवादेन प्रतिपाद्यविषयस्योपपत्त्या च पुष्टिः कृता। व्याकरणदर्शनसिद्धान्ते शब्दब्रह्मवादनाम्ना सर्वत्र विख्यातो विद्यते। तत्रेदमवधेयं यच्छब्दब्रह्मवादेन सह परब्रह्मवादस्य नास्ति किमपि पार्थक्यम् यतः परब्रह्मत्वेनाभ्युपगतो विवर्तवाद एव व्याकरणेऽप्यभिमतः। शब्दतत्वरूपमेकमक्षरं तत्त्वं परब्रह्मवदभ्युपेतम्।

वाक्यपदीये भर्तृहरिः सुव्यक्तमाचष्टे—

> [1]'सम्बन्धिभेदात् सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु।
> जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दाः व्यवस्थिताः॥

अस्याः कारिकायाः व्याख्यावसरे हेलाराजो ब्रवीति—इत्थं चात्राद्वयनये परमार्थसत्येकैत्वजातिर्महासत्ताख्या परब्रह्मस्वभावा तस्या एव गोत्वादिजातिभेदेन विवर्त्तो व्यवहारः। एतेनैतत् स्फुटीकृतं यदद्वयमते परमार्थसत्यभूता परब्रह्म स्वभावा महासत्तैव जातिरिति। गोत्वादिजातीनां व्यवहार एव जातेः विवर्तत्वम्। अर्थात् महासत्तैव गवाश्वादिविभिन्नसम्बन्धिप्रयुक्तोपाधिकभेदयुक्ता गोत्वाश्वत्वादिजातिरूपेण व्यवह्रियते। गोसम्बन्धीसत्तैव गोत्वजातिः, अश्वसम्बन्धीसत्तैवाश्वत्वजातिः, एतावता समस्तजातिः परब्रह्मस्वभावा महासत्तेति सिद्ध्यति। सर्वोऽपि शब्दो जातिवाचकः इति गवादिशब्दवाचकरूपेण महासत्ताख्येऽक्षरे शब्दब्रह्मणि विश्रान्तिं लभते, अधिष्ठानतया अनादिनिधनत्वं व्रजतीत्यलं विस्तारेण।

व्याकरणदर्शने वैयाकरणभूषणसारस्य स्थानम्

इदानीमुपलभ्यमानेषु व्याकरणदर्शनग्रन्थेषु शब्दार्थसाधनपरो वैयाकरणभूषणसारो महत्तमं स्थानं बिभर्त्ति। शास्त्रप्रतिपादनरीत्या व्याकरणशास्त्रग्रन्थाः द्विधा विभजन्ते—शब्दग्रन्थाः, अर्थग्रन्थाश्चेति। शब्दग्रन्थेषु प्रकृतिप्रत्ययरूपेण पदानि प्रविभज्य लोपागमवर्णविकारादिभिः कार्यैः शब्दसिद्धिः क्रियते। अर्थग्रन्थेषु शब्दसिद्धिं मनसि कृत्वा तदनुरोधेनैवार्थानुसन्धानं क्रियते। रूपावतारप्रक्रिया-कौमुदी-सिद्धान्तकौमुद्यादयो ग्रन्थाः तत्तत्सूत्रैः शब्दसाधुत्वमुपपादयन्ति, क्रमशः पदानि, वाक्यानि च संस्कुर्वन्ति। अतस्ते शब्दग्रन्था इति पदेन व्यपदिश्यन्ते।

---

१. वाक्यपदीयम्—तृ. का. जातिसमुद्देशः—३४।

पाणिनेरष्टाध्यायी प्राधान्येन शब्दग्रन्थ एव। शब्दग्रन्थाध्ययनं विना न कोऽप्यर्थ-ज्ञाने समर्थो भवितुमर्हतीति कृत्वा तत्प्राधान्यं सुस्पष्टम्। साधुत्वसम्पन्नेषु शब्देषु कः प्रकृत्यर्थः, कश्च प्रत्ययार्थः, कस्यार्थस्य विशेषणत्वम्, कस्य च प्राधान्यम्, दर्शनान्तरीयाणां मते कः प्रकृत्यर्थः कश्च प्रत्ययार्थः, कीदृशश्च शाब्दबोधः— इत्यादयो विषया अर्थग्रन्थेषु विविच्यन्ते। तेष्वर्थग्रन्थेषु वैयाकरणभूषणसारोऽन्यतम इति विभावनीयम्।

व्याकरणदर्शनस्यारम्भः पाणिनिव्याकरणस्यारम्भादेव ततोऽपि पूर्वं वा समजायत इति पाणिनिसूत्रव्याख्यातृभिः पतञ्जलिप्रभृतिभिः तत्तद्सूत्रव्याख्या-नेषु प्रादर्शि। पाणिनेः सूत्रप्रणयनानन्तरं लक्षश्लोकात्मकस्य संग्रहनामकग्रन्थस्य रचयिता व्याडिः, ततो वार्तिककारः कात्यायनः, ततश्च महाभाष्यकारः पतञ्जलिर्बभूव। इमे च सर्वे व्याकरणदर्शनसिद्धान्तान् प्रकाशयामासुः। तत्र व्याडिविरचितः संग्रहनामा ग्रन्थ इदानीं नोपलभ्यते। तदुदाहरणमेव क्वचित् क्वचित् प्राप्यते। वार्त्तिककृता कात्यायनेन व्याकरणदर्शनसिद्धान्तप्रतिपादिकानि बहूनि वार्त्तिकानि विरचितानि। तत्र 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्', 'स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा, 'समर्थः पदविधिः', इत्यादिसूत्राणां व्याख्यानं कुर्वता कात्यायनेन कानिचिद् विशिष्टान्यर्थपराणि वार्त्तिकानि लिखितानि। तेषामूहा-पोहपूर्वकं सप्रपञ्चं व्याख्यानञ्च कृतं महाभाष्ये पतञ्जलिना। तत्र शब्दस्य स्वरूपम्, तस्य नित्यत्वम्, अर्थेन सह तस्य सम्बन्धः अर्थग्रहणकारणता-सामग्री, वृत्तयः, शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् इत्यादयो विषयाः सूक्ष्मेक्षिकया विवेचिताः।

पतञ्जलेरनन्तरं व्याकरणदर्शनस्य प्रमुखः संस्थापकः महावैयाकरणो भर्तृहरिरभूत्, येन वाक्यपदीयनामा शब्दार्थविचारपरो गभीरः, कारिकामयो महान् ग्रन्थो निरमायि। तत्र नित्यः, शब्दरूपः, स्फोटः, शब्दब्रह्मात्मना प्रति-पादितः। शब्दब्रह्मज्ञानेन कैवल्यप्राप्तिरिति वदता भर्तृहरिणा व्याकरणशास्त्रस्य दर्शनत्वं प्रतिष्ठापितम्। भर्तृहरिः ख्रिस्ताब्दसप्तमशतकस्य मध्ये बभूव इति संसाधयन्तीतिहासतत्त्वविदः।

भर्तृहरेरनन्तरं भट्टोजिदीक्षितकालपर्यन्तं काशिका—न्यास-पदमञ्जरी-रूपावतार-प्रक्रियाकौमुदीसिद्धान्तकौमुद्यादयो बहवो व्याकरणग्रन्थाः विरचिताः, किन्तु वस्तुगत्या प्राधान्येनार्थविचारपरः, व्याकरणदर्शनप्रतिपादकः कश्चन ग्रन्थो नैव निर्मितः। भट्टोजिदीक्षितः षोडशशताब्द्यां बभूव। तेन सम्पूर्णं महा-भाष्यं सम्यगधीत्य भर्तृहरेः वाक्यपदीयञ्च सुसमीक्ष्य तत्र प्रतिपादितान् व्या-करणदर्शनसिद्धान्तान् संहृत्य च शब्दकौस्तुभे ग्रन्थे द्वासप्ततिकारिकाभिः स्वीयाः

सिद्धान्ताः प्रकाशिताः। तासु कारिकासु वर्णिताः सिद्धान्ता अतीवदुरूहाः, गहनाः, सारल्येनाववबोद्धुमशक्या एवासन्। अत एतत् काठिन्यमशक्तु' शिष्य-सुखावबोधाय च भट्टोजिदीक्षितभ्रातुः रङ्गोजिभट्टस्य पुत्रः प्रकाण्डपण्डितः कौण्डभट्टः, कारिकाव्याख्यारूपेण वैयाकरणभूषणनामानं ग्रथं प्रणिनाय। यथा चोक्तम् —

[१]फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः।
तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते॥
भट्टोजिदीक्षितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धये॥

वैयाकरणभूषणे यावन्तो विषयाः, सर्वेऽपि पदार्थाः, सिद्धान्ताश्च महताऽऽटोपेन विवेचिताः, तत्र व्याख्याने महान् विस्तारः सञ्जातः। तानवगन्तुं बहुकालः, बह्वायास अपेक्षित आसीदिति कृत्वा तेषां सद्धान्तानां स्वल्पेनायासेन ज्ञानाय तत्रत्यानभिप्रायान् संक्षिप्य वैयाकरणभूषणसारं निर्ममे। वैयाकरण-भूषणसारे व्याकरणस्य सर्वेऽप्यार्थिकसिद्धान्ताः विभिन्नेषु प्रकरणेषु समाख्याताः। कौण्डभट्टः वाक्यार्थविषयकाः पदार्थसम्बद्धाः वा ये 'सिद्धान्ताः नैयायिकैः, मीमांसकैश्च दूषिताः, व्याकरणस्य दार्शनिकसिद्धान्तेषूद्भावितानां दोषाणां निराकरणपूर्वकं तेषां सुप्रतिष्ठापनमात्मकर्त्तव्यतया प्रतिजानीते। यथोक्तम् —

[२]ढुण्ढि गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान्।
सिद्धान्तानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये॥

वाक्यपदीये भर्तृहरिणा शब्दार्थसम्बन्धे, वृत्तिविषये, अखण्डस्फोट-सन्दर्भेऽधिकं युक्तियुतं गम्भीरं विस्तृतञ्च विवेचनमकारि। परं तत्रोपवर्णिताः विषया अतीवगभीराः रहस्यमयाश्चासन्, अतस्तत्रत्यानां विषयाणां सारल्येन सम्यगर्थावबोधाय हेलाराजप्रभृतिभिः शब्दतत्वविद्भिः वाक्यपदीयस्य टीका निर्मायि। तदानीं व्याकरणसिद्धान्तान् प्रकाशयितुं कश्चन निबन्धग्रन्थो नासीत् येन एकत्रैव सर्वेऽपि सिद्धान्ताः विजानीयुः। अतः कौण्डभट्टेनार्थसिद्धान्तव्युत्पादनाय भट्टोजिदीक्षितोक्तकारिकाव्याख्यानमुखेन वैयाकरणभूषणसारे सरलया गिरा सर्वमुदीरितम्। तत्र पूर्वपक्षोत्तरपक्षक्रमेण वर्णयन् स्वपक्षं यथायथं साधु प्रतिष्ठापितम्।

'सर्वं नाम धातुजमाह' इति शाकटायनरीत्या कौण्डभट्टः शब्दानां धातु-योनित्वमङ्गीकृत्य धातोः प्राधान्यं मनुते। अत एव ग्रन्थादौ सर्वप्रथमं "धात्वर्थ-

---

१. वैयाकरणभूषणसारः—धात्वर्थनिर्णयः—१।
२. वैयाकरणभूषणसारः—धात्वर्थनिर्णयः—२।

निर्णयः" इति प्रकरणमुपनिबद्धम् । तत्र 'पचति' इत्यादौ 'पच्' इति धातुः, 'ति' इति प्रत्ययः । कियान् धात्वर्थः, कियाँश्च प्रत्ययार्थं इति निर्णेतुं प्रकरणमेतदारभ्यते । ततः परं 'ति' इति प्रत्ययस्थानिभूतस्य लकारस्यार्थनिर्णेतुं 'लकारार्थनिर्णयः' प्रकरणमुपन्यस्तम् । तिङन्तपदवत् सुबन्तपदेऽपि भागद्वयं विद्यते । एको नाम, अपरः सुबादिप्रत्ययरूपः । तत्र को नामार्थः कश्च सुबर्थं इति निर्णयाय क्रमेण सुबर्थनामार्थप्रकरणे उपनिबद्धे । एषु चतुर्षु प्रकरणेषु सुबन्ततिङन्तोभयपदानां व्याख्यानमुपपन्नम् । तदनन्तरं समस्तपदेष्वतिरिक्तां शक्तिं संसाध्य शक्ति-नञर्थनिपातार्थनिर्णयादिकं विवेचयता अन्ते सर्वसिद्धान्तभूतः स्फोटनिर्णयः कृतः ।

अनया रीत्या कस्मिन्नपि पदे का प्रकृतिः, कः प्रत्ययः, कः प्रकृत्यर्थः, कश्च प्रत्ययार्थः, कीदृशश्च तयोरन्वयः, वाक्यार्थे कस्यार्थस्य प्राधान्यं, कस्याप्राधान्यम्, कीदृशश्च शाब्दबोध इत्यादिकं सर्वं सुबन्ततिङन्तादिपदादौ विवेचितम् । अन्ते च सकलप्रपञ्चकारणीभूतं स्फोटं तद्भेदांश्च साधु प्रत्यपादयत् । वैयाकरणभूषणसारे विवेचिता एते एव विषया नागेशभट्टेन वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषायां लघुमञ्जूषायां परमलघुमञ्जूषायाञ्च यथायथं व्याख्याताः । कौण्डभट्टकृतवैयाकरणभूषणसारस्य वैशिष्ट्यमद्यापि पूर्ववदवतिष्ठते । अतएवायं ग्रन्थो विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु पाठचक्रमे निर्धारितो विद्यते । प्रायः सर्वत्र व्याकरणदर्शनग्रन्थाध्ययनाऽध्यापने वैयाकरणभूषणसारस्यैव प्राधान्यमवलोक्यते ।

वैयाकरणभूषणसारकर्त्तुरैतिह्यम्

वैयाकरणभूषणसारस्यानेकं प्रकाशनं जातम्, अनेकाश्च टीकाः, टिप्पण्यश्च प्रकाशिताः, किन्तु तत्र मया दृष्टं यत् प्रायः कस्मिन्नपि प्रकाशने ग्रन्थकर्त्तुः परिचयः, इतिवृत्तं वा न सम्यग् लिखितम् । आधुनिके हि वैज्ञानिके युगे कस्यापि ग्रन्थस्याध्ययनविधौ एषा हि स्वाभाविकी जिज्ञासा भवति—को ह्यस्य ग्रन्थस्य रचयिता, को रचनाकालः ? किं ग्रन्थकर्त्तुरैतिह्यम् ? ग्रन्थकर्त्ता कदा, कुत्र, कस्मिश्च कुले जन्म लेभे ! को हि तस्य वंशानुक्रमः, तस्य कुलं शीलञ्च कीदृशमासीत् । ग्रन्थकर्त्ता कुत्र, कस्य च गुरोः सकाशाद् विद्यां लब्धवान् । कुत्र च तस्य कर्मभूमिरासीत् ? के च तस्य पुत्राः, शिष्याः वा अभूवन् । एषामत्यपेक्षितानां प्रश्नानां समाधानाय कश्चन प्रयत्नोऽत्र विधीयते ।

वैयाकरणभूषणसारस्य रचयिता कौण्डभट्टः पण्डितमण्डलमण्डनः न्यायमीमांसावेदान्तादिविविधविद्याविचक्षणो महान् वैयाकरणो बभूव । कुलस्यास्य

वंशवृक्षदर्शनेनैतत् ज्ञायते यदस्मिन् वंशे लक्ष्मीधरनामा कश्चन प्रकाण्डपण्डितोऽभूत्। तस्य द्वौ पुत्रावास्ताम्—

(१) रङ्गोजिभट्टः।
(१) भट्टोजिदीक्षितश्च।

कौण्डभट्टः रङ्गोजिभट्टस्य पुत्र आसीदिति तदीयेन मङ्गलश्लोकेन ज्ञायते। यथा—पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधम्।

मङ्गलश्लोकसन्दर्भे एव इदमप्युक्तम्—भट्टोजिदीक्षितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धये।

श्रीभट्टोजिदीक्षितः पण्डितराजजगन्नाथस्य समकालिक आसीदितीतिहासविदां निर्णयः। पण्डितराजजगन्नाथः 'शाहजहान्' इत्याख्यस्य मुगलसम्राजः समये आसीदित्यत्रापि प्रायः समेषामितिहासविदुषामैकमत्यम्। पण्डितराजरचितं विश्रुतं पद्यमेव तत्र प्रमाणम्। यथा—

दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीतं नवीनं वयः॥

अतः दिल्लीश्वरस्य 'शाहजहान्' इति ख्यातस्य निकटे पण्डितराजस्य स्थितिरासीदिति सिद्ध्यति। तस्य राज्ञः समयः षोडशशताब्दी आसीदिति समकालिकतया भट्टोजिदीक्षितस्यापि स एव समयो निश्चेतुं शक्यते। कौण्डभट्टो भट्टोजिदीक्षितस्य भ्रातृज आसीत्। स च भट्टोजिदीक्षितविरचितशब्दकौस्तुभोक्तानामर्थानां संक्षेपेण वैयाकरणभूषणसारे व्याख्यानं कृतवान्। यथा चोक्तम्—

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः।
तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते॥

अतः किञ्चित् पितृव्योत्तरवर्त्तितया कौण्डभट्टः १६ ५ खिस्ताब्देऽविद्यतेति निर्धारयितुं शक्यते। अयं हि कौण्डभट्टः सर्वेश्वरेति नामधेयस्य शेषकृष्णपुत्रस्य शेषरामेश्वरस्य शिष्य आसीत्-इति वैयाकरणभूषणसारस्यान्तिमेन श्लोकेन ज्ञायते। यथा—

अशेषफलदातारमपि सर्वेश्वरं गुरुम्।
श्रीमद्भूषणसारेण भूषये शेषभूषणम्॥

श्री के० पो० त्रिवेदिना संसाधितं यत् कौण्डभट्टस्य पूर्वजा मूलतो गोदावरीतटनिवासिन आसन्। बहुकालानन्तरं ते तत आगत्य काश्यामवसन्। भट्टोजिः, रङ्गोजिः—इत्यादिशब्देषु 'जि' शब्दयोगेनैतत् प्रतीयते यदयं मूलतो महाराष्ट्रिय आसीत्। केषाञ्चिन्मतेऽयं 'सारस्वतब्राह्मणः' आसीदिति।

अस्य पूर्वजाः महाराष्ट्रप्रान्ते मन्दिरे देवपूजनोपजीविनो दीक्षितोपाधिधारका अवर्तन्त। अस्मिन् वंशे नैके विश्वविश्रुताः पण्डिताः समभवन्। अयं कौण्डभट्टो न केवलं व्याकरणशास्त्रस्यैव पण्डितोऽपि तु न्यायमीमांसादिशास्त्रेष्वपि प्रकृष्टेन पाण्डित्येनालङ्कृत आसीत्। तेन हि न्यायमीमांसादिवचनव्याख्यातॄणां स्वसिद्धान्तप्रकाशनाय च प्रतिज्ञा कृता। उक्तञ्च—

गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान्।
सिद्धान्तानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये॥

कौण्डभट्टो वैयाकरणभूषणसमानविषयकं ग्रन्थत्रयं लिलेख। तद्यथा—

(१) वैयाकरणभूषणम्।
(२) वैयाकरणभूषणसारः।
(३) लघुवैयाकरणभूषणसारः।

एकस्यैव ग्रन्थस्य भागत्रयात्मिका विभागपरम्पराऽन्यत्राप्यवलोक्यते। यथा नागेशभट्टेन मञ्जूषाविषये ग्रन्थत्रयमलेखि—

(१) वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा।
(२) वैयाकरणलघुसिद्धान्तमञ्जूषा।
(३) वैयाकरणपरमलघुसिद्धान्तमञ्जूषा।

एतज्जायते यदस्य वंशस्य लक्ष्मीधरनामा कश्चन पूर्वपुरुष आसीत्। तस्य द्वौ पुत्रावास्ताम्—

(१) भट्टोजिदीक्षितः।
(२) रङ्गोजिभट्टः।

तस्य रङ्गोजिभट्टस्य पुत्रः कौण्डभट्टोऽभवत्। विद्यायोनिसम्बन्धाभ्यां कौण्डभट्टस्य वंशवृक्षो वक्ष्यमाणरूपेण निरूपयितुं शक्यते—

कौण्डभट्टेन व्याकरणन्यायादिविषयका बहवो ग्रन्थाः विरचिताः । डॉ० आफ्रेख्तमहोदयेन 'कैटलाग्स कैटलागरम्' इति ग्रन्थेऽधोलिखिताः ग्रन्थाः कौण्डभट्टेन रचिता इति प्रतिपादितम्—

(१) तर्कप्रदीपः ।
(२) तर्करत्नम् ।
(३) न्यायपदार्थदीपिका ।
(४) वैयाकरणसिद्धान्तभूषणसारः ।
(५) वैयाकरणसिद्धान्तदीपिका ।
(६) लघुवैयाकरणसिद्धान्तभूषणसारः ।
(७) स्फोटवादः ।

वैयाकरणभूषणसारस्य टीकाः

वैयाकरणभूषणसारे प्रतिपादिता विषया अतीवकठिनाः, गभीराः, सामान्येन ज्ञातुमशक्याः । अत एव शब्दतत्त्वविद्भिः विद्वद्भिरस्योपरि विभिन्नाष्टीकाः विरचिताः । तासां विवरणमत्र प्रस्तूयते -

१. दर्पण टीका — पं० हरिवल्लभकृता ।
२. परीक्षा ,, - पं० भैरवमिश्ररचिता ।
३. कान्ति ,, — गोपालदेवकृता ।
४. काशिका ,, — हरिशास्त्रिकृता ।
५. वैयाकरणमतोन्मज्जनो — वनमालीमिश्रकृता ।
६. विवृतिः —रुद्रनाथकृता ।
७. रत्नप्रभा व्याख्या — कृष्णमित्रकृता ।
८. प्रभा —बालकृष्णपञ्चोलिनिर्मिता ।
९. शाङ्करी - शङ्करशास्त्रिकृता ।
१०. सरला - गोपालशास्त्रिनेने विरचिता
११. हिन्दी भाष्यम् —पं० ब्रह्मदत्तद्विवेदिरचिता ।

टीकाकाराणां परिचयः

दर्पणकारः श्रीहरिवल्लभः

पण्डितप्रवरः श्रीहरिवल्लभो वैयाकरणभूषणसारस्य दर्पणनाम्नीं टीकां व्यरचयत्। अयं हि कूर्मगिरिनिवासी उत्प्रभातीयोपनामकश्रीवल्लभस्य पुत्र आसीत्। अनेन स्वस्याष्टीकाया अन्ते स्वयमेव लिखितम् 'इति श्रीमत्कूर्माचलाभिजनोत्प्रभातीयोपनामकश्रीवल्लभात्मजहरिवल्लभविरचिते भूषणसारदर्पणे स्फोटवादः समाप्तः'।

यतः १८५८ वैक्रमे विरचितायां काशिकायां दर्पणकारस्य बहुषु स्थलेषूद्धरणं वर्तते। अतः दर्पणकारस्य समयस्ततः पूर्वं १८०० वै० इत्यनुमातुं शक्यते। इयं टीका पण्डितसम्प्रदाये संमानिता, प्रौढा, आप्तवचनैरनुप्राणिता इत्यामनन्ति विद्वांसः।

स्वस्याष्टीकायाः विषये स्वयमेव लिखति दर्पणकारः—

ज्ञात्वा श्रीफणिवाक्यजालमतुलं नैयायिकोक्तिरपि।
मीमांसानयमाकलय्य च मया सम्यक्कृते दर्पणे॥
अस्मिन् भूषणसारतां बुधजनः सोत्कण्ठमालोकतां।
या निश्वासमलीमसो न मुकुरस्तत्त्वार्थबोधक्षमः॥
आसीत् कूर्मगिरौ धरासुरवरः श्रीवल्लभः कोविदो।
वेदान्तेषु विनोदमञ्जरिरिति ख्याताऽस्ति यन्निर्मितिः॥
तत्सूनुर्हरिवल्लभः समकरोत् सद्युक्तिमण्युज्वलं।
श्रीमद्भूषणसारदर्पणमिमम्मोदय विद्यावताम्॥

परीक्षाटीकाकारः श्रीभैरवमिश्रः

पण्डितप्रवरस्य श्रीभैरवमिश्रस्य समयो निःसंशयं सर्वैरपि विद्वद्भिः वै० १८५०--१९०० निश्चीयते। श्रीभैरवमिश्रेण न केवलं वैयाकरणभूषणसारस्य परीक्षानाम्नी टीका लिखिता, अपि तु शब्देन्दुशेखरे, परिभाषेन्दुशेखरे मनोरमाशब्दरत्ने च प्रखरपाण्डित्यपूर्णा च टीका रचिता। श्रीमिश्रेण लघुशब्देन्दुशेखरस्य चन्द्रकलाटीकायां तस्याः लेखनसमयोऽङ्कितः। उक्तञ्च—

शश्यष्टसिद्धिचन्द्राख्ये मन्मथे शुभवत्सरे।
माघे मास्यासिते पक्षे मूले कामतिथौ शुभा॥
पूर्णा वारे दिनमणेरियञ्चन्द्रकलाभिधा।
शब्देन्दुशेखरव्याख्या भैरवेण यथामति॥

अस्यायमभिप्रायो यत् १८८१ वैक्रमे वर्षे माघकृष्णपक्षे मूलनक्षत्रे कामतिथौ

रविवासरे लघुशब्देन्दुशेखरस्य 'चन्द्रकला' नाम्नी व्याख्या पूर्णतां गता। इत्थं ह्युपरिनिर्दिष्टसमयो युक्तिसङ्गत इति प्रतीयते।

'कान्ति' व्याख्याकारः श्रीमन्नुदेवः

'मन्नुदेवः' वैयाकरणभूषणसारस्य 'कान्ति' नाम्नीं व्याख्यामलिखत्। अयं हि वैद्यनाथपायगुण्डेमहोदयस्य शिष्य आसीत्। अस्य समयः १८४० वैक्रमाब्दो भवितुमर्हतीति निश्चिन्वन्तीतिहासविदः। अस्य विदुषो जीवनेतिवृत्तिविषये इतोऽधकं किञ्चिन्नैव ज्ञायते।

'काशिका' टीकाकारः श्रीहरिशास्त्री

श्रीहरिशास्त्री वैयाकरणभूषणसारस्य 'काशिका' नाम्नीं टीकां निर्मिमे। इयं हि टीका १८१४ वैक्रमाब्दे मार्गशीर्षमासस्य पूर्णिमायां चन्द्रवासरे पूर्णतामगमत्। अयं हि हरिशास्त्री केशवदीक्षितस्य पुत्र आसीत्। श्रीहरिशास्त्रिणो नाम हरिरामदीक्षित आसीत्। आत्मपरिचयविषये ग्रन्थान्ते श्रीदीक्षितः स्वयमेदीवोद्गिरति—

योऽभूत् पण्डितमण्डलीपरिणतः श्रौताब्धिसारङ्गता,
स्माप्तो वेदविदां वरः परिवृढैर्भूमेः सदा वन्दितः।
श्रीमद्भैरवशाङ्करीपदरजः सेवाप्तपूर्णार्थकः,
श्रीमत् केशवदीक्षितः समभवत् तस्यात्मजोऽभूद्धरिः॥

रामान्तः शिवपालिते शिवपुरे श्रीकाशिशब्दाभिधे,
तेनैयं खलु निर्मिता कृतिवरा श्रीभूषणे काशिका।
श्रीमद्भैरवपादसेवनवपुः श्रीकण्ठपादेऽर्पिता,
मोदं सन्तनुतां सदाप्तविदुषां सद्युक्तिभाजां चिरम्॥

धनराजानुजः श्रीमान् सखीदेव्यास्तु गर्भजः।
व्याख्याञ्चक्रे भूषणस्य यथामति शिवाप्तये॥
युगभूतदिगीशात्मसंमिते वत्सरे गते।
मार्गशीर्षशुक्लपक्षे पौर्णमास्यां विधोर्दिने॥
रोहिणीस्थे चन्द्रमसि वृश्चिकस्थे दिवाकरे।
समाप्तिमगमत् ग्रन्थस्तेन तुष्यतु नः शिवः॥

विवृतिकारो रुद्रनाथः

रुद्रनाथो वैयाकरणभूषणसारे विवृतिनाम्नीं व्याख्यामलिखत्-इति युधिष्ठिरमीमांसकेन स्वीये संस्कृतव्याकरणशास्त्रस्येतिहासे लिखितम्। एतद्विषये किञ्चिदधिकं नैव ज्ञायते।

रत्नप्रभाकर्त्ता कृष्णमित्रः

कृष्णमित्रः भूषणसारे 'रत्नप्रभा' नाम्नीं व्याख्यां प्राणैषीत्। अनेन शब्द-कौस्तुभे 'भावप्रदीप'नाम्नीं व्याख्याऽपि रचिता। अयं हि उत्तरप्रदेशस्य सुल्तानपुर-जनपदे लक्ष्मणपुरनिवासिनः पण्डितश्रीरामसेवकत्रिपाठिनः पुत्र आसीत्। अनेनैव लघुमञ्जूषोपरि कुञ्जिका, कौमुद्यां रत्नार्णवः प्रौढमनोरमायाञ्च कल्पलता टीका विनिर्मिता। अयं नागेशभट्टसमकालिकोऽभूत्। अतोऽस्य समयः १७५० वै० निश्चेतुं शक्यते।

'प्रभा' टीकाकर्त्ता बालकृष्णपञ्चोली

पञ्चोलीत्युपाख्येन बालकृष्णशर्मविदुषा वैयाकरणभूषणसारस्य 'प्रभा' नाम्नो टीका रचिता। एतावती विस्तृता, गभीरा, पाण्डित्यपूर्णा च काचिदन्या टीका नाभूत्। एते खलु विश्वविश्रुतपण्डितानां श्रीसभापतिशर्मोपाध्यायानां शिष्या आसन्। एते गुर्जरप्रान्तस्य 'बड़ौदा' राज्ये 'वसाई' ग्रामनिवासिनः श्रीनील-कण्ठस्य पुत्राः बभूवुः। टीकायाः प्रारम्भे एतैरात्मपरिचयो विस्तरेणोपन्यस्तः। 'प्रभा' टीका २०४० वै० वर्षे प्राकाश्यमुपगता।

श्रीपञ्चोलिमहोदयाः प्रथमं काश्यां खेतानसंस्कृतमहाविद्यालये प्रधाना-ध्यापका आसन्, तदनु काशिकराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालये, वाराणसेयसंस्कृत विश्वविद्यालये च व्याकरणप्राध्यापकपदेऽधिष्ठिताः जाताः। ततोऽवकाशं प्राप्य इदानीं ते गुजरप्रान्तस्य 'अहमदाबाद' इत्याख्ये नगरे स्वभवने निवसन्ति।

शाङ्करी टीकाकारः श्रीशङ्करशास्त्री

श्रीरङ्गभट्टपुत्रेण शङ्करशास्त्रिणा १९५१ खिस्ताब्दे 'शाङ्करी' नाम्नी भूषणसारस्य टीका रचिता। इयं टीका सुविस्तृता, सारल्येनावबोद्धुं शक्या, पाण्डित्यपूर्णा सन्दर्भसंयोजिता चेत्यवगम्यते। पुण्यपत्तनस्थानन्दाश्रममुद्रणालये १९५७ खिस्ताब्दे इयं टीका प्रकाशिता जाता। अयं हि गुरुपरम्परया अर्थग्रन्थ-सिद्धान्तान् सम्यक् विचार्य तदुपयोगं च कृत्वाऽत्यन्तपरिश्रमपूर्वकमिमां टीकां लिखितवान्।

भारद्वाजकुलेऽस्य जन्म आसीत्। अस्य पिता रङ्गभट्टः माता च रमेति नाम्ना ख्याता आसीत्। मीमांसापण्डितः श्रीनरहरिरस्य ज्यायान् भ्राता आसीत्, यो हि 'विद्याशंकरभारती' इति नाम्ना जगद्गुरुपदे आरूढ आसीत्।

सरला टीकाकारो गोपालशास्त्रिनेने

२००० वैक्रमाब्दे गोपालशास्त्रिनेने-नामकेन महापण्डितेन रचितेयं टीका। सा चेयं टीकाऽन्वर्थतया अतीवसरला, संक्षिप्ता, विद्वज्जनमनोहारिणी चाव-

लोक्यते। 'गोपालशास्त्रि' नेने—महोदयाः काश्यां लब्धप्रतिष्ठाः व्याकरणशास्त्रे कृतश्रमाः, विद्वांस आसन्। द्वित्रिवर्षेभ्यः प्रागेते काश्यां शिवसायुज्यं प्राप्ता इति।

'हिन्दी' भाष्यकारः पण्डितब्रह्मदत्तद्विवेदी

२०१२ वैक्रमाब्दे पण्डितवरेण ब्रह्मदत्तद्विवेदिना वैयाकरणभूषणसारस्य 'हिन्दी' भाष्यं कृतम्। इदं भाष्यमतीवविस्तृतं सुस्पष्टमल्पधियामपि बोधगम्यं सर्वथाऽपूर्वञ्च विद्यते। इतः पूर्वं वैयाकरणभूषणसारस्य प्रमाणभूता काचिद् 'हिन्दी' व्याख्या नाभूत्। पं० ब्रह्मदत्तद्विवेदिनो महामहोपाध्यायानां पण्डित-श्रीहरिहरकृपालुमहोदयानां पुत्राः आसन्। व्याकरणन्याय-वेदान्तसाहित्यादिषु शास्त्रेष्वेतेषां वैदुष्यं ख्यातमिति जना अवगच्छन्ति। एते खलु प्रयागजनपदे 'पण्डितपुर' ग्रामवासिनः आसन्। पितृचरणयोरेतैः सर्वा अपि विद्याऽधीता। एतेषां कर्मभूमिः विहारप्रान्तस्य 'पटना' इति महानगरी आसीत्। तत्रैव एते श्रीराम-निरञ्जनसंस्कृतमहाविद्यालये बहुकालं प्रधानाध्यापकपदे ससम्मानमधिष्ठिता आसन्। ऐषम एते काश्यां निवसन्तः स्वनिपुणमतिभिः नागेशभट्टकृतशब्देन्दु-शेखरस्य सन्ध्यन्तभागस्य 'हिन्दी' व्याख्यां विधाय शिवसायुज्यमवाप्नुयुः।

केषाञ्चित् प्रकरणानां सारांशः

अथ धात्वर्थनिर्णयः

वैयाकरणभूषणसारकारः कौण्डभट्टो ग्रन्थादौ सर्वप्रथमं धात्वर्थनिरूपणं कृतवान्। तत्र धात्वर्थनिरूपणस्य प्राथम्ये को हेतुरिति जिज्ञासा विदुषां मनांस्यान्दोलयति। अत्रैतदवधेयं यत् सर्वेषां शब्दानां धातुयोनित्वमामनन्ति शब्दतत्वविदः। वैयाकरणसिद्धान्तनिष्णातेष्वन्यतमः शाकटायनोऽभिवदति—सर्वं नाम धातुजमाह। अतो निखिलशब्दव्युत्पादने धातुरेव मूलाधार इति फलति। अत एव ग्रन्थकर्त्रा प्रथमतो धात्वर्थनिरूपणं कृतम्। तत्र धात्वर्थप्रतिपादिकाः द्वाविंशतिकारिकाः प्रकरणेऽस्मिन् विस्तरेण प्रपञ्चिताः। यद्यपि लोके प्रकृति-प्रत्ययादिसमुदितस्य 'पचति' इत्यादिवाक्यस्यैव व्यवहारो भवति तस्यैवार्थबोधश्च जायते, तथापि कियान्नर्थः प्रकृतेः, कियाँश्च प्रत्ययस्येति निर्णयाय धात्वर्थविवेचनं नूनमपेक्षितम्।

तत्र वैयाकरणानां मते फलव्यापारौ धातुवाच्यौ। तयोर्मध्ये फलजनकत्वात् व्यापारः प्रधानम्। फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयः कर्त्ता च तिङर्थः। इममेवाभिप्रायमभिवदति कौण्डभट्टो वैयाकरणभूषणसारे—

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्॥

अत्र फलव्यापारयोरिति द्विवचननिर्देशेन फले, व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिरिति सिद्धयति। न तु फलावच्छिन्नव्यापारे एका शक्तिः। विशिष्टशक्तिस्वीकारे 'तण्डुलं पचती' त्यादौ तण्डुलस्य, 'चैत्रेण तण्डुलः पच्यत' इत्यादौ व्यापारे चैत्रस्य चान्वयो न स्यात, 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न नु पदार्थैकदेशेने' ति नियमात्। अत एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन फले व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिरिति सिद्धयति।

नागेशभट्टास्तु फलावच्छिन्नव्यापारे व्यापारावच्छिन्नफले वा धातोः शक्तिं मन्यन्ते। फले, व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिस्वीकारे व्यापारोद्देश्यकफलविधेयकस्य फलोद्देश्यकव्यापारविधेयकबोधस्य चाऽपत्तिः, उद्देश्यविधेयभावेनान्वयप्रयोजिकायाः पृथगुपस्थितेः। विशिष्टवाचकत्वे तु पृथगुपस्थितेरसत्वान्न दोषः।

धातोः फले, व्यापारे च पृथक् शक्तिस्वीकारे फलविशेषणकव्यापारबोधे कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहृतधातुजन्योपस्थितेः, व्यापारविशेषणकफलबोधे कर्मप्रत्ययसमभिव्याहृतधातुजन्योपस्थितेः कारणमिति कार्यकारणभावद्वयकल्पनम्, धातोर्बोधजनकत्वशक्तिद्वयकल्पनञ्चेत्यतिगौरवम्। तस्मात् फलावच्छिन्नव्यापारे व्यापारावच्छिन्नफले च धातोः शक्तिः।

वस्तुतस्तु फले व्यापारे च धातोः खण्डशः शक्तिरिति प्राचीनमतमेव ज्यायः। उद्देश्यविधेयभावेनान्वयनियामकव्युत्पत्तौ धातुभिन्नत्वनिवेशेनादोषः। व्यापारविशेष्यकबोधं प्रति कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारश्च कारणमितिकार्यकारणभावद्वयकल्पनमपि नापेक्षितम्, एकवृन्तगतफलद्वयन्यायेन फलव्यापारयोरुभयोरपि पर्यायेण विशेष्यत्वं विशेषणत्वञ्चोपपाद्यमिति।

यद्यपि लोके यदुद्देश्येन धात्वर्थक्रियायां प्रवृत्तिस्तत्फलमिति मन्यते तथाप्यत्र पारिभाषिकं फलत्वं गृह्यते। अत एव मूले उक्तम्--फलं = विक्लित्त्यादि। विक्लित्तिः=रूपान्तरम्, अवयवसंयोगविशेषस्तद्विभागविशेषश्च। पारिभाषिकफलत्वञ्च—कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धात्वर्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयत्वे च सति तद्धात्वर्थत्वम्। 'तण्डुलं पचति' इत्यत्र पच्धात्वर्थफूत्कारादिव्यापारजन्यत्वे सति तादृशव्यापारनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतापन्नत्वं पच्धात्वर्थे विक्लित्तौ वर्तत इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः। अत्र 'कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे' इत्युपलक्षणं न तु विशेषणम्। तेन कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहारे यस्यार्थस्य फलत्वम्, कर्मप्रत्ययसमभिव्याहारेऽपि तस्यैवार्थस्य फलत्वं भवतीति विभावनीयम्।

व्यापारं परिभाषयन्नाह ग्रन्थकारः—व्यापारस्तु भावनाऽभिधा साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया। व्यापारलक्षणन्त्वेवं कल्पयितुं शक्यते—धात्वर्थफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम्। तथा च पचतीत्यादौ फूत्कारादेः विक्लित्त्यादिधात्वर्थफलजनकत्वाद्धातुवाच्यत्वाच्च व्यापारत्वम्। एवं फलानुकूलो व्यापारो धात्वर्थो ज्ञेयः। किं करोतीति प्रश्ने यथा पचतीत्युत्तरं भवति, एवमस्तीत्युत्तराभावादस्त्यादीनां क्रियावाचकत्वं न संभवतीति तु न शङ्क्यम्, अस्य फलानुकूलव्यापारस्यैव क्रियाशब्देन व्यपदिष्टत्वात्। अग्रेऽपि ग्रन्थकृता व्यापारस्यैव क्रियात्वमुपपादितम्। उक्तञ्च—

'[1]व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया।

तथा च भावनाऽभिधापरपर्याया साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया व्यापार

---

१. वै. भू. सा. धात्वर्थनिर्णय का. १

इत्यर्थः। साध्यत्वञ्च—क्रियान्तराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदकरूपत्वम्। पचतीत्युक्ते क्रियान्तराकाङ्क्षा नोदेति। अतोऽत्रत्या क्रिया साध्यक्रियेति। 'पाकः इत्युक्ते भवति, अभूत्, भविष्यति वेत्याद्याकाङ्क्षा जायते। अतोऽत्र न साध्यक्रिया, अपि तु सिद्धा क्रियेति ज्ञेयम्।

अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थो भवतीति नियमेन फलस्य, व्यापारस्य च धातुलभ्यत्वात् फलाश्रयः कर्म, व्यापाराश्रयश्च कर्त्ता आख्यातार्थ इति निश्चीयते। वैयाकरणमते व्यापारमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधो भवति। तस्मिन्, व्यापारे फलं तिङर्थश्च विशेषणत्वेनाऽन्वेति। अतः 'चैत्रस्तण्डुलं पचति' इत्यस्य 'तण्डुलाभिन्नाश्रयनिष्ठक्लित्त्यनुकूलो वर्तमानकालिक एकत्वविशिष्टश्चैत्राभिन्नाश्रयवृत्तिर्व्यापारः इति शाब्दबोधो भवति। प्राचीनवैयाकरणानां मते "चैत्रेण तण्डुलः पच्यते" इति वाक्यतोऽपि स एवार्थबोधो भवति। नव्यमते तु कर्तृप्रत्ययस्थले पूर्वोक्त एव शाब्दबोधो भवति, न तु व्यापारमुख्यविशेष्यकः। तेन 'चैत्रेण तण्डुलः पच्यते' इत्यत्र एकत्वविशिष्टचैत्राभिन्नाश्रयवृत्तिवर्तमानकालिकव्यापारजन्यतण्डुलाभिन्नाश्रयनिष्ठा विक्लितिरिति शाब्दबोधो जायते।

नैयायिकानां मते फलव्यापारौ धात्वर्थः, कृतिराख्यातार्थः अनुकूलत्वमाश्रयत्वञ्च संसर्गाविधयाभास्यौ, प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधः। तेन 'पचति देवदत्तः' इत्यतो विक्लित्यनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान् एकत्वविशिष्टो देवदत्त इत्यर्थबोध उपपद्यते। कर्मप्रत्ययस्थले च फलविशेष्यक अर्थबोधो जायते। तेन 'चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यत्र 'एकत्वविशिष्टकृतिमच्चैत्रनिष्ठव्यापारजन्यविक्लित्याश्रयस्तण्डुलः' इति बोधः सम्पद्यते।

मीमांसकानां मते फलं धात्वर्थः, व्यापार आख्यातार्थः, कर्त्ता चाक्षेपलभ्यः तथा 'देवदत्तः पचति' इत्यतः देवदत्ताभिन्नैककर्तृकविक्लित्यनुकूलव्यापारः इत्याख्यातार्थमुख्यविशेष्यकः बोध उपपद्यते।

तदेतद् मतद्वयमपि वैयाकरणेभ्यो न रोचते। अतः कौण्डभट्टेन स्वसाधकयुक्तिभिरेतन्निराकृतम्।

नैयायिकरीत्या कृतेराख्यातार्थत्वे 'रथो गच्छति' "तण्डुलः पच्यते स्वयमेव" इत्यत्र रथादावचेतने कृतेरभावात् तृतीयाऽऽपत्तिर्दुर्वारा। अपि चाख्यातस्य कृतिवाचकत्वे क्वचित् कर्त्तुरभिधानं क्वचित् कर्मणोऽभिधानमिति या व्यवस्था सा सर्वथोच्छिन्ना स्यात्।

नैयायिकानां प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यकः शाब्दबोधोऽपि न युक्तियुक्तः। तेषां मते आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्थेऽन्वयो भवति। तथा चाख्यातार्थ

संख्यायाः प्रथमान्तार्थेऽन्वयो भवति। अपि चाख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावो वाच्यः। तथा सति चन्द्र इव मुखं दृश्यते, भुक्त्वा व्रजति मैत्रः—इत्यत्र चन्द्रस्य, क्त्वान्तार्थभोजनस्य प्रथमान्तार्थत्वेन तत्र दृश्यते, व्रजतीत्याख्यातार्थसंख्यायाः प्रकारतयाऽन्वय आपपति। तद्वारणाय प्रथमान्तपदजन्योपस्थितावितरविशेषणत्वघटितविशेषणं दातव्यं भवति तत्त्वतीव गौरवास्पदम्।

अपि च 'देवदत्तः पचति' इत्यादौ कर्त्तुस्तिङ्प्रत्ययार्थत्वेन प्राधान्यात्तस्य देवदत्तादिभिः सममभेदान्वयात् प्रथमान्तार्थस्यापि देवदत्तादेः प्राधान्यापत्तौ 'पश्य, मृगो धावति' इत्यत्र मृगकर्तृकधावनकर्मकं दर्शनमित्येवं रूपं भाष्यकृत्दर्शितमेकवाक्यत्वं न संगच्छेत्। तत्र 'मृगो धावति' इत्यतो धावनानुकूलकृतिमान् मृग इति बोधो जायते। 'पश्य' इति वाक्याच्च तत्कर्मकदर्शनाश्रयस्त्वमितिबोधः। तेनात्र एकार्थमुख्यविशेष्यको बोधो नोपपद्यते। अत्र हि पश्येति दर्शनक्रियायां मृगस्य कर्मतयाऽन्वयो न संभवति, किन्तु 'तम्' इति स्वतन्त्रं कर्माध्याहार्यम्। तथा च यो मृगो धावति' इति वाक्यप्रयोगः संभवति। तथा सति 'मृगो धावति' इत्येकं वाक्यम्, तं पश्य इति द्वितीयं वाक्यमिति वाक्यभेदरूपगौरवमापततीत्यर्थः। 'पश्य, मृगो धावति इति वाक्यान्मृगनिष्ठोत्कटधावनकर्मकं दर्शनमित्येकवाक्यतया बोधस्य सर्वानुभवसिद्धत्वात् दृशिक्रियायां कर्मतासम्बन्धेन मृगनिष्ठोत्कटधावनस्यैवान्वयः प्रतिपादयितुमभीष्टः। स च व्यापारमुख्यविशेष्यकबोधवादिनां वैयाकरणानां मते सामाञ्जस्येनोपपद्यते।

यद्यपि "प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्' इति नियमेन पचतीत्यादौ तिङर्थस्य कर्त्रादेरेव प्राधान्यमिति लभ्यते तथापि 'भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि' नामानि' इति निरुक्तभूवादिसूत्रस्थभाष्यात् धात्वर्थभावनायाः प्रत्ययार्थापेक्षया प्राधान्यं निश्चीयते। प्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्' [१।२।५६] इति सूत्रेणाप्येतत् प्रतिपाद्यते यत् प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यमिति न सार्वत्रिकम्, लोकत एवार्थावगतेः। यैरपि व्याकरणं न श्रुतम् तेऽपि 'राजपुरुषमानय' इत्युक्ते राजविशिष्टं पुरुषमानयन्ति न राजानं नापि पुरुषमात्रम्। यश्च लोकतोऽर्थः सिद्धः किं तत्र यत्नेन।

मण्डनमिश्रादिमीमांसकैः व्यापारस्य प्राधान्यमङ्गीकृतम्, परं प्रत्ययार्थस्य प्राधान्ययसंरक्षणाय व्यापारस्याख्यातार्थत्वमेव स्वीकृतम्। प्रभाकरादिमीमांसकमते भावना न धातुवाच्या, 'प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः' इति न्यायेन तस्या अप्राधान्यापत्तेः, अपि च सा प्रत्ययवाच्यैव इत्यपि न युक्तम्, 'पचति' पाकमुत्पादयति, पाकानुकूला भावना उत्पादनेति विवरणात् विव्रियमाणस्य विवरण-

समानार्थकत्वेन धातोर्भावनावाचकत्वं सिद्ध्यति। अपि च भावनायाः प्रत्ययार्थत्वे फलमात्रं धात्वर्थ इति फलति। तथा च 'घटं भावयति' इत्यत्रेव 'घटो भवति' इत्यत्रापि धात्वर्थोत्पत्तिरूपफलाश्रयत्वेन घटस्य कर्मतापत्तौ द्वितीयाऽऽपत्तेः।

न चात्र घटस्य कर्तृत्वेन तस्योत्पत्तिरूपफलाश्रयत्वेऽपि परया कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधान्न द्वितीयेति वाच्यम्, धात्वर्थानुकूलव्यापाराश्रयत्वस्य कारकमात्रे सत्वेन सर्वेषां कर्तृत्वापत्तेः, क्रियाजनकस्यैव कारकत्वात्। वैयाकरणानां तु धातूपात्तव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वान्न दोषः।

वैयाकरणसिद्धान्ते यत्र शक्तिः सूत्रकारेण साधिता, तत्परित्यागे हेतुं न विद्मः। पाणिनिना 'लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः' [३।४।६९] इति सूत्रे कर्त्तरि कृत्' [३।४।६७] इति सूत्रात् कर्त्तरीत्यनुकृष्य कर्त्तरि लकारशक्तिः कण्ठरवेणोक्ता, तिबादिशक्तिं तत्स्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्प्य लकाराः कर्मणि, कर्त्तरि च विधीयन्ते।

'शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानम्' इत्यादिरीत्या शक्तिग्राहकेषु व्याकरणस्य प्राधान्यमिति सर्वैरप्यङ्गीकृतम्। अतो न साधुत्वमात्रार्थकं व्याकरणम्, अपि तु अर्थविशेषपुरस्कारेणैव साधुत्वसम्पादकम्।

वैयाकरणमते आख्यातस्य कृतिवाचकत्वं न संभाव्यते। तथाहि—आख्यातस्य कृतिवाचकत्वे क्वचित् कर्त्तुरभिधानम् क्वचित् कर्मणोऽभिधानमिति या व्यवस्था, तस्याः सर्वथा उच्छेद एव स्यात्।

फलांशस्यावाचकत्वे व्यापार एव धात्वर्थः स्यात्। तथा च स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वादिसकर्मकत्वोच्छेदापत्तिः। विशेषविवरणं विस्तरभयान्नेह तन्यते।

अथ लकारार्थनिर्णयः

टित्ङिद्भेदेन लकाराः द्विधा विभजन्ते। तेषु टिल्लकाराः षट्-लट्, लिट्, लुट्, लेट् लोट् लृट्। ङित् लकाराः चत्वारः लङ्, लिङ् लुङ्, लृङ्। लडादिलकाराणां टकारानुबन्धसहकृताकारेकाराद्यनुबन्धक्रमः, लङादीनां तु ङकारानुबन्धसहकृताकारेणाकाराद्यनुबन्धक्रम एव नियामक इति।

टिल्लकाराणामर्थविवेचनम्

तेषु लट्लकारो वर्त्तमानेऽर्थे, लिट् परोक्षे, लुट् श्वो भाविनि, लृट् भविष्यति सामान्ये लेट्विध्यादौ, लोट् प्रार्थनादौ च भवति। उक्तञ्च—

वर्त्तमाने परोक्षे श्वो भाविन्यर्थे भविष्यति।
विध्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ज्ञेया लडादयः॥

'वर्त्तमाने लट्' [३।२।१२३] इति सूत्रेण वर्त्तमानक्रियावृत्तेर्धातोर्लट् भवति। तत्र वर्त्तमानत्वं किमिति जिज्ञासायामाह ग्रन्थकारः—प्रारब्धापरिसमाप्तत्वं भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा वर्त्तमानत्वम्। प्रारब्धापरिसमाप्तक्रियोपलक्षितकाल इत्यर्थः। वर्त्तमानस्य कालगतत्वेन सर्वानुभवसिद्धत्वात्। 'आत्माऽस्ति' 'पर्वताः सन्ति' इत्यादावात्मधारणानुकूलव्यापारस्य नित्यतया प्रारब्धापरिसमाप्तत्वाभावेन वर्त्तमानत्वस्यासम्भवाल्लट् प्रयोगानुपपत्तिरित्यत आह—तत्तत्कालिकानां राज्ञां क्रियाया अनित्यत्वात्तद्विशिष्टस्योत्पत्त्यादिकमादाय वर्त्तमानत्वमूह्यम्। उक्तं हि महाभाष्ये इह भूतभविष्यद् वर्त्तमानानां राज्ञां क्रियास्तिष्ठतेरधिकरणम्।

परतो भिद्यते सर्वमात्मा तु न विकल्पते।
पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते॥

लिट्

'परोक्षे लिट्' [३।२।११५] इति सूत्रेण भूतानद्यतनकालवृत्ती या परोक्षाक्रिया तद्वाचकाद्धातोर्लिडित्यर्थः।

अक्ष्णः परं परोक्षम्। अश्नुते व्याप्नोति विषयान् अनेनेत्यक्षि। ज्ञानेन्द्रियमात्रं न तु चक्षुरेव, शुश्राव सस्मारेत्यादि दर्शनात्। एवञ्चात्राक्षिशब्दस्य इन्द्रि-

यमात्रपर्यायतयाऽक्षणोऽदर्शनादित्यच् । 'परोक्षे लिट्' इति सूत्रे निपातनात् परशब्दस्य परोभावे 'एङः पदान्तादति' [६।१।१०९] इति पूर्वरूपे चेदं सिद्धयति । उक्तं महाभाष्ये -

परो भावः परस्याक्षे परोक्षे लिटि दृश्यताम् ।
उत्वं वादेः परादक्ष्णः सिद्धं वास्मिन्निपातनात् ॥

ननु सर्वाऽपि क्रिया परोक्षैव भवति । तथा ह्युक्तं महाभाष्ये-

'क्रिया नामेयत्यन्तापरिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम्' इति भाष्यात् तस्या अतीन्द्रियत्वेन परोक्षे इति निरर्थकमिति चेन्न, पिण्डीभूतस्य निदर्शयितुमशक्यत्वेऽपि' साक्षात्करोमीति प्रतीतिविषयत्व-सम्भवात् । अन्यथा 'पश्य, मृगो धावति' इत्यत्र तस्या दर्शनकर्मता न स्यादिति । ग्रन्थकृता च 'साक्षात्करोमि' इत्येतादृशविषयताशलिज्ञानाविषयत्वम् परोक्षत्वम्' इत्युक्तः । तत्र ज्ञानञ्च प्रयोक्तृनिष्ठत्वेन विवक्षितम् । ततश्च प्रयोक्तुरिन्द्रिया-गोचरत्वं परोक्षत्वमित्येव फलितम् ।

लुट्

'अनद्यतने लुट्' [३।३।१५] इति सूत्रेण लुड् विधीयते, अत्र भविष्यति गम्यादयः [३।३।३] इत्यतो भविष्यतीत्यनुवर्तते । धातोः [३।१।९१] इत्यधिकृतम् । भविष्यत्यद्यतन इत्यस्य धात्वर्थक्रियायामन्वयः । तेन भविष्यदनद्यतनकालवृत्तिर्या क्रिया तद्वाचकाद्धातोर्लुडित्यर्थः । 'अनद्यतने' इत्यत्र 'न विद्यतेऽद्यतनो यस्मिन्निति बहुव्रीहिर्न तु तत्पुरुषः सूत्रवृत्तौ भाष्यादौ च तथैव व्याख्यानात् । भविष्यत्वञ्च — वर्तमानप्रागभावप्रतियोगिक्रियाश्रयत्वम् । उदाहरणम् —श्वो भविता ।

लृट्

'लृट् शेषे च' [३।३।१३] इत्यनेन भविष्यति सामान्येऽर्थे लृड्विधीयते । यथा—घटो भविष्यति इत्यादि । भविष्यत्वञ्च वर्त्तमानप्रागभावप्रतियोगिसमयो-त्पत्तिमत्त्वम् ।

लेट्

'लिङर्थे लेट्' [३।४।७] विधिनिमन्त्रणादिलिङर्थे लेड् विधीयते । अयं लकारश्छन्दस्येव भवतीति ज्ञेयम् ।

लोट्

आशिषि लिङ्लोटौ [३।३।१७३], लोट् च [३।३।१६२] इति सूत्राभ्यां विध्याशिषयोरर्थयोलोड् विधीयते । यथा—भवतु ते प्रसादः ।

ङिल्लकाराणामर्थविचारः

लङ्, लिङ् (आशीः,) लिङ् (विधिः) लुङ्, लृङ् इति पञ्च ङिल्लकाराः सन्ति। तेषु लङ्लुङौ भूतेऽर्थे भवतः। तत्र 'अनद्यतने लङ्, [३।२।१११] इत्यनेनानद्यतनभूतेऽर्थे वर्त्तमानाद्धाधोर्लङ् भवति। यथा—अस्य पुत्रोऽभवत्। तस्य च वर्त्तमानध्वंसप्रतियोग्यनद्यतनकालवृत्तिरेतत्सम्बन्धिपुत्रकर्तृकोत्पत्त्यनुकूलो व्यापार इत्यर्थः। लुङ् [३।२।११०] इति सूत्रेण भूतसामान्ये लुङ् विधीयते। अत्र वर्त्तमानध्वंसप्रतियोगित्वं भूतत्वम्। तच्च क्रियायां निर्बाधमिति विद्यमानेऽपि घटे घटोऽभूदिति प्रयोगो भवति।

"लिङ् निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ" [३।३।१३९] इति सूत्रेण क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायां भूते भविष्यति च काले हेतुहेतुमद्भावादि लिङ्निमित्ते सति लृङ्लकारो भवति। तदुदाहरणं यथा--

सुवृष्टिश्चेदभविष्यत्तदा सुभिक्षमभविष्यत्।
अत्र सुवृष्टिभवनं सुभिक्षभवनस्य हेतुः॥

लिङ्

लिङ्लकारो द्विविधः विधिलिङ् आशीर्लिङ् चेति। तत्र "विधिनिमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्" [३।३।१६१] इति सूत्रेण विध्याद्यर्थेषु धातोर्विधिलिङ् विधीयते। अत्रादिपदेन निमन्त्रणाऽऽमन्त्रणाधीष्टास्त्रयो गृह्यन्ते। एषु चतुर्ष्वनुस्यूतं प्रवर्तनात्वं ग्राह्यम्। उक्तञ्च वाक्यपदीये —

अस्ति प्रवर्तनारूपमनुस्यूतं चतुर्ष्वपि।
तत्रैव लिङ् विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया॥
न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि वा।
विध्यादीनामुपादानं चतुर्णामादितः कृतम्॥

प्रवर्तनात्वञ्च प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्वम्। तच्चेष्टसाधनत्वस्याप्यस्तीति तदेव विध्यर्थः। ङिल्लकाराणामर्थो यथाक्रममाह —

ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः।
सत्यां क्रियातिपत्तौ च भूते भाविनि लृङ्स्मृतः॥

वस्तुतस्त्वयमर्थनिर्देश उपलक्षणम्, 'लट् स्मे' [३।२।११८] 'स्मे लोट्' [३।३।१६५] इत्यादिना भूतेऽपि प्राप्तकाले च लट्लोटादेर्दर्शनात्। प्रसिद्धत्ववर्तमानत्वाद्यर्थे लडादेः शक्तिः अन्यत्रार्थे लडादेर्लक्षणेति तु दर्शनान्तररीत्योक्तम्। वैयाकरणमते तु सर्वस्मिन्नुक्तेऽर्थे लडादेः शक्तिरेव, न तु लक्षणेति बोध इति।

अथ नामार्थनिर्णयः

वैयाकरणभूषणसारकारेण 'सुप्तिङन्तचयो वाक्यम्' इति वाक्यलक्षणमनुसृत्य सुबन्ततिङन्तयोरर्थनिरूपणाय यत्नोऽत्राभ्यूहितः। तत्र सकलनाम्न आधारभूतस्य धातोरर्थनिरूपणं सर्वप्रथमं प्रत्यपादि। तदनन्तरमाख्यातार्थनिर्णयाय लकारार्थप्रकरणमुपनिबद्धम्। ततः परं सुबन्तार्थविवेचनक्रमे यथावसरं नामार्थनिरूपयन्नाह कौण्डभट्टः

एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पञ्चकं तथा।
नामार्थ इति सर्वेऽमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः॥

एकम्=जातिः, द्विकम्=जातिव्यक्ती, त्रिकम्=जातिव्यक्तिलिङ्गानि। तत्र सत्त्वरजस्तमो गुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम्, सत्त्वादिगुणानामाधिक्यं पुंस्त्वम्. तेषामेव सत्त्वादिगुणानामपचयः स्त्रीत्वम्।

चतुष्कम्=संख्यासहितं त्रिकम्। पञ्चकम्=कारकसहितं पञ्चकमिति।

अत्र जातिपदेन तत्तत्पदार्थगतसाधारणधर्मो विवक्षितो न तु नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वरूपाजातिरङ्गीक्रियते। असाधारणत्वं तु तत्पदार्थेतरावृत्तित्वे सति तत्पदार्थमात्रवृत्तित्वम्। तेनाकशात्वाभावत्वादीनामनेकसमवेतत्वरूपजातित्वाभावेऽपि नाव्याप्तिः। अयं हि तत्तत्पदार्थसाधारणधर्मः शास्त्रे स्वार्थशब्देनाभिधीयते। जातेः शब्दशक्यत्वे 'सवर्णेऽण्ग्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणात् सिद्धम्'। इति 'जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्' [१।२।५८] इति सूत्रस्थं वार्त्तिकं प्रमाणम्। तथा च सरूपसूत्रे स्थितं 'आकृतिं वाजप्यायनः' इति वाक्यञ्च प्रमाणम्।

अयं हि जातिशक्तिवादो मीमांसकाऽभिमतः। लाघवाज्जातौ शब्दानां शक्तिः स्वीकार्येति तेषामभिप्रायः। यत्तु व्यवहारे व्यक्तावेव शब्दानां शक्तिदर्शनात् तत्रैव शक्तिरिति तु न, व्यक्तीनामानन्त्येन तत्र शक्तौ गौरवात्।

अनन्तरं जातिशक्तिवादे कांश्चिद्दोषानुद्भाव्य व्यक्तिशक्तिवादपक्षं साधयन्नाह—यद्वा केवलव्यक्तिरेव एकशब्दार्थः। अत्र केवलपदेन जातिशक्तिपक्षः निराक्रियते। तन्मते व्यक्तावेव शक्तिर्न तु जातिविशिष्टव्यक्तावित्यभिप्रायः। एषश्च केवलव्यक्तिपक्षः सरूपसूत्रसम्मत इति। यद्यप्युपचयापचयशब्दार्थाः परस्परं विरुद्धाः, तेषां परस्परविरुद्धधर्माणामेकत्र समावेशो न भवति। तेन तटस्तटीतटानीति लिङ्गत्रयमनुपपन्नं स्यात्। किञ्च सर्वविकाररहिते ब्राह्मणि उपचयापचयासंभवात् 'आत्मा ब्रह्म' इति पुंस्त्वनपुंसकत्वयुक्तव्यवहारानुपपत्तिश्च स्यात्।

अत एव मूले ग्रन्थकृतोक्तम्—तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यञ्च। तमेव विरुद्धधर्ममादाय तटादिशब्दाः भिद्यन्ते। स्त्रीपुंस्त्वादिधर्माः परस्परं विरुद्धाः, तेषामेकत्रावस्थानासंभवः। अतो धर्मभेदाच्छब्दभेदो भवति। यथा—एक एव अकारोकारादयो वर्णाः ह्रस्वत्वदीर्घत्वादिभेदेन भिद्यन्ते तथैव समानानुपूर्वीकास्तटादिशब्दाः भिन्नाः भवन्ति। तेन पुलिङ्गस्तटशब्दो भिन्नः, स्त्रीलिङ्गस्तटशब्दोऽन्यः, नपुंसकलिङ्गस्तटशब्दो भिन्न इत्येवं शब्दभेदान्न दोषः। अत एव मूले उक्तम्—केषाञ्चिदनेकलिङ्गव्यवहारस्तु समानानुपूर्वीकत्वेन शब्दानामभेदारोपात्।

चतुष्कम्

चतुर्णां समूहः। जाति-व्यक्ति-लिङ्ग-सङ्ख्या—इति चत्वारो नामार्थं इति केषाञ्चिन्मतम्।

पञ्चकम्

पञ्चानां समूहः। कर्त्रादिकारकसहितं जाति व्यक्ति-लिङ्ग-सङ्ख्या-प्रातिपदिकार्थं इत्यपि केषाञ्चिन्मतम्। टाबादिस्त्रीत्वबोधकप्रत्ययसमभिव्याहारे अजा-अश्वादिशब्दात् स्त्रीत्वस्य प्रतीतिर्जायते। टाबाद्यभावे स्त्रीत्वप्रतीतिर्न जायते। एवं प्रतीत्यप्रतीतिरूपाभ्यामन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययस्यैव प्रतीतिर्जायते। किन्तु प्रत्ययवर्जिते 'दधि पश्य' इत्यादौ प्रत्ययज्ञानाऽभावेऽपि क्लीवत्वैकत्वोभयविशिष्टदधिकर्मकं दर्शनमित्यनुभवसिद्धतया संख्येत्यादीनां प्रकृत्यर्थत्वमेवसिद्ध्यति। अन्यथाऽनुभवविरोधः स्पष्ट एव। किञ्च शास्त्रेण प्रकृतेरेव लिङ्गमुपदिष्टं वर्तते। अतो लिङ्गसंख्यादयः प्रकृतेरेव वाच्या न तु प्रत्ययस्येति।

षोढा

षोढा प्रातिपदिकार्थं इति कौण्डभट्टादीनां मतम्। एतेषां मते शब्दोऽपि शाब्दबोधे भासते। अतः सोऽपि प्रातिपदिकार्थः। तन्मते न किमपि ज्ञानं शब्दविरहितं भवति। उक्तञ्च वाक्यपदीये—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥

एषोऽभिप्रायो यत् सर्वमपि ज्ञानं शब्दरूपविशेषणेनानुविद्धमेव भवति। नास्ति किमप्येतादृशं ज्ञानं यच्छब्दशून्यं भवेत्। यत्र च प्रत्यक्षज्ञानं जायते शब्दार्थयोस्तादात्म्यादारोपितं शब्दज्ञानमस्त्येव। शब्दार्थयोस्तादात्म्यं तु - अर्थं कथयति, अर्थं शृणोतीत्यादिप्रयोगानुसारेणानुभवसिद्धम्। 'विष्णुमुच्चारय'

इत्यादौ विष्णुपदात् स्वार्थद्रव्यलिङ्गाद्यर्थवद्विष्णुशब्दस्याप्युपस्थितिर्यदि न स्यात्तदर्थोच्चारणासंभवेन वाक्यार्थबोधो न स्यात्। अतः शब्दाऽर्थवत् स्ववाचकशब्दस्याप्युपस्थितिर्भवतीति मन्तव्यम्। शब्दस्य प्रातिपदिकार्थत्वमनङ्गीकृत्य यदि तस्योपस्थितिः लक्षणया स्वीक्रियते तदपि न साधु। लक्षणा द्विविधा—निरूढा, प्रयोजनवती च। निरूढा लक्षणा तु शक्यत्यनतिरिक्तैव भवति। यथाऽस्य शब्दस्यैतस्मिन्नर्थे शक्तिरित्यनादितात्पर्यवशाद् बुद्धचते तथा निरूढलक्षणाऽप्यनादितात्पर्यग्रहाधीनेत्यर्थः। यदि शब्दो न प्रातिपदिकार्थस्तर्हि विष्णुपदवाच्यो विष्णुशब्दो नैव भवितुमर्हति। एवं सति निरूढलक्षणयाऽपि न निर्वाहः सम्भवति। किञ्च, विष्णुपदस्य विष्णुशब्दे लक्षणायां प्रयोजनाभावात् प्रयोजनवती लक्षणाऽपि न सम्भवति।

यद्यनुकार्यानुकरणयोर्भेदविवक्षा तदा शब्दोऽपि प्रातिपदिकार्थः। यदि न भेदविवक्षा तदा श्रोत्रादिभिरुपस्थितोऽप्यर्थवद् भासते। अयमभिप्रायः—अनुकरणानुकार्ययोरभेदपक्षे स्वप्रत्यक्षरूपां पदजन्योपस्थितिमादाय यथा शाब्दबोधे शब्दस्य भानं तद्वद् घटमानयेत्यादौ घटादिपदानामपि श्रोत्रेण स्वप्रत्यक्षरूपां पदजन्योपस्थितिमादाय भानस्यावर्जनीयतया सर्वत्रैव शाब्दबोधे शब्दविषयता सिद्धचति।

अनया रीत्या शब्दस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वं सिद्धचति। शब्दे वाचकत्वं वाच्यत्वञ्चेत्युभयं सिद्धचति। उक्तञ्च वाक्यपदीये—

> ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च द्वे शक्ती तेजसो यथा।
> तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते।
> विषयत्वमनापन्नैः शब्दैर्नार्थः प्रकाश्यते।

अयमभिप्रायो यत् यथा लोके दीपादिरूपतेजसि विषयसन्निधाने शक्तिद्वयं दृष्टम्, विषयासन्निधाने तु तेजसि ग्राह्यत्वमेव। एवं सर्वेषां शब्दानामर्थबोधे ग्राह्यत्वग्राहकत्वरूपे द्वे शक्ती स्तः। एते 'पृथगवस्थिते' इत्यनेन तयोरसमनियतत्वं प्रदर्शयति। एवमर्थगोचरशब्दनिष्ठशक्तिसहकृत एव शब्दोऽर्थस्य स्वस्वरूपस्य च प्रत्यक्षं जनयति। शब्दैः स्वात्मनो ज्ञानविषयत्वमसंप्राप्य नार्थो बोध्यते, किन्त्वात्मनो ज्ञानविषयत्वं संपाद्यैव शब्दैरर्थो बोध्यते। एवं शब्दनिष्ठबोधकतानिरूपितबोध्यतायाः शब्दाश्रयकत्वं शास्त्रकृत् संमतमिति तात्पर्यम्।

अथ सुबर्थनिर्णयः

धात्वर्थलकारार्थप्रकरणयोः क्रमशः तिङन्तपदव्याख्यानानन्तरं सुबन्तपद-विवेचनक्रमे भट्टोजिदीक्षितनिर्मितां कारिकामाश्रित्य सुबर्थो निरूपितः। तत्र कस्याः विभक्तेः कोऽर्थ इति जिज्ञासायामुक्तं कोण्डभट्टेन · द्वितीयातृतीयासप्त-मीनामाश्रयोऽर्थः। तत्र आश्रयेत्यस्याश्रयतावानित्यर्थः। आश्रयता चात्र न किञ्चिद् धर्मावच्छिन्ना विवक्षिता। यद्यपि 'कर्मणि द्वितीया' [२।३।२] 'कर्तृकरण-योस्तृतीया' [२।३।१८] इत्याद्यनुशासनाद् द्वितीयादीनां कर्मकरणाद्यर्थकत्वं लभ्यते तथापि कर्त्तुरीप्सिततममित्यनेन क्रियाजन्यफलाश्रयस्यैव कर्मसंज्ञा विधीयते। तत्र क्रियाफलयोर्धातुलभ्यत्वादाश्रयमात्रं द्वितीयार्थ इति फलति। आश्रयत्वञ्च फलाश्रयत्वम्। 'ओदनं पचति' इत्यत्र विक्लित्याश्रयत्वम्, घटं करोतीत्यत्र उत्पत्त्याश्रयत्वम्, घटं जानातीत्यत्र क्रियाजन्यावरणभङ्गाश्रयत्वं संभवति, अतीतादेराश्रयता न संभाव्यते, परं यथानुभवं नैयायिकैरतीतादिघटादेर्विषयतया ज्ञानाश्रयताङ्गीकृता, तथाऽस्माभिरपि अतीतादिघटे विषयतयाऽऽवरणभङ्गाश्रयता स्वीक्रियते। अथवा सत्कार्यवादसिद्धान्तमाश्रित्याश्रयताऽङ्गीक्रियते। एतच्च समर्थितं कारिकया। उक्तञ्च तत्र—

> तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता।
> लब्धक्रमे तिरोभावे नश्यतीति प्रतीयते॥

द्वितीयार्थश्च परमतखण्डनपुरस्सरं महताऽऽटोपेन शब्दतत्त्वविचक्षणैराचार्यैः साधुप्रतिपादितः।

अयं हि द्वितीयार्थं ईप्सिततमानीप्सितभेदेन द्विविधः। तत्रेप्सिततमं त्रिवि-धम्—निर्वर्त्यम्, विकार्यं प्राप्यञ्चेति। अनीप्सितञ्च चतुर्विधम्—औदासीन्येन प्राप्यम् = तृणादि। कर्त्तुरनीप्सितम् = द्वेष्यं विषादि, संज्ञान्तरैरनाख्यातम् = अपादानादिसंज्ञाभिरविवक्षितम्, अकथितञ्चेति सूत्रविहितं कर्म, अन्यपूर्वकम् = अन्यसंज्ञाप्राप्तौ सत्यां कर्मसंज्ञकम्। यथा—क्रूरमभिक्रुध्यतीत्यत्र प्राप्तां संप्रदान-संज्ञां बाधित्वा 'क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म' इति सूत्रविहितं कर्मसंज्ञकं भवतो-त्युक्तम्। उक्तञ्च वाक्यपदीये—

> निर्वर्त्यञ्च विकार्यञ्च प्राप्यञ्चेति त्रिधा मतम्।
> तच्चेप्सिततमं कर्म चतुर्धाऽन्यत्तु कल्पितम्॥
> औदासीन्येन च यत्प्राप्यं यच्च कर्त्तुरनीप्सितम्।
> संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चान्यपूर्वकम्॥

विस्तरस्तु सावित्रीव्याख्यायां निर्दिष्टस्तत एवावगन्तव्य इति।

कर्तृतृतीयाया आश्रयमात्रमेवार्थः। 'धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कर्तृतेष्यते' इति हरिवचनात् यन्निष्ठा व्यापारात्मिका क्रिया धातुनोक्ता तत्कारकं कर्त्रेति धात्वर्थव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वमिति। व्यापारस्य च धातुना प्रतिपाद्यमानत्वादनन्यलभ्यो हि शब्दार्थो भवतीति न्यायादाश्रयमात्रमेव तृतीयार्थः। तृतीयार्थत्वेनोक्त कर्त्ता त्रिविधः—शुद्धः, प्रयोजको हेतु, कर्मकर्त्ता च। तत्र कर्तृत्वव्याप्यधर्मपुरस्कारेण भेदकथनमेतत्। हेतुकर्तृकर्महेतुभ्यां भिन्नः कर्त्ता शुद्धः। णिजर्थव्यापाराश्रयः कर्त्ता प्रयोजककर्त्ता णिच्प्रकृतिभूतधातूपात्तव्यापाराश्रयत्वे सति णिजर्थव्यापारजन्यफलाश्रयः प्रयोज्यकर्त्ता। यो ह्यण्यन्तावस्थायां कर्तृसंज्ञः सण्यन्तावस्थायां कर्मसंज्ञको भवति स कर्मकर्त्ता। एतेषामुदाहरणानि सम्यङ् निरूपितानि भूषणसार इति पुनरुक्तभिया विरम्यते।

करणतृतीयाया व्यापारविशिष्टाश्रयो वाच्यो भवति, यतः फलनिष्पत्त्यव्यवहितपूर्ववर्त्तीयो व्यापारस्तद्विशिष्टं यत्कारणं तदेव करणमिति व्यापाराश्रययोः करणतृतीया शक्यत्वे 'साधकतमं करणम्' [१।४।४२] इति सूत्रमेव प्रमाणम्। भर्तृहरिणाप्युक्तम्—

> क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम्।
> विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्॥
> वस्तुतस्तदनिर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम्।
> स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः॥

सप्तमी

'आधारोऽधिकरणम्' इति सूत्रादाधारस्य सप्तम्यर्थत्वलाभादाधारस्य चाश्रयादनतिरिक्तत्वमिति सप्तम्या अप्याश्रयोऽर्थः। 'कारके' इत्यधिकृत्य विहितसप्तम्याः क्रियाश्रय इत्यर्थः। एवं कस्याधारो ग्राह्य इत्याकांक्षायामुपस्थितत्वात् क्रियाया एवाधारो लभ्यते। तत्र क्रिया तदाश्रययोर्मध्ये क्रियाया धातुनैव लाभादनन्यलभ्यः केवल आश्रयांश एव सप्तम्याः शक्योऽर्थः। साक्षात्क्रियाधारयोः पराभ्यां कर्तृकर्मसंज्ञाभ्यामाक्रान्तत्वादिकं सूत्रमनर्थकं सत् कर्तृकर्मद्वारा धात्वर्थक्रियाश्रयस्याधिकरणसंज्ञां विदधाति। तेन स्थाल्यां पचति, कटे शेते—इत्यादौ क्रियाश्रयत्वेनाधिकरणसप्तम्याः प्रयोगा उपपद्यन्ते। भर्तृहरिणापि वाक्यपदीये उक्तम्—

> कर्तृकर्मव्यवहितामसाक्षाद्धारयत्क्रियाम्।
> उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्॥

एतच्चाधिकरणं त्रिप्रकारकम्—औपश्लेषिकं वैषयिकमभिव्यापकञ्च।

क्रमेणोदाहरणानि यथा—कटे शेते, मोक्षे इच्छास्ति, तिलेषु तैलम्। एतच्च संहितायाम् [६।१।७२] इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्।

पञ्चमी

अवधिः पञ्चम्यर्थः। 'अपादाने पञ्चमी' [२।३।२८] इति सूत्रेणापादानेऽर्थे पञ्चम्याः विधानात् कथमवधिः पञ्चम्यर्थ इत्याकांक्षायामुच्यते—'ध्रुवमपायेऽपादानम्' [१।४।२४] इति सूत्रादपायो विश्लेषस्तज्जनकक्रिया तत्रावधिभूतमपादानसंज्ञकं भवतीत्यनेनावधेः पञ्चम्यर्थत्वं सिद्ध्यति। एतत्समर्थितञ्च हरिणा वाक्यपदीये—

अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम्।
ध्रुवमेवातदावेशात्तदपादानमुच्यते ॥

तच्चापादानं त्रिविधम्—

(१) निर्दिष्टविषयम्।
(२) उपात्तविषयम्।
(३) अपेक्षितक्रियञ्चेति।

तदुक्तं वाक्यपदीये—

निर्दिष्टविषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा।
अपेक्षितक्रियञ्चेति त्रिधाऽपादानमुच्यते ॥

तत्र विभागजनकव्यापारार्थत्वेन प्रसिद्धेन पतति गच्छतीत्यादिना साक्षात् अर्थात् विभागजनकक्रियाध्याहारं विनैव गतिर्निर्दिश्यते=विभागजनिका क्रिया उपस्थाप्यते तदपादानं निर्दिष्टविषयमित्यर्थः। यथा—अश्वात् पतति। अत्र विभागजनकक्रियाध्याहारं विनैव 'पत्' धातुर्विभागजनिकां क्रियामुपस्थापयति।

समभिव्याहृतधातुनोपात्तो लक्षितो गतिरूपो विषयो यत्र तन्निर्दिष्टविषयमपादानमित्यर्थः। अयमभिप्रायो यद्विभागनिरूपको धात्वन्तरार्थो विशेषणं यस्य तादृशं स्वार्थं धातुर्ब्रूते तदुपात्तविषयमपादानमिति। यथा – बलाहकाद् विद्योतते। बलाहकावधिकं यन्निःसरणं तदनन्तरकालिकं विद्युत्कर्तृकं विद्योतनमित्यर्थः। अत्र निःसरणरूपो यः धात्वर्थः रसोऽङ्गभूतो यस्य एतादृशो यो विद्योतनरूपोऽर्थस्तं 'वि' पूर्वकद्युत् धातुः प्रतिपादयति, स्वाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन निःसरणविशिष्टे विद्योतने द्युतिर्वर्तते।

अपेक्षितक्रियम् अपेक्षिता विभागजनिका क्रिया यत्र तदपेक्षितक्रियमपा-

दानमित्यर्थः। यथा कुतो भवान्? अत्र कुत्र इति पञ्चमी दृश्यते। सा च क्रियाविशेषज्ञानं विना निराकांक्षार्थप्रतिपादिका। अत्र प्रश्नोत्तररूपे द्वेऽपि वाक्ये अपेक्षितक्रियेति। वाक्येऽस्मिन्नागमनमर्थमध्याहृत्यान्वयः कर्त्तव्यः। कुतो भवान्? इत्यस्य किं देशावधिकविभागजनकागमनव्यापारवान् भवान् इत्यर्थः। पाटलिपुत्रावधिकविभागजनकागमनव्यापारवानित्यर्थः। एतेन गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिकेति सिद्ध्यति।

चतुर्थी

उद्देश्यश्चतुर्थ्यर्थः। अत्र 'चतुर्थी संप्रदाने' [२।३।१३] इति सूत्रं मानम्।

न च सम्प्रदानस्य चतुर्थ्यर्थत्वसिद्धावपि उद्देश्यस्य चतुर्थ्यर्थत्वं न संभवतीति शङ्कायामाह ग्रन्थकारः - तच्च 'कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्' [१।४।३२] इति सूत्रात् कर्मणा करणभूतेन यमभिप्रैति = ईप्सति तत्कारकं सम्प्रदानमित्यर्थकादुद्देश्यस्य चतुर्थ्यर्थत्वं सिद्ध्यति। एवञ्च यत्किञ्चिद्धातूपात्तव्यापारजन्यफलाश्रयरूपकर्मसम्बन्धाय क्रियायां यदुद्देश्यं तत्संप्रदानमित्यर्थादुद्देश्यस्य चतुर्थ्यर्थत्वं फलति।

सम्प्रदानमिति महासंज्ञा। तेन सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत्सम्प्रदानमित्यन्वर्थसंज्ञा विहिता। सम्यक्दानञ्च स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वोत्पत्त्यनुकूलव्यापारः 'दा' धात्वर्थरूपः। अत एव 'रजकाय वस्त्रं ददाति' इत्यादौ निरुक्तधात्वर्थत्वाभावाद् 'रजकस्य वस्त्रं ददाति' इत्येवं सम्बन्धसामान्ये षष्ठ्येव भवतीति वृत्तिकाराः। परन्तु भाष्यकारः "खण्डिकोपाध्याय. शिष्याय चपेटां ददाति' इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते। एतावता स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पादनरूपो 'दा' धात्वर्थ इति स्वीकारे तथा प्रयोगो न संभाव्यते। अतो भाष्यप्रयोगप्रामाण्यमङ्गीकृत्य यदि संयोगविशेषानुकूलव्यापारार्थकत्वेन मुख्यदानार्थक 'दा' धातुयोगे एव सम्प्रदानमिति स्वीक्रियते तदा "खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति' इति प्रयोगस्यानुपपत्तिः।

अतो नाऽन्वर्थसंज्ञा, किन्तु सम्प्रदानमिति महासंज्ञा प्राचामनुरोधेन। तेन यत्किञ्चिद्धातूपात्तव्यापारजन्यफलाश्रयरूपकर्मणा संबन्धुमभिप्रेयमाणोऽर्थं सम्प्रदानमित्यर्थाश्रयणात् रजकाय वस्त्रं ददाति, शिष्याय चपेटां ददाति इत्यादयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति।

'रजकस्य वस्त्रं ददाति इति प्रयोगस्तु सम्बन्धसामान्ये षष्ठीमाश्रित्योपपादनीय इति।

सम्प्रदानञ्च त्रिविधम् अनिराकरणहेतुकम्, प्रेरणाहेतुकम्, अनुमतिहेतुकञ्च। स्वस्वत्वनिवृतीच्छाधीनपरस्वत्वोत्पत्तीच्छारूपस्त्यागः 'दा' धात्वर्थ इत्यङ्गीकृत्य अनिराकरणहेतुकं सम्प्रदानं भवति। अत्र प्रवृत्तिनिवृत्त्यनकूलव्यापारशून्यत्वमनिराकरणहेतुकं भवति। यथा सूर्यायार्घ्यं ददाति। अत्र सूर्योऽर्घ्यंप्रदातारमर्घ्यप्रदानान्ननिवारयति। प्रेरणाहेतुकं सम्प्रदानम्--'विप्राय गां ददाति' इति। अत्र विप्रेण मह्यं देहीति प्रवर्त्तितः गां ददाति विप्राय। प्रेरणा चात्र कर्तृनिष्ठदानादिविषयकेष्टसाधनत्वबोधानुकूलव्यापारः। अनुमितिहेतुकञ्च सम्प्रदानम्, यथा - उपाध्यायाय गां ददाति इति। अत्र उपाध्यायो गोप्रदानं न प्रार्थयते न वा निराकरोति, अपि तु दीयमानं गोप्रदानमनुमन्यते। अनुमितिश्च 'इमां गां तुभ्यं दातुमिच्छामि' इति परोक्तार्थस्य यत्स्वीकरणं तदनुकूलो व्यापारः—दीयतां प्रतिग्रहीष्यामीति शब्दप्रयोगरूपः। षष्ठ्यास्तु सम्बन्धमात्रमर्थः। स च सम्बन्धः क्वचित् सम्बन्धसामान्यरूपेण वाच्यः। यथा– मातुः स्मरतीत्यादौ। क्वचित्तु विशेषरूपेण वाच्यः।

'कारकषष्ठ्यास्तु शक्तिरेवेत्यूह्यम् इति कौण्डभट्टेनोक्तम्। अर्थात् 'कर्तृकर्मणोः कृति' [२।३।६८] इति सूत्रविहितषष्ठ्यास्तु तत्तत्कारकत्वशक्तिरित्यर्थः। 'सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये" इति कारकशब्दः कर्तृत्वादिशक्तिपरः, न तु कर्त्रादिपर इति भाष्ये व्याख्यानात्।

अथ समासशक्तिनिर्णयः

यस्मिन् समुदाये पदद्वयं पदत्रयं वा परस्परं समस्यते स समुदायः समास इति। कैश्चिदाचार्यैरुक्तम् समसनं समासः संक्षेप इति यावत्। महर्षिपाणिनिना समासं परिभाषयितुं सुस्पष्टतया किमपि सूत्रं नोक्तम् तथापि 'समर्थः पदविधिः' [२।१।१] इति सूत्रेण समर्थस्य पदविधित्वमूहितम्। विग्रहवाक्यार्थाभिधाने यः शक्तः सः समासः। पदानां विधिः पदविधिः। स च समासादिरिति। सामर्थ्यञ्च द्विविधम् –

(१) व्यपेक्षालक्षणम्।

(२) एकार्थीभावलक्षणञ्च।

अत्र वार्त्तिककारः[१] पृथगर्थानामेकार्थीभावः समर्थवचनम् परस्परव्यपेक्षासामर्थ्यमेके।

व्यपेक्षालक्षणमेकार्थीभावलक्षणञ्च सामर्थ्यं परिभाषयन्नाह[२] तत्त्वबोधिनीकारः – तत्र स्वार्थपर्यवसायिनां पदानामाकाङ्क्षादिवशाद्यः परस्परसम्बन्धः सा व्यपेक्षा। यथा राज्ञः पुरुष इत्यादिवाक्ये। अस्मिन् पक्षे प्रत्येकं पदं परस्परं साकांक्षं भवति। अत एवोक्तं कैयटेन[३]– परस्पराकांक्षा रूपा व्यपेक्षा।

एकार्थीभावस्तु—राजपुरुष इत्यादिवृत्तावेव। पृथगर्थानामेकार्थीभाव इति भाष्यप्रदीपे उक्तम्। स चैकार्थीभावः प्रक्रियादशायां पृथगर्थत्वेन प्रथमगृहीतस्य विशिष्टैकार्थत्वरूपः। विग्रहवाक्ये तत्तत्पदैः पृथक्तया प्रतिपाद्य राजाद्यर्थाः पृथगर्थाः समासे पुनस्त एवार्था एकार्थतां लभन्ते। अत एव तदेव यत्किञ्चित्पदजन्यपृथगुपस्थितिविषयत्वेन लोकदृष्टानामर्थानां विशिष्टविषयैकशक्त्यधीनोपस्थितिविषयत्वमेवैकार्थीभाव इति फलति।

शाब्दिकाः समासप्रयोजनप्रदर्शनप्रसङ्गे ब्रुवते ऐकपद्यमैकस्वर्यमेकविभक्तिकत्वञ्च समासप्रयोजनमिति। सारस्वतसम्प्रदायानुसारं समासघटकपदसमूहः सत्यपि विभक्तिलोपे विभक्त्यर्थं न परित्यजति। तथा च सार्थकपदराशेरेकपदाभाव एव समासः। अत एव सारस्वतव्याकरणे उक्तम् –

---

१. महाभाष्यम्—२।१।१।

२. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी – अव्ययीभावः (तत्त्वबोधिनी) पृ. २०३।

३. महाभाष्यप्रदीपः—२।१।१।

विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते ।
ऐकपद्यं पदानाञ्च स समासोऽभिधीयते ॥

इत्थं हि परस्परान्वययोग्यार्थकपदानामेष समासो भवति । अतो 'वृद्धस्य वचनं ग्राह्यम्' इत्यत्र वृद्धेन सह वचनस्यान्वयात् पदद्वये समासो भवितुमर्हति, परं ग्राह्यमिति पदेनान्वयाभावान्न भवति समासः। उक्तञ्च भाष्यकृता—'सापेक्षमसमर्थं भवतीति'[१] । यत्रासामर्थ्यं तत्र समासादिवृत्तिर्न संभाव्यते । यथा—'ऋद्धस्य राजपुरुषः' इत्यत्र समासाघटकऋद्धपदार्थेन सहान्वीयार्थकतया राजपदस्यासामर्थ्येन तस्य मातङ्गपदेन सह समासस्यासाधुत्वेन 'ऋद्धस्य राजमातङ्गः' इति प्रयोगः साधुर्न भवति, किन्तु नित्यसाकांक्षपदस्य समासाघटकपदार्थेन सहान्वितार्थकत्वेऽपि पदान्तरेण समासो भवत्येव । यथा—'चैत्रस्य गुरुकुलमिति' ।

केचित्तु उक्तवाक्येषु चैत्रादिपदार्थानां समुदायार्थेन सहान्वयं मत्वा गुरुप्रभृतिपदानां सामर्थ्यं रक्षन्तः, गुरुकुलादिपदैः समासं समर्थयन्ति । यथोक्तं वाक्यपदीये—

समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना ।
संस्पृश्यावयवांस्ते तु युज्यन्ते तद्वता सह ॥

तथाचायं हि समासः षड्प्रकारको भवतीति साधितं कौण्डभट्टेन । उक्तञ्च—

सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिङा ।
सुबन्तेनेति ज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः ॥

एतद्विवरणं सोदाहरणं यथाक्रममुपस्थाप्यते—

(१) सुपां सुपा- सुबन्तस्य सुबन्तेन सह समासः । यथा—'राजपुरुषः' इति । अत्र राज्ञ इति सुबन्तस्य पुरुष इति सुबन्तेन सह समासः ।

(२) सुपां तिङा--सुबन्तस्य तिङन्तेन सह समासः । यथा—'पर्यभूषयत्', 'अनुव्यचलत्' । अत्र 'परि' इति सुबन्तस्य, अभूषयत् इति तिङन्तेन सह समासः ।

(३) सुपां नाम्ना-सुबन्तस्य नाम्ना सह समासः । यथा—'कुम्भकारः' । अत्र 'कुम्भम्' इति सुबन्तस्य 'कार' इति नाम्ना समासः । अत्र 'गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः' इति परिभाषया 'कार' इति प्रातिपदिकात् सुबुत्पत्तेःपूर्वं समासो भवति ।

---

१. मह०—समर्थःपदविधिः—२।१।१ ।

(४) सुपां धातुना—सुबन्तस्य धातुना सह समासः। यथा—'कटप्रूः'। कटं प्रवते इति विग्रहः। 'कटम्' इति 'सुबन्तस्य गत्यर्थकप्रूङ्धातुना सह समासः। अत्र 'कर्त्तरि क्विप्' इति सूत्रेण क्विब्विधानेन प्रयोगः सिद्धयति।

(५) तिङां तिङा—अत्र तिङन्तस्य तिङन्तेन सह समासः। यथा—'पिबतखादता पचतभृज्जतेत्यादिः'। पिबतखादतेति सततं यस्यां क्रियाया-मभिधत्ते, सा पिबतखादतेत्यर्थः।

(६) तिङां सुपा—अत्र तिङन्तस्य सुबन्तेन सह समासः। यथा—'जहिस्तम्बः'। अत्र जहीत्येतत् तिङन्तम्, स्तम्बेति सुबन्तेन सह समासः।

समासशक्तौ ग्रन्थकारेण वैयाकरणभूषणसारे तत्पुरुषादिसमासानां लक्षण-निरूपणप्रसङ्गे 'पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः, उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः' इत्यादि-लक्षणस्यातिव्याप्त्यव्याप्तादिदोषेण दूषितत्वात् तेषां लक्षणानां प्रायिकत्वमूहितम्।

इयं समासवृत्तिः जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थेति भेदेन द्विविधा। अनयोः वृत्त्योः क्रमश एकार्थीभावव्यपेक्षारूपयोः पर्यवसानं लभ्यते।

जहत्स्वार्था· जहति स्वानि वृत्तिघटकपदानि यमर्थं स जहत्स्वः, तादृशोऽर्थो यस्यां सा जहत्स्वार्था। स्वशब्दोऽत्रार्थात्मीयपरः। अर्थस्यात्मीयञ्च पदमेव। तथा च जहत्स्वार्थत्वमेव व्यपेक्षा। 'राजपुरुषः' इत्यादौ समासशक्त्यैव राज-विशिष्टपुरुषभानसंभवे न राजपुरुषपदयोरपि पुनस्तद्बोधकत्वं कल्प्यम्, वृषभया-वकादिपदेषु वृषादिपदानामिव।

अजहत्स्वार्था—न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां साऽजहत्स्वार्था। अस्मिन् पक्षे कल्पकाभावात् राजपुरुषादौ नातिरिक्ता शक्तिः कल्प्यते। अवश्यक्लृप्त-प्रत्येकावयवशक्त्यैव बोधनिर्वाहे पुनः समुदाये शक्तिकल्पनस्य गौरवेण निरस्त-त्वमित्यर्थः। अयमेव व्यपेक्षापक्षो भाष्यकारेण समर्थसूत्रे संसाधितः।

जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थरूपे इमे द्वे अपि वृत्ती भेदः, संसर्गः, उभयञ्चेति भेदेन त्रिविधे। यथोक्तम्—

जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थे द्वे वृत्ती ते पुनस्त्रिधा।
भेदः संसर्ग उभयं वेति वाच्यव्यवस्थितेः[1] ॥

तत्र भेदोऽन्योन्याभावः। तथा 'राजपुरुषः' इत्यादावराजकोयभिन्नपुरुष इति बोधः। यद्यत्र भेदो वाच्यो न स्यात्तदा 'राजपुरुषः सुन्दरः' इत्यस्य यो राज-स्वामिकः पुरुष स देवदत्तस्वामिकोऽपीति बोधः स्यात्।

---

१. वै० भू० सा०—समासशक्तिनिर्णयः – ३।

वस्तुतो 'राजपुरुषः' इत्यनेन प्रथमतो राजसम्बन्धवान् इत्येव शाब्दं भानं भवति। 'अराजकीयभिन्नः इत्यादिभेदस्तूत्तरकालमुपतिष्ठते। अतः प्रथमोपस्थितरूपान्तरङ्गत्वात् संसर्ग एव वाच्यः, भेदस्तु तात्पर्यग्राहकसापेक्षत्वेन बहिरङ्गत्वान्न वाच्यः, किन्त्वार्थिक एवेति भावः। संसर्गस्य भेदाविनाभावित्वात् संसर्गेण हेतुना भेदोऽनुमीयत इति भावः। तथा चानुमानगम्य एव भेदो न तु शाब्दः।

अत्र वृत्त्या भेद एवाथवा संसर्ग एव वाच्य इत्यनयोर्मध्ये एकतरनिश्चायकप्रमाणाभावादाह—'उभयं चेति'। तेन भेदः, संसर्गश्चेत्युभयं वाच्यमिति भावः। तथा चाराजकीयभिन्नो राजसम्बन्धवांश्चायमिति बोध उपपद्यते।

नैयायिकाः, मीमांसकाश्च सन्ति व्यपेक्षावादिनः। एतेषां मते समासे काचिद् विशिष्टा शक्तिर्नास्ति। तत्र लक्षणया विशिष्टार्थबोधो जायते। परन्तु शाब्दिकाः समासे काञ्चिद् विशिष्टामतिरिक्तां वा शक्तिं मन्यन्ते। शब्दशक्तिप्रकाशिकायां पाणिनिसम्प्रदायमभिलक्ष्य उक्तम्—'व्यञ्जकसुपः सत्यपि संख्या न बुद्ध्या इति तु समासशक्तिवादिनः पातञ्जलाः'। भाष्ये तु व्यपेक्षापक्षं मतान्तरेणोपन्यस्यैकार्थीभाव एव समर्थितः। नागेशस्तु स्पष्टमभिधत्ते—'समासादिपञ्चसु विशिष्टा एव शक्तिर्नत्वयवे, रथन्तरं सप्तपर्णं इत्यादावयवार्थानुभवाभावात्। अत एव भाष्ये व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य 'अत एतस्मिन् व्यपेक्षायां योऽसावेकार्थीभावविशेषः स वक्तव्य इत्युक्तम्'। धवखदिरौ, निष्कौशाम्बिः, घृतघटावित्यादिषु साहित्यनिष्क्रान्तपूर्णत्यादयोऽर्थाः वाचनिका वाच्या इति तद्भाष्याशयः।

कौण्डभट्टेन वैयाकरणभूषणसारस्य समासशक्तिप्रकरणे एकार्थीभावपक्ष एव सिद्धान्त इति निर्णीतम्। उक्तञ्च तत्र—

> **समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्।**
> **बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने।**
> **स्यान्महद् गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः[1]॥**

कातन्त्रपरिशिष्टकारेण श्रीपतिदत्तमहोदयेनाप्येतदेव समर्थितम्—

> **ऐकार्थ्यं पृथगर्थानां वृत्तिं युक्तार्थतां विदुः।**
> **शब्दानां शब्दवैचित्र्यात् तत् समासादिषु स्मृतम्॥ इति।**

भर्तृहरिणाप्येकार्थीभावपक्ष एव समर्थितः—

---

१. वै० भू० सा० समासशक्तिनिर्णयः—४।५।

अर्थस्य विनिवृत्तत्वाल्लुगादि न विरुद्ध्यते ।
एकार्थीभाव एवातः समासाख्यो विधीयते[२] ॥ इति च ।

भाष्यसिद्धान्तविरुद्धत्वान्नैयायिकाभिमतो व्यपेक्षापक्षोऽस्मिन् वैयाकरण-भूषणसारे ऊहापोहकुशलैः कौण्डभट्टैः सम्यग् खण्डितः । प्रतिपादितञ्च तत्र समासे शक्त्यस्वीकारेऽर्थवत्त्वाभावात् प्रतिपदिकसंज्ञा, सुब्लुक्, पुनः समुदयात् सुबुत्पत्तिरित्यादिकं न स्यात्, 'अनुदात्तं पदमेकवर्जम्' इत्यस्य प्रवृत्तिश्च न भवेत् । तथाहि—'अर्थवदिति सूत्रेऽर्थवदित्यत्र प्रशंसायां मतुप् । प्राशस्त्यञ्चार्थबोधजनकत्वम् । शब्दस्वरूपमिति विशेष्यस्याध्याहारः । तथा च वृत्त्याऽर्थप्रतिपादकं यच्छब्दस्वरूपं तत्प्रातिपदिकसंज्ञं भवतीत्यर्थः ।

एवञ्च समासघटकपदयोः प्रत्येकं वृत्त्याऽर्थप्रतिपादकत्वेऽपि समुदाये शक्त्यनङ्गीकारेण राजपुरुषेत्यादिसमस्तस्य वृत्त्याऽर्थप्रतिपादकत्वाभावेन प्राति-पदिकसंज्ञा न स्यात् । वर्णितश्चैष विषयो महतोपष्टम्भेन वैयाकरणभूषणसारे । विशेषस्तु तत एवावगन्तव्यः, इह विस्तरभयाद् विरम्यते ।

२. वा॰ तृ॰ का॰—वृत्तिसमुद्देशः ।

शक्तिनिर्णयः

शक्तिर्नाम पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः। अर्थे पदसङ्केतः शक्तिरिति दर्पणकाराः। स च सङ्केतोऽस्मात् पदादयमर्थो बोद्धव्य इत्यर्थविशेष्यकेश्वरेच्छा-रूपः, इदं पदममुमर्थं बोधयत्विति पदविशेष्यकेश्वरेच्छारूपो वेति नैयायिकाः। अमुमेवेश्वरीयसंकेत इत्यभिधीयते। नव्यनैयायिकैरीश्वरेच्छा, ज्ञानं, कृतिर्वा शक्तिरित्युच्यते।

शक्तिस्वरूपविषये ग्रन्थकाराणामेषोऽभिप्रायो यत् यथा चक्षरादीन्द्रियाणां रूपादिविषयकज्ञानजननेऽनादिर्योग्यता तथा शब्दानामर्थेऽनादिः सम्बन्ध एव योग्यतेति। उक्तञ्च तत्र—

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा॥ इति।

अनेन प्रकारेण शब्दानामर्थबोधकारणतैव योग्यता, सैव शक्तिरित्यर्थः। किन्तु, तार्किकाणां मते आधुनिकदेवदत्तादिपदेषु तथाविधाऽनादिकारणतारूप-शक्त्यभावेन संकेतज्ञानमन्तरा बोधो न स्यादतः सङ्केत एव शक्तिरिति स्वीकु-र्वन्ति। स च सङ्केतो न स्वरूपतः हेतुरन्यथाऽगृहीतशक्तिकानामप्यर्थबोधापत्तिः। सामान्यतो ज्ञातस्य सङ्केतस्य हेतुत्वस्वीकारे प्रमेयत्वादिना सङ्केतज्ञानेऽपि बोधः स्यात्। नापि सङ्केतत्वेन सङ्केतज्ञानं बोधहेतुः। तथा सति ईश्वरानङ्गी-कर्तॄणां मीमांसकादीनां बोधानापत्तिः। अतः सङ्केतज्ञानं शाब्दबोधेऽर्थधीजनक-तात्वेन हेतुः।

लक्षणास्थले शक्तेरभावात् तत्र लक्ष्यार्थबोधो न संभवतीति न शङ्क्यम्, प्रसिद्धाऽप्रसिद्धभेदेन शक्तेर्द्वैविध्ये सिद्धे लक्षणाया अनङ्गीकारेण न कश्चन दोषः। आमन्दबुद्धिवेद्यात्वं प्रसिद्धात्वम्, सहृदयहृदयमात्रवेद्यात्वमप्रसिद्धात्वम्। 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र गङ्गापदस्य प्रवाहरूपेऽर्थे प्रसिद्धा शक्तिः, तीरेऽर्थे चाऽप्रसिद्धा-शक्तिरिति शक्त्यैव प्रयोगनिर्वाहे न लक्षणाऽपेक्षते। अन्यथा शाब्दबोधे शक्ति-जन्योपस्थितेः लक्षणाजन्योपस्थितेश्च कारणत्वे गौरवं स्यात्। अपि च प्रत्येकं व्यभिचारवारणाय शक्तिज्ञानाव्यवहितोत्तरजायमानतदर्थविषयकशाब्दबोधं प्रति

---

१. वै० भू० सा० शक्तिनिर्णयः—३७।

शक्तिजन्योपस्थितेः, लक्षणाज्ञानाव्यवहितोत्तरजायमानतदर्थविषयकबोधे लक्षणा-जन्योपस्थितेश्च कारणत्वमिति स्वीकारे महद् गौरवम् ।

न च लक्षणाऽङ्गीकर्तृमतेऽपि पदार्थोपस्थितिं प्रति शक्तिज्ञानं कारणमथ च लक्षणाज्ञानं कारणमित्येव भेदेन न पदार्थोपस्थितिकारणता, किन्तु, शाब्दबोधं प्रति वृत्तिजन्यपदार्थोपस्थितिः कारणम्, पदार्थोपस्थितिं प्रति वृत्तिज्ञानं कारणम् इत्येवं सामान्यतः कल्पनादेकेनैव कार्यकारणभावेन न गौरवमिति वाच्यम्, शक्तिलक्षणान्यतरत्वस्य शाब्दबोधपदार्थोपस्थित्यनुकूलपदपदार्थसम्बन्धत्वस्य वा वृत्तित्वस्य कारणतावच्छेदकत्वे गौरवस्य दुर्वारत्वादिति । एतत्सर्वं विस्तरेण विचार्य बोधजनकत्वमेव शक्तिरिति संसाधितम् ।

असाधुशब्देभ्योऽपि बोधदर्शनात्तेषामपि वाचकत्वमाशङ्क्य असाधुशब्दैः साधुशब्दस्मरणादेव बोधो न तु साक्षादिति सिद्धान्तितम् । उक्तमपि -

असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते ।
वाचकत्वाऽविशेषे च नियमः पुण्यपापयोः[१] ॥ इति ।

असाधुः=गावी-गगरीत्यादयोऽपभ्रंशाः । असाधुशब्दात् साधुशब्दस्य स्मरणं भवति । स्मृतात्साधुशब्दादर्थबोधो भवतीति परम्परयाऽसाधुशब्दोऽर्थंबोध-यतीति ।

नन्वपभ्रंशानां व्यवहारे शक्तिकल्पकव्यवहारस्य तुल्यत्वेऽपि तेषां साक्षा-दवाचकत्वे किं मानमिति चेन्न, तत्तद्देशभेदभिन्नेषु तेष्वपभ्रंशेषु शक्तिकल्पने गौरवात् । अत्र विषये नैयायिकानामेषोऽभिप्रायो यद्देशभेदेनापभ्रंशा भिन्नाः । तेषु शक्तिकल्पने शक्त्यानन्त्यापत्तिः स्यादतोऽपभ्रंशेषु शक्तिर्नैव कल्प्यते । अतस्तेषां मतेऽपभ्रंशेषु साक्षाद् वाचकत्वमस्तीति वक्तुं न शक्यते ।

परं वैयाकरणेभ्य इदं मतं न रोचते । तेषां मते संस्कृतवदपभ्रंशा अपि शक्ता एव । किन्तु शक्तत्वेऽपि तेषां साधुत्वं नेष्यते ।, कोशादौ पर्यायतया साधु-शब्दानामेव परिगणनात् ।

यदि शब्दैश्चापशब्दैश्च समानायामर्थावगतौ सत्यां किं शास्त्रेण क्रियत इति चेदत्रोच्यते— 'नियमः पुण्यपापयोः इति' । 'एकः पूर्वपरयोः' [६।१।८४] इति सूत्रे भाष्ये 'एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवतीत्युक्तेः, पुण्यजननाय साधुभिर्भाषितव्यमिति विधिः, नाऽसाधुभिरिति निषेध इति ।

१. वै० भू० सा० शक्तिनिर्णयः – ३८ ।

स्फोटनिर्णयः

वाक्ये पदानि प्रविभज्य पदे च प्रकृतिप्रत्ययविभागं कल्पयित्वा तत्तदर्थवाचकत्वं व्याकरणशास्त्रे प्रतिपादितम्। परन्तु 'वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतिस्थितिः' इति प्रतिपादनेन कौण्डभट्टमते प्रकृतिप्रत्ययाद्यर्थविचारोऽवास्तविक इति संसूच्यते। तत्र च स्फोटस्याष्टौ भेदाः प्रदर्शिताः—

(१) वर्णस्फोटः।
(२) पदस्फोटः।
(३) वाक्यस्फोटः।
(४) अखण्डपदस्फोटः।
(५) अखण्डवाक्यस्फोटः।
(६) वर्णजातिस्फोटः।
(७) पदजातिस्फोटः।
(८) वाक्यजातिस्फोटः।

तेषु स्फोटेषु वाक्यस्फोटातिरिक्तनामवास्तवत्वमेव। शाब्दिकनये वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वम्, शक्तिग्राहकशिरोमणिना वृद्धव्यहारेण लोकानां प्रथमतो वाक्ये एव शक्तिग्रहात्, वाक्यादेव वाक्यार्थस्य पूर्णत्वाच्च। अखण्डवाक्यस्फोटानामवास्तत्वे किमर्थं तेषां निरूपणं क्रियत इति चेदत्रोच्यते—यथा शुद्धब्रह्मज्ञानार्थमन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयाऽनन्दमयेति पञ्चसु कोशेष्वपारमार्थिकब्रह्मत्वप्रतिपादनमुपायः, यथा वाऽरुन्धतिज्ञानार्थं स्थूलनक्षत्रेऽपारमार्थिकारुन्धतीत्वबोधनम्। एवमेव पारमार्थिकाखण्डवाक्यार्थबोधार्थमेते किल स्फोटा उपाया एव।

उक्तञ्च हरिणा—

उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपकारकम्।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते॥

वर्णस्फोटः

प्रकृतिप्रत्ययघटकतया गृहीतशक्तिकस्य वर्णस्य वाचकत्वे वर्णस्फोटः सिद्ध्यति। स च प्रयोगघटकविसर्गतिबादिः। तार्किकाणां मते स्थान्येव वाचको

न त्वादेशः। परन्तु शाब्दिकानां मते स्थानित्वेन कल्पिता लकारसकारादयो न वाचकाः, तेषामनियतत्वात्। विसर्गे रोः स्मरणम्, तेन च सोः, णला तिप्स्मरणम्, तिपा च लकारस्य स्मरणमिति गौरवापत्तेः। तस्मात् प्रयोगघटकस्यैव वर्णस्यार्थबोधकत्वात् वर्णस्फोटः सिद्ध्यतीति शुद्धब्रह्मज्ञानाय सर्वापेक्षया बहिर्भूतान्नमयकोशवदखण्डवाक्यबोधनाय। पारमार्थिकोऽपि वर्णस्फोटः स्वीकरणीय एव। अत्रान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रकृतिप्रत्ययानामिह शास्त्रेऽर्थवत्तापरिकल्पनात् 'विभाषा' [५।३।३८] इति सूत्रस्थकैयटोक्तिः, 'हयवरट्' सूत्रेऽर्थवन्तो वर्णा इति भाष्योक्तिश्च वर्णस्फोटे प्रमाणम्।

पदस्फोटः

वर्णस्फोटापेक्षयाऽन्तरङ्गः प्राणमयकोशवत् पदस्फोटोऽपि युक्त्याऽङ्गीकरणीयः। साक्षाद्वाक्यघटकत्वेन पदस्फोटस्यान्तरङ्गत्वम्। वर्णस्फोटोक्तयुक्तिभिः समभिव्याहृतवर्णानां वाचकत्वसिद्धौ तादृशवर्णसमुदायरूपपदस्य वाचकत्वं सुतरां सिद्ध्यति, प्रतिवर्णमर्थस्मरणस्य सर्वानुभवविरुद्धत्वात्। तथा च वर्णसमुदायो वाचक इति रीत्या पदस्फोटपक्षोऽपि सिद्ध्यति। सुप्तिङन्तं पदम्, एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकं वाक्यमिति पदवाक्यलक्षणानाक्रान्तवर्णसमूहस्य प्रकृतिप्रत्ययरूपस्य पच्, तिप्-इत्यादिकस्य वाचकत्वे सिद्धे पदस्फोटोऽपि सिद्ध एव। अत आह—'अथादेशा वाचकाश्चेत्पदस्फोटः ततः स्मृतः' इति।

सखण्डाखण्डभेदेन पदस्फोटो द्विविधः। तत्र सुबन्ततिङन्तरूपो 'देवदत्तः पचति' इत्यादिरूपः सखण्डपदस्फोटः। अखण्डपदस्फोटस्तु सर्वैः वर्णैरुपस्थापितवर्णैर्व्यज्यते। स चार्थप्रत्यायक इति वैयाकरणराद्धान्तः।

नैयायिका वेदान्तिनश्च त्रिधा विकल्प्य पदस्फोटप्रत्याख्यानप्रयासमकुर्वन्। तैरेतदनुचिन्तितम्—यदेष स्फोटः यावद्वर्णव्यङ्ग्यो यत्किञ्चिद्वर्णव्यङ्ग्यः, चरमवर्णव्यङ्ग्यो वा। तत्र प्रथमः कल्पो नैव समीचीनः, आशुविनाशिनां वर्णानां यौगपद्यासम्भवात्। द्वितीयकल्पे तु 'पटः इत्यादौ 'प' शब्देनैव स्फोटे व्यञ्जिते टवर्णोच्चारणस्य वैयर्थ्यं स्यात्। तृतीयोऽपि कल्पो नैव युक्तियुक्तः, यतो पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसध्रीचीनचरमवर्णेनैवार्थसिद्धावलं स्फोटेन।

अत्र शाब्दिकाः समादधते—आपातरमणीयोऽयं विकल्पपक्षोपक्षेपः। प्रथमकल्पे वर्णानामाशुविनाशित्वं यदुक्तं तत्र हेतुं न पश्यामः। गकार उत्पन्नो गकारो नष्ट इत्यादिप्रतीतिस्तु आवारकेऽपसृतेऽऽकाशः सम्भूतः, आवारके सन्निहिते 'आकाशो नष्टः' इति प्रतीतिवदाविर्भावतिरोभावमूलिकेति। अनित्यत्वे त्वनन्त-

प्रागभावप्रध्वंसकल्पने महद् गौरवम् । किञ्च स्यान्नाम वर्णानामनित्यत्वम्, तथापि वर्णानुभवजन्यसंस्कारजन्यस्मृतीनां यौगपद्यं सम्भवेत । द्वितीयकल्पोऽपि न युक्तिसहः, 'पट' शब्दघटकस्य पकारमात्रस्य व्यञ्जकत्वे तस्य पद-पटोभयघटकतया तेन पदस्फोटो व्यज्यते उत पटस्फोटो व्यज्यते इति सन्देहस्य सम्भवेन तन्निवृत्तये टकारोच्चारणस्य सार्थक्यात् । तृतीयकल्पोऽपि न कमनीयः, पटारम्भकत्वेनाभ्युपगतस्य चरमतन्तुसंयोगस्य पटकार्यकारित्वे सम्भवे सत्यपि यथा भवद्भिरतिरिक्तोऽवयवी स्वीक्रियते तथाऽस्मन्मतेऽप्येकोऽतिरिक्तः स्फोटः स्वीक्रियत इति क्वानुभवविरोधः । लाघवन्तु सुस्पष्टमेव । ध्वनिभिरेव स्फोटो व्यज्यते । अतोऽनन्तवर्णतत्प्रागभावतद्ध्वंशकल्पना, जरा-राज-नदी-दीनेत्यादिभिन्नार्थप्रतीत्यर्थमानुपूर्व्याः पूर्वोक्तपूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्कारसहितं चरमवर्णस्य च कारणत्वं न वक्तव्यमिति महल्लाघवम् ।

अखण्डपदस्फोटस्वीकारे नातिरिक्ता कापि कल्पनाऽपेक्षिता, अपि तु यथा भवद्भिः 'पाचक' इत्यादौ यौगिकं पदमित्युच्यते अखण्डशक्त्यनुसन्धानं तत्रापेक्षते । एवमेव व्याकरणज्ञानशून्यस्य व्यवहारदर्शनात् तत्कृतेऽखण्डस्फोटोऽवश्यमेव स्वीकरणीयः । वैयाकरणभूषणसारे पदस्फोटनिरूपणार्थं प्रकृतिप्रत्ययेषु विशिष्याज्ञायमानेष्वपि समुदायव्युत्पत्त्याऽर्थबोधात् तत्राप्यावश्यिकैव शक्तिः—इत्यादिवाक्यैः समर्थितः पदस्फोट इति विस्तरेण तत एवावगन्तव्य इति ।

वाक्यस्फोटः

वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात् सप्रपञ्चं पदस्फोटनिरूपणानन्तरं स्मृतिविषयत्वे सत्युपेक्षानर्हत्वरूपां प्रसङ्गसङ्गतिमादायेदानीं वाक्यस्फोटनिरूपणार्थं वैयाकरणभूषणसारदृष्टचा क्रियते कश्चन प्रयासः ।

'हरेऽव' इत्यादौ पदाज्ञानेऽपि समुदायादर्थबोधात् तादृशसमुदायात्मकवाक्य एव वाचकत्वमिति वाक्यस्फोटसिद्धिः । उक्तञ्च [1]वैयाकरणभूषणसारे—

---

१. वै० भू० सा० स्फोटनिर्णयः—का० ६६ ।

हरेऽवेत्यादि दृष्ट्वा हि वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु। 'हरेऽव' 'विष्णोऽव' इत्यादौ 'एङः पदान्तादति' [६।१।१०९] इत्यादिनैकादेशे जाते 'हरे' इत्येकं पदम्, 'अव' इत्यपरं पदम्—अथवा 'हरे' इत्येकं पदमपरञ्च वेति पदमित्यत्र विनिगमकाभावान्न पदयोर्विभागः सुस्पष्टं ज्ञेयो भवति। तत्र प्रत्येकं पदयोः स्पष्टज्ञानाभावेऽपि नार्थबोधानुपपत्तिः, अपि तु सुबन्ततिङन्तपदसमुदायरूपवाक्ये बोधजनकतारूपशक्तिज्ञानसत्त्वेन तस्मादर्थबोध उपपद्यते। वाक्यार्थज्ञाने वाक्यघटकीभूतयावत्पदार्थज्ञानस्य कारणत्वात् यया युक्त्या पदस्फोटः साध्यते तयैव युक्त्या वाक्यस्फोटोऽपि सिद्ध्यति। यथा—घटाद्यर्थनिरूपिता बोधजनकतारूपशक्तिर्घटादिप्रतिपादकेषु तत्प्रकृतिकसुबन्तेषु वा पदेषु कल्पिता तद्वद्वाक्यार्थनिरूपिताबोधजनकताशक्तिर्घटोऽस्त्यादिवाक्येष्वभ्युपगन्तव्येति।

वाक्यस्फोटो द्विविधः—

(१) सखण्डवाक्यस्फोटः।

(२) अखण्डवाक्यस्फोटश्च।

तत्राखण्डो वाक्यस्फोटः पदातिरिक्ताखण्डपदव्यङ्ग्यो भवति। अखण्डवाक्यस्फोटे आकाङ्क्षायोग्यताऽऽसत्तीनां कारणत्वं नाङ्गीक्रियत इति महदेव लाघवम्। अखण्डवाक्यस्फोटे एव शब्दानुशासनमाश्रित्य 'विष्णोऽव' इत्यादौ जाते पूर्वरूपे पदविभागोऽगत्या स्वीकरणीय इति स (अखण्डवाक्यस्फोटः) एव प्रक्रियाभेदवशात् सखण्डवाक्यस्फोट इति। एकतिङन्तार्थमुख्यविशेष्यकं वाक्यनाम—पचति, भवति इत्यादि। अत्र पचतीत्यस्य व्यापारमुख्यविशेष्यकशाब्दबोधवशात् विशेष्यत्वेऽपि न मुख्यविशेष्यत्वम्।

नैयायिकास्तु विशेष्यभूतभावनैकत्वादर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेत् विभागः स्यादिति मीमांसकसम्मतं मतं परित्यज्य तात्पर्यविषयैकवाक्यमिति तदर्थं परिकल्प्य प्रत्यक्षानुमानयोरेकवाक्यत्वं प्रत्याख्यातम्। व्यवहारेण शक्तिग्रहात् वाक्यस्यैव वाचकत्वात् वाक्यस्फोटः सिद्ध्यति। व्युत्पित्सूनां बालानामादौ वाक्ये एव शक्तिग्रहः प्रसिद्धः। अतो वाक्यस्फोटो न काञ्चिदपि विवादपदवीमधिरोहति।

अखण्डवाक्यस्फोटोऽपि द्विधा—वर्णातिरिक्तो वर्णानतिरिक्तश्च। यदा

गौरवभयाद् वर्णाः नाङ्गीक्रियन्ते लाघवात् ध्वनिभिरेवाखण्डवाक्यस्फोटो व्यज्यते तदा वर्णातिरिक्तो वाक्यस्फोटो स्वीक्रियते। अस्मिन् कल्पे वर्णानामेवाभावेन यावद्वर्णव्यक्तिः स्वयमेव पराहृता। यदा तु ध्वनिभिः वर्णा व्यज्यन्ते तदा अखण्ड-वाक्यस्फोटः, यतो ह्यस्मिन् पक्षे भवति क्रियाकारकयोर्विभागः।

वर्णानतिरिक्ताखण्डवाक्यस्फोटस्तु पूर्वरूपैकादेशे जाते प्रातिपदिकाख्य तयोः विभागस्याशक्यत्वात् 'हरेऽव 'विष्णोऽव' इत्यादिवाक्ये सिद्ध्यति। वैयाकरण-भूषणसारे भर्तृहरिमतमवलम्ब्य समर्थित एष पक्षः -

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च।
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन॥

एष द्विधा विभक्तो वाक्यस्फोटः 'पश्य, मृगो धावति' 'पचति भवति' इत्या-दावपि सुग्रह एव। मृगकर्तृकवर्त्तमानधावनक्रियाया दृशिक्रियायां कर्मतासम्बन्धे-नान्वयः। देवदत्तकर्तृकपचिक्रियायाः भवतिक्रियायामन्वयः। उक्तञ्च वाक्य-पदीये -

सुबन्तं हि यथाऽनेक तिङन्तस्य विशेषणम्।
तथा तिङन्तमप्याहुः तिङन्तस्य विशेषणम्॥

अनेकवर्णातिरिक्तोऽनेकध्वनिव्यङ्ग्यः कस्तावदयं पदार्थं अखण्डवाक्य-स्फोटात्मकः। यथा—शाब्दिकैः रेफद्वयाज्भक्तिविशिष्ट एको वर्णः 'ऋति ऋ वा' 'लृति लृ वा' इत्यत्र वार्त्तिके स्वीक्रियते। अथवा "सिद्धमेतत् सस्थानत्वात्" 'ऐचोश्चोत्तरभूयस्त्वात्' इति वार्त्तिके अनेकाचामेकवर्णात्मकत्वम्, तथैवात्राप्यनेक-ध्वनिव्यङ्ग्यो वाक्यात्मक एको वर्ण इति स्वीक्रियते। स च शब्दब्रह्मरूपः। तत्र शब्दब्रह्मेति शब्दार्थः शब्दमिति केचन वदन्ति। चैतन्ये सर्वभूतानां शब्दब्रह्मेति वस्तुगतिः। शब्दब्रह्मेति निर्वचनेनापि तस्य वर्णत्वं सिद्धमेव। अनुमानेनापि तत्साधयितुं शक्यते।

वस्तुतस्तूपनीतमानमेवाखण्डवाक्यस्फोटरूपैकवर्णत्वसाधनायालम्। यथा - चन्दनखण्डस्य लौकिकं सौरभ्यस्यालौकिकं प्रत्यक्षं तथा धूमस्य लौकिक वह्नेर-

लौकिकमित्युपनीतमानेन सिद्धयति। तस्माल्लाघवाद्दोषाभावात् ध्वनिव्यङ्ग्य-स्यान्यस्याभावाच्चाखण्डवाक्यस्फोटस्यैकवर्णत्वं सिद्धयति। उक्तं हि वैयाकरण-भूषणसारे –

इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्त्वं निरञ्जनम्।
ब्रह्मैवेत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः॥

विषय-सूची

विषयानुक्रमणिका

अथ धात्वर्थनिर्णयः

अथ लकारार्थनिर्णयः

विषयः पृष्ठम्

अथ सुबर्थनिर्णयः

अथ नामार्थनिर्णयः

अथ समासशक्तिनिर्णयः

अथ शक्तिनिर्णयः

अथ नञर्थनिर्णयः

अथ निपातार्थनिर्णयः

अथ त्वादिभावप्रत्ययार्थनिर्णयः

अथ देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः

अथाभेदैकत्वसङ्ख्यानिर्णयः

अथ सख्याविवक्षानिर्णयः

अथ क्त्वाद्यर्थनिर्णयः

अथ स्फोटनिर्णयः

वैयाकरणभूषणसारस्थकारिकाणामनुक्रमणिका

क्र०सं०	कारिका			पृष्ठम्
५१.	प्रत्ययार्थस्यैकदेशे	...	...	२६४
५२.	फणिभाषितभाष्याब्धेः	...	...	६
५३.	फलव्यापारयोर्धातुः	...	...	७
५४.	फलव्यापारयोस्तत्र	...	...	३०
५५.	फलव्यापारयोरेक	...	...	६२
५६.	बहूनां वृत्तिधर्माणाम्	...	...	१७०
५७.	भाट्टास्तेऽपीत्थमाहुः	...		३०३
५८.	भेद. संसर्ग उभयम्	...	...	१५६
५९.	भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधि	.		८२
६०.	भूतपूर्व्यात्सोऽपि	...	...	१६२
६१.	यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः		...	७६
६२.	रदाभ्यां वाक्यभेदेन		...	२७९
६३.	लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः	...	...	२१४
६४.	वर्तमने परोक्षे श्वो	...	...	८६
६५.	वाक्यात् पदानामत्यन्तम्	...	...	३०५
६६.	वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे	...		२८८
६७.	विधेये भेदकं तन्त्रम्	...	...	२७८
६८.	व्यवस्थितेर्व्यवहृतेः		...	२९१
६९.	व्यापारो भावना सैव	...	.	३३
७०.	शक्यत्व एव शक्तत्वे	...		३१७
७१.	शब्दोऽपि यदि भेदेन	...	...	१५३
७२.	शरैरुस्रैरिवोदीच्यान्		...	२३९
७३.	सत्यं यत्तत्र सा जातिः	...	...	३२२
७४.	समासे खलु भिन्नैव		...	१७०
७५.	समासस्तु चतुर्धेति		...	१६२
७६.	सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः	...	...	६९
७७.	सम्बन्धिशब्दे सम्बन्धो		...	२२०

श्रीमत्कौण्डभट्टविरचितो

वैयाकरणभूषणसारः

(सावित्रीव्याख्योपेतः)

श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम् ।
स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते ॥१॥

सावित्री

नत्वा शिवं गणेशञ्च पितरं भैरवं बुधम् ।
आद्याप्रसादमिश्रोऽहं गौतमान्वयसम्भवः ॥ १ ॥
कौण्डभट्टोक्तभव्यस्य सारस्यार्थप्रकाशिकाम् ।
सावित्रीं विशदां व्याख्यामहं कुर्वे मनोरमाम् ॥ २ ॥
सारो भारोऽपि नाभाति वैयाकरणभूषणे ।
बालानामल्पबोधानां मतौ कण्ठेऽवनौ वरः ॥ ३ ॥
तत्रापि भासतामेष मम व्याख्यानमालया ।
सावित्रीकलया सौर्या भव्यो भाति यथा शशी ॥ ४ ॥

अन्वयः—गौरीरमणरूपिणं श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि । ['अहं कौण्डभट्टः' इत्यध्याहार्यम्] यतः स्फोटरूपमेतद् सर्वं जगद् विवर्तते ॥१॥

हिन्दी—मैं (कौण्डभट्ट) पार्वतीपति (शिव) रूपी लक्ष्मीपति (विष्णु) को नमस्कार करता हूँ, जिसका स्फोटरूप (शब्द, अर्थ उभयात्मक) यह सम्पूर्ण जगत् विवर्त्त है ।

व्याख्या—गौरीरमणरूपिणम्=गौर्याः रमणः=गौरीरमणः, तस्य रूपम्=गौरीरमणरूपम्, तदस्यास्तीति गौरीरमणरूपी, तं गौरीरमणरूपिणम् ।

अत्र 'गौरीरमण' पदस्य रूपशब्देन सह षष्ठीसमासः । ततो 'गौरीरमणरूपशब्दस्यादन्तत्वात् 'अत इनिठनौ' (५।२।११५) इत्यनेन इनि प्रत्ययः, तेन 'गौरीरमणरूपिन्' इति रूपम् । ततः द्वितीयाया एकवचने 'गौरीरमणरूपिणम्' इति सिद्ध्यति ।

न च गौरीरमणस्य रूपमिव रूपं यस्य तम्—गौरीरमणरूपमित्यस्मादेवोक्तार्थलाभसम्भवे 'न कर्मधारयान्मत्वर्थीयः" इत्यादिन्यायदिशा वृत्त्यन्तरात् वृत्तेर्गौरवग्रस्तत्वादिनि

प्रत्ययोऽयुक्त इति वाच्यम्, 'प्रत्ययस्थात्कात्' (७।३।४४) इति सूत्रे 'असुव्वतः' इति भाष्यप्रयोगादुक्तन्यायस्यानित्यत्वबोधनात्।

श्रीलक्ष्मीरमणम्=श्रीर्लोकोत्तरा कान्तिः, तया सहिता लक्ष्मीः श्रीलक्ष्मीः अर्थात् महालक्ष्मीः। अत्र शाकपार्थिवादित्वात् सहितशब्दलोपः। तस्याः रमणः=दयितः तम् (विष्णुम्) अथ वा श्रीः=सरस्वती सा च लक्ष्मीश्च तयोः रमण इत्यर्थः। "श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ" इति श्रुतेः। तत्र श्रीशब्देन सरस्वती न तु लक्ष्मीः, लक्ष्मीशब्दस्य पृथगुपादानात्।

नौमि=प्रणमामि। अत्र णु[नु] धातुः। अत्र स्वाभीष्टसाधकाशीर्वचनानुकूलव्यापार एव नुधात्वर्थः।

यतः=यस्मादुपादानात्। आद्यादित्वात्तसिः। सार्वविभक्तितसिना यस्मिन्नधिष्ठाने इति वार्थः।

स्फोटरूपम्=स्फुटत्यर्थो जगद्रूपो यस्मात् स स्फोटः। अथ वा स्फुटति बोधविषयो भवतीत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः=शब्दः। स्फोटरूपमिति भगवतो जगतश्च विशेषणम्। आद्ये स्फोटरूपम्=सकलार्थप्रकाशकम्, द्वितीये—स्फोटरूपं=नामरूपात्मकं ब्रह्माऽभिन्नमिति वाऽर्थः। 'नामरूपे व्याकरवाणि,' सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति' च श्रुतेः।

एतद्=दृश्यमानम्, सर्वं जगत्।

विवर्त्तते=विषयसत्ताकं भवति। अतात्त्विकान्यथाभावाश्रयो भवतीति वार्थः। तदुक्तम्—तात्त्विकोऽन्यथाभावः परिणामोऽतात्त्विकान्यथाभावो विवर्त्त इति। अन्यथाभावश्च भ्रम एव। तदाश्रयत्वं तु विषयतया जगति बोध्यम्।

विशेष—प्रकृत मङ्गल में शिवरूप विष्णु को नमस्कार करके शिव और विष्णु में अभिन्नता प्रदर्शित की गई है। शिव और विष्णु की अभिन्नता के बारे में पुराणादि में निर्देश मिलता है। कहा है—

> शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः।
> विष्णुरुद्रान्तरं यच्च यो ब्रूते मूढधीस्तु सः॥
> रौरवादिषु घोरेषु नरकेषु पतत्यधः॥

यद्यपि व्याकरणशास्त्र का प्रवर्त्तक होने के कारण शिव ही अधिक आदरणीय हैं और उन्हीं का स्तुत्यात्मक मङ्गल करना उचित था; तथापि शिव और विष्णु के अभिन्न होने से विष्णु की स्तुति करना भी अनुचित नहीं है।

स्फोटरूप—'स्फोटरूप' यह पद भगवान् और जगत् दोनों का विशेषण है। भगवान् का विशेषण मानने पर "स्फोटः (शब्दः) रूपम् (स्वरूपम्) यस्य तम्" यह विग्रह मानना होगा। अर्थात् अनादि अनन्त अक्षरात्मक शब्दतत्त्वस्वरूप विष्णु हैं। अभिप्राय यह है कि वैयाकरण सिद्धान्त में जगत् का उपादान कारण स्फोट (शब्द) है। इसलिये उक्त व्युत्पत्ति के द्वारा शिव से अभिन्न विष्णु को स्फोट रूप में नमस्कार किया गया है।

अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिम् ।
शेषाऽशेषार्थलाभार्थं प्रार्थये शेषभूषणम् ॥२॥

'स्फोटरूप' को जगत् का विशेषण मानने के पक्ष में शब्दार्थोभयरूप जगत् शिव से अभिन्न विष्णु का विवर्त्त है । इस अर्थ में स्फुटत्यर्थोऽस्मादसौ स्फोटः (शब्दः), रूप्यते= बोध्यतेऽसौ रूपमर्थः । स्फोटश्च रूपञ्चेत्यनयोः समाहार इति स्फोटरूपम् । 'नामरूपे व्याकरवाणि' यह श्रुति इसी अर्थ में समन्वित होती है । किन्तु ग्रन्थ के अन्त में आचार्य कौण्डभट्ट-उपसंहार वाक्य के द्वारा स्फोट को ब्रह्म स्वरूप माना है । कहा है—

इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्त्वं निरञ्जनम् ।
ब्रह्मैवेत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः ॥

अतः उपक्रम वाक्य में भी स्फोट को विष्णु के विशेषण में वक्ता का तात्पर्य मानना उचित है ।

विवर्त्तवाद—वेदान्त मत में अतात्विक अन्यथा भाव को विवर्त्त कहा जाता है । वैयाकरणों का भी अभिमत विवर्त्त यही है । अतात्त्विक अन्यथाभाव उसे कहते हैं; जिसकी सत्ता तत्त्वतः न होते हुये भी भ्रम से प्रतीति होती है । जैसे—रज्जू में सर्प की प्रतीति । यद्यपि रज्जू में सर्प की सत्ता नहीं है, किन्तु कदाचित् अज्ञान वश सर्प की प्रतीति होती है । उसी प्रकार शब्द ब्रह्म में जगत् की सत्ता न होते हुये भी भ्रमवश उसकी प्रतीति होती है ।

न्यायमत में विवर्त्त का अर्थ उत्पन्न होना है । उनके मत में आकाश आदि के नित्य होने से शेष जगत् परमाणुओं से उत्पन्न होता है । सांख्यमत में विवर्त्त का अर्थ आविर्भाव है । उनके मत में अहंकार आदि समस्त जगत् नित्य होने से सम्पूर्ण जगत् उत्पत्ति विनाश रहित आविर्भाव तिरोभाव शाली है ॥ १ ॥

[सा०] अन्वयः—शेषाऽशेषार्थलाभार्थम् अशेषफलदातारं भवाब्धितरणे तरिम् शेषभूषणं प्रार्थये ॥ २ ॥

हिन्दी—शेष अर्थात् पतञ्जलि के सम्पूर्ण अर्थ (महाभाष्य) के ज्ञान के लिये सम्पूर्ण (ऐहलौकिक, पारलौकिक) फल को देने वाले, संसार सागर को पार करने में नौका स्वरूप शेषभूषण (शिव, विष्णु) की प्रार्थना करता हूँ ।

शेषनाग शिव और विष्णु-दोनों के भूषण हैं क्योंकि शिव अलंकार रूप में धारण करते हैं, तथा विष्णु शेषनाग को शय्या बनाकर उन पर शयन करते हैं ।

व्याख्या—

शेषाऽशेषार्थलाभार्थम्=शेषस्य=शेषनागस्य महाभाष्यकृतः पतञ्जलेः, योऽशेषोऽर्थः=वैयाकरणनिखिलसिद्धान्तः, तस्य लाभाय=ज्ञानाय ।

वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे नरीनर्त्ति सदा मुदा ।
भट्टोजिदीक्षितमहं पितृव्यं नौमि सिद्धये ॥३॥

पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य पितरं रङ्गोजिभट्टाभिधं
द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुम्भाववाग्देवताम् ।
ढुण्ढिं गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान्
सिद्धान्तानुपपत्तिभिः प्रकटये तेषां वचो दूषये ॥४॥

अशेषफलदातारम्=सोऽहमामुष्मिकाण्यपवर्गपर्यन्तानि तत्तत्कर्मफलानि तेषां दाता तम् ।

भवाब्धितरणे तरिम्=भवः=संसारः, स एवाब्धिरिति मयूरव्यंसकादित्वात्समासः तस्य तरणे=पारगमने तरिम्=तरणसाधनमिति नौकादिकमिति यावत् ।

शेषभूषणम्=शेषः=शेषनागः, भूषणम् अलङ्कारो यस्य तं शिवम् । शय्यात्वेन विष्णोरपि भूषणत्वात् तं विष्णुमित्यपि बोध्यम् ॥

प्रार्थये=अभीष्टसिद्धये प्रवर्तये ॥ २ ॥

[सा०] अन्वयः—वाग्देवी यस्य जिह्वाग्रे सदा मुदा नरीनर्त्ति, तं पितृव्यं भट्टोजिदीक्षितम् अहं सिद्धये नौमि ॥ ३ ॥

हिन्दी—वाग्देवी सरस्वती, जिनकी जिह्वा के अग्र भाग पर सदा प्रसन्नतापूर्वक नृत्य किया करती है । उन पितृव्य भट्टोजिदीक्षित को अपने अभीष्टसिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ ।

[उक्त श्लोक अधिकांश संस्करणों में उपलब्ध नहीं है ।]

व्याख्या—वाग्देवी=वाचाम्=निखिलगिराम्, देवी=अधिष्ठात्री देवता, सरस्वती ।

यस्य=भट्टोजिदीक्षितस्य, जिह्वाग्रे=रसनाया अग्रभागे । सदा=निरन्तरम्, मुदा=हर्षेण नरीनर्त्ति=पुनः पुनरतिशयेन वा नृत्यति । तम्=प्रख्यातम्, पितृव्यम्=पितुर्भ्रातरम्, भट्टोजिदीक्षितम् =तन्नामकम् । अहम् =कौण्डभट्टः सिद्धये=प्रारिप्सितग्रन्थसमाप्तये, तत्प्रचाराय च । नौमि=प्रणमामि ॥ ३ ॥

सा०] अन्वयः—पाणिन्यादिमुनीन् प्रणम्य, द्वैतध्वान्तनिवारणादिफलिकां पुम्भाववाग्देवताम् रङ्गोजिभट्टाभिधं पितरं ढुण्ढिं (च) प्रणम्य गौतमजैमिनीयवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान् सिद्धान्तान् उपपत्तिभिः प्रकटये, तेषां वचो दूषये ॥ ४ ॥

हिन्दी—पाणिनि आदि मुनियों तथा द्वैत (संशयात्मक ज्ञान) रूप अन्धकार को दूर करने-हेतु पुरुषरूप में वाग्देवता सरस्वती के अवतार रङ्गोजिभट्ट नामक अपने पिता, एवं

ढुण्ढिराज गणेश को नमस्कार कर गौतम (न्यायशास्त्र के प्रणेता) जैमिनि (मीमांसा शास्त्र के आचार्य) के वचनों की व्याख्या करने वालों द्वारा दूषित किये गये सिद्धान्तों को युक्तियों द्वारा प्रकाशित करता हूँ और उन व्याख्याकारों के दोषाधायक वचनों का खण्डन करता हूँ।

व्याख्या--पाणिन्यादिमुनीन्=पाणिनिः आदिर्येषान्ते पाणिन्यादयः, पाणिन्यादयश्च ते मुनयः तान्।

द्वैतध्वान्तनिवरणादिफलिकाम्=द्वौ इतः=आश्रयत्वेन प्राप्तः ।तः=भेदः तस्येदं ज्ञानं द्वैतम्। अर्थात् द्वाभ्यां जडत्वाजडत्वाभ्यां विरुद्धधर्माभ्यामितो ज्ञातो यश्चैतन्यरूपस्तत्र द्वैतं मिथ्याज्ञानमिति। तदेव ध्वान्तं=तमः, तस्य निवारणम् आदिफलं यस्याः सा ताम्।

पुंभाववाग्देवताम्=पुंसः भावः आकाररूपो यस्याः सा पुंभावा। पुरुषाकृतिकेत्यर्थः। सा चासौ वाग्देवता=सरस्वती, तद्रूप इत्यर्थः। यद्वा पुंभावशब्दोऽर्शाद्यजन्तः। तथा चाऽविष्कृतपुंविग्रहां सरस्वतीमित्यर्थः।

रङ्गोजिभट्टाभिधम् पितरम् =तन्नामकं पितरम्।

ढुण्ढिम्=गणेशं, प्रणम्येति पूर्वेणान्वयः।

पितृनमस्कारानन्तरं गणपतिनमस्कारस्यानौचित्याड् ढुण्ढिं गणेशावतारं पितरमित्यर्थः। अत एव मत्पिता न केवलं वाग्देवताऽवतारोऽपि तु मङ्गलमूर्त्तित्वेन गणपतिस्वरूपोऽपीति सूच्यते।

गौतमजैमिनि यवचनव्याख्यातृभिर्दूषितान्=गौतमश्च जैमिनिश्च गौतमजैमिनी=न्यायमीमांसासूत्रप्रणेतारौ, तयोरिमानि=गौतमजैमिनीयानि तानि च तानि वचनानि=न्यायसूत्राणि, मीमांसासूत्राणि च, तेषां व्याख्यातारः, तैर्दूषितान् =दोषवत्त्वेन प्रदर्शितान् सिद्धान्तान्. उपपत्तिभिः=युक्तिभिः, प्रकटये=प्रकाशये। तेषां=गौतमजैमिनीयवचोव्याख्यातॄणामाधुनिकतार्किकमीमांसकानां वचो दूषये=बाधकयुक्तिभिर्निराचक्षे।

विशेषः--उपर्युक्त वर्णन से सिद्ध होता है कि गौतम और जैमिनि के अनुसार ही वैयाकरणों के सिद्धान्त हैं न कि उनके विरुद्ध। व्याख्याकारों ने विरुद्ध होने का भ्रम पैदा कर दिया था।

ढुण्ढिम्—'ढुण्ढ' अन्वेषणे धातु से औणादिक इन् प्रत्यय करने पर 'ढुण्ढि' शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है—

ढुण्ढति=अन्विष्यति व्याख्यातृदोषान् इति ढुण्ढिः, तम्।

इनके पितृदेव सभी अर्थों के अन्वेषण में दक्ष होने के कारण इनको ढुण्ढि स्वरूप माना गया है अन्यथा अज्ञान अन्धकार निवारण में दक्षता न हो पाती। काशीखण्ड में आया है—

नत्वा गणेशपादाब्जं गुरूनथ सरस्वतीम् ।
श्रीकौण्डभट्टः कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणम् ।।५।।

प्रारिप्सितप्रतिवन्धकोपशमनाय कृतं श्रीफणिस्मरणरूपं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं निबन्धनंश्चिकीर्षितं प्रतिजानीते—

फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः ।
तत्र निर्णीत एवार्थः संक्षेपेणेह कथ्यते ।।१।।

अन्वेषणे ढुण्ढिरयं प्रथितोऽस्ति धातुः ।
सर्वार्थढुण्ढितया भव ढुण्ढिनामा ।। काशीखण्ड । अध्याय-५७ श्लोक--११० ।।४।।

सा०] अन्वयः—अहं कौण्डभट्टः गणेशपादाब्जं गुरून्, अथ सरस्वतीं (च) नत्वा वैयाकरणभूषणं कुर्वे ।। ५ ।।

हिन्दी—मैं कौण्डभट्ट, गणेशजी के चरणकमल, गुरु और सरस्वती को नमस्कार कर वैयाकरणभूषण को बनाता हूँ ।

विशेष—यह श्लोक बहुत से संस्करणों में उपलब्ध नहीं है । लोगों का कहना है कि यह श्लोक "वैयाकरणभूषण" का है न कि "वैयाकरणभूषणसार" का, इसीलिये ग्रन्थकार ने लिखा है—कुर्वेऽहं वैयाकरणभूषणम् ।

इसके विपरीत कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि ग्रन्थकार ने (कुर्वेऽहं वैयाकरण-भूषणम्) कह कर नामैकदेश का ग्रहण किया है । वहाँ ग्रन्थकार का तात्पर्य 'वैयाकरण-भूषणसार' से है ।

सा०]—प्रारम्भ किये जाने वाले ग्रन्थ के विघ्नों की शान्ति के लिये किये गये श्रीपतञ्जलि के स्मरण रूप मङ्गल को शिष्यों के शिक्षार्थ निबद्ध करते हुये क्रियमाण ग्रन्थ के विषय में प्रतिज्ञा करते हैं:—

'फणी' अर्थात् शेषनाग के अवतार भगवान् पतञ्जलि के द्वारा विरचित महाभाष्य रूपी समुद्र से 'शब्दकौस्तुभ' निकाला गया है । वहाँ पर निर्णीत अर्थों को ही यहाँ पर संक्षेप में कह रहे हैं ।

विशेष—उपर्युक्त कथन के अनुसार विघ्नध्वंस के लिये मङ्गल को कारण माना गया है, ग्रन्थ समाप्ति के लिये नहीं ।

'काशिकाकार, ने कहा है--एतेन समाप्तिं' प्रति मङ्गलं न कारणमन्यथासिद्धत्वात् ; किं तु 'विघ्नध्वंसं' प्रति, समाप्तिस्तु स्वसामग्रीत' इत्यादिबोधितमित्यन्यत्र विस्तरः ।

उद्धृत इति। अत्र 'अस्माभिः' इति शेषः। "भाष्याब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः" इत्युक्तिस्तु शब्दकौस्तुभोक्तानामर्थानामाधुनिकोत्प्रेक्षितत्वनिरासाय। अन्यथा तन्मूलस्यास्य ग्रन्थस्याधुकनिकोत्प्रेक्षितासारत्वापत्तौ पाणिनीयानामनुपादेयतापत्तेः। 'तत्र निर्णीतः' इत्युक्तिरितोऽप्यधिकं जिज्ञासुभिः शब्दकौस्तुभे द्रष्टव्यमिति ध्वनयितुम् ॥१॥

[अथ धात्वर्थनिर्णयः]

प्रतिज्ञातमाह—

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् ॥२॥

धातुरित्यत्र स्मृत इति वचनविपरिणामेनान्वयः॥

मङ्गल का दूसरा प्रयोजन बताया है—शिष्यशिक्षार्थम्। 'मेरे शिष्य भी मङ्गल करें। इसके लिये भी मङ्गल करना आवश्यक है अन्यथा यदि ग्रन्थ के आदि में मङ्गल न रहेगा तो शिष्य ऐसा सोच सकते हैं कि जब ग्रन्थकार ने मङ्गल नहीं किया है तो मुझे क्या आवश्यकता है?

[सा०]—श्लोक में 'उद्धृतः' से 'अस्माभिः' ऐसा कर्त्ता का अध्याहार कर 'अस्माभिः उद्धृतः' ऐसा अर्थ समझना चाहिये। महाभाष्यरूपी समुद्र से 'शब्दकौस्तुभ' निकाला गया है—यह कथन इसलिये है कि 'शब्दकौस्तुभ' में वर्णित अर्थों को कोई आधुनिकों की कपोलकल्पना न समझ ले। अन्यथा यदि 'शब्दकौस्तुभ' आधुनिकों की कपोलकल्पना हुआ तो 'शब्दकौस्तुभ' मूलक इस 'वैयाकरणभूषणसार' पर आधुनिकों की कल्पना की आपत्ति होगी जिससे यह ग्रन्थ पाणिनीयसम्प्रदाय वालों के लिये अनुपयोगी हो जायगा।

'तत्र निर्णीतः' अर्थात् 'शब्दकौस्तुभ' में निर्णीत अर्थों का संक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है—यह कथन इसलिये है कि इससे अधिक जानने की इच्छा वालों को शब्दकौस्तुभ देखना चाहिये।

[महाभाष्यरूपी समुद्र से 'शब्दकौस्तुभ' निकाला गया है—इस कथन से ग्रन्थकार ने अपने को विष्णु के समान सूचित किया है।]

[सा०]—फल और व्यापार अर्थ में धातु की तथा आश्रय (फलाश्रय, व्यापाराश्रय) में तिङ्पद की शक्ति होती है। फल और व्यापार में व्यापार प्रधान होता है, तथा तिङर्थ कर्त्ता कर्म आदि धात्वर्थ व्यापार में विशेषण होता है।

विशेष—यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'पचति' इस तिङन्त पद के दो भाग है—(१) पच् (२) ति । इसमें पहला भाग धातु है और दूसरा भाग प्रत्यय। उसमें धातु का कितना अर्थ है ? प्रत्यय का क्या अर्थ है ? तथा इन पदार्थों के परस्पर अन्वय में कौन प्रधान है, कौन अप्रधान है – इत्यादि प्रश्नों का उत्तर उक्त कारिका में दिया गया है। प्रकृति प्रत्यय तथा उनके अर्थों को इस प्रकार समझना चाहिये—

प्रकृत कारिका से निम्नाङ्कित तथ्य प्रकाश में आते हैं—

(१) धातु, फल और व्यापार—इन दोनों अर्थों का वाचक होता है।

(२) तिङ्, फलाश्रय (कर्म), व्यापाराश्रय (कर्त्ता) के वाचक होते हैं। अर्थात् 'पचति' इस कर्तृप्रत्यय स्थल में तिङ् का अर्थ 'कर्त्ता' और 'पच्यते' इस कर्मप्रत्यय स्थल में तिङ् का अर्थ कर्म है।

(३) यद्यपि फल और व्यापार, ये दोनों ही धातु के अर्थ हैं, तथापि फल की अपेक्षा व्यापार अंश प्रधान होता है, क्योंकि फल व्यापार से जन्य होता है।

(४) तिङर्थ=कर्त्ता, कर्म, संख्या, काल-ये धात्वर्थ व्यापार में विशेषण होते हैं।

(५) यहाँ फलव्यापारयोः' इस द्विवचन निर्देश से धातु पद की फल और व्यापार में पृथक्, पृथक् अर्थात् खण्डशः शक्ति सूचित होती है। जैसे—एक गुच्छे में आम्र आदि दो प्रकार के फल हो। इसलिये कहीं फलांश और कहीं व्यापार अंश का त्याग सम्भव है। ग्रन्थकार प्राचीन तार्किकों की भाँति 'फलविशिष्ट व्यापार' में एक शक्ति नहीं मानते हैं। अन्यथा फल के पदार्थैकदेश होने से उसमें द्वितीया आदि पदार्थान्तरों का अन्वय न हो सकेगा क्योंकि नियम है—'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन'।

नागोजिभट्ट भी प्राचीनतर्किकों की भाँति 'फलविशिष्ट व्यापार' में धातु की एक शक्ति मानते हैं। उनका कहना है कि धातु की फल और व्यापार अर्थ में पृथक् पृथक् शक्ति मानने पर इन दोनों अर्थों का परस्पर में उद्देश्य-विधेयभाव से अन्वय होगा न कि

विशेष्यविशेषणभाव से। क्योंकि उद्देश्य-विधेयभाव से अन्वय-बोध की प्रयोजिका पृथक उपस्थिति ही है। फल विशिष्ट व्यापार में धातु पद की एक शक्ति मानने पर उद्देश्य-विधेयभाव से अन्वय बोध की प्रयोजिका पृथक् उपस्थिति नहीं रहती हैं।

इसके अतिरिक्त फल और व्यापार में धातु पद की पृथक् पृथक् शक्ति मानने पर एक पद में व्युत्पत्तिद्वय की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि शाब्दबोध में कर्तृप्रत्यय स्थल में कर्तृप्रत्यय समभिव्याहृत धातुजन्य उपस्थिति को कारण मानना होगा तथा कर्मप्रत्यय स्थल में कर्मप्रत्ययसमभिव्याहृतधातु जन्य उपस्थिति को कारण मानना पड़ेगा। पृथक् पृथक् दो अर्थ मानने पर दो शक्ति मानना होगा तथा दो प्रकार के सम्बन्ध की कल्पना करनी होगी, यह अति गौरव होगा। परमलघुमञ्जूषा[१] में कहा है—परे तु फलव्यापारयोर्धातोः शक्तावुद्देश्यविधेयभावेनान्वयापत्तिस्तयोः स्यात्। पृथगुपस्थितेस्तथा अन्वयस्यौत्सर्गिकत्वात्। किञ्चैकपदे व्युत्पत्तिद्वयकल्पनेऽति गौरवम्। तथा हि—फलविशेषणकव्यापारबोधे कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहृतधातुजन्योपस्थितिः कारणम्, व्यापारविशेषणकफलबोधे कर्मप्रत्ययसमभिव्याहृतधातुजन्योपस्थितिः कारणमिति कार्यकारणभावद्वयकल्पनम् धातोरर्थद्वये शक्तिद्वयकल्पनम्, धातोर्बोधजनकत्वसम्बन्धद्वयकल्पनं चातिगौरवम्।

अन्त में नागेश ने अपना अभिमत व्यक्त करते हुये कहा है—तस्मात्[२] फलावच्छिन्ने व्यापारे, व्यापारावच्छिन्ने फले च धातूनां शक्तिः।

वस्तुतः प्राचीन वैयाकरणों के अनुसार फल और व्यापार में खण्डशः शक्ति मानना ही उचित है। विशिष्ट में धातु पद की शक्ति मानने वाले नव्यों का मत उचित नहीं है। फल और व्यापार में धातु पद की पृथक् पृथक् शक्ति मानने पर आचार्य नागेश भट्ट ने उद्देश्य-विधेयभाव से अन्वय की आशङ्का की है, क्योंकि उक्त अन्वय की प्रयोजिका पृथक् शक्ति वहाँ विद्यमान है—इसका उत्तर है कि उद्देश्यविधेयभाव से अन्वय की नियामिका व्युत्पत्ति में 'धातुभिन्नत्व' निवेश करने से उक्त दोष दूर हो जायगा, क्योंकि वैसा निवेश करने पर उक्त नियम धातु के विषय में प्रवृत्त नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त प्राचीनों के मत में एक वृन्त (गुच्छा) में लटकते हुये दो फल की भाँति फल और व्यापार उभय अंश में एक ही खण्डशः शक्ति मानने पर शक्तिद्वय अथवा सम्बन्धद्वय की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। अपि तु विशिष्ट में शक्ति मानने पर फलावच्छिन्नव्यापारत्व या व्यापारावच्छिन्नफलत्व को शक्यतावच्छेदक मानने पर गौरव होगा। साथ ही नव्यों के मत में यह भी दोष होगा कि फल और व्यापार के पदार्थैकदेश होने से उसमें

१: परमलघुमञ्जूषा—धात्वर्थनिरूपणम्—पृ. ८९

२. परमलघुमञ्जूषा—धात्वर्थनिरूपणम् पृ. ९०

२

फलं = विक्लित्त्यादि, व्यापारस्तु भावनाभिधा साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया। उक्तञ्च वाक्यपदीये—

यावत्सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाऽभिधीयते।
आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्येभिधीयते ।। इति।

कर्त्ता कर्म आदि पदार्थान्तर का अन्वय नहीं होगा। कहा है--पदार्थः पदार्थेंनान्वेति न तु पदार्थैंकदेशेन। अतः प्राचीन वैयाकरणों का ही पक्ष श्रेष्ठ है।

'स्मृताः' इस बहुवचनान्त का (धातुः) इस एकवचनान्त के साथ अन्वय सम्भव नहीं है क्योंकि विशेष्य-विशेषण में समान वचन होने का नियम है। इस आशङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है कि 'स्मृताः' के स्थान पर 'स्मृतः' ऐसा एकवचनान्त की परिकल्पना कर अन्वय करना चाहिये।

यदि कोई यह कहे कि—

'वेदाः प्रमाणम्' 'जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः' (न्यायसूत्रम् २।२।१८) इत्यादि में विशेष्यविशेषण में समान वचन होने का नियम व्यभिचरित है तो ऐसा नहीं कह सकते—क्योंकि जहाँ पर विशेष्यवाचक प्रकृति के उत्तरवर्त्ती विभक्ति का तात्पर्य जिस संख्या से हो, उससे भिन्न संख्या की विशेषणवाचक पद से अविवक्षा हो वहीं पर विशेषणविशेष्य में समान वचन होने का नियम है। 'वेदाः प्रमाणम्' इत्यादि में विशेष्यवाचक जो 'वेदः' पद है उसके उत्तरवर्त्ती विभक्ति तात्पर्य विषयक संख्या बहुत्व संख्या है उसके विरुद्ध एकत्व संख्या है, वह विशेषणवाचक 'प्रमाण' पदोत्तर विवक्षित है। अतः यहाँ विशेषणविशेष्य में समान वचनत्व का नियम लागू नहीं होता है। (धातुः स्मृताः) यहाँ पर विशेष्यवाचक जो धातु शब्द है उसके उत्तरवर्त्ती विभक्ति तात्पर्य संख्या एकत्व है उससे विरुद्ध जो बहुत्वसंख्या है वह विशेषणवाचक 'स्मृत' शब्द से विवक्षित नहीं है-इसलिये यहाँ दोनों में समान वचन होना आवश्यक है। उक्त विषमता को ध्यान में रखकर ही ग्रन्थकार ने समाधान किया है—धातुरित्यत्र स्मृत इति वचनविपरिणामेनान्वयः।

हिन्दी—ग्रन्थकार ने कारिका में कहा है--फलव्यापारयोर्धातुः। अर्थात् फल और व्यापार का वाचक धातु होता है। यहाँ फल और व्यापार शब्द से कैसा अर्थ अभिप्रेत है यह प्रदर्शन करने के लिये ग्रन्थकार ने कहा है—फलं विक्लित्त्यादि।

लोक में जिस उद्देश्य से क्रिया की जाती है उसे ही फल कहते है। स्वरितञितः (पा.सू. १।३।७२) सूत्र पर भाष्यकार ने भी यही मत व्यक्त किया है कि जिस उद्देश्य से धात्वर्थ

क्रिया में प्रवृत्ति होती है वही क्रिया का फल कहलाता है। वाक्यपदीयकार ने भी लिखा है—

यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थमारभन्ते पचादयः।
तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादिप्रयोजनम् ॥

अर्थात् जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिये 'पाक' आदि क्रियायें आरम्भ की जाती है, वही उन क्रियाओं का प्रधान फल होता है। द्रव्य लाभ आदि याग क्रिया का फल नहीं है; क्योंकि उस उद्देश्य से याग क्रिया का आरम्भ नहीं किया जाता है।

जैसे—यदि स्वर्ग की कामना से याग किया जाता है तो याग क्रिया का फल स्वर्ग है। क्षुधानिवृत्ति के लिये यदि पाक क्रिया की जाती है तो 'क्षुधानिवृत्ति' ही पाकक्रिया का फल होगा। ऐसी स्थिति में भोजन पक जाने पर भी जब तक भोजन द्वारा क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी, 'अपाक्षीत्' प्रयोग नहीं होगा।

१. महाभाष्यम्—स्वरितञितः—(पा. सू. १।३।७२)।

इसके साथ ही उक्त प्रकार का फल मानने पर धातुओं की सकर्मकत्व अकर्मकत्व-की शास्त्रीय व्यवस्था भी न बन पायेगी।

इसलिये यहाँ 'फल' शब्द पारिभाषिक है। अतः ग्रन्थकार ने कहा है—फलं विक्लित्त्यादि।

यहाँ फल का लक्षण इस प्रकार समझना चाहिये—तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति तद्धातुजन्योपस्थितिविषयत्वं तद्धात्वर्थत्वं वा।

अर्थात् उस धातु के अर्थ व्यापार से जन्य हो तथा धातु से जन्य उपस्थिति का विषय हो अथवा धातु का अर्थ हो उसे फल कहते हैं। जैसे—'पच्' धातु के अर्थ व्यापार से जन्य विक्लित्ति है, वह धातु जन्य उपस्थिति का विषय है और धातु का अर्थ भी है। अतः विक्लित्ति पच् धात्वर्थ फल है। 'विक्लित्ति' कहते हैं—शिथिलीभाव को अथवा अवयवों के विशेषसंयोग विभाग को।

व्यापार—भावना[1] नामवाली साध्यरूप से कही जाने वाली क्रिया। मीमांसकों के मत में 'भावना' शब्द से जिसे कहा जाता है वही हम लोगों (वैयाकरणों) के

---

१ अभिदधाति=जनयति फलमित्याभिधा साध्यत्वेन धातुनाभिधीयत इति वाभिधा। तत्र प्रथमे 'आतश्चोपसर्गे' पा.सू. ३।१।१३६।)इति कर्त्तरि कः। द्वितीये—तेनैव सूत्रेण कर्मण्यण् प्रत्ययः तथा च भावनाभिधापदनामिका साध्यत्वेनाभिधीयमाना क्रिया व्यापार इत्यर्थः। 'भावनाभिधे'त्युक्तिस्तु व्यापारस्य धात्वर्थत्वेऽपि भावनादिनामकस्यार्थविशेषस्य आख्यातार्थत्वमेवेति भ्रमनिवारणार्था।

न च साध्यत्वेनाभिधाने मानाभावः; पचति, पाकः, करोति कृतिः—इत्यादौ धात्वर्थावगमाविशेषेऽपि क्रियान्तराकाङ्क्षानाकाङ्क्षयोर्दर्शनस्यैव मानत्वात् ।

तथा च क्रियान्तराकाङ्क्षानुत्थापकतावच्छेकरूपं साध्यत्वम् । तद्रूपवत्त्वमसत्त्वभूतत्वम् । एतदेवाऽदाय

असत्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते ।

इति वाक्यपदीयमिति द्रष्टव्यम् ।

मत में व्यापार है । संक्षेपतः साध्यत्वप्रकारकप्रतीतिविषय को क्रिया (व्यापार) कहते हैं । 'साध्य क्रिया' क्या है ? इस प्रसङ्ग में वाक्यदीयकार ने कहा है —

यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते ।
आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते ॥

अर्थात् चाहे 'अपाक्षीत्' इत्यादि भूतकालिक सिद्धा क्रिया हो अथवा 'पचति' 'पक्ष्यति'—इत्यादि वर्तमान, भविष्यत् कालिक असिद्धा क्रिया हो जो साध्यरूप से कही जा रही हो जिसमें क्रम का आश्रयण हो उसे क्रिया कहते हैं ।

हिन्दी—यदि कहें कि साध्यरूप से क्रिया की प्रतीति में कोई प्रमाण नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि पचति और पाकः में एक ही 'पच्' धातु है, 'करोति' और 'कृतिः' में भी एक ही 'कृ' धातु है, इन तिङन्त और कृदन्त-दोनों स्थानों में धातु एक होने से धात्वर्थ समान है फिर भी पाकः या कृतिः के कहने पर वाक्यार्थ बोधके लिये 'भवति' 'अभूत्' आदि क्रियान्तर की आकांक्षा होती है जब कि 'पचति' 'करोति' आदि कहने पर अर्थबोध के लिये किसी अन्य क्रिया की आकांक्षा नहीं होती है । इस प्रकार दोनों स्थानों में समान धात्वर्थ की प्रतीति होते हुये भी एक स्थान पर क्रियान्तर की आकांक्षा होना तथा दूसरी जगह पर क्रियान्तर की आकांक्षा न होना ही साध्य क्रिया के होने में प्रमाण है ।

---

१. आश्रितः=क्रमः—पौर्वापर्यं येन (रूपेण) तत्—आश्रितक्रमम्, तद्रूपं यस्याः सा आश्रितक्रमरूपा, तस्या भावस्तत्त्वात्=आश्रितक्रमरूपत्वात् । क्रिया रूपं हि—तदवयवा अधिश्रयणादयः, ते च क्रमश एवोत्पद्यन्ते । दर्पणादौ तु—क्रमशब्दमर्शं आद्यजन्तमाश्रित्य आश्रितं क्रमरूपं यस्यास्तत्त्वात् पूर्वापरीभूतावयकादित्यर्थः । तदीयाऽवयवानामधिश्रयणाद्यधःश्रयणपर्यन्तानां क्रमेणोत्पत्तेः क्रियापदेन सा उच्यते । यत्र च न क्रमिकावयवो व्यापारास्तत्र रूढिरेवादरणीया, पौर्वापर्यारोपो वा ।

अयञ्च व्यापारः फूत्कारत्वाधःसन्तापनत्वयत्नत्वादितत्तद्रूपेण वाच्यः, पचतीत्यादौ तत्तत्प्रकारकबोधस्यानुभवसिद्धत्वात् । न च नानार्थतापत्तिः, तदादिन्यायेन बुद्धिविशेषादेः शक्यतावच्छेदकानामनुगमकस्य सत्त्वात् । आख्याते क्रियैकत्वव्यवस्थाऽपि अवच्छेदकबुद्धिविशेषैक्यमादायैव । उक्तञ्च वाक्यपदीये—

[1]'गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनाम् ।
बुद्ध्या प्रकल्पिताऽभेदः, क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ इति ॥

साध्यत्व' का लक्षण किया है---क्रियान्तराकांक्षानुत्थापकतावच्छेदकरूपवत्त्वं साध्यत्वम् । अर्थात् जिसके कहने पर क्रियान्तर की आकांक्षा की उत्थापकता न रहे उसे साध्यक्रिया कहते हैं ।

'साध्यरूपत्व' को ही असत्त्वभूतत्व कहते हैं । इस प्रकार साध्यत्व और असत्त्वभूतत्व-ये दोनों पर्याय हैं । इसी अभिप्रायको वाक्यपदीयकार ने कहा है—

असत्त्वभूतो भावश्च तिङ्पदैरभिधीयते ।

अर्थात् असत्त्वभूत क्रिया तिङन्तपदों से कही जाती है । निरुक्तकार ने भी इसी प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन किया है । कहा है—भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि ।

हिन्दी---यह साध्यत्वेन प्रतीयमान व्यापार फूत्कारत्वाधःसन्तापनत्व---यत्नत्वादि तत्तद्रूप धातु वाच्य होता है; क्योंकि 'पचति' इत्यादि से फूत्कारत्वादिप्रकारक बोध अनुभव सिद्ध है ।

यदि यह कहें कि 'पचति' कहने से फूत्कारत्व अधःसन्तापनत्व आदि अनेक अर्थों की प्रतीति होती है तो धातु के नानार्थक होने की आपत्ति होगी—ऐसा कहना उचित न होगा, क्योंकि जैसे—तद्, यद् आदि के शक्य अर्थ घट, पट आदि नाना होते हैं; उन घट, पट आदि अर्थों के शक्यतावच्छेदक घटत्व-पटत्व-आदि भी नाना होते हैं; किन्तु उन शक्यतावच्छेदकों का अवच्छेदक बुद्धिविशेष एक होने से नानार्थक नहीं होते हैं । उसी प्रकार

---

१. गुणभूतः—क्रमजन्मनाम् = क्रमेण = पौर्वापर्य्येणोत्पत्तिमतां फूत्कारादिव्यापाराणां समूहो बुद्ध्या संकलनात्मैकत्वबुद्ध्या समूहालम्बनात्मिकया वा प्रकल्पितोऽभेदो यत्र समूहे स बुद्धिप्रकल्पितसमूह एव क्रिया । अभेदश्चावयवानाम् ।

धात्वर्थं निरूप्य तिङर्थमाह—

आश्रये त्विति—फलाश्रये, व्यापाराश्रये चेत्यर्थः। फलाश्रयः कर्म; व्यापाराश्रयः कर्त्ता। तत्र फलव्यापारयोर्धातुलभ्यत्वान्न तिङस्तदंशे शक्तिः, अन्यलभ्यत्वात्। शक्यतावच्छेदकं चाश्रयत्वं तत्तच्छक्तिविशेष-रूपमिति सुबर्थनिर्णये वक्ष्यते।

नन्वनयोराख्यातार्थत्वे किं मानम्? प्रतीतेः—लक्षणया; आक्षे-

'पच्' धातु के फूत्कार-अधःसन्तापन आदि अनेक अर्थ हैं उन अर्थों का शक्यतावच्छेदक घटत्व-पटत्व आदि भी अनेक है उन शक्यतावच्छेदको का अवच्छेदक बुद्धिविशेष एक रहता है। अतः धातु नानार्थक नहीं होता है।

यदि पच्यादि धातु का फूत्कारत्वादि नाना अर्थ होते तो 'आख्यातेनैका क्रिया प्रत्यायते' यह प्रशंसायाम् (५।३।६६) सूत्रस्थ भाष्य असङ्गत हो जायगा। यहाँ 'आख्यात' का अर्थ 'धातु' है।

उक्त आशंका का उत्तर आख्यात 'धातु' में क्रिया के एकत्व की व्यवस्था अवच्छेदक के बुद्धि विशेष की एकता को लेकर की जाती है। जैसे[२]—फूत्कारत्वादि निष्ठ जो शक्यतावच्छेदकता, उसका अवच्छेदक जो बुद्धिविशेष, उस बुद्धिविशेष में रहने वाला जो एकत्व, उसका आरोप क्रिया में करके क्रिया के एकत्व की व्यवस्था की जाती है। वाक्य-पदीय में कहा है—

गुणीभूत (तत्तद् रूप से भासमान) अवयवों के द्वारा क्रमशः उत्पन्न होने वाले फूत्कार आदि व्यापारों का समूह, जिसमें समूहालम्बनात्मक बुद्धि द्वारा अभेद की कल्पना की गई हो वह बुद्धिपरिकल्पित समूह ही क्रिया है।

हिन्दी—धात्वर्थ का निरूपण कर अब तिङर्थ को बताते है—आश्रये त्विति। अर्थात् आश्रय के वाचक तिङ होते हैं। आश्रय का तात्पर्य फलाश्रय और व्यापाराश्रय से है। फलाश्रय कर्म होता है और व्यापाराश्रय कर्त्ता होता है। यतः फल और व्यापार धातु का अर्थ है। अतः इन अर्थों में तिङ् की शक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि शब्द का अर्थ वही होता है, जो दूसरे शब्द से लब्ध न हो।

इस प्रकार फल और व्यापार धातु के अर्थ हैं, पहले कह चुके है तथा कर्त्ता और कर्म तिङ् के अर्थ होते हैं, यह बात—'आश्रये तु तिङः स्मृताः' इस वाक्य से सूचित होता है। यहाँ आश्रय में रहने वाला शक्यतावच्छेदक आश्रयत्व तत्तद्धर्म विशेषरूप होता है—यह बात आगे सुबर्थनिर्णय में कहेंगे।

पात्, प्रथमान्तपदाद्वा सम्भवादिति चेत्—अत्रोच्यते—'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः' (पा. सू. ३-४-६९) इति सूत्रमेव मानम्।

(हिन्दी) कर्त्ता, कर्म–तिङ के अर्थ हैं यह पहले कहा जा चुका है। उस बारे में यह पूछते हैं कि कर्ता कर्म तिङ्के अर्थ हैं इसमें क्या प्रमाण है? इसका उत्तर देते हुये ग्रन्थकार ने कहा है कि इसमें प्रतीति ही प्रमाण है, क्योंकि जब 'पच्' आदि धातुओं का तिङ् आदि, प्रत्ययों के साथ प्रयोग करते हैं तभी कर्त्ता, कर्म आदि की प्रतीति होती है, अन्यथा नहीं। इसलिये कर्त्ता, कर्म आदि आख्यात (तिङ्) के अर्थ हैं।

इसके आगे पुनः यह आशंका करते हैं कि धातु के साथ तिङ् के जुड़ने पर ही कर्त्ता, कर्म अर्थ की प्रतीति होती है—इसलिये तिङ् का अर्थ कर्त्ता, कर्म होता है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रतीति तो, शब्द का वह अर्थ न रहने पर भी अन्य कारणों से भी, सम्भव है। इन कारणों को क्रमशः इस प्रकार बताया गया है—

(१) लक्षणा के द्वारा।
(२) आक्षेप के द्वारा।
(३) समीपवर्त्ती प्रथमान्त पद के द्वारा।

(१) लक्षणा जैसे–'गङ्गायां घोषः' में 'गङ्गा' पद का शक्य अर्थ धारा प्रवाह है किन्तु लक्षणा के द्वारा 'तट' अर्थ कर लिया जाता है उसी प्रकार मीमांसक रीति से तिङ्पद का शक्य अर्थ भावना मानेंगे तथा कर्त्ता कर्म अर्थ की प्रतीति लक्षणा द्वारा कर लेंगे।

(२) आक्षेप—मीमांसकों के यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण माना जाता है।

वे कहते हैं—'येन विना यदनुपपन्नं तत्तेनाक्षिप्यते। अर्थात् जिसके विना जो कार्य अनुपपन्न होता है उस कारण की उस कार्य से कल्पना कर ली जाती है। जैसे—पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते" अर्थात् यह मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है। यतः शरीर का हृष्ट पुष्ट या स्थूल होना विना भोजन के सम्भव नहीं है। इसलिये रात्रि भोजन की कल्पना कर ली जाती है। इसी प्रकार मीमांसकों के मत में तिङ्का अर्थ भावना है वह विना आश्रय के नहीं रह सकती है। इसलिये तिङर्थ भावना से उसके आश्रय कर्त्ता, कर्म अर्थ का लाभ आक्षेप द्वारा कर लिया जायगा। इसलिये तिङ्का अर्थ कर्त्ता, कर्म है यह नहीं कहा जा सकता है।

(३) प्रथमान्त पद—'देवदत्तः पचति' 'तण्डुलः पच्यते' इत्यादि में देवदत्त, तण्डुल आदि प्रथमान्त पदों से कर्त्ता, कर्म अर्थ की प्रतीति होती है तब उसे तिङ्का अर्थ कैसे माना जा सकता है?

विशेष—इन तीनों उपायों के प्रथम पक्ष (लक्षणा) में अरुचि का कारण यह है कि यदि तिङ्का आश्रय अर्थात् कर्त्ता, कर्म में लक्षणा करेंगे तो भावना का बोध नहीं होगा।

अत्र हि चकारात् कर्त्तरि कृत् (पा. सू. ३-४-६७) इति सूत्रोक्तं 'कर्त्तरि' इत्युनुकृष्यते। बोधकतारूपां तिबादिशक्तिं तत्स्थानित्वेन कल्पिते लकारे प्रकल्प्य लकाराः कर्मणि कर्त्तरि चाऽनेन विधीयन्ते। नकार-विसर्गादिनिष्ठां कर्मकरणादिबोधकताशक्तिमादाय शसादिविधानवत्।

न च सूत्रे कर्तृकर्मपदे कर्तृत्व-कर्मत्वपरे। तथा च कर्तृत्वं कृतिः, कर्मत्वञ्च फलमेवार्थोऽस्त्विति शङ्क्यम्, फलव्यापारयोर्धातुलभ्यत्वेन लकारस्य पुनस्तत्र शक्तिकल्पनाऽयोगात्।

यदि तिङ्पद की भावना अर्थ में शक्ति मानेंगे तो कर्त्ता, कर्म अर्थ में लक्षणा न हो सकेगी क्योंकि युगपद्वृत्तिद्वय का विरोध होता है। इसलिये एक ही समग्र तिङ् पद की भावना अर्थ में शक्ति तथा कर्त्ता, कर्म अर्थ में लक्षणा नहीं मानी जा सकती है।

यदि यह कहें कि तिङ् पद की भावनाश्रय में लक्षणा करेंगे जिससे भावना और उसके आश्रय कर्त्ता, कर्म दोनों का लाभ केवल लक्षणा से हो जायगा। इसलिये एक साथ दो वृत्ति के आश्रयण की आपत्ति न होगी तो इसका उत्तर यह है कि भावनाश्रय में लक्षणा करने पर भावना विशेषण होने से अप्रधान हो जायगी जब कि भावनामुख्य-विशेष्यकबोध मीमांसकों को भी अभीष्ट है।

दूसरे (आक्षेप) वाले पक्ष में अरुचि का कारण यह है कि यदि आक्षेप द्वारा कर्त्ता, कर्म अर्थ का लाभ करेंगे तो विशेषणरूप से प्रतीत होने के कारण भावना अप्रधान हो जायगी और कर्त्ता कर्म अर्थ ही प्रधान हो जायेंगे जब कि भावना प्रधानक बोध मीमांसकों का सिद्धान्त है।

नैयायिकों के अनुसार यदि आक्षेप का अर्थ अनुमान मानेंगे तो उसके लिये व्याप्ति-ज्ञान आवश्यक होगा जबकि (पचति) इत्यादि में व्याप्तिज्ञान के विना ही आश्रय का ज्ञान सभी को हो जाता है। अतः तृतीय पक्ष की उद्भावना करते हैं—प्रथमान्तात्पदाद्वा। पूर्वोक्त प्रकार के पक्ष में कर्त्ता, कर्म अर्थ की प्रतीति तो तिङ्का वाच्य अर्थ न होने पर भी लक्षणा, आक्षेप अथवा प्रथमान्त पद के द्वारा सम्भव है तिङ्का अर्थ कर्त्ता, कर्म है, इसमें क्या प्रमाण है? इस आशङ्काके उत्तर में ग्रन्थकार पाणिनि का सूत्र उद्धृत करते हैं—लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः (पा. सू. ३-४-६९) यह सूत्र ही प्रमाण है।

हिन्दी—लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः (पा. सू. ३-४-६९) इस सूत्र में चकार के द्वारा कर्त्तरि कृत् (पा सू. ३-४-६७) सूत्र 'कर्त्तरि' पद की अनुवृत्ति आती है जिससे अर्थ होता है—लकार सकर्मक धातु से कर्त्ता कर्म अर्थ में होते हैं तथा अकर्मक धातु से भाव और कर्म अर्थ में होते हैं।

अथ दर्शनान्तरीयरीत्या व्यापारस्य धात्वर्थत्वाभावात् तत्र लकारविधिः स्यादिति चेत्? तर्हि कृतमपि कर्तृ-कर्मादिवाचित्वं न सिद्ध्येत्, 'कर्त्तरि कृत्' इति च लः कर्मणि च इत्यनेन तुल्ययोगक्षेमम्।

अपि च मीमांसकानां कृतामिवाख्यातानामपि कर्तृवाचित्वमस्तु; भावनाया एवाक्षेपेण कृदादिवत् प्रतीतिसम्भवे वाच्यत्वं मास्तु। तथा सति प्राधान्यं तस्या न स्यादिति चेन्न, घटमानयेत्यादावाक्षिप्तव्यक्तेरपि प्राधान्यवदुपपत्तेः।

सावित्री

यद्यपि लोक में वोध लकार से नहीं होता है अपितु 'पचति' इत्यादि के तिवादि से होता है तथापि स्थानी रूप से कल्पित लकार 'ल. कर्मणि०' (३-४-६९) इस सूत्र से कर्त्ता, कर्म अर्थ में विधान किये जाते हैं। जैसे—रामान्, रामैः के नकार, विसर्ग आदि में रहने वाली कर्म, करण आदि बोधकता शक्ति को लेकर शस् भिस् आदि का विधान किया जाता है उसी प्रकार 'पचति' इत्यादि के तिवादि में रहने वाली कर्त्ता, कर्म आदि शक्ति को लेकर उन्हीं अर्थों में लकारों का विधान किया गया है।

यदि यह कहें कि 'लः कर्मणि' इस सूत्र में स्थित कर्तृ-कर्म पद कर्त्ता और कर्म परक नहीं है अपितु कर्तृत्व कर्मत्व परक है। कार्तृत्व का अर्थ 'कृति' अर्थात् व्यापार है तथा कर्मत्व का अर्थ फल है ऐसी स्थिति में कर्त्ता, कर्म आख्यात (तिङ्) का अर्थ है यह कैसे माना जा सकता है?

उक्त शंका इसलिये उचित नहीं है कि जब फल और व्यापार, धातु के अर्थ होते हैं यह पहले कहा जा चुका है तब उन्हीं अर्थों में लकार विधान की कल्पना कैसे की जा सकती है क्योंकि नियम है—'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः। अर्थात् शब्द का अर्थ वह होता है जो अन्य से लभ्य न हो।

अच्छा, दर्शनान्तरीय अर्थात् मीमांसकों की रीति से व्यापार के धात्वर्थ न होने से उस (व्यापार) अर्थ में लकार माना जाय तो कोई आपत्ति न होगी क्योंकि मीमांसक लोग फलमात्र धात्वर्थ मानते हैं। इसका उत्तर देते हुये ग्रन्थकार का कहना है कि यदि तिङन्त स्थल में व्यापार अर्थ में लकार मानेंगे तो कृत्प्रत्ययों की भी कर्तृ-कर्म-आदि की वाचकता सिद्ध न हो सकेगी क्योंकि 'कर्त्तरि कृत्' इस सूत्र से 'लः कर्मणि' इस सूत्र में अनुवृत्त 'कर्त्तरि' पद का दोनों स्थानों पर समान अर्थ करना ही उचित होगा। यदि 'लः कर्मणि' इस सूत्र में 'कर्त्तरि' पद का कर्तृत्व अर्थात् व्यापार अर्थ है तो 'कर्त्तरि कृत्' इस

पचतीत्यादौ पाकं करोतीति भावनाया विवरणदर्शनाद्वाच्यत्वमिति चेन्न; पाकानुकूलव्यापारवतः कर्तुरपि विवरणविषयत्वाऽविशेषात्।

न च कर्त्तुर्विवरणं तात्पर्यार्थविवरणम्, पाकं करोतीत्यशब्दार्थकर्मत्वविवरणवद्, इतरेतरयोगद्वन्द्वे समुच्चयांशविवरणवद् वा न तदर्थनिर्णायकमिति वाच्यम्, भावनायामपि तुल्यत्वात्।

सावित्री

सूत्र में भी 'कर्त्तरि' पद का व्यापार अर्थ मानना होगा। ऐसा मानने पर कृत्प्रत्ययों की भी कर्तृ, कर्मादि वाचकता सिद्ध न हो सकेगी। इस प्रकार मीमांसकों का भी अभीष्ट सिद्ध न हो सकेगा जब कि मीमांसक भी कृत्प्रत्ययों का कर्त्ता कर्म आदि अर्थ मानते हैं।

इसके साथ ही मीमांसकों को चाहिये कि वे कृत्प्रत्ययों की भाँति आख्यात (तिङ्) को भी कर्त्ता का वाचक मान लें और जैसे कृत्प्रत्यय स्थल में भावना की आक्षेप से प्रतीति करते हैं वैसे ही तिङन्त स्थल में भी आक्षेप से ही भावना की प्रतीति करें। तिङ् का वाच्य अर्थ भावना न मानें। (तिङ् का वाच्य अर्थ कर्त्ता, कर्म ही माने)।

यदि मीमांसक यह कहें कि भावना का आक्षेप से लाभ मानने पर उसकी प्रधानता न रह जायगी ऐसा नहीं कह सकते है क्योंकि मीमांसक जाति में शक्ति मानते हैं और उससे आक्षिप्त व्यक्ति में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। 'घटमानय' इस वाक्य में घटत्व-जाति से आक्षिप्त घटव्यक्ति को प्रधान मानकर आनयन क्रिया करते हैं क्योंकि घटत्व जाति के अमूर्त्त होने से उसका आनयन सम्भव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीमांसक लोग जाति से आक्षिप्त व्यक्ति की प्रधानता मानते हैं तब तिङर्थ कर्त्ता से आक्षिप्त भावना की प्रधानता में कैसे सन्देह कर सकते हैं।

यदि मीमांसक यह कहें कि 'पचति' को 'पाकं करोति' ऐसा विवरण देखा जाता है। 'पच्' धातु का अर्थ 'पाक' रूप फल है, 'ति' का विवरण 'करोति' है। 'करोति' का भावना अर्थ सभी को मान्य है। इस प्रकार के विवरण से आख्यात का भावना अर्थ मानना उचित है।

इसके उत्तर में वैयाकरणों का कहना है कि जैसे—'पचति' का 'पाकं करोति' यह भावना प्रधान विवरण किया जाता है वैसे ही 'पाकानुकूलव्यापारवान् कर्त्ता! ऐसा कर्तृ-प्रधान विवरण भी देखा जाता है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कारण नहीं है भावना प्रधान विवरण देख कर तिङ्का भावना अर्थ माना जाय और कर्तृप्रधान विवरण देखकर कर्त्ता अर्थ न माना जाय।

किञ्च पचति देवदत्तः इत्यत्राऽभेदान्वयदर्शनात् तदनुरोधेन कर्त्तुर्वाच्यत्वमावश्यकम् पक्ता देवदत्तः इतिवत् । न चाऽभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकम्, तच्चात्र नास्तीति वाच्यम्, सोमेन यजेत स्तोकं पचति राजपुरुषः इत्यादावप्यभेदबोधाऽनापत्तेः ।

सावित्री

यदि यह कहें कि कर्त्ता का विवरण तो शब्दानुसारी विवरण नहीं है अपि तु तात्पर्यार्थ विवरण है । जैसे—'पचति' के 'पाकं करोति' विवरण में 'पच्' का अर्थ पाक रूप फल; 'ति' का अर्थ करोति' है पर 'पाकम्' में 'अम्' विभक्ति से अभिहित कर्मत्व किसी का अर्थ न होते हुये भी विवरण होता है, 'रामकृष्णौ' इस इतरेतरयोग द्वन्द्व का विवरण किया जाता है— रामश्च कृष्णश्चेति । यहाँ दो चकारों का समुच्चय किसी शब्द का अर्थ नहीं है फिर भी विवरण द्वारा बोध किया जाता है । इस प्रकार विवरण द्वारा जिसका बोध किया जाता है वह वहाँ शब्द का वाच्य अर्थ नहीं माना जा सकता है । इसलिये विवरण देखकर आख्यात का कर्त्ता अर्थ मानना उचित नहीं है ।

इस पर वैयाकरणों का कहना है कि यदि विवरण देखकर आख्यात का कर्त्ता अर्थ नहीं माना जा सकता है तो विवरण से आख्यात का भावना अर्थ भी नहीं माना नहीं जा सकता है । यदि आप (मीमांसक) कर्त्ता का विवरण तात्पर्यार्थ विवरण मानते हैं तो हम भावना का विवरण तात्पर्यार्थ विवरण मान सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त 'तिङ्' का अर्थ कर्त्ता है—इसमें यह भी यह भी कारण है कि जैसे ''पक्ता देवदत्तः'' इत्यादि के दोनों पदों में अभेदान्वय देखने से तृच् प्रत्यय का अर्थ कर्त्ता होता है वैसे 'पचति देवदत्तः' इन दोनों पदों में भी अभेदान्वय होने से तिङ् का अर्थ कर्त्ता मानना चाहिये ।

यदि आप (मीमांसक) कहें कि 'पक्ता देवदत्तः' इत्यादि पदों के अभेदान्वय बोध में समानविभक्ति होना नियामक है (दोनों पदों में प्रथमा एक वचन की 'सु' विभक्ति है) 'पचति देवदत्तः' में समान विभक्ति नहीं है । इसलिये यहाँ अभेद नहीं होगा । 'समान विभक्ति' का अर्थ समान आनुपूर्वी होना है । यहाँ 'देवदत्त' पद के उत्तर 'सु' विभक्ति है एवं 'पच्' धातु के उत्तर 'ति' विभक्ति होने से दोनों की आनुपूर्वी भिन्न है ।

इसके उत्तर में वैयाकरणों का कहना है कि यदि अभेद बोध में समान आनुपूर्वी को नियामक मानेंगे तो 'सोमेन यजेत' 'स्तोकं पचति' 'राजपुरुषः' इत्यादि में भी अभेदान्वय बोध न हो सकेगा क्यों कि यहाँ भी समान आनुपूर्वी नहीं है जब कि इन स्थलों पर आप मीमांसक लोग अभेदान्वय मानते हैं ।

न च लक्षणया कर्तुरुक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम्, पिङ्गाक्ष्यादियौगिकानामपि द्रव्यवाचित्वाऽनापत्तेः। एवं वैश्वदेवीत्यादितद्धितानामपि। अनेकमन्यपदार्थे (२-२-२४) 'साऽऽस्य देवता' (४-२-२३) इत्यनुशासनेन 'पिङ्गे अक्षिणी यस्याः' "विश्वे देवा देवता अस्याः" इति विग्रहदर्शनात् प्रधानषष्ठ्यर्थे एवाऽनुशासनलाभात्। तथा च "अरुणया पिङ्गाक्ष्यैकहायन्या सोमं क्रीणाति" इति वाक्ये द्रव्यानुक्तेरारुण्यस्य स्ववाक्योपात्तद्रव्ये एवाऽन्वयप्रतिपादकाऽरुणाधिकरणोच्छेदाऽऽपत्तिः। द्रव्यवाचकत्वसाधकमूलयुक्तेः सामानाधिकरण्यस्योपपत्तेरिति प्रपञ्चितं विस्तरेण वैयाकरणभूषणे।

सावित्री

मीमांसक लोग 'सोमेन यजेत' में सोम पद की सोमवान् में लक्षणा करके यज् धात्वर्थ याग के साथ अभेदान्वय करते हैं और याग का कारणतानिरूपक सम्बन्ध से तिङर्थ भावना में अन्वय करके 'सोमवदभिन्नयागेनेष्टं भावयेत्, ऐसा वाक्यार्थ बोध होता है। 'स्तोकं पचति' में स्तोक' पदार्थ का 'पच्' धात्वर्थ विक्लित्ति के साथ अभेदान्वय करके 'स्तोकाभिन्नविक्लित्तिः ऐसा वाक्यार्थबोध करते हैं। 'राजपुरुषः' में राज पद की राजस्वत्ववान् में लक्षणा करके उसका पुरुष पदार्थ में अभेद सम्बन्ध से अन्वय करके 'राजस्वत्ववदभिन्नः पुरुषः' ऐसा वाक्यार्थ बोध होता है।

यदि आप (मीमांसक) यह कहें क "पचति देवदत्तः" में 'ति' का कर्त्ता अर्थ में लक्षणा कर लेंगे जिससे दोनों पदों का सामानाधिकरण्य (समानार्थत्व) होने से अभेदान्वयबोध हो जायगा ऐसा कहना भी उचित न होगा क्योंकि ऐसा होने पर पिङ्गाक्ष्यादि यौगिक पदों का एवं 'वैश्वदेवी' इत्यादि तद्धितान्त पदों की द्रव्यवाचिता सिद्ध न हो सकेगी। क्योंकि अनेकमन्य पदार्थे (२-२-२४) साऽस्य देवता (४-२-२३) इत्यादि सूत्रों से विहित बहुव्रीहिसमास "पिङ्गे अक्षिणी यस्याः" "विश्वेदेवा देवता अस्या" इत्यादि विग्रह देखने से प्रधान षष्ठ्यर्थ सम्बन्ध का ही वाचक है न कि द्रव्य का। इस प्रकार पिङ्गाक्ष्यादि शब्दों का द्रव्यवाचित्व नहीं बन सकेगा जब कि आप मीमांसक लोग 'पिङ्गाक्षी' को द्रव्य का वाचक मानते हैं। इसी की सिद्धि के लिये आप मीमांसकों का अरुणाधिकरण प्रकरण है। यहाँ पर श्रुति उद्धृत करते हैं—"अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणति" अर्थात् अरुणरङ्गवाली पीली आँख वाली एक वर्ष वाली, गौ से सोम का क्रयण करते हैं। यतः अरुण गुण है इससे कोई क्रिया नहीं हो सकती है। अतः 'अरुणया क्रीणाति' ऐसी एकवाक्यता नहीं बन सकती है। इस कारण प्रस्तुत वाक्य में गृहीत पिङ्गाक्षी और एकहायनी जो कि द्रव्य (गौ) के वाचक हैं, के साथ आरुण्य गुण को सम्बद्ध कर 'क्रीणाति' क्रिया के साथ

तिङ्इति। बोधकतारूपा शक्तिस्तिङ्क्ष्वेव इत्यभिप्रेत्येदम्।

पदार्थं निरूप्य वाक्यार्थं निरूपयति—'फले' इत्यादि। विक्लि-त्यादि फलं प्रति। तिङर्थः = कर्तृ-कर्म-संख्या-कालाः। तत्र कर्तृकर्मणी फलव्यापारयोर्विशेषणे। संख्या कर्तृप्रत्यये कर्त्तरि, कर्मप्रत्यये कर्मणि, समानप्रत्ययोपात्तत्वात्।

सावित्री

अन्वय करते हैं। इस प्रकार 'आरुण्य' गुण का 'क्रीणाति' क्रिया के साथ अन्वय के लिये मीमांसकों का यह अरुणाधिकरणप्रकरण है। यदि 'पचति देवदत्तः' में तिङ् का कर्त्ता अर्थ में लक्षणा करके अभेदान्वय बन जाता तो आरुण्य गुण का भी तदाश्रय द्रव्य (गौ) में लक्षणा करके क्रीणति' क्रिया के साथ अन्वय बन जाता उसके लिये स्व-वाक्योपात्त-द्रव्य में अन्वय के प्रतिपादक इस 'अरुणाधिकरणप्रकरण' की क्या आवश्यकता थी?

अतः आप (मीमांसक) 'पचति देवदत्तः' इत्यादि में तिङ् की लक्षणा द्वारा कर्त्ता की सिद्धि कर 'देवदत्त' के साथ सामानाधिकरय उपपन्न कर अभेदान्वय नहीं कर सकते। अत एव तिङ् का वाच्य अर्थ कर्त्ता मानना ही उपयुक्त है। 'पिङ्गाक्षी' इत्यादि में द्रव्य-वाचकत्व की साधिका मूलयुक्ति सामानाधिकरण्य की उ.पत्ति है 'वैयाकरणभूषण' में उसका विस्तार से विवेचन है।

वोधकता रूप शक्ति तिङ्प्रत्ययों में ही रहती है लकारों में नहीं। इसी अभिप्राय से ग्रन्थ .ार ने मूल में कहा है—आश्रये तु तिङः स्मृताः।

पूर्वोक्त प्रकार से पदों का अर्थ निरुपण कर वाक्यार्थ का निरूपण करते हुये कहते हैं—"फले प्र नं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्" अर्थात् फल की अपेक्षा व्यापार प्रधान होता है क्योंकि फल व्यापार जन्य होता है। उस व्यापार में तिङर्थ विशेषण होते हैं। तिङ् के ४ अर्थ होते हैं—

(१) कर्त्ता।

(२) कर्म।

(३) संख्या।

(४) काल।

इसमें कर्त्ता व्यापार का तथा कर्म फल का विशेषण होता है। संख्या कर्तृप्रत्ययस्थल में कर्त्ता की तथा कर्मप्रत्यय स्थल में कर्म की विशेषण होती है—क्योंकि कर्त्ता अथवा कर्म तथा संख्या एक ही प्रत्यय से कहे जाते हैं अर्थात् 'पचति' के तिङ् से कर्त्ता और एकत्व संख्या तथा पच्यते' के 'ते' से कर्म और एकत्व संख्या का अभिधान किया जाता है।

तथा चाख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति आख्यातजन्यकर्तृ-कर्मोपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावः फलितः। नैयायिकादीनामाख्या-तार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्थ एवाऽन्वयाद् आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावो वाच्यः। सोऽपि 'चन्द्र इव मुखं दृश्यते' 'देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति' इत्यादौ चन्द्र-क्त्वार्थ-योराख्यातार्थाऽनन्वयाद् इतराऽविशेषणत्वघटित--इत्यतिगौरवम्।

इदमपि कर्तृकर्मणोराख्यातार्थत्वे मानमिति स्पष्टं बृहद्भूषणे।

तथा चाख्यातार्थसंख्याप्रकार बोधं प्रति आख्यातजन्य-कर्तृकर्मोपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावः फलितः। नैयायिकादीनाम् आख्यातार्थसंख्यायाः प्रथमान्तार्थ एवाऽन्वयादाख्यातार्थसंख्याप्रका-रकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावो वाच्यः सोऽपि 'चन्द्रइव मुखं दृश्यते ' देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति" इत्यादौ चन्द्र-क्त्वार्थयोराख्यातार्थाऽनन्वयाद् इतराऽविशेषणत्वघटित इत्यति-गौरवम्।

इदमपि कर्तृकर्मयोराख्यातार्थत्वे मानम् इति स्पष्टं बृहद्भूषणे।

सावित्री

वैयाकरणों के अनुसार आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध के प्रति आख्यात जन्यकर्त्ता कर्म की उपस्थितिकारण होती है--ऐसा कार्यकारणभाव फलित होता है। नैयायिकों की आख्यातार्थ संख्या का प्रथमान्तार्थ में ही अन्वय होने से आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध के प्रति प्रथमान्त पद जन्य उपस्थिति कारण होती है—ऐसा कार्यकारणभाव फलित होता है। किन्तु नैयायिकों का ऐसा कार्य कारणभाव मानने पर 'चन्द्र इव मुखं दृश्यते' 'देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति' इत्यादि वाक्यों में जहाँ एक से अधिक प्रथमान्त पद हैं वहाँ आख्यातार्थ संख्या प्रकारक बोध के प्रति किस प्रथमान्त पद की उपस्थिति कारण होती है-- यह निर्णय करने में कठिनाई होगी। चन्द्र इव मुखं दृश्यते में चन्द्र और मुख 'देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति' में देवदत्त, और भुक्त्वा ये दो-दो प्रथमान्त पद हैं।

इस प्रकार वैयाकरणों के मत से आख्यातार्थ संख्याप्रकारकबोध के प्रति आख्यात-

कालस्तु व्यापारे विशेषणम् । तथा हि—'वर्त्तमाने लट्' इत्यत्रा-ऽधिकाराद् धातोरिति लब्धम् । तच्च धात्वर्थं वदत् प्राधान्याद् व्यापारमेव ग्राहयतीति तत्रैव तदन्वयः । न च सङ्ख्यावत् कर्तृकर्मणोरेवाऽ-

---

सावित्री

जन्यकर्त्ता य कर्म की उपस्थिति कारण होती है— ऐसा कार्य-कारण-भाव बनता है। नैयायिकों के अनुसार आख्यातार्थ संख्या का प्रथमान्तार्थ में ही अन्वय होता है। इसलिये उनके अनुसार आख्यातार्थ संख्याप्रकारक बोध के प्रति प्रथमान्तपदजन्य उपस्थिति कारण होती है ऐसा कार्य कारण भाव बनेगा। किन्तु ऐसा कार्यकारण भाव मानने पर 'चन्द्र इव मुखं दृश्यते' 'देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति' इत्यादि वाक्यों में उक्त कार्यकारण भाव घटित नहीं होगा। क्योंकि 'चन्द्र इव मुखं दृश्यते' इस वाक्य में आख्यातार्थ एकत्व संख्या का 'मुखम्' पद प्रथमान्तार्थ के साथ अन्वय होता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जब प्रकृत वाक्य में 'चन्द्रः' और 'मुखम्' ये दो प्रथमान्त पद हैं तो क्या कारण है कि आख्यातार्थ संख्या का 'मुखम्' रूप प्रथमान्तार्थ के साथ अन्वय हो और देवदत्तः' रूप प्रथमान्तार्थके साथ अन्वय न हो। इसी भाँति 'देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति' इस वाक्य में आख्यातार्थ एकत्व संख्या का देवदत्तः' रूप प्रथमान्तार्थ में अन्वय होता है न कि भुक्त्वा' रूप प्रथमान्तार्थ में। यहाँ भी स्वाभाविक रूप से यही जिज्ञासा होती है कि जब 'देवदत्तः' और 'भुक्त्वा' दोनों प्रथमान्त पद हैं तो क्या कारण है कि आख्यातार्थ संख्या का देवदत्त के साथ अन्वय हो और भुक्त्वा का न हो।

उक्त दोषों के कारण के लिये नैयायिक यह समाधान दे सकते हैं कि हम आख्यातार्थ संख्या का उसी प्रथमान्तार्थ के साथ अन्वय करेंगे जो किसी अन्य में विशेषण न हो। चन्द्र इव मुखं दृश्यते' में 'चन्द्रः' प्रथमान्त होता हुआ 'इव' के अर्थ सादृश्य में विशेषण है। अतः आख्यातार्थ संख्या का 'चन्द्रः' इस प्रथमान्तार्थ के साथ अन्वय नहीं होगा। इसी प्रकार ' देवदत्तो भुक्त्वा व्रजति" इस वाक्य में भुक्त्वा यद्यपि प्रथमान्त है तथापि वह देवदत्त का विशेषण है। अतः उसके साथ भी आख्यातार्थ संख्या का अन्वय नहीं होता।

किन्तु इस प्रकार से दोष वारण के लिये नैयायिकों को यह कहना पड़ेगा कि ' आख्यातार्थसंख्याप्रकारकबोधं प्रति इतराऽऽविशेषणत्वघटितरूपप्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम्" जिसमें महान् गौरव होगा। जब कि वैयाकरणों को ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि उनके यहाँ जिस आख्यात का अर्थ संख्या होती है उसी आख्यात का अर्थ कर्त्ता, कर्म भी होते हैं। इसलिये उनके परस्पर अन्वय में कोई कठिनाई नहीं होगी।

इस प्रकार शाब्दबोध में वैयाकरणों की रीति से लाघव तथा नैयायिकों के अनुसार बोध में गौरव भी इस बात का प्रमाण है कि कर्त्ता और कर्म आख्यात के ही अर्थ होते हैं।

न्वयः शङ्क्यः, अतीतभावनाके कर्त्तरि पचतीत्यापत्तेः, अपाक्षीदित्यनापत्तेश्च । पाकानारम्भदशायां कर्तृसत्त्वे पक्ष्यतीत्यनापत्तेश्च । नापि फले तदन्वयः । फलाऽनुत्पत्तिदशायां व्यापारसत्त्वे पचतीत्यनापत्तेः पक्ष्यतीत्यापत्तेश्चेत्यवधेयम् ।

नापि फले तदनन्वयः, फलानुत्पत्तिदशायां व्यापारसत्त्वे पचतीत्यनापत्तेः; पक्ष्यतीत्यापत्तेश्चेत्यवधेयम् ।

न चाऽऽमवातजडीकृतकलेवरस्योत्थानानुकूलयत्नसत्त्वाद् उत्तिष्ठतीति प्रयोगाऽऽपत्तिः, परयत्नस्याज्ञानादप्रयोगात् । किञ्चिच्चेष्टादिना तदवगतौ च अयमुत्तिष्ठति, शक्त्यभावात् फलं तु न जायते, इति लोकप्रतीतेरिष्टत्वात् । एवञ्च तिङर्थो विशेषणमेव, भावनैव प्रधानम् ।

सावित्री

काल व्यापार में विशेषण होता है। यहाँ वर्त्तमाने लट् (३।२।१२३) इत्यादि सूत्रों मे 'धातोः' (३।१।९०) सूत्र का अधिकार आता है। वहाँ धातु का अर्थ बताते हुये साध होने के कारण व्यापार का ग्रहण होता है और उसी में काल विशेषण होता है। यद्यपि धातु के फल और व्यापार दोनों अर्थ होते है। कहा है--फलव्यापारयोः धातुः उसमें व्यापार प्रधान होता है। यथा--फले प्रधानं व्यापारः। अतः प्रधान होने से उसी व्यापार में काल का अन्वय होता है।

यदि यह कहे कि जैसे तिङर्थ संख्या का अन्वय कर्त्ता, कर्म में होता है उसी भाँति तिङर्थ काल का भी अन्वय कर्त्ता कर्म में ही हो जाय--ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि काल का अन्वय कर्त्ता में मानने पर ऐसी क्रिया जो बीत चुकी है उसमें भी कर्त्ता के विद्यमान रहने पर, 'पचति' ऐसा प्रयोग होने लगेगा, 'अपाक्षीत्' ऐसा (अभीष्ट) प्रयोग न बन सकेगा। इसी प्रकार पाक का आरम्भ न करने की दशा में भी कर्त्ता के विद्यमान होने से 'पचति' प्रयोग होने लगेगा, 'पक्ष्यति' यह अभीष्ट प्रयोग नहीं होगा।

फल में भी काल का अन्वय नहीं होगा। क्योंकि फल में काल का अन्वय स्वीकार करने पर व्यापार होने पर भी जब तक फल की उत्पत्ति नहीं हो जायगी 'पचति' ऐसा प्रयोग नहीं होगा, बल्कि पक्ष्यति' प्रयोग होने की आपत्ति होगी।

यदि कहें कि व्यापार में काल का अन्वय करने पर यह दोष होगा कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर आमवात के रोग से स्तब्ध हो गया है, उठ बैठ नहीं पाता है उसमें

यद्यपि प्रकृतिप्रत्यययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यमन्यत्र दृष्टं तथाऽपि "भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि" इति निरुक्ताद् भूवादिसूत्रस्थक्रियाप्राधान्यबोधकभाष्याच्च धात्वर्थभावनाप्राधान्यमध्यवसीयते ।

अपि च आख्यातार्थप्राधान्ये तस्य देवदत्तादिभिः सममभेदा-

सावित्री

उत्थानानुकूल यत्न रहने से उत्तिष्ठति' ऐसा (अनिष्ट) प्रयोग होने लगेगा। फल में काल का अन्वय मानने पर वह दोष नहीं होता है, क्योंकि उत्थानानुकूलयत्न होने पर भी उत्थान रूप फल न होनेसे उत्तिष्ठति' प्रयोग नहीं होगा।

किन्तु उक्त दोषका समाधान यह है कि अन्य की आत्मा में रहने वाली उत्थानानुकूल चेष्टा की जानकारी दूसरे को न होने से 'उत्तिष्ठति' प्रयोग नहीं होगा। यदि उसकी चेष्टा आदि से यह पता चले कि यह उठने की चेष्टा कर रहा है, किन्तु शक्ति के अभाव से उठ नहीं पा रहा है—ऐसे स्थलों पर 'अयमुत्तिष्ठति शक्त्यभावात् फलं तु न जायते' ऐसी लोक प्रतीति इष्ट ही है।

इस प्रकार तिङर्थ (कर्तृ, कर्म, संख्या, काल) विशेषण होता है भावना (व्यापार) ही प्रधान होती है।

यद्यपि "प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम्" इस नियम के अनुसार 'पचति' इत्यादि में तिङर्थ (संख्या, काल इत्यादि) प्रत्ययार्थ ही प्रधान होना चाहिये, भावना तो धातु का अर्थ अर्थात् प्रकृत्यर्थ होने से उसे प्रधान नहीं होना चाहिये तथापि 'भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि' अर्थात् आख्यात (तिङन्त) में भाव (क्रिया) प्रधान होता है तथा नामों के सत्त्व (द्रव्य) प्रधान होता है।

"अयमुत्तिष्ठति, शक्त्यभावात् फलं तु न जायते" ऐसी लोकप्रतीति इष्ट ही है।

इस प्रकार तिङर्थ (कर्तृ, कर्म, संख्या, काल) विशेषण होता है भावना ही प्रधान होती है।

यद्यपि प्रकृति और प्रत्यय के एक साथ अभिहित होने पर प्रत्ययार्थ की ही प्रधानता अन्यत्र देखी जाती है तथापि "भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि" अर्थात् आख्यात (तिङन्त) में भाव (क्रिया) प्रधान होता है तथा नाम में सत्त्व (द्रव्य) प्रधान होता है—

न्वयात् प्रथमान्तस्य प्राधान्यापत्तिः। तथा च 'पश्य, मृगो धावति' इत्यत्र भाष्यसिद्धैकवाक्यता न स्यात्, प्रथमान्तमृगस्य धावनक्रिया-विशेष्यस्य दृशिक्रियायां कर्मत्वापत्तौ द्वितीयाऽपत्तेः। न चैवं प्रथमा-समानाधिकरण्यात् शतृप्रसङ्गः, एवमपि द्वितीयायाः दुर्वारत्वेन 'पश्य मृगः' इत्यादिवाक्यस्यैवाऽसम्भवापत्तेः।

सावित्री

इस निरुक्त के अनुसार तथा 'भूवादयो [१]धातवः' (१।३।१) इस सूत्र के क्रियाप्राधान्यबोधक-भाष्य से धात्वर्थ भावना प्रधान होती है—ऐसा निश्चय किया जाता है।

आख्यातार्थ को प्रधान मानने पर उस आख्यातार्थ (तिङर्थ) कर्त्ता का देवदत्त आदि के साथ अभेदान्वय होगा; जिससे प्रथमान्तार्थ के प्रधान होने की आपत्ति होगी। प्रथमान्तार्थ के प्रधान होने पर 'पश्य, मृगो धावति' इस वाक्य के भाष्य के अनुसार एकवाक्यता नहीं होगी; क्योंकि वाक्य का लक्षण है—एकतिङ् वाक्यम्' अर्थात् एक तिङन्त पद का एक वाक्य होता है। यतः 'पश्य, मृगो धावति' में दो तिङन्त पद है—पश्य और धावति। अतः दो वाक्य बन जायेंगे—

(१) पश्य।

(२) मृगो धावति।

वैयाकरणों के अनुसार व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध होता है। एक वाक्य में एक ही मुख्य विशेष्य व्यापार होता है। 'पश्य, मृगो धावति' में यद्यपि धावन और दर्शन, दो क्रियायें है फिर भी धावन क्रिया दर्शन क्रिया में विशेषण हो जाती है; जिससे 'मृगाभिन्नैककर्तृकधावनानुकूलव्यापारकर्मकत्वत्कर्तृकदर्शनम्" ऐसा वाक्यार्थ बोध होता है।

यदि 'धावनानुकूलकृत्याश्रयमृगकर्मकदर्शनाश्रयस्त्वम्' ऐसा बोध करें तो नैयायिकों की रीति से भी एकवाक्यता हो जायगी—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथमान्त जो मृग है

१—इत्थं हि तत्र भाष्यम्—का तर्हीयं वाचो युक्तिः? पचति भवति, त्वं पचसि भवसि, पक्ष्यति भवतीति, सैषा वाचो युक्तिः—'पचादि क्रिया भवति क्रियायाः कर्त्र्यो भवन्ति" इति। तेन चाहत्यैव (कण्ठस्वरेणैव) पचाद्यर्थक्रियाकर्तृकभवनक्रियाया प्राधान्यं प्रतिपाद्यते—इति दर्पणकारः।

न च 'पश्य' इत्यत्र 'तम्' इति कर्माऽध्याहार्यम्, वाक्यभेदप्रसङ्गात्, उत्कटधावनक्रियाविशेषस्यैव दर्शनकर्मतयाऽन्वयस्य प्रतिपिपादयिषितत्वादध्याहारेऽनन्वयापत्तेश्च।

एवञ्च भावनाप्रकारकबोधे प्रथमान्तपदजन्योपस्थितिः कारणम्—इति नैयायिकोक्तं नाऽऽदरणीयम्। किन्तु आख्यातार्थकर्तृप्रकारकबोधे धातुजन्योपस्थितिर्भावनात्वावच्छिन्नविषयतया कारणमिति कार्यकारणभावो द्रष्टव्यः।

सावित्री

वह धावन क्रिया के प्रति विशेष्य है और 'दृश्' क्रिया का कर्म है, अतः कर्म होने से 'कर्मणि द्वितीया' (२।३।२) से उसमें द्वितीया होने लगेगी।

इस पर नैयायिक यदि यह कहें कि उक्त रीति से यदि 'मृग' कर्म हो जायगा और 'धावति' के तिङ् का अर्थ कर्त्ता होगा तो 'धाव्' धातु से कर्त्ता अर्थ में लट् लकार आते ही प्रथमार्थ से भिन्नार्थक होने के कारण लट्लकार के स्थान में 'तिप्' प्रत्यय न होकर "लटः शतृशानचावप्रथमाऽसमानाधिकरणे" (३।२।१२४) सूत्र से शतृ प्रत्यय होने लगेगा? इसका उत्तर है कि शतृ' प्रत्यय होने पर भी 'मृग' शब्द से द्वितीया दुर्वार होगी। ऐसी स्थिति में "पश्य, मृगः" यह वाक्य ही असम्भव हो जायगा। 'धावन्त मृगं पश्य' ऐसा वाक्य होने लगेगा)।

यदि कहें कि 'पश्य' क्रिया के साथ 'तम्' का अध्याहार कर लेंगे जिससे 'मृग' पद से द्वितीया होने की आपत्ति न होगी, 'तम्' का अध्याहार करने पर वाक्य भेद होकर दो वाक्य हो जायगा—

१. मृगो धावति।
२. तम् पश्य।

उक्त प्रकार से वाक्यभेद होने पर दर्शन क्रिया का कर्म 'मृग' हो जायगा जब कि उत्कटधावन क्रिया को ही दर्शन क्रिया का कर्म होना अभीष्ट है। तत्पद का अध्याहार करने पर उससे 'मृग' रूप अर्थ का परामर्श होगा। ऐसा होने पर धावनक्रिया का दर्शन क्रिया में कर्म रूप से अन्वय न होगा अपि तु मृग का ही कर्म रूप से अन्वय होने लगेगा जो अनिष्ट होगा।

इस प्रकार भावना प्रकारक बोध के प्रति प्रथमान्तपद से जन्य उपस्थिति कारण होती है—ऐसा नैयायिकों का मत आदरणीय नहीं है अपि तु आख्यातार्थ कर्तृप्रकारकबोध के

भावनाप्रकारकबोधं प्रति तु वृत्तिजन्योपस्थितिवद् धात्वर्थभावनोपस्थितिरपि हेतुः, पश्य; मृगो धावति। 'भवति पचति' इत्याद्यनुरोधाद् इति दिक्।

इत्थञ्च 'पचति' इत्यत्रैकाश्रयिका पाकानुकूला भावना, 'पच्यते' इत्यत्रैकाश्रयिका या विक्लित्तिस्तदनुकूला भावनेति बोधः। देवदत्तादिपदप्रयोगे तु आख्यातार्थकर्त्रादिभिस्तदर्थस्याऽभेदान्वयः।

सावित्री

प्रति धातुजन्य भावना की उपस्थिति कारण होती है—ऐसा कार्यकारणभाव मानना चाहिये।

कृदन्त स्थलों में भावना प्रकारक बोध के प्रति कृत्प्रत्यय जन्य कर्त्ता आदि की उपस्थिति कारण हुआ करती है, क्योंकि 'पश्य मृगो धावति' 'पचति भवति' इत्यादि वाक्य में भाष्यप्रयुक्त होने के कारण वैयाकरणों को भी इष्ट है, इन स्थलों में भावना प्रकारक बोध मानना पड़ता है। 'पश्य मृगो धावति' में मृगकर्तृकधावनकर्मकत्वत्कर्तृकदर्शन ऐसा शाब्दबोध होता है। यहाँ 'धाव्' धातु-जन्य-भावना प्रकार है तथा दृश् धातुजन्य-भावना विशेष्य है। इसी प्रकार 'पचति भवति' में 'पाककर्तृक भावना' ऐसा शाब्दबोध होता है। इसमें 'पच्' धातु जन्य भावना प्रकार तथा 'भू' धातुजन्य भावना विशेष्य है।

इस प्रकार 'पचति' में एक आश्रय वाली पाकानुकूला भावना ऐसा बोध होता है. 'पच्यते' यहाँ पर एक आश्रयवाली जो विक्लित्ति, तदनुकूला भावना-ऐसा वाक्यबोध होता है। जब पचति' आदि के साथ देवदत्त आदि पदों का प्रयोग होता है तो आख्यातार्थ कर्त्ता के साथ अभेद होकर अन्वय होता है।

घटो नश्यति' यहाँ पर भी 'घटाभिन्नाश्रयकनाशानुकूलव्यापार' ऐसा शाब्दबोध होता है। वह व्यापार कैसा होता है? इसके उत्तर में कहा है—"स च व्यापारः प्रतियोगित्वविशिष्ट-नाशसामग्री-समवधानम्।" अर्थात् वह व्यापार प्रतियोगित्वविशिष्ट-नाशसामग्री की विद्यमानता है। कहना यह है कि जिसका अभाव कहना अभीष्ट होता है वही प्रतियोगी होता है। जैसे—घटाभाव का प्रतियोगी घट' है। यतः घट में प्रहार आदि के विना उसका विनाश सम्भव नहीं है अतः घट में प्रहार आदि ही 'नाश्' धातु का व्यापार है।

'घटो नश्यति' इत्यत्र घटाऽभिन्नाऽऽश्रयको नाशानुकूलो व्यापार इति बोधः। स च व्यापारः प्रतियोगित्वविशिष्टनाशसामग्री-समवधानम्। अत एव तस्यां सत्यां नश्यति, तदत्यये 'नष्टः', तद्भावित्वे नङ्क्ष्यतीति प्रयोगः। देवदत्तो जानाति इच्छतीत्यादौ च

सावित्री

उस व्यापार की विद्यमानता ही नाश सामग्री है। इसलिये उस सामग्री के विद्यमान रहने पर 'नश्यति', उसके भूतकालिक स्थिति में 'नष्ट' तथा भविष्यत्काल की स्थिति में नङ्क्ष्यति प्रयोग होता है।

देवदत्तो जानाति इच्छति' इत्यादि में भी देवदत्त से अभिन्न आश्रयवाला ज्ञान, या इच्छा के अनुकूल वर्त्तमान कालिक व्यापार ऐसा बोध होता है। वह व्यापार अन्ततः आश्रयताश्रय ही होता है। यद्यपि जानाति इच्छति इत्यादि में फल के पृथक् किसी प्रकार के व्यापार की प्रतीति नहीं होती है तथापि जो अस्ति, भवति आदि में मात्र सत्ता की प्रतीति होती है वैसे ही यहाँ ज्ञान और इच्छा के आश्रय मात्र आत्मा का बोध होता है।

पूर्वपक्षी की यह आशंका है कि 'नश्यति' का अर्थ होता है 'नाश' रूप फल होना। ऐसे स्थलों पर व्यापार की पृथक् प्रतीति नहीं होती है। तब वैयाकरणों के इस सिद्धान्त को कैसे स्वीकार किया जाय कि सभी धातुओं का फल और व्यापार दोनों अर्थ होता है? इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है—

'घटो नश्यति' -यहाँ पर भी "घट से अभिन्न आश्रय वाला नाश के अनुकूल-व्यापार" ऐसा व्यापार का बोध होता है। वह व्यापार प्रतियोगित्व विशिष्टनाश सामग्री की विद्यमानता स्वरूप है। प्रतियोगी वह होता है जिसका अभाव या नाश कहा जाय। कहा है—'यस्याभावः स प्रतियोगी'। इस प्रकार घटाभाव या घट नाश का प्रतियोगी घट हुआ। प्रतियोगित्वविशिष्टनाश सामग्री है—'घट' पर दण्ड आदि से प्रहार उस प्रहार, की विद्यमानता ही व्यापार है। उस प्रहार रूप व्यापार के वर्त्तमान रहने पर 'नश्यति' प्रयोग होता है, उस व्यापार के पूर्ण हो जाने पर नष्ट प्रयोग होता है तथा जब नाश का व्यापार भविष्य में होने वाला हो तो 'नङ्क्ष्यति' प्रयोग होता है।

पूर्वपक्षी की यह भी आशंका है 'स इच्छति' 'स जानाति' इत्यादि में ज्ञान और इच्छा रूप व्यापार की प्रतीति तो होती है किन्तु व्यापार की कुछ भी प्रतीति नहीं होती है। इसलिये सभी धातुओंका फल और व्यापार दोनों कैसे माना जाय, इसके उत्तर में ग्रन्थकार का आशय है—ज्ञान इच्छा आदि यद्यपि आत्मा के गुण हैं और वे समवाय सम्बन्ध से

देवदत्ताभिन्नाश्रयको ज्ञानेच्छाद्यनुकूलो वर्त्तमानो व्यापार इति बोधः। स चान्तत आश्रयतैवेति रीत्योह्यम्॥ २॥

नन्वाख्यातस्य कर्तृकर्मशक्तत्वे पचति इत्यत्रोभयबोधापत्तिः, कर्तृमात्रबोधवत् कर्ममात्रस्यापि बोधापत्तिरित्यतस्तात्पर्यग्राहकमाह—

फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्-यक्-चिणादयः।
व्यापारे शपश्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम्॥३॥

तङादयः फले आश्रयान्वयं द्योतयन्ति। फलाऽन्वयाश्रयस्य कर्मत्वाद् तद्द्योतकाः कर्मद्योतकाः, व्यापाराऽन्वयाश्रयस्य कर्तृत्वात् तद्द्योतकाः कर्तृद्योतका इति समुदायार्थः। द्योतयन्ति—तात्पर्य ग्राहयन्ति।

सावित्री

आत्मा में रहते हैं तथापि 'देवदत्तो जानाति' इच्छति—इत्यादि में देवदत्त से अभिन्न आश्रय वाला ज्ञान या इच्छा के अनुकूल व्यापार—ऐसा शाब्दबोध होता है। इसलिये यहाँ व्यापार की प्रतीत नहीं होती है—ऐसा नहीं कह सकते हैं। अन्त ो गत्वा वह व्यापार आत्मा में ज्ञान और इच्छा की आश्रयता ही है।

ऐसे स्थलों पर "आत्ममनःसयोगः व्यापारः" अर्थात् आत्मा और मन का सयोग ही व्यापार है; क्योंकि जब तक आत्मा और मनः का संयोग न हो, तब तक ज्ञान इच्छा आदि फलों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है॥ २॥

अब यहाँ यह आशंका होती है कि यदि आख्यात अर्थात् तिङ् कर्त्ता, कर्म—उभय का वाचक है तो पचति' यहाँ पर कर्त्ता और कर्म दोनों का बोध क्यों नहीं होता है? केवल कर्त्ता का बोध क्यों होता है? इसका उत्तर देते हुये ग्रन्थकार अग्रिम कारिका उपस्थित करते हैं।

फल और व्यापार के मध्य—तङ् यक्, चिण्—आदि प्रत्यय फल के आश्रय में अन्वय द्योतित करते हैं, शप् श्नम् आदि व्यापार के आश्रय में अन्वय सूचित करते हैं।

नन्वेवं 'क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः' इत्यादौ 'पच्यते ओदनः स्वयमेव' इत्यादौ च व्यभिचारः। कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां कर्त्तरि लकारे सति "कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः" (३-१-८७) इत्यतिदेशेन यगात्मनेपदचिण्वदिटामतिदेशाद् यगादिसत्त्वेऽपि कर्त्तुरेव बोधाद्, व्यापारे एवाऽऽश्रयान्वयाच्च। 'अबोधि' इत्यत्रापि बुध्यतेः कर्त्तरि लुङ्। तस्य 'दीपजनः' (३-१-६८ इति चिण्, 'चिणो लुक्' (६-४-१०४) इति तस्य लुगिति साधनादित्याशङ्कायामाह—

सावित्री

तङादि प्रत्यय फल के आश्रय में अन्वय द्योतित फलाश्रय कर्म होता है। यहाँ तङादिप्रत्यय से कर्मवाच्य और भाववाच्य में यगादिसमभिव्याहृत तङ् का ही ग्रहण होता है; 'एधते' इत्यादि में आत्मनेपद धातु के तङ् का ग्रहण करना चाहिये।

फल के आश्रय के कर्म होने से तङादि प्रत्यय कर्म के द्योतक हैं, व्यापार के आश्रय के कर्त्ता होने से शप्, श्नम् आदि कर्त्ता के द्योतक हैं। 'द्योतयन्ति' अर्थात् द्योतन करते हैं का अर्थ है तात्पर्यग्रहण कराते हैं ।। ३ ।।

अब यहाँ प्रश्न होता है कि आपने कहा है कि तिङ्, यक्, चिण्–प्रत्ययों के द्वारा कर्म का द्योतन है; किन्तु 'क्रमादमु नारद इत्यबोधि सः' यहाँ पर अबोधि' में 'चिण्' प्रत्यय हुआ है पर वह कर्त्ता अर्थ में है। इसी प्रकार "पच्यते ओदनः स्वयमेव" इस वाक्य के 'पच्यते' में 'तङ्' प्रत्यय है वह भी कर्त्ता अर्थ में है, इसलिये यह बात कैसे मानी जाय कि तङादि प्रत्यय कर्म के द्योतक हैं।

यहाँ पर 'पच्यते' कर्म में कर्तृत्व की विवक्षा कर कर्त्ता अर्थ में लकार विधानकर 'कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः' (३-१-८७) इस सूत्र से कर्मवद्भाव का अतिदेश कर यगादि होने पर भी कर्त्ता का ही बोध होता है और व्यापाराश्रय अर्थात् कर्त्ता में ही अन्वय बोध होता है। अबोधि' यहाँ पर 'बुध्' (अवगमने) धातु से कर्त्ता अर्थ में लुङ् लकार हुआ है। यहाँ दीप-जन-बुध०" (३-१-६८) सूत्र से 'च्लि' को चिण् होकर 'चिणो लुक्' (६-४ १०४) से त' प्रत्यय का लुक् होकर 'अबोधि' बना है।

इस प्रकार 'अबोधि' और 'पच्यते' में क्रमश चिण् और तङ् होने पर भी कर्त्ता का

उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात्।
तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम् ॥४॥

एवं सूचीकटाहन्यायेन सोपपत्तिकं वाक्यार्थमुपवर्ण्य फल-व्यापारयोरिति प्रतिज्ञातं धातोर्व्यापारवाचित्वं-लडाद्यन्ते भावनाया अवाच्यत्वं वदतः प्राभाकरादीन् प्रति व्यवस्थापयति—

सावित्री

ही द्योतन होता है कर्म का नहीं। इससे पूर्व का कथन असङ्गत हो रहा है, इस आशङ्का को उत्तर अग्रिम कारिका में उपस्थित करते हैं।

तङ् यक, चिण् आदि कर्म के द्योतक होते हैं तथा शप् श्नम् आदि कर्ता के द्योतक होते हैं—यह एक सामान्य नियम है, क्योंकि 'अबोधि' 'पच्यते' इत्यादि पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों में इसका अपवाद देखा जाता है। अतः इस नियम की व्याकरणशास्त्र के अनुसार व्यवस्था करनी चाहिये।

कर्मकर्तृविषयादौ—'पच्यते ओदनः स्वयमेव' इत्यादौ। अत्र हि 'एकौदनाभिन्नाश्रयकः पाकानुकूलो व्यापारः'' इतिबोधः। क्रमादिति। आदिपदग्राह्यम्। अत्र सामान्य-विशेषज्ञानपूर्वक एकनारदविषयकज्ञानानुकूलः कृष्णाभिन्नाश्रयकोऽतीतो व्यापारः इति बोधः। यथोचितमिति—सकर्मकधातुसमभिव्याहृत-भावसाधारणविधि-विधेय-चिण्-यगादि कर्मद्योतकमिति भावः ॥ ४ ॥

कर्तृकर्मविषयक का उदाहरण है—पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्यादि। यहाँ पर एकत्व संख्या वाले ओदन से अभिन्न आश्रयवाला पाकानुकूल व्यापार—ऐसा बोध होता है। (कर्तृकर्मविषयादौ) में आदि पद से॥ क्रपारदमु नारद इत्यवोधि सः। इसको समझना चाहिये। यहाँ सामान्य विशेषज्ञानपूर्वक एकनारदविषयक ज्ञानानुकूल कृष्ण से अभिन्न आश्रय में रहनेवाला भूतकालिक व्यापार ऐसा बोध होता है। 'यथोचितम्' का अर्थ है कि साधारणभाव प्रक्रिया में विहित चिण्, यक् आदि कर्म के द्योतक होते हैं॥४॥

इस प्रकार सूचीकटाहन्याय' से 'फल और व्यापार' का वाचक धातु होता है, 'तिङ्' 'आश्रय' अर्थात् कर्त्ता कर्म का वाचक होता है—इस प्रकार के वाक्यार्थ को सामान्यतः पहले वर्णन कर दिया। फल और व्यापार का वाचक धातु कैसे होता है? इन प्रश्नों को अनेक शङ्कासमाधानों से ग्रस्त होने के कारण कटाह की भाँति बहुश्रमसाध्य समझकर पहले छोड़ दिया। अब आगे उस प्रश्न को उठाते हुए कहते हैं—प्रभाकर आदि मीमांसक फल-मात्र धात्वर्थ मानते हैं व्यापार को धातु का वाचक नहीं मानते हैं जबकि ग्रन्थकार ने

व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया।
कृञोऽकर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते ॥ ५ ॥

पचति = पाकमुत्पादयति, पाकानुकूला भावना, तादृश्युत्पादनेति विवरणाद् विव्रियमाणस्यापि तद्वाचकतेति भावः। व्यापारपदञ्च फूत्कारादीनामयत्नानामपि फूत्कारत्वादिरूपेण वाच्यतां ध्वनयितुमुक्तम्। अत एव 'पचती' त्यत्र अधःसन्तापनत्वफूत्कारत्वचुल्ल्युपरिधारणत्वयत्नत्वादिभिर्बोधः सर्वसिद्धः।

न चैवमेषां शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवापत्त्या कृतित्वमेव तदवच्छेदकं वाच्यम्; 'रथो गच्छति'; 'जानाति' इत्यादौ च व्यापारादि-

---

सावित्री

"फलव्यापारयोर्धातुः" अर्थात् 'फल और व्यापार' का वाचक धातु होता है ऐसी प्रतिज्ञा की है। इसलिये उन मीमांसकों के लिये अग्रिम कारिका प्रस्तुत करते हैं।

धात्वर्थ जो व्यापार है वही उत्पादना है, वही क्रिया है। यहाँ अनेक पर्याय देने का अभिप्राय यह है कि यहाँ व्यापार पद से चेतन, अचेतन उभयविध साधारण व्यापार का ग्रहण होता है। यदि धातु का फल मात्र अर्थ मानेंगे तो 'कृञ्' धातु का 'यत्न' अर्थ मानना पड़ेगा। जिससे 'कृञ्' धातु को अकर्मक होने की आपत्ति होगी)

धातु का अर्थ फल के अतिरिक्त व्यापार भी होता है—यह वैयाकरणों का सिद्धान्त है। इस उपक्रम में यह कहना है कि विव्रियमाण अर्थात् जिसका विवरण हो रहा हो वह और विवरण को समानार्थक होना चाहिये, यह नियम है। 'पचति' का विवरण किया जाता है—'पाकमुत्पादयति' अर्थात् पाक को उत्पन्न करता है। 'पाकानुकूला भावना' अथवा पाकानुकूला उत्पादना—इत्यादि विवरण होता है। व्यापारार्थक इन विवरणों से ही स्पष्ट है कि धातु का अर्थ व्यापार भी होता है। यहाँ पर व्यापार पद का ग्रहण इसलिये किया गया है कि 'कृति' पद वाच्य जो प्रयत्न अर्थात् चेतन का व्यापार है उससे भिन्न जो अचेतन का व्यापार है, उन चेतन अचेतन साधारण यत्न फूत्कार आदि का ग्रहण व्यापार पद से होता है – यह सूचित करने के लिये है। इसीलिये 'पचति' कहने से अधः सन्तापनत्व, फूत्कारत्वचुल्ल्युपरिधरणात्व-यत्नत्वादि का बोध सभी को समान रूप से होता है।

यदि यह कहा जाय कि 'पच्' धातु का यदि फूत्कार-अधःसन्तापन आदि अर्थ माना जाय तो शक्य अर्थ अनेक हो जायेंगे तथा फूत्कारत्व अधः सन्तापनत्व आदि

प्रकारकबोधो लक्षणयेति नैयायिकरीतिः साध्वी, शक्यतावच्छेदकस्यापि लक्ष्यतावच्छेदकत्ववद् गुरुणि सम्भवात्, तयोर्वैषम्ये बीजाभावात् ।

न च 'पचति'—पाकं करोति-इति यत्नार्थककरोतिना विवरणाद् यत्न एवाऽर्थं वाच्यम्, 'रथो गमनं करोति' "बीजादिनाऽङ्कुरः कृतः" इति दर्शनात् कृञो यत्नार्थकताया असिद्धेः ।

सावित्री

शक्यतावच्छेदक भी अनेक होंगे जिससे गौरव होगा। उसकी अपेक्षा यदि नैयायिकों की रीति से धातु का शक्य अर्थ 'कृति' माना जाय तो शक्यतावच्छेदक 'कृतित्व' होगा जो एक होगा। इस प्रकार शक्यतावच्छेदक एक होने से इस पक्ष में लाघव होगा।

यह कहें कि यदि धातु का अर्थ 'कृति' मानेंगे तो 'रथो गच्छति' 'चक्षुर्जानाति' इत्यादि व्यवहार अनुपपन्न हो जायेंगे क्योंकि 'कृति' चेतन के व्यापार को कहते है जबकि रथ, चक्षु आदि अचेतन हैं। धातु का अर्थ चेतन का व्यापार मानने पर इन अचेतनों के व्यापार का धातु से अभिधान न हो सकेगा जिससे 'रथो गच्छति, आदि वाक्य न बन सकेंगे।

इस आक्षेप के ऊपर नैयायिक यह कहते हैं कि धातु का शक्य अर्थ 'कृति' मानने पर भी कोई दोष न होगा क्योकि धात्वर्थ 'कृति' की व्यापार में लक्षणा कर लेंगे। व्यापार से चेतन अचेतन सभी के व्यापार गृहीत हो जायेंगे जिससे "रथो गच्छति" इत्यादि प्रयोग बन जायेंगे। इस प्रकार हमारे (नैयायिकों के) मत में कोई दोष न होगा।

इसके ऊपर वैयाकरणों का कहना है कि आप धातु का अर्थ 'कृति' मानकर व्यापार में लक्षणा करेंगे तो भिन्न-भिन्न धातुओं में लक्ष्यतावच्छेदक भी अनेक हो जायेंगे। 'पच्' धातु की लक्षणा व्यापार में होगी और उसका लक्ष्यतावच्छेदक व्यापारत्व होगा. 'इच्छति' में 'इष्' धातु की लक्षणा आश्रय में होगी और लक्ष्यतावच्छेदक आश्रयत्व होगा, 'घटो नश्यति' में 'नश्' धातु की लक्षणा प्रतियोगी में होगी तथा लक्ष्यतावच्छेदक प्रतियोगित्व होगा। इस प्रकार लक्ष्यतावच्छेदक भी अनेक हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में वैयाकरणों का शक्यतावच्छेदक अनेक होने से उनका मत गौरवग्रस्त माना जाय और नैयायिकों का लक्ष्यतावच्छेदक अनेक होने पर भी गौरव दोष से युक्त न माना जाय-इसके पीछे कोई युक्ति नहीं है। इसलिये वैयाकरणों के मत में कोई दोष नही है।

यदि यह कहें कि 'पचति' का विवरण किया जाता है—'पाकं करोति'। यहाँ 'कृ' धातु यत्नार्थक है। यतः यहाँ विवरण यत्नार्थक 'कृ' धातु से किया जाता है, अतः धातु का अर्थ

किञ्च भावनाया अवाच्यत्वे 'घटं भावयती' त्यत्रेव 'घटो भवती' त्यत्रापि द्वितीया स्यात्। न चात्र घटस्य कर्तृत्वेन तत्संज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधान्न द्वितीयेति वाच्यम्, अनुगतकर्तृत्वस्य त्वन्मते दुर्वचत्वेन घटस्याऽकर्तृत्वात्। कृत्याश्रयत्वस्य कारकचक्रप्रयोक्तृत्वस्य वा घटादावभावात्।

सावित्री

'यत्न' माना जाय-ऐसा कहना उचित नही होगा क्योंकि 'यत्न' चेतन में ही रहता है अचेतन में नही। धातु का अर्थ 'यत्न' मानने पर 'रथो गमनं करोति' 'बीजादिनाऽङ्कुरः कृतः' इत्यादि प्रयोग नही बन सकेंगे क्योंकि रथ और बीज अचेतन हैं।

यदि आप केवल 'फल' को धातु का अर्थ मानेंगे. व्यापार को नही तो कर्म की परिभाषा होगी—'"फलाश्रयत्वं कर्मत्वम्'' अर्थात् फल का जो आश्रय है वही कर्म है। ऐसा मानने पर जैसे 'घटं भावयति' में उत्पत्ति रूप फल का आश्रय 'घट' होने से 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति होती है वैसे ही 'घटो भवति' यहाँ पर भी उत्पत्ति रुप फल का आश्रय होने से घट की कर्म संज्ञा होकर 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति होने लगेगी जो सर्वथा अनुभव विरुद्ध होगी। हमारे यहाँ धातु का अर्थ फल के अतिरिक्त व्यापार भी होता है। 'घटो भवति' का घट जैसे—उत्पत्ति रूप फल का आश्रय होने से कर्मसंज्ञक है वैसे ही उत्पत्त्यनुकूल व्यापार का आश्रय होने से कर्तृसंज्ञक भी है क्योंकि कर्त्ता का लक्षण है— व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्। इस 'घट' की कर्तृ संज्ञा और कर्म संज्ञा, दोनों संज्ञायें प्राप्त होगी किन्तु 'कर्तृ'' संज्ञा के पर होने से कर्म संज्ञा का बाध हो जायगा जिससे घट की कर्मसंज्ञा न होगी और द्वितीया होने की आपत्ति न होगी।

आप तो ऐसा कह नही सकते हैं कि पर होने से 'कर्तृ' संज्ञा से कर्मसंज्ञा का बाध हो जायगा क्योंकि आप के मत में चेतन अचेतन उभय में रहने वाला कर्तृत्व उपपन्न नहीं हो पायेगा। कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वम्' ऐसी परिभाषा नही कर सकते है क्योंकि 'कृति' अचेतन घट आदि में नहीं रहती है। यदि कहें कि 'कारकचक्रप्रयोक्तृत्वं कर्तृत्वम्'' अर्थात् कारक समूह का जो प्रयोजक है वह कर्त्ता है इसके अनुसार भी घट आदि अचेतन का कर्तृत्व सिद्ध नही किया जा सकता है क्योंकि प्रयोजकत्व धर्म भी चेतन में ही रहता है।

यदि ''धात्वर्थानुकूलव्यापाराश्रयत्वम्'' अर्थात् धात्वर्थानुकूल व्यापार का आश्रय 'कर्ता' होता है तो धात्वर्थानुकूल यद् किञ्चिद व्यापार का आश्रय तो सभी कारक होंगे, सभी की कर्तृ संज्ञा होने लगेगी क्योंकि 'क्रिया' के आश्रय न हों तो उनमें कारकत्व नहीं होगा।

किञ्च भावनाया अवाच्यत्वे धातूनां सकर्मकत्वाऽकर्मकत्वविभागः उच्छिन्नः स्यात्। स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वं स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं वा सकर्मकत्वं भावनाया वाच्यत्वमन्तरेणाऽसम्भवि, अन्यतमत्वं तत्त्वमिति चेन्न, एकस्यैवार्थभेदनाकर्मकत्वसकर्मकत्वदर्शनात्—तदेतदभिसन्धायाह—कृञ इति।

अयम्भावः—व्यापाराऽवाच्यत्वपक्षे फलमात्रमर्थ इति फलितम्। तथा च 'करोती' त्यादौ यत्नप्रतीतेस्तन्मात्रं वाच्यमभ्युपेयम्। तथा च 'यती प्रयत्ने' इतिवत् फलस्थानीययत्नवाचकत्वाऽविशेषाद् अकर्मकताऽपत्तिरुक्तरीत्या दुर्वारेति। तथा च "नहि यत्नः"

सावित्री

इस प्रकार आपके मत में 'कर्त्ता' का कोई लक्षण बन ही नही सकेगा। तब आप कर्तृ संज्ञा के बाध की कल्पना नही कर सकते। फलतः आप के मत में 'घटो भवति' के घट की कर्मसज्ञा और द्वितीया विभक्ति दुर्निवार होगी। अतः धातु का अर्थ फल और व्यापार-दोनों मानना आवश्यक है।

यदि धातु का व्यापार अर्थ नही मानेंगे तो धातुओं की सकर्मक, अकर्मक-व्यवस्था नहीं बन पायेगी क्योंकि सकर्मक का लक्षण है—"स्वार्थफलव्यधिकरण व्यापार वाचित्वं सकर्मकत्वम्" अथवा स्वार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचित्वम् सकर्मकत्वम् अर्थात् स्वार्थ (धात्वर्थ) जो फल, उससे भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो व्यापार, उस व्यापार का वाचक धातु सकर्मक होता है अथवा स्वार्थ जो व्यापार, उससे भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो फल, उसकी वाचकता हो जिस धातु में, उसे सकर्मक कहते हैं। इस प्रकार फल और व्यापार दोनों धातु के अर्थ होते हैं। यदि ये दोनों एक अधिकरण में हों तो धातु अकर्मक होती है और यदि भिन्न-भिन्न स्थानों में रह रहें हों तो धातु सकर्मक हो जाती है। जैसे—'देवदत्तस्तण्डुलं पचति में पच् धात्वर्थ विक्लित्ति रूप फल तण्डुल में तथा विक्लित्यनुकूल-व्यापार देवदत्त में रहता है—इन दोनों के भिन्न-भिन्न स्थानों में रहने से 'पच्' धातु सकर्मक है। 'देवदत्तस्तिष्ठति" यहाँ पर स्थिति रूप फल और स्थित्यनुकूलव्यापार, दोनों देवदत्त रूप एक अधिकरण में रहने से 'स्था' धातु अकर्मक है।

यदि यह कहें कि सकर्मक, अकर्मक-धातुओं को अलग-अलग गिना दें और प्रत्येक के साथ जोड़ दें—'अन्यतमत्वं तत्वम् अर्थात् सकर्मक धातुओं में गणना की गई प्रत्येक धातु

इत्यत्र फलस्थानोयत्नेनेति शेषः । 'कृञः' इति धातुमात्रोपलणम् । सर्वेषामप्यकर्मकता सकर्मकता वा स्यादिति भावः ।

अथ वा 'व्यापारो भावना' इत्यर्धेन व्यापारस्य वाच्यत्वं प्रसाध्य फलांशस्यापि तत् साधयन् नैयायिकाऽभ्युपगतं जानाति—करोत्यादेः केवलज्ञान-यत्न-क्रियामात्रवाचित्वं दूषयति—कृञ इति । अयम्भावः फलांशस्यावाच्यत्वे व्यापार एव धात्वर्थः स्यात् । तथा च स्वार्थ-फल-व्यधिकरणवाचित्वरूपसकर्मकत्वोच्छेदापत्तिः ।

न च कृञादौ 'सकर्मकत्वव्यवहारो भाक्तः' इति वाच्यम्, व्यवहारस्य भाक्तत्वेऽपि कर्मणि लकाराऽसम्भवात् । न हि गङ्गापदस्य

सावित्री

सकर्मक है और अकर्मक धातुओं के समूह में पठित प्रत्येक धातु अकर्मक है—ऐसा करने से सकर्मक-अकर्मक धातुओं के विभाग में कोई अपत्ति नही आयेगी ।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि, आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ही धातु कभी अकर्मक रहती है और वही अन्यत्र सकर्मक हो जाती है । जैसे—'भृत्यो भारं वहति' (भृत्य भार ढोता है) यहाँ 'वह्' धातु सकर्मक है और 'नदी वहति' यहाँ पर वह् धातु अकर्मक है । इसीलिये ग्रन्थकार ने कहा है—कृञोऽकर्मकतापत्तेर्नहि यत्नोऽर्थ इष्यते ।

यहाँ 'कृञ्' धातु मात्र का उपलक्षण है । यदि धातु का 'यत्न' अर्थात् फल अर्थ मानें तो सभी धातुयें अकर्मक हो जायेंगी । अतः धातु का अर्थ व्यापार मानना आवश्यक है ।

यदि धातु का अर्थ व्यापार न माना जाय तो फल' मात्र धातु का अर्थ है यह फलित होगा । 'करोति' 'जानाति' इत्यादि में यत्न की प्रतीति होने से 'यत्न' मात्र धातु का अर्थ मानना पड़ेगा । जैसे—'यती प्रयत्ने' में यत् धातु का फलस्थानीय 'यत्न' अर्थ होता है वैसे ही कृ' इत्यादि धातु का भी मानना पड़ेगा । इस प्रकार फल का वाचक होने से सभी धातुयें अकर्मक हो जायेंगी । 'कृञ्' धातु मात्र का उपलक्षण है । 'यत्न' का अर्थ व्यापार तथा फल—दोनों होता है । यदि 'व्यापार' अर्थ किया जाय तो 'व्यापाराश्रयत्वं सकर्मकत्वम्" के अनुसार सभी धातुयें सकर्मक हो जायेंगी । यदि 'यत्न' का फल अर्थ किया जाय तो "फलाश्रयत्वमकर्मकत्वम्" के अनुसार सभी धातुयें अकर्मक होने लगेंगी ।

अथ वा 'व्यापारो भावना' इत्यादि कारिका के अर्ध भाग से धातु का वाच्य अर्थ

भाक्तत्वेऽपि तेन स्नानादिकार्यं कर्त्तुं शक्यम्। अत एव नहि 'यत्न' इत्यस्य यत्नमात्रमित्यर्थः।

किन्तूत्पादनमेवातः कर्मवत् स्यग्यगाद्यपि।
कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत्तद् दृशेरिव ॥६॥

उत्पादनम् = उत्पत्तिरूपफलसहितं यत्नादि कृञर्थ इत्यर्थः। फलस्य वाच्यत्वे युक्त्यन्तरमाह—अत इत्यादि। यतः कृञो यत्नमात्रमर्थो

सावित्री

होता है—यह सिद्ध करके फलांश भी धातु का वाच्य अर्थ होता है—यह सिद्ध करते हुये नैयायिकों द्वारा स्वीकृत उस मत का खण्डन करने के लिये कि 'ज्ञा' धातु का केवल ज्ञान तथा कृ' धातु का 'यत्न' मात्र व्यापार अर्थ होता है, इसके खण्डन के लिये कारिका के उत्तरार्द्धको प्रस्तुत करते हैं—कृञोऽकर्मकतापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते"।

भाव यह है कि यदि धातु का फल अर्थ न माना जाय तो धातु का केवल व्यापार अर्थ होगा। ऐसा होने पर स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्व रूप सकर्मकत्व का उच्छेद हो जायगा क्योंकि इस लक्षण के अनुसार फल और व्यापार-दोनों धातु का अर्थ होना चाहिये। केवल दोनों की अधिकरणता भिन्न होनी चाहिये।

यदि कहें कि 'कृञ्' आदि धातु की सकर्मक अर्थ में लक्षणा करके 'लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः (३.४.६९) इस सूत्र से कर्म अर्थ में लकार कर लेंगे। इस प्रकार धातु में सकर्मकत्व व्यवहार लाक्षणिक मान लिया जाय।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि धातु में लक्षणा द्वारा सकर्मक व्यवहार भले कर लिया जाय पर 'कर्म' अर्थ में लकार करना असम्भव होगा। गङ्गा पद की तीर अर्थ में लक्षणा होने पर भी 'तीर' अर्थ में स्नान आदि करना सम्भव नही है। "न हि यत्नः" का यत्न मात्र अर्थ है।

पूर्वोक्त दोषों के निराकरण के लिये धातु का फल और व्यापार-दोनों अर्थ मानना आवश्यक है। 'कृ' धातु का उत्पादन अर्थ है। उत्पादन का अर्थ है उत्पत्तिरूपफल और व्यापार। अत एव कर्मवद् होकर यक् आदि होते हैं अन्यथा 'दृश्' धातु की भाँति 'कृञ्' से भी 'कर्मकर्तृप्रक्रिया' में कर्मवद्भाव न होगा।

यहाँ उत्पादन का अर्थ है—उत्पत्ति रूप फल सहित यत्नादि अर्थात् व्यापार 'कृञ्' धातु का अर्थ है। धातु का वाच्य अर्थ फल होता है—इस बारे में दूसरी युक्ति दर्शाने के

नेष्यते। अतः 'कर्मवत् स्यात्' इति पदेन 'कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः, (३-१-८७) इति सूत्रं लक्ष्यते। अयमर्थः = यत एवास्योत्पादनार्थकता। अतः पच्यते ओदनः स्वयमेवेतिवत्, क्रियते घटः स्वयमेवेति यगादयोऽप्युपपद्यन्ते। अन्यथा क्रियते घटः स्वयमेवेति यगादयोऽप्युपपद्यन्ते। अन्यथा यत्नस्य कर्मनिष्ठत्वाभावात् तन्न स्यात् दृशिवत्। तथा दृश्यते घटः स्वयमेवेति न, दर्शनस्य घटावृत्तित्वात्, तथा यत्नस्यापि इति तथा प्रयोगानापत्तिरिति ॥६॥

नन्वेवं कृञादेरिव जानातीत्यादेरपि विषयावच्छिन्नावरणभङ्गादिफलवाचित्वमावश्यकम्, अन्यथा सकर्मकतानापत्तेः, तथा च 'ज्ञायते घटः स्वयमेव' इति किन्न स्यात् एवं 'ग्रामो गम्यते स्वयमेव इत्याद्यपीत्याशङ्कां मनसि कृत्याह—

सावित्री

लिये लिखा है—अत इत्यादि। यतः 'कृ' धातु का केवल यत्न अर्थात् व्यापारस्थानीय यत्न अभीष्ट नहीं है अतः कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः (२.१.८७) से कर्मवद्भाव होकर यक् आदि होते हैं।

यहाँ कर्मवत् स्यात्' इस पद से 'कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः (३.१.८७) सूत्र का ग्रहण सूचित होता है। 'कृ' धातु का उत्पादन अर्थ होता है इसीलिये 'पच्यते' ओदनः स्वयमेव' की भाँति 'क्रियते घटः स्वयमेव' इत्यादि में कर्मवद्भाव होकर यक् आदि उपपन्न होते हैं। अन्यथा यदि 'कृञ्' का केवल यत्न अर्थ होता तो यत्न के घट आदि में न रहने के कारण कर्मवद् भाव और यक् आदि न होते। तब 'क्रियते घटः स्वयमेव' यह प्रयोग निष्पन्न न होता। वस्तुतः कर्मवद् भाव वहीं होता है जहाँ क्रिया केवल कर्म में स्थित हो। इसीलिये "दृश्यते घटः स्वयमेव" यह प्रयोग नहीं होता है क्योंकि दर्शनक्रिया घट में नहीं रहती है। उसी प्रकार 'यत्न' रूप व्यापार भी घट में नहीं रहता है तब 'क्रियते घटः स्वयमेव' में कर्मवद्भाव' आदि न होता।

जिस प्रकार पीछे 'कृञ्' धातु का व्यापार सहित फल अर्थ किया गया है उसी प्रकार 'ज्ञा' धातु का भी "विषयावच्छिन्न--आवरणभङ्गरूफल" अर्थ मानना आवश्यक है अन्यथा 'ज्ञा' धातु सकर्मक नहीं हो सकेगी।

इस प्रकार 'ज्ञा' धातु का वैसा अर्थ मानने पर 'कर्मकर्तृ प्रक्रिया' में "ज्ञायते घटः स्वयमेव" ऐसा प्रयोग होने लगेगा। इसी भाँति 'गम्' धातु का फल 'उत्तर देश संयोग'

निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते ।
न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः ॥७॥

ईप्सितं कर्म त्रिविधम्—निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्यञ्च । तत्राद्ययोः कर्मवद्भावो, नान्त्ये । प्राप्यत्वञ्च—क्रियाकृतविशेषानुपलभ्यमानत्वमिति सुबर्थनिर्णये वक्ष्यते । न ह्ययं घटो केनचिद् दृष्टो, ग्रामोऽयं केनचिद् गत इति शक्यं कर्मदर्शनेनाऽवगन्तुम् । 'घटंकरोति' इति निर्वर्त्ये 'सोमं सुनोति' ति विकार्ये इच तज्ज्ञातुं शक्यम् इति न तत्प्राप्यम् । तथा च घटादेर्दृश्यादौ प्राप्यकर्मत्वान्नोक्तातिप्रसङ्ग इति ।

सावित्री

रूप है उससे भी कर्मकर्तृप्रक्रिया में कर्मवद्भाव और यक् आदि होकर 'ग्रामो गम्यते स्वयमेव' भी प्रयोग होने लगेगा जबकि ऐसा प्रयोग नही होता है । इस प्रश्न को मन में रखकर ग्रन्थकार अग्रिम कारिका उपस्थित करते हैं ।

ग्रन्थकार का कहना है कि कर्म तीन प्रकार के होते हैं—निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य । इनमें प्रथम दो में कर्मवद्भाव होता है किन्तु अन्तिम (प्राप्यकर्म) में कर्मवद् नही होता है—व्याकरणशस्त्र में यही सिद्धान्त निर्णीत है ।

कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म (१.४.४९) सूत्र से विहित ईप्षित कर्म तीन प्रकार का होता है—

(१) निर्वर्त्त्य ।
(२) विकार्य ।
(३) प्राप्य ।

इन तीनों में प्रथम दो अर्थात् निर्वर्त्त्य और विकार्य में कर्मवद्भाव होता हं अन्तिम प्राप्य कर्म में कर्मवद्भात्र नहीं होता है । प्राप्य कर्म उसे कहते हैं जिसमें क्रियाकृत् कोई विशेषता या परिवर्तन उपलब्ध न हो । जैसे—यह घट किसी के द्वारा देखा गया—या इस गाँव में कोई गया—-यहाँ पर दर्शन क्रिया से घट के स्वरूप में कोई परिवर्त्तन नहीं होता है । इसी प्रकार गमन क्रिया मात्र से ग्राम में कोई परिवर्त्तन नही हीता है । इसलिये घट और ग्राम-रूप कर्म प्राप्य कर्म हैं ।

घटं करोति' में घट निर्वर्त्त्य कर्म है । निर्वर्त्त्य कर्म वह है जिसमें किसी प्रकार की उत्पत्ति प्रतीत होती हो । क्रिया द्वारा घट की उत्पत्ति साक्षाद् देखी जाती है । अतः घट निवर्त्त्य कर्म है । 'सोमं सुनोति' में सोम विकार्य कर्म है । विकार्य कर्म उसे कहते हैं जिसमें क्रिया द्वारा कोई विकार उत्पन्न होता है । 'सोम' को कूटने से उसमें विकार उत्पन्न होता है । अतः सोम विकार्य कर्म है ।

धातूनां फलाऽवाचकत्वे त्यजिगम्योः पर्यायताऽपत्तिः, क्रियावाचकत्वाविशेषात् । फलस्योपलक्षणत्वेऽप्येकक्रियाया एव पूर्वदेशविभागोत्तरदेशसंयोगजनकत्वादुक्तदोषतादवस्थ्यमित्यपि वदन्ति । तस्मादावश्यकं सकर्मकाणां फलवाचकत्वम् । अकर्मकाणान्तु तन्निर्विवादमेव 'भू सत्तायाम्' इत्याद्यनुशासनाच्च । अत एव 'द्व्यर्थः' इति भाष्यं संगच्छते इति दिक् ॥७॥

एवं सिद्ध्यतु फलव्यापारयोर्वाच्यत्वम्, किन्तु आख्यातवाच्यैव सा भावना, न धातोः, प्रधान्येन प्रतीयमानस्य व्यापारस्य धात्वर्थतायाः

सावित्री

इस प्रकार घट और सोम में क्रियाकृत परिवर्तन या विकार दिखाई पड़ता है । अतः ये दोनों प्राप्यकर्म नही हो सकते हैं ।

'घटं पश्यति' 'ग्रामं गच्छति' इत्यादि मे दर्शन क्रिया द्वारा घट में, गमन क्रिया द्वारा ग्राम में कोई परिवर्त्तन नही होता है । इसलिये घट और ग्राम प्राप्य कर्म हैं और प्राप्य कर्म होने से इनमें कर्मवद्भाव, यक् आदि नही हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में 'घटो दृश्यते स्वयमेव' अथवा 'ग्रामो गम्यते स्वयमेव' आदि अनिष्ट प्रयोगों की आशंका ही नहीं की जा सकती है ।

धातुओं का यदि फल अर्थ नहीं मानेंगे तो त्यज् और गम्-धातुओं के समानार्थ हो जाने की आपत्ति होगी क्योंकि 'ग्रामं गच्छति' या 'वृक्षं त्यजति' इत्यादि में प्रयुक्त गम् और त्यज्-धातुओं के व्यापार समान हैं केवल फल में अन्तर है । 'गम्' धातु का फल संयोग तथा 'त्यज्' धातु का फल विभाग होता है । यदि धातुओं का फल अर्थ न माना गया तो व्यापार समान होने से दोनों धातुयें समानार्थक हो जायेंगी ।

यदि मान लें कि 'फल' धातु का वाच्य अर्थ नहीं होता है अपितु उपलक्षण है । उपलक्षण कहते हैं— 'तत्पदजन्यबोधविषयत्वेन शक्यविषयत्वे सति शक्तिविषयत्वम्" अर्थात् जो किसी शब्द का बोधविषय बनता हो किन्तु शक्ति का विषय न बनता है । धातुओं से जो फल की प्रतीति होती है उसका शब्द जन्य बोध भले हो पर वह शक्य अर्थ न माना जाय ।

किन्तु पूर्वोक्त प्रकार से फल को उपलक्षण मानने पर भी 'त्यज्' धातु में पूर्वदेश विभाग गम्' धातु में उत्तरदेश संयोग रूप फल एक ही व्यापार से उत्पन्न होने के कारण

"प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्" इति न्यायविरुद्धत्वात्, 'तदागमे हि दृश्यते' इति न्यायविरुद्धत्वाच्च ।

एवञ्च स्वयुक्ताख्यातार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं सकर्मकत्वम्, आख्यातव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् वाच्यम्,—इत्यादिवदन्तं मीमांसकम्मन्यं प्रत्याह—

सावित्री

दोनों धातुओं में पर्यायतापत्ति पूर्ववत् बनी रहेगी। इसप्रकार फल को उपलक्षण मानने से कोई लाभ न होगा। अतः सकर्मक धातुओं में फल की वाचकता मानना आवश्यक है। अकर्मक धातुओं की फल वाचकता निर्विवाद ही है। इसके अतिरिक्त अकर्मक धातुओं की फल वाचकता में 'भू सत्तायाम्' इत्यादि निर्देश ही प्रमाण हैं। इसलिये सकर्मक अकर्मक—सभी धातुओं में फल की वाचकता मानना आवश्यक है। भाष्यकार ने भी कहा है—'द्व्यर्थः पचिः। अर्थात् 'पच्' धातु के दो अर्थ हैं—विक्लिति रूप फल तथा तदनुकूलव्यापार।

अब आगे मीमांसकों का कहना है कि पूर्वोक्त प्रकार से आप फल और व्यापार—दोनों को धातुवाच्य भले सिद्ध कर लें किन्तु आख्यात अर्थात् तिङ्वाच्य ही भावना है न कि धातु वाच्य, क्योंकि नियम है—"प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्" अर्थात् प्रकृति और प्रत्यय में प्रत्यय के ही अर्थ की प्रधानता होती है। आप वैयाकरण भी शब्दबोध में भावना (व्यापार) को प्रधान मानते हैं। यदि भावना को धातु का अर्थ मान लेंगे तो वह प्रकृति है प्रत्यय नहीं। इस प्रकार प्रकृति, प्रत्यय में प्रत्ययार्थ को प्रधान मानने का नियम भङ्ग हो जायगा।

इसके अतिरिक्त व्यापार को धातु का अर्थ मानने पर तदागमे हि दृश्यते' इस नियम का अभिप्राय है कि जिसके जुड़ जाने से जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह उसका वाच्य अर्थ होता है। जैसे—'पच्' के साथ 'तिङ्' के जुड़ जाने पर ही व्यापार अर्थ की प्रतीति होती है। 'तिङ्' न रहे तो व्यापार अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। इससे भी यही निश्चय होता है व्यापार तिङ् का ही अर्थ है धातु का नहीं।

मीमांसकों का कहना है कि हमारे मत में सकर्मक का लक्षण है—स्वयुक्ताख्यातार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वम्—अर्थात् स्व (धातु) से युक्त जो आख्यात (तिङ्) उसका अर्थ जो व्यापार, उससे भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो फल—उसका वाचक धातु सकर्मक है। जैसे—पचति' में स्वपद से ग्रहीत होगा 'पच्' धातु। उससे युक्त आख्यात है तिङ्, उस तिङ् का अर्थ जो व्यापार, वह देवदत्त आदि कर्त्ता में रहता है,

तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद्‌व्याख्यानं न त्वसौ तिङाम् ।
पक्ववान्; कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि ॥ ८ ॥

तस्मात् = अभिप्रायस्थहेतोः । स चेत्थम्—फलमात्रस्य धात्वर्थत्वे 'ग्रामो गमनवान्' इति प्रतीत्यापत्तिः, संयोगाश्रयत्वात् । फलानुत्पाददशायां व्यापारसत्त्वे 'पाको भवति' इत्यनापत्तिः व्यापार-विगमे फलसत्त्वे 'पाको विद्यते' इत्यापत्तेश्च ।

सावित्री

तथा उसका विक्लित्ति रूप फल, भिन्न अधिकरण अर्थात् तण्डुल में रहने वाला है—ऐसे धातु को सकर्मक कहते हैं ।

इसी प्रकार हम मीमांसकों के मत में कर्त्ता का लक्षण है—"आख्यातार्थव्यापारा-श्रयत्वं कर्तृत्वम्" अर्थात् 'पचति' में आख्यात जो तिङ्, उसका अर्थ जो व्यापार—उस व्यापार का आश्रय कर्त्ता होता है ।

उपर्युक्त प्रकार के मत वाले मीमांसकों को उत्तर देने के लिये ग्रन्थकार अग्रिम कारिका उपस्थित करते है ।

'तस्मात्' अर्थात् बुद्धिस्थ कारण से 'पचति' का 'पाकं करोति' जो विवरण किया जाता है उसमें 'करोति' पद से जो व्यापार का कथन है, वह धातु का अर्थ है तिङ् का नहीं । यहाँ तस्मात्' पद से पहले हेतु का उल्लेख नहीं किया गया है । अतः हेतु पद से बुद्धिस्थ हेतु का ग्रहण होगा ।

यदि 'करोति' धातु का अर्थ न हो तो पक्ववान्, कृतवान्, कि कृतम् ? पक्वम्—इत्यादि प्रयोग उपपन्न न हो सकेंगे ।

'तस्मात्' का अर्थ है कारिकाकार की बुद्धि में स्थित हेतु से । वह हेतु इस प्रकार है—यदि धातु का फल मात्र अर्थ मानेंने तो 'ग्रामो गमनवान्' ऐसा अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा क्योंकि 'गमन' शब्द 'गम्' धातु से भावे (३।३।१) सूत्र से भाव अर्थ में ल्युट् प्रत्यय रने से निष्पन्न होता है । यहाँ भाव' का अभिप्राय धात्वर्थ से है । 'गम्' धातु का अर्थ संयोग रूप फल है तब 'ल्युट्' का भी अर्थ संयोग ही होगा । संयोग सदैव दो में रहता है । जैसे देवदत्त आदि कर्त्ता तथा ग्राम आदि कर्म दोनों में समान रूप से रहता है । कर्त्ता में संयोग रहने से जैसे,—'देवदत्तो गमनवान्' प्रयोग होता है वैसे ही 'ग्राम' में संयोग रहने से 'ग्रामो गमनवान्, प्रयोग भी होने लगेगा जो सर्वथा अनुभवविरुद्ध होगा ।

यत्तु भावप्रत्ययस्य घञादेरनुकूलव्यापारवाचकत्वान्नानुपपत्तिरिति, तन्न, कर्त्राख्यातवत् 'कर्त्तरि कृत्' (३ ४-६७) इत्यत एव तद्विधानलाभे भावे विधायकाऽनुशासनवैयर्थ्यापत्तेः, तद्विरोधापत्तेश्च ।

अथ व्यापारोऽपि धात्वर्थ इत्यभ्युपेयमिति चेत्तर्हि धातुत एव सकलव्यापारलाभसम्भवेनाख्यातस्य पृथक्शक्तिकल्पने गौरवमिति । 'पचति' त्यस्य पाकं करोतीति विवरणात्मा करोतिर्धातोरेव व्याख्यानम् = विवरणम् । अतस्तदपि नाख्यातार्थत्वसाधकमिति भावः ।

सावित्री

धातु का फल मात्र अर्थ मानने में यह भी दोष होगा कि जब तक फल उत्पन्न न हो जाय 'पाको भवति' यह प्रयोग न होगा जबकि लोक में पाक का आरम्भ होते ही 'पाको भवति' प्रयोग होता है ।

इसके अतिक्ति व्यापार के समाप्त हो जाने पर फल की विद्यमानता में 'पाको विद्यते' ऐसा प्रयोग होने की आपत्ति होगी जबकि व्यापार समाप्त हो जाने पर लोक में ऐसा प्रयोग नहीं होता है । इसलिये धातु का फल मात्र अर्थ मानना उचित नहीं है अपितु फल और व्यापार-दोनों अर्थ मानना चाहिये ।

यदि आप कहें कि 'भाव' अर्थ में विहित घञ्, ल्युट्-आदि प्रत्ययों का अर्थ फलानुकूलव्यापार ही है जिससे 'ग्रामो गमनवान्' आदि अनिष्ट प्रयोगों की आशंका नहीं होगी क्योंकि 'गम्' धातु का संयोगानुकूलव्यापार अर्थ होगा । वह व्यापार देवदत्त आदि कर्त्ता में रहेगा न कि ग्राम आदि कर्म में । इसलिये 'ग्रामो गमनवान्' प्रयोग नहीं होगा ।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि यदि 'लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः (३।४।६९) में 'कर्त्तरिकृत्' (३।४।६७) से अनुवृत्त 'कर्तृ' पद का कर्तृत्व अर्थात् व्यापार अर्थ में लकार का विधान करते हैं जिससे उसी के स्थान में विहित 'तिङ' का व्यापार अर्थ जैसे करते है वैसे ही कर्त्तरि कृत् (३।४।६७) का भी 'कर्तृ' पद कर्तृत्व अर्थात् व्यापार परक हो जाता और उसी से व्यापार अर्थ में घञ् आदि प्रत्ययों का विधान हो जाता. पुनः व्यापार अर्थ में घञ्, आदि के विधान के लिये 'भावे' सूत्र का विधान निरर्थक हो जाता । यदि घञादि प्रत्यय असत्वभूत व्यापारार्थक मानेंगे तो 'भावे' सूत्र के भाष्य में प्रतिपादित इस सिद्धान्त का विरोध होगा कि 'सत्वभूतो भावो घञादेरर्थः इति । अथवा यों समझिये कि सिद्धान्ततः भाव में विहित प्रत्यय धात्वर्थ के अनुवाद मात्र होकर प्रयोगसाधुत्व के लिये आते हैं, उनका स्वतन्त्र कोई अर्थ नहीं होता है । आप के अनुसार यदि धातु का अर्थ

मीमांसकोक्तं बाधकमुद्धरंस्तन्मतं दूषयति—नत्वित्यादिना। नासौ तिङां व्याख्यानम्, पक्ववानित्यादावनन्वयापत्तेः। अयं भावः-- "प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्" इत्यत्र हि विशेष्यतया प्रकृत्यर्थप्रकारकबोधे तदुत्तरप्रत्ययजन्योपस्थितिर्हेतु' रितिकार्यकारणभावः फलितः, तथा च पक्ववा'नित्यत्र पाकः कर्मकारकम्, क्तवतुप्रत्ययार्थः = कर्तृकारकम्, तयोश्चारुणाधिकरणोक्तरीत्या वक्ष्यमाणाऽस्मदुरीत्या चान्वयासम्भव इति प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरन्वयनियमस्यैवाभावेन क्व प्राधान्यबोधक उक्तकार्यकारणभावः।

सावित्री

फल और भाव' में विहित प्रत्यय का अर्थ व्यापार है तो उक्त सिद्धान्त का विरोध होगा।

यदि आप मीमांसक यह कहें कि हम फल के अतिरिक्त व्यापार को भी धातु का अर्थ मान लेंगे तो पूर्वोक्त प्रकार के दोष न होंगे तो इसके उत्तर में हमारा (वैयाकरण) कहना है कि यदि आप धातु का भी व्यापार अर्थ मान लेंगे तो पुनः उसी व्यापार अर्थ में आख्यात (तिङ) की शक्ति मानना होगा क्योंकि सिद्धान्त है – 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः। 'पचति' का पाक करोति' जो विवरण किया जाता है उसमें व्यापारार्थक जो 'करोति' है वह भी धातु का ही विवरण है। इसलिये यह विवरण भी आख्यात के व्यापारार्थक होने का साधन नहीं बन सकता है।

मीमांसकों द्वारा कहे गये दोषों का उद्धार करते हुये ग्रन्थकार उनके मत को दूषित करने के प्रसङ्ग में कहते हैं – न त्वसौ तिङाम्। तात्पर्य यह है कि 'पचति' का पाकं करोति' जो 'कृ' धातु से विवरण किया जाता है वह धातु का ही व्याख्यान है तिङ का नहीं।

अन्यथा 'पक्ववान्' इत्यादि में अनन्वयापत्ति होगी क्योंकि धातु का फल अर्थ मानने पर 'पाक' रूप फल व्यपदेशिवद्भाव से फलाश्रय होकर 'कर्म' हो जायगा। 'क्तवतु' प्रत्यय का अर्थ कर्त्ता है। इस प्रकार प्रकृति का अर्थ कर्म कारक तथा प्रत्यय का अर्थ कर्तृ कारक हुआ। प्रकृति प्रत्यय किसी से भी क्रिया की उपस्थिति नहीं होती है जबकि कारकों का क्रिया में ही अन्वय होता है।

अभिप्राय यह है कि "प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्" अर्थात् जहाँ प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ साथ में कहा जाय-वहाँ प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है। इस कथन से इस प्रकार का कार्यकारण भाव फलित होता है कि प्रकृत्यर्थप्रकारक बोध के

न च

> सम्बन्धमात्रमुक्तश्च श्रुत्या धात्वर्थभावयोः ।
> तदेकांशनिवेशे तु व्यापारोऽस्या न विद्यते ॥

इति भाट्टपादोक्तरीत्या सम्बन्धसामान्येन कारकाणामन्वयः शङ्क्यः, योग्यताविरहात् । अन्वयप्रयोजकरूपवत्त्वस्य तत्त्वात् । क्रियात्वमेव हि कारकान्वयितावच्छेदकमिति वक्ष्यते । तदेतदाविष्कर्तुं विवरणेन धात्वर्थ-क्तवत्वर्थयोः कर्मत्वकर्तृत्वे दर्शयति = कृतवान् पाकम् इति ।

सावित्री

प्रति उस प्रकृति के उत्तर (आगे) प्रत्यय जन्य उपस्थिति कारण होती है । पक्ववान्' में पाक कर्मकारक है क्तवतु प्रत्यय का अर्थ कर्तृकारक है । जैसे--"अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति" में अरुण आदि गुणकरण कारक से अभिहित हैं इनका परस्पर में अन्वय न होकर 'क्रीणाति' क्रिया में अन्वय होता है क्योंकि कारकों का क्रिया में ही अन्वय होने का नियम है । वैसे 'पक्ववान्' में भी कर्म और कर्त्ता परस्पर में अन्वय नहीं होगा । अथवा आगे हम कहेंगे कि क्रियात्व के ही कारकों का अन्वयितावच्छेदक होने से कारकों का क्रिया में ही अन्वय होता है—के अनुसार भी 'पक्ववान् में अन्वय बाधित होगा । जब प्रकृत्यर्थ, प्रत्ययार्थ का परस्पर अन्वय ही बाधित होगा तब उसमें प्रत्ययार्थ प्राधान्यबोधक कार्य कारणभाव कैसे घटित होगा ?

यदि यह कहें कि जैसे कुमारिल भट्ट कहते हैं कि "ज्योतिष्टोमेन यजेत" में 'यजेत' श्रुति के 'यज्' धात्वर्थ याग रूप फल तथा तिङर्थ भावना में सम्बन्ध सामान्य से अन्वय कर याग सम्बधिनी भावना अर्थ कर लेते है वहाँ कर्म, करण आदि सम्बन्ध विशेष कथन का सामर्थ्य श्रुति में नहीं है वैसे 'पक्ववान्' के भी कर्म और कर्ता में सम्बन्ध सामान्य से अन्वय कर पाक सम्बन्धी कर्त्ता" ऐसा अर्थ कर लिया जा सकता है जिससे पूर्वोक्त अन्वय सम्बन्धी दूर हो जायगा ।

इस उत्तर में 'कौण्डभट्ट' का कहना है कि बिना क्रिया के कारकों में परस्पर अन्वय की योग्यता ही नहीं होती है । क्रिया में अन्वित होना ही कारकों की योग्यता है । क्रियात्व ही कारकों का अन्वयितावच्छेदक है यह आगे कहेंगे । अन्वयितावच्छेदक वह होता है जिस धर्म से युक्त अन्वय होता है । इस प्रकार 'पच्' धातु का व्यापार अर्थ माने विना उसका क्तवतु

वस्तुतः प्रत्ययार्थः 'प्रधानम्' इत्यस्य यः प्रधानं स प्रत्ययार्थ एवेति वा, यः प्रत्ययार्थः स प्रधानमेवेति वा नाऽर्थः। अजा, अश्वा, छागी' त्यत्र स्त्रीप्रत्ययार्थस्त्रीत्वस्यैव प्राधान्यापत्तेश्छाग्यादेरनापत्तेश्च। किन्तूत्सर्गोऽयम्। विशेष्यत्वादिना बोधस्तु तथा व्युत्पत्त्यनुरोधात्। अत एव नैयायिकानां प्रथमान्तविशेष्यक एव बोधः, लक्षणायामलङ्कारिकाणां शक्यतावच्छेदकप्रकारक एव बोधो, न नैयायिकादीनाम्। 'घटः कर्मत्वम्' 'आनयनं कृति'रित्यादौ विपर्ययेणापि व्युत्पन्नानां नैयायिकनव्यादीनां बोधो, न तद्व्युत्पत्तिरहितानाम्, अन्येषां तन्निराकाङ्क्षमेवेत्यदिकं संगच्छते।

अत एव "प्रधान-प्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्" (१-२-५३) इत्याह भगवान् पाणिनिः। प्रधानं प्रत्ययार्थ इति वचनं न

सावित्री

प्रत्ययार्थ कर्त्ता में अन्वय सम्भव नहीं है। इसी बात को प्रकट करने के लिये पक्ववान्' का 'पाकं कृतवान्' ऐसा विवरण कर धात्वर्थ कर्म तथा क्तवतु प्रत्यय का अर्थ कर्त्ता होता है इस बात को प्रदर्शित करते हुये कहते हैं—कृतवान् पाकमिति।

वस्तुतः 'प्रत्ययः प्रधानम्' का अर्थ यह नहीं है कि जो प्रधान होगा वह प्रत्ययार्थ ही होगा अथवा जो प्रत्ययार्थ होगा वह प्रधान ही होगा। यदि ऐसा होता तो 'अजा' 'अश्वा' 'छागी'—इत्यादि में स्त्रीत्वबोधक जो टाप्, ङीप्-आदि हैं उनका अर्थ जो स्त्रीत्व है उसी के प्रधान होने की आपत्ति होती, छागी आदि प्रकृत्यर्थ की प्रधानता न होती जबकि इन स्थलों में स्त्रीत्व प्रकार होता है छागी आदि प्रकृत्यर्थ ही विशेष्य होते हैं। इसलिये 'प्रत्ययार्थः प्रधानम्' के द्वारा प्रत्ययार्थ के प्रधान होने की जा बात कही है वह एक सामान्य कथन है। अपवाद भूत विशेष स्थलों में यह नियम वाधित है। उन स्थलों में व्युत्पत्ति के अनुसार ही विशेष्यविशेषण का बोध होता है।

व्युत्पत्ति अनुसारी बोध के ही कारण नैयायिकों को प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यक बोध होता है जबकि वैयाकरणों एव मीमांसकों को व्यापार मुख्यविशेष्यक बोध होता है। इसीलिये अलङ्कारिकों को शक्यतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है किन्तु नैयायिकों को वैसा बोध नहीं होता है। नव्य नैयायिकों को 'घटमानय' इस वाक्य का बोध घटः 'कर्मत्वम्' आनयनं कृतिः इस कथन द्वारा घटप्रकारक कर्म्मत्वविशेष्यक विपरीत क्रम से भी बोध हो जाता है क्योंकि

कार्यम्, अर्थस्य = अर्थावबोधस्य अन्यप्रमाणत्वात् = व्युत्पत्त्यनुसारित्वात् इति हि तदर्थः। एवं सत्यपि नियामकाऽपेक्षणे च 'भावप्रधानमाख्यातम्' इति वचनमेव गृह्यतामिति सुधीभिरूह्यम्।

'तदागमे हि' इति न्यायो विवरणश्चातिव्याप्तम्, इत्यत आह—किं कृतं पक्वमिति। कृञा विवरणं प्रतीतिश्च पक्वमित्यत्रापि, इति तत्रापि भावना वाच्या स्यादिति भावः।

नन्वस्तु तिङ इव कृतामपि भावना वाच्येत्यत आह—अपीति। तथा चोभयसाधारण्येन तत्प्रतीतेरुभयसाधारणो धातुरेव वाचक इति तत्रापि भावना वाच्या स्यादिति भावः।

सावित्री

नैयायिक लोग उस प्रकार की व्युत्पत्ति से बोध करते रहते हैं जबकि उस प्रकार की व्युत्पत्ति से रहित लोगों को बोध नहीं होता है। उनके लिये ये पद निराकाङ्क्ष ही प्रतीत होते हैं। इस प्रकार व्युत्पत्ति अनुसारी ही बोध होता है।

इसीलिये भगवान् पाणिनि ने सूत्र लिखा है—'प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्'' (१- -५:)। इसमें तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्' (१-२-५३) से 'तदशिष्यम्' की अनुवृत्ति आती है जिसका अर्थ होता है = तन्न वक्तव्यम्। अतः प्रधान प्रत्ययार्थं होता है—ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि अर्थ अन्य प्रमाण पर आधारित होता है अर्थात् व्युत्पत्ति अनुसारी होता है

ऐसी स्थिति में कौन प्रधान हो, कौन अप्रधान हो—इसका निर्णय कैसे किया जाय? इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है—भाव प्रधानमाख्यातम्' अर्थात् तिङन्तों में क्रिया प्रधान होती है। ऐसा विद्वानों को समझना चाहिये।

मीमांसकों का 'तदागमे हि दृश्यते' यह न्याय तथा पचति' का 'पाकं करोति' यह विवरण अतिव्याप्ति दोष ग्रस्त है इसीलिये किं कृतम्? इस प्रश्न का उत्तर दिया—पक्वम्। 'पक्वम्' यहाँ पर भी 'कृञ्' के द्वारा विवरण किया जाता है और भावना की प्रतीति होती है यद्यपि यहाँ आख्यात (तिङ्) नहीं है तब कैसे मान लिया जाय कि आख्यात वाच्य ही भावना होती है।

आप मीमांसकों ने कहा था—'पचति' में 'पच्' धातु के साथ तिङ् के आने पर ही व्यापार की प्रतीति होती है। इसलिये आख्यात वाच्या ही भावना है क्योंकि न्याय है—''तदागमे हि दृश्यते'' अर्थात् जिसके आने के बाद जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह

व्यापारस्य धात्वर्थत्वे साधकान्तरमाह—

किं कार्यं पचनीयश्चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि ।
किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न ॥६॥

'कार्यम्' इत्यत्र 'ऋहलोर्ण्यत्' (३-१-१२४) इति कर्मणि ण्यत् । पचनीयम् इत्यादौ चानीयर् । आदिना 'ज्योतिष्टोमयाजी' इत्यादौ

सावित्री

उसका वाच्य अर्थ होता है । 'क्तन्तु पक्वम्' में 'पच्' धातु है 'क्त' प्रत्यय है । इनमें 'पच्' धातु का आप के मत में फल अर्थ है 'क्त' प्रत्यय का अर्थ कर्म है । इनमें से किसी का भी व्यापार अर्थ नहीं है । इस प्रकार आख्यात न होने पर भी भावना की प्रतीति होना यह अतिव्याप्ति होगी ।

आप (मीमांसकों) ने कहा था—'पचति' का 'पाकं करोति' के 'कृ' धातु से विवरण किया जाता है, यही सिद्ध करता है कि आख्यात का भावना अर्थ है । वहाँ 'पक्वम्' में आख्यात न होते हुये भी 'कृ' धातु से विवरण किया जाता है और भावना की प्रतीति होती है । इसलिये यहाँ भी अतिव्याप्ति हुई ।

यदि आप कहें कि हम जैसे आख्यात अर्थात् तिङ् वाच्य भावना मानते हैं वैसे ही कृत्प्रत्ययों का भी अर्थ भावना मान लेंगे तो 'पक्वम्' में कोई दोष न होगा—इसके उत्तर में कारिकाकार ने कहा है – अपि इति । यहाँ 'अपि' का समुच्चय अर्थ है ।

यदि आप तिङ् की भाँति कृत् का भी भावना अर्थ करेंगे तो दोनों में समानरूप से धातु की उपस्थिति होगी । ऐसी स्थिति में अनेक प्रत्ययों का भावना अर्थ करने की अपेक्षा धातु का ही भावना अर्थ करना उचित होगा ।

इसके अतिरिक्त यदि आपने कृत्प्रत्ययों का भावना अर्थ मान लिया तो ''प्रत्ययार्थः प्रधानम्'' इस नियम के अनुसार प्रत्ययार्थ भावना ही प्रधान होगी, 'पक्ता' इत्यादि में कर्त्ता प्रधान नहीं होगा ।

'व्यापार' धातु का ही अर्थ है इस बात को सिद्ध करने के लिये अन्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—

कार्यम् पचनीयम् – इत्यादि कृत्प्रत्यय स्थलों में भी कर्म आदि कारकों का विधान देखा गया है । इसलिये धातु का अर्थ व्यापार मानना आवश्यक है अन्यथा क्रिया के अभाव में कारकत्व उपपन्न न हो सकेगा जिससे तत्तद् कारकों के अर्थ में तत्तद् प्रत्यय निष्पन्न हो सकें । अधिक क्या कहा जाय, क्रिया अर्थात् व्यापार की वाचकता के बिना धातु का धातुत्व ही नहीं बन पायेगा ।

करणे उपपदे कर्त्तरि णिनिः। एते च क्रियायोगमन्तरेण असन्तस्त-द्वाच्यतां बोधयन्ति। विना क्रियां कारकत्वाऽसम्भवेन तद्वाचकप्रत्य-यस्याप्यसम्भवात्।

न च गम्यमानक्रियायादाय कारकयोग इति भाट्टरीतिर्युक्ता। आख्यातेऽपि तथात्वाऽपत्तौ तत्रापि भावनाया वाच्यत्वाऽसिद्ध्यापत्तेः।

अथ लिङ्ग-सङ्ख्याऽन्वयानुरोधात् कर्त्तुर्वाच्यत्वमावश्यकमिति, तेनाक्षेपाद् भावनाप्रत्ययः स्यादिति मतम्। तर्हि संख्याऽन्वयोपपत्तये आख्यातेऽपि कर्त्ता वाच्यः स्यात्। 'पक्ववान्' इत्यादौ कालकारकान्वया-नुरोधाद् भावनाया अपि तस्यावश्यकत्वाच्चेतिभावः।

अपिना हेत्वन्तरसमुच्चयः। तथाहि—नखैर्भिन्नो नखभिन्नः

सावित्री

'कार्यम्' यहाँ पर 'कृ' धातु से 'ऋहलोर्ण्यत्' (३-१-१२४) सूत्र से कर्म अर्थ में ण्यत् प्रत्यय हुआ है। 'पचनीयम्' में 'पच्' धातु से कर्म अर्थ में अनीयर् प्रत्यय हुआ है। आदि पद से 'ज्योतिष्टोमयाजी' में 'ज्योतिष्टोमेनेष्टवान्' इस अर्थ में करण उपपद 'यज्' धातु से 'करणे यजः' (३-२-८५) सूत्र से कर्त्ता अर्थ में णिनि प्रत्यय हुआ है। ये ण्यत्, अनीयर् णिनि आदि प्रत्यय कर्म, कर्त्ता आदि अर्थ में विना क्रिया के योग के नहीं हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धातु का अर्थ व्यापार है क्योंकि यदि धातु का अर्थ क्रिया नहीं मानेंगे तो विना क्रिया के कारकत्व असम्भव है तब उस कर्त्ता-आदि कारक के बोधक प्रत्यय भी असम्भव हो जायेंगे।

यदि यह कहें कि हम (मीमांसक) धातु का अर्थ व्यापार नहीं मानेंगे अपितु गम्यमान क्रिया का अध्याहार कर उसके साथ कारकों का योग कर लेंगे और उन्हीं अर्थों में तत्तद् प्रत्ययों का विधान कर लेंगे किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि कृत् स्थल में अध्याहृत क्रिया द्वारा कारक का योग करेंगे तो तिङन्त स्थल में भी क्रिया का अध्याहार द्वारा लाभ करना पड़ेगा जबकि आप मीमांसक लोग तिङ् का वाच्य अर्थ भावना मानते हैं वह सिद्ध न हो सकेगा।

यदि यह कहें कि 'कृदन्त' स्थल के एक वचन-द्विवचन-बहुवचन में क्रमशः पक्ववान्,पक्ववन्तौ-पक्ववन्तः—प्रयोग होता है, इसी प्रकार पुल्लिङ्ग - स्त्रीलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग में क्रमशः पक्ववान्-पक्ववती-पक्ववत्—प्रयोग होता है। इस प्रकार लिङ्ग संख्या के अनुरोध

'हरिणात्रातः' हरित्रातः इत्यादौ 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' (२-१-३१) इति समासो न स्यात्, 'पुरुषोराज्ञो भार्या देवदत्तस्य' इति-वदसामर्थ्यात्।

न चाध्याहृतक्रियाद्वारा सामर्थ्यं वाच्यम्, दध्योदनः, गुड़धानाः—इत्यादिवत्। अन्यथाऽत्रापि 'अन्नेन व्यज्जनम्' (२-१-३३) भक्ष्येण मिश्रीकरणम् (२-१-३४) इति समासो न स्यादिति वाच्यम्, तत्र विध्यानर्थक्यादगत्या तथा स्वीकारेऽपि 'हरिकृतम्' इत्यादौ साक्षाद्धात्वर्थाऽन्वयेनोपपद्यमानस्य 'कर्तृकरणे' (२-१-३५) इत्यस्याक्षेपेण परम्परासम्बन्धे प्रवृत्त्ययोगात्।

सावित्री

से कृत्प्रत्यय का भी कर्त्ता, कर्म आदि कारक अर्थ मानना आवश्यक है क्योंकि लिङ्ग संख्या आदि कारक के साथ ही अन्वित होते हैं। भावना का लाभ आक्षेप से हो जायगा।

'कारिका' में अपि शब्द का प्रयोग समुच्चय अर्थ में हुआ है अर्थात् धातु का ही अर्थ फल होता है इसे सिद्ध करने के लिये एक अन्य प्रमाण उपस्थित करते हैं।

ग्रन्थकार का कहना है कि जैसे – पुरुषो राज्ञो, भार्या देवदत्तस्य—इन पदों में परस्पर सम्बन्ध न होने से समास नहीं होता है वैसे यदि धातु का फल मात्र अर्थ मानेंगे तो नखैर्भिन्नः-नखभिन्नः, हरिणा-त्रातः—हरित्रातः – इत्यादि में 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' (२.१.३२) सूत्र से समास न हो सकेगा क्योंकि नखैः और भिन्नः, 'हरिणा एवं त्रातः' का आपस में अन्वय न हो सकेगा। ये सभी कारक हैं जबकि कारकों का क्रिया के साथ ही अन्वय करने का नियम है।

यदि यह कहें हम धातु का वाच्य अर्थ क्रिया नहीं मानेंगे अपि तु क्रिया का अध्याहार कर अन्वय बना लेंगे। जैसे—नखैः—इस कारक का अध्याहृत भेदनक्रिया' के साथ तथा 'हरिणा' इस करण कारक का अध्याहृत 'त्राण' क्रिया के साथ अन्वय कर लेंगे जिससे पूर्वोक्त दोष नहीं होगा।

यदि अध्याहृत क्रिया द्वारा अन्वय नहीं मानेंगे तो 'अन्नेन व्यञ्जनम्' (२.१.३४) भक्ष्येण मिश्रीकरणम् (२.१.३४) इत्यादि सूत्रों से समास न हो सकेगा। इसलिए अध्याहृत क्रिया द्वारा अन्वय मानना आवश्यक है। इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि

न चैकस्यां क्रियायामन्वयित्वमेव सामर्थ्यमिति शङ्क्यम्; 'असूर्यम्पश्या' इत्यादेरसमर्थसमासत्वानापत्तेः। न चात्र समासविधायकाऽभावः, 'सह सुपा' (२-१-४) इति सत्त्वात्। अन्यथाऽसमासोऽपि विधायकाऽभावान्न स्यादिति।

सावित्री

'भक्ष्येण मिश्रीकरणम्' इत्यादि में अध्याहृत क्रिया द्वारा अन्वय नहीं मानेंगे तो ये विधि-शास्त्र अनर्थक हो जायेंगे। इसलिये वहाँ अगत्या अध्याहृत क्रिया द्वारा अन्वय की बात स्वीकार की जा सकती है किन्तु 'कर्तृकरणे कृता बहुलम्' (२.१.३१) की अध्याहृत क्रिया द्वारा अन्वय उपपन्न कर सूत्र प्रवृत्ति की बात स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि 'हरिणा कृतम्–हरिकृतम्' 'शरेण कृतम्—शरकृतम्' में जहाँ हरि और शर के करण का साक्षात् 'कृ' धात्वर्थ व्यापार में अन्वय होता है वहाँ समास करके सूत्र चरितार्थ है तो उसे अध्याहृत क्रिया द्वारा उपपन्न किये गये अन्वय स्थलों में इस सूत्र की प्रवृत्ति मानने का कोई औचित्य नहीं है।

[विशेष—दध्ना सिक्त ओदनः = दध्योदनः गुडेन मिश्रिताः धानाः—गुडधानाः—में सेचन और मिश्रण क्रिया का क्रमशः अध्याहार कर अन्वय बना लिया जाता है। पुनः 'दध्योदनः' में 'अन्नेन व्यञ्जनम्' (२.१.३३) तथा गुडधानाः में 'भक्ष्येण मिश्रीकरणम्' (२.१.३४) द्वारा समास किया जाता है।]

यदि यह कहें कि एक क्रिया में अन्वित होना ही सामर्थ्य है। जैसे—'धवखदिरौ छिन्धि' में धव और खदिर का आपस में कोई सम्बन्ध न होते हुये भी दोनों का एक ही छिन्धि क्रिया में अन्वय होता है। अतः दोनों में एक क्रिया न्वयित्व रूप सामर्थ्य होने से द्वन्द्व समास होता है वैसे 'नखैः भिन्नः कृतः' 'नखःभिन्नः' इस विग्रह में 'नखैः' का करणत्वेन तथा भिन्नः' का कर्त्ता रूप से 'कृ' धात्वर्थ व्यापार में अन्वय मान लेने से सामर्थ्य बन जायगा। अतः धातु का व्यापार अर्थ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इस अक्षेप पर वैयाकरण का कहना है कि यदि एक क्रिया में अन्वय होना ही सामर्थ्य होता तो "असूर्यम्पश्याः राजदाराः" में भाष्यकार असमर्थ समास नहीं कहते क्योंकि 'असूर्यम्' पद में स्थित नञ् और सूर्य-दोनों का 'दृश्' धात्वर्थ दर्शनक्रिया में अन्वय होता है। अतः यहाँ भी एक क्रियान्वयित्व रूप सामर्थ्य बन जाता।

यदि यह कहें कि 'असूर्यम्पश्याः' में सामर्थ्य बन सके तो वह मुझे अभीष्ट होगा—ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा क्योंकि वैसा मान लेने पर 'कृतः सर्वः मृत्तिकया कृतस-

किञ्च भावनायास्तिङर्थत्वे 'भावयति घटम्' इतिवद् 'भवति घटम्' इत्यपि स्यात्, धात्वर्थफलाश्रयत्वरूपकर्मत्वसत्त्वात्।

न चाख्यातार्थव्यापाराश्रयत्वेन कर्तृत्वात् तत्संज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधान्न द्वितीयेति वाच्यम्, आख्यातार्थव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वे 'पाचयति देवदत्तो विष्णुमित्रेण' इत्यत्र विष्णुमित्रस्याऽकर्तृतापत्तौ तृतीयाऽनापत्तेः। "ग्रामं गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम्" इत्यत्र विष्णुमित्रस्याऽकर्तृतापत्तौ ग्रामस्य गमिकर्मत्वाऽनापत्तेश्च। तथा च "ग्रामाय गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम्' इत्यपि न स्यात्, 'गत्यर्थकर्मणि द्वितीया-चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि' (२-३-१२) इति गत्यर्थकर्मण्येव चतुर्थी-

---

सावित्री

मृत्तिकः" यहाँ पर सर्वः का कर्मत्वेन तथा मृत्तिकया का करणत्वेन 'कृ' धात्वर्थ व्यापार में अन्वय होने से 'एकक्रियाऽन्वयित्व' रूप सामर्थ्य बन जायगा जिससे समास होने लगेगा जबकि ऐसा समास सर्वथा अनुभव विरूद्ध है।

यदि यह कहें कि 'सर्वमृत्तिकः' में समास-विधायक कोई सूत्र नहीं है। यह कहना भी उचित न होगा क्योंकि 'सह सुपा' (२.१.२३) से यहाँ समास विधान किया जा सकता है। अन्यथा 'असूर्यंपश्याः' में भी विधायक सूत्र के अभाव में असमर्थ समास न होता।

[विशेष—यद्यपि कौण्डभट्ट ने 'सह सुपा' से समास विधान की बात कही है किन्तु इस प्रकार का समाधान वैयाकरणों को इष्ट नही नहीं है क्योंकि यदि सर्वत्र 'सह सुपा' (२.१.४) से समास कर लिया जाय तो द्वितीया श्रितातीत० (२.१.२३) इत्यादि समास विधायक सभी सूत्र निरर्थक हो जायेंगे। 'असूर्यम्पश्याः' में भी भाष्यकार के असमर्थ समास कहनें का यह आशय है कि यहाँ सामर्थ्याभाव के कारण निपातन से समास है]

इस प्रकार आप (मीमांसक) धातु का अर्थ मानने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से भावना का लाभ नहीं कर सकते हैं।

व्यापार धातु का ही अर्थ होता है—इस बारे में कुछ अन्य प्रमाण उपस्थित करते हैं—

यदि भावना को तिङ् का अर्थ माना जाय तो 'भावयति घटम्' की भाँति 'भवति घटम्' यह भी प्रयोग होने लगेगा क्योंकि धात्वर्थफल का आश्रय होने से जैसे भावयति

विधानात् । एतेन 'णिजन्ते आख्यातार्थं उभयम्', तदाश्रयत्वाद्देवदत्त-यज्ञदत्तयोः कर्तृता—इत्यपास्तम् ।

सावित्री

घटम्' के घट की कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हो जाती है वैसे ही 'भू' धात्वर्थ उत्पत्ति रूप फल का आश्रय घट के होने से कर्म संज्ञा तथा द्वितीया विभक्ति होकर 'भवति घटम्' होने लगेगा जो सर्वथा अनिष्ट है।

यदि यह कहा जाय कि 'भू' धात्वर्थ उत्पत्ति रूप फल का आश्रय होने से यद्यपि घट की कर्मसंज्ञा प्राप्त होती है तथापि 'आख्यातार्थ व्यापार का आश्रय कर्त्ता होता है' इस नियम के अनुसार घट की कर्तृ संज्ञा प्राप्त है—ऐसी स्थिति में पर होने से कर्तृ संज्ञा से कर्म संज्ञा का बाध हो जायगा जिससे 'भवति घटः' ऐसा अनिष्ट प्रयोग नही होगा।

इसके उत्तर यह में यह कहा गया है कि आख्यातार्थ व्यापार का आश्रय कर्त्ता होता है—यदि कर्त्ता की यह परिभाषा मान लेगें तो 'पाचयति देवदत्तो विष्णुमित्रेण' यहाँ पर विष्णुमित्र की कर्तृ संज्ञा नही होगी जिससे विष्णुमित्र में तृतीया न होने की आपत्ति होगी क्योंकि 'पाचयति' में तिङ् का अर्थ जो व्यापार है उसका आश्रय देवदत्त है उसी की कर्तृ संज्ञा हागी न की विष्णुमित्र की। जब विष्णुमित्र की कर्तृ संज्ञा न होगी तो कर्तृ-करणयोस्तृतीया (२.३.१८) से तृतीया विभक्ति न हो सकेगी।

यहाँ एक शंका होती है कि 'पाचयति' का तिङ् प्रयोजक कर्त्ता देवदत्त तथा प्रयोज्य कर्त्ता विष्णुमित्र—दोनों के व्यापार को कहता है तो क्या कारण है कि प्रयोजक-व्यापार के आश्रय देवदत्त को आप कर्त्ता मानते हैं और प्रयोज्य-व्यापार के आश्रय 'विष्णुमित्र' की आप कर्तृ संज्ञा नहीं मानते है? इसका उतर यह है कि 'पाचयति' का अर्थ होता है—विक्लित्यनुकूलव्यापारानुकूलव्यापार। इसमें विक्लित्यनुकूलव्यापार का आश्रय विष्णुमित्र है और तदनुकूलव्यापार का आश्रय देवदत्त है। यतः उसकी कर्तृ संज्ञा नही होती है और देवदत्त प्रधानीभूत व्यापार का आश्रय है। इसलिये उसी की कर्तृ संज्ञा होती है।

इसके अतिरिक्त आख्यातार्थ व्यापार का आश्रय कर्त्ता होता है—ऐसा मानने पर "ग्रामाय गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम्" यहाँ पर विष्णुमित्र के कर्त्ता न होने की आपत्ति होगी। 'विष्णुमित्र' के कर्त्ता न होने से उसके ईप्सिततम 'ग्राम' की कर्मसंज्ञा न होगी तथा ग्राम की कर्मसंज्ञा न होने से 'ग्रामाय गमयति देवदत्तो विष्णुमित्रम्' यहाँ पर 'ग्राम' में चतुर्थी विभक्ति नही होगी क्योंकि 'गत्यर्थ कर्मणि द्वितीयचतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि" (२.३.१२) इस सूत्रसे गत्यर्थक कर्म में ही वैकल्पिक चतुर्थी का विधान होता है। गत्यर्थ-

सूत्रानुपपत्तिमपि मानत्वेन प्रदर्शयन्नुक्तार्थस्य स्वोत्प्रेक्षितत्वं निरस्यति—किञ्चेति।

धातुसंज्ञाविधायकं 'भूवादयो धातवः' इति सूत्रम्, तत्र भूश्च वाश्चेति द्वन्द्वः, आदिश्च आदिश्च आदी, ततो भूवौ आदी येषामिति बहुव्रीहिः। तथा च भूप्रभृतयो वा सदृशा धातव इत्यर्थः, तच्च—क्रियावचकत्वेन। तथा च क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वं पर्यवसन्नम्। अत्र क्रियावाचित्वमात्रोक्तौ वर्जनादिरूपक्रिया-वाचके हिरुक्, नाना-इत्यादावतिव्याप्तिरिति 'भ्वादिगणपठितत्वम्' उक्तम्।

सावित्री

कर्म वह हो सकता है—आख्यातार्थव्यापाराश्रय कर्तृ निष्ठाख्यातार्थव्यापारजन्यफलाश्रयत्वम्—अर्थात् आख्यातार्थ व्यापार का आश्रय जो कर्त्ता, उसमें रहने वाला आख्यातार्थ जो व्यापार, उससे जन्य जो फल, उस फल का आश्रय कर्म होता है। 'ग्रामाय गमयति देवदत्तो विष्णु-मित्रम्'' में आख्यातार्थ व्यापार का आश्रय रूप कर्त्ता देवदत्त है उसमें रहने वाला जो आख्यातार्थ व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो प्रेरणा रूप फल, उस फल का आश्रय 'विष्णुमित्र' है ग्राम नही, क्योंकि प्रयोज्यकर्त्ता जो विष्णुमित्र, उसके व्यापार से जन्य जो सयोगरूप फल, उस फल का आश्रय ग्राम है। इस प्रकार आख्यातार्थव्यापाराश्रयरूप कर्त्ता के व्यापार से जन्य फल का आश्रय न होने से 'ग्राम' की कर्म संज्ञा नही होगी। अतः गत्यर्थ कर्म न होने 'ग्राम' में 'गत्यर्थ कर्मणि॰' सूत्र से वैकल्पिक चतुर्थी न हो होगी जिससे उक्त रूप सिद्ध न होगा।

ऐसी दशा में आख्यातार्थ व्यापाराश्रय को कर्त्ता नही कहा जा सकता है। इसीलिये यह कहना कि णिजन्त में प्रयोजक और प्रयोज्य-दोनों का व्यापार आख्यातार्थ है और उन दोनों व्यापार के आश्रय देवदत्त, यज्ञदत्त की कर्तृसंज्ञा होती है—कहना अपास्त हुआ। इसलिये व्यापार आख्यात का अर्थ न मान कर धातु का अर्थ मानना उचित है क्योंकि यदि आख्यातार्थ व्यापार को ही कर्त्ता मानेंगे तो 'पक्ता देवदत्तः' इत्यादि स्थलों में जहाँ आख्यात नहीं है वहाँ देवदत्त का कर्तृत्व सिद्ध न हो सकेगा।

धातु का अर्थ व्यापार होता है—यदि यह न माना जाय तो 'भूवादयो धातवः' (१-३-१) सूत्र ही अनुपपन्न हो जायगा। इस बात को प्रमाण रूप में प्रदर्शित करने तथा अपनी बात के कपोल कल्पित होने की आशंका का खण्डन करते हुये कारिका का उत्तरार्द्ध

तावन्मात्रोक्तौ चाह—

सर्वनामाव्ययादीनां या-वादीनां प्रसङ्गतः ।
न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम् ॥१०॥

गणपठितत्वमात्रोक्तौ सर्वनामाव्ययानामपि धातुत्वं स्यात्, तथा च 'याः पश्यसि' इत्यादौ 'आतो धातोः' (६-४-१४) इत्याकारलोपापत्तिः ।

सावित्री

उपस्थित करते है – 'किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न'' । धातु संज्ञा विधायक सूत्र है—'भूवादयो धातवः' (१.३.१) इसमें पहले ''भूश्च वाश्च'' इति 'भुवौ' ऐसा द्वन्द्व हुआ है, फिर 'आदिश्च आदिश्च' इस विग्रह में एकशेष करके द्विवचन में आदी' ऐसा रूप बनता है । इसमें एक 'आदि' शब्द व्यवस्था वाची तथा दूसरा सादृश्य वाची है । 'भूवौ आदी येषां ते भूवादयः' ऐसा बहुव्रीहि समास करके 'भूवादयः' पद सिद्ध करते हैं ।

इनमें प्रथम जो व्यवस्था वाचक आदिशब्द है, वह 'भू' के साथ जुड़ जाता है और दूसरा सादृश्यवाचक आदि शब्द 'वा' के साथ लग जाता है जिससे—'भू प्रभृतयो वा सदृशा धातवः' ऐसा अर्थ होता है—अर्थात् 'भू' इत्यादि जो 'वा' के सदृश है—की धातु संज्ञा होती है । यहाँ सादृश्य क्रियावाचकत्वेन लिया जाता हैं । इसलिये ''क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वम् धातुत्वम्'' अर्थात् क्रियावाचक होते हुये भ्वादिगण में पठित हो उसकी धातु संज्ञा होती है—यह पूर्ण अर्थ हुआ । क्रियावाचित्व करने से विकल्पार्थक 'वा' की धातु संज्ञा नही होती है अपितु क्रियावाची जो ''वा गतिगन्धनयोः'' का 'वा' है उसी की धातु संज्ञा होती है ।

यदि केवल क्रियावाचित्वमात्र कहते 'भ्वादिगणपठितत्व' यह अंश न कहते तो हिरुक् नाना-इत्यादि अव्ययों के क्रियावाची होने से धातु संज्ञा होने लगती । इसलिये क्रियावाची होते हुये भ्वादिगण में पठित हो—उसकी धातु सज्ञा होती है—ऐसा लक्षण करना उचित है । सूत्र के इस अर्थ से भी यही सिद्ध होता है कि क्रिया अर्थात् व्यापार धातु का ही अर्थ है न कि तिङ् का ।

यदि धातु के लक्षण में 'भ्वादिगणपठितत्वम्' इतना ही अंश कहें तो क्या स्थिति होगी ? इसके उत्तर में अग्रिम कारिका उपस्थित करते हैं—

यदि 'भ्वादिगणपठितत्वम्' मात्र इतना ही धातु का लक्षण करेंगे तो 'याः पश्यसि' के सर्वनाम 'या' की तथा विकल्पार्थक 'वा' अव्यय की भी धातु संज्ञा होने लगेगी । केवल

नन्तु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणान्न सर्वनाम्नो ग्रहणं तस्य लाक्षणिकत्वात्, इत्यत आह—वेत्यादि। अव्यये 'वा' इत्यादावतिप्रसङ्गः, तादृशस्यैव गणे पाठेन निर्णयाऽसम्भवात्। तथा च विकल्पार्थको 'वाति' इति प्रयोगः स्यादिति भावः।

न च गतिगन्धनाद्यर्थनिर्देशो नियामकः, तस्यार्थानादेशनादिति भाष्यपर्यालोचनयाऽऽधुनिकत्वलाभात्।

नन्वस्तु क्रियावाचकत्वे सति गणपठितत्वं धातुत्वम्, क्रिया च धात्वर्थ एव न व्यापार इत्याशङ्कां समाधत्ते--

धात्वर्थत्वं क्रियात्वश्चेद्धातुत्वं च क्रियार्थता।
अन्योऽन्यसंश्रयः स्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् ॥११॥

सावित्री

'भ्वादिगणपठितत्वम्' लक्षण करना उचित नहीं है ऐसा भाष्यकार ने कहा है। इसलिये 'क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वम्' इतना धातु का लक्षण करना उचित है।

'यदि धातु के लक्षण में भ्वादिगणपठितत्वम्' इतने ही अंश का निवेश करेंगे तो 'याः पश्यसि' के सर्वनाम 'या[१]' शब्द की धातु संज्ञा होने लगेगी। धातु संज्ञा होने पर 'आतो धातोः (६-४-१४०) सूत्र से आकार का लोप होने लगेगा।

यदि यह कहें कि 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्" इस परिभाषा के अनुसार प्रतिपदोक्त 'या' पद की ही धातु संज्ञा होगी। सर्वनाम 'या' शब्द तो लक्षणिक होगा, जिससे उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी। इसलिये कहा—वेत्यादि। अर्थात् विकल्पार्थक अव्यय 'वा' इत्यादि की धातु संज्ञा होने लगेगी क्योंकि धातुपाठ के 'वा' में भी वही आनुपूर्वी है। तब कौन वा' धातुसंज्ञक है—इसका निर्णय करना असम्भव हो जायगा। ऐसी दशा में विकल्पार्थक 'वा' शब्द का 'वाति' ऐसा प्रयोग होने लगेगा।

यदि यह कहें कि धातु पाठ में 'या प्रापणे' 'वा गतिगन्धनयोः' इत्यादि जो अर्थ निर्देश किया गया है वही प्रमाण है कि सर्वनाम 'या' शब्द तथा विकल्पार्थक 'वा' शब्द

१. यत्' इस अव्यय से 'त्यदादीनामः' (७।२।१२) सूत्र से तकारको अकार तथा अतो गुणे' (६।०।१४) स पर रूप कर 'य' रूप बना तथा स्त्रीत्व विवक्षा में 'अजाद्यतष्टाप्' से टाप् हो कर 'या' रूप बना है।

यदि क्रियात्वं धात्वर्थत्वमेव तर्हि धातुत्वग्रहे तदर्थत्वरूपक्रियात्वग्रहः, क्रियात्वग्रहे तदवच्छिन्नवाचकत्वघटितधातुत्वग्रह इत्यन्योऽन्याश्रय इति ग्रहपदं पूरयित्वा व्याख्येयम्। यथाश्रुते चाऽन्योऽन्याश्रयस्योत्पत्तौ ग्रहे वा प्रतिबन्धकत्वाऽभ्युपगमेनासङ्गत्याऽऽपत्तेः।

न चान्यतमत्वं धातुत्वम्, 'भूवादयः' (१-३-१) इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेरित्यभिप्रेत्याह—अस्त्विति। व्यापारसन्तानः क्रिया, तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वमित्यर्थः।

सावित्री

की धातु संज्ञा नहीं होगी—यह उचित न होगा क्योंकि भाष्यकारने धातुओं के विषय में कहा है—'अर्थानादेशनात्' अर्थात् धातुओं में अर्थ का निर्देश नहीं किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि अर्थ निर्देश अत्यन्त आधुनिक है। पहले अर्थ का निर्देश नहीं था। इसलिये विकल्पार्थक 'वा' इत्यादि की धातु संज्ञा रोकने के लिये धातु के लक्षण में 'क्रियावाचकत्वे सति' इस अंश का निवेश आवश्यक है।

अब मीमांसकों का वैयाकरणों के प्रति कहना है कि ठीक है, हम भी "क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वम्" ऐसा धातु का लक्षण मान लेंगे किन्तु हम क्रिया पद से धात्वर्थ अर्थात् फल का ग्रहण करेंगे न कि व्यापार का – इस आशंका का समाधान करते हैं–

यदि धात्वर्थ को क्रिया और क्रिया का अर्थ धातु मानेंगे तो स्पष्टरूप से अन्योऽन्याश्रय दोष होने लगेगा। इसलिये जैसा भाष्यकार ने कहा है वैसा ही मानना उचित है।

यदि धातु के अर्थ को ही क्रिया मानेंगे तो धातु के ज्ञान में क्रिया का ज्ञान तथा क्रिया के ज्ञान में उसके वाचक धातु का ज्ञान आवश्यक होगा—इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसक्त होगा। यहाँ व्याख्या करते समय 'ग्रह' पद का अध्याहार आवश्यक है नहीं तो कारिका का अर्थ असङ्गत हो जायगा क्योंकि उत्पत्ति और ज्ञान के विषय में ही अन्योऽन्याश्रय प्रतिबन्धक होता है अन्यत्र नहीं।

यदि यह कहें कि धातु का लक्षण करेंगे—'अन्यतमत्वं तत्वम्' अर्थात् भ्वादि-अदादि गणों में पठित हर एक की धातु संज्ञा होती है, जिससे पूर्वोक्त प्रकार से वर्णित अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं होगा इसके उत्तर में कौण्डभट्ट का कहना है कि ऐसा मानने पर 'भूवादयो धातवः' (१।३।१) इस सूत्र की वैयर्थ्यापत्ति होगी। इसलिये कहा है—अस्त्विति। अतः भाष्य के वर्णन के अनुसार ही क्रिया मानना चाहिये।

नन्‍ु सत्तादीन् फलांशानन्यतमत्वेनादाय तद्वाचकत्वे सति गणपठितत्वं लक्षणमुच्यताम् । धात्वर्थत्वात्तेषां क्रियाशब्देन व्यवहारो भाष्यादौ कृतोऽप्युपपत्स्यते—इति चेत् न, अन्यतममध्ये विकल्पस्यापि 'विकल्पयती'ति प्रयोगानुसारात् तदर्थके 'वा' इत्यव्यये उक्तरीत्या गणपठितत्वसत्त्वेनातिव्याप्तिरिति ॥ ११ ॥

ननु अस्यैव धातुत्वे 'अस्ति' इत्यादौ क्रियाप्रतीत्यभावादस्त्यादीनां तद्वाचकानामधातुत्वप्रसङ्ग इत्यत आह—

सावित्री

भाष्यकार ने कहा है---व्यापारसन्तानः क्रिया । अर्थात् क्रमशः उत्पन्न व्यापार समूह को क्रिया कहते हैं । उस क्रिया का वाचक होता हुआ जो गण में पठित हो उसे धातु कहते हैं ।

यदि 'सत्ता आदि फल अंश को लेकर उनमें से किसी एक का वाचक होता हुआ गण में पठित हो उसे धातु कहते हैं' ऐसा लक्षण किया जाय क्योंकि भाष्य में फलांश का क्रिया शब्द से व्यवहार देखा जाता है ।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि फलांश में अन्यतम होता हुआ गण पठित हो—ऐसा लक्षण किया जाय तो लोक में 'विकल्पयति' प्रयोग होता है । उसका फल 'विकल्प' है । उस फल रूप विकल्प का वाचक अव्यय 'वा' शब्द है उसकी भी धातु संज्ञा होने लगेगी क्योंकि विकल्प रूप फल का वाचक होते हुये भ्वादिगण में पठित है । इसलिये फल और व्यापार—दोनों को धातु ा अर्थ मानना अत्यन्त आवश्यक है ।

अच्छा, ''भ्वादिगणपठितत्वे सति क्रियावाचकत्वम् धातुत्वम्'' इस नियम के अनुसार यदि व्यापार वाचक की ही धातु संज्ञा है तो 'अस्ति' इत्यादि में किसी व्यापार की प्रतीति न होने से धातुत्व नहीं रहेगा । इस आशङ्का के उत्तर में अग्रिम कारिका प्रस्तुत करते हैं—

'अस्ति' इत्यादि भी धर्म्यंश अर्थात् सत्तारूप फल के भाव्यत्वेन (भावनानिष्पाद्यत्वेन) विवक्षित होने से भावना (व्यापार) होती ही है किन्तु अन्यत्र अर्थात् सकर्मक से भिन्न अकर्मक स्थल में भावना और फल के एक ही अधिकरण में रहने से भावना की पृथक् प्रतीति नहीं होती है ।

'अस्त्यादौ' का अर्थ है असु' भुवि इत्यादि धातुओं में । 'धर्म्यंशे' का अर्थ है

अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येऽस्त्येव हि भावना ।
अन्यत्राऽशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते ॥ १२ ॥

अस्त्यादौ = 'अस् भुवि' इत्यादौ, धर्म्यंशे = धर्मिभागे, भाव्ये = भाव्यत्वेन विवक्षिते, अस्त्येव = प्रतीयत एव । अयमर्थः—'स ततो गतो न वा' इति प्रश्ने 'महता यत्नेन अस्ति' इति प्रयोगे सत्तारूपफलानुकूला भावना प्रतीयत एव ।

उत्पत्त्यादिबोधने तु सुतराम् । 'रोहितो लोहितादासीद् धुन्धुस्तस्य सुतोऽभवत्' (रामायणे) इत्यादिदर्शनात् । किञ्चात्र भावनाविरहे

सावित्री

धर्मी के फल रूप भाग में । भाव्ये का अभिप्राय है भाव्यत्वे । विवक्षित होने पर । 'अस्त्येव' का अर्थ है कि भावना प्रतीत होती ही है ।

अभिप्राय यह है कि जैसे किसी ने प्रश्न किया—'स ततो गतो न वा' अर्थात् वह वहाँ से गया कि नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर दिया—'महता यत्नेन अस्ति'' अर्थात् बहुत प्रयत्न करने पर रुके हुये हैं। इस उत्तर से ही 'अस्' धातु में सत्तानुकूल भावना प्रतीत हो रही है । यदि 'अस्' धातु में भावना की प्रतीति न होती तो 'महता यत्नेन अस्ति' इस उत्तर में यत्न शब्द का प्रयोग न होता ।

जब 'अस्' 'भू' का अस्ति–भवति इत्यादि उत्पत्ति अर्थ किया जाता है तब तो धातु का भावना अर्थ सरलतया सिद्ध हो जाता है ।

'रोहितो लोहितादासीत् धुन्धुस्तस्य सुतोऽभवत्' अर्थात् लोहित का रोहित नामक पुत्र हुआ और उसका धुन्धु नामक पुत्र हुआ—इत्यादि में आसीत् और अभवत् इत्यादि भूतकालिक क्रियायें प्रयुक्त हैं, इससे भी धातु का भावना अर्थ सिद्ध होता है क्योंकि धातु का यदि भावना अर्थ न हो तो लट् आदि लकार न हो सकेंगे । उसी भावना के ही वर्त्तमानत्वादि विवक्षा में लट् आदि लकारों का विधान होता है । अतः 'अस्' आदि धातुओं का व्यापार अर्थ सिद्ध होता है । वाक्यपदीयकार ने लिखा है—

---

१. धर्म्यंशे=धर्मः फलम्, तदस्यास्तीति धर्मी=कर्त्ता, अकर्मकधातुस्थले फलाश्रयस्य कर्तृत्वात् । तथा 'धर्मिभागे' इत्यस्य धार्मिणि (कर्त्तारम्) प्रकारतया भासमाने फले इत्यर्थः । धर्मिणो धर्मघटिफले ततया धर्म्यंशव्यवहारः ।

लडादिव्यवस्था न स्यात्, तस्या एव वर्तमानत्वादिविवक्षायां तद्विधानात् ।

"क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका" इति वाक्यपदीयादिति । नन्वेवम् 'अस्ति' इत्यत्र स्पष्टं कुतो न बुद्ध्यत इत्यत आह--- अन्यत्रेति । अशेषभावात् = भावनाया फलसमानाधिकरणत्वात् । तथा च भावनायाः फलसामानाधिकरण्यं तत्स्पष्टत्वे दोष इति भावः ।

नन्वेवं 'किं करोती'ति प्रश्ने 'पचति' इत्युत्तरस्येव 'अस्ति' इत्युत्तरमपि स्यादिति चेत्, इष्टापत्तेः । आसन्नविनाशं कञ्चिदुद्दिश्य 'किं करोति' इति प्रश्ने पचतीत्युत्तरस्येव 'अस्ति' इत्युत्तरस्य सर्वसम्मतत्वात् । इतरत्र तु सुस्थतया निश्चिते 'किं करोति' इति प्रश्नः पाकादिविशेषगोचर एवेत्यवधारणात् 'अस्ति' इति नोत्तरमिति ॥१२॥

सावित्री

"क्रियाभेदाय कालस्तु सख्या सर्वस्य भेदिका" अर्थात् काल क्रिया में विशेषण होता है और संख्या हर एक में विशेषण होती है ।

यह कहें कि यदि 'अस्ति' इत्यादि में भावना है तो उसकी स्पष्ट रूप से प्रतीति क्यों नहीं होती है—इसके उत्तर में कारिका के उत्तरार्द्ध में कहा है---अन्यच्चेति । अर्थात् फल और व्यापार के एक अधिकरण में रहने से स्पष्ट रूप से व्यापार की पृथक् प्रतीति नहीं होती है ।

अच्छा, यदि 'अस्' 'भू' इत्यादि धातुओं का भी भावना अर्थ होता तो किं करोति' इस भावना विषयक प्रश्न का उत्तर जैसे 'पचति' होता है वैसे ही 'अस्ति' भी होता । इसके उत्तर में वैयाकरण का कहना है कि ऐसे स्थलों पर यदि 'अस्ति' ऐसा उत्तर किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है वल्कि अभीष्ट है । जैसे कोई मरणासन्न है—वह मर गया अथवा जीवित है ? इस अभिप्राय से उसे लक्ष्य कर कोई प्रश्न करता है---किं करोति ? इस प्रश्न के उत्तर में 'पचति' इस उत्तर की भाँति 'अस्ति' यह उत्तर भी सभी को मान्य है । अन्यत्र जहाँ उसका अस्तित्व सुनिश्चित रहता है वहाँ 'किं करोति' इस प्रश्न का उत्तर 'पचति' यह किया जाता है । अस्तित्व सन्दिग्ध न होने से 'अस्ति' यह उत्तर नहीं दिया जाता है ।

इस प्रकार भी धातु का ही भावना अर्थ होता है---सिद्ध होता है ॥ १२ ॥

नन्वेवं भावनायाः फलनियतत्वात् फलाश्रयस्य च कर्मत्वात् सर्वेषां क्रियावाचकत्वे सकर्मकतापत्तिरित्यत आह—

फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः ।
धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक इत्युदाहृतः ॥१३॥

एकनिष्ठतायामाह – एकमात्रनिष्ठतायाम्, भिन्नाधिकरणताऽवृत्तितायामिति यावत् । तेन गम्यादौ फलस्य कर्तृनिष्ठत्वेऽपि नातिव्याप्तिः । अकर्मको यथा स्वादिः । तयोः = फलव्यापारयोः, आश्रयभेदे सकर्मक इत्यर्थः । उक्तञ्च वाक्यपदीये—(३-३-४७)

आत्मानमात्मना बिभ्रदस्तीति व्यपदिश्यते ।
अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्मणा न सकर्मकः ॥ इति ।

बिभ्रदिति । तेन स्वधारणानुकूलो व्यापारोऽत्रापि गम्यत इति

सावित्री

अच्छा यदि सभी धातुओं का फल और व्यापार, दोनों अर्थ हैं तो सभी धातुओं का सुनिश्चित रूप से कोई फल होगा और उस फल के आश्रय की कर्म संज्ञा होने से सभी धातुएँ सकर्मक हो जायेंगी । तब व्याकरणशास्त्र में अकर्मक धातु का व्यवहार ही अनुपपन्न हो जायगा । इस आशङ्का का उत्तर अगली कारिका में देते हैं:—

जिस धातु के फल और व्यापार, दोनों एकनिष्ठ हों अर्थात् एक अधिकरण में रह रहे हों वह धातु अकर्मक होती है तथा जिस धा; के फल और व्यापार भिन्न अधिकरण में रह रहे हों वह धातु सकर्मक होती है ।

'एकनिष्ठता' का अर्थ है=एकमात्रनिष्ठता । उसका विवरण करते हुये कहा है= भिन्न अधिकरण में अवृत्तिता । आशय यह है कि वही धातु अकर्मक है जिसके फल और व्यापा', एक ही अधिकरण में रहते हैं भिन्न अधिकरण में नही रहते हैं । जैसे—देवदत्तः गच्छति । यहाँ पर 'गम्' धात्वर्थ 'उत्तरदेशसंयोगानुकूलव्यापार' का आश्रय देवदत्त है, अतः उसकी कर्तृसंज्ञा होती है । 'संयोग' रूप फल का आश्रय होने से 'ग्राम' की कर्म संज्ञा और 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति होती है ।

यहाँ पर जैसे 'संयोग' का आश्रय 'ग्राम' है उसी प्रकार देवदत्त भी है क्योंकि 'ग्राम' के साथ उसका भी संयोग होता है । इसके अतिरिक्त देवदत्त में संयोगानुकूलव्यापार भी

भावः । तेन कर्मणा सकर्मकत्वं तु न, अन्तर्भावात् । फलांशेन सामानाधिकरण्यसत्त्वादित्यर्थः ।

बिभ्रदिति । स्वधारणानुकूलो व्यापारोऽत्रापि गम्यत इति भावः । तेन कर्मणा सकर्मकत्वं तु न, अन्तर्भावात्, फलांशेन सामानाधिकरण्यसत्त्वादित्यर्थः ।

सावित्री

रहता है । इस प्रकार देवदत्त में संयोगानुकूलव्यापार और संयोगरूपफल दोनों के रहने से फल और व्यापार की एक अधिकरणता हो गई जिससे 'गम्' धातु के अकर्मक होने को आशंका होती है किन्तु एकनिष्ठता में 'मात्र' के ग्रहण से उसका परिहार हो जाता है । 'एकनिष्ठता' में मात्र शब्द को जोड़ने से एकमात्रनिष्ठता अर्थ निकलता है । 'गम्' धातु के अर्थ फल और व्यापार, दोनों यद्यपि 'देवदत्त' आदि कर्त्ता में रहते हैं तथापि 'गम्' धात्वर्थ 'संयोग' रूप फल देवदत्त के अतिरिक्त 'ग्राम' में भी रहता है । इस प्रकार फल द्विष्ठ है । एकमात्रनिष्ठता सिद्ध न होने से 'गम्' धातु में अकर्मकता की अति व्याप्ति नहीं हुई । इसलिये 'एकनिष्ठता' का 'एकमात्रनिष्ठता' अर्थ करना सार्थक हुआ । यहाँ 'तयोः' इस द्विवचन का 'फलव्यापारयोः' अर्थ है । तात्पर्य यह है कि फल और व्यापार के आश्रय (अधिकरण) भेद से धातु सकर्मक होती है । 'भू' इत्यादि धातुयें अकर्मक हैं क्योंकि इनमें फल और व्यापार सर्वथा एक ही अधिकरण में रहते हैं भिन्न अधिकरण में नहीं । फल और व्यापार का जहाँ आश्रयभेद हो वहाँ धातु सकर्मक होती है । वाक्यपदीय में कहा है—

आत्मानमात्मना बिभ्रदस्तीति व्यपदिश्यते ।
अन्तर्भावाच्च तेनासौ कर्म्मणा न सकर्म्मकः ॥ इति ।

'आत्मनमात्मना धत्ते' अर्थात् अपने द्वारा अपने को धारण करता है—यहाँ पर 'अस्ति' का व्यवहार होता है किन्तु 'आत्मानम्' इस कर्म के साथ रहने पर भी 'अस्' धातु सकर्मक नहीं होती है क्योंकि अस्त्यर्थ क्रिया में ही फल अन्तर्भूत (क्रोडीकृत) रहता है ।

बिभ्रत्' यहाँ पर भी आत्माधारणानुकूलव्यापार प्रतीत होता है और उस व्यापार का आत्मधारण फल भी होता है तथा उस फल का अश्रय 'आत्मा' कर्म होता है किन्तु उस कर्म से धातु सकर्मक नही होती है क्योंकि वह कर्म धात्वर्थ में ही अन्तर्भूत रहता है अर्थात् फलांश के साथ उसका सामानाधिकरण्य रहता है ।

अब यहाँ यह अशङ्का होती है कि यदि जिस धातु के फल और व्यापार—एक अधिकरण में रहते हैं वह अकर्मक होती है तो 'ज्ञा' धातु का फल ज्ञान और तदनुकूल

'आत्मानं जानाति, इच्छति' इत्यादौ च द्वावात्मानौ—शरीरात्माऽन्तरात्मा च। तत्रान्तरात्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा सुखदुःखेऽनुभवतीति कर्मवत्कर्मणा ० (३-१-८७) इति सूत्रीयभाष्योक्तरीत्या भिन्नाधिकरणनिष्ठतामादाय सकर्मकत्वमित्यवधेयम् ॥१३॥

नन्वसत्त्वभूतक्रियाया धात्वर्थत्वे 'पाकः' इत्यत्रापि तत्प्रत्ययापत्तिः। न चेष्टापत्तिः, 'कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते' इति भाष्यविरोधादित्यत आह—

आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता।
प्रकल्पिता यथाशास्त्रे स घञादिष्वपि क्रमः ॥१४॥

सावित्री

व्यापार—दोनों 'देवदत्त' आदि कर्त्ता में ही रहते हैं। ज्ञा धातु के अकर्मक होने पर 'आत्मा' की कर्म संज्ञा और द्वितीया विभक्ति नहीं होगी।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि उपाधि भेद से आत्मा दो प्रकार का है—शरीरात्मा, अन्तरात्मा। उसमें अन्तरात्मा कर्त्ता और शरीरात्मा कर्म होता है। अन्तरात्मा वह कर्म करता है जिससे शरीरात्मा सुख, दुःख का अनुभव करता है। "कर्मवत्कर्मणा" (३-१-८७) इति सूत्र के भाष्यानुसार कर्त्ता और कर्म रूप आत्मा की भिन्न अधिकरणता लेकर 'ज्ञा' धातु का सकर्मकत्व उत्पन्न किया गया है ऐसा समझना चाहिये।

यदि असत्त्वभूत क्रिया को 'धातु' का अर्थ मानेंगे तो 'पाकः' यहाँ पर भी असत्त्वभूत क्रिया की प्रतीति होने लगेगी। यदि यह कहें कि ऐसी प्रतीति अभीष्ट है तो 'कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते' अर्थात् कृत्प्रत्यय द्वारा अभिहितक्रिया द्रव्यवत् (सत्त्वभूतक्रिया की भाँति) प्रकाशित होती है—इस भाष्य से विरोध होगा। अतः इस आशङ्का को दूर करने के लिये अग्रिम कारिका उपस्थित करते हैं—

जैसे 'पश्य मृगो धावति', 'पचति भवति' आदि दो तिङन्त वाले वाक्यों में साध्यसाधनरूपता रहती है वैसे ही 'पाकः' इत्यादि के घञ् आदि प्रत्ययों में भी साध्य साधन रूपता समझनी चाहिये।

आख्यातशब्दे = 'पश्य मृगो धावति' इत्यादौ भागाभ्याम् = तिङन्ताभ्याम्, प्रकृतिप्रत्ययभागाभ्यामिति विवरणकारोक्तमपव्याख्यानम्, पचतीत्यत्रापि भागद्वयसत्त्वात्। साध्यसाधनरूपता यथाक्रमं ग्राह्या। साध्यत्वम् = क्रियान्तराकाङ्क्षाऽनुत्थापकतावच्छेदकरूपवत्त्वम्। साधनत्वम्—कारकत्वेनान्वयित्वम्।

स घञादिष्वपीति—प्रकृत्या साध्यावस्था, प्रत्ययेन साधनावस्था। इयान् परं विशेषः—घञाद्युपस्थाप्या लिङ्गसङ्ख्यान्वयिनी कारकान्वयिनी च। आख्यातान्तोपात्ता तु नैवम्, कारकत्वेनान्वयित्वमात्रेण दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकतेत्यवधेयम्।

सावित्री

'आख्यातशब्दे' का आशय 'पश्य मृगो धावति' इत्यादि से है। यहाँ एक आशङ्का होती है कि 'आख्यात' इतना ही कहने से तिङन्त अर्थ का लाभ हो जाता पुनः 'शब्द' का ग्रहण क्यों किया गया? इसका उत्तर है कि यहाँ बहुव्रीहि अर्थ के लाभ के लिये शब्दग्रहण है। "द्वे आख्याते शब्दौ यत्र वाक्ये तदाख्यातशब्दम्" अर्थात् दो आख्यात (तिङन्त) शब्द जिस वाक्य में प्रयुक्त हों, वह 'आख्यातशब्द' कहलाता है। जैसे कि 'पश्य मृगो धावति' का उदाहरण दिया गया है।

'भागाभ्याम्' का अर्थ है दो तिङन्तों द्वारा विवरणकार ने 'भागाभ्याम्' का 'प्रकृतिप्रत्ययाभ्याम्' अर्थ किया है पर वह असङ्गत है क्योंकि वैसा करने पर 'पचति' में प्रकृति-प्रत्यय रूप दो भाग हैं। वह वहाँ भी दोनों में साध्य-साधन रूपता होने लगेगी जो सर्वथा अनुचित है। इसलिये दो तिङन्तों में साध्य-साधन रूपता समझनी चाहिये।

साध्य क्रिया वह होती है जिसके सुनने के बाद अर्थ बोध के लिये क्रियान्तर की आकांक्षा नहीं रहती है। जैसे 'देवदत्तः गच्छति' में 'गच्छति' साध्या क्रिया है क्योंकि इसके सुनने के बाद आकांक्षा की शान्ति के लिये अन्य क्रिया की अपेक्षा नहीं रहती है। साधन क्रिया वह है जो कारक रूप से दूसरी अर्थात् साध्य क्रिया में अन्वित हो। 'पश्य, मृगो धावति' में 'पश्य' साध्य क्रिया है तथा 'धावति' साधन क्रिया है।

इसी प्रकार 'पाकः' इत्यादि कृदन्त शब्दों में भी साध्य और साधन- दो क्रियायें होती हैं। इसमें धातु वाच्य क्रिया साध्य क्रिया है और 'घञ्' आदि प्रत्यय से उपस्थाप्य

न च घञन्ते धातुना तथाऽभिधाने मानाभावः, 'ओदनस्य पाकः' इति कर्मषष्ठ्या मानत्वात् । न च 'भवति' इत्यध्याहृततिङन्त-क्रियान्वयात् षष्ठी, 'कर्तृकर्मणोः कृति' (२-३-६५) इति कृदन्तेन योग एव तद्विधानात् । "न लोकव्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्" (२-३-६९) इति लादेशयोगे षष्ठीनिषेधाच्च । एवं रीत्या 'काष्ठैः पाकः' इत्याद्य-पीष्टमेव । एवं फलांशोऽपि धातुनाऽसत्त्वावस्थापन्न एवोच्यते । अत एव 'स्तोकं पचति' इतिवत् 'स्तोकं पाकः' इत्युपपद्यत इति ॥ १४ ॥

सावित्री

क्रिया साधनावस्था की क्रिया है । तिङन्त तथा कृदन्त-दोनों प्रकार के पदों से साध्य और साधन क्रिया की प्रतीति होती है । दोनों में अन्तर इतना ही है कि घञ् आदि प्रत्ययों से उपस्थाप्य क्रिया लिङ्ग, संख्या में अन्वित होती है तथा कारक में भी अन्वित होती है जबकि तिङन्त क्रिया के साथ लिङ्ग आदि का अन्वय नही होता है । यहाँ कारकत्वेन अन्व-यित्व मात्र से दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिक में समानता है ।

यदि कहें कि घञन्त शब्दों में धातु अंश से साध्यावस्थापन्न क्रिया के कथन में कोई प्रमाण नही है, इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि 'ओदनस्य पाकः' के ओदन रूप कर्म में 'कर्तृकर्मणोः कृति' (२-३-६५) से षष्ठी का विधान ही प्रमाण है कि घञन्त शब्दों के धातु से साध्यावस्थापन्न क्रिया का अभिधान होता है क्योंकि कारकों का साध्याव-स्थापन्न क्रिया में अन्वय होने का नियम है । यदि पाकः' के 'पच्' धातु से साध्यावस्था-पन्न क्रिया का अभिधान न मानेंगे तो ओदन रूप कर्म का उसमें अन्वय न हो सकेगा । कर्मत्वेन क्रिया में अन्वय न होने पर 'ओदनस्य' में 'कर्तृकर्मणोः कृति' (२-.-६५) सूत्र से षष्ठी न हो सकेगी ।

यदि यह कहें कि हम अन्वय के लिये 'भवति' ऐसी तिङन्त क्रिया का अध्याहार कर लेंगे जिससे वाक्य होगा—'ओदनस्य पाको 'भवति' उस ओदन रूप कर्म का 'भवति' इस साध्यावस्थापन्न क्रिया में अन्वय हो जायगा । अन्वय होने पर 'कर्तृकर्मणोः कृति' से ओदन में षष्ठी भी उपपन्न हो जायगी ।

इसके विरोध में ग्रन्थकार का का कहना है कि अध्याहृत तिङन्त क्रिया के साथ अन्वय करने पर 'ओदन' में षष्ठी विभक्ति हो सकेगी क्योंकि 'कर्तृकर्मणोः कृति' से कृत्प्रत्यय के योग में ही षष्ठी का विधान होता है तथा "न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृ-नाम्" (२-३-६९) सूत्र से लकारस्थानीय आदेश के योग में षष्ठी का निषेध भी

एतदेव स्पष्टयति—

साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपानिबन्धना।
सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञादिनिबन्धनः ॥१४॥

न च घञादिभिः सिद्धत्वेनाभिधाने मानाभावः, 'पाकः' इत्युक्ते भवति, नष्टो वेत्याद्याकाङ्क्षोत्थानस्यैव मानत्वात्, धातूपस्थाप्यायां तदसम्भवस्योक्तत्वात्, 'स्तोकः पाकः' इत्यनापत्तेश्च। तस्माद्धात्वर्थान्वये स्तोकादिशब्देभ्यो द्वितीया, घञर्थान्वये प्रथमा, पुल्लिङ्गता चेति, तत्सिद्धये घञादेः शक्तिरुपेया। एतेन घञादीनां प्रयोगसाधुतामात्रमिति नैयायिकनव्योक्तमपास्तम्।

सावित्री

यही सूचित करता है कि 'ओदन' का अध्याहृत तिङन्त क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो सकता है। यदि 'ओदन' का अध्याहृत 'भवति' क्रिया के साथ अन्वय मान लिया जाय तो 'न लोकाव्यय०' सूत्र से निषेध हो जायगा। दूसरे 'ओदनस्य' में षष्ठी नहीं हो सकेगी। इससे सिद्ध है कि धातु से उपस्थाप्य साध्य क्रिया बिना स्वीकार किये षष्ठी विभक्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार 'काष्ठैः पाकः' यह भी सिद्ध हो जायगा क्योंकि 'काष्ठ' शब्द से विहित जो तृतीया विभक्ति है उसके करण रूप अर्थ की 'पच्' धात्वर्थ साध्यक्रिया में अन्वय हो जायगा। इसके अतिरिक्त धातु से जहाँ फल का कथन होता है, वह भी असत्त्वावस्थापन्न ही फल होता है। इसीलिये 'स्तोकं पचति' की तरह 'स्तोकं पाकः' भी उपपन्न होता है। यदि धातु से सत्त्वावस्थापन्न फल न उपस्थित होता तो 'स्तोक' रूप कर्म का उसमें अन्वय न होता क्योंकि कारकों का सत्वावस्थापन्न क्रिया में ही अन्वय होता है।

'पाकः' इत्यादि में साध्यरूप से उपस्थित होने वाली धातु के कारण और सिद्धरूप से उपस्थित होने वाली क्रिया 'घञ्' प्रत्यय के कारण समझना चाहिये।

यदि यह कहें कि 'पाकः' इत्यादि में घञादि प्रत्ययों के द्वारा सिद्ध क्रिया के कथन में कोई प्रमाण नहीं है, उचित नहीं है क्योंकि 'पाकः' ऐसा कहने पर भवति, नष्ट— इत्यादि जो क्रियान्तर की आकांक्षा होती है वही प्रमाण है।

भवति' इत्यादि के धातु से उपस्थाप्य क्रिया में क्रियान्तर की आकांक्षा होना असम्भव है यह कहा जा चुका है। घञ् प्रत्यय के द्वारा ही सिद्धावस्थापन्न क्रिया का

न च घञन्तशक्त्युपस्थाप्यान्वये 'स्तोकः पाकः' इति भवतीति वाच्यम्, घञन्तानुपूर्व्याः शक्ततावच्छेदकत्वे गौरवादनुशासनविरोधाच्च घञादेरेव तथा शक्तिकल्पनादिति दिक्। एवञ्च घञ्शक्त्यभिप्रायेण 'कृदभिहितः' इति भाष्यम्, अतो न तद्विरोध इति भावः ॥ १५ ॥

सावित्री

अभिधान होता है इसमें 'स्तोकः' में पुल्लिङ्ग एकवचन आदि जो दिखाई पड़ता है उसका अन्वय 'पाकः' के घञ् प्रत्यय द्वारा सिद्ध क्रिया में होता है 'घञजपः पुंसि' इस नियम के अनुसार 'घञ्' प्रत्यायान्त पुल्लिङ्ग ही होता है। धात्वर्थ फल में अन्वय करने पर 'स्तोक' आदि शब्दों से द्वितीया, एकवचन, नपुसकलिङ्ग होता है क्योंकि नियम है "क्रियाविशेषणानां क्लीवत्वमेकत्वंकर्मत्वञ्च" अर्थात् क्रियाविशेषणों में नपुंसकलिङ्ग, एक वचन और कर्मकारक होता है। धात्वर्थ व्यापार में 'स्तोक' का अन्वय करने पर यद्यपि प्रथमा विभक्ति सम्भव है तथापि 'सामान्ये नपुंसकम्' से नपुंसक लिङ्ग होकर 'स्तोकं पाकः' यही होगा, 'स्तोकः पाकः' नही बनेगा। घञ्प्रत्यय से उपस्थाप्य सिद्धावस्थापन्न क्रिया में स्तोक का अन्वय करने पर प्रथमा विभक्ति और पुल्लिङ्ग हो कर 'स्तोकः पाकः' यह रूप बन सकेगा।

अतः 'स्तोकः पाकः' इस रूप की सिद्धि के लिये घञादि प्रत्ययों में शक्ति मानना आवश्यक है। इस प्रकार नव्य नैयायिकों का यह कहना है कि घञादि प्रत्ययों में स्वतः कोई शक्ति नही होती है, वे मात्र प्रयोग साधुता के लिये है—कहना निरस्त हो गया।

यदि यह कहें कि घञन्त की शक्ति से उपस्थाप्य सिद्धा क्रिया में अन्वय करने पर 'स्तोकः पाकः' यह रूप बनता है। इसलिये हम घञन्त में शक्ति मान सकते हैं घञ् में नहीं—यह कहना भी उचित न होगा क्योंकि घञन्त आनुपूर्वी को शक्ततावच्छेदक मानने में गौरव होगा। 'घञ्' में शक्ति मानने पर शक्ततावच्छेदक अनुबन्ध रहित घञ् अर्थात् 'अ' मात्र रहेगा जबकि घञन्त में शक्ति मानने पर 'पाक' इतना शक्ततावच्छेदक होगा। इसके अतिरिक्त घञन्त में शक्ति मानने पर 'भावे' (३-३-१८) इस पाणिनीय अनुशासन का भी विरोध होगा क्योंकि सूत्र के द्वारा केवल 'घञ्' प्रत्यय में ही शक्ति का विधान किया गया है घञन्त में नही। भाष्यकार ने भी कहा है—"कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशिते" अर्थात् कृत्प्रत्यय द्वारा अभिहित भाव द्रव्य की भाँति प्रकाशित होता है। उन्होने भी कृत् प्रत्यय में ही शक्ति माना है कृदन्त में नहीं। इस प्रकार घञ् में शक्ति मानने पर सूत्रकार से भी विरोध नही होता है ॥१५॥

ननु कारकाणां भावनाऽन्वयनियम एव 'पाकः' इत्यत्रापि कर्मषष्ठ्यनुसारेण भावनाया वाच्यत्वं सिद्ध्येत्। स एव कुत इत्याऽऽशङ्कां समाधत्ते—

सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमो वतिः।
धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनञ् ॥ १६ ॥
तथा यस्य च भावेन षष्ठीचेत्युदितं द्वयम्।
साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम् ॥ १७ ॥

सम्बोधनान्तस्य क्रियायामन्वयः, 'त्वं ब्रहि देवदत्त' इत्यादौ निघातानुरोधात्। 'समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः' इत्यनेन समानवाक्ये एव तन्नियमात्। उक्तञ्च वाक्यपदीये—

सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियाया विशेषणम्।
व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति ॥ इति ॥

'पचति भवति देवदत्त' इत्यादौ सूत्रभाष्यादिरीत्या एकवाक्यतासत्त्वात् स्यादेव निघातः, 'तिङ्ङतिङः' (७-१-८८) इति सूत्रयता

सावित्री

'कारकों का क्रिया में अन्वय होता है' यह नियम होने पर ही 'ओदनस्य पाकः' में ओदन रूप कर्म षष्ठी का अन्वय करने के लिये 'पाकः' में 'पच्' धात्वर्थ भावना की वाच्यता स्वीकार की जा सकती है। किन्तु कारकों का क्रिया में ही अन्वय होता है, इसे कैसे माना जाय? इस आशङ्का के समाधान में ग्रन्थकार ने अग्रिम कारिका प्रस्तुत की है।

सम्बोधनान्त पद, कृत्वोऽर्थप्रत्यय, कारक, प्रथम वति अर्थात् 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' (५-१-११४) से विहित व तिप्रत्यय, 'धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः' (३-४-१) के अधिकार में विहित प्रत्यय, असमस्त नञ्, यस्य च भावेन भावलक्षणम् (२-३-३७) द्वारा विहित सप्तमी तथा 'षष्ठी चाऽनादरे' (२-३-३८) द्वारा विहित षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति— इन आठों का साधुत्व क्रिया द्वारा होना चाहिये अर्थात् इनका अन्वय क्रिया में ही होना चाहिए।

तिङन्तानामप्येकवाक्यतास्वीकारात्। 'एकतिङ् वाक्यम्' इति वदतां वार्त्तिककाराणां मते परं न। वस्तुतः 'एकतिङ्विशेष्यकं वाक्यम्' इति तदभिप्रायस्य हेलाराजीयादौ वैयाकरणभूषणेऽस्माभिश्च प्रतिपादितत्वात्तन्मतेऽपि भवत्येवेत्यवधेयम्।

कृत्वोऽर्थाः। 'क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्' (५-४-१७) इति क्रियायोगे तत्साधुत्वोक्तेः। क्रियाया अभ्यावृत्तिः—पुनः पुनर्जन्म, तस्मिन् द्योत्ये इति तदर्थात्।

सावित्री

सम्बोधन विभक्त्यन्तार्थ का क्रिया में अन्व होता है। इसीलिये 'त्व बूहि देवदत्त' के 'देवदत्त' पद में 'आमन्त्रितस्य च' (८-१-१९) सूत्र से सर्वानुदात्त होता है। 'समानवाक्ये 'निघातयुष्मदस्मदादेशाः' इस वार्त्तिक के द्वारा समानवाक्य में ही अनुदात्त होने का नियम है। अनुदात्त होने के लिए यह आवश्यक है कि निमित्त और निमित्ती- दोनों समान वाक्य अर्थात् एकवाक्य में हों। 'त्वं ब्रूहि देवदत्त' यहाँ आमन्त्रितस्य च (८-१-१९) सूत्र से निघात होता है। सूत्र का अर्थ है पद से परे आमन्त्रित को निघात (अनुदात्त) होता है। सामन्त्रितम् (२-३-४८) सूत्र से 'देवदत्त' की आमन्त्रित संज्ञा हो गई है। यहाँ 'ब्रूहि' पद से परे आमन्त्रित 'देवदत्त' को निघात होता है। 'ब्रूहि' पद निमित्त है और 'देवदत्त' निमित्ती है। ये दोनों एकवाक्य में स्थित है। वाक्य का लक्षण है—'एकतिङ् वाक्यम्'। इस प्रकार एक क्रिया में अन्वयी ही एक वाक्य होता है और समानवाक्य (एकवाक्य) में ही 'पद से परे आमन्त्रित को निघात होता है। इसलिये यह सिद्ध है कि सम्बोधन विभक्त्यन्त अर्थ का क्रिया में अन्वय होता है।

वाक्यपदीय में भी कहा गया है—

सम्बोधनपदं यच्च तत्क्रियाया विशेषणम्।
व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति॥

अर्थात् सम्बोधनान्त पद क्रिया में विशेषण होता है जिससे 'व्रजानि देवदत्त' के 'देवदत्त' में 'आमन्त्रितस्य च' (८-१-१९) से निघात हो जाय। सम्बोधनान्त पद क्रिया में अन्वित होने पर ही क्रिया में विशेषण होता है।

यद्यपि 'एकतिङ् वाक्यम्' के अनुसार दो तिङन्त वाले 'पचति भवति देवदत्त' में एकवाक्यता न होगी और एकवाक्यता के अभाव में निघात न हो सकेगा किन्तु यदि

कारकम्। कारके (१-४-२३) इत्यधिकृत्य तेषां व्युत्पादनात्। कारकशब्दो हि क्रियापरः, करोति कर्तृकर्मादिव्यपदेशानिति व्युत्पत्तेः। तथा चाऽग्रिमेष्वपादानादिसंज्ञाविधिषु क्रियार्थककारकशब्दाऽनुवृत्त्या क्रियान्वयिनामेव संज्ञेति भाष्ये स्पष्टम्।

सावित्री

दो तिङन्त पदों में एकवाक्यता न मानी जायगी तो तिङ्ङतिङ् (७-१-८८) सूत्र में 'अतिङ्' ग्रहण की कोई आवश्यकता न होगी क्योंकि कहीं भी वाक्य में दो तिङन्त न रहेगा जिसके वारण के लिये 'अतिङ्' पद का ग्रहण किया जाय। सूत्रकार के अनुसार अतिङ्ग्रहण ही वाक्य में दो तिङ् होने का प्रमाण है। भाष्यकार ने स्वयं कहा है—'पचति भवति' इत्यस्य पचिक्रिया भवतिक्रियायाः कर्त्री भवन्ति" इससे भी एक वाक्य में दो क्रिया का होना सिद्ध है। भर्तृहरि ने भी कहा है —

बहुष्वपि तिङन्तेषु साकाङ्क्षेष्वेकवाक्यता।
तिङन्तेभ्यो निघातस्य पर्युदासस्तथाऽर्थवान्॥

वार्त्तिककार वास्तव में दो तिङन्त वाले वाक्यों को एक वाक्य नहीं मानते हैं क्योंकि उनके मत में 'एकतिङ्वाक्यम्' नियम हैं। वैसे 'एकतिङ् वाक्यम्' का यथार्थतः यह अर्थ नहीं है कि एकतिङन्त वाला वाक्य होता है अपितु 'एकतिङ्विशेष्यकम्' अर्थात् एकतिङ् जिसमें विशेष्य हो वह वाक्य कहलाता है। इसलिए अनेक तिङन्त वाले को भी एक वाक्य मानने में कोई बाधा नही है। 'पचति भवति' में यद्यपि दो तिङन्त है किन्तु यहाँ 'पचति' विशेषण तथा 'भवति' विशेष्य है। इस प्रकार यहाँ की एकवाक्यता सिद्ध है। 'एकतिङ् वाक्यम्' का 'एकतिङ्विशेष्यकम्' अर्थ वाक्यपदीय के टीकाकार हेलाराज ने तथा वैयाकरणभूषण में मैने भी यही अर्थ किया है। इसलिये वार्त्तिककार के मत में भी अनेक तिङन्त वालों को भी एकवाक्य मानने में कोई बाधा नही है।

कृत्वोऽर्थाः। 'कृत्वसुच्' प्रत्यय तथा कृत्वसुच् प्रत्यय के अर्थ में पढ़े गये अन्य प्रत्यय भी क्रिया के योग में होते हैं। "क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्' (५-४-१७) सूत्र से क्रिया के योग में ही कृत्वसुच् प्रत्यय होता है। क्रिया की अभ्यावृत्ति का अर्थ है—बार २ जन्म। जैसे—'पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते' (पाँच बार खाता है) द्विर्भुङ्क्ते (दो बार खाता है)—इत्यादि।

'कारके' (१-४-२३) इस सूत्र का अधिकार कर के कारक का विधान किया गया है, इससे कारक का क्रिया में अन्वय होना सिद्ध होता है। यहाँ 'कारक' शब्द क्रिया-

प्रथमो वतिः। 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' (५-१-११४) इति विहितः। तत्र यत्तुल्यं सा क्रिया चेदित्युक्तत्वात्। धातुसम्बन्धाधिकारे 'धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः' (३-४-१) इत्यधिकृत्य तेषां विधानात्।

असमस्तनञ्—समासायोग्यः प्रसज्यप्रतिषेधीयो नञित्यर्थः। उत्तरपदार्थाऽन्वयेऽपि समासविकल्पेन पक्षेऽसमस्तत्वाद्यथाश्रुतग्रहणा-योगात्।

न चासमस्तनञः क्रियान्वये मानाभावः, न त्वं पचसि, न युवां पचथः, चैत्रो न पचति, घटो न जायते इत्यादौ क्रियाया एव निषेध-प्रतीतेः। अत एव विद्यमानेऽपि घटे तादृशप्रयोगः। तथा च 'घटो नास्ति' इत्यत्राप्यस्तित्वाभाव एव बोध्यते। न हि घटो न जायते, नास्तीत्यनयोर्धात्वर्थभेदान्तरेणास्ति विशेषः। तथा च 'भूतले न घटः'

सावित्री

परक है क्योंकि "करोति कर्तृकर्मादिव्यपदेशानिति" ऐसी कारक शब्द की व्युत्पत्ति की गई है तथा अग्रिम अपादानादि संज्ञाओ में क्रियार्थक कारक शब्द की अनुवृत्ति होने से क्रिया में अन्वयी की हो अपादान आदि संज्ञायें होती हैं — ऐसा महाभाष्य में स्पष्ट किया गया है।

प्रथम 'वति' प्रत्यय अर्थात् "तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः" (५-१-११५) सूत्र से विहित 'वति' प्रत्यय का क्रिया में ही अन्वय होता है क्योंकि वहाँ कहा गया है—"तत्र यत्तुल्यं सा क्रिया चेत्" अर्थात् तृतीयान्त से तुल्य अर्थ में वति' प्रत्यय हो, यदि वहाँ 'तुल्य' वस्तु क्रिया हो। जैसे—ब्राह्मणवदधीते। अर्थात् ब्राह्मण की भाँति अध्ययन करता है। यहाँ तुल्यता ब्राह्मण की अध्ययन क्रिया से की गई है। इसलिये 'वति' प्रत्यय हुआ है। इस 'वति' प्रत्यय का क्रिया में अन्वय होना सिद्ध हुआ।

धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः (३-४-१) इस सूत्रके अधिकार में विहित प्रत्ययों का क्रिया में अन्वय होता है। "धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः" (३-४-१) का अर्थ है कि दो धातुओं के अर्थो का सम्बन्ध होने पर जिस काल में प्रत्यय कहे गये हैं उससे भिन्न काल में प्रत्यय होते हैं। जैसे—वसन् ददर्श। यहाँ वस् और, दृश्—इन दो धातुओं के अर्थ का सम्बन्ध है क्योंकि दोनों का कर्त्ता एक है। यहाँ 'ददर्श' यह तिङन्त क्रिया होने से प्रधान है, वह भूतकाल में विहित है। अतः 'वस्' धातु से भूतकाल से भिन्न अर्थात् वर्त्तमान काल में शतृ प्रत्यय का विधान किया है।

इत्यत्राप्यस्तीत्यध्याहार्य्यम्; प्रकारतासम्बन्धेन नञर्थविशेष्यकबोधे धातुजन्यभावनोपस्थितेर्हेतुत्वस्य क्लृप्तत्वात्। शेषं नञर्थनिर्णये वक्ष्यते ॥ १६ ॥

सावित्री

'असमस्तनञ्' का समास के अयोग्य प्रसज्य प्रतिषेधी रूप अर्थ है। प्रसज्य नञ् का क्रिया में ही अन्वय होता है। सुबन्त के साथ अन्वय योग्यता रूप सामर्थ्य न होने से उस नञ् को समास के अयोग्य कहा गया है।

यद्यपि 'असमस्त नञ्' का शाब्दिक अर्थ है—वह नञ्, जो समस्त न हो। किन्तु ऐसा अर्थ करने पर 'न ब्राह्मणः अब्राह्मणः' इत्यादि पर्युदास वाले नञ् का ब्राह्मण आदि उत्तर पदार्थ में अन्वय होने पर भी समासाभाव पक्ष में असमस्त ही रहेगा क्योंकि समास विकल्प से होता है। इसलिये पर्युदास वाले नञ् का क्रिया के साथ अन्वय वारण के लिये असमस्त नञ् का समासायोग्य अर्थ किया गया है।

'नञर्थ' दो प्रकार का होता है—पर्युदास और प्रसज्य। उनमें जिसका क्रिया के साथ अन्वय होता है वह प्रसज्यप्रतिषेध है तथा जो उत्तर पदार्थ के साथ अन्वित होता है वह पर्युदास प्रतिषेध है। यथा—

द्वौ नञौ समाख्यातौ पर्युदासप्रसज्यकौ।
पर्युदासः सदृशग्राही, प्रसज्यस्तु निषेधकृत् ॥ ११॥
प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ्।
पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ् ॥

यदि यह कहें कि असमस्त नञ् का क्रिया में अन्वय होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है।' इसका उत्तर है कि न त्वं पचासि, न युवां पचथः चैत्रो न पचति, घटो न जायते—इत्यादि में क्रिया के ही निषेध की प्रतीति होती है। इसीलिये घट के विद्यमान रहने पर भी 'घटो न जायते' यह प्रयोग उपपन्न होता है। यदि यही नञ् क्रिया का निषेध न कर घट का निषेध करता तो 'घटाभावो जायते' ऐसा अर्थ उपपन्न होता। 'घटो नास्ति' यहाँ पर भी 'अस्ति' क्रिया का ही निषेध समझना चाहिये। 'घटो न जायते' तथा 'घटो नास्ति' में धातु के भेद से अतिरिक्त कोई भेद नहीं है। तथा 'भूतले न घटः' यहां पर भी 'अस्ति' क्रिया का ही अध्याहार कर उसमें 'नञ्' का अन्वय करना चाहिये क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से सिद्ध है कि नञर्थविशेष्यक बोध में प्रकारता सम्बन्ध से धातुजन्य भावना की उपस्थिति कारण होती है। इस विषय में विशेष नञर्थ निर्णय में कहेंगे ॥१६॥

'यस्य च भावेन भावलक्षणम्' (२-३-३७, इत्यत्र भावनार्थक-भावशब्देन तद्योगे साधुत्वाख्यानलाभात्। 'षष्ठी चाऽऽनादरे' (२-३-३८) इति तदग्रिमसूत्रेऽपि चकाराद् यस्य च भावेनेत्यायातीत्यर्थः। साधुत्व-मिति। तत्स्वरूपं च वक्ष्यते।

क्रिययैवेति—अयं भावः भूवादिसूत्रादिषु प्रायः क्रियाशब्देन भावनाव्यपदेशात् तत्र तस्य साङ्केतिकी शक्तिः, फलांशे क्वाचित्कः 'क्रियते' इति यौगिकः प्रयोगः। तथा च संज्ञाशब्दस्यान-

---

सावित्री

'यस्य च भावेन भावलक्षणम्' (२-३-३७) सूत्र से विहित सप्तमी का क्रिया में अन्वय होता है। यहाँ भावनार्थक भाव शब्द है। जिस क्रिया से क्रियान्तर लक्षित हो उससे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे—गोषु दुह्यमानासु गतः। यहां 'गोदोहन' क्रिया से गमन क्रिया परिलक्षित होती है। ज्ञापक और ज्ञाप्य क्रिया में सप्तमी के अतिरिक्त ज्ञापक क्रिया के आश्रयभूत 'गो' में भी सप्तमी हुई है।

'षष्ठी चाऽनादरे' (२-३-३८) इस सूत्र से विहित षष्ठी और सप्तमी का भी क्रिया में अन्वय होता है। यहाँ सूत्र में प्रयुक्त 'च' शब्द से 'यस्य च भावेन भावलक्षणम् (२-३-३७) सम्पूर्ण सूत्र अनुवृत्त होता है जिससे सूत्र का यह अर्थ होता है कि अनादर गम्यमान होने पर जिस क्रिया से क्रियान्तर परिलक्षित हो, तद्वाचक शब्द मे षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे—रुदति रुदतो वा प्रव्राजीत्। प्रकृत वाक्य से परिवार की उपेक्षा या अनादर प्रतीत हो रहा है तथा रोदन क्रिया से प्रव्रजन क्रिया परिलक्षित हो रही है। अतः रोदनार्थक 'रुदत्' शब्द से सप्तमी और षष्ठी होकर 'रुदति रुदतो वा प्राव्राजीत्' ऐसा प्रयोग हुआ।

इस भाँति इन आठों का क्रिया में अन्वय करने से साधुता होती है। साधुता का स्वरूप आगे कहेंगे। यहाँ 'शक्तत्वं साधुत्वम्' यह नहीं मानते हैं क्योंकि बोध अपभ्रंश से भी होने से वहाँ शक्तत्व विद्यमान है पर साधुत्व नहीं है। साधुत्व का लक्षण है—"व्याकरणैकव्यञ्जिकापुण्यजनकतावच्छेदकजातिः साधुत्वम्"। अर्थात् व्याकरण से व्यङ्ग्य पुण्य जनकतावच्छेदक जाति साधु कहलाती है। व्याकरण के द्वारा क्रिया में अन्वित की ही पुण्यजनकतावच्छेदकता मानी गई है। अतः उन्हीं में साधुता है अन्य में नहीं।

भाव यह है कि 'भूवादयो धातवः' (१-३-१) सूत्र में प्रायः 'क्रिया' शब्द से भावना का ही ग्रहण होता है। इसलिये उसी भावना (व्यापार) अर्थ में क्रिया शब्द की साङ्केतिक शक्ति है। कहीं कहीं 'क्रियते या सा क्रिया' इस यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया शब्द

पेक्षप्रवृत्तत्वेन बलवत्त्वाद् भावनाऽन्वय एव साधुता लभ्यते। अत एव संज्ञाशब्दप्राबल्याद् रथन्तरमुत्तराग्रन्थपठितऋक्ष्वेव गेयं न तु वेदे तदुत्तरपठ्यमानऋक्ष्विति नवमे निर्णीतम्।

किञ्च फलांशोऽपि भावनायां विशेषणम्, कारकाण्यपि क्वचित्तथाभूतानि, इति 'गुणानाञ्च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात् स्यात् (जै० सू० ३।१।२२) इति सर्वे सेवका राजानमिव भावनायामेव परस्परनिरपेक्षाण्यन्वियन्ति। "न हि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचितुमर्हति सत्यन्यस्मिन्नभिक्षुके" इति न्यायेनापि फलं त्यक्त्वा भावनायामेवान्वियन्तीति मीमांसका अपि मन्वते। एवञ्च "विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति धातुजन्यभावनोपस्थितिर्हेतुः" इति कार्यकारणभावस्य क्लृप्तत्वात्। यत्रापि पक्ता, पाचकः—इत्यादौ भावना गुणभूता, तत्रापि क्लृप्तकार्यकारणभावानुरोधात् तस्यामेवान्वय इत्यवसीयते इत्यादि भूषणे प्रपञ्चितम्। 'केचित्तु भूतले घटः' देवदत्तो घटमित्यादावन्वय-

---

सावित्री

से फल अंश का ग्रहण किया जाता है संज्ञा शब्द (रुढि शब्द) प्रकृति प्रत्यय की शक्ति की अपेक्षा किये विना हो प्रवृत्त होता है क्योंकि नियम है—"योगाद् रुढ़िर्बलीयसी।" उस रुढि शब्द का भावना (क्रिया) में अन्वय होने पर ही साधुता होती है। इस प्रकार क्रिया शब्द का रुढ़ि अर्थ व्यापार तथा यौगिक अर्थ फल होने पर भी संज्ञा शब्द (रुढि शब्द) के प्रबल होने से "रथन्तरमुत्तरयोर्गायति" इस श्रुति में 'उत्तरयोः पद से उत्तरा नामक ग्रन्थ में पठित ऋचाओं का ही ग्रहण नही होता यह मीमांसा के नवम अध्याय में निश्चय किया गया है।

रथन्तरमुत्तरयोर्गायति का अर्थ है--उत्त दो ऋचाओं में 'रथन्तर' नामक ग्रन्थ का गान करें। यहाँ उत्तर शब्द का रुढ़ि अर्थ 'उत्तरा' नामक ग्रन्थ विशेष तथा यौगिक अर्थ 'पश्चात्वर्त्ती' होता है पर यौगिक की अपेक्षा रुढि बलवान् होती है। अतः 'उत्तरा' नामक ग्रन्थ विशेष का ही ग्रहण किया गया है।

इसके अतिरिक्त फल अंश भी व्यापार में विशेषण होता है क्योंकि 'तण्डुलं पचति' इत्यादि में 'पच्' धातु का अर्थ–'विक्लित्यनुकूलो व्यापारः' यह अर्थ होता है यहाँ विक्लित्ति रूप फल व्यापार में विशेषण है। कहीं-कहीं कारक भी भावना में विशेषण होता है। जैसे—देवदत्तः

बोधाकाङ्क्षानिवृत्त्योरदर्शनान्न तद्व्यतिरेकेण साधुत्वलाभ इत्याहुः ।

स्वयमुपपत्तिमाह

यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकश्च नञादिषु ।
अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहिकल्पना ॥१८॥

सावित्री

तण्डुलं पचति' का अर्थ है—देवदत्ताभिन्नैककर्तृक-तण्डुलकर्मकविक्लित्यनुकूलो व्यापारः । यहाँ देवदत्त रूप कर्त्ता कारक तथा ओदन रूप कर्मकारक सभी व्यापार में विशेषण हैं। 'क्वचित्' से कृदन्त स्थल में कर्त्ता कारक ही प्रधान होता है, व्यापार विशेषण होता है। 'पाचकः' का अर्थ होता है--विक्लित्यनुकूलव्यापाराश्रयः ।

यहाँ फल और कारक आदि का व्यापार में विशेषणतया अन्वय इसलिये होता है कि व्यापार ही मुख्य होता है। सभी सेवक जैसे परस्पर निरपेक्ष होकर राजा की ही सेवा करते हैं वैसे ही फल आदि सभी व्यापार में विशेषण होते हैं क्योंकि नियम है—

"गुणानाञ्च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात् स्यात्" (जैमि--३-१-२२) अर्थात् गुणों (विशेषणों) के परार्थ (विशेष्य के उपकारी होने से इनका परस्पर कोई सम्बन्ध नही होता है।

मीमांसक लोग भी मानते हैं कि 'एक भिक्षुक दूसरे भिक्षुक के पास माँगने नही जाता है यदि वहाँ कोई अभिक्षुक (धनवान्) विद्यमान है। इस न्याय के अनुसार भावना के रहते कारक आदि का फल को छोड़कर भावना में ही अन्वय करते हैं। इसलिये कारक आदि प्रकारक बोध के प्रति विशेष्यतया धातुजन्य भावना की उपस्थिति कारण होती है—ऐसा कार्यकारणभाव सिद्ध होता है। पक्ता, पाचकः आदि कृदन्त स्थलों में जहाँ कि भावना गौण अर्थात् विशेषण होती है कर्त्ता प्रधान होता है वहाँ भी उसी प्रकार कारकों का अन्वय भावना में ही होता है। ऐसा वैयाकरणभूषण में वर्णन किया है।

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि "भूतले घटः" 'देवदत्तो घटम्' इत्यादि में 'अस्ति' आदि क्रिया के विना आकाङ्क्षा की निवृत्ति नही हो सकती है; क्योंकि कहा है—"सर्वं वाक्यं क्रियया परिसमाप्यते"। इसके अनुसार कारकों का क्रिया में अन्वय के विना साधुत्व ही सम्भव नहीं है। इसलिये इन अधिकरण आदि कारकों का भावना में अन्वय होना आवश्यक है।

यदि वत्यर्थ (सादृश्य) का पर्वत आदि पक्ष में तथा कारकों का नञ् आदि में अन्वय

पर्वतो वह्निमान्, धूमात्, महानसवत् । "भूतले न घटः" "भूतले घटः" । इत्यादिपदात् । एवमादिष्वनुशासनविरोधेऽपि यदि साधुत्वमन्वयबोधश्चाभ्युपेयते तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहिकल्पनाऽपि त्यज्यतामित्यर्थः । अनुशासनानुरोधतौल्येऽर्धजरतीयमयुक्तमिति भावः ॥१८॥

एवं कर्त्रादौ विहितानामिन्यादीनां क्रिययैवान्वय इत्याह—

सावित्री

करते हैं तो 'पुष्पविषयिणी इच्छा' इस अर्थ में चतुर्थी सुनकर 'स्पृहयति' इस पदका अध्याहार भी मत कीजिये।

"पर्वतो वह्निमान्, धूमात्, महानसवत्" अर्थात्-पर्वत वह्नि वाला है, धूम के कारण महानस (भोजनगृह) की भाँति नैयायिक लोग 'यहाँ' महानसवत्' का अन्वय पर्वत के साथ करते हैं—"महानसवत् पर्वत" अर्थात् पर्वत महानस की भाँति है। इसी प्रकार 'भूतले न घटः' में भूतल रूप अधिकरण कारक का नञर्थ अभाव में अन्वय करके "भूतलवृत्तित्वाभाववान् घटः" ऐसा अर्थ करते हैं। इसके अतिरिक्त 'भूतले घटः' में 'भूतले' इस अधिकरण कारक का 'घट' रूप अर्थ के साथ अन्वय करके "भूतलवृत्तिघटः" ऐसा अर्थ करते हैं।

किन्तु नैयायिकों का उक्त प्रकार से अन्वय बोध सर्वथा पाणिनि अनुशासन के विरुद्ध है, क्योंकि पाणिनि ने 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः' (५-१-११४) सूत्र के द्वारा क्रिया के सादृश्य में ही वति प्रत्यय का विधान किया है। इसलिये वति प्रत्ययान्त का क्रिया में ही अन्वय होना चाहिये। इसी प्रकार सभी कारक विधायक सूत्रों में 'कारके' [१-४-२६] इस सूत्र का अधिकार होने से सभी कारकों का क्रिया में ही अन्वय होता है।

ग्रन्थकार का नैयायिकों के प्रति आक्षेप है कि यदि आप [नैयायिक] पाणिनि अनुशासन का विरोध होने पर भी अन्वयबोध और साधुत्व स्वीकार करते हैं तो 'पुष्पेभ्यः', इस चतुर्थी को सुनकर स्पृहेरीप्सितः [१-४-३९] इस पाणिनि सूत्र के अनुकूल बनाने हेतु 'स्पृहयति' के अध्याहार की कल्पना भी त्याग दीजिये, क्योंकि एक स्थान पर पाणिनि अनुशासन के विरुद्ध अन्वय बोध करना तथा दूसरे स्थान पर पाणिनि अनुशासन के अनुकूल आचरण करना अनुचित है। पाणिनि अनुशासन का महत्त्व सर्वत्र समान होने से अर्धजरतीयन्याय का आश्रयण अनुचित है।

इसी प्रकार कर्त्ता आदि अर्थ में विहित इनि इत्यादि का क्रिया के साथ ही अन्वय होता है। यहाँ 'कर्त्ता आदि' में आदि पद से भाव का तथा 'इत्यादि' में आदि पद से क्त्वा' तुमुन् आदि का ग्रहण समझना चाहिये।

अविग्रहा गतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः ।
क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता ॥१९॥

न विविच्य ग्रहो ग्रहणं यस्याः साऽविग्रहा गुणीभूतेति यावत् । न च 'ग्रामं गतः' इत्यत्र यथा क्तप्रत्ययार्थो गुणभूताऽपि क्रिया ग्रामादिकर्मभिः सम्बध्यते तथा 'कृतपूर्वी कटम्' इत्यत्रापि गुणभूता इन्यादिभिरित्यर्थः ।

सावित्री

यहाँ यह आशङ्का होती है कि 'कृतपूर्वी कटम्' में 'कृत' के 'कृ' धातु से "नपुंसके भावे क्तः" [३-३-११४] से भाव अर्थ में 'क्त' प्रत्यय हुआ है । इस प्रत्यय से सिद्धावस्थापन्न क्रिया का अभिधान होता है। इस प्रत्यय की क्रिया में प्रकृत्यर्थ अर्थात् धात्वर्थ क्रिया विशेषण होती है और उस धात्वर्थ क्रिया में 'कट' रूप कर्म का अन्वय होता है किन्तु समास के किसी खण्ड में अन्य पदार्थ का अन्वय नही होता है तब इस विशेषण भूत धात्वर्थ क्रिया के साथ 'कट' रूप कर्म का अन्वय कैसे हो सकेगा ? इसी आशंका के उत्तर में अग्रिम कारिका उपस्थित करते हैं—

जैसे—'ग्रामं गतः' के क्त प्रत्ययार्थ कर्त्ता में गुणीभूत गमन क्रिया में 'ग्राम' रूप कर्म का अन्वय हो जाता है वैसे ही 'कृतपूर्वी कटम्' में क्तप्रत्ययार्थ भाव में गुणी भूत 'कृ' धात्वर्थ करण क्रिया के साथ 'कटम्' का अन्वय समझना चाहिये ।

पृथक् रूप से अर्थात् प्रधान या विशेष्य रूप से [जो दूसरे के विशेषण रूप में नहीं] जिसका ग्रहण न होता हो अर्थात् विशेषण रूप से ग्रहण होता हो उसे 'अविग्रहा' कहते हैं। 'ग्रामं गतः' में 'गम्' धात्वर्थ क्रिया क्तप्रत्ययार्थ कर्त्ता में विशेषण है वह भी जैसे 'ग्राम' आदि कर्म के साथ सम्बद्ध होती है वैसे ही 'कृतपूर्वी कटम्' में 'कृत' के 'क्त' प्रत्ययार्थ भाव में गुणीभूत 'कृ' धात्वर्थ करण क्रिया कर्त्ता में विहित इन्यादि तथा 'कटम्' आदि कर्म के साथ सम्बद्ध होती है ।

विशेषः—'ग्राम गतः' के 'गतः' में गम् से क्त प्रत्यय हुआ है । यह क्त प्रत्यय "गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यश्च" [३-४-७२] सूत्र से कर्त्ता अर्थ में 'क्त' प्रत्यय हुआ है ।

'कृतपूर्वी कटम्' में 'पूर्वं कृतम्' इस विग्रह में सह सुपा [२-१-४] से समास हो कर 'कृतपूर्वम्' ऐसा बनता है । 'कृतम्' में कर्म की अविवक्षा कर 'नपुंसके भावे क्तः'

न च वृत्तिमात्रे समुदायशक्तेर्वक्ष्यमाणत्वात् तत्रान्तर्गता भावना पदार्थैकदेश इति कथं तत्रान्वय इति वाच्यम्, नित्यसापेक्षेषु एकदेशेऽपि 'देवदत्तस्य गुरुकुलम्' 'चैत्रस्य नप्ता' इत्यादाविवाऽन्वयाभ्युपगमात् । एवं भोक्तुं पाकः, भुक्त्वा पाक इत्यत्रापि द्रष्टव्यम् ॥ १९ ॥

सावित्री

[३-१-११] से क्त प्रत्यय हुआ है । फिर सह पूर्वाच्च [५-२-८७] से कर्त्ता अर्थ में इनि प्रत्यय होकर 'कृतपूर्वी' बनता है । उसके बाद कर्म की विवक्षा कर 'कटम्' इस कर्म से सम्बद्ध होकर कृतपूर्वी कटम्' यह प्रयोग बनता है ।

यहाँ यह आशंका होती है कि समास आदि सभी वृत्तियों के समुदाय में एकार्थीभाव रूप शक्ति होती है तब 'कृतपूर्वी कटम्' के 'कृत' में क्तप्रत्ययार्थ में गुणीभूत 'कृ' धात्वर्थ करण क्रिया पदार्थ का एकदेश है उसमें 'कटम्' रूप कर्म का अन्वय कैसे होगा ? इसके उत्तर में कहना है कि कुछ शब्द नित्य सापेक्ष हुआ करते हैं वे समास आदि एकार्थीभाव वृत्तियों में पदार्थ का एकदेश होने पर भी अन्य पदार्थ के साथ अन्वित होते हैं । जैसे—'देवदत्तस्य गुरुकुलम्' में 'गुरुकुलम्' एक समस्त पद है. उसमें गुरु शब्दार्थ पदार्थैकदेश है फिर भी नित्यसापेक्ष होने से उसके साथ 'देवदत्तस्य' इस पदार्थ का अन्वय होता है । बाद में 'गुरु' का 'कुलम्' के साथ अन्वय होता है । इसी भाँति "चैत्रस्य नप्ता" में चैत्र का पहले पुत्र के साथ और बाद में पुत्र का पुत्र के साथ सम्बन्ध होता है, क्योंकि नप्ता के बारे में कहा जाता है – जन्यजन्यः पुमान् नप्ता । भर्तृहरि ने भी कहा है—

> सम्बन्धिशब्दः सापेक्षो नित्यं सर्वः समस्यते ।
> वाक्यवत् सा व्यपेक्षा हि वृत्तावपि न हीयते ॥ ३.१४.४७
>
> समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना ।
> संस्पृश्याऽवयवांस्ते युज्यन्ते तद्वता सह ॥ [१. १४.४८]

इस प्रकार नित्यसाकांक्ष स्थलों में पदार्थैकदेश का भी अन्यपदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है ।

इसी भाँति 'भोक्तुं पाकः, भुक्त्वा पाकः—इत्यादि में भी समझना चाहिये । 'पाकः' में 'पच्' धातु से भाव अर्थ में घञ् प्रत्यय हुआ है । 'पच्' धात्वर्थ क्रिया घञ् प्रत्ययार्थ क्रिया समझना चाहिये । धातु से साध्यावस्थापन्न क्रिया तथा घञ्प्रत्यय से सिद्धावस्थापन्न क्रिया का समाधान होता है । यहाँ 'भोक्तुम्' और 'भोक्त्वा' में तुमुन् और क्त्वा प्रत्यय घञ्-प्रत्ययार्थ में विशेषणभूत 'पच्' धात्वर्थ क्रिया के साथ अन्वित होता है ।

अतिप्रसङ्गमाशङ्क्य समाधत्ते—

कृत्वोऽर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युरिति चेत् सन्ति हि क्वचित् ।
अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् ॥ २० ॥

'भोक्तुं पाकः' 'भुक्त्वा पाकः' इत्यादौ तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् ॥ (३-३-१०) समानकर्तृकयोः पूर्वकाले (३-४-२१) इति क्रियावाचकोपदे क्रिययोः पूर्वोत्तरकाले विधीयमाना अपि तुमुन्नादयो गुणभूतां तामादाय यथा जायन्ते तथा कृत्वोऽर्था अपि स्युः । 'एकः पाकः' इत्यत्र 'एकस्य सकृच्च' (५।४।१९) द्वौ पाकौ, त्रयः, चत्वारः इत्यत्र "द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्" (५-४-१८) । पञ्च इत्यत्र कृत्वसुच् स्यात् । तथा च—'सकृत् पाकः' द्विस्त्रिश्चतुः पाकः; इत्याद्यापत्तिरिति चेदिष्टापत्तिः, 'द्विर्वचनम्' इत्यादिनिर्देशात् । अतिप्रसङ्गस्त्वनभिधानान्नेत्याह—अतीति । "नहि वचिरन्तिपरः प्रयुज्यते" इत्याद्यभियुक्तरीत्या समाधेयमिति भावः ।

सावित्री

जैसे क्त्वा तुमुन् आदि प्रत्यय 'पाकः' इत्यादि के प्रत्ययार्थ में गुणीभूत धात्वर्थ क्रिया के साथ अन्वित होते हैं वैसे ही 'कृत्वसुच्' प्रत्यय भी 'पाकः' इत्यादि में प्रत्ययार्थ में गुणीभूत धात्वर्थ क्रिया के साथ अन्वय होना चाहिये । इस आशङ्का के उत्तर में अग्रिम कारिका उपस्थित करते हैं । उसका अर्थ इस प्रकार है—

'कृत्वोऽर्थ' प्रत्यय यद्यपि क्त्वा तुमुन् की भाँति कहीं २ गुणीभूत क्रिया के साथ अन्वित होते हैं किन्तु सर्वत्र ऐसा नहीं होता है क्योंकि सर्वत्र वैसा करने का अनभिधान है ।

'भोक्तु पाकः' भुक्त्वा पाकः' इत्यादि में 'तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्' (·-३-१०) तथा 'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' (३-४-२१) इत्यादि सूत्रों से क्रियावाचक पद के उपपद रहते क्रमशः क्रिया के उत्तरकाल और पूर्वकाल में विधीयमान तुमुन् आदि प्रत्यय जैसे गुणभूत क्रिया को लेकर प्रवृत्त होते हैं वैसे 'कृत्वसुच्' प्रत्यय भी गुणभूत क्रिया को लेकर होने लगेंगे । तब 'एकः पाकः' के स्थान पर 'एकस्य सकृच्च' (५-४-१९) इस सूत्र से एक के स्थान पर 'सकृत्' आदेश होकर 'सकृत् पाकः' होने लगेगा । इसी भाँति द्वौ पाकौ, त्रयः पाकाः, चत्वारः पाकाः इत्यादि में "द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्" (५-४ १८) सूत्र से सुच् प्रत्यय होकर

केचित्तु क्रियाभ्यावृत्तिगणने (५-४-१७) इत्यत्र क्रियाग्रहणं व्यर्थम्, तस्या एवाभ्यावृत्तिसम्भवेन सामर्थ्यात्तल्लाभात्। तथा साध्यमात्रस्वभावक्रियालाभाय तदिति वाच्यम्। न च 'पाकः' इत्यादौ तादृशीति नातिप्रसङ्गः। द्विर्वचनमिति च 'द्विः प्रयोगो द्विर्वचनम्' इति व्युत्पत्त्या "द्विर्वचनेऽचि" (१-१-५८) इति ज्ञापकं वाश्रित्योपपादनीयमित्याहुः।

सावित्री

द्विः पाकः, त्रिः पाकः, चतुः पाकः—ऐसा प्रयोग होने लगेगा। 'पञ्च पाकाः' में "संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्" (५-४-१७) सूत्र से कृत्वसुच् प्रत्यय होकर 'पञ्चकृत्वः पाकः" बनने लगेगा।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि सकृत् पाकः, द्विस्त्रिश्चतुः पाकः—इत्यादि प्रयोग होने की जो आपत्ति दी गई है वे प्रयोग तो मुझे अभीष्ट ही हैं। तभी तो 'द्वे वचने' के स्थान पर 'द्विर्वचनम्' का प्रयोग भाष्यकार आदि ने किया है। इसकी व्युत्पत्ति 'द्विः प्रयोगो द्विर्वचनम्" की गई है। यहाँ 'प्रयोगः' में 'युज्' धातु है वह प्रत्ययार्थ में गुणीभूत है। उस क्रिया की अभ्यावृत्ति में 'द्वि' शब्द से 'सुच्' प्रत्यय हुआ है। इससे सिद्ध है कि गुणीभूत क्रिया को लेकर सुच् प्रत्यय होता है।

इस प्रकार गुणीभूत क्रिया को लेकर 'कृत्वोऽर्थे' प्रत्यय होकर 'सकृत् पाकः' आदि प्रयोग सम्भव है, किन्तु अनभिधान होने से इसका सर्वत्र प्रयोग नहीं होता है। जैसे—'वच्' धातु से 'झि' प्रत्यय होकर 'वचन्ति' रूप सम्भव है, क्योंकि ऐसा करने में सूत्रों की ओर से कोई बाधा नहीं है फिर भी अनभिधान होने से 'वचन्ति' ऐसा प्रयोग नहीं होता है।

कुछ लोगों का कहना है कि "सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्" (५-४-१७) सूत्र में 'क्रिया' ग्रहण व्यर्थ है। अभ्यावृत्ति (पुनः पुनः आवृत्ति) तो क्रिया की ही होती है। अतः अभ्यावृत्ति ग्रहण सामर्थ्य से 'क्रिया' का लाभ हो जायगा। इस प्रकार क्रिया पद व्यर्थ होकर इस बात का ज्ञापक है कि यहाँ 'क्रिया' पद से साध्यावस्थापन्न क्रिया अभिप्रेत है। न कि सिद्धावस्थापन्न क्रिया। 'पाकः' में यतः सिद्धावस्थापन्न क्रिया है। धात्वर्थ क्रिया प्रत्ययार्थ क्रिया में विशेषण हो गई है। अतः यहाँ सकृत् पाकः, द्विः पाकः—आदि प्रयोगों की आशङ्का नहीं की जा सकती है। 'द्विवर्चनम्' प्रयोग तो 'द्विः प्रयोगो द्विवर्चनम्' इस व्युत्पत्ति से अथवा 'द्विर्वचनेऽचि' इस सूत्र को ज्ञापक मानकर 'द्वि' शब्द से 'सुच्' प्रत्यय समझना चाहिये।

नतु सिद्धान्ते बोधकतारूपाशक्तिराख्यातशक्तिग्रहवतां बोधादावश्यकी, इति धातोरेव भावना वाच्या, नाख्यातस्येति कथं निर्णय इत्याशङ्कां समाधत्ते—

भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनम् ।
साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते ॥ २१ ॥

भेद्यं विशेष्यम्, भेदकं विशेषणम्। तयोर्यः सम्बन्धस्तस्य यो भेदस्तन्निबन्धनं साधुत्वम्। अयमर्थः—व्याकरणस्मृतिः शब्दसाधुत्वपरा, तत्रैवावच्छेदकतया कल्प्यमानधर्मस्य शक्तित्वं वदतां मीमांसकानां पुनः शक्तत्वं साधुत्वमित्येकमेवेति तद्रीत्या विचारे साधुत्वनिर्णये शक्तिनिर्णय उच्यते।

अतिरिक्त—शक्तिवादेऽपि आख्यातानामसाधुता भावनायां स्यादेव। तथा च चतुर्थ्यर्थे तृतीयाप्रयोगवद् धात्वर्थभावनायामाख्यातप्रयोगे याज्ञे कर्मण्यसाधुशब्दप्रयोगात् "नानृतं वदेत्" इति निषेधोल्लङ्घनप्रयुक्तं प्रायश्चित्तं दर्शनान्तरीयव्युत्पत्तिमतां स्यादिति।

सावित्री

वैयाकरणों के सिद्धान्त के अनुसार बोधकता रूप ही शक्ति है। मीमांसक लोग आख्यात (तिङ्) से ही भावना का बोध करते हैं। इसलिये उनके मत से आख्यात में ही भावना विषयक बोधजनकता शक्ति है। जबकि वैयाकरण लोग भावना धातु का अर्थ मानते हैं। ऐसी स्थिति में भावना धातु का ही अर्थ है आख्यात का नहीं, इसका निर्णय कैसे हो ? इस आशङ्का को दूर करने के लिये अग्रिम कारिका प्रवृत्त होती है।

विशेष्य, विशेषणों का जो उपाधि, (इतरव्यावर्त्तक धर्म) उस उपाधि का जो भेद, (समवाय आदि सम्बन्ध विशेष) वही साधुत्व का निमित्त होता है। साधुत्व न रहने पर भी बोध में कोई बाधा नही होती है अर्थात् असाधु शब्द से भी बोध होता है।

भेद्य का अर्थ है विशेष्य, भेदक का अर्थ है विशेषण। उन विशेष्य विशेषणों का जो सम्बन्ध, उस सम्बन्ध का जो भेद, वही शब्द साधुत्व का निमित्त हुआ करता है।

अभिप्राय यह है कि व्याकरणशास्त्र शब्द का साधुत्व बताने वाला होता है। वह शब्दों के विशेष्यविशेषणभाव रूप सम्बन्ध भेद को लेकर ही साधुत्व का प्रतिपादन करता है। उस

ननु त्वन्मते नाऽनृतमिति निषेधः क्रत्वर्थं एव न सिद्ध्येत्। आख्यातेन कर्तुरुक्तत्वाच्छ्रुत्या पुरुषार्थतयैव स्यात्। प्रकरणाद्धि क्रत्वर्थता, तच्च श्रुतिविरोधे बाध्यत इति चेन्न, 'तिङर्थस्तु विशेषणम्' इत्यनेन परिहृतत्वात्। न हि गुणभूतः कर्त्ता निषेधं स्वाङ्गत्वेन ग्रहीतुमलम्। भावना तु प्रधानं तं ग्रहीतुं समर्थेति प्रकरणात् क्रत्वर्थतैव। अस्तु वा क्रतुयुक्तपुरुषधर्मः, अनुष्ठाने विशेषाऽभावात्। "जञ्जभ्यमानोऽनुब्रूयान्मयि दक्षक्रतू" इति वाक्योक्तमन्त्रविधिवदित्यादिभूषणे प्रपञ्चितम्।

सावित्री

साधु शब्द में ही बोधजनकतावच्छेदक रूप से कल्पित जो धर्म, उस धर्म को ही शक्तित्व कहने वाले मीमांसकों के मत से शक्तत्व और साधुत्व–एक हो जायगा। उनके मत से विचार करने पर साधुत्व का निश्चय ही शक्तित्व का निश्चय हो जायगा। अर्थात् साधु शब्दों से ही बोध अङ्गीकार करने से शक्ति साधु शब्द मात्र में रहेगी जिससे शक्तत्व-और साधुत्व एक हो जायगा।

जिन लोगों के मत में शक्तत्व और साधुत्व एक नही है अर्थात् शक्तत्व साधुत्व से अतिरिक्त है उनके मत में भी भावना अर्थ में आख्यातों (तिङों) की असाधुता होती ही है। व्याकरण की दृष्टि से ऐसे प्रयोग असाधु होगें। धात्वर्थ भावना में आख्यात का प्रयोग करने पर व्यक्ति चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तृतीया विभक्ति प्रयोग करने की भाँति प्रायश्चित का भागी होता है, जैसे यज्ञगत पुरुष के बारे में कहा गया है— 'नानृतं वदेत्' अर्थात् असत्य नही बोलना चाहिये। उसका उल्लङ्घन करने पर पुरुष प्रायश्चित्त का भागी होता है। इस प्रकार व्याकरणशास्त्र से भिन्न मीमांसकों की रीति से आख्यात की भावना अर्थ में शक्ति मानने पर व्यक्ति प्रायश्चित्त का अधिकारी होगा। यहाँ चतुर्थी के अर्थ में तृतीया प्रयोग करने का कथन विभक्ति मात्र का उपलक्षण है अर्थात् जिस अर्थ में शास्त्र (व्याकरण) द्वारा विधान किया गया हो उससे भिन्न अर्थ का बोध करना।

मीमांसक का कहना है— आप (वैयाकरण) के अनुसार आख्यात का अर्थ भावना न मानकर कर्त्ता मानने पर 'नानृतं वदेत्' इस वाक्य की क्रत्वर्थता नहीं सिद्ध हो सकेगी क्योंकि आप के अनुसार 'वदेत्' के तिङ् का अर्थ कर्त्ता होगा।

नन्वाख्यातस्य भावनायामसाधुत्वे ततस्तद् बोधो न स्यात्, साधुत्वज्ञानस्य शाब्दबोधे हेतुत्वाद् इत्यत आह—बोध इति। असाधुत्वेऽपि साधुत्वभ्रमाद् बोधोऽस्तु नाम, अपभ्रंशवत्। असाधुत्वं तु स्यादे-

---

सावित्री

यद्यपि यहाँ यज्ञ का प्रकरण है इसलिये 'नाऽनृतं वदेत्' यह वाक्य यज्ञ के लिये ही होना चाहिये। किन्तु 'तिप्' यहाँ श्रुत है उसका अर्थ कर्त्ता है उसके अनुसार 'नानृतं वदेत्' यह वचन कर्त्ता रूप पुरुष के लिये होना चाहिये क्योंकि श्रुति और प्रकरण का विरोध होने पर श्रुत्यर्थ ही प्रबल होता है।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि 'तिप्' का कर्त्ता अर्थ मानने पर भी 'नानृतं वदेत्' यह वाक्य क्रत्वर्थ ही रहेगा, पुरुष के लिये नहीं. क्योंकि हमने पहले ही कहा है 'तिङर्थस्तु विशेषणम्' अर्थात् तिङर्थ कर्त्ता आदि धात्वर्थ भावना में विशेषण होते हैं भावना ही प्रधान होती है। इसलिये आख्यात का अर्थ कर्त्ता' होने पर भी 'नानृतं वदेत्' यह वाक्य कर्त्ता का अङ्ग न होकर भावना का ही अङ्ग होगा। इस प्रकार यह वचन पुरुष के लिये न होकर यज्ञार्थ ही होगा। क्योंकि भावना के प्रति विशेषणीभूत कर्त्ता 'नानृतं वदेत्' इस निषेध को अपना अङ्ग बनाने में समर्थ न हो सकेगा अपितु भावना ही प्रधान है। वही निषेध वचन को अपना अङ्ग बनाने में समर्थ है। साथ ही प्रकरण से निषेध वचन की क्रत्वर्थता सिद्ध ही है। अथवा क्रत्वर्थता और पुरुषार्थता में कोई विरोध नहीं समझना चाहिये। क्योंकि इस निषेध वचन को क्रतुयुक्त पुरुष का धर्म मान लेने से 'नानृतं वदेत्' यह वचन क्रत्वर्थ और पुरुषार्थ दोनों सिद्ध हो जाता है। यहाँ क्रतु युक्त पुरुष से यजमान और ऋत्विक् दोनों का ग्रहण होता है।

क्रत्वर्थता और पुरुषार्थता में कोई विरोध नहीं है, इसके प्रमाण में मीमांसादर्शन का एक दूसरा उदाहरण उपस्थित करते हैं जो कि "दर्शपूर्णमास प्रकरण" में आया है— "जञ्जभ्यमानोऽनुब्रूयान्मयि दक्षक्रतू"। इसका अर्थ है कि जम्हाही आने पर 'मयि दक्षक्रतू' इस मन्त्र का पाठ करना चाहिये। यह वाक्य यज्ञ के प्रकरण में पठित होने से प्रकरण के

---

१. मीमांसा दर्शन (३-३-१४) में लिखा है—

"श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यं अर्थविप्रकर्षात्" अर्थात् श्रुति-लिङ्ग-वाक्य आदि में क्रमशः पर प्रमाण पूर्व की अपेक्षा दुर्बल होता है।

वेति भावः। वस्तुतः साधुत्वज्ञानं न हेतुः, तद्व्यतिरेकनिर्णयोऽपि न प्रतिबन्धक इति असाधुरनुमानेन इत्यत्र वक्ष्यामः ॥२१॥

रङ्गोजिभट्टपुत्रेण कौण्डभट्टेन निर्मिते।
पूर्णो भूषणसारेऽस्मिन् धात्वाख्यातार्थनिर्णयः॥

इति श्रीकौण्डभट्टविरचिते वैयाकरणभूषणसारे
धात्वर्थाऽख्यातसामान्यार्थयोर्निरूपणम् ॥

सावित्री

अनुसार क्रत्वर्थ है किन्तु 'जञ्जभ्यमान' में कर्त्ता अर्थ में 'जभ्' धातु से शानच् प्रत्यय हुआ है। इसलिए यह पुरुषार्थक है। यहाँ क्रत्वर्थ और पुरुषार्थ में विरोध परिहार के लिए प्रकृत वाक्य की 'क्रतुयुक्तपुरुषार्थता' मानी गई है। इसी प्रकार 'नानृतं वदेत्' इस वाक्य में क्रत्वर्थ और पुरुषार्थ में विरोध निवारण हेतु 'क्रतुयुक्तपुरुषार्थं' मानना उचित है। 'बृहद्वैयाकरणभूषण' में इस विषय का विस्तार से विवेचन किया गया है।

यहाँ यह आशंका होती है कि यदि आख्यात भावना अर्थ में असाधु होता अर्थात् आख्यात का भावना अर्थ न होता तो उससे मीमांसकों को, भावना अर्थ का बोध न होता, क्योंकि शाब्दबोध में साधुत्वज्ञान कारण होता है परन्तु मीमांसकों को आख्यात से भावना अर्थ का बोध होता है।

उक्त आशङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है "तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते।" अर्थात् साधुत्व न रहने पर भी बोध होता है। जैसे साधुत्व भ्रम से अपभ्रंश आदि शब्दों से भी अर्थ बोध होता है परन्तु उनमें साधुत्व नहीं रहता है। शाब्दबोध होने पर भी असाधुत्व ही रहता है।

वस्तुतः शाब्दबोध में साधुत्व ज्ञान कारण नहीं हुआ करता है, साधुत्व का अभाव भी शाब्दबोध में प्रतिबन्धक नहीं होता है—यह विषय "असाधुरनुमानेन" इत्यादि कारिका में कहेंगे ॥२१॥

रङ्गोजिभट्ट के पुत्र कौण्डभट्ट द्वारा निर्मित 'वैयाकरण भूषणसार' में "धात्वर्थाख्यातनिर्णय" नामक प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई।

अथ लकारार्थनिर्णयः

प्रत्येकं दशलकाराणामर्थं निरूपयति—

वर्त्तमाने परोऽक्षे श्वो भाविन्यथ भविष्यति।
विध्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ज्ञेया लडादयः ॥२॥

लडादयष्टितः षट् क्रमेणैष्वर्थेषु द्रष्टव्याः। तथा हि—वर्त्तमाने लट् (३-१-१८३) इति सूत्रात्। प्रारब्धापरिसमाप्तत्वम्, भूतभविष्यद्भिन्नत्वं वा वर्त्तमानत्वम्। 'पचति' इत्यादावधिश्रयणाद्यधःश्रयणान्ते मध्ये तदस्तीति लट्प्रयोगः।

सावित्री

पूर्वप्रकरण में धातु का कितना अर्थ है तथा उस धातु के साथ उच्चरित आख्यात (तिङ्) का क्या अर्थ है ? इस व्याख्यान के प्रसङ्ग में लकारों का सामान्य अर्थ निरूपण किया जा चुका है। उसके पश्चात् तत्तद् लकारों का विशेष अर्थ बताने हेतु "लकारार्थनिर्णय" प्रकरण का उपक्रम किया गया है जिससे सभी लकारों का विस्तृत अर्थबोध हो सके।

आगे लट्, लिट् आदि दशों लकारों में प्रत्येक का अर्थ बताते हैं—

वर्त्तमान काल, परोक्षभूत, श्वोभावी (अनद्यतनभविष्य) भविष्य, (सामान्य-भविष्य) विधि तथा प्रार्थना आदि अर्थों में लट्, लिट्, लुट् लृट्, लेट्, लोट् आदि लकार क्रमशः होते हैं ॥२२॥

लट्, लिट् आदि छः टित् (टकारेत्संज्ञक) लकार क्रमशः वर्त्तमान आदि अर्थों में होते हैं। 'वर्त्तमाने लट्' (-१-१८३) सूत्र से वर्त्तमान अर्थ में लट् लकार होता है। वर्त्तमानत्व क्रियागत लिया जाता है। क्रियात्मक काल के अभिप्राय से ही वर्त्तमानत्व का लक्षण किया गया है—"प्रारब्धापरिसमाप्तत्वम्" अर्थात् जिस क्रियात्मक काल का प्रारम्भ हो चुका हो पर उसकी क्रिया समाप्त न हुई हो उस प्रकार की क्रिया की अधिकरणता से उपलक्षित काल को वर्त्तमान काल कहते हैं।

वर्त्तमानत्व का दूसरा भी लक्षण किया है—'भूतभविष्यद्भिन्नत्वम् वर्त्तमानत्वम्' अर्थात् भूत और भविष्य से भिन्न क्रियात्मक काल को वर्त्तमान काल कहते हैं। 'पचति' में अधिश्रयण (चूल्हे पर बटलोई चढ़ाना) से लेकर अधःश्रयण (नीचे उतारना) तक के मध्य में वर्त्तमानत्व रहता है और उसी अर्थ में लट् लकार का प्रयोग होता है।

आत्माऽस्ति, पर्वताः सन्तीत्यादौ तत्तत्कालिकानां राज्ञां क्रियाया अनित्यत्वात्तद्विशिष्टस्योत्पत्त्यादिकमादाय वर्त्तमानत्वमूह्यम्। उक्तं हि भाष्ये—"इह भूतभविष्यद्वर्त्तमानानां राज्ञां क्रियास्तिष्ठतेरधिकरणम्" इति

परतो भिद्यते सर्वमात्मा तु न विकम्पते।
पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते॥

इति वाक्यपदीये च। एवं तम आसीत्। "तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत्" "अहमेकः प्रथममासम्", 'वर्त्तामि च', 'भविष्यामि' च इत्यादिश्रुतयोऽपि योज्याः।

सावित्री

यहाँ पर आशंका होती है कि वर्त्तमानत्व का पूर्वोक्त लक्षण स्वीकार करने पर 'आत्माऽस्ति; पर्वताः सन्ति' इत्यादि स्थलों में लट् लकार नहीं हो सकेगा क्योंकि आत्मा और पर्वत आदि में सत्ता रूप क्रिया एक होती है, अखण्ड होती है, नित्य होती है इसमें न आरम्भ सम्भव है और न समाप्ति। सदैव इनकी सत्ता बने रहने से भूतत्व और भविष्यत्व भी सम्भव नहीं है। इस कारण तद्भिन्नत्व रूप वर्त्तमानत्व भी असम्भव है। अतः प्रारब्धापरिसमाप्तत्व और भूतभविष्यद्भिन्नत्व इन दोनों लक्षणों के अभाव में आत्माऽस्ति इत्यादि में वर्त्तमान काल का व्यवहार कैसे संगत होगा ?

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि आत्मा और पर्वत आदि में नित्य, अखण्ड और एक क्रिया होने से वर्त्तमानत्व का लक्षण संघटित न होने पर भी तत्तद् कालिक राजाओं की क्रियायें अनित्य, सखण्ड और अनेक होती हैं, इसलिये उन राजाओं की अनित्य क्रियाओं मे विशिष्ट सत्ता रूप क्रिया के अनित्य होने से वर्त्तमानत्व का लक्षण समन्वय किया जा सकता है। यहाँ राजा के प्रधान होने से उनका उल्लेख किया गया है। वैसे जिस किसी की अनित्य क्रिया को लेकर 'आत्मा' की सत्तारूप क्रिया में अनित्यत्व का उपपादन किया जा सकता है। ग्रन्थकार का सङ्केत है कि ऐसा उपपादन हमारी अपनी कल्पना मात्र नहीं है किन्तु महाभाष्यकार पतञ्जलि भी इसी अभिप्राय को प्रकट करते हैं। उन्होंने 'पर्वतास्तिष्ठन्ति' इस वाक्य प्रयोग के सन्दर्भ में वर्त्तमाने लट् (३-२-१२३) सूत्र पर कहा है—इह "भूतभविष्यद्वर्त्तमानानां राज्ञां क्रियास्तिष्ठतेरधिकरणम्" अर्थात् भूत-भविष्यद् और वर्त्तमान राजाओं की क्रियायें 'स्था' धात्वर्थ क्रिया की अधिकरण हैं और उन्हीं की क्रियायें

तच्च वर्त्तमानत्वादि लडादिभिर्द्योत्यते. क्रियासामान्यवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणायां लडादेस्तात्पर्यग्राहकत्वेनोपयोगात्। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तद्रूपं लडादिवाच्यमेव। अन्यथा प्रत्ययानां वाचकत्वविलोपापत्तिरित्यपि पक्षान्तरम्।

सावित्री

लेकर पर्वत को भी उनका अधिकरण माना जाता है अन्यथा पर्वत के नित्य होने से उनमें भूतत्व आदि क्रियाओं से विशिष्ट 'स्था' धात्वर्थ गति निवृत्ति रूपी क्रिया का अधिकरणत्व सम्भव नहीं है। वाक्यपदीयकार ने भी कहा है—

परतो भिद्यते सर्वमात्मा तु न विकम्पते।
पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते॥

अर्थात्–सभी 'पच्' आदि धात्वर्थ क्रिया सामान्य तथा आत्मा, पर्वत आदि नित्य-पदार्थ अपने से भिन्न वर्त्तमानत्वादि के भेद मे भिन्न होते हैं जिसमें वर्त्तमान, भूत, भविष्यत् काल की भिन्न रूप से प्रतीति होती है किन्तु आत्मा या पर्वत आदि की सत्ता वर्त्तमानत्व आदि के भेद से भिन्न नहीं होती है। पर्वत, आत्मा आदि की सत्ता राजा आदि की क्रियाओं के भेद से भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है। ऐसा मानने पर ही 'तम आसीत्' (अज्ञान था) 'तुच्छेनाभ्यपिहितं यदासीत्' (तुच्छ अर्थात् माया से ढका हुआ था) 'अहमेकः प्रथममासम्, वर्त्तामि च भविष्यामि' च अर्थात् मैं 'आत्मा' पहले एक था, अभी भी एक है भविष्य में भी एक रहेगा, इत्यादि श्रुतियाँ सङ्गत होती हैं अन्यथा अज्ञान 'अविद्या' आत्मा के नित्य होने से उनमें भूत आदि काल का व्यवहार कैसे होता?

वे वर्त्तमानत्व आदि अर्थ लट् आदि लकारों से द्योत्य होते हैं वाच्य नहीं।

वर्त्तमानत्व आदि लट् आदि लकारों के वाच्य अर्थ हैं या द्योत्य अर्थ हैं—यह दोनों पक्ष शास्त्र सम्मत हैं। एक पक्ष यह है कि क्रिया सामान्य का बोध धातु से होता है और उस धातु की ही वर्त्तमानत्व आदि विशिष्ट क्रिया में लक्षणा कर देने से धातु द्वारा ही यह अर्थ लभ्य हो जाता है। लट् आदि की उस 'वर्त्तमानत्व आदि' अर्थ में शक्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में लट् आदि लकार धातु से लभ्य अर्थ के मात्र तात्पर्य ग्राहक हैं अर्थात् द्योतक हैं। द्योतक का लक्षण है—स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठवृत्त्युद्बोधकमेव द्योतकत्वम्।

दूसरा पक्ष यह है कि 'पचति' आदि में धातु के साथ लट् आदि के स्थान में आदेशभूत तिप् आदि के उच्चारण करने पर ही वर्त्तमान आदि अर्थ की प्रतीति होती है—

लिडर्थमाह—परोक्षे इति—'परोक्षे लिट्' (३-२-११५) इति सूत्रात्। कालस्तावदद्यतनानद्यतनभेदेन द्विविधः। द्विविधोऽपि भूतभविष्यद्रूपः। तत्रानद्यतने भूते परोक्षे लिडित्यर्थः। तेनाद्यतनभूते अनद्यतने भविष्यति, भूतेऽप्यपरोक्षे च न लिट्प्रयोगः।

परोक्षत्वञ्च—'साक्षात्करोमि' इत्येतादृशविषयताशालिज्ञानाविषयत्वम्।

न च "क्रिया नामेयमत्यन्तापरदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम्" इति भाष्यात् तस्या अतीन्द्रियत्वेन

सावित्री

तिबादि से रहित 'पच्' आदि धातु मात्र का उच्चारण करने पर वर्त्तमानत्व आदि की प्रतीति नहीं होती है—इस अन्वय-व्यतिरेक से वर्त्तमानत्व आदि, लट् आदि के स्थान में आदेशभूत तिबादि के ही वाच्य अर्थ हैं अन्यथा प्रत्ययों का वाचकत्व ही भङ्ग हो जाता। इस प्रकार लडादि का वाचकत्वपक्ष भी सिद्ध है।

'परोक्षे लिट्' (३-२-११५) इस सूत्र से अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में लिट् लकार होता है। अद्यतन और अनद्यतन भेद से काल दो प्रकार का होता है। उन दोनों में प्रत्येक के दो भेद होते हैं—(१) भूत (२) भविष्यत्। इन भेदों को अधोलिखित प्रकार से समझना चाहिये—

अनद्यतन परोक्ष भूत अर्थ में लिट् लकार का विधान होने से अद्यतन और अपरोक्ष भूत में तथा अनद्यतन भविष्यत् अर्थ में लिट् लकार का प्रयोग नहीं होता है।

'परोक्षे' इत्यव्यावर्त्तकमिति शङ्क्यम्, पिण्डीभूतायाः निदर्शयितुमशक्यत्वे- ऽप्यवयवशः 'साक्षात्करोमि' इति प्रतीतिविषयत्वात्। अन्यथा "पश्य मृगो धावति" इत्यत्र तस्या दर्शनकर्मता न स्यादिति प्रतिभाति। व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेवात्र पारोक्ष्यं विवक्षितमतो नोक्तदोषः। 'अयं पपाच' इत्याद्यनुरोधाद् व्यापाराविष्टानामित्यपि वदन्ति।

कथं तर्हि "व्यातेने किरणावलीमुदयनः" इति स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वादिति चेत्, असङ्गतमेव, व्यासङ्गादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्वोपपादनेऽपि 'बहुतरमनःप्रणिधानसाध्यशास्त्रार्थनिर्णयजनक-

---

सावित्री

'परोक्ष' पद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है—'परमक्ष्णः परोक्षम्'। यहाँ 'मयूरव्यंसकादयः' (३-१-७२) से समास हुआ है। 'अच्प्रत्यन्ववपूर्वात् सामलोम्नः' (५।४।७५) इस सूत्र में 'अच्' का योगविभाग करके समासान्त अच् प्रत्यय का विधान होता है। यहाँ 'पर' शब्द को अक्ष शब्द के उत्तर रहते 'परो' आदेश हो जाता है। अथवा पर शब्द के उत्तर अक्षि शब्द हो तो 'अक्षि' शब्द के अकार को उकार हो जाता है। दोनों प्रकार से 'परोक्ष' शब्द सिद्ध होता है।

यहाँ 'अक्षि' शब्द चक्षुमात्र का पर्याय न होकर सभी इन्द्रियों का वाचक है अन्यथा चक्षु से भिन्न इन्द्रिय से ज्ञात वस्तु सदैव अपरोक्ष ही कही जाती। इसलिये इन्द्रियमात्र से अजन्यज्ञान को परोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार अतीन्द्रियज्ञान परोक्ष शब्द से प्रसिद्ध है।

ग्रन्थकार ने 'परोक्ष' पदार्थ को समझाते हुये कहा है—परोक्षत्वञ्च—'साक्षात्करोमि' इत्येतादृशविषयताशालिज्ञानाविषयत्वम्॥ अर्थात् "साक्षात्करोमि" ऐसे शब्द से वक्तृवृत्तिज्ञान की विषयता जिसमें न हो उसे परोक्ष कहते हैं। इसलिये वक्ता से अन्य को 'पाकं साक्षात्करोमि' इत्यादि विषय का ज्ञान होने पर भी 'पपाच' ऐसा प्रयोग होता है। वस्तुतः प्रयोक्ता की ही इन्द्रियागोचरता परोक्षत्व है। यहाँ यह आशङ्का होती है कि भाष्यकार ने किसी भी क्रिया को प्रत्यक्ष नहीं माना है। उनके मत से सभी क्रियायें परोक्ष ही होती हैं क्योंकि 'परोक्षे लिट्' (३-२-११५) सूत्र पर कहा है—"क्रिया नामेयमत्यन्तापरिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुम्" अर्थात् क्रिया चक्षु आदि प्रत्यक्षप्रमाणों से

शब्दरचनात्मके ग्रन्थे' अनद्यतनत्वातीतत्वयोर्विस्तारक्रियायामसत्त्वेन अनद्यतनातीतत्त्वयोरभावेन तदर्थकलिडसम्भवात् ।

सावित्री

अत्यन्त अदृष्ट, पूर्व, पर आदि क्रमिक अवयववाली होती है, इन अवयवों के आशु-विनाशी होने से समूहात्मक रूप से एकत्र क्रिया का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है।

इस प्रकार क्रियामात्र के अतीन्द्रिय होने से 'परोक्षे लिट्' सूत्र का 'परोक्षे' पद अव्यावर्त्तक हो जायगा, क्योंकि 'परोक्षे' पद की सार्थकता यही है कि परोक्ष क्रिया में ही लिट्-लकार हो, अपरोक्ष क्रिया में लिट् लकार न हो। यदि कोई क्रिया अपरोक्ष (प्रत्यक्ष) होती ही नहीं तो उसके व्यावर्त्तन के लिये सूत्र में गृहीत 'परोक्षे' पद व्यर्थ हो जायगा।

उक्त आशङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि समूहात्मक रूप से क्रिया के प्रत्यक्ष न होने पर भी अवयव के क्रम से साक्षात्कार का विषय बन सकती है। यदि अवयवात्मक रूप से भी क्रिया का प्रत्यक्ष न माना जाय तो 'पश्य मृगो धावति' (देखो, मृग दौड़ता है) यहाँ पर धावनक्रिया दर्शनक्रिया के प्रति कर्म न बन सकती थी।

वस्तुतः अवयवरूपा क्रिया भी अतीन्द्रिय अर्थात् अप्रत्यक्ष ही होती है—यही भाष्य-सिद्धान्त है। 'पश्य मृगो धावति' में दृश् धातु का प्रयोग चक्षुरूपी इन्द्रिय से जन्य ज्ञान के लिये न होकर ज्ञानसामान्य के अर्थ में हुआ है। इसलिये 'पश्य' का 'देखना' अर्थ न होकर 'अनुमान करना' अर्थ है।

इस प्रकार सभी क्रियाओं के परोक्ष होने पर क्रिया में 'परोक्ष' विशेषण निरर्थक होने से भाष्यकार ने साधन (कारक) का पारोक्ष्य रहने पर अनद्यतनभूत अर्थ में लिट् लकार माना है।

कौण्डभट्ट को भी साधन का ही पारोक्ष्य अभिप्रेत है। इसीलिये उन्होंने लिखा है—'व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेव पारोक्ष्यमिह विवक्षितमिति" ॥ अर्थात् व्यापारकाल में प्रवृत्त क्रियानुकूल साधनों का ही पारोक्ष्य यहाँ विवक्षित है। साधनों का पारोक्ष्य मानने पर ही 'परोक्षे' पद का अव्यावर्त्तकत्व दोष दूर हो जाता है।

किन्तु साधन का पारोक्ष्य स्वीकार करने पर अनद्यतन भूत काल में पाकक्रिया सम्पन्न किये हुये कर्त्ता के प्रत्यक्ष रहने की स्थिति में 'अयं पपाच' ऐसा प्रयोग नहीं होगा जब कि ऐसा प्रयोग अभीष्ट है। इस अनिष्ट वारण के लिये ही परोक्ष के लक्षण में "व्यापाराविष्टानाम्" यह विशेषण दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यापारकालिकसाधन (कारक) का पारोक्ष्य

लुडर्थमाह—श्वो भाविनीति । अनद्यतने भाविनीत्यर्थः, 'अनद्यतने लुट्' (३-३-१५) इति सूत्रात् । यथा—'श्वो भविता' इत्यादौ ।

सावित्री

होना चाहिये । 'पपाच' इस प्रयोग काल में पाककर्त्ता का प्रत्यक्ष होने पर भी पाककाल-विशिष्ट कर्त्ता का परोक्षत्व अबाधित है । इसलिये व्यापारकाल वाले कर्त्ता का पारोक्ष्य लेकर 'अयं पपाच' यह प्रयोग निष्पन्न होता है ।

उदयन ने 'किरणावली' के मङ्गलाचरण में लिखा है—व्यातेने किरणावलीमुदयनः (उदयन ने 'किरणावली' के रूपमें विस्तार किया) । यहाँ वि-आङ्-उपसर्ग पूर्वक तनु (विस्तारे) धातु से लिट् लकार प्रथमपुरुष एक वचन में 'व्यातेने' रूप बना है । यहाँ उदयन ने लिट्-लकार का प्रयोग कैसे किया क्योंकि अपनी क्रिया अपने लिये प्रत्यक्ष ही होती है । साधन का पारोक्ष्य ग्रहण करने पर क्रियाविशिष्ट साधन का भी अपने द्वारा प्रत्यक्ष ही रहता है, क्योंकि यहाँ मङ्गलाचरण का वक्ता और ग्रन्थरचना रूप क्रिया का कर्त्ता उदयन एक ही है । इस रीति से क्रिया और साधन में किसी का भी परोक्षत्व उपपन्न न होने से उक्त 'व्यातेने' प्रयोग असङ्गत ही है । यद्यपि ग्रन्थ रचना काल में मन के विषयान्तर में संलग्न रहने पर अपनी क्रिया का भी परोक्षत्व उपपादन किया जा सकता है, किन्तु शास्त्र का अर्थ निर्णायक ग्रन्थ की रचना में मन को बहुत एकाग्रचित्त करना पड़ता है । इसलिये ग्रन्थरचना-रूप क्रिया का पारोक्ष्य उपपादन अनुचित है 'किरणावली' ग्रन्थकर्मक विस्तार क्रियाकाल में अनद्यतनत्व और अतीतत्व असम्भव है । अतः परोक्ष, तथा अनद्यतन भूत क्रियावाची धातु से विधीयमान लिट्लकार का प्रयोग यहाँ अनुचित है ।

लुट् लकार का अर्थ—लुट् लकार के अर्थनिरूपणप्रसङ्ग में कारिका में क्रमशः 'श्वो भाविन्यर्थे' अर्थात् कल होने वाली क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया गया है । यहाँ 'श्वः' पद लक्षणा से अनद्यतन परक है क्योंकि 'अनद्यतने लुट्' [३-३-१५] सूत्र से अनद्यतन भविष्यत् अर्थ में लुट् लकार का विधान किया गया है । उदाहरण जैसे—श्वः भविता, श्वः कर्त्ता श्वः भोक्ता—इत्यादि । यहाँ 'श्वः' शब्द अद्यतन से भिन्न सभी भविष्यत् काल के अर्थ में समझना चाहिये ।

'अनद्यतन' शब्द में 'न अद्यतनोऽनद्यतनः' ऐसा तत्पुरुष समास न होकर ''न विद्यते अद्यतनो यस्मिन् सोऽनद्यतनकालः, ऐसा बहुव्रीहि समास है । इसलिये जिस क्रिया में अद्यतन काल भी मिश्रित है वहाँ लुट् लकार नहीं होगा । जैसे—'अद्य श्वश्च गमिष्यति' । यदि यहाँ तत्पुरुष समास होता तो अद्यतन और अद्यतन से भिन्न 'श्वः' आदि मिश्रित काल, अनद्यतन हो जाता और उस मिश्रित काल में भी लुट् लकार होने लगता ।

लडर्थमाह—भविष्यतीति। भविष्यत्सामान्ये इत्यर्थः, 'लृट् शेषे च' (३-३-१३) सूत्रात्। यथा—'घटो भविष्यति' इत्यादौ। तत्त्वञ्च—वर्त्तमानप्रागभावप्रतियोगिसमयोत्पत्तिमत्त्वम्।

लेडर्थमाह—विध्यादाविति। 'लिङर्थे लेट्' (३।४।७) इति सूत्रात्। लिङर्थश्च विध्यादिरिति वक्ष्यते।

लोडर्थमाह—प्रार्थनेति। आदिना विध्याद्याशिषो गृह्यन्ते, 'आशिषि लिङ्लोटौ' (३-३-१७३) 'लोट्' च (३।३।१६२) इति

सावित्री

'अद्यतन' काल की क्या सीमा है, इस बारे में शास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है। भट्टोजिदीक्षित ने 'सिद्धान्तकौमुदी' में 'कालोपसर्जने च तुल्यम्' [१-२-५७] सूत्र पर कहा है—"अतीताया रात्रेः पश्चार्धेनागामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितो दिवसोऽद्यतनः"। अर्थात् बीती हुई रात के उत्तरार्ध से लेकर आगामी रात के पूर्वार्द्ध सहित दिन अद्यतन कहलाता है।

कैयट ने 'लुङ्' [३-२-११] सूत्र पर भाष्य की प्रदीप टीका में कहा है—एकस्याः रात्रेश्चतुर्थो यामो, दिवसश्च सर्वो द्वितीयायाश्च रात्रेः प्रथमोऽद्यतन इत्याहुः। अर्थात् पूर्वरात्रि का चतुर्थ प्रहर, सम्पूर्ण दिन तथा द्वितीय रात्रि के प्रथम प्रहर तक का काल अद्यतन कहलाता है।

न्यास तथा पदमञ्जरीकार को भी 'अद्यतन' काल की अवधि कैयट के अनुसार ही मान्य है।

लृट् लकार का अर्थ

'लृट् शेषे च' [३-३-१३] सूत्र से भविष्यत् सामान्य अर्थ में लृट् लकार होता है। जैसे—'घटो भविष्यति' इत्यादि। भविष्यत्व का लक्षण किया है—वर्त्तमानप्रागभावप्रतियोगिसमयोत्पत्तिमत्त्वम्। अर्थात् वर्त्तमान कालिक क्रिया का जो प्रागभाव [ध्वंस], उसका प्रतियोगी जो समय, उस समय में होने वाली क्रिया का अधिकरण काल भविष्यत् काल कहलाता है। जैसे—श्वो भविता। यहाँ वर्तमान काल में होने वाली क्रिया का पहले अभाव था, उसकी प्रतियोगी क्रिया आगे होने वाली क्रिया होगी। उसी क्रिया के काल को भविष्यत् काल कहेंगे।

लेट् लकार का अर्थ

लिङर्थे लेट् [३-४-७] सूत्र से लिङ् के अर्थ में लेट् लकार होता है। लिङ् का अर्थ

सूत्राभ्यां तथाऽवगमात्। यथा--'भवतु ते शिवप्रसादः' इत्यादौ। एतयोरर्थौ लिङर्थ एव त्रयाणां समानार्थत्वादिति तन्निर्णयेनैव निर्णयः॥ २२॥

लङादिक्रमेण ङितामर्थमाह—

ह्यो भूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः।
सत्यां क्रियातिपत्तौ च भूते भाविनि लङ्स्मृतः॥२३॥

लङर्थमाह—ह्यो भूत इति। अनद्यतने भूत इत्यर्थः, 'अनद्यतने लङ्' (३।२।१११) इति सूत्रात्। यथा—अस्य पुत्रोऽभवत् इत्यादौ।

सावित्री

विधि-निमन्त्रण आदि होता है इसे आगे कहेंगे। लेट् लकार का प्रयोग वेद में ही देखा जाता है।

लोट् लकार का अर्थ

लोट् लकार 'प्रार्थना' इत्यादि अर्थ में होता है। यहाँ आदि पद से विधि, आशिष् आदि का ग्रहण होता है, क्योंकि 'आशिषि लिङ्लोटौ' [३।३।१७३] और 'लोट् च' [३।३।१६२] सूत्रों से उन्हीं अर्थों की प्रतीति होती है। आशीः का उदाहरण दिया है—'भवतु ते शिवप्रसादः' यहां 'आशिषि लिङ्लोटौ' [३।३।१७३] सूत्र से आशीः अर्थ में लोट् लकार हुआ है। लिङ् लकार का जो अर्थ है वही अर्थ लेट्, लोट्, लकार का भी है। इस प्रकार लेट्, लोट् और लिङ् इन तीनों लकारों का अर्थ समान है। लिङ् लकार का अर्थ निर्णय होने पर तीनों लकारों के अर्थ का निर्णय हो जायगा॥ २२॥

लङ्, लिङ् आदि ङित् लकारों का क्रमशः अर्थ बताते हैं—ह्यः भूत [अनद्यतनभूत], प्रेरणा आदि तथा सामान्यभूत अर्थ में क्रमशः लङ्, लिङ् और लुङ् लकार होते हैं। हेतुहेतुमद्भाव [कार्य कारण भाव] की दशा में क्रिया की अनिष्पत्तिगम्यमान हो तो भूत और भविष्यत् काल में लृङ् लकार होता है। [आगे उदाहरण से अधिक स्पष्ट हो जायगा]।

लङ् लकार का अर्थ

'अनद्यतने लङ्' [३।२।१११] सूत्र से ह्यः भूत अर्थ में लङ्लकार होता है। यहां 'ह्यः' शब्द अनद्यतन परक है। उदाहरण जैसे—अस्य पुत्रोऽभवत् [इसको पुत्र हुआ]

लिङर्थमाह—प्रेरणादाविति । 'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्' (३-३-१६१) इति सूत्रात् । तत्र विधिः = प्रेरणम्, भृत्यादेर्निकृष्टस्य प्रवर्त्तनम् । निमन्त्रणम् = नियोगकरणम्, आवश्यके (श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्त्तनम्) प्रेरणेत्यर्थः । आमन्त्रणम् = कामचारानुज्ञा । अधीष्टम् = सत्कारपूर्वको व्यापारः । सम्प्रश्नः = सम्प्रधारणम् ।

सावित्री

'विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ्' [३।२।१६१) इस सूत्र से विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न और प्रार्थना अर्थ में लिङ् लकार होता है । **विधि** का अर्थ है प्रेरणा । अर्थात् भृत्य आदि निम्न श्रेणी के लोगों को कार्य में प्रवृत्त कराना । जैसे—स्वामी भृत्य से कहता है—भवान् वस्त्रं प्रक्षालयेदिति । **'निमन्त्रण'** का नियोगकरण अर्थ है । नियोगतः अर्थात् "अवश्यम्भावेन यत्करणं तन्निमन्त्रणम्" । इसीलिये भट्टोजिदीक्षित ने लिखा है—"आवश्यके श्राद्धभोजनादौ दौहित्रादेः प्रवर्त्तनम् ।" अर्थात् आवश्यक रूप से श्राद्धभोजन आदि में दौहित्र आदि का प्रवर्त्तन ही निमन्त्रण कहलाता है । जैसे—इह श्राद्धे भवान् भुञ्जीत ।

दर्पणकार ने लिखा है—निमन्त्र्यते=नियुज्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या नियोगानुकूलव्यापारो निमन्त्रणपदार्थ इत्यर्थः ।

आमन्त्रण

आमन्त्रण का अर्थ है कामचारानुज्ञा । अर्थात् अपनी इच्छा से आचरण करने की अनुमति । जैसे—यथारब्धं कुरुष्व, तत्कुरुष्व यथाहितमिति, यथेच्छं कुर्याः इत्यादि ।

आमन्त्रण इच्छा विषयक होता है । आमन्त्रण रूप प्रवर्त्तना के न करने पर भी प्रत्यवाय नहीं होता है ।

अधीष्ट

अधीष्ट का अर्थ है—सत्कारपूर्वकव्यापार । अभिप्राय यह है कि सत्कारपूर्वक अध्ययन आदि व्यापार में प्रवर्त्तन अधीष्ट कहलाता है । जैसे—माणवकमध्यापयेद् भवान् ।

यहाँ 'अधि' उपसर्ग पूर्वक 'इष्' धातु से 'भाव' में 'क्त' प्रत्यय करने से 'अधीष्ट' प्रयोग बनता है । यहाँ 'अधीष्टः' ऐसा पुल्लिङ्ग पाठ असङ्गत है, क्योंकि निष्ठासंज्ञक 'क्त'

एतच्चतुष्टयानुगतप्रवर्त्तनात्वेन वाच्यता लाघवात् । उक्तञ्च–

अस्ति प्रवर्त्तनारूपमनुस्यूतं चतुर्ष्वपि ।
तत्रैव लिङ् विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया ॥
न्यायव्युत्पादनार्थं वा प्रपञ्चार्थमथापि वा ।
विध्यादीनामुपादानं चतुर्णामादितः कृतम् ॥ इति ॥

प्रवर्त्तनात्वञ्च = प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयताऽवच्छेदकत्वम् । तच्चेष्ट-साधनत्वस्यास्ति तदेव विध्यर्थः ।

सावित्री

प्रत्यय के अन्त में रहने से 'निष्ठा' इस लिङ्गानुशासनसूत्र से नपुंसकलिङ्ग का विधान होकर 'अधीष्टम्' यही प्रयोग उचित है । प्रकृत सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने भी 'अधीष्ट' शब्द का नपुसक लिङ्ग में ही प्रयोग किया है । जैसे--अधीष्टन्नाम सत्कारपूर्विका व्यापारणा ।

सम्प्रश्न

'सम्प्रश्न' का सम्प्रधारण अर्थ है । सम्प्रधारण शब्द से--अमुक कार्य किया जाय अथवा अमुक (पूर्व निर्दिष्ट से भिन्न) कार्य क्रिया जाय—इस प्रकार की विचारणा को कहते हैं । जैसे—किं भोः व्याकरणं भवानधीयीय उत तर्कम्–इति ।

प्रार्थना

प्रार्थना का याञ्चा अर्थ है । अपनी अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिये वस्तु के स्वामी से दान कराने की इच्छा प्रकट करना ही याञ्चा है । 'प्रार्थना' शब्द का अर्थ स्पष्ट होने से कौण्ड भट्ट ने इसकी व्याख्या नहीं की है । जैसे--भवानन्नं मे दद्यात् ।

विधि, निमन्त्रण आदि चारों में एक रूप से रहने वाला जो प्रवर्त्तनात्व है, लाघव होने से विधि प्रत्यय का शक्यतावच्छेदक उसी को मानना चाहिये, क्योंकि विधि आदि चार को लिङ् प्रत्यय का अर्थ मानेंगे तो विधित्व आदि अनेक शक्यतावच्छेदक हो जायेंगे जिससे गौरव होगा । कहा भी है—

प्रवृत्तिजनकत्व रूप प्रवर्त्तना 'विधि' आदि चारों में अनुस्यूत (सम्बद्ध) रहती है । इसलिये 'प्रवर्त्तना' अर्थ में ही लिङ् लकार का विधान करना चाहिये । विधि, निमन्त्रण आदि भेद विशेष की विवक्षा से कोई लाभ नहीं है । इस प्रकार 'प्रवर्त्तनायां लिङ्' इतने से ही काम चल जाता, सूत्र में विधि आदि का पृथक् पृथक् ग्रहण अनावश्यक है फिर भी उन भेदों की संगति बैठाने के लिये आगे कहते हैं—

यद्यप्येतत् कृतिसाध्यत्वस्यापि अस्ति, तज्ज्ञानस्यापि प्रवर्त्तकत्वात्, तथापि यागादौ सर्वत्र तल्लोकत एव लभ्यत इत्यन्यलभ्यत्वान्न तच्छक्यम्।

बलवदनिष्टाननुबन्धित्वज्ञानञ्च न हेतुः, द्वेषाभावेनान्यथासिद्धत्वात्, आस्तिककामुकस्य नरकसाधनताज्ञानदशायामप्युत्कटेच्छाया द्वेषाभावदशायां प्रवृत्तेर्व्यभिचाराच्च। तस्मादिष्टसाधनत्वमेव प्रवर्त्तना। उक्तञ्च मण्डनमिश्रैः—

सावित्री

न्याय-व्युत्पादन के लिये अर्थात् विधित्व आदि व्याप्य धर्म का प्रवर्त्तनात्व व्यापक धर्म इस न्याय के सम्यग् ज्ञान के लिये विधि आदि चारों का ग्रहण किया गया है। अथवा यों समझिये कि प्रवर्त्तनात्वेन लिङ् लकार की शक्ति विधि आदि चार में ही है·—इस बात के विस्तार से ज्ञान के लिये विधि आदि का सूत्र में ग्रहण किया गया है।

प्रवर्त्तनात्व—'प्रवृत्तिजनकज्ञाविषयतावच्छेदक' को कहते हैं। प्रवृत्तिजनक जो ज्ञान, उस ज्ञानीय विषयता के अवच्छेदक (धर्म) को प्रवर्त्तनात्व कहते हैं। जैसे—(यागो मदिष्टसाधनम्) यह ज्ञान याग में प्रवर्त्तक या प्रवृत्तिजनक होता है, उस ज्ञान की विषयता रूप विशेष्यता याग में रहती है, प्रकारता इष्टसाधन में रहती है। इसलिये विशेष्यता निरूपकत्व रूप अवच्छेदकत्व इष्टसाधनत्व की है और वही इष्टसाधनत्व ही विधिबोधकप्रत्यय का अर्थ है।

यद्यपि प्रवृत्तिजनकज्ञानविषयतावच्छेदकत्व कृतिसाध्यत्व में भी रहता है, जैसे—'यागो मत्कृतिसाध्यः, मत्कृतिसाध्यत्वविरोधिधर्मानधिकरणत्वात्, मत्कृतिसाध्यपाकवत्' अर्थात् 'याग मेरी कृति (व्यापार) से साध्य है क्योंकि मेरी कृति से साध्यत्वविरोधी कोई धर्म उसमें नहीं रहता है जैसे कि पाक मेरी कृति से साध्य है।"

कृतिसाध्यत्व का ज्ञान भी कार्य का प्रवर्त्तक होता है। किसी कार्य के प्रति इष्टसाधनत्व का ज्ञान रहते हुये भी जब यह बोध न हो जाय कि अमुक कार्य मुझसे साध्य है, प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे—'स्वर्गकामो यजेत' (स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से यज्ञ करे) के अनुसार याग को स्वर्गप्राप्ति का साधन जानते हुये अतिशय दीन भिक्षुक की प्रवृत्ति याग में नहीं होती है क्योंकि अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण याग करना अपने द्वारा साध्य नहीं समझता है। इसलिये 'इष्टसाधनत्व' का ज्ञान रहते हुये भी कार्य में प्रवृत्ति के लिये (मत्कृतिसाध्यत्व) बोध भी आवश्यक होता है।

पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात् क्रियास्वन्यः प्रवर्त्तकः।
प्रवृत्तिहेतुं धर्मञ्च प्रवदन्ति प्रवर्त्तनाम् ॥ इति।

प्रपञ्चितं चैतद् वैयाकरणभूषणे।

सावित्री

मत्कृतिसाध्यत्व में प्रवृत्तिप्रयोजकत्व रहते हुये भी उसे लिङ् लकार का शक्य अर्थ नहीं माना जा सकता है क्योंकि 'याग' आदि के प्रति उस प्रकार का कृतिसाध्यत्वज्ञान अलौकिक अनुमान से ही सिद्ध है। शब्द का अर्थ वही हो सकता है जो अन्य किसी प्रकार से उपलब्ध न हो। कहा भी है—'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः'।

प्राचीन नैयायिक बलवान् अनिष्ट के अननुबन्धि (अप्रयोजक) ज्ञान को प्रवृत्ति के प्रति कारण मानते हैं। जैसे—विषसम्पृक्त अन्न खाने से मरण रूप महा अनिष्ट हो सकता है। इस ज्ञान के रहते उसे खाने में कोई प्रवृत्त नहीं होता है। विषादि से असम्पृक्त अन्न के खाने से कोई अनिष्ट नहीं होता है। अतः उसे खाने में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार 'बलवदनिष्टाननुबन्धि' ज्ञान को प्रवृत्ति में कारण मानना चाहिये।

कौण्डभट्ट नैयायिकों से असहमत हैं! उनका कहना है कि अनिष्ट प्रयोजक ज्ञान रहते हुये भी यदि किसी कारण वश उस कार्य के प्रति द्वेष न रहा तो प्रवृत्ति हो जाती है। कार्यमात्र में प्रवृत्ति के प्रति द्वेषाभाव रूप प्रतिबन्धकाभाव कारण रहता है। किसी आस्तिक कामुक को यह ज्ञान है—'अगम्यागमनं नरकसाधनम्' (अगम्या स्त्री में गमन से नरक होता है) इस प्रकार का अनिष्ट प्रयोजक ज्ञान रहते हुये भी उत्कट इच्छा वश यदि 'अगम्यागमन' में द्वेष न हुआ तो प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसी स्थिति में बलवदनिष्ट का प्रयोजक ज्ञान रहते हुये भी कार्य में प्रवृत्ति हो जाती है जबकि आप (नैयायिक) को कार्य में प्रवृत्ति के लिये अनिष्ट का अप्रयोजक रूप कारण होना चाहिये। यहाँ कारणाभाव में भी कार्य हो जाने से आपका कारण अन्यथा सिद्ध है। अतः इष्टसाधनत्व ही प्रवर्त्तना है यही युक्ति-युक्त है। मण्डनमिश्र ने भी कहा है—

इष्टसाधनता के अतिरिक्त (कृतिसाध्यत्व आदि) धर्म मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त नहीं कराते हैं अपि तु इष्टसाधनता ज्ञानही प्राणिमात्र को कार्य में प्रवृत्त कराता है। मनीषी आचार्य कार्य की प्रवृत्ति में हेतु और धर्म, दोनों को प्रवर्तना ही कहते हैं। यह सब बातें 'वैयाकरण-भूषण' में विस्तार से कही गई हैं।

आदिना 'हेतुहेतुमतोर्लिङ्' (३।३।१५६), 'आशिषि लिङ्लोटौ' (३।३।१७३) इति सूत्रोक्ता हेतुहेतुमद्भावादयो गृह्यन्ते। यो ब्राह्मणायावगुरेत्तं शतेन यातयेत् इति यथा।

लुङर्थमाह—भूतमात्र इति। भूतसामान्ये इत्यर्थः; भूते लुङ्। 'भूते' इत्यधिकृत्य 'लुङ्' ३।२।११० इति सूत्रात्। अत्र "विद्यमानध्वंसप्रतियोगित्वं भूतत्वम्"। तच्च क्रियायां निर्बाधमिति विद्यमानेऽपि घटे घटोऽभूदिति प्रयोगः। विद्यमानध्वंसप्रतियोगी घटाभिन्नाश्रयक उत्पत्त्याद्यनुकूलो व्यापार इति बोधः।

सावित्री

कारिका में 'प्रेरणादौ' कहा गया है। वहाँ आदि पद से 'हेतुहेतुमतोर्लिङ्। आशिषि लिङ्लोटौ' सूत्र में पठित हेतुहेतुमद्भाव आदि का ग्रहण किया जाता है, जैसे—'यो ब्राह्मणायावगुरेत्तं शतेन यातयेत्'। अर्थात् जो ब्राह्मण को मारने के लिये उद्यत हो उसे सौ वर्ष तक यातना देनी चाहिये। यहाँ 'अवगुरेत्' 'अव' उपसर्गपूर्वक 'गृ' 'उद्यमने' धातु से 'हेतुहेतुमतोर्लिङ्' सूत्र से हेतुहेतुमद्भाव अर्थ में लिङ् लकार हुआ है। ब्राह्मण को मारने के लिये उद्यत होने की क्रिया हेतु है और यातना क्रिया हेतुमद् (कार्य) है।

लुङ् लकार का अर्थ

'भूते' का अधिकार आकर 'लुङ्' (३।२।११०) सूत्र से भूत सामान्य अर्थ में लुङ् लकार होता है। यहाँ भूतत्व का लक्षण किया है— "विद्यमानध्वंसप्रतियोगित्वं भूतत्वम्" उसका अभिप्राय है वर्त्तमान है ध्वंस (नाश) जिस व्यापार (क्रिया) का, उस नाश का प्रतियोगी जो व्यापार (अतीतकालिक) उस व्यापार से उपलक्षित काल को भूत काल कहते हैं उस प्रकार का भूतत्व अतीत क्रिया में निश्चित रूप से रहता है। इसीलिये विद्यमान घट के लिये भी 'घटोऽभूत्' प्रयोग होता है क्योंकि उसमें रहनेवाला उत्पत्त्यनुकूलव्यापार नष्ट हो चुका है। घटोऽभूत्' इस प्रयोग काल में घटोत्पत्त्यनुकूलव्यापार का नाश विद्यमान रहता है। इसलिये विद्यमान ध्वंस (नाश) का प्रतियोगी घट से अभिन्न आश्रय में रहने वाला उत्पत्त्यनुकूलव्यापार ऐसा 'घटोऽभूत्' का शाब्दबोध होता है।

कालभेद का संग्रह इस प्रकार है—काल के दो भेद होते हैं—(१) अद्यतन (२) अनद्यतन। पुनः अद्यतन के तीन भेद होते हैं— (१) भूत (२) भविष्यत् (३) वर्त्तमान। अनद्यतन के भी दो भेद होते हैं— (१) भूत (२) भविष्यत्। इन्हें अधोलिखित प्रकार से समझा जा सकता है।

अयमत्र संग्रहः—कालो द्विविधः, अद्यतनोऽनद्यतनश्च। आद्यस्त्रिविधः—भूतभविष्यद्वर्त्तमानभेदात्। अन्त्यो द्विविधः—भूतो भविष्यश्च। तत्र वर्त्तमानत्वे लट्। भूतत्वमात्रे लुङ्। भविष्यत्तामात्रे लट्। हेतु-हेतुमद्भावाद्यधिकार्थविवक्षायामनयोर्लङ्। अनद्यतने भूतत्वेन विवक्षिते लुङ्। तत्रैव परोक्षत्वविवक्षायां लिट्। तादृशे भविष्यति लुट्, इति द्रष्टव्यः।

लङर्थमाह—सत्यामिति। क्रियाया अतिपत्तिः = अनिष्पत्तिस्तस्यां गम्यमानायाम्, भूते भाविनि हेतु-हेतुमद्भावे सति लङित्यर्थः।

सावित्री

उसमें वर्त्तमान क्रिया से उपलक्षित काल में लट् लकार होता है, भूतसामान्य अर्थ में लुङ् लकार तथा भविष्यत् सामान्य अर्थ में लृङ् लकार होता है। हेतुहेतुमद्भाव (कार्यकारणभाव) आदि अधिक अर्थ की विवक्षा हो तो भूत और भष्यित् दोनों में लृङ् लकार होता है। अनद्यतन भूत की विवक्षा में लङ् लकार तथा परोक्ष विशेषण से विशिष्ट अनद्यतन भूत की विवक्षा में लिट् लकार होता है। अनद्यतन भविष्यत् अर्थ की विवक्षा में लुट् लकार होता है। ऐसा तत्तद् लकारविधायक सूत्रों के अर्थ से सुस्पष्ट है।

लङ् लकार का अर्थ

क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भूत और भविष्यत् काल में हेतुहेतुमद्भाव (कारणकार्यभाव) की स्थिति में 'लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ' (३।३।१३९) इस सूत्र से लृङ् लकार होता है। लिङ्निमित्त हेतुहेतुमद्भाव आदि है। जैसे—सुवृष्टिश्चेद-भविष्यत् सुभिक्षमभविष्यत्। 'यदि सुवृष्टि होती तो सुभिक्ष होता.) यहाँ सुवृष्टि और सुभिक्ष में परस्पर कार्यकारणभाव है। सुवृष्टि हेतु है और सुभिक्ष कार्य है। 'वह्निश्चेत् प्राज्वलिष्यत् ओदनमपक्ष्यत्'' अर्थात् यदि आग प्रज्वलित होती तो ओदन पकता। यहाँ वह्नि का जलना कारण है और ओदन का पकना कार्य है। इसका

'लिङ्निमित्ते लृङ् क्रियातिपत्तौ' (३।३।१३९) इति सूत्रात्। लिङो निमित्तं हेतुहेतुमद्भावादि। यथा—"सुवृष्टिश्चेदभविष्यत् सुभिक्षमभविष्यत्।" 'वह्निश्चेत् प्राज्वलिष्यद् ओदनमपक्ष्यत्' इत्यादौ। अत्र वह्न्यभिन्नाश्रयकप्रज्वलनानुकूलव्यापाराभावप्रयोज्य—ओदनभिन्नाश्रयकविक्लित्त्यनुकूलव्यापाराभाव इति शाब्दबोधः।

एवं रीत्या द्रष्टव्यम्। अयञ्च अर्थनिर्देश उपलक्षणम्, अर्थान्तरेऽपि बहुशो विधानदर्शनात्। प्रसिद्धत्वादेष्वेवार्थेषु शक्तिरन्यत्र लक्षणेति मतान्तररीत्या वोक्तम्। एतेषां क्रमनियामकश्चानुबन्धक्रम

सावित्री

शाब्दबोध है—

वह्न्यभिन्नाश्रयक प्रज्वलनानुकूलव्यापारभावप्रयोज्य—ओदनाश्रयक—विक्लित्त्यनुकूलव्यापारभावः। अर्थात् वह्नि से अभिन्न आश्रय वाला जो प्रज्वलन, उस प्रज्वलन के अनुकूल जो व्यापार, उस व्यापार का जो अभाव, उस अभाव से प्रयोज्य जो ओदन से अभिन्न आश्रय वाली विक्लित्ति, उस विक्लित्ति के अनुकूल जो व्यापार, उस व्यापार का अभाव—ऐसा शाब्दबोध होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी शाब्दबोध समझना चाहिये।

'वर्त्तमाने लट्' इत्यादि सूत्रों द्वारा जो लकारों का अर्थनिर्देश किया जाता है वह उपलक्षण है, क्योंकि प्रशंसा आदि अन्य अर्थों में लट् आदि लकारों का विधान देखा जाता है। नैयायिक, मीमांसकों के मत से प्रसिद्ध होने से वर्त्तमानत्व आदि अर्थों में लट् आदि लकारों की शक्ति होती है अन्य अर्थों में लक्षणा होती है। शाब्दिकों के मत से जिस शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है उस अर्थ में उस शब्द की शक्ति होती है। उनके अनुसार—'बोधकत्वं शक्तिः' यही सिद्धान्त है। वर्त्तमानत्व आदि से अधिक, प्रशंसा, प्राप्तकाल, प्रकरण आदि से किसी प्रकार प्राप्त होने से उन्हें 'प्रयोगोपाधि' मानते हैं।

लट्, लिट् आदि लकारों का क्रम अकार, इकार आदि अनुबन्धों के क्रम से है। अर्थात् अकार अनुबन्धवाला लट् लकार प्रथम, इकार अकार अनुबन्धवाला लिट् लकार

एव। अत एव पञ्चमो लकार इत्यनेन मीमांसकैर्लेट् व्यवह्रियत इति दिक् ॥२३॥

इति वैयाकरणभूषणसारे लकारार्थनिरूपणम्।

सावित्री

द्वितीय उकार—अनुबन्धवाला लुट् लकार तृतीय इत्यादि क्रम समझना चाहिये। इसीलिये मीमांसक पाँचवाँ 'लेट्' लकार है ऐसा व्यवहार करते हैं।

वैयाकरणभूषणसार में 'लकारार्थनिर्णयः' प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई।

अथ सुबर्थनिर्णयः

सुबर्थमाह—

आश्रयोऽवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा।
यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः ॥२४॥

सावित्री

'सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः' इत्यादि भाष्य से द्वितीया आदि विभक्तियों का आश्रय, आदि अर्थ होता है अर्थात् सभी सुप् विभक्तियों का शक्ति (धर्म) मात्र अर्थ होता है। जैसे—द्वितीया, तृतीया, सप्तमी विभक्तियों का आश्रय, पञ्चमी का अवधि तथा चतुर्थी का उद्देश्य अर्थ होता है।

बहुषु बहुवचनम् (१।४।२१) सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है—

सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः सङ्ख्या चैव तथा तिङम्।
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा॥

उक्त भाष्य से सुस्पष्ट है कि संख्या तथा कर्म आदि सुप्, तिङ् आदि विभक्तियों के अर्थ हैं। उक्त भाष्य को आधार मानकर उपर्युक्त कारिका में कहा गया है कि आश्रय, उद्देश्य, अवधि, सम्बन्ध अथवा शक्ति (धर्म) द्वितीया आदि विभक्तियों के अर्थ हैं। किस विभक्ति का क्या अर्थ है, इसका पृथक्-पृथक् अर्थ निरूपण आगे किया जायगा।

विशेष—'बहुषु बहुवचनम्' (१।४।२१) सूत्र पर भाष्यकार ने यह विचार किया है कि द्वित्व, बहुत्व आदि अर्थ में द्विवचन, बहुवचन की व्यवस्था लौकिक प्रयोग से ही सिद्ध हो जायगी, पुनः बहुत्व अर्थ में बहुवचन करने के लिये इस सूत्र की क्या आश्यकता थी ? इस आशंका के उत्तर में भाष्यकार ने यह माना है यह सूत्र नियमार्थ है कि बहुत्व अर्थ में बहुवचन ही हो, एकवचन या द्विवचन न हो।

यहाँ यह प्रश्न उठाया गया है कि यह सूत्र किस प्रकार का नियम करता है क्योंकि यहाँ दो प्रकार से नियम सम्भावित हैं। जैसे— (१) अर्थ नियम (२) प्रत्ययनियम।

द्वितीया-तृतीया-सप्तमीनामाश्रयोऽर्थः। तथा हि— कर्मणि द्वितीया (२।३।२)। तच्च कर्त्तुरीप्सिततमम्-क्रियाजन्यफलाश्रय इत्यर्थः, कर्मजन्यफलवत्त्वेन कर्मण एव कर्त्तुरीप्सिततमत्वात्। 'तथा

सावित्री

यदि अर्थ की सीमा बाँधी जाय तो अर्थनियम कहलाता है, यदि प्रत्यय की सीमा का बन्धन कर दिया जाय तो प्रत्यय नियम कहलाता है। यह भी सिद्धान्त है—'यतो एवकारस्ततोऽन्यत्र नियमः'। अर्थात् जिसके साथ 'एव' लगा रहेगा उससे भिन्न का नियमन करेगा। यदि कहा जाय—'एकस्मिन् (अर्थे) एकवचनमेव' यह अर्थ नियम होगा, क्योंकि यहाँ एकत्व अर्थ का नियमन होता है अर्थात् एकत्व अर्थ में एकवचन होगा, द्वित्व बहुत्व अर्थ में नहीं। यदि यह कहें "एकस्मिन्नेव एकवचनम्" तो यह प्रत्ययनियम होगा, क्योंकि यहाँ एकत्व अर्थ द्वारा प्रत्यय का नियमन किया जाता है अर्थात् एकत्व अर्थ में एकवचन ही होगा, द्विवचन या बहुवचन नहीं। इस प्रकार एकवचन विभक्ति (प्रत्यय) की सीमा बाँधी गई।

यहाँ अर्थनियम मानने में कोई दोष नहीं है किन्तु, प्रत्ययनियम मानने पर एकवचन संख्याओं के द्वारा अव्यय आदि अर्थों का नियमन नहीं हो सकेगा, क्योंकि अव्ययों में कोई संख्या नहीं होती है। नियम सदा सजातीय ही होता है। एकवचन आदि संख्यायुक्त विभक्तियाँ संख्यारहित अव्ययों के विषय में कोई नियम नहीं करेंगी। फलतः अव्ययों से स्वादि विभक्तियाँ न हो सकेंगी। विभक्तियों के न आने पर अव्ययों में साधुत्व नहीं आयेगा। साधुत्व के अभाव में अव्ययों का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि नियम है—अपदं न प्रयुञ्जीत। इस आशंका के उत्तर में महाभाष्यकार ने कहा है—

सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम्।
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु च॥

अर्थात् संख्या तथा कर्म आदि सुप् एवं तिङ् प्रत्ययों के अर्थ होते हैं, यह अर्थनियम प्रसिद्ध है। अथवा यों कहिये कि एकत्व आदि अर्थों में ही नियम होता है प्रत्ययों में नहीं। अर्थनियम मानने पर अव्ययों की पदसंज्ञा सिद्ध है क्योंकि प्रत्ययों का बन्धन न होने से संख्यारहित अव्ययों से भी स्वादि प्रत्यय हो जायेंगे। अतः अर्थनियम पक्ष ही निर्दुष्ट है।

द्वितीया, तृतीया सप्तमी विभक्ति का आश्रय अर्थ है। यहाँ आश्रय का अर्थ आश्रयतावान् है। द्वितीया आदि विभक्तियों का आश्रय अर्थ कैसे होता है, क्योंकि 'कर्मणि द्वितीया' (२।३।२) से कर्म अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है न कि आश्रय अर्थ में, इस आशंका का उत्तर देते हुये कहा है—तथाहि—इत्यादि। तात्पर्य यह है कि 'कर्मणि द्वितीया' से 'कर्म' अर्थ में द्वितीया होती है। कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म (१।४।४९) सूत्र से कर्त्ता

युक्तश्चानीप्सितम्' । (१।४।५०) इत्यादिसंग्रहाच्चैवमेव युक्तम् । ईप्सितानीप्सितत्वयोः शाब्दबोधे भानाभावेन संज्ञायामेव तदुपयोगः; न तु वाक्यकोटौ तत्प्रवेशः । तथा च क्रियायाः; फलस्य च धातुनैव लाभादनन्यलभ्य आश्रय एवार्थः । तत्त्वञ्चाखण्डशक्तिरूपमवच्छेदकम् ।

'ओदनं पचति' इत्यत्र विक्लित्त्याश्रयत्वात् कर्मता 'घटं करोति' इत्यत्र उत्पत्त्याश्रयत्वात् उत्पत्तेर्धात्वर्थत्वात् । 'जानाती' त्यत्रावरणभङ्गरूपधात्वर्थफलाश्रयत्वात् , अतीताऽनागतादिपरोक्षस्थलेऽपि ज्ञानजन्यस्य तस्याऽवश्यकत्वात् । अन्यथा 'यथा पूर्वं न जानामी-' त्यापत्तेः । अतीतादेराश्रयता च विषयतया ज्ञानाश्रयतायां नैयायिका-

---

सावित्री

के ईप्सिततम को कर्म कहते हैं । कर्त्ता का ईप्सिततम प्रकृतधातु से उपात्त क्रियाजन्यफलाश्रय ही होता है । उसे इस प्रकार समझना चाहिये— 'कर्त्तुरीप्सिततमं कर्म' में 'ईप्सिततम' शब्द 'आप' धातु से इच्छा अर्थ में सन् प्रत्यय करके पुनः वर्त्तमानकालिक कर्म अर्थ में 'मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च क्त' (३।२।१८) सूत्र से प्रत्यय करने से निष्पन्न 'ईप्सित' शब्द के अर्थ का अतिशयत्व द्योतन करने के लिये विहित 'तमप्' प्रत्यय के विधान से निष्पन्न होता है । उस 'ईप्सिततम' शब्द के योग से 'क्तस्य च वर्त्तमाने' (२।३।६७) सूत्र से कर्त्ता अर्थ में षष्ठी हुई है । यहाँ कर्त्ता के उपस्थित होने से अपने व्यापार द्वारा सम्बन्ध करने में ईप्सिततम कारक की कर्मसंज्ञा होती है—यह अर्थ निकलता है । यहाँ कर्त्ता का सम्बन्ध कर्तृपदार्थ में विशेषणीभूत क्रिया के द्वारा ही ग्रहण करना उचित है । फलतः क्रियाजन्यफलाश्रय की कर्म-संज्ञा अर्थ का लाभ होता है । उसमे क्रियाजन्यफल अर्थ धातुलभ्य होने से आश्रयमात्र द्वितीया विभक्ति का अर्थ होता है । 'तथायुक्तं चाऽनीप्सितम् । (१।४।५०) इत्यादि सूत्र से विहित अनीप्सित (द्वेष्य, उदासीन, प्रयोज्य आदि) कर्म का भी संग्रह हो जाय इसके लिये कर्म का पूर्वोक्त (क्रियाजन्यफलाश्रय) अर्थ करना ही उचित है क्योंकि उस लक्षण से सभी प्रकार के कर्मों का संग्रह हो जाता है । ईप्सितत्व, अनीप्सितत्व-अर्थ का केवल कर्मसंज्ञा करने में उपयोग होता है, शाब्दबोध में उसकी प्रतीति नहीं होती है । इसलिये वह (ईप्सि-तत्व आदि) 'कर्म' संज्ञा का वाच्य अर्थ नहीं होता है । 'क्रियाजन्यफलाश्रय रूप लक्षण' में क्रिया (व्यापार) तथा फल रूप अर्थ धातु से लभ्य होने के कारण मात्र आश्रय ही द्वितीया का वाच्य अर्थ होता है । उसमें आश्रयत्व अखण्डोपाधि रूप से अवच्छेदक होता है ।

नामिव, सत्कार्यवादसिद्धान्ताद्वोपपद्यते । उक्तञ्च—

तिरोभावाऽभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता ।
लब्धक्रमे तिरोभावे 'नश्यती'ति प्रतीयते ॥ इति ।

सावित्री

'ओदनं पचति' में विक्लित्ति रूप का आश्रय होने से 'ओदन' की कर्मसंज्ञा होती है 'घटं करोति' में उत्पत्ति रूप फल का आश्रय होने से 'घट' की कर्मसंज्ञा तथा 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया विभक्ति हुई है। 'घटं जानाति' में 'ज्ञा' धात्वर्थ आवरणभङ्गरूपफल का आश्रय होने से घट की कर्मसंज्ञा होती है। नैयायिकों के अनुसार 'ज्ञा' धातु का 'ज्ञान' मात्र अर्थ मानना उचित नहीं है, क्योंकि 'घट' के क्रियाजन्यफल का आश्रय न होने से कर्मसंज्ञा नहीं होगी। वैयाकरणों के अनुसार विषयता सम्बन्ध से 'घट' आवरणभङ्गरूप फल का आश्रय होने से कर्मसंज्ञा उपपन्न हो जायगी।

यहाँ यह संशय होता है कि 'ज्ञा' धातु का 'ज्ञानजन्य आवरणभङ्गरूपफल अर्थ मानने पर भूत और भविष्यत् कालिक 'घट' सत्ता के अभाव में किसी का आश्रय नहीं बन सकेगा। फलतः 'अतीतं घटं जानामि', 'भविष्यन्तं घटं जानामि' ऐसा प्रयोग अनुपपन्न हो जायेगा, इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने मूल में कहा है—अतीतानागतादि। अर्थात् अतीत, अनागत आदि परोक्षस्थल में भी ज्ञानजन्यआवरणभङ्गरूप फल का आश्रय मानना आवश्यक है। अन्यथा 'यथापूर्वं न जानामि' ऐसा अनिष्ट होने लगेगा।

'यथापूर्वम्' का अर्थ है—पूर्वमनतिक्रम्य। अर्थात् पूर्वज्ञान का अतिक्रमण जिसमें न हुआ हो। परोक्ष स्थल में ज्ञानजन्य आवरणभङ्ग न मानने पर घट की विद्यमानता दशा में तात्कालिक ज्ञान उस घट के प्रति आवरणभङ्ग का जनक होता है किन्तु घट की अतीत दशा में आधुनिकज्ञान आवरणभङ्ग का जनक नहीं होगा, जिससे पूर्वज्ञान का अतिक्रमण हो जायगा। फलतः पूर्वज्ञान के अनतिक्रमज्ञान का अभाव होने से 'यथा पूर्वं न जानामि' ऐसा प्रयोग होने की आपत्ति होगी। अतीत घट में भी आधुनिकज्ञान से आवरणभङ्ग होना स्वीकार करने पर पूर्व ज्ञान का अतिक्रमण न होगा तब पूर्व ज्ञान का अनतिक्रमण ही रहेगा। ऐसी स्थिति में पूर्वज्ञान के अनतिक्रमण का अभाव नहीं रहेगा। फलतः 'यथापूर्वं न जानामि' ऐसे प्रयोग की आपत्ति सम्भव नहीं होगी।

यहाँ शाब्दिकों से एक दूसरा प्रश्न किया किया जाता है कि फलाश्रय की कर्मसंज्ञा मानने पर अतीत, अनागत आदि परोक्ष स्थल में घट के विद्यमान न रहने

ननु 'चैत्रो ग्रामं गच्छति' इत्यत्र ग्रामस्येव चैत्रस्यापि क्रिया-जन्यसंयोगरूपफलाश्रयत्वात् कर्मतापत्तौ 'चैत्रश्चैत्रं गच्छति, इत्यापत्तिः, 'प्रयागतः काशीं गच्छति चैत्रे; 'प्रयागं गच्छति' इत्यापत्तिश्च' क्रिया-जन्यसंयोगस्य काश्यामिव विभागस्य प्रयागेऽपि सत्त्वात्; इति चेन्न,

---

सावित्री

से वह फलाश्रय नहीं होगा तब उसकी कर्मसंज्ञा भी नहीं हो सकेगी—इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि जैसे नैयायिकों के यहाँ अतीत आदि स्थल में घट के विद्यमान न रहने पर भी विषयता सम्बन्ध से ज्ञानाश्रय होकर कर्मसंज्ञा हो जाती है वैसे ही शाब्दिकों के यहाँ भी कर्मसंज्ञा हो जायगी। अथवा सांख्य के 'सत्कार्यवाद' के आधार पर कर्मसंज्ञा उपपन्न हो जायगी। 'सदेव सोम्येदग्र आसीत्, इत्यादि श्रुति के अनुसार सभी वस्तु उत्पत्ति से पूर्व सूक्ष्म रूप से अपने कारण में विद्यमान रहती हैं। सर्वथा असत् वस्तु की उत्पत्ति यदि होती तो किसी भी कारण से कोई भी वस्तु उत्पन्न हो जाती। 'मृत्तिका' में घट सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है, दण्ड, चक्र आदि सामग्रियों से वह स्थूल रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। सांख्यों के अनुसार स्थूल-वस्तु का अपने सूक्ष्म कारण में लीन हो जाना ही नाश कहलाता है। भर्तृहरि ने भी कहा है—

तिरोभावाऽभ्युपगमे भावानां सैव नास्तिता।
लब्धक्रमे तिरोभावे नश्यतीति प्रतीयते॥

अर्थात् स्थूल वस्तु का अपने सूक्ष्म कारण में तिरोहित हो जाना ही नाश कहलाता है, तभी उस विषय में नास्ति या नष्टः प्रयोग होता है। तिरोभावक सामग्री के क्रमशः विलीन होने के समय में 'नश्यति' व्यवहार होता है। इस प्रकार 'घट' के तिरोधान होने पर भी सूक्ष्म रूप से अपने कारण सामग्री में स्थित होने से आवरणभङ्ग रूप फल का आश्रय हो जायगा। तब कर्मसंज्ञा और द्वितीयाविभक्ति उपपन्न हो जायगी।

व्यापारजन्यफलाश्रय की कर्मसंज्ञा मानने पर "चैत्रो ग्रामं गच्छति" में जैसे क्रियाजन्यसंयोग रूप फल का आश्रय ग्राम है वैसे हि चैत्र भी है क्योंकि संयोग द्विष्ठ होता है। चैत्र के संयोग रूप फल का आश्रय होने से उसकी भी कर्मसंज्ञा होकर "चैत्रश्चैत्रं गच्छति" ऐसा प्रयोग होने लगेगा। इसी भाँति "प्रयागतः काशीं गच्छति चैत्रे" में 'प्रयागं गच्छति' ऐसा व्यवहार होने लगेगा क्योंकि 'गम्' धात्वर्थ फल जैसे 'उत्तरदेश संयोग' रूप है उसी प्रकार 'पूर्वदेशविभाग' रूप फल भी है।

ग्रामस्येव चैत्रस्यापि फलाऽश्रयत्वेऽपि तदीयकर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधेन 'चैत्रश्चैत्रम्' इति प्रयोगासम्भवात्, द्वितीयोत्पत्तौ संज्ञाया एव नियामकत्वात् । अन्यथा गमयति कृष्णं गोकुलमित्यत्रेव 'पाचयति कृष्णेन' इत्यत्रापि कृष्णपदाद् द्वितीयाऽऽपत्तेः ।

सावित्री

'क्रियाजन्य संयोग' रूप फल का आश्रय जैसे काशी है वैसे ही विभाग का आश्रय प्रयाग भी है उसकी भी कर्मसंज्ञा होगी । 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया होकर 'चैत्रं गच्छति' ऐसा प्रयोग होने लगेगा ।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि यद्यपि 'ग्राम' की ही भाँति 'चैत्र' भी फलाश्रय है उसकी भी कर्मसंज्ञा प्राप्त होगी किन्तु 'गम्' धात्वर्थ व्यापार का आश्रय होने से 'कर्तृ' संज्ञा भी प्राप्त होगी । कर्तृ-कर्म दोनों संज्ञाओं के प्राप्त होने पर कर्तृसंज्ञा के द्वारा कर्मसंज्ञा का बाध हो जायगा। क्योंकि 'कर्तृ' संज्ञा पर है । जब 'कर्मसंज्ञा' नहीं होगी तब 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया भी नहीं होगी क्योंकि द्वितीया की उत्पत्ति में कर्मसंज्ञा ही नियामक होती है । जब कर्मसंज्ञा नहीं होगी तब 'चैत्रश्चैत्रं गच्छति' ऐसा प्रयोग होने की आपत्ति भी नहीं होगी । अन्यथा यदि कर्मसंज्ञा न होने पर भी कर्मत्वलक्षण के सत्तामात्र से द्वितीया होती तो "गमयति कृष्णं गोकुलम्" की भाँति "पाचयति कृष्णेन" में कृष्ण पद से भी द्वितीया होने लगती क्योंकि णिच् प्रत्ययार्थ में विशेषणीभूत विक्लित्त्यनुकूलव्यापाररूप फल का आश्रय कृष्ण[१] भी है ।

१—वस्तुस्थिति यह है कि 'कृष्णः गोकुलं गच्छति' 'तमन्यः प्रेरयति' इस अर्थ में 'गम्' धात्वर्थ व्यापार का कर्त्ता कृष्ण है उसकी ण्यन्तावस्था में गतिबुद्धिः (१।४।५२) सूत्र से कर्मसंज्ञा होकर 'कर्मणि द्वितीया' से द्वितीया होती है । तब 'गमयति कृष्णं गोकुलम्' यह वाक्य निष्पन्न होता है । 'पाचयति कृष्णेन' यहाँ पर "पचति कृष्णः, तमन्यः प्रेरयति" इस अर्थ में 'पच्' धात्वर्थ के अण्यन्तावस्था के कर्त्ता कृष्ण की ण्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञा नहीं होती है । क्योंकि 'गतिबुद्धि०' सूत्र में 'पच्' धातु का पाठ नहीं है । यदि कर्मसंज्ञा न होने पर भी कर्मत्व के लक्षणमात्र से आक्रान्त को द्वितीया होती तो विक्लित्त्यनुकूलव्यापाररूप फल का आश्रय होने से कृष्ण शब्द से द्वितीया होने लगती, क्योंकि फलाश्रय को ही कर्म कहा गया है ।

शाब्दबोधः 'चैत्रश्चैत्रम्' इत्यत्र स्यादिति चेन्न, तथाव्युत्पन्नानामिष्टाऽपत्तेः। उच्यतां वा "प्रकारतासम्बन्धेन धात्वर्थफलविशेष्यकबोधं प्रति धात्वर्थव्यापारानधिकरणाऽश्रयोपस्थितिर्हेतुः" इति कार्यकारणभावान्तरम्। प्रकृते चैत्रस्य व्यापारानधिकरणत्वाभावान्न दोषः। प्रयागस्य कर्मत्वन्तु सम्भावितमपि न, समभिव्याहृतधात्वर्थफलशालित्वस्यैव क्रियाजन्येत्यनेन विवक्षणस्य उक्तप्रायत्वात्।

सावित्री

यहाँ यह कहते हैं कि कर्तृसंज्ञा से चैत्र की कर्मसंज्ञा का बाध होने के कारण 'चैत्रश्चैत्रं गच्छति' ऐसा प्रयोग भले ही न हो किन्तु 'चैत्र' के धात्वर्थ व्यापार तथा संयोग रूप फल, दोनों का आश्रय होने से चैत्रकर्तृक-चैत्रकर्मक-गमन इस प्रकार का शाब्दबोध हो जाय, इसके उत्तर में कौण्डभट्ट का कहना है कि बोध तो अपनी-अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार ही होता है। यदि किसी को यह व्युत्पत्ति है कि धात्वर्थफलविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्ध से शाब्दबोध के प्रति आश्रय की उपस्थिति कारण होती है। "धात्वर्थफलविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्धेन शाब्दबोधम्प्रति आश्रयोपस्थितिः कारणम्" उसे 'चैत्रकर्मकगमन' ऐसा बोध हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं है। अथवा उक्त अनिष्टबोध के वारण के लिये ऐसा कार्यकारणभाव स्वीकार कीजिये—"प्रकारतासम्बन्धेन धात्वर्थफलविशेष्यकबोधम्प्रति धात्वर्थव्यापारानधिकरणाऽश्रयोपस्थिति र्हेतुः", अर्थात् प्रकारतासम्बन्ध से धात्वर्थफलविशेष्यकबोध के प्रति धात्वर्थव्यापार के अनधिकरण आश्रय की उपस्थिति कारण होती है। प्रकृत में चैत्र 'गम्' धात्वर्थव्यापार का अनधिकरण न होकर अधिकरण ही है। इसलिये तादृश-कारण के अभाव में 'चैत्रकर्मक-गमन' ऐसा शाब्दबोध नहीं होगा। "प्रयागतः काशीं गच्छति चैत्रे" में प्रयाग की कर्मसंज्ञा सम्भावित भी नहीं है—क्योंकि 'क्रियाजन्यफलाश्रय' की जो कर्मसंज्ञा कही गई है उस का अभिप्राय है कि समभिव्याहृत जो धातु, उसका जो अर्थ फल, उसके आश्रय की कर्मसंज्ञा कही गई है। यहाँ समभिव्याहृत 'गम्' धातु है, उसका अर्थ फल है—उत्तरदेशसंयोग, उसी उत्तरदेशसंयोग के आश्रय की कर्मसंज्ञा होगी। 'प्रयाग' उत्तरदेशसंयोग का आश्रय नहीं है अपि तु पूर्वदेशविभाग का आश्रय है। पूर्वदेशविभाग 'गम्' धातु का अर्थ नहीं है अपितु 'त्यज्' धातु का अर्थ है; 'त्यज्' यहाँ उच्चरित नहीं है। अतः 'प्रयाग' के कर्मसंज्ञा की सम्भावना ही नहीं की जा सकती है।

नैयायिकास्त्वाद्यदोषवारणाय परसमवेतत्वम्, द्वितीयदोषवारणाय धात्वर्थतावच्छेदकत्वं फले विशेषणं द्वितीयावाच्यमित्युपाददते। परसमवेतत्वं धात्वर्थक्रियायामन्वेति तथैव कार्यकारणभावान्तरकल्पनात्। परत्वञ्च —द्वितीयया स्वप्रकृत्यर्थापेक्षया बोध्यते।

तथा च "चैत्रस्तण्डुलं पचति" इत्यादौ तण्डुलान्यसमवेतव्यापारजन्यधात्वर्थताऽवच्छेदकविक्लित्तिशालित्वात् तण्डुलस्य कर्मता। शाब्दबोधस्तु—तण्डुलसमवेतधात्वर्थतावच्छेदकविक्लित्त्यनुकूलतण्डुलान्यसमवेतक्रियाजनककृतिमाँश्चैत्र इत्याहुः।

सावित्री

नैयायिक 'चैत्रं गच्छति' इस प्रयोग के वारण के लिये धात्वर्थ क्रिया में 'परसमवेतत्व' विशेषण देते हैं जिससे कर्म का लक्षण निम्नाङ्कित प्रकार से बनता है—

"द्वितीयाप्रकृतित्वेन विवक्षितार्थभिन्नसमवेत--व्यापारजन्यं यत्फलं तादृशफलाश्रयस्यैव कर्मत्वमिति", अर्थात् द्वितीया विभक्ति की प्रकृति के रूप में विवक्षित जो अर्थ, उससे भिन्न में समवाय-सम्बन्ध से रहने वाला जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य फलाश्रय की कर्मसंज्ञा होती है। प्रकृत में द्वितीयाविभक्ति की प्रकृति के रूप में विवक्षित अर्थ है चैत्र, उसका भेद सम्भव नहीं है। इसलिये चैत्र में समवायसम्बन्ध से रहने वाला जो व्यापार; उस व्यापार से जन्य फलाश्रय की कर्मसंज्ञा नहीं होगी। अतः 'चैत्रं गच्छति' ऐसे प्रयोग की आपत्ति नहीं होगी।

द्वितीय दोष अर्थात् 'प्रयागतः काशीं गच्छति चैत्रे" में प्रयाग की कर्मसंज्ञा वारण के लिये फल में धात्वर्थतावच्छेदक विशेषणका निवेश करते हैं जिससे कर्म का लक्षण इस प्रकार होगा--"द्वितीयाप्रकृतित्वेन विवक्षितार्थभिन्नसमवेतव्यापारजन्यं यद्धात्वर्थतावच्छेदकं फलं तादृशफलाश्रयस्यैव कर्मत्वमिति"।

अर्थात् द्वितीया की प्रकृति के रूप में विवक्षित जो अर्थ उससे भिन्न में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो धात्वर्थतावच्छेदक फल, तादृश फलाश्रय की ही कर्मसंज्ञा होती है। यहाँ परत्व, द्वितीया प्रकृत्यर्थ जो पर (भिन्न) है वही अभिप्रेत है।

तन्न रोचयामहे, परसमवेतत्वादेर्गौरवेणावाच्यत्वात्। अति-प्रसङ्गः किम् द्वितीयायाः, शाब्दबोधस्य वा ?

नाद्यः, तावद्वाच्यकथनेऽपि तत्तादवस्थ्यात्, 'गमयति कृष्णं गोकुलम्' इतिवत् 'पाचयति कृष्णं गोपः' इति द्वितीयाऽऽपत्तेः, 'तण्डुलं पचति चैत्रः' इतिवत् 'तण्डुलं पच्यते स्वयमेव' इत्यापत्तेश्च, विक्लि-त्यनुकूलतण्डुलान्यसमवेताग्निसंयोगरूपधात्वर्थाऽऽश्रयत्वात्। शाब्दबोधा-

---

सावित्री

द्वितीया विभक्ति की प्रकृति रूप में विवक्षितअर्थ है प्रयाग, उससे भिन्न है चैत्र, उस चैत्र में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो धात्वर्थता-वच्छेदक (धात्वर्थ में विशेषणीभूत फल, वह संयोग रूप ही है न कि विभाग रूप। 'प्रयाग' विभागरूप फल का आश्रय है। अतः उसकी कर्मसंज्ञा नहीं होगी। यद्यपि 'गम्' धात्वर्थ-व्यापार से जन्य जैसे 'संयोगरूप' फल है वैसे ही 'विभाग' भी है किन्तु वह धात्वर्थ में विशेषणीभूत-फल नहीं है क्योंकि 'गम्' धातु का अर्थ होता है—उत्तरदेशसंयोगानुकूल-व्यापार। अतः विभागरूप-फल के आश्रय 'प्रयाग' की कर्मसंज्ञा नहीं होगी।

तथा "चैत्रश्तण्डुलं पचति" में द्वितीया को प्रकृति के रूप में विवक्षितअर्थ है तण्डुल, उससे भिन्न है चैत्र, उस चैत्र, में समवाय सम्बन्ध से रहने वाला जो व्यापार उस व्यापार से जन्यफल है विक्लित्ति, उस विक्लित्ति का आश्रय है तण्डुल। अतः 'तण्डुल' की कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति हुई है। 'चैत्रश्तण्डुलं पचति' का शाब्द-बोध होगा—'तण्डुलसमवेतधात्वर्थतावच्छेदकविक्लित्त्यनुकूलतण्डुलान्यसमवेतक्रियाजनक-कृतिमांश्चैत्रः'।

अर्थात् तण्डुल में समवाय सम्बन्ध से रहने वाली जो धात्वर्थ में विशेषणीभूत विक्लित्ति, उस विक्लित्ति के अनुकूल तण्डुल से अन्य चैत्र में समवेत जो क्रिया, उस क्रिया का जनक चैत्र है।

नैयायिकों के द्वारा कर्म के लक्षण में 'परसमवेत' के निवेश से वह भी द्वितीया का वाच्य अर्थ होने लगेगा, जिससे गौरव होगा। इसलिये वैयाकरणों को वह मत प्रिय नहीं है।

तिप्रसङ्गोऽप्युक्तरीत्यैव निरस्तः, परसमवेतत्त्वस्य शक्यत्वेऽपि परत्वस्य, परसमवेतत्वस्य च इष्टान्वयलाभायानेकशः कार्यकारणभावाभ्युपगमे गौरवान्तरत्वादिति स्पष्टं भूषणे ।

सावित्री

यहाँ प्रश्न यह है कि व्यापारजन्यफलाश्रय की कर्मसंज्ञा मानने में क्या दोष है ? क्या 'चैत्रश्चैत्रं गच्छति' में द्वितीया होने लगेगी अथवा 'चैत्रकर्तृकं, चैत्रकर्मकं गमनम्' ऐसा शाब्दबोध होने लगेगा ।

इसका उत्तर देते हुये कहते हैं कि 'परसमवेतत्व' के निवेश से 'चैत्रं गच्छति' में द्वितीया का दोष वारण होने पर भी अन्यत्र दोष रह जायेगा ।

जैसे—'गमयति कृष्णं गोकुलम्' में द्वितीया प्रकृतित्वेन विवक्षित अर्थ 'कृष्ण' है, उससे भिन्न उद्धव आदि में समवेत प्रेरणा आदि व्यापार से जन्य फलाश्रय 'कृष्ण' की कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया होती है, वैसे ही 'पाचयति कृष्णं गोपः' में द्वितीया प्रकृतित्वेन विवक्षित अर्थ है कृष्ण, उससे भिन्न है गोप, उस गोप में समवेत व्यापार है—विक्लित्त्यनुकूलव्यापारानुकूलव्यापार, उस विक्लित्त्यनुकूलव्यापाररूपफल का आश्रय होने से 'कृष्ण' शब्द की कर्मसंज्ञा तथा द्वितीया होने लगेगी । इसके अतिरिक्त 'तण्डुलं पचति चैत्रः' के तण्डुल में जैसे द्वितीया विभक्ति होती है वैसे ही 'तण्डुलः पच्यते स्वयमेव' के भी तण्डुल में द्वितीया होने लगेगी क्योंकि यहाँ 'अग्निसंयोग' भी पच् धात्वर्थ विवक्षित है । यहाँ 'तण्डुल' से अन्य पच् धात्वर्थ विवक्षित है । यहाँ 'तण्डुल' से अन्य होगा काष्ठ, उसमें रहने वाला जो अग्नि संयोगरूपक्रिया, उस क्रिया से जन्य जो विक्लित्ति—रूप-फल, उस फल का आश्रय होने से 'तण्डुल' की कर्मसंज्ञा होने लगेगी । हमारे (वैयाकरण) मत में कर्तृसंज्ञा द्वारा कर्मसंज्ञा का बाध होने से 'तण्डुल' में द्वितीया नहीं होती है ।

शाब्दबोध का दोष वारण 'तथाव्युत्पन्नानाम्' इत्यादि कह कर पहले कर दिया है । अर्थात् बोध व्युत्पत्ति अनुसारी होता है । जो सामान्यतः सभी प्रकार के व्यापारजन्यफलाश्रय को कर्म समझता है उसे "तण्डुल-कर्मक-विक्लित्ति" ऐसा बोध हो जायगा, किन्तु जो व्यापार के अनधिकरण-फलाश्रय की कर्मसंज्ञा समझता है उसे 'ताण्डुलकर्मक-विक्लित्ति' ऐसा बोध नहीं होता है । 'परसमवेतत्व' को द्वितीया विभक्ति का शक्य-अर्थ मान लेने पर द्वितीया प्रकृत्यर्थ का 'परसमवेतत्त्व' के एकादेश परत्व में तथा परसमवेतत्व का आश्रय रूप से क्रिया में अनेक के लिये अनेक कार्यकारणभाव मानना होगा, जिससे गौरव होगा । इसलिये नैयायिकों का यह मत ठीक नहीं है । वैयाकरणभूषण में यह बात स्पष्ट है ।

एतच्च सप्तधिम्—

> निर्वर्त्यश्च विकार्यश्च प्राप्यश्चेति त्रिधा मतम् ।
> तच्चेप्सिततमं कर्म, चतुर्द्धाऽन्यत्तु कल्पितम् ॥
> औदासीन्येन यत् प्राप्यं यच्च कर्त्तुरनीप्सितम् ।
> संज्ञान्तरैरनाख्यातं यद्यच्चाप्यन्यपूर्वकम् ।
>
> इतिवाक्यपदीयात् ।

सावित्री

कर्म ७ प्रकार का होता है । प्रथमतः 'कर्म' के ईप्सित और अनीप्सित दो भेद होते हैं । उनमें ईप्सित कर्म के ३ भेद होते हैं--निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य । अनीप्सित कर्म ४ प्रकार का होता है—

१—उदासीनता से प्राप्त ।
२—कर्ता को अनीप्सित ।
३—अन्य संज्ञाओं से अकथित ।
४—अन्यपूर्वक ।

इन्हें अधोलिखित प्रकार से समझा जा सकता है :—

१—निर्वर्त्य—ऐसे कर्म को कहते हैं जो नैयायिकों की रीति से पहले असत् था बाद में उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष होता है । अथवा सांख्यों के अनुसार पहले से (सत्) कर्म का कार्य-

यदसज्जायते सद्वा जन्मना यत्प्रकाशते।
तन्निर्वर्त्यं विकार्यं तु द्वेधा कर्मव्यवस्थितम् ॥
प्रकृत्युच्छेदसम्भूतं किञ्चित् काष्ठादिभस्मवत्।
किञ्चिद्गुणान्तरोत्पत्त्या सुवर्णादिविकारवत्।

सावित्री

कारण भाव से जो अविर्भाव होता है उसे निर्वर्त्य कर्म कहते हैं। जैसे— 'घटं करोति' में 'घट' निर्वर्त्य कर्म है। निर्वर्त्य की व्युत्पत्ति है—निर्वर्त्यते = निष्पाद्यते, यत्तन्निर्वर्त्यम्। इस प्रकार यत्नविशेष से उत्पन्न निर्वर्त्य कर्म होगा। 'घटं करोति' 'तण्डुलं पचति' इत्यादि वाक्यों में घट, तण्डुल आदि निर्वर्त्य कर्म हैं।

२—विकार्य—कार्य समय में 'कर्म' की प्रकृति विद्यमान हो अथवा न हो वह परिणामित्वेन विवक्षित हो तो कर्म विकार्य कहलाता है।

निर्वर्त्य और विकार्य में मात्र इतना ही अन्तर होता है कि जब कर्म की प्रकृति परिणामी रूप से विवक्षित नहीं होती है तो कर्म निर्वर्त्य कहलाता है और जब परिणामी रूप से विवक्षित होती है तो 'कर्म' विकार्य कहलाता है। इस प्रकार एक ही कर्म विवक्षा भेद से दोनों (निर्वर्त्य, विकार्य) हो सकता है। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में 'निर्वर्त्य' कर्म का लक्षण किया है—

सती वाऽविद्यमाना वा प्रकृतिः परिणामिनी।
यस्य नाऽऽश्रीयते तस्य निर्वर्त्यत्वं प्रचक्षते ॥

अर्थात् जब प्रकृति विद्यमान हो या न हो परिणामी रूप से विवक्षित न हो निर्वर्त्य' कर्म कहलाता है। जैसे—'घटं करोति' में घट रूप कर्म की प्रकृति है 'मिट्टी', वह विद्यमान रहते हुए भी यदि परिणामी रूप से विवक्षित नहीं है तो 'घट' को निर्वर्त्य कर्म कहेंगे। 'भस्म करोति' में 'भस्म' रूप कर्म की प्रकृति काष्ठ है, उसके भस्म की दशा में अविद्यमान रहने पर परिणामित्वेन विवक्षित न हो तो 'निर्वर्त्य' कर्म कहलाता है। इन्हीं घट और भस्म रूप कर्मकी प्रकृति यदि परिणामित्वेन विवक्षित हो तो ये 'विकार्य्य' कर्म कहलायेंगे।

यह विकार्य कर्म दो प्रकार का होता है—एक तो प्रकृति के नाश से उत्पन्न तथा दूसरा प्रकृति में गुणान्तर की उत्पत्ति से होता है। पहले का उदाहरण है—'भस्म करोति' में भस्म। यहां 'भस्म' की प्रकृति 'काष्ठ' के विनाश से भस्म उत्पन्न है। दूसरे का उदा-

क्रियाकृतविशेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते ।
दर्शनादनुमानाद्वा तत्प्राप्यमिति कथ्यते ।।

इति च तत्रैवोक्तम् ।

सावित्री

हरण है--सुवर्णं कुण्डलं करोति । यहाँ कुण्डल' को प्रकृति है सुवर्ण उसके रूप परिवर्त्तन से उत्पन्न है कुण्डल । अतः कुण्डल द्वितीय प्रकार का विकार्य कर्म है ।

३-प्राप्यकर्म--जहाँ कर्म को देखने से अथवा अनुमान से क्रियाकृत कोई विशेषता या परिवर्त्तन न हो उसे प्राप्य कर्म कहते हैं । जैसे-देवदत्तः घटं पश्यति, देवदत्तः ग्रामं गच्छति--यहां देवदत्त की दर्शन या गमन क्रिया से घट अथवा ग्राम में कोई परिवर्त्तन नहीं होता है । अतः घट प्राप्य कर्म है ।

४-उदासीन कर्म--अनिच्छा से प्राप्त कर्म को कहते हैं ।

जैसे-'ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति' यहां 'तृण' उदासीन कर्म है ।

५--अनीप्सित कर्म--इसका अभिप्राय 'द्वेष्य कर्म' से है ।

अर्थात् जिस 'कर्म' से कर्त्ता को द्वेष हो, जैसे--'विषं भुङ्क्ते' में 'विष' कर्त्ता का द्वेष्य कर्म है ।

६--संज्ञान्तर से अनाख्यात कर्म--जिसकी 'कर्म' के अतिरिक्त 'अपादान' आदि अन्य प्राप्त संज्ञायें अकथित (अविवक्षित) हों । जैसे-'गां दोग्धि पयः' यहाँ 'गो' की अपादान संज्ञा अविवक्षित है ।

७--अन्यपूर्वक कर्म--जहाँ कर्म के अतिरिक्त अधिकरण आदि कोई अन्य संज्ञा प्राप्त हो किन्तु 'अधि' आदि पूर्वक शीङ् आदि धातु के आधार को सूत्र विशेष से कर्मसंज्ञा हो जाय । जैसे-'अधिशेते वैकुण्ठं हरिः' यहाँ अधिपूर्वक 'शीङ्' धातु के आधार की "अधिशीङ्स्थासां कर्म" (१।४।४६) सूत्र से 'वैकुण्ठ' की कर्मसंज्ञा हुई है ।

इन ७ प्रकार के कर्मों का उदाहरण क्रमशः इस प्रकार है :—

१—निर्वर्त्य—घटं करोति ।

२--विकार्य—१-काष्ठं भस्म करोति ।

२-सुवर्णं कुण्डलं करोति ।

कर्तृतृतीयाया आश्रयोऽर्थः। तथा हि—"स्वतन्त्रः कर्त्ता" (१।४।५४) स्वातन्त्र्यञ्च—धात्वर्थव्यापाराऽऽश्रयत्वम्। "धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कर्तृतेष्यते" इति वाक्यपदीयात्। अत एव यदा यदीयो व्यापारो धातुनाऽभिधीयते तदा स कर्त्ता इति। स्थाली पचति; अग्निः पचति, एधांसि पचन्ति, "तण्डुलः पच्यते स्वयमेव" इत्यादि सङ्गच्छते।

सावित्री

३—प्राप्य—घटं पश्यति

४—उदासीन—ग्रामं गच्छँस्तृणं स्पृशति।

५—अनीप्सित—विषं भुङ्क्ते।

६—अकथित—गां दोग्धि पयः।

७—अन्यपूर्वक—क्रूरमभिक्रुध्यति।

तृतीया विभक्ति कर्त्ता और करण—दो अर्थों में होती है, जैसा कि 'कर्तृकरणयोस्तृतीया" (२।३।१८) सूत्र से स्पष्ट है। इसमें 'कर्ता' में तृतीया विभक्ति का आश्रय अर्थ है। यहाँ 'आश्रय' का अभिप्राय धात्वर्थव्यापाराश्रय से है। इसमें प्रमाण है—स्वतन्त्रः कर्ता "(१।४।५४)। अर्थात् स्वतन्त्र की कर्तृ संज्ञा होती है। स्वातन्त्र्य' क्या वस्तु है, इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है—धात्वर्थव्यापाराऽऽश्रयत्वम्। इसका अभिप्राय है कि प्रकृत धात्वर्थ व्यापार का आश्रय स्वतन्त्र कहलाता है। वाक्यपदीपकार ने भी कहा है—'धातुनोक्तक्रिये नित्यं कारके कर्तृतेष्यते"। अर्थात् प्रकृत धातु से उपात्त व्यापार का जो आश्रय, उस कारक को कर्त्ता कहते हैं। इसलिये जब जिसका व्यापार धातु से अभिहित होता है तब वही कर्ता होता है। इस भाँति 'स्थाली पचति अग्निः पचति, एधांसि पचन्ति, तण्डुलः पच्यते स्वयमेव" इत्यादि में स्थाली अग्नि, एधस्, तण्डुल आदि सभी कर्तृसंज्ञक हैं।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब कर्त्ता, कर्म आदि कारक विवक्षा के ही अधीन हुआ करते हैं तब "कर्मकर्तृव्यपदेशाच्च" इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य पर भगवान् व्यास ने "मनोमयः प्राणशरीरः भारूपः सत्यसङ्कल्पः" इत्यादि विस्तृत वाक्य में 'मनोमय' शब्द को जीव परक माना है, तथा वाक्य के अन्त में कहा है—'एतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मि' अर्थात् इतः=शरीर से प्रेत्य=निकल कर एतम्=स्व प्रकाश आदि गुणविशिष्ट आत्मा को अभिसम्भवितास्मि=प्राप्त हो गया हूँ।

नन्वेवम् कर्मकर्तृव्यदेशाच्च (ब्र० सू०।१।२।४) इति सूत्रे 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति वाक्यस्थमनोमयस्य जीवत्वे वाक्यशेषे तस्य "एतमितः प्रेत्याभिसम्भविताऽस्मि" इति प्राप्तिकर्मत्वकर्तृत्व-व्यपदेशो विरुद्ध इति भगवता व्यासेन निर्णीतं कथं सङ्गच्छताम् ? उच्यते—जीवस्यैव ज्ञेयत्वे प्राप्तिकर्मत्वमपि वाच्यम्. कर्तृत्वञ्च तस्याऽऽख्यातेनोक्तम् । न चैकस्यैकदा संज्ञाद्वयं युक्तम्, कर्तृसंज्ञाया बाधात् । तथा च 'एतम् ।' इति द्वितीया न स्यात् । कर्मकर्तृतायाञ्च यगाद्यापत्तिरिति शाब्दविरोधद्वारा भवति स भेदहेतुः ।

एवञ्च व्यापारांशस्य धातुलभ्यत्वादाश्रयमात्रं तृतीयार्थः। कारकचक्रप्रयोक्तृत्वम्, कृत्याश्रयत्वं वा 'दण्डः करोति' इत्यत्राव्याप्तम् ।

सावित्री

यहाँ 'एतम्' इस द्वितीयान्त पद से जीव को कर्मत्वेन कहा गया है, 'अभिसम्भवितास्मि' में 'अस्मि' पद से वही जीव कर्तृत्वेन कहा गया है, एक ही समय के जीव को कर्त्ता और कर्म—उभय रूप से व्यवहार करना अनुचित है। जीव ही उपासक हो और जीव ही उपास्य हो—यह उक्ति परस्पर विरुद्ध है। भगवान व्यास के इस उभयविध व्यवहार का औचित्य कैसे सिद्ध हो सकेगा ? यह शंका कैसे हुई ?

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि जीव के ही ज्ञेय होने से वह प्राप्ति का कर्म है, उस (जीव) का कर्तृत्व आख्यात से उक्त है। एक ही समय में किसी एक की कर्त्ता और कर्म—दोनों संज्ञायें उचित नहीं है क्योंकि कर्तृ, कर्म--दोनों संज्ञायें प्राप्त होने पर कर्तृसंज्ञा द्वारा कर्मसंज्ञा का बोध हो जायगा । कर्मसंज्ञा का बाध होने पर 'एतम्' में द्वितीया विभक्ति नहीं होगी। यदि कर्मकर्त्ता मानेगे तो यक्, आत्मनेपद आदि होगा, 'अस्मि' यह प्रयोग न होगा। इस प्रकार एक समय में संज्ञाद्वय प्रयुक्त कार्यानुपपत्ति के द्वारा कर्म, कर्त्ता का व्यवहार उपास्य उपासक और कर्म, कर्ता के भेद का कारण होता है। एक समय में संज्ञाद्वय के अभाव में विभक्तिद्वय के दर्शन में विरोध है न कि कर्तृत्व, कर्मत्व के वास्तविक भेद को लेकर विरोध है।

इस प्रकार "धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम्" इस लक्षण में 'व्यापार' अर्थ का लाभ धातु से हो जाता है, तृतीया (कर्त्ताअर्थ में विहिततृतीया) का अर्थ आश्रय मात्र है।

अयश्च त्रिविधः—शुद्धः, प्रयोजको हेतुः कर्मकर्त्ता च। मया हरिः सेव्यते, कार्यते हरिणा, गमयति कृष्णं गोकुलम्। मदभिन्नाश्रयको हरिकर्मकसेवनानुकूलो व्यापारः, हर्यभिन्नाश्रयक उत्पादानुकूलो व्यापारः, गोकुलकर्मकगमनानुकूलकृष्णाश्रयकतादृशव्यापारानुकूलो व्यापार इति शाब्दबोधः। करणतृतीयास्त्वाश्रयव्यापारौ वाच्यौ। तथा हि—साधकतमं करणम् (१।४।४९)। तमबर्थः प्रकर्षः। स चाव्यवधानेन फलजनकव्यापारवत्ता। तादृशव्यापारवत्कारणञ्च करणम्।

सावित्री

नैयायिकों ने कारक समुदाय के प्रयोजक को अथवा कृति के आश्रय को कर्त्ता कहा है, वह उचित नहीं है, क्योंकि यह 'दण्डः करोति' वाक्य में प्रयुक्त दण्ड में अव्याप्त है। 'दण्ड' अचेतन है, इसलिये वह न कारण समुदाय का प्रेरक हो सकता है और न कृति रूप चेतन व्यापार का ही आश्रय हो सकता है।

यह कर्त्ता ३ प्रकार का होता है—

१—शुद्ध-कर्त्ता।

२—प्रयोजक हेतु रूप कर्त्ता।

३—कर्म-कर्त्ता।

१—शुद्धकर्त्ता - उसे कहते हैं जो हेतु रूप कर्म कर्ता का अधिकरण न हो। तात्पर्य यह है कि प्रेरणार्थक जो णिच् प्रत्यय, उसकी प्रकृति रूप जो धातु उस धात्वर्थ व्यापार के आश्रय को शुद्ध कर्त्ता कहते हैं। जैसे—"मया हरिः सेव्यते" का अर्थ है—मदभिन्नाश्रयको हरिकर्मकसेवनानुकूलो व्यापारः—अर्थात् मुझ से अभिन्न हरिकर्मकसेवनानुकूलव्यापार। यहाँ प्रेरणार्थक णिच्प्रत्यय की प्रकृतिभूत धातु है सेव् 'धातु' और धात्वर्थ व्यापार का आश्रय है 'अस्मत्' शब्द। उसी की कर्तृसंज्ञा हुई और 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' से कर्त्ता अर्थ में तृतीया विभक्ति होकर 'मया' रूप निष्पन्न हुआ।

प्रयोजक कर्त्ता—'णिच्' प्रत्यय का अर्थ जो प्रेरणा, उस प्रेरणा रूप-व्यापार के आश्रय की हेतुसंज्ञा, कर्तृसंज्ञा होती है। सूत्र है—तत्प्रयोजको हेतुश्च (१।४।५५)। अर्थात् कर्त्ता के प्रयोजक (प्रेरक) की कर्तृसंज्ञा और हेतुसंज्ञा होती है। इसीलिये इसे प्रयोजक कर्ता कहते हैं। जैसे—कार्यते हरिणा। इसका अर्थ है—हरिसे अभिन्न आश्रयवाला हरिकर्मक सेवनानुकूलव्यापार। (हर्यभिन्नाश्रयो हरिकर्मकसेवनानुकूलव्यापारः) यहाँ णिजर्थ प्रेरणा का आश्रय 'हरि' है उसकी हेतुसंज्ञा और कर्तृसंज्ञा होकर तृतीया विभक्ति हुई है।

उक्तञ्च वाक्यपदीये—

> क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरम् ।
> विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम् ॥
> वस्तुतस्तदनिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम् ।
> स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दृश्यते यतः ॥ इति ।

सावित्री

कर्मकर्त्ता—उसे कहते हैं जो प्रकृत धातु से उपात्त प्रधानीभूत कर्म-संज्ञक होता हुआ भी व्यापार का आश्रय हो। जैसे—"गमयति कृष्णं गोकुलम्" में अण्यन्तावस्था का कर्ता कृष्ण है उसकी 'गतिबुद्धि' (१।४।५२) सूत्र से कर्मसंज्ञा के विधान से कर्तृसंज्ञा का बाध है फिर भी वह प्रकृत धातु से उपात्त जो गमनानुकूल व्यापार है उस व्यापार का आश्रय है। अतः कृष्ण कर्मकर्ता है। यहाँ 'गमयति कृष्णं गोकुलम्' का अर्थ है—गोकुल-कर्मकगमनानुकूलकृष्णाश्रयकतादृशव्यापारानुकूलव्यापारः।

'कर्तृकरणयोस्तृतीया' २।३।१८ इस सूत्र से करण अर्थ में विहित तृतीया का आश्रय और व्यापार—ये दोनों वाच्य अर्थ हैं।

यहाँ 'प्रकृत' से उपात्त व्यापार नहीं है इसलिये यह व्यापार धातु वाच्य नहीं है बल्कि विभक्ति का ही अर्थ है। जैसे—'रामेण बाणेन हतो वाली'। 'बाणेन' में करण अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ धात्वर्थ व्यापार का आश्रय राम है न कि बाण। इस प्रकार 'बाणेन' में तृतीया विभक्ति का व्यापार और आश्रय—दोनों अर्थ है।

प्रकृत में साधकतमं करणम् (१।४।४९) से 'बाण' की करण संज्ञा होती है। 'साधकतमम्' में 'तमप्' का अर्थ प्रकर्ष होता है 'प्रकर्ष' को परिभाषित करते हुये ग्रन्थकार ने लिखा है—स चाव्यवधानेन फलजनकव्यापारवत्ता। प्रकर्ष अव्यवधानेन फलजनकव्यापार-वत्ता को कहते हैं। अर्थात् जिस व्यापार के अव्यवहितोत्तर फल उत्पन्न हो रहा हो उसे ही प्रकर्ष कहते हैं। तादृश (अव्यवधान से फलजनक) व्यापार वाले कारण को करण कहते हैं।

१—साधकतममिति सूत्रस्य कारकाधिकारीयत्वात् सूत्रोपात्तसाधक शब्दादेव प्रकर्ष-लाभेऽपि गौणाधारेऽपि गौणाधारे अधिकरणसंज्ञाफलकस्य कारकप्रकरणे शब्दसामर्थ्यगम्यः प्रकर्षो नाश्रीयते' इत्यर्थस्य बोधनाय तमबुपादानमिति सूचयन्नाह—तमबर्थं प्रकर्षः।

'विवक्ष्यते' इत्यनेन सकृदनेकेषां तदभावाद् द्वितीयासप्तम्यादेरवकाशं सूचयति।

न चैवम् "कर्त्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्" इत्युत्तरमीमांसाधिकरणे 'शक्तिविपर्ययात्' इति सूत्रेणान्तःकरणस्य कर्तृत्वे करणशक्तिविपर्ययापत्तिरुक्ता न युज्यतेति वाच्यम्, "तदैवैतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय" इति श्रुत्यन्तरे करणतया क्लृप्तस्य कर्तृतां प्रकल्प्य शक्तिविपर्ययापत्तिर्निष्प्रमाणा कल्प्येतेत्यभिप्रायात्।

वस्तुतस्तु अभ्युच्चयमात्रमेतदिति "यथा च तक्षोभयथा (ब्र०सू०-२।३।४०) इत्यधिकरणे भाष्य एव स्पष्टमित्यादिप्रपञ्चितं भूषणे॥

सावित्री

वाक्यपदीय में कहा गया है—जिसके व्यापार के अव्यवहितोत्तर काल में फल की उत्पत्ति हो रही है उस समय उसे ही करण कहते हैं। वस्तुत किसी वस्तु विशेष में करण आदि कारकों का स्वरूपतः निर्देश करना अशक्य है, क्योंकि 'स्थाल्यां पच्यते' के स्थाली में अधिकरणत्वेन विवक्षा न कर करणत्वेन विवक्षा करने से 'स्थाल्या पच्यते' ऐसा प्रयोग होता है। यतः कारकों को विवक्षा के अधीन ही माना गया है और एक ही समय में अनेक कारक सम्भव नहीं है। इसलिये जब 'स्थाली' में कर्मत्वेन विवक्षा हुई तब द्वितीया तथा अधिकरण रूप से विवक्षा होने पर सप्तमी विभक्ति के लिये अवसर प्राप्त हो जाता है। इस भाँति किसी भी वस्तुमें कब कौन-सा काम होगा, यह सुनिश्चित नहीं है।

यहाँ यह आशंका होती है कि यदि कारक विवक्षा के ही अधीन होते हैं तो 'कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्' इस ब्रह्मसूत्र का आशय है कि जीव ही कर्त्ता है क्योंकि शास्त्र का विधिनिषेधात्मक प्रयोजन जीव से ही सिद्ध होता है। इसी सन्दर्भ में उत्तर मीमांसाधिकरण में 'शक्तिविपर्ययात्' इस सूत्र से अन्तःकरण अर्थात् बुद्धि को कर्ता कहा गया है, जबकि अन्य श्रुतियों में 'अन्तः करण' को करण माना गया है। ऐसी स्थिति में बुद्धि को कर्ता मानने पर उसकी करण शक्ति का विपर्यय हो जायगा--यह कथन कैसे युक्त होगा? (क्योंकि कारक के विवक्षानुसारी होने से जब जैसी विवक्षा होगी, वैसा कारक होगा। उनमें किसी शक्ति का विपर्यय होने की आशंका अनुचित है?

सप्तम्या अप्याश्रयोऽर्थः। सप्तम्यधिकरणे च (२।३।३६) इत्यधिकरणे सप्तमी॥ तच्च आधारोऽधिकरणम् (१।४।४५) इति सूत्रादाधारः। तत्त्वञ्चाश्रयत्वम्। तत्राश्रयांशः शक्यः, तत्त्वमवच्छेदकम्।

न चाश्रयत्वमात्रेण कर्मकर्तृकरणानामाधारसंज्ञा स्यात्, यदि ताभिरस्या न बाधः स्यात्। कारके (१।४।२३) इत्यधिकृत्य विहितसप्तम्याः क्रियाश्रय इत्येव यद्यपि तात्पर्यम् तथाप्यत्र कर्तृकर्मद्वारा तदाश्रयत्वमस्त्येव। स्थाल्यादेर्भूतलकटादेश्चेति 'स्थाल्यां पचति' 'भूतले वसति' 'कटे शेते' इत्याद्युपपद्यते।

सावित्री

इसके उत्तर में कौण्डभट्ट का कहना है कि "तदेवैतेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय" इस श्रुति में 'अन्तः करण' का करणत्व स्वीकृत है, उस स्वीकृत करण का त्याग और कर्तृत्व की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है। इसी अभिप्राय से "शक्तिविपर्ययापत्तिः" कहा गया है। विवक्षाधीन कारकों में कोई दोष होगा--यह अभिप्राय नहीं है।

वस्तुतः 'शक्तिविपर्ययापत्तिः' रूप दोष एक अभ्युच्चय मात्र है, अर्थात् दोषसंग्रह मात्र है जो उपेक्षा का विषय हो सकता है। जैसा कि तक्षोभयथा (२।३।४०) ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्पष्ट है।

अभिप्राय यह है कि एक बढ़ई अपना बसुला आदि अस्त्र लेकर काष्ठ काटने का श्रम करता है तो श्रम से दुःखी होता है और वही घर आकर अस्त्र रख देता है तथा व्यापार से निवृत्त होकर सुखी हो जाता है। जैसे एक ही बढ़ई श्रम के उपकरण बसुला आदि को लेकर दुःखी तथा उसको छोड़कर सुखी हो जाता है, वैसे ही विवक्षा और अविवक्षा-रूप उपाधि-भेद से एक ही में कर्तृत्व और करणत्व दोनों समान है।

'सप्तमी' विभक्ति का भी आश्रय अर्थ है। यहाँ 'सप्तम्यधिकरणे च' (२।३।३६) इस सूत्र से अधिकरण अर्थ में सप्तमी होती है। अधिकरण—आधार को कहते हैं। इसमें 'आधारोऽधिकरणम्' (१।४।५५) यह सूत्र ही प्रमाण है। 'आधारत्व' कहते हैं आश्रयत्व को। उसमें आश्रय अंश ही शक्य अर्थ है और आश्रयत्व शक्यतावच्छेदक है।

यहाँ यह सन्देह है कि यदि क्रिया के आधार मात्र की अधिकरण संज्ञा मानी जाय तो फलरूप क्रिया का आधार होने से कर्म, तथा व्यापार रूप क्रिया का आधार होने से करण

उक्तश्च वाक्यपदीये—

कर्तृकर्मव्यवहितामसाक्षाद्धारयत्क्रियाम् ।
उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम् ।।इति।।

एतच्च त्रिविधम् । औपश्लेषिकं वैषयिकमभिव्यापकं च । कटे शेते, गुरौ वसति; मोक्षे इच्छाऽस्ति, तिलेषु तैलमिति । 'एतच्च संहितायाम्' (६।१।७२) इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम् ।

सावित्री

और कर्त्ता की भी अधिकरण संज्ञा होने लगेगी । इसके उत्तर में कौण्डभट्ट का कहना है कि क्रिया आधार होने से कर्म, कर्त्ता आदि सभी की अधिकरण संज्ञा हो जाती यदि कर्म, कर्त्ता आदि सज्ञाओं द्वारा उसका बाध न होता । यतः यहाँ कर्म, कर्त्ता आदि संज्ञाओं द्वारा अधिकरण संज्ञा का बाध हो जाता है, अतः अधिकरण संज्ञा नहीं होगी ।

यद्यपि कारके (१।४।२३) इस अधिकार सूत्र से विहित सप्तमी का विधान साक्षात् क्रिया के आश्रय को होना चाहिये तथापि कर्ता च, कर्म आदि के द्वारा क्रिया का आश्रय है ही, इसलिये अधिकरण संज्ञा होती है । 'कटे शेते' 'स्थाल्यां पचति' इत्यादि में साक्षात् क्रिया का आधार कर्त्ता, कर्म है, किन्तु कर्त्ता, कर्म का आधार कट, स्थाली आदि है । इसलिये इनकी अधिकरण संज्ञा होता है । इस प्रकार 'स्थाल्यां पचति' 'भूतले वसति' 'कटे शेते' इत्यादि में स्थाली, भूतल, कट में अधिकरणत्व उपपन्न होता है ।

वाक्यपदीय में कहा गया है कि कर्त्ता, कर्म के द्वारा क्रिया के आधार तथा असाक्षात् अर्थात् परम्परा सम्बन्ध से कर्तृनिष्ठ प्रधान क्रिया की सिद्धि में सहायक को व्याकरणशास्त्र में अधिकरण कहा गया है ।

यह अधिकरण ३ प्रकार का होता है---

(१) औपश्लेषिक ।
(२) वैषयिक ।
(३) अभिव्यापक ।

औपश्लेषिक अधिकरण का अर्थ है संयोग[1] या

---

१. (क) प्रभा—उपगतः श्लेष उपश्लेषः=संयोग् इति यावत् । यद्वा—उप=समीपे, श्लेषः=संयोग उपश्लेषस्तत् आगतमौपश्लेषिकम् ।
(ख काशिका—उप=समीपे, श्लेषः=सम्बन्धः, तत्कृतमौपश्लेषिकम् । एकदेशावच्छेदेन श्लेषेऽप्यौपश्लेषिकम् ।

अवधिः पञ्चम्यर्थः 'अपादाने पञ्चमी' (१।३।२९) इति सूत्रात्। तच्च 'ध्रुवमपायेऽपादानम्'। (१४।२४) इति सूत्रात्। अपायः = विश्लेषस्तज्जनकक्रिया, तत्रावधिभूतमपादानमित्यर्थकादवधिभूतमिति भावः।

सावित्री

सामीप्य[1] सम्बन्धी अधिकरण। उदाहरण हैं—कटे शेते, गुरौ वसति। 'कटे शेते' में अवयववृत्तिसंयोग का अवयवी कट में आरोप होता है। तब कटात्मक औपश्लेषिकाधिकरण में सप्तमी होती है। 'गुरौ वसति' के 'गुरु' में सामीप्यार्थक औपश्लेषिकअधिकरण में सप्तमी है।

वैषयिकसप्तमी का उदाहरण है—'मोक्षे इच्छाऽस्ति'। इसका अर्थ है—मोक्षविषयिणी इच्छा।

अभिव्यापकसप्तमी का उदाहरण है—"तिलेषु तैलम्"। यहाँ सम्पूर्ण तिल में तेल होने से अभिव्यापक अधिकरण में सप्तमी है। अभिव्यापक अधिकरण वह है जो सर्वावयवावच्छेदेन आधेय का अधिकरण है। ये सब बातें 'संहितायाम्' (६।१।७२) इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है।

'पञ्चमी' विभक्ति' का अर्थ अवधि' है। यह अर्थ कैसे निष्पन्न होता है इसका उपपादन करते हुये बताया गया है कि यहाँ 'अपादाने पञ्चमी' (१।३।२९) सूत्र से अपादान अर्थ में पञ्चमी विभक्ति होती है। 'अपादान' किसे कहते हैं। यह बताने के लिये सूत्र है—'ध्रुवमपायेऽपादानम्' (१।४।२४)। अर्थात् अपाय में जो ध्रुव, उसे अपादान कहते हैं। अपाय का अर्थ है—विश्लेष (विभाग), विश्लेषजनकक्रिया। उस विश्लेषजनकक्रिया में जो ध्रुव अर्थात् अवधिभूत, उसे अपादान कहते हैं।

इस प्रकार विभाग के प्रति जो अवधि, उसकी अपादान संज्ञा होती है और उस अपादान (अवधि) अर्थ में 'आपादाने पञ्चमी' (१।३।२९) से पञ्चमीविभक्ति होती है। अतः पञ्चमीविभक्ति का अवधि अर्थ निष्पन्न हुआ।

---

१. अयं योगः शक्योऽवक्तुम्। कथम्? अधिकरणं नाम त्रिप्रकारम्—व्यापकमौपश्लेषिकं वैषयिकमिति। शब्दस्य च शब्देन कोऽन्योऽभिसम्बन्धो भवितुमर्हत्यन्यदत उपश्लेषात्। 'इको यणचि' (६।१।७७) अच्युपश्लिष्टस्येति। तत्रान्तरेण संहितायामेव संहिताग्रहणं भविष्यति।

उक्तञ्च वाक्यपदीये—

अपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम् ।
ध्रुवमेवातदावेशात्तदपादानमुच्यते ॥
पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात् पतत्यसौ ।
तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादिध्रुवमुच्यते ॥
उभावप्यध्रुवौ मेषौ यद्यप्युभयकर्मके ।
विभागे प्रविभक्ते तु क्रिये तत्र व्यवस्थिते[1] ॥
मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं पृथक् पृथक् ।
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कर्तृत्वं च पृथक् पृथक् ॥

अस्यार्थः—अपाये = विश्लेषहेतुक्रियाश्रमम्, उदासीनम् = अनाश्रयः, अतदावेशात् = तत्क्रियानाश्रयत्वात् । एवञ्च विश्लेषहेतुक्रिया-

---

सावित्री

अपाय (विश्लेष) में जो उदासीन (अनाश्रय) हो वह मनुष्य आदि चल हो अथवा पर्वत आदि अचल हो वह अनाश्रय होने से ध्रुव अर्थात् अवधि होता है और वही अपादान कहलाता है। उसी अपादान अर्थ में पञ्चमी विभक्ति होती है।

'कुड्यात् पतन्त अश्वात् पतति' इस वाक्य में 'पत्' धात्वर्थ कर्त्ता के प्रति अश्व ही ध्रुव है क्योंकि चैत्र आदि कर्त्ता उसी अश्व से गिरता है। उस अश्व के गिरने में कुड्य आदि ही ध्रुव है क्योंकि अश्व कुड्य आदि से ही गिरता है।

'परस्परान्मेषावपसरतः' इस वाक्य में दोनों ही मेष अध्रुव हैं क्योंकि दोनों मेष विश्लेष जनक क्रिया के अनाश्रय नहीं हैं अपि तु आश्रय ही हैं। किन्तु भिन्न भिन्न मेषों में रहने वाली विभागजनक क्रिया को एक दूसरे की क्रिया से भिन्न मानने पर दोनों में अवधित्व पृथक्-पृथक् है। इसके साथ ही दोनों मेषों में अपनी क्रिया को लेकर अवधित्व भी पृथक्-पृथक् है।

'अपाय का अर्थ होता है विभाग। अथवा विभाग जनिका क्रिया। यहाँ सप्तम्यन्त

---

[1]—वैयाकरणभूषणसार में 'व्यवस्थिते' के स्थान पर 'विवक्षिते' ऐसा पाठ है।

नाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वं फलितम्। 'वृक्षात् पर्णं पतति, इत्यत्र पर्णस्य तद्वारणाय सत्यन्तम्।

'धावतोऽश्वात् पतति' इत्यत्राश्वस्य क्रियाश्रयत्वाद्विश्लेष-हेत्विति। "कुड्यात् पततोऽश्वात् पतति" इत्यत्राश्वस्य विश्लेषजनक-क्रियाश्रयत्वेऽपि तन्न विरुद्धमित्याह—यस्मादश्वादिति। तद्विश्लेषहेतु-

---

सावित्री

घटित 'अपाये' का अर्थ है=विश्लेषजनक क्रिया में। उदासीन का अर्थ है अनाश्रय। 'अतदावेशात्' का अर्थ है=उस क्रिया का अनाश्रय होने से। वह अपादान कहलाता है।

इस प्रकार "विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम्" अर्थात् विश्लेषहेतु क्रिया का अनाश्रय होते हुये विश्लेष का जो आश्रय हो वह अपादान कहलाता है। यदि "विश्लेषाश्रयत्वमपादानत्वम्" इतना ही लक्षण करें तो "वृक्षात् पर्णं पतति" इस वाक्य में पर्ण के भी विश्लेष का आश्रय होने से उसकी भी अपादान संज्ञा होने लगेगी, किन्तु 'विश्ले-षाश्रयत्वम्' इस लक्षण में 'विश्लेषहेतु क्रियानाश्रयत्वे सति, विशेषण देने पर नहीं होती है, क्योंकि पर्ण यद्यपि विश्लेष का आश्रय है पर विश्लेष हेतु क्रिया का अनाश्रय है। विश्लेष को उत्पन्न करने वाली क्रिया का आश्रय वृक्ष है पर्ण नहीं। अतः पर्ण की अपादान संज्ञा नहीं होती है। इस प्रकार पर्ण की अपादान संज्ञा वारण के लिये ही 'विश्लेषाश्रयत्वम्' इस अपादान लक्षण में 'विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति' इतना विशेषण किया गया है।

यदि अपादान लक्षण 'विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम्' में 'विश्लेष-हेतु' विशेषण का निवेश न कर 'क्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम्' इतना ही लक्षण करें तो "धावतोऽश्वात्" पतति में अश्व के धावन क्रिया का आश्रय होने से अपादान संज्ञा नहीं होगी। क्रिया में 'विश्लेषहेतु' विशेषण देने से 'अश्व' की अपादान संज्ञा हो जाती है, क्योंकि 'पत्' धात्वर्थ क्रिया ही विश्लेष में हेतु है वह क्रिया चैत्र आदि में रहती है न कि अश्व में। इसलिए अश्व के धावन क्रिया का आश्रय होने पर अपादान संज्ञा हो जाती है। अश्व की धावन क्रिया 'चैत्र' आदि के विभाग में हेतु नहीं है क्योंकि अश्व के धावन के विना भी विभाग सम्भव होने से वह विभाग के प्रति अन्यथासिद्ध है। इसलिये "विश्लेषजनकक्रिया-नाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम्" यही लक्षण उचित है अन्यथा 'ध्रुव' पद का यदि 'स्थिर' अर्थ ही गृहीत होता तो 'धावतोऽश्वात् पतति' में अश्व के स्थिर न होने से उसे ध्रुवत्व और अपादान संज्ञा न होती।

"कुड्यात् पततोऽश्वात् पतति" में अश्व यद्यपि विश्लेषजनक क्रिया का आश्रय है, तथापि उसके ध्रुव (अवधि) होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 'चैत्र' आदि में रहने

क्रियानाश्रयत्वे सतीति विशेषणीयमिति भावः। एवमश्वनिष्ठक्रियाना-श्रयत्वात् कुड्यादेरपि ध्रुवत्वमित्याह—तस्यापीति।

उभयकर्मजविभागस्थले विभागस्यैक्यात् तद्विश्लेषजनकक्रियाना-श्रयत्वाभावात् "परस्परान्मेषावपसरतः" इति न स्यादित्याशङ्क्य समा-धत्ते—उभावपीति। मेषान्तरेति—यथा निश्चलमेषादपसरद्द्वितीय-मेषस्थले निश्चलमेषस्यापसरन्मेषक्रियामादाय ध्रुवत्वम्, तथात्रापि विभागैक्येऽपि क्रियाभेदादेकक्रियामादाय परस्य ध्रुवत्वमिति। तथा

सावित्री

वाली जो पतन क्रिया है, उस क्रियासे जन्य विश्लेषजनक व्यापार का आश्रय चैत्र आदि ही है न कि अश्व, अश्व में रहने वाली जो पतन क्रिया है, उस क्रिया से जन्य विभाग तथा उस क्रिया का अनाश्रय कुड्य में होने से कुड्य का भी ध्रुवत्व और अपादान संज्ञा सिद्ध होती है। इसलिये लक्षण में तत् शब्द का निवेश करना चाहिये। 'तद्विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति' ऐसा विशेषण 'विश्लेषाश्रयत्वम्' में देना चाहिये। इससे 'कुड्यात् पततोऽश्वात् पतति' में अश्व और कुड्य की विभागजनिका क्रिया का आश्रय अश्व है, उस क्रिया का अनाश्रय कुड्य है—अतः 'कुड्य' की अपादान संज्ञा हुई। अश्व से चैत्र जो विश्लेष (विभाग) है, उस क्रिया का आश्रय चैत्र है, तथा अनाश्रय अश्व है। अतः अश्व की अपादान संज्ञा हुई। इस प्रकार अश्व और कुड्य, दोनों की अपादान संज्ञा सिद्ध हुई। अत एव मूल-कारिका में कहा गया है—

पततो ध्रुव एवाश्वो यस्मादश्वात् पतत्यसौ।
तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादिध्रुवमुच्यते॥

परस्परान्मेषावपसरतः। (दो मेष, एक दूसरे से दूर हटते हैं) इत्यादि स्थल में जहाँ उभय कर्मक विभाग होता है वहाँ दोनों मेष विभागजनिका क्रिया के आश्रय होते हैं, अनाश्रय कोई भी मेष नहीं होता है। अनाश्रय न होने से अपादान संज्ञा और पञ्चमी विभक्ति न होगी। फलतः 'परस्परान्मेषावपसरतः' ऐसा प्रयोग नहीं होगा।

इस आशंका के उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि जहाँ एक मेष निश्चल भाव से स्थित है और दूसरा मेष उससे दूर रह रहा है, वहाँ दूर हट रहे मेष की क्रिया को लेकर निश्चल मेष को ध्रुव (अवधि) मानकर अपादान संज्ञा होती है, वैसे ही विभाग के एक

च "विश्लेषाश्रयत्वे सति तज्जनकतत्क्रियानाश्रयत्वं तत्क्रियायामपादानत्वम्" वाच्यम्। क्रिया चात्र धात्वर्थः न तु स्पन्दः। तेन वृक्षकर्मजविभागवति वस्त्रे 'वृक्षात् वस्त्रं पतति' इति सङ्गच्छते।

वस्तुतो नैतावत् पञ्चम्या वाच्यम्, किन्तु 'अवधेर्लक्षणमात्रम्' द्वितीयार्थोक्तरीत्या प्रयोगातिप्रसङ्गस्यासम्भवेन वाच्यकोटौ प्रवेशस्य

सावित्री

होने पर दोनों मेषों की क्रिया में तत्तद् मेष, व्यक्ति भेद से भिन्न है, दोनों ही मेष परस्पर एक दूसरे की क्रिया के अनाश्रय हैं। अतः दोनों मेषों का ध्रुवत्व सिद्ध हुआ। इसी कारण ऐसा लक्षण किया गया है—'विश्लेषाश्रयत्वे सति तज्जनकतत्क्रियानाश्रयत्वं तत्क्रियायामपादानत्वं वाच्यम्'

अर्थात् विभाग का आश्रय होते हुये जो जिस विभाग जनिका क्रिया का अनाश्रय है वह उस क्रिया को लेकर अपादान संज्ञक होता है।

यहाँ क्रिया पद से प्रकृत धातु का अर्थ ही विवक्षित है, 'स्पन्द' नहीं, अर्थात् यथाकथञ्चित् प्रतीयमान क्रिया विवक्षित नहीं है। इसीलिये 'वृक्षात् वस्त्रं पतति' में पत्र की विभाग-जनिकाक्रिया यद्यपि वृक्ष में है तथापि 'पत्' से वाच्य न होने के कारण विश्लेष-जनक-क्रिया का अनाश्रय माना जाता है। अतः 'वृक्ष' की अपादान संज्ञा और पञ्चमी विभक्ति सिद्ध हुई।

वस्तुतः "विश्लेषहेतुक्रियानाश्रयत्वे सति विश्लेषाश्रयत्वम्" यह पञ्चमीविभक्ति का वाच्य अर्थ नहीं है अपि तु अवधि का लक्षणमात्र है। पञ्चमी विभक्ति का वाच्य अर्थ अवधि मात्र है। जैसे—द्वितीया विभक्ति के अर्थ 'कर्म' कारक के लक्षण में ईप्सित, अनीप्सित शब्द का केवल संज्ञा विधान में उपयोग है, वाच्यकोटि में उसका प्रवेश नहीं होता है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। उक्त शब्द का वाच्य कोटि में प्रवेश करने पर गौरव होगा।

भाव यह है कि जैसे—"चैत्रः ग्रामं गच्छति" में 'गम्' धात्वर्थ-व्यापार-जन्यसंयोगरूपफल ग्राम में रहता है वैसे 'चैत्र' में भी है। अतः 'ग्राम' की भाँति 'चैत्र' की भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। इससे 'चैत्रश्चैत्रं गच्छति' ऐसा अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा—इस आशंका के उत्तर में यह कहा गया है कि व्यापार-जन्य-फल का आश्रय होने से चैत्र की 'कर्म' संज्ञा

गौरवेणाऽसम्भवाद् इति तु प्रतिभाति। न चैवमपि 'वृक्षात् स्पन्दते' इति स्यादिति शङ्क्यम्, "आसनाच्चलितः", 'राज्याच्चलितः' इतिवत् इष्टत्वात्। एतेन पञ्चमीजन्यापादानत्वबोधे सकर्मकधातुजन्योपस्थितेर्हेतुत्वमिति समाधानाभासोऽप्यपास्तः।

सावित्री

इसी तरह प्राप्त होती है एवं व्यापार का आश्रय होने से 'कर्तृ' संज्ञा प्राप्त होती है परन्तु पर अर्थात् 'पश्चात्वर्ती, 'कर्तृ' संज्ञा के द्वारा 'कर्म' संज्ञा का बाध हो जाता है।

इससे 'चैत्रश्चैत्रं गच्छति' ऐसा अनिष्ट प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ भी 'देवदत्तः ग्रामादायाति' में प्रकृतधात्वर्थ-व्यापार-जन्य-विभाग का आश्रय होने से 'देवदत्त' की 'अपादान' संज्ञा प्राप्त है इसी तरह प्रकृतधात्वर्थ व्यापार का आश्रय होने से 'कर्तृ' संज्ञा प्राप्त है, किन्तु परवर्त्ती 'कर्तृ' संज्ञा के द्वारा अपादन संज्ञा का बाध हो जाता है। फलतः 'देवदत्तात् ग्रामात् आयाति' ऐसा विपरीत प्रयोग नहीं होता है।

अतः अपादान के लक्षण में "विश्लेषजनकतत्क्रियानाश्रयत्वम्" इस अंश का प्रवेश नहीं करना चाहिये।

यदि यह कहें कि 'विश्लेपजनकक्रियानाश्रयत्वे सति" इतना अंश निकाल देने पर विभागाश्रयत्व मात्र की अपादानसंज्ञा मानें तो भी 'वृक्षात् स्पन्दते' ऐसा प्रयोग होने लगेगा क्योंकि यहाँ वृक्ष से कुछ विचलित या विभक्त होना—ऐसे अर्थ की प्रतीति होती है। यहाँ 'स्पन्द' धात्वर्थ व्यापार का अनाश्रय होते हुये स्पन्द-जन्यविभाग का आश्रय 'वृक्ष' है। अतः 'वृक्ष' की अपादान संज्ञा होकर पञ्चमी विभक्ति होने लगेगी।

इस आशंका के उत्तर में यह कहा है कि यदि वृक्ष' की अपादान संज्ञा हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है—क्योंकि 'राज्याच्चलितः' 'आसनाच्चलितः' इत्यादि प्रयोगों की भाँति 'वृक्षात् स्पन्दते' प्रयोग भी अभीष्ट ही है। 'आसनाच्चलितः इत्यादि में जब 'चल्' धात्वर्थ व्यापार के आश्रय 'आसन' आदि में अपादानत्व अभीष्ट है तो उसी अर्थ के वाचक स्पन्द' धातु का अर्थ जो व्यापार, उस व्यापार जन्य विभाग का आश्रय होने से वृक्ष' के अपादानत्व में कोई बाधा नहीं है।

वस्तुतः वृक्षात् स्पन्दते' ऐसे प्रयोग में दोष देने वाले का अभिप्राय यह है कि 'आसनाच्चलितः' इत्यादि प्रयोग देखने से 'चल्' धात्वर्थ जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य विभाग की प्रतीति होती है, विभाग अवधि सापेक्ष होती है, वहाँ विभाग की अवधि 'आसन' इत्यादि में अपादानत्व भले ही उचित हो पर 'वृक्षात् स्पन्दते' में 'स्पन्द्' धातु

न चैवमपि वृक्षात्त्यजतीति दुर्वारम्, कर्मसंज्ञयाऽपादानसंज्ञाया बाधेन पञ्चम्यसंम्भवात्। अमात् कृते तथा प्रयोगे यदि बोधाभावोऽनुभवसिद्धस्तर्हि पञ्चमीजन्यापादानत्वबोधे त्यजादिभिन्नधातुजन्य-

---

सावित्री

का 'कम्पन' मात्र अर्थ है वह विभाग की प्रतीति न होने से 'अवधि' नहीं है, अवधि अभाव में 'वृक्षात् स्पन्दते' यह प्रयोग उचित नहीं है, किन्तु 'वृक्षे स्पन्दते' ऐसा प्रयोग होना चाहिये।

कुछ लोगों का यह अभिप्राय था कि पञ्चमी-विभक्ति-जन्य-अपादानत्व के बोध में सकर्मकधातु का अर्थ जो व्यापार, उस व्यापार की उपस्थिति कारण होती है। 'वृक्षात् स्पन्दते' में 'स्पन्द' धातु अकर्मक है, अतः सकर्मकधातुजन्यउपस्थिति न होने से अपादान संज्ञा और पञ्चमी विभक्ति नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार का भी समाधान वास्तविक नहीं है अपि तु समाधानाभास है। क्योंकि 'वृक्षात् स्पन्दते' में अपादानत्व के वारण के लिए यदि ''पञ्चमीजन्यापादानत्वबोधे सकर्मकधातु-जन्योपस्थितेर्हेतुत्वम्'' ऐसा कार्यकारणभाव मानें तो ''शय्याच्चलितः'' में भी विभागजनकव्यापारवाचक 'चल्' धातु के अकर्मक होने से अपादानत्व का बोध नहीं होगा। 'आसनाच्चलितः' इत्यादि प्रयोग निर्वाह के लिए 'चल्' धातु के समभिव्याहार (सहोच्चारण) में अपादानसंज्ञा इष्ट है तो उसी अर्थ में प्रयुक्त 'स्पन्द' धातु के समभिव्याहार में अपादानसंज्ञा क्यों नहीं होगी? अपादानसंज्ञा होने पर 'वृक्षात् स्पन्दते' यह प्रयोग दुर्निवार होगा। फलतः वहाँ अपादान-संज्ञा के वारण के लिए उक्त प्रकार के कार्य-कारण की परिकल्पना रूप समाधान निरर्थक होगा।

यदि यह कहें कि धात्वर्थ विभागाश्रयत्व को अपादानसंज्ञा का नियामक मानने पर भी 'वृक्ष' के 'त्यज्' धात्वर्थ-व्यापार-जन्य-विभाग का आश्रय होने से अपादानसंज्ञा होकर 'वृक्षात् त्यजति' यह प्रयोग दुर्वार होगा। इस आशंका के उत्तर में यह कहना है कि प्रकृत-धात्वर्थ-व्यापार-जन्य-विभाग का आश्रय होने से 'वृक्ष' की अपादानसंज्ञा प्राप्त है तथा 'त्यज्' धात्वर्थ व्यापार-जन्य-विभागरूप फल का आश्रय होने से कर्मसंज्ञा प्राप्त है। परवर्ती होने से कर्मसंज्ञा के द्वारा अपादानसंज्ञा का बाध हो जायेगा; जिससे वृक्ष में पञ्चमी विभक्ति असम्भव होगी।

बुद्धेर्हेतुत्वं वाच्यम्। 'बलाहकाद् विद्योतते' इत्यादौ निःसृत्येत्यध्याहार्यम्। 'रूपं रसात् पृथक्' इत्यत्र तु बुद्धिपरिकल्पितमपादानत्वं द्रष्टव्यम्, पृथग्विनेति पञ्चमी वा।

इदं च—

"निर्दिष्टविषयं किञ्चिदुपात्तविषयं तथा।
अपेक्षितक्रियश्चेति त्रिधाऽपादानमुच्यते॥"

सावित्री

अब यह कहें कि कर्मसंज्ञा के द्वारा अपादानसंज्ञा का बाध होने पर 'वृक्ष' में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भले साधु न हो, पर भ्रम वश किसी ने यदि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो वहाँ 'वृक्ष' में अपादानत्व का बोध होना चाहिए, जबकि वहाँ अपादानत्व का बोधाभाव अनुभव सिद्ध है—तब ऐसी स्थिति में "पञ्चमीजन्यापादानत्वबोधे त्यजादिभिन्नधातुजन्यबुद्धेर्हेतुत्वं वाच्यम्" ऐसा कार्यकारणभाव मानना चाहिये।

यहाँ 'पञ्चमीजन्यापादानत्वबोध' कार्य है, त्यजादिभिन्न-धातु-जन्य-बुद्धि कारण है। त्यजादि में आदि पद से 'नरकं पतितः' इत्यादि भाष्य प्रयोग द्वारा 'पत्' धातु का ग्रहण करना चाहिये।

'वृक्षात् त्यजति' में 'त्यज्' धातु से भिन्न धातु-जन्य-बुद्धि नहीं है। अतः अपादानसंज्ञा न होगी और अपादानत्व के अभाव में पञ्चमी न होगी।

इसी प्रसङ्ग में एक अन्य आशंका करते हैं—"बलाहकाद् विद्योतते विद्युत्" में 'द्युत्' प्रकाशार्थक है, यहाँ विभाग की प्रतीति नहीं होती है, फिर 'बलाहकाद्' में पञ्चमी विभक्ति कैसे हुई? इसका उत्तर देते हैं कि यहाँ 'निःसृत्य' क्रिया का अध्याहार करना चाहिये। निःसरण पूर्वक विद्योतन अर्थ में 'द्युत्' को प्रवृत्त कर निःसरण क्रिया-निरूपित-अपादानत्व स्वीकार करते हुए पञ्चमी का उपपादन करना चाहिए।

यहाँ ऐसा स्वीकार करने पर भी "रूपं रसात् पृथक्" यहाँ पर रूप और रस गुण है, इन दोनों में परस्पर संयोग-विभाग असम्भव है। इसलिए रूप से विभाग पूर्वक संयोगानुकूलव्यापाररूपनिःसरण के अभाव में अपादानत्व अनुपपन्न है। इस आशंका के उत्तर में कहा है कि रूप और रस में वास्तविक संयोग-विभाग सम्भव न होने पर भी बुद्धि परिकल्पित संयोग-विभाग लेकर उस विभाग की अवधि मान कर रसात् में पञ्चमी उपपन्न हो जायेगी।

इति वाक्यपदीयात् त्रिविधम् । यत्र साक्षाद्धातुना गतिर्निर्दिश्यते तन्निर्दिष्टविषयम् । यथा—अश्वात् पतति । यत्र धात्वन्तरार्थाङ्गं स्वार्थं धातुराह-तदुपात्तविषयम् । यथा—बलाहकाद्विद्योतते । निःसरणाङ्गे विद्योतने द्युतिर्वर्तते । अपेक्षितक्रिया यत्र तदन्त्यम् । यथा—कुतो भवान् ? पाटलिपुत्रात् । अत्रागमनमर्थमध्याहृत्यान्वयः कार्यः ।

सावित्री

यदि कोई यह कहें कि बुद्धि परिकल्पित अपादानत्व तो गौण है तब "पृथग्-विना-नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् (२।३।३२) इस सूत्र से पञ्चमी करना चाहिए ।

अपादान तीन प्रकार का होता है :—

१. निर्दिष्ट-विषयक ।

२. उपात्त-विषयक ।

३. अपेक्षित-क्रियाविषयक ।

(१) निर्दिष्ट-विषयक—जहाँ साक्षात् धातु से 'गति' अर्थात् विभागजनिका क्रिया निर्दिष्ट हो जैसे-अश्वात् पतति (अश्व से गिरता) है । यह विभागजनकपतनक्रिया साक्षात् 'पत्' धातु से निर्दिष्ट है ।

(२) उपात्तविषयक—जहाँ अन्य धातु के अर्थ को अपना अङ्ग बनाकर धातु अपने अर्थ को कहे वहाँ उपात्तविषयक अपादान होता है । जैसे—बलाहकाद्विद्योतते । (बादल से बिजली चमकती है) । यहाँ 'निःसृत्य' क्रिया का अध्याहार होता है । इससे "बलाहकावधिक जो निःसरण तदुत्तरकालिक विद्युत्-कर्तृक-विद्योतन" ऐसे अर्थ की प्रतीति होती है ।

(३) अपेक्षित क्रिया विषयक—जहां विभागजनक क्रिया अपेक्षित अर्थात् अभिकांक्षित हो । जैसे-कुतो भवान् ? पाटलिपुत्रात् । यहाँ 'कुतो भवान्' इस प्रश्न वाक्य में 'आगतः' यह क्रिया अपेक्षित है 'पाटलिपुत्रात्' इस उत्तर वाक्य में 'अहमागतः' यह शेष है । यहाँ "किं देशावधिकविभागजनक-गमनव्यापारवान् भवान्?" ऐसा प्रश्न वाक्य का आशय है, "पाटलिपुत्रावधिकविभागजनक-गमनव्यापारवानहम्" ऐसा उत्तर वाक्य का अर्थ समझना चाहिये । इससे 'गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्ति प्रयोजिका' यह प्रयोजन सिद्ध होता है ।

उद्देश्यश्चतुर्थ्यर्थः। तथा हि-सम्प्रदाने चतुर्थी। तच्च "कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्" (१-४-३२) इति सूत्रात् कर्मणा करणभूतेन यमभिप्रैति ईप्सति तत्कारकं संप्रदानमित्यर्थकादुद्देश्यः।

इदमेव शेषित्वम्। तदुद्देश्यकेच्छाविषयत्वं च शेषत्वमित्येव पूर्वतन्त्रे निरूपितम्। अत एव "प्रासनवन्मैत्रावरुणाय दण्डप्रदानम्"

सावित्री

चतुर्थी विभक्ति का अर्थ उद्देश्य है। यहाँ चतुर्थी का तात्पर्य कारक चतुर्थी से है उपपद चतुर्थी से नहीं। यहाँ शंका होती है कि जब 'चतुर्थी सम्प्रदाने' (२।३।१३) से सम्प्रदान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है तब चतुर्थी का उद्देश्य अर्थ कैसे हुआ? इस विषय में सम्प्रदानसंज्ञा विधायक पाणिनिसूत्र ही प्रमाण है--'कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्' (१।४।३२)।

यहाँ 'कर्म' शब्द 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' सूत्र से विहित पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त है। करणभूत कर्म के साथ कर्त्ता जिसको सम्बद्ध करने की इच्छा करता है उसे सम्प्रदान कहते हैं।

यहाँ यह आशंका होती है कि एक ही समय में 'कर्म' कैसे 'करण' बन जाता है? उत्तर है--क्रियाभेद सम्बन्ध से। 'विप्राय गां ददाति, में दान क्रिया में ईप्सिततम होने से 'गौ' की कर्मसंज्ञा है और दी जाने वाली गाय के द्वारा देवदत्त आदि कर्त्ता का विप्र के साथ अभिसम्बन्ध क्रिया में साधकतम होने से करण है।

यहाँ यह भी सन्देह होता है कि कर्म के साथ सम्बद्ध्यमान की यदि सम्प्रदानसंज्ञा होती है तो 'अजां ग्रामं नयति' में आनयनक्रिया का कर्म जो अजा, उससे सम्बद्ध्यमान 'ग्राम' की 'सम्प्रदानसंज्ञा' क्यों नही होती है? इसका उत्तर है—सूत्र में 'यमभिप्रैति' इस कथन में 'यम्' पद से निर्दिष्ट उद्देश्य की ही सम्प्रदानसंज्ञा होती है। 'अजां ग्रामं नयति' में ग्राम का अजा के सम्बन्ध से उद्देश्य न होने के कारण सम्प्रदानसंज्ञा नहीं होती है। यदि किसी को ऐसी विवक्षा हो जाय कि ग्राम[१] अजा से संयुक्त हो इस उद्देश्य से अजा का आनयन हो रहा है तब ग्राम में चतुर्थी होकर 'अजां ग्रामाय नयति' ऐसा प्रयोग होगा।

यहां 'इच्छा विषयत्व' रूप उद्देश्य विवक्षित नहीं है, अन्यथा इच्छा का विषय होने से 'गौ' की भी सम्प्रदानसंज्ञा हो जाती। अतः तत्तद्धात्वर्थ व्यापार से जन्य 'फलाश्रय'।

---

१. १।४।३२—कैयट।

(अ० ४ पा० २ अधि० ६) इत्यधिकरणे क्रीते सोमे मैत्रारुणाय दण्डं प्रयच्छतीति विहितं दण्डदानं न प्रतिपत्तिः, किन्तु चतुर्थीश्रुत्याऽर्थकर्मेति तत्र निर्णीतम् । रजकाय वस्त्रं ददातीत्यपि खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददातीति भाष्योदाहरणादिष्टमेव । वृत्तिकारास्तु-सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत्सम्प्रदानमित्यन्वर्थसंज्ञया स्वस्वत्वनिवृत्तिपर्यन्तमर्थं वर्णयन्तः 'रजकस्य वस्त्रम्' इत्येवाहुः ।

सावित्री

रूप जो कर्म, उस कर्म के साथ सम्बन्ध करने में इच्छा का जो विषय हो वह उद्देश्य रूप से विवक्षित है । (तत्तद्धात्वर्थ-कर्मनिष्ठ-फलजनकत्वेनेच्छाविषयत्वम् उद्देश्यत्वम्) ।

उदाहरण--जैसे-'विप्राय गां ददाति' में 'दा' धात्वर्थ जो व्यापार, उस व्यापार से जन्य जो दान रूप फल, उस फल का आश्रय रूप कर्म जो गौ, उस गौ के साथ सम्बन्ध करने में इच्छा का विषय जो विप्र, वह विप्र शेषित्व रूप से उद्देश्य है, अतः सम्प्रदान-संज्ञक हुआ ।

यहाँ तादृश इच्छा-प्रकारताश्रयत्वरूप शेषत्व गौ की है, क्योंकि 'गौ' में इच्छीय प्रकार-ताश्रयत्व है । 'विप्राय गां ददाति' में इच्छा का प्रकार ऐसा होगा—"दानकर्मकगोवृत्ति-तादृश-स्वत्व-सम्बन्ध-जन्य सुखाश्रयो विप्रो भवतु" । यहाँ तादृश इच्छाश्रयत्वरूप 'शेषित्व' विप्र में है तथा प्रकारताश्रयत्व रूप 'शेषत्व' गौ में है ।

उद्देश्यरूप शेषित्व के ही 'अर्थकर्म' का प्रयोजक होने से "प्रासन्वन् मैत्रावरुणाय दण्डप्रदानम्" इसी मीमांसाधिकरण में सोम का क्रयण कर लेने पर "मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति" इस वाक्य में विहित जो दण्डदान है वह 'प्रतिपत्ति कर्म' नहीं है अपितु 'मैत्रा-वरुणाय' में चतुर्थी विभक्ति होने से 'अर्थकर्म' है ।

प्रधानकर्म यज्ञ आदि में जिस वस्तु का उपयोग हो चुका हो, उस वस्तु के संस्कारक कर्म को प्रतिपत्तिकर्म[1] कहते हैं । जैसे—अग्निष्टोम प्रकरण में एक श्रुति है—'नीतासु दक्षिणासु कृष्णविषाणं चात्वाले प्राप्स्यति' । अर्थात् यज्ञ समाप्ति पर ऋत्विजों को दक्षिणा देकर यजमान

---

१. प्रतिपत्ति कर्म च—प्रधानकर्मणि यज्ञादौ कृतोपयोगस्य वस्तुनः संस्कारकं कर्म उच्यते । (वैयाकरणभूषण प्रभा-पृ. २१५) ।

इदञ्च—

अनिराकरणात् कर्त्तुस्त्यागाङ्गं कर्मणेप्सितम् ।
प्रेरणानुमतिभ्यां च लभते सम्प्रदानताम् ॥

सावित्री

गात्र खुजलाने के लिए हाथ में गृहीत 'कृष्णशृङ्ग' को चात्वाल नामक यज्ञीय गर्त्त में फेंक दे।

यहाँ 'कृष्णविषाण' का यज्ञ में उपयोग हो चुका है। अब उसे यज्ञीय गर्त्त में प्रक्षेपण रूप कर्म प्रतिपत्ति कर्म है।

जिस वस्तु का उपयोग यज्ञ में आगे होना है उसके संस्कारक कर्म को अर्थकर्म[1] कहते हैं। यज्ञ में उपयोक्ष्यमाण व्रीहि आदि के उपयोग से पूर्व जो प्रोक्षण आदि संस्कार है वह अर्थकर्म है।

यज्ञ में 'अरुणया पिङ्गाक्ष्यैकहायन्या सोमं क्रीणाति' इस श्रुति के द्वारा विहित सोम खरीदने तथा 'गो' को लाने की दीक्षा-सिद्धि के लिए यजमान को दण्ड धारण का विधान है। श्रुति है—'क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति।'

यहाँ 'दण्ड' दान रूप कर्म 'प्रतिपत्ति' कर्म है अथवा 'अर्थकर्म'—ऐसा सन्देह कर पहले पूर्वपक्ष के रूप में यह कहा गया कि गाय को ले जाने में दण्ड का उपयोग हो चुका है। अतः 'दण्ड' का दान रूप कर्म प्रतिपत्ति कर्म ही होगा—ऐसा कह कर यह कहा है कि आगे श्रुति है—"दण्डी प्रैषानन्वाह" इस श्रुति के अनुसार प्रैष मन्त्र के उच्चारण में मैत्रावरुण के लिये दण्ड अपेक्षित है। 'दण्ड' का उपयोग अभी भविष्य में होने वाला है। अतः दण्ड दान रूप कर्म अर्थकर्म है क्योंकि उपयुक्त की अपेक्षा उपयोक्ष्यमाण कर्म अधिक आदरणीय है। इसलिए 'मैत्रावरुणाय' में चतुर्थी विभक्ति हुई है।

सम्प्रदानसंज्ञा के लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि 'दा' धातु का अर्थ 'स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पादन' ही हो अपितु 'दा' धातु के अर्थान्तर समभिव्याहार में सम्प्रदानसंज्ञा होती है। जैसे—'रजकाय वस्त्रं ददाति, खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति' इत्यादि। यहाँ इन उदाहरणों में 'दा' धातु का अर्थ स्वस्त्वनिवृत्ति एवं परस्वत्व की स्थापना रूप अर्थ नहीं है। 'रजकाय वस्त्रं ददाति' इत्यादि उदाहरण महाभाष्यकार को अभीष्ट है।

---

१. उपयोक्ष्यमाणस्य संस्कारः—(वै. भू. सार-प्रभा-पृ. २१६)

इति वाक्यपदीयात् त्रिविधम् । "सूर्यायार्घ्यं ददाति" इत्याद्यम् । नात्र सूर्यः प्रार्थयते, नानुमन्यते, न निराकरोति । प्रेरकम्—विप्राय गां ददाति । अनुमन्तृउपाध्यायाय गां ददाति ।

अत्र सर्वत्र प्रकृतिप्रत्ययार्थयोरभेदः संसर्गः । विभक्तीनां धर्मिवाचकत्वात् । धर्ममात्रवाचकत्वे कर्मणि द्वितीया (२।३।२) इति

सावित्री

वृत्तिकार तो सम्प्रदान संज्ञा को अन्वर्थ मानते हैं । 'सम्यक् प्रदीयते यस्मै तत् सम्प्रदानम्' अर्थात् जहाँ 'दा' धातु का 'स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पादन' रूप अर्थ हो वहीं सम्प्रदानसंज्ञा होती है । इसीलिए 'रजकाय वस्त्रं ददाति' के स्थान पर 'रजकस्य वस्त्रं ददाति' इसी को साधु मानते हैं ।

कर्म के द्वारा अभीप्सित जो त्याग का अङ्ग (उद्देश्य), वह कर्त्ता के अप्रत्याख्यान प्रेरणा, अनुमति से सम्प्रदानसंज्ञा को प्राप्त होती है । वाक्यपदीयकार के इस कथन के अनुसार सम्प्रदान तीन प्रकार का होता है । इन तीनों का उदाहरण इस प्रकार है—

१. कर्त्ता के अप्रत्याख्यान से—'सूर्यायार्घ्यं ददाति' यहाँ अर्घ्य के लिये सूर्य न तो प्रार्थना करता है, न अनुमति देता है और न मना करता है ।

२. कर्त्ता की अनुमति से—इसका उदाहरण है—'उपाध्यायाय गां ददाति' । यहाँ उपाध्याय 'गौ' के दान के लिए न प्रार्थना करता है; न प्रत्याख्यान करता है; किन्तु दी जाने वाली गाय को स्वीकार करता है । अनुमति का तात्पर्य है कि दाता के द्वारा यह इच्छा प्रकट करने पर कि 'मैं यह गाय तुम्हें देना चाहता हूँ' को स्वीकार कर लेना ।

अन्य सभी लोग [1]तत्तद्धात्वर्थ—फलाश्रय रूप जो कर्म उस कर्म में रहने वाला जो फल उस फल का निरूपक होने से इच्छा का जो विषय (उद्देश्य), उसकी सम्प्रदानसंज्ञा होती है ।

यहाँ द्वितीया, चतुर्थी इत्यादि सभी स्थलों में प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ में अभेद सम्बन्ध है । विभक्तियाँ 'कर्म' आदि धर्मी की वाचिका होती है न कि 'कर्मत्व' आदि धर्म की ।

---

१. तत्तद्धात्वर्थकर्मनिष्ठफलनिरूपकत्वेनेच्छाविषयो यस्तत्त्वम्—वै० भू० सार शाङ्करी—पृष्ठ २०७

सूत्रस्वरभङ्गापत्तेः । कर्मार्थकतद्धितादौ तथादर्शनाच्च । द्वितीयाद्यर्थक-बहुव्रीहौ 'प्राप्तोदकः' इत्यादौ धर्मिवाचकत्वलाभाच्च ।

"सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः सङ्ख्या चैव तथा तिङाम्" इति भाष्याच्चेति दिक् ।

सावित्री

विभक्तियों को धर्म मात्र की वाचिका मानने पर 'कर्मणि द्वितीया' २।३।२) इत्यादि सूत्र का स्वारस्य भंग हो जायेगा, क्योंकि विभक्तियाँ यदि धर्म की वाचिका होती तो 'कर्मत्वे द्वितीया' 'करणत्वे तृतीया' ऐसा सूत्र का स्वरूप होता ।

कर्मार्थक कृत्प्रत्यय 'कृतः कटः' इत्यादि में तथा कर्मार्थक तद्धित प्रत्यय शत्यः अश्वः इत्यादि स्थल में विभक्तियों की कर्म आदि धर्मी की वाचकता देखी जाती है । तयोरेव कृत्य-क्तखलर्थाः" (३।४।७०) इस सूत्र से विहित 'क्त' प्रत्यय 'कर्म' अर्थ में विहित है । यदि प्रत्यय धर्म मात्र के वाचक होते तो 'कर्मत्व' के एकदेश होने से कट आदि के साथ अन्वय नहीं बनेगा । नियम है—पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन ।

इसी प्रकार 'शत्योऽश्वः' इत्यादि तद्धित स्थल में 'शतेन क्रीतः' इस अर्थ में 'शताच्च ठन्यतावशते' (५।१।२१) इस सूत्र से यत्प्रत्यय करने पर 'शतकरणकक्रयणकर्म' रूप अर्थ निष्पन्न होता है । उसका अश्व पदार्थ के साथ अभेदान्वय होता है । यदि 'यत्' प्रत्यय का धर्म मात्र अर्थ स्वीकार किया जाय तो 'शत्यः' का शतकरणकक्रयणकर्मत्व रूप अर्थ होगा । 'कर्मत्व' फल रूप होता है और 'कर्म' फलाश्रय रूप होता है । यहाँ कर्मत्व रूप फल 'फलाश्रय' रूप कर्म का पदार्थैकदेश होगा, तब समानाधिकरण्य के अभाव में अश्व के साथ अन्वय नही होगा ।

यदि यह कहें कि कृत् तद्धित स्थल में पदान्तर के साथ सामानाधिकरण्य (समानार्थकत्व) के देखने से विभक्ति की धर्मी वाचकता मान ली जाय किन्तु 'कर्मणि द्विती ।' इत्यादि में लाघव होने से 'कर्मत्वे द्वितीया' यही अर्थ किया जाय । इस शंका के उत्तर में यह कहा है कि 'प्राप्तोदक' इत्यादि बहुव्रीहि स्थल में 'प्राप्तमुदकं यम्' अर्थात् 'उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म' ऐसा अर्थ होता है । यहाँ विभक्ति को धर्म मात्र की वाचिका मानने पर 'उदककर्तृकप्राप्तिकर्मत्व' अर्थ होगा उसका ग्राम के साथ अभेदान्वय नहीं बनेगा । अतः यहाँ भी धर्मी अर्थ ही मानना उचित है ।

आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभान्न विभक्तिवाच्यता, किन्त्वाश्रयत्वमात्रं वाच्यम् । तदेव च तादात्म्येनावच्छेदकम् । करणतृतीयायाश्च व्यापारोऽपि, पञ्चम्या विभागमात्रम्, चतुर्थ्या उद्देश्यत्वमात्रम् । अत एवाकृत्यधिकरणमपि न विरुद्ध्यत इत्यभिप्रेत्याह—शक्तिरेव वेति । षण्णामपीति शेषः । शेषे षष्ठी (२।३।५०) इति सूत्रात् तस्याः सम्बन्धमात्रं वाच्यम् । कारकषष्ठ्यास्तु शक्तिरेवेत्यलम् ।

सावित्री

इसके अतिरिक्त 'सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः सङ्ख्या चैव तथा तिङाम्' । यह भाष्य भी प्रमाण है कि सुप् आदि विभक्तियों का 'कर्म' आदि रूप धर्मी ही अर्थ है अन्यथा भाष्यकार भी 'सुपां कर्मत्वादयोऽर्थाः' ऐसा पढ़ते ।

अब आगे 'शक्तिवाद' के मत के अनुसार धर्मी (आश्रय) न हो, किन्तु धर्म मात्र विभक्ति का वाच्य अर्थ है—इस पक्ष का उपपादन करते हैं—

नियम है—"अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः" अर्थात् किसी शब्द का अर्थ वह होता है जो अर्थ किसी अन्य शब्द से लभ्य न हो । जैसे—फल और व्यापार अर्थ धातु से लभ्य होते हैं वैसे ही द्वितीया आदि विभक्ति से लभ्य, जो प्रातिपदिक रूप धर्मी (आश्रय) अर्थ, उसका लाभ प्रकृति से ही हो जाता है । इसलिये वह विभक्ति का वाच्य अर्थ नहीं हो सकता है अपि तु आश्रयत्व रूप धर्म मात्र विभक्ति का वाच्य अर्थ समझना चाहिये ।

अब यहां यह शङ्का होती है कि यदि विभक्ति का वाच्य अर्थ आश्रयत्व है तो उसका 'शक्यतावच्छेदक' 'आश्रयत्वत्व' होगा—इसका उत्तर देते हुये ग्रन्थकार ने कहा है कि यहां अभेद सम्बन्ध से वही आश्रयत्व ही शक्यतावच्छेदक होगा ।

करणतृतीया का 'व्यापारवत्कारणं करणम्' इस वाक्य में निर्दिष्ट व्यापार अर्थ भी है । मूल में प्रयुक्त 'अपि' से आश्रय अथवा आश्रयत्व अर्थ का भी संग्रह हो जाता है । दर्पणकार के मत में यहां व्यापार पद का 'व्यापारमात्र' अर्थ है ।

पञ्चमी विभक्ति का विभाग मात्र तथा चतुर्थी का उद्देश्यत्व मात्र अर्थ है । अर्थात् सभी छः विभक्तियों का आश्रय, अवधि इत्यादि जो अर्थ कहे गये हैं वे हैं अथवा

---

१. वस्तुतस्तु अत्रापि 'व्यापारमात्रमर्थः' इत्येव वक्तुमुचितम्, अपि शब्दस्याव-धारणार्थकत्वात् । (वैयाकरणभूषणसारदर्पण पृष्ठ-२२२)

सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये (२।३।७) इति सूत्रे 'शक्तिःकारकम्' इति पक्षस्य भाष्ये दर्शनात्।

एवञ्च 'देवदत्तस्य गौर्ब्राह्मणाय गेहाद् गङ्गायां हस्तेन मया दीयते' इत्यत्र देवदत्तसम्बन्धिनी या गौस्तदभिन्नाश्रयकत्यागानुकूलो

सावित्री

'द्वितीया' आदि विभक्तियों का धर्म मात्र अर्थ मान लेने से जाति में शक्ति मानने वाले मीमासकों के 'आकृत्यधिकरण' से विरोध नहीं होता है। जाति में विभक्तियों की शक्ति मानने से ही श्लोक के अन्त में कहा है--शक्तिरेव वा। सूत्र में कहा है षण्णामपीति शेषः। सभी विभक्तियों का कर्तृत्व-कर्मत्व आदि शक्ति (धर्म) रूप अर्थ होता है।

'शेषे षष्ठी' (२।३।५०) इस सूत्र से विहित 'षष्ठी' का सम्बन्ध मात्र अर्थ है। यहाँ [1]कारकप्रातिपादिकार्थ से भिन्न स्व-स्वामिभाव रूप सम्बन्ध शेष पदार्थ कहलाता है।

'कर्तृकर्मणोः कृति' (२।३।६५) इत्यादि सूत्र से विहित कारक षष्ठी का कर्मत्व शक्ति (धर्म) ही अर्थ है।

यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि कर्म आदि अर्थों में विहित द्वितीया आदि विभक्तियों का कर्मत्व आदि धर्म कैसे हो जाता है? इसके उत्तर में कौण्डभट्ट का कहना है--'सप्तमी पञ्चम्यौ कारकमध्ये (२।३।७) इति सूत्रे 'शक्तिः कारकम् इति पक्षस्य भाष्ये दर्शनात्'। अर्थात् 'सप्तमीपञ्चम्यौ' इत्यादि सूत्र में 'शक्तिः कारकम्' यह पक्ष देखा जाता है।

'देवदत्तस्य गौः ब्राह्मणाय गेहाद् गङ्गायां हस्तेन मया दीयते। यहां पर देवदत्त-सम्बन्धिनी जो गौ, उससे अभिन्न आश्रय वाला, त्यागानुकूल ब्राह्मण उद्देश्यक-गेहनिष्ठ विभाग का जनक, गङ्गाधिकरणक, हस्त रूप करणवाला मद्वृत्ति व्यापार-ऐसा शाब्दबोध होता है।

'यथायथम्' का अर्थ है पूर्वोक्त प्रकार से। तात्पर्य यह है कि यादृश अर्थ के बोधन में जो विभक्ति समर्थ होती है, उस विभक्ति का वही अर्थ समझना चाहिये।

---

१. कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामि-भावादिसम्बन्धः शेषः तत्र षष्ठी स्यात्। (सिद्धान्तकौमुदी-कारकप्रकरण-शेषे षष्ठी----२।३।५०)

ब्राह्मणोद्देश्यको गेहनिष्ठविभागजनको गङ्गाधिकरणको हस्तकरणको अग्निष्ठो व्यापार इति बोधः । यथायथम्—उक्तप्रकारेण ।

अत्र मानमुपदर्शयन् 'घटं जानाति' इत्यादौ द्वितीयाया विषयतया लक्षणेति बह्वाकुलं वदतो नैयायिकादीन् प्रत्याह—सुपां कर्मेति । अयं भावः—

सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम् ।
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु च ॥

इति वार्त्तिकतद्भाष्याभ्यां कर्मादिस्तद्वाच्यतायास्तन्नियमस्य च लाभः । तथा हि—स्वौजसमौट् (४।२।१) कर्मणि द्वितीया (२।३।२)

सावित्री

सुप् आदि विभक्तियों का 'कर्म' आदि धर्मों की वाचकता में प्रमाण प्रदर्शित करते हुये नैयायिक, मीमांसक आदि के मत का खण्डन करते हैं । 'घटं जानाति' इत्यादि स्थल में नैयायिक लोग द्वितीया विभक्ति की 'विषयता' अर्थ में लक्षणा करते हैं, उन नैयायिकों के मत का खण्डन करने के लिये अग्रिम श्लोक उपस्थित करते हैं—

सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम् ।
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु च ॥

सुपों का कर्म करण संख्या आदि अर्थ होता है तथा तिङों का भी यही अर्थ होता है । इसमें अर्थनियम तथा प्रकृत अर्थ की अपेक्षा कर प्रत्यय नियम प्रसिद्ध है ।

उक्त वार्त्तिक तथा भाष्य से विभक्तियों की पूर्वोक्त प्रकार के नियम (अर्थनियम, प्रत्ययनियम) का लाभ होता है । 'स्वौजसमौट्', 'कर्मणि द्वितीया', 'द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने' इत्यादि सूत्रों की एकवाक्यता होने से विभक्तियों की कर्म करण आदि तथा संख्या अर्थ की वाच्यता का लाभ होता है । साथ ही दो प्रकार के नियम का लाभ होता है—

(१) अर्थनियम । (२) शब्दनियम ।

जिस नियम से अर्थ का नियमन होता है वह अर्थनियम कहलाता है । जैसे—"कर्मणि द्वितीयैव" अर्थात् कर्म अर्थ में द्वितीया ही होती है । करणे तृतीयैव-इत्यादि । इस नियम के अनुसार कर्मरूप अर्थ द्वितीया का ही होता है अन्य विभक्ति का नहीं ।

इति, द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने (१।४।२२) इत्यादेः, लस्य (३।४।७७) तिप्तस्झि (३।४।७९), तान्येकवचनद्विवचन (१।४।१०१) इत्यादेरेकवाक्यतया कर्मादेस्तत्सङ्ख्यायाश्च वाच्यता लभ्यते—द्वितीया कर्मण्येव, तृतीया करणे एवेत्येवमादिः शब्दनियमः। कर्मणि द्वितीयैव, करणे तृतीयैवेत्येवमर्थनियमश्च। उभयथाऽपि सिद्धनियमविरुद्धलक्षणादिकमसाधुत्वप्रयोजकमिति 'याज्ञे कर्मणि नानृतं वदेत्' इति निषेधविषयो भवत्येवेति स्वेच्छया लक्षणाऽपि विभक्तावप्रयोजिकैव। अत एव 'विभक्तौ न लक्षणा' इत्यादिनैयायिकवृद्धानां व्यवहार इति दिक् ॥२४॥

सावित्री

यहाँ कर्म रूप अर्थ का ही नियमन होता है द्वितीया का नहीं। द्वितीया यदि अन्य अर्थ में प्राप्त होगी तो उसमें भी होगी।

'शब्दनियम' को ही प्रत्यय नियम भी कहते हैं। जिस नियम से प्रत्यय पर प्रतिबन्ध हो वह प्रत्यय नियम या शब्द नियम कहलाता है। जैसे—कर्मण्येव द्वितीया, करणे एव तृतीया। अर्थात् 'कर्म' अर्थ में ही द्वितीया होती है, करण अर्थ में ही तृतीया होती है। इससे द्वितीया, तृतीया आदि विभक्तियों पर ही प्रतिबन्ध होता है। अर्थान्तर में ये विभक्तियां नहीं होगी। नियम है—यत एवकारस्ततोऽन्यत्र नियमः अर्थात् 'एव' जिसके साथ रहता है उससे अन्य पर प्रतिबन्ध करता है।

इस प्रकार शब्दनियम तथा अर्थनियम, दोनों प्रकार से सिद्ध नियम का विरोध होता है। यदि द्वितीया आदि विभक्तियों की विषयता आदि अर्थ में नैयायिकों की लक्षणा मान ली जाती है तो लक्षणा असाधुत्व की प्रयोजिका होगी। असाधु होने पर यज्ञ कर्म में 'नानृतं वदेत्' इस शास्त्रीय नियम के उल्लङ्घन प्रयुक्त दोष की भाँति लक्षणा करना दोषयुक्त होगा।

यदि स्वेच्छया कोई विभक्तियों की तत्तद् अर्थों में लक्षणा करे तो वह अप्रामाणिक होगी। अप्रामाणिक होने से असाधुत्व की प्रयोजिका होगी। इसलिये लक्षणा मानने पर न केवल वैयाकरणों से विरोध होगा अपि तु प्राचीन नैयायिकों के 'विभक्तौ न लक्षणा' इस सिद्धान्त से भी विरोध होगा।

इस प्रकार वैयाकरणभूषणसार के सुबर्थनिर्णय प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई।

॥ अथ नामार्थनिर्णयः ॥

नामार्थमाह—

> एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पञ्चकं तथा।
> नामार्थ इति सर्वेऽमी पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः ॥२५॥

सावित्री

'नाम' अर्थात् 'प्रातिपादिक' का अर्थ निरूपण करते हुये कहते हैं कि इस बारे में शास्त्र में अनेक मत हैं। कुछ के अनुसार प्रातिपादिक का एक अर्थात् जाति मात्र अर्थ है, अन्य के मत में जाति और व्यक्ति दो अर्थ होते हैं। कुछ दूसरों के मत में—प्रातिपादिक के तीन अर्थ होते हैं—जाति, व्यक्ति और लिङ्ग। कुछ लोग 'नाम' का जाति, व्यक्ति, लिङ्ग संख्या—ये चार अर्थ मानते हैं। एक अतिरिक्त पक्ष के अनुसार 'नाम' के पाँच अर्थ होते हैं—जाति, व्यक्ति, लिङ्ग, संख्या और कारक।

नामार्थ के सम्बन्ध में उक्त सभी पक्ष व्याकरण शास्त्र में प्रतिपादित हैं—एक अर्थात् जाति मात्र प्रातिपादिक का अर्थ है. इस बारे में 'जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्' (१-२-५८) यह सूत्र प्रमाण है। इसके अनुसार पदार्थ का जाति अर्थ रहने पर बहुवचन विकल्प से होता है। जैसे—सम्पन्नाः यवाः, सम्पन्नो यवः। यहाँ 'सम्पन्नो' यवः में एक वचन रहने पर भी बहुत जौ का बोध होता है। यदि व्यक्ति ही पदार्थ अभीष्ट रहता तो 'सम्पन्ना व्रीहयः' इत्यादि में व्यक्ति के अनेक रहने से बहुवचन स्वतः सिद्ध था बहुवचन विधान के लिये 'जात्याख्यायाम्' इस सूत्र का आरम्भ क्यों करते ? सूत्र के आरम्भ सामर्थ्य से जाति के पदार्थ होने का निश्चय होता है। इसके अतिरिक्त जाति को प्रातिपादिक का अर्थ मानने में "सवर्णऽग्रहणमपरिभाष्यम्, आकृतिग्रहणात् सिद्धम्" यह वार्तिक तथा "आकृतिं वाजप्यायनः" यह "सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१-२-६४) सूत्र का भाष्य भी प्रमाण है।

'प्रातिपादिक' का व्यक्ति अर्थ है इस बारे में 'सरूपाणामेकशेष एक विभक्तौ" (१-२-६४) यह सूत्र प्रमाण है। यदि जाति ही पदार्थ अभीष्ट रहता तो भगवान पाणिनि एकशेष विधायक सूत्र का आरम्भ न करते क्योंकि जाति के एक रहने से ही 'एकशेषः' में एक शब्द का प्रयोग रहता और उसी से जात्यवच्छिन्नसकलव्यक्ति की उपस्थिति हो जाती, अनेक व्यक्ति के कथन के लिये अनेक शब्द प्रयोग की आशंका न होती। तब अनेक

एकम् = जातिः, लाघवेन तस्या एव वाच्यत्वौचित्यात्, अनेकव्यक्तीनां वाच्यत्वे गौरवात्।

न च व्यक्तीनामापि प्रत्येकमेकत्वाद्धिनिगमनाविरहः एवं हि एकस्यामेव व्यक्तौ शक्त्यभ्युपगमे व्यक्त्यन्तरे लक्षणायां स्वसमवेताश्रयत्वसंसर्ग इति गौरवम्, जात्या तु सहाश्रयत्वमेव संसर्ग इति लाघवम्।

सावित्री

व्यक्ति का प्रसङ्गवारण के लिये सूत्रकार एकशेष सूत्र का आरम्भ क्यों करते? एकशेष विधायक सूत्र के आरम्भ से "व्यक्ति पदार्थ है" ऐसा निश्चय होता है।

जाति और व्यक्ति—दोनों प्रातिपादिकार्थ हैं, इसमें महाभाष्य प्रमाण है। पश्पशाह्निक में भाष्यकार ने प्रश्न उठाया है—'किं पुनराकृतिः पदार्थः, आहोस्विद् द्रव्यम्? उभयमित्याह। कथं ज्ञायते? उभयथा ह्याचार्येण सूत्राणि पठितानि जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्। द्रव्यं पदार्थं मत्वा सरूपाणामित्येकशेष आरभ्यते'॥

भाष्यकार ने यह भी कहा है—'न हि आकृति पदार्थः द्रव्यं न पदार्थः, उभयोरुभयं पदार्थ इति'।

इससे जातिविशिष्ट व्यक्ति अर्थात् द्विकं प्रातिपदिकार्थ है, इसमें "स्वमोर्नपुंसकात्" (७-१-२३) यह सूत्र प्रमाण है। इस सूत्र से नपुंसक अर्थ में विद्यमान प्रातिपादिक से परे सु, अम् के लुक् का विधान किया गया है। यदि प्रादिपदिक का लिङ्ग अर्थ न रहता तो नपुंसक अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक कहाँ मिलता जिससे परे सु-अम्-के लुक् का विधान होता।

संख्या भी प्रातिपदिक का अर्थ है इसमें "द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने" (१-४-२२), "बहुषु बहुवचनम्" (१।४।२१) इत्यादि सूत्र ही प्रमाण हैं।

कारक भी प्रातिपदिक का अर्थ है इसमें कर्मणि द्वितीया (२।३।२) कर्तृकरणयोस्तृतीया (२।३।१८) इत्यादि सूत्र प्रमाण है।

किञ्चैवं विशिष्टवाच्यत्वमपेक्ष्य नागृहीतविशेषणन्यायाज्जातिरेव वाच्येति युक्तम्, व्यक्तिबोधस्तु लक्षणया। एवञ्च तत्र विभक्त्यर्थान्वयोऽप्युपपद्यते इति दिक्।

सावित्री

'एकं नामार्थः' में एकम्' का तात्पर्य जाति से है। जाति के एक होने से एक विषयक शक्ति भी एक ही रहती है। इसलिये लाघव होने से जाति को प्रातिपदिक का वाच्य मानना उचित है। प्रति व्यक्ति में शक्ति मानने पर शक्तियाँ अनन्त हो जायेंगी जिससे गौरव होगा।

यदि यह कहें कि जाति की भाँति व्यक्ति में शक्ति मानने पर भी प्रत्येक व्यक्ति में एकत्व धर्म समान रूप से लगा रहेगा। इसलिये व्यक्ति में शक्ति मानने पर भी गौरव होने का कोई प्रश्न नहीं है?

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि व्यक्ति में शक्ति मानने पर एक शब्द ही व्यक्ति रूप अर्थ का बोध करा सकेगा। उससे व्यक्त्यन्तर का बोध कराने के लिये लक्षणा करनी होगी। लक्षणा में स्वसमवेताश्रयत्व-संसर्ग (सम्बन्ध) मानना पड़ेगा जिससे गौरव होगा। यहाँ 'स्व' पद का अर्थ है व्यक्ति, उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाली जो जाति उस जाति का आश्रयत्व सम्बन्ध व्यक्त्यन्तर में रहेगा। अतः उससे व्यक्त्यन्तर का बोध होगा। इसे इस प्रकार समझना चाहिये जैसे—'स्व' पद से अभिमत पीत गो व्यक्ति है, उससे समवेत अर्थात् उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाली जो गोत्व जाति, उस जाति का आश्रयत्व श्वेत गो भी रहेगा। अतः लक्षण समन्वय हो गया।

जाति में शक्ति मानने पर भी व्यक्ति बोध के लिये यद्यपि लक्षणा करनी पड़ेगी किन्तु यह लक्षणा सरल होगी। यहाँ 'सहाश्रयत्व' अर्थात् स्वाश्रयत्व सम्बन्ध मानना है। जैसे—'स्व' का अर्थ होगा, गोत्व आदि जाति, उसका आश्रयत्व सकल गो व्यक्ति में रहेगा। अतः सुगमता से लक्षण समन्वय हो गया।

इस प्रकार जाति-व्यक्ति, उभय पक्ष में लक्षणा आवश्यक होने पर भी जाति लक्षणा करने पर स्वाश्रयत्व-रूप शक्य सम्बन्ध से लक्षणा होती है जब कि व्यक्ति में शक्ति स्वीकार करने पर 'स्वसमवेताश्रयत्व' रूप शक्य-सम्बन्ध मानना पड़ता है। यही व्यक्ति के शक्ति पक्ष में गौरव है।

यद्वा केवलव्यक्तिरेव एकशब्दार्थः, केवलव्यक्तिपक्षे एवाणग्रहणस्य; एकशेषस्य चारम्भेण तस्यापि शास्त्रसिद्धत्वात्। युक्तश्चैतत्—व्यवहारेण व्यक्तावेव तद्ग्रहणात्। सम्बन्धितावच्छेदकस्य (सम्बन्धितावच्छेदिकायाः) जातेरैक्याच्छक्तिरप्येकैवेति न गौरवमपि।

न चैवं घटत्वमपि वाच्यं स्यात्, शक्यतावच्छेदकत्वात्, तथा च 'नागृहीतविशेषणन्यायात्' तदेव वाच्यमस्त्विति शङ्क्यम्, अकारण-

---

सावित्री

यहाँ यह आशंका होती है कि व्यक्ति में शक्ति मानने पर भी अमुक शब्द में एतद् व्यक्ति निरूपित शक्ति है—इसमें कोई विनिगमक न होने से जात्याश्रय रूप से क्रोडीकृत सकल व्यक्तियों में शक्ति सिद्ध हो जायेगी न लक्षणा करनी पड़ेगी और न शक्ति का आनन्त्य रूप गौरव ही होगी। इस प्रकार कोई दोष न होने से व्यक्ति में शक्ति मानना उचित होगा।

इस पूर्व पक्ष का उत्तर उपस्थित करने के लिये कौण्डभट्ट ने लिखा है— 'किञ्चैवमिति'।

अर्थात् व्यक्ति पक्ष में जाति से अनुगतीकृत व्यक्ति में शक्ति स्वीकार करने पर 'जाति विशिष्ट व्यक्ति' में शक्ति है—ऐसा मानना पड़ता है। नियम—"नागृहीतविशेषणा-बुद्धिर्विशेष्यमवगाहते"। अर्थात् विशेषण का ज्ञान न कराने वाली बुद्धि, विशेष्य का ज्ञान नहीं करा सकती। 'नागृहीत में दो नञ् का ग्रहण होने से आदि में विशेषण ज्ञान आवश्यक है—यह सूचित होता है। इसलिये विशेष्य ज्ञान से पूर्व विशेषण का ज्ञान आवश्यक है। विशेषण का ज्ञान करा देने पर उतने से ही शब्द की शक्ति क्षीण होकर विशेष्य का ज्ञान नहीं करा सकेगी। कहा है—

'विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे' अर्थात् शब्द की अभिधा शक्ति विशेषण का बोध कराने में क्षीण होने से विशेष्य का ज्ञान नहीं करा सकती है। ऐसी स्थिति में जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति का पक्ष भी गौरवग्रस्त होने से त्याज्य है। अतः व्यक्ति में ही शक्ति मानना उचित है। वहाँ व्यक्ति का बोध स्वाश्रयत्व सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा हो जायेगा। लक्षणा स्वीकार कर लेने पर लक्षणावृत्ति से व्यक्ति की उपस्थिति होगी, इसलिये उसमें विभक्त्यर्थ का अन्वय भी हो जायेगा क्योंकि नियम है—

'प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम्' अर्थात् प्रत्यय अपने प्रकृत्यर्थ में अन्वित होकर स्वार्थ का बोध कराते हैं।

त्वेऽपि कारणतावच्छेदकत्ववत्, अलक्ष्येऽपि लक्ष्यतावच्छेदकत्ववत्तथा-त्रापि सम्भवात्।

सावित्री

अथवा 'एकम् द्विकं त्रिकं चापि' इत्यादि कारिका में केवल व्यक्ति ही नामार्थ है— ऐसा एक शब्द का अर्थ है। यह कहने से जाति को नामार्थ मानने का पक्ष व्यावृत्त हो जाता है। केवल व्यक्ति में शक्ति मानने पर ही 'अणुदित्' (१।१।६९) सूत्र का अण् ग्रहण तथा एकशेष विधायक "सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ" (१।२।६४) सूत्र का आरम्भ सार्थक होता है। "जातिविशिष्ट व्यक्ति" की शक्ति मानने के पक्ष में "तत्तज्जाति-प्रकारक-तदाश्रय-विशेष्यकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्न" के प्रति तत्तज्जात्यवच्छिन्न-विशेष्यताक-शक्तिज्ञान को कारण मानना होगा। ऐसा होने पर 'अ' इत्यादि पद से ही अत्वजात्यवच्छिन्न सकल व्यक्ति का भान सम्भव होने से 'अणुदित्' सूत्र का अण् ग्रहण व्यर्थ हो जायेगा। केवल जाति शक्ति पक्ष में 'अण्' ग्रहण का वैयर्थ्य सुस्पष्ट है; क्योंकि जाति पक्ष में जब सभी वर्ण अपने जात्यवच्छिन्न सकल व्यक्ति का बोध कराते हैं तो 'अण्' प्रत्याहार के अन्तर्गत वर्ण भी अपने जात्यवच्छिन्न सभी वर्ण का बोध करा देते हैं, पुनः सवर्ण का ग्रहण कराने के लिये 'अण्' ग्रहण व्यर्थ होता।

इसी प्रकार केवल व्यक्ति पक्ष में, तथा जातिविशिष्टव्यक्तिशक्ति पक्ष में जाति से व्याप्त अनेक व्यक्ति का एक ही शब्द से अभिधान सम्भव था पुनः द्वित्व, बहुत्व के कथन के लिये द्वित्व, बहुत्व शब्दों के वारण हेतु सूत्रकार एकशेषशास्त्र का आरम्भ न करते। केवल व्यक्ति पक्ष में एक शब्द से एक ही व्यक्ति का कथन होता, दो आदि व्यक्ति के बोध के लिये दो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होने लगता। इसलिये 'एक' शब्द से अधिक की निवृत्ति पूर्वक एक ही स्थिति के लिये एकशेष शास्त्र का आरम्भ किया गया है। अतः इस शास्त्र के आरम्भ से यह सिद्ध होता है कि पाणिनि को व्यक्ति पक्ष अभीष्ट था और यही उचित भी था क्योंकि व्यवहार में केवल व्यक्ति का ही ग्रहण होता है। साथ ही सम्बन्धितावच्छेदक अर्थात् शक्यतावच्छेदक जाति के एक होने से शक्ति भी एक ही रहती, अनेक न होती। इस प्रकार अनन्त शक्ति होने का गौरव रूप दोष भी न होता।

यदि यह आशङ्का करें कि जाति को शक्यतावच्छेदक मानने पर 'घट' का वाच्य अर्थ घटत्व भी होगा क्योंकि वही शक्यतावच्छेदक है। तथा 'नागृहीतविशेषण' न्याय अर्थात् विशिष्टज्ञान में विशेषणज्ञान कारण होता है इसके द्वारा घटत्व जाति भी शक्यता-वच्छेदक होने लगेगी। इसके उत्तर में ग्रन्थकार का मत है कि जाति के शक्यतावच्छेदक होने पर भी व्यक्ति ही वाच्य है, जाति (धर्म) अन्यथा सिद्ध है। जैसे अकारण में

उक्तश्च—

आनन्त्येऽपि हि भावानामेकं कृत्वोपलक्षणम् ।
शब्दः सुकरसम्बन्धो न च व्यभिचरिष्यति ॥ इति ॥

सावित्री

कारणतावच्छेदक रहता है, अलक्ष्य में लक्ष्यतावच्छेदक रहता है वैसे ही यहाँ अशक्य में भी शक्यतावच्छेदक रहता है उदाहरण के लिये 'दण्डेन घटः' में घट के प्रति घट कारण है, घटत्व नहीं किन्तु वह कारणतावच्छेदक है। इसी प्रकार 'गङ्गायां घोषः' में गङ्गा का लक्ष्य अर्थ 'तट' है तटत्व नहीं, किन्तु 'तटत्व' लक्ष्यतावच्छेदक है। ऐसे हो यहाँ भी समझना चाहिये।

घटत्व आदि घट पद का शक्तावच्छेदक होते हुये भी घट पद का शक्य अर्थ नहीं है। कहा भी है—व्यक्तियों के अनन्त होने पर भी एक जाति रूप धर्म को उपलक्षण मान कर शब्द सुग्राह्य वाच्यता सम्बन्ध वाला हो जाता है और कहीं व्यभिचरित नहीं होता है अर्थात् असम्बद्ध व्यक्ति का बोध नहीं कराता है। जाति आदि उपलक्षण का यह स्वभाव होता है कि अपने में व्याप्त सभी व्यक्तियों को शक्तिग्रह का विषय बनाकर स्वयं शक्तिग्रह एवं बोध का विषय बनता है।

वस्तुतः जाति शक्तिवाद में आनयन आदि क्रिया के साथ अन्वय के लिये व्यक्ति बोध आवश्यक है और व्यक्तिशक्तिपक्ष में आनन्त्य आदि दोष के कारण उपलक्षण रूप से जाति का आश्रयण आवश्यक है—इस स्थिति में दोनों पक्षों के सदोष होने के कारण विशिष्टशक्तिवाद (जातिविशिष्ट व्यक्तिशक्तिवाद) ही युक्त है। इसलिये सरूप के भाष्य में कहा है—

'न ह्याकृतिपदार्थस्य द्रव्यं न पदार्थः इति'। अर्थात् आकृति (जाति) पदार्थ है—इस पक्ष में द्रव्य (व्यक्ति) पदार्थ नहीं है—ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार द्रव्य (व्यक्ति) पदार्थपक्ष में आकृति (जाति) पदार्थ नहीं है— ऐसा भी नहीं समझना चाहिये, बल्कि उभय पक्ष में उभय पदार्थ हैं। हाँ, जाति पदार्थपक्ष में जातिप्रधान और व्यक्ति गौण होती है तथा व्यक्तिपदार्थ पक्ष में व्यक्ति प्रधान और जाति गौण रहती है। इसलिये जातिविशिष्टव्यक्ति में शक्ति मानना उचित है।

परन्तु जातिविशिष्टव्यक्ति अर्थात् जाति और व्यक्ति दोनों में शक्ति मानने पर 'एकं नामार्थः' यह कहना विरुद्ध होगा—इसलिये 'एकम्' का अभिप्राय है कि 'जाति-विशिष्टव्यक्ति' के शक्तिपक्ष में शक्तिज्ञानीय कारणता में विषयतासम्बन्ध से जाति ही

वस्तुतस्तु "नह्याकृतिपदार्थस्य द्रव्यं न पदार्थः" इति भाष्याद् विशिष्टं वाच्यम्। एकमित्यस्य चायमभिप्रायः—शक्तिज्ञाने च विषयतयाऽवच्छेदिका जातिरेकैव। तथा च घटत्वविशिष्टे बोधे घटत्वांशेऽन्याप्रकारक-घटत्वशक्तिज्ञानत्वेन हेतुतेति कार्यकारणभाव इत्यादि प्रपञ्चितं भूषणे। तदेतदभिप्रेत्याह—द्विकमिति—जातिव्यक्ती इत्यर्थः। पूर्वपक्षाद् विरोधपरिहारः पूर्ववत्।

त्रिकमिति—जाति-व्यक्ति-लिङ्गानीत्यर्थः। सत्त्वरजस्तमोगुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम्। आधिक्यं पुंस्त्वम्, अपचयः स्त्रीत्वम्।

सावित्री

अवच्छेदिका है, व्यक्ति नहीं। क्योंकि व्यक्तिविषयक ज्ञान होने से उसमें कारणता नहीं रहती है। यहाँ शक्तिज्ञान कारण एवं शाब्दबोध कार्य होता है। घटत्वविशिष्टघटविषयकज्ञान में 'घटत्व प्रकारक घटविशेविष्यक' ज्ञान कारण होता है किन्तु 'घटत्व' ज्ञान में घटत्वत्व प्रकारक शक्तिज्ञान कारण नहीं होता है क्योंकि अनुल्लिख्यमान (अनुच्चार्यमाण) जाति का स्वरूपतः भान होता है। इसलिये घटत्वविशिष्टबोध के 'घटत्व' अंश में अन्य प्रकारकशक्तिज्ञान का कारण नहीं होता है—ऐसा कार्यकारणभाव वैयाकरणभूषण में विस्तार से विचार किया गया है।

इस प्रकार जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति स्वीकारकर भूषणकार ने कहा है—द्विकमिति। अर्थात् दो (जाति और व्यक्ति) नामार्थ है। जाति और व्यक्ति दोनों को पृथक् पदार्थ मानकर दो कहा गया है।

'द्विकं नामार्थः' कहने पर एकं नामार्थः' इस पक्ष का जो विरोध होता है उसका परिहार पूर्वोक्त प्रकार से करना चाहिये। द्विकम् इस पक्ष में भी शाब्दबोध में कारणतावच्छेदक जाति एक ही लभ्य है—ऐसा मानने से सभी पक्ष में विरोध का परिहार हो जाता है अन्यथा 'एकम्' पक्ष में एक को तथा द्विकम्' पक्ष में दो को नामार्थ मानने पर परस्पर विरोध बना रहता। यहाँ जाति और व्यक्ति दोनों को पदार्थ मानने में विषयितारूप से प्रकारता-विशेष्यता स्वीकार कर "विषयितयाऽवच्छेदकत्वं शक्तिः" यह मानने पर दोनों का नामार्थत्व सिद्ध हो जाता है और परस्पर विरोध भी नहीं होता है।

'त्रिकम्' कहने से जाति, व्यक्ति और लिङ्ग को प्रातिपदिकार्थ समझना चाहिये। यहाँ भूषणकार ने 'स्तनकेशवती नारी' इत्यादि लिङ्ग के लक्षण को शास्त्रीयप्रक्रिया के लिये

तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यश्च तमेव विरुद्धधर्ममादाय तटादिशब्दा भिद्यन्ते ।

केषाञ्चिदनेकलिङ्गत्वव्यवहारस्तु समानानुपूर्वीकत्वेन शब्दानामभेदारोपात् । एवञ्च पदार्थपदे पुँस्त्वमेव । व्यक्तिपक्षे स्त्रीत्वमेव । वस्तुपदे नपुंसकत्वमेव इति सर्वत्रैव 'अयं पदार्थः' 'इयं व्यक्तिः' 'इदं वस्तु' इति व्यवहारः, तटः, तटी; तटमिति चोपपद्यते ।

तच्च लिङ्गमर्थपरिच्छेदकत्वेन अन्वेति इति पश्वादिशब्दोक्तम्—

सावित्री

उपयोगी न मानकर 'स्त्रियाम्' (४।१।३) सूत्र के भाष्य के अनुसार कहा है कि सत्त्व, रज, तमोगुण की साम्यावस्था नपुंसकत्व है। पदार्थमात्र की उत्पत्ति त्रिगुणात्मक प्रकृति से होती है उसमें पूर्वकाल की स्थिति से सत्त्वादि गुणों का आधिक्य पुंस्त्व तथा न्यूनता को स्त्रीत्व समझना चाहिये।

यहाँ यह शंका होती है कि गुणों का आधिक्य-न्यूनता आदि परस्पर विरुद्धधर्म है। इन विरुद्धधर्मों का तट आदि एक ही अर्थ में समावेश सम्भव नहीं है, तब तट आदि एक ही शब्द में तटः, तटी, तटम्—इत्यादि अनेक लिङ्ग का व्यवहार कैसे होता है ? इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है लिङ्ग-जाति-गुण-क्रिया आदि के भेद से भिन्नत्व तत्तद् शब्दों में रहता है और स्वाश्रयशब्द से वाच्य होता है। इसलिये लिङ्ग के अर्थनिष्ठ होने की आशंका नहीं करनी चाहिये। शब्द में रहने वाले उन पुंस्त्व आदि धर्मों के भेद से तट आदि एक ही शब्द भिन्न-भिन्न हो जाते हैं।

वैसे तट आदि अनेक लिङ्गों में व्यवहृत होने वाले शब्द ही नहीं, अपि तु भिन्न-भिन्न हैं। उन विभिन्न 'तट' शब्दों की आनुपूर्वी एक होने से अभेद का आरोपकर एक शब्द में अनेक लिङ्ग व्यवहार की आशंका होती है।

इस पारिभाषिक लिङ्ग के शब्दनिष्ठ होने से पदार्थ, व्यक्ति और वस्तु—आदि शब्दों में क्रमशः पुंस्त्व, स्त्रीत्व, नपुंसकत्व का व्यवहार होता। इसीलिये 'अयं पदार्थः' 'इयं व्यक्तिः' 'इदं वस्तु' इत्यादि व्यवहार उपपन्न होता है तथा पुंस्त्व आदि के भेद से भिन्न-तट आदि शब्दों में तटः, तटी, तटम् व्यवहार होता है।

वह शब्द निष्ठ लिङ्ग अर्थ भेदक होकर अन्वित होता है। उदाहरण के रूप में कहा है—पशु आदि शब्द से उक्त लिङ्ग अर्थ का परिच्छेदक (भेदक) होकर अन्वित

'पशुः स्त्रियां नास्ति' इति 'पशुना' इत्यादिविधिर्न छाग्यादीनङ्गत्वेन प्रयोजयतीति विभावनीयम् ।

न च व्यक्त्यादिशब्दोक्तलिङ्गस्येव पश्वादिशब्दोक्तस्यापि साधारण्यं शङ्क्यम्, व्यक्तिशब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वेन तथा सम्भवेऽपि पशुशब्दस्य नित्यपुँल्लिङ्गत्वे प्रमाणाभावात् ।

पश्वा न तायुं गुहा चरन्तम् (ऋ॰ वे॰ म॰ १ अनु॰ १२ सू॰ ६५), 'पश्वे नृभ्यो यथा गवे' (ऋ॰ वे॰ अ॰ १ अ॰ ३ व॰ २६) इत्यादि वेदे दर्शनाच्च । मीमांसायां चतुर्थे 'पशुना यजेत' इत्यत्रै-कत्व-पुंस्त्वयोर्विवक्षितत्वान्नानेकपशुभिः पशुस्त्रिया वा याग इति प्रतिपादितत्वाच्च ।

सावित्री

होता है । 'पशुना यजेत' इस वाक्य के अन्तर्गत 'पशु' शब्द 'आङो नाऽस्त्रियाम्' (७।३।१२०) से नाभाव होकर पुंस्त्व का बोधन कराता है । 'पशुः स्त्रियां नास्ति' इस हेतु से 'पशुना यजेत' यह विधि छागी आदि को यज्ञ के अङ्ग रूप में ग्रहण नहीं कराती है ऐसा समझना चाहिये । यदि स्त्रीपशु याग के अङ्ग रूप में विवक्षित रहता तो पशु शब्द के तृतीया एकवचन में 'पशुना' प्रयोग न किया जाता क्योंकि 'आङो नाऽस्त्रियाम्' से नाभाव स्त्रीलिङ्ग से भिन्न में ही होता है । नामान्त पशु शब्द के प्रयोग से पुम्पशु ही याग का अङ्ग होता है—ऐसा निर्णय किया जाता है ।

यदि यह कहें कि जैसे व्यक्ति आदि शब्द नित्य स्त्रीलिङ्ग होते हुये भी साधारणतया स्ववाच्यत्व सम्बन्ध से पुं-स्त्री-नपुंसक आदि सभी सम्बद्ध होकर सभी लिङ्गों में प्रयुक्त होते हैं किसी लिङ्ग के व्यावर्त्तक नहीं होते हैं । उदाहरण के रूप में पुरुष के लिये 'अयं व्यक्तिः' स्त्री के लिये 'इयं व्यक्तिः' ऐसा प्रयोग होता है वैसे ही पशुशब्द भी स्वाश्रयवाच्यत्व सम्बन्ध से 'पुं-स्त्री' दोनों लिङ्गों में होगा और दोनों पशुओं से सम्बद्ध होने के कारण स्त्रीपशु छागी आदि से यज्ञ करने की आपत्ति होगी । इसके उत्तर में कहा है कि 'स्त्रियां क्तिन्' (३।३।९४) इस सूत्र से विहित 'क्तिन्' प्रत्ययान्त 'व्यक्ति' शब्द नित्य-स्त्रीलिङ्ग होने से पुंस्त्व-स्त्री-आदि सभी लिङ्गों में साधारण होने से भले ही अन्य लिङ्ग का व्यावर्त्तक न हो किन्तु पशु शब्द के नित्य पुल्लिङ्ग होने में कोई प्रमाण नहीं है । वेद में

वस्तुतस्तु विशेषविध्यभावे उप्रत्ययान्तानां पुंस्त्वस्य व्याकरणेन निर्णीतत्वाद् वेदभाष्येऽपि 'जसादिषु छन्दसि वा वचनम्' इति नाभावाभाव इत्युक्तेः पशुशब्दस्य नित्यपुंस्त्वनिर्णयात्। प्रकृते 'छागो वा मन्त्रवर्णात्' इति न्यायेनैव निर्णयः। मन्त्रवर्णे हि 'छागस्य वपाया मेदसः' इति श्रूयते। तत्र छागस्येति छाग्यामसम्भावितम्, इति भवति ततः पुंस्त्वनिर्णय इति विस्तरेण प्रपञ्चितं भूषणे।

सावित्री

पशु शब्द का प्रयोग स्त्रीलिङ्ग में देखा जाता है। ऋग्वेद का मन्त्र है—'पश्वा न तायुं गुहा चरन्तम्' (१।१२।६५), 'पश्वे नृभ्यो यथा गवे' (१।३।२६)—इन मन्त्रों को देखने से सुस्पष्ट है कि पशुशब्द केवल पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त नहीं है।

मीमांसा के चतुर्थ अध्याय में 'पशुना यजेत' इस वाक्य के पशु शब्द से एकत्व और पुंस्त्व के विवक्षित होने के कारण अनेक पशु और स्त्रीपशु से याग नही करना चाहिये—यह प्रतिपादित किया गया है।

वस्तुतः जब तक कोई विशेषविधि न हो उप्रत्ययान्त का पुल्लिङ्ग होना व्याकरण से निर्णीत है। वेद भाष्य में भी 'जसादिषु छन्दसि वा वचनम्' इस वचन से नाभाव के अभाव का विधान किया गया है। यदि पशुशब्द नित्य पुल्लिङ्ग न होता तो स्त्रीलिंग पशु से नाभाव का अभाव स्वतः सिद्ध रहता। इससे भी पशु शब्द से नित्य पुल्लिङ्ग होने का निश्चय होता है। प्रकृत में 'छागो वा मन्त्रवर्णात्' इस न्याय से पशु शब्द का नित्य पुल्लिङ्ग होना निर्णीत होता है।

ज्योतिष्टोमयज्ञ के प्रकरण में कहा गया है—'अग्निषोमीयं पशुमालभेत'। इससे पशुके ग्रहण से 'पशुचोदनायामनियमोऽविशेषात्' (६।८।३०) इस जैमिनीयसूत्र से जिस किसी पशु के ग्रहण की आशंका कर 'छागो वा मन्त्रवर्णात्, (६।८।३१) इस वचन से छाग के ही ग्रहण का निश्चय होता है अश्व आदि का नहीं। वहाँ मन्त्र वाक्य में 'छागस्य वपाया मेदसः' ऐसा सुना जाता है। वहाँ 'छागस्य' में पुल्लिङ्ग के श्रवण से पुंस्त्वविशिष्ट का ही ग्रहण होता है। यहाँ 'छागस्य' यह प्रयोग छागी में असम्भव है। इसलिये पुल्लिङ्गपशु शब्द का निर्णय हो जाता है। इसका वैयाकरणभूषण में विस्तार से विवेचन किया गया है।

चतुष्कम्—सङ्ख्यासहितं त्रिकमित्यर्थः ।
पञ्चकम्—कारकसहितं चतुष्कमित्यर्थः ।

नन्वन्वय-व्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययस्यैव तद्वाच्यम्, तत एव लिङ्गादीनामुपस्थितौ प्रकृतिवाच्यत्वे मानाभावाच्चेति सत्यम्, प्रत्यय-वर्जिते 'दधि-पश्य' इत्यादौ प्रत्ययमजानतोऽपि बोधात् प्रकृतेरेव वाच-कत्वं कल्प्यते, लिङ्गानुशासनस्य प्रकृतेरेव दर्शनाच्च । अत एवैषु पक्षेषु न निर्बन्धः (प्रत्ययस्यैव वाचकताया युक्तत्वात्) ।

"द्योतिका वाचिका वा स्युर्द्वित्वादीनां विभक्तयः" ॥

इति वाक्यपदीये पक्षद्वयस्य व्युत्पादनात् । शास्त्र इति—बहुषु स्थलेषु व्युत्पादनं व्यञ्जयितुम्, प्राधान्येन तु सरूपसूत्रादौ व्यक्तम् ॥ १ ॥

सावित्री

'चतुष्कं नामार्थः' का तात्पर्य है कि संख्या सहित तीन (जाति, व्यक्ति, लिङ्ग) नामार्थ हैं । 'पञ्चकम्' कहने का अर्थ है कि कारक सहित चार (जाति-व्यक्ति-लिग-संख्या प्रतिपदिकार्थ हैं ।

अब तक के विवरण के अनुसार लिङ्ग, संख्या, कारक-आदि प्रतिपदिक के अर्थ हैं किन्तु अन्वय, व्यतिरेक से यह सिद्ध होता है लिङ्ग आदि प्रत्यय के अर्थ हैं । कहा जाता है—'तत्' सत्त्वे तत् सत्त्वम् 'अन्वयः'—अर्थात् 'कारणस्य सत्त्वे कार्यस्य सत्त्वम्' अन्वय कहलाता है । 'तदभावे तदभावः' अर्थात् 'कारणाभावे कार्याभावः' व्यतिरेक कहलाता है । 'अजा' इत्यादि में टाप् करने पर स्त्रीत्व की प्रतीति होती है, 'टाप्' के न रहने पर स्त्रीत्व की प्रतीति नहीं होती है । इससे सिद्ध है कि लिङ्ग प्रत्यय का अर्थ है ।

उसका खण्डन करते हुये ग्रन्थकार का कहना है कि 'दधि पश्य' इत्यादि वाक्य के 'दधि' पद में अम्-विभक्ति का लुक् हो गया है, अम् प्रत्यय के दिखाई न पड़ने पर भी नपुंसक लिङ्ग का बोध होता है । इसलिये उस लिङ्ग को प्रकृति (प्रातिपादिक) का ही अर्थ माना जाता है । इसके अतिरिक्त लिङ्गानुशासन में प्रकृति (प्रातिपदिक) से तत्तद् लिङ्ग का अनुशासन किया गया है । इसलिये ये लिङ्ग, संख्या-आदि प्रत्यय के अर्थ हैं अथवा प्रकृति के अर्थ

शब्दस्तावच्छाब्दबोधे भासते—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥

इत्याद्यभियुक्तोक्तेः ।

'विष्णुमुच्चारय' इत्यादावर्थोच्चारणासम्भवेन विना शब्दविषयं शाब्दबोधासङ्गतिश्चेति सोऽपि प्रातिपदिकार्थः ।

न च लक्षणया निर्वाहः, निरूढलक्षणायाः शक्त्यनतिरेकात् 'जबगडदशमुच्चारय' इत्यादौ शक्त्याग्रहेण शक्यसम्बन्धरूपलक्षणाया अग्रहाच्च ।

अज्ञातायाश्च वृत्तेरनुपयोगात् 'गावमुच्चारय' इति भाषाशब्दाना-मनुकरणे साधुतासम्प्रतिपत्तेः, तेषां शक्त्यभावेन परनये लक्षणाया असम्भवाच्चेत्यभिप्रेत्य षोढाऽपि क्वचित् प्रातिपदिकार्थ इत्याह—

सावित्री

है—इसमें कोई आग्रह नहीं करना चाहिये । दोनों पक्षों में युक्ति रहने पर भी लाघव के कारण लिङ्ग, संख्या, कारक आदि को प्रत्यय का ही अर्थ मानना चाहिये, क्योंकि अनन्त प्रकृति को स्त्रीत्व आदि का वाचक मानने की अपेक्षा टाप्-सु-आदि प्रत्यय को ही वाचक मानना उचित है । वाक्यपदीयकार के मत में भी विभक्तियाँ (प्रत्यय) द्वित्व आदि संख्या तथा लिङ्ग आदि की द्योतिका अथवा वाचिका होती हैं । तात्पर्य यह है कि यदि विभक्तियाँ लिङ्ग, संख्या आदि की वाचिका होंगी तो प्रकृति द्योतिका होगी ।

कारिका में 'पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः' यह कहकर बहुत स्थलों में इन पक्षों को प्रकट करने के लिये सामान्यतः शास्त्र शब्द का ग्रहण किया गया है । प्रधान रूप से 'सरूप०' सूत्र पर भाष्यकार ने सभी पक्षों का निरूपण किया है ।

नैयायिक लोग शब्द को शाब्दबोध का विषय नहीं मानते हैं पर वैयाकरण लोग मानते हैं । इसलिये अपने सम्प्रदाय का मत सुस्थिर करने के लिये ग्रन्थकार ने कहा है—शब्दस्तावच्छाब्दबोधे भासते । अर्थात् शब्द भी शाब्दबोध में भासित होता है । यदि ऐसा न होता तो 'घटमानय' इत्यादि वाक्यजन्यशाब्दबोध में 'घट' आदि शब्द का भान

शब्दोऽपि यदि भेदेन विवक्षा स्यात् तदा तथा।
नोचेच्छ्रोत्रादिभिः सिद्धोऽप्यसावर्थो व भासते ॥ २६

यद्यनुकार्यानुकरणयोर्भेदविवक्षा तदा शब्दोऽपि प्रातिपदिकार्थः। यदि न भेदविवक्षा तदा श्रोत्रादिभिरुपस्थितोऽप्यर्थवद् भासते। अपि-

---

सावित्री

नही होगा। शब्द का भान न होने पर वह प्रातिपदिकार्थ का साधन कैसे बनेगा। इसलिये शाब्दबोध में शब्द का ज्ञान होना आवश्यक है।

अभियुक्तों का कथन है कि संसार में शाब्दबोध का ऐसा कोई ज्ञान नही है जिसमें शब्द बोध का विषय न हो रहा हो क्योंकि सभी प्रकार का शाब्दबोधात्मक ज्ञान शब्द रूप विशेषण से अनुविद्ध अर्थात् नित्य सम्बद्ध हो कर ही भासित होता है।

यहाँ पुनः यह शंका होती है कि शाब्दबोध में शब्द का भान भले हो जाय पर वह नामार्थ कैसे हो सकता है ? इसके उत्तर में यह कहा गया है कि यदि 'विष्णुमुच्चारय' इस वाक्य के अन्तर्गत उच्चरित 'विष्णु' पद से विष्णु शब्द की उपस्थिति न हो तो लक्ष्मीपति रूप अर्थ का उच्चारण असम्भव होने से 'विष्णुमुच्चारय' इस वाक्य का शब्द विषयक अर्थ बोध अनुपपन्न हो जायगा। इसलिये 'शब्द' को भी प्रातिपदिक का अर्थ मानना आवश्यक है। इस प्रकार शब्द से अर्थवान्, स्वसमान आनुपूर्वी वाले स्ववाचक शब्द की उपस्थिति होती है। शब्द की उपस्थिति होने पर 'विष्णुमुच्चारय' इस वाक्य से 'विष्णुशब्दमुच्चारय' ऐसा अर्थ बोध होता है। इससे स्पष्ट है कि शब्द भी प्रातिपदिकार्थ है।

यहाँ 'स्ववाच्यवाचकत्वसम्बन्धरूप' लक्षणा से भी निर्वाह हो सकता है। जैसे— 'स्व' पद से गृहीत होगा विष्णु शब्द, उसका वाच्य होगा—लक्ष्मीपति रूप अर्थ, उसका वाचकत्व सम्बन्ध जायगा विष्णु शब्द में। इस रीति से लक्षण समन्वय होने पर 'विष्णुमुच्चारय' इस वाक्य का लक्षणा से 'विष्णुशब्दमुच्चारय' ऐसा अर्थ लाभ हो जायगा। अतः लक्षणा से निर्वाह हो जाने के कारण शब्द को प्रातिपदिकार्थ मानने की अपेक्षा नही है।

इस पूर्वपक्ष के उत्तर में ग्रन्थकार का यह मत है कि यहाँ लक्षणा से निर्वाह नहीं हो सकता है। लक्षणा दो प्रकार की होती है।—एक प्रयोजनवती तथा दूसरी निरूढा। प्रयोजनवती लक्षणा इसलिये नही हो सकती है कि यतः 'गङ्गायां घोषः' में शैत्यपावनत्व प्रतीति-प्रयोजन की भाँति यहाँ कोई प्रयोजन नही है। यदि निरूढा लक्षणा मानते हैं तो वह

हेतौ, उपस्थितत्वाद् भासते इत्यर्थः । अयं भावः — अनुकार्यानुकरणयो-र्भेदेऽनुकार्यस्य पदानुपस्थितत्वात् तत्सिद्धये शक्तिरुपेया, अभेदे प्रत्यक्षे विषयस्य हेतुत्वात् स्वप्रत्यक्षरूपां पदजन्योपस्थितिमादाय शाब्दबोध-विषयतोपपत्तिरिति ।

यद्यप्यतिप्रसङ्गवारणाय वृत्तिजन्यपदोपस्थितिरेव हेतुः, तथा-प्यत्राश्रयतया वृत्तिमत्त्वस्य सत्त्वान्नानुपपत्तिः । निरूपकताऽऽश्रयताऽ-

---

सावित्री

शक्तिस्वरूप ही है। जैसे अनादि तात्पर्य से यह जाना जाता है कि अमुक शब्द की अमुक अर्थ में शक्ति है वैसे निरुढा लक्षणा भी अनादि तात्पर्य ज्ञान के अधीन होती है। इसके अतिरिक्त सर्वत्र लक्षणा से निर्वाह सम्भव भी नहीं है। यथा— 'जबगडदशमुच्चारय' इत्यादि वाक्य में 'जबगडदश' रूप वर्ण समुदाय का कोश आदि के द्वारा कोई शक्य अर्थ नहीं है। शक्य अर्थ के अभाव में 'स्वशक्यरूप लक्षणा' का समन्वय कैसे होगा। यदि यह कहें कि 'जबगडदश्' इत्यादि वर्णसमूह का कोई अर्थ भले न हो पर एकाक्षरकोश आदि के बल से ज, ब, ग् इत्यादि प्रत्येक वर्ण का शक्य अर्थ प्रसिद्ध है। इसलिये शक्यार्थ-सम्बन्ध रूप लक्षणा हो जायगी। इसका उत्तर है कि 'जबगडदश्' इस समुदाय के अवयव प्रत्येक वर्ण का कोई अर्थ भले प्रसिद्ध हो किन्तु समुदाय का किसी अर्थ विशेष में शक्ति ज्ञात (प्रसिद्ध) नहीं है, समुदाय की शक्ति ज्ञात न रहने पर शक्यसम्बन्धरूपलक्षणा का ज्ञान सम्भव नहीं है। ज्ञात वृत्ति ही अर्थ की उपस्थिति में प्रयोजिका होती है, अज्ञात वृत्ति अर्थोपस्थिति में अनुपयोगिनी होती है। इसलिये 'गङ्गायां घोषः' में 'गङ्गा' पद का स्वशक्य-प्रवाह सामीप्य सम्बन्ध का ज्ञान न होने पर तीररूप लक्ष्य अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है।

यदि अज्ञात वृत्ति का भी अर्थ की उपस्थिति में उपयोग हो तो 'गावमुच्चारय' इस वाक्य के 'गावम्' इस भाषा शब्द के अनुकरण में साधुता होने लगेगी जब कि 'गो' शब्द इत्यादि के अनुकरण में ही साधुता सभी लोगों द्वारा अङ्गीकार की जाती है। नैयायिकों ने 'गावम्' इत्यादि भाषाशब्द के अनुकरण में शक्ति के अभाव से शक्यार्थसम्बन्धरूप लक्षणा को असम्भव माना है। इसलिये कुछ लोग शब्द को भी प्रातिपदिकार्थ मानकर छः प्रातिपदिकार्थ मानते हैं।

यदि अनुकार्य और अनुकरण में भेद विवक्षा हो तो शब्द भी प्रातिपदिकार्थ होता है। यदि दोनों में भेद विवक्षा न हो अर्थात् अभेद विवक्षा हो तो श्रोत्र आदि के द्वारा उपस्थित शब्द भी अर्थ (शक्यार्थ) की भाँति शाब्दबोध का विषय होता है।

न्यतरसम्बन्धेन वृत्तिमत एव शाब्दबोधविषयत्वं कल्प्यते इत्यनवद्यम्, सम्बन्धस्योभयनिरूप्यत्वात् पदादर्थस्येव तद्बोधकत्वेन स्वस्यापि ज्ञानसम्भवाच्चेति ।

उक्तश्च वाक्यपदीये—

ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ती तेजसो यथा ।
तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥ इति,

विषयत्वमनादृत्य शब्दैर्नार्थः प्रकाशते । इति चेति ।

सावित्री

प्रकृत श्लोक में 'अपि' शब्द हेतु अर्थ में है। शब्द श्रोत्र आदिके द्वारा उपस्थित होने के कारण शाब्दबोध का विषय बनता है। भाव यह है कि अनुकार्य और अनुकरण में भेद विवक्षा रहने पर अनुकरण के उच्चारण से अनुकार्य की पदजन्य उपस्थिति नही होगी। इसलिये अनुकरण में पदजन्य उपस्थिति सिद्ध करने के लिये शक्ति मानना होगा। 'प्रत्यक्षबोध में विषयज्ञान कारण होता है' इस नियम के अनुसार अनुकार्य और अनुकरण के अभेद पक्ष में अनुकरण के द्वारा अनुकार्य और अनुकरण के अभेद पक्ष में अनुकरण के द्वारा अनुकार्य की श्रावण प्रत्यक्ष रूप पदजन्य उपस्थिति लेकर अनुकार्य की शाब्दबोध विषयता उत्पन्न हो जाती है।

जैसे अभेदप- में स्वप्रत्यक्षरूप पदजन्य उपस्थिति को लेकर शाब्दबोध में शब्द का भान होता है वैसे 'घटमानय' इत्यादि में घट' आदि पदों की भी श्रोत्र के द्वारा स्वप्रत्यक्षरूप पदजन्यउपस्थिति को लेकर भान दुर्वार होगा। इसलिये सर्वत्र शाब्दबोध में शब्दविषयकत्व सिद्ध होता है।

यद्यपि शाब्दबोध में पदजन्य उपस्थिति को कारण मानने पर 'घटोऽस्ति' इस वाक्य के घट पद से समवाय सम्बन्ध से शब्द के आश्रय आकाश का भी बोध होने लगेगा, इस अतिप्रसङ्ग को वारण करने के लिये वृत्तिज्ञानजन्यपदोपस्थिति को कारण मानते हैं। यतः 'घट' पद से आकाश की उपस्थिति वृत्तिज्ञानजन्य नही है। अतः आकाश का बोध नही होता है।

अनुकार्य और अनुकरण के अभेद पक्ष में यत्किञ्चिद् अर्थवाचकत्वरूप वृत्ति अनुकार्य में है। वहाँ अनुकार्य में अर्थनिरूपित आश्रयता सम्बन्ध से वृत्तिमत्त्व होने के कारण

प्रसङ्गादनुकार्यानुकरणयोरभेदपक्षे साधकमाह—

अत एव गवित्याह भू सत्तायामितीदृशम् ।
न प्रातिपदिकं नापि पदं साधु तु तत्स्मृतम् ॥२७॥

गवित्ययमाह' 'भू सत्तायाम्' इत्येवमादयो यतोऽनुकरणशब्दा अनुकार्य्यान्न भिद्यन्ते । अतस्तेषामर्थवत्त्वाभावात् 'अर्थवदधातु'

सावित्री

शाब्दबोध में वृत्तिमत्त्व रूप अर्थवत्त्व का भान स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार अनुकरणात्मक शब्द भी शाब्दबोध का विषय बनने में कोई बाधा नही है।

यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि आश्रयता सम्बन्ध से वृत्तिमान् शब्द का ही शाब्दबोध में भान होता है तो निरूपकतासम्बन्ध से वृत्तिमान अर्थ का शाब्दबोध में भान नही होगा। इसका उत्तर यह है कि निरूपकता अथवा आश्रयता में किसी भी एक सम्बन्ध से वृत्तिमान् अर्थ का शाब्दबोध में भान माना जाता है। इसलिये कोई दोष नही है। आश्रयता सम्बन्ध से शब्द तथा निरूपकता सम्बन्ध से अर्थ के वृत्तिमान होने के कारण दोनों शाब्दबोध के विषय हैं। कहीं एक स्थान पर दोनों सम्बन्ध से वृत्तिमत्ता हो, ऐसा आग्रह नही है। सम्बन्ध के शब्द, अर्थ उभयनिष्ठ होने से शब्द से जैसे अर्थ का बोध होता है वैसे शब्द से शब्द का भी ज्ञान सम्भव है। वाक्यपदीयकार ने कहा है—

ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्च द्वे शक्ती तेजसो यथा। तथैव सर्वशब्दानामेते पृथगवस्थिते ॥ इति ।

अर्थात् जैसे दीप आदि तेज में ग्राह्यत्व (बोधकत्व) और ग्राहकत्व (बोधकत्व) शक्तियाँ होती है वैसे सभी शब्दों की भी बोध्यत्व और बोधकत्व रूप दो शक्तियाँ पृथक् २ होती हैं। शब्द अपनी बोधविषयता को अनादृत कर अर्थ को प्रकाशित नही करता है क्योंकि शब्द अपनी बोधविषयता को बनाकर ही अर्थ का प्रकाशन करता है। अनुभव से स्पष्ट है कि ज्ञात शब्द ही अर्थ का बोधन कराते है।

शब्द भी नामार्थ है—इस विचार प्रसङ्ग में अनुकार्य और अनुकरण में अभेद के उपपादक पक्ष को उपस्थित करते हुये कहते हैं—अभेद पक्ष में 'गवित्ययमाह' 'भू सत्तायाम्' इत्यादि में यतः अनुकरण शब्द अनुकार्य से अभिन्न है, अतः उसमें अर्थवत्ता के अभाव से अर्थवदधातु० (१।२।४५) सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिये प्रातिपदिक संज्ञा नही होगी। प्रातिपदिक संज्ञा के अभाव में विभक्तियाँ नही आयेंगी और विभक्तियों के अभाव में पदत्व नही होगा। इस प्रकार अनुकरण से शास्त्र बोधित साधुत्व न रहने पर भी शिष्ट प्रयुक्तत्व रूप साधुत्व बना रहेगा। अन्यथा प्रत्ययः (३।१।१) परश्च (३।१।२) तथा

रित्याद्यप्रवृत्तौ न प्रातिपदिकत्वम्, नापि पदत्वम्, अथ च साधुत्वमुपपद्यते। अन्यथा 'प्रत्ययः' 'परश्च' 'अपदं न प्रयुञ्जीते'ति निषेधादिलङ्घनादसाधुतापत्तिरित्यर्थः ॥२७॥

इति वैयाकरणभूषणसारे नामार्थनिर्णयः ॥ ॥

सावित्री

'अपदं न प्रयुञ्जीत' इस निषेध के उल्लङ्घन से असाधुता की आपत्ति होगी—ऐसा अभिप्राय है।

इस प्रकार 'वैयाकरणभूषणसार' के 'नामार्थनिर्णय' प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई ॥२७॥

॥ अथ समासशक्तिनिर्णयः ॥

समासान् विभजते —

> सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिङा ।
> सुबन्तेनेति च ज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः ॥२८॥

सुपां सुपा—पदद्वयमपि सुबन्तम् । राजपुरुष इत्यादिः । सुपां तिङा—पूर्वपदं सुबन्तमुत्तरपदं तिङन्तम् । पर्यभूषयत्, अनुव्यचलत् । "गतिमतोदात्तवता तिङाऽपि समासः" । इति वार्त्तिकात्

सावित्री

महर्षि पाणिनि ने समास संज्ञा विधायक किसी सूत्र विशेष का साक्षात् सङ्केत नहीं किया है । शब्दशास्त्र परम्परा के विद्वानों में 'समसनं समासः' यह परिभाषा प्रचलित है । इसके अनुसार अनेक पदों का संक्षिप्त होना अर्थात् एक पद हो जाना ही समास कहलाता है । वैयाकरणभूषणसार के प्रभा टीकाकार ने समास की अपनी परिभाषा करते हुये कहा है—समासत्वं च "पाणिन्यादिसङ्केतसम्बन्धेन समासपदवत्त्वम्" अर्थात् व्याकरण शास्त्र के प्रणेता पाणिनि आदि मुनियों के सङ्केत सम्बन्ध से जो समास पद वाला (शब्दसमूह), उसे समास कहते हैं ।। इसके अतिरिक्त एक दूसरी भी परिभाषा प्रभाकार ने की है। कहा है– एकार्थीभावापन्नसमुदायविशेषत्वं वा (समासत्वम्) अर्थात् पृथक् २ अर्थ वाले अनेक शब्दों को मिलाकर एक अर्थ परक समुदाय विशेष को समास कहते हैं । जैसे – राज्ञः पुरुषः' में राजन् और पुरुष, दोनों पृथक् २ अर्थ वाले पद हैं, दोनों को मिलाकर 'राज सम्बन्धी पुरुष' ऐसा, एक विशिष्ट अर्थ होता है । दर्पणकार ने भी कहा है—समासत्वञ्च—शक्तिसम्बन्धेन समासपदवत्त्वम्, एकार्थीभावापन्न-समुदाय-विशेषो वा ।

संक्षेप में जहाँ दो या अधिक पद परस्पर मिलकर एक पद हो जाते हैं ऐसे समुदाय को समास कहते हैं ।

यह समास ६ प्रकार का होता है—

१- सुबन्त का सुबन्त के साथ ।

२- सुबन्त का तिङन्त के साथ ।

समासः। सुपां नाम्ना – 'कुम्भकारः' इत्यादिः। 'उपपदमतिङ्' (२।२।१९) इति समासः। स च "गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्सुबुत्पत्तेः" इति परिभाषया भवति सुबुत्पत्तेः प्राक्। अथोत्तरपदे सुबुत्पत्तेः प्रागित्यर्थात्। अन्यथा 'चर्मक्रीती' इत्यादौ नलोपानापत्तेः।

सुपां धातुना—उत्तरपदं धातुमात्रम् न तिङन्तम्, "क्विब्वचिप्रच्छ्यायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दीर्घश्च" इति वार्त्तिकात्। तिङां तिङा—'पिबतखादता' 'पचतभृज्जता' इत्यादिः। 'आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये' इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात्। तिङां सुबन्तेन पूर्वपदं

सावित्री

३. सुबन्त का नाम (प्रातिपदिक) के साथ।

४. सुबन्त का धातु के साथ।

५. तिङन्त का तिङन्त के साथ।

६. तिङन्त का सुबन्त के साथ।

इन समासों का क्रमशः उदाहरण इस प्रकार है—

१—सुपां सुपा (सुबन्त का सुबन्त के साथ)

सुबन्त का सुबन्त के साथ सामास का उदाहरण है—कृष्णं श्रितः = कृष्ण श्रितः, शङ्कुलया खण्डः = शङ्कुलाखण्डः, यूपाय दारुः = यूप दारु, चोराद् भयम् चोरभयम् राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः—इत्यादि। इन सभी उदाहरणों में दोनों सुबन्त पदों का समास हुआ है।

२—सुपां तिङा (सुबन्त का तिङन्त के साथ)

सुबन्त का तिङन्त के साथ समास का उदाहरण है—पर्यभूषयत्, अनुव्यचलत् इत्यादि। यहाँ 'परि' इस सुबन्त का 'अभूषयत्' इस तिङन्त के साथ समास हुआ है। 'अनुव्यचलत्' में 'अनु' का 'व्यचलत्' इस तिङन्त के साथ समास हुआ है। यहाँ 'गतिमतोदात्तवता तिङापि समासः' इस वार्त्तिक से समास हुआ है।

३—सुपां नाम्ना (सुबन्त का नाम (प्रातिपदिक) के साथ)

सुबन्त का प्रातिपदिक के साथ समास होता है। जैसे—'कुम्भं करोति' इस विग्रह

तिङन्तमुत्तरं सुबन्तम्। जहिस्तम्बः, "जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये कर्त्तारञ्चाभिदधाति" इति मयूरव्यंसकाद्यन्तर्गणसूत्रात्।

अयं षड्विधोऽपि समासः, 'सह सुपा' (२।१।४) इत्यत्र योगविभागेन भाष्ये व्युत्पादितः, स्पष्टः शब्दकौस्तुभादौ ॥२८॥

सावित्री

में 'कुम्भम्' इस सुबन्त का 'कार' इस प्रतिपदिक के साथ उपपदमतिङ् (२.२.१९) इस सूत्र के द्वारा समास हुआ है। यहाँ "गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः" इस परिभाषा के अनुसार 'कार' इस प्रतिपादिक से विभक्ति आने के पूर्व ही समास होता है। तात्पर्य यह है कि उत्तर पद से विभक्ति आने के पूर्व ही समास हो जाता है और बाद में समास हुये पद को प्रातिपदिक संज्ञा होकर विभक्ति आती है। यदि उत्तर पद की भाँति पूर्व पद में भी सुबुत्पत्ति के पहले ही समास की प्रवृत्ति होती तो 'चर्मक्रीती' में पूर्वपद 'चर्मन्' से विभक्ति के न आने पर न पद संज्ञा होती और पद संज्ञा के न होने पर 'चर्मन्' के नकार का लोप न होता, क्योंकि—'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' (८।२।७) सूत्र से पदान्त नकार का लोप होता है। 'चमन्' की पद संज्ञा 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने' (१।४।१७) सूत्र से हुई है। 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' सूत्र में प्रातिपदिक और पद संज्ञा का अभेद सम्बन्ध है—प्रातिपदिकाभिन्नं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्।

४—सुबन्त का धातु के साथ (सुपां धातुना)

पूर्व पद सुबन्त हो, उत्तर पद मात्र धातु के साथ समास होता है। जैसे—'कटं प्रवते' इति कटप्रूः, आयतं स्तौतीति आयतस्तूः। 'कटप्रूः' में 'कटम्' इस सुबन्त का गत्यर्थक 'प्रू' धातु के साथ समास हुआ है, तिङन्त के साथ नहीं। यहाँ 'प्रू' धातु से कर्त्ता अर्थ में 'क्विप्' प्रत्यय होता है। अत एव 'कटप्रू' का 'चटाई बुनने वाला' अर्थ है। 'आयतस्तूः' में आयतम् इस सुबन्त का स्तुत्यर्थक 'स्तु' धातु के साथ समास हुआ है। 'कटप्रू' की भाँति यहाँ भी 'स्तु' धातु से कर्त्ता अर्थ में 'क्विप्' प्रत्यय हुआ है जिससे 'आयतस्तूः' का स्तुति करने वाला अर्थ होता है।

५—तिङन्त का तिङन्त के साथ (तिङां तिङा)

तिङन्त का तिङन्त के साथ समास का उदाहरण है—पिबतखादता, पचतभृज्जता इत्यादि।

स्वयं भाष्यादिसिद्धं तद्भेदं व्युत्पाद्य प्राचीनवैयाकरणोक्तविभाग-स्याव्याप्त्यतिव्याप्तिदिभिस्तल्लक्षणस्य प्रायिकत्वं दर्शयति—

सावित्री

यहाँ पिबत-खादत, पचत-भुञ्जत—इत्यादि सभी तिङन्त पद हैं। इनमें विग्रह इस प्रकार है—पिबत खादत इति व्यवहारो यस्यां क्रियायां सा पिबतखादता। 'पचत-भुञ्जत' इति व्यवहारो यस्यां क्रियायां सा पचतभुञ्जता। इन स्थलों में क्रिया का नैरन्तर्य गम्यमान रहने से 'मयूरव्यंसकादि' गण के अन्तर्गत 'आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये' इस गण सूत्र से समास हुआ है।

६—तिङ् का सुबन्त के साथ (तिङा सुबन्तेन)

पूर्व पद तिङन्त का उत्तर पद सुबन्त के साथ समास होता है। जैसे—जहिस्तम्बः। यहाँ विग्रह है—'स्तम्बं जहि' इति आभीक्ष्ण्येन य आह स जहिस्तम्बः। इस समस्त पद का स्तम्बाघात करने वाला—ऐसा अर्थ है। यहाँ "जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्ण्ये कर्त्तारञ्चाभिद-धाति" इस गणसूत्र से समास हुआ है। यहाँ 'जहि' यह तिङन्त पद है, इसका स्तम्बम्' इस तिङन्त के साथ समास हुआ है, आभीक्ष्ण्य अर्थ गम्यमान है; समास होने पर यह पद कर्त्ता अर्थ को कह रहा है।

उक्त सभी छः प्रकार का समास 'सह सुपा' (२।१।४) सूत्र का योग विभाग करके उपपन्न किया गया है। यह बात 'शब्दकौस्तुभ' आदि में भी सुस्पष्ट की गई है। महा-भाष्यकार ने प्रत्येक पद की पृथक् २ समास संज्ञा न होकर समुदाय की ही समास संज्ञा हो, यह 'सह' ग्रहण का प्रयोजन बताया है। अन्यथा जैसे—गुण, वृद्धि आदि संज्ञायें ए, ओ, ऐ, औ—आदि प्रत्येक वर्ण की होती हैं वैसे ही समास संज्ञा भी प्रत्येक पद की होने लगती।

यद्यपि 'गर्गाः शत दण्ड्यन्ताम्' इत्यादि वाक्य की समुदाय में ही परिसमाप्ति देखी जाती है प्रत्येक में नहीं। ऐसा दृष्टान्त रहने पर यदि गर्गों के दण्ड विधान में प्रत्येक ग्रहण करते हैं तो यहाँ भी 'सह' ग्रहण करना चाहिये। यदि 'प्रत्येक' पद का विना ग्रहण किये ही प्रत्येक वर्ण की गुण, वृद्धि संज्ञा होती है तो यहाँ भी 'सह' ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। यथा—सह सुपा (२।१।४) महाभाष्यम्—

"सहग्रहणं किमर्थम्? सहग्रहणं क्रियते सहभूतयोः समाससंज्ञा यथा स्यादेकैकस्य मा भूदिति। किं च स्यात्, यद्येकैकस्य समाससंज्ञा स्यात् इह 'ऋक्पाद' इति समासान्तः प्रसज्येत। इह च 'राजाश्व' इति द्वौ स्वरौ स्याताम्।

कथञ्च कृत्वा एकैकस्य समाससंज्ञा प्राप्नोति? प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्तिर्दृष्टेति।

समासस्तु चतुर्द्धेति प्रायोवादस्तथा परः ।
योऽयं पूर्वपदार्थादिप्राधान्यविषयः स च ॥२९॥
भौतपूर्व्यात् सोऽपि रेखागवयादिवदास्थितः ॥

चतुर्धा—अव्ययीभाव—तत्पुरुष—द्वन्द्व—बहुव्रीहि—भेदात् । अयं प्रायोवादः 'भूतपूर्वः' 'द्वन्भूः' 'काराभूः' 'आयतस्तूः' 'वागर्थाविव' इत्याद्यसङ्ग्रहात् ।

सावित्री

तद्यथा—गुणवृद्धिसंज्ञे प्रत्येकं भवतः ।

ननु, चायमप्यस्ति दृष्टान्तः, समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिति । तद्यथा—गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इति । अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्ड्यन्ति । सत्येतस्मिन् दृष्टान्ते यदि तत्र प्रत्येकमुच्यते इहापि सहग्रहणं कर्त्तव्यम् । अथ तत्रान्तरेय प्रत्येकमिति वचनं प्रत्येकं गुणवृद्धिसंज्ञे भवतः, इहापि नार्थः सह ग्रहणेन ॥"

उक्त प्रकार के भाष्य से सहग्रहण व्यर्थ है । फिर भी सहग्रहण किया गया है तो उसका यह प्रयोजन है कि वह सूत्र[१] का अवयव माना जाय। सूत्र का अवयव होने पर योग-विभाग करेंगे । एक योग होगा—'सह' और दूसरा होगा—'सुपा' । प्रथम का अर्थ होगा-सुबन्त का समास होता है । किसके साथ ? समर्थ के साथ । यथा—अनुव्यचलत्, अनुप्राविशत् ।

दूसरे सूत्र का अर्थ होगा—सुबन्त के साथ सुबन्त का समास होता है । यह सूत्र अधिकार और लक्षण दोनों प्रकार का है । जिस समास का कोई अन्य लक्षण नही है उसका यह लक्षण हो जायगा ।

---

१. महाभाष्य—सह सुपा (२।१।४)

एवं तर्हि सिद्धे सति यत सहग्रहणं करोति, तस्यैतत्प्रयोजनम्—योगाङ्गं यथा विज्ञायेत । सति च योगाङ्गे योगविभागः करिष्यते— 'सह' । सह सुप् समस्यते । केन सह ? समर्थेन । अनुव्यचलत्, अनुप्राविशत् । ततः 'सुपा' । 'सुपा' च सह सुप् समस्यते । अधिकारश्च, लक्षणं च । यस्य समासस्यान्यल्लक्षणं नास्ति इदं तस्य लक्षणं भविष्यति—पुनरुत्स्यूतं वासो देयम्, पुनर्निष्कृतो रथः—इति ।

तथा पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः। उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः। उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः। अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिरित्यादि-लक्षणमपि प्रायिकम्, 'उन्मत्तगङ्गम्' 'सूपप्रति' 'अर्धपिप्पली' 'द्वित्राः' 'शशकुशपलाशम्' इत्यादौ परस्परव्यभिचारात्। तथा हि—'उन्मत्तगङ्गम्' इत्यव्ययीभावे पूर्वपदार्थप्राधान्याभावादव्याप्तिः, अन्यपदार्थप्राधान्याद् बहुव्रीहिलक्षणातिव्याप्तिश्च, 'अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्' (२।१।२१) इति समासात्। 'सूपप्रति' इत्यव्ययीभावे उत्तरपदार्थप्राधान्यात्तत्पुरुषलक्षणा-तिव्याप्तिः अव्ययीभावाव्याप्तिश्च "सुप् प्रतिना मात्रार्थे" 'पा० सू०—२।१।९। इति समासात्। 'अर्धपिप्पली' इति तत्पुरुषे पूर्वपदार्थप्राधान्य-सत्त्वाद् अव्ययीभावाति व्याप्तिः तत्पुरुषातिव्याप्तिश्च, 'अर्धं नपुंसकम्' (२।२।२) इति समासात्।

सावित्री

भाष्य आदि ग्रन्थों में स्वयं सिद्ध समास भेदों की व्याख्या कर प्राचीन वैयाकरणों द्वारा कथित अतिव्याप्ति, अव्याप्ति आदि दोषों से ग्रस्त होने के कारण उनके लक्षण का प्रायिकत्व अर्थात् असार्वत्रिकत्व प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर मूल में ही समास भेदों और उनके लक्षणों के बारे में विस्तार से विवेचन किया गया है।

समास के अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द्व और बहुव्रीहि—ये जो ४ विभाग किये गये हैं वह प्रायोवाद है अर्थात् अधिकांश ऐसा देखा जाता है। पर यह सिद्धान्त सार्वत्रिक नहीं है, क्योंकि इन चारों भेदों के अन्तर्गत 'भूतपूर्वः 'दृन्भूः' 'काराभूः' 'आयतस्तूः' 'वागर्थाविव' इत्यादि स्थलों का संग्रह नहीं हो पाता है।

इसके अतिरिक्त "पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः" 'उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः' इत्यादि लक्षण भी प्रायिक हैं क्योंकि 'उन्मत्तगङ्गम्' 'सूपप्रति' इत्यादि समासों में इन लक्षणों का व्यभिचार देखा जाता है। इसलिये 'भूतपूर्वः' इत्यादि में अप्रवृत्त ये भेद और लक्षण रेखा-गवय अर्थात् चित्र लिखित गौ की भाँति काल्पनिक हैं; वास्तविक नहीं हैं। 'पूर्वपदार्थ-प्रधानोऽव्ययीभावः' इत्यादि लक्षण 'उन्मत्तगङ्गम्' इत्यादि में पूर्णतया व्यभिचरित है।

जैसे—उन्मत्तगङ्गम्—उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन् देशे स उन्मत्तगङ्गं नाम देशः। यहाँ अव्ययीभाव समास है किन्तु पूर्वपदार्थ प्रधान नहीं है। इसलिये अव्ययीभाव समास का लक्षण यहाँ अव्याप्त हुआ। यहाँ अन्य पदार्थ प्रधान होने पर बहुव्रीहि समास का लक्षण अतिव्याप्त है।

सूपप्रति = सूपस्य लेशः (सम्बन्धः) अर्थात् 'सूपसम्बन्धी किञ्चिद् मात्रा' यह समास

एवं 'पूर्वकायः' इत्यादौ द्रष्टव्यम्। 'द्वित्राः' इति बहुव्रीहावुभयपदार्थप्राधान्याद् द्वन्द्वातिव्याप्तिः, बहुव्रीह्यव्याप्तिश्च। 'शशकुशपलाशम्' इत्यादिद्वन्द्वे समाहारान्यपदार्थप्राधान्याद् बहुव्रीह्यतिव्याप्तिः, द्वन्द्वातिव्याप्तिश्च स्यादिति भावः।

सिद्धान्ते तु "अव्ययीभावाधिकारपठितत्वमव्ययत्वमव्ययीभावत्वम्" इत्यादि द्रष्टव्यम्। असम्भवश्चैषामित्याह—भौतपूर्व्यादि-

---

सावित्री

का अर्थ है। यहाँ भी अव्ययीभाव समास है पर :पूर्वपदार्थ प्रधान नहीं है। उत्तरपदार्थ प्रधान होने से तत्पुरुष का लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है; पर तत्पुरुष समास नहीं है।

अर्धपिप्पली='पिप्पल्याः अर्धम्' अर्थात् पिप्पली सम्बन्धी अर्ध ऐसा अर्थ अभिप्रेत है। यहाँ 'अर्धं नपुंसकम्' (२।२।२) सूत्र से समास हुआ है। यहाँ तत्पुरुष समास है पर पूर्वपदार्थ प्रधान होने से अव्ययीभाव समास का लक्षण अतिव्याप्त है और उत्तरपदार्थ प्रधान न होने से तत्पुरुष का लक्षण अव्याप्त है।

इसी भाँति 'पूर्वं कायस्य' इति 'पूर्वकायः' इत्यादि समासों में पूर्वपदार्थ प्रधान होने से अव्ययीभाव लक्षण की अतिव्याप्ति तथा तत्पुरुष लक्षण की अव्याप्ति है।

'द्वित्राः' यहाँ 'द्वौ वा त्रयो वा' इस विग्रह में "संख्ययाऽव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः संख्येये" (२।२।२५) सूत्र से समास हुआ है। "बहुव्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्" ५।४।७३) सूत्र से डच् प्रत्यय होकर 'द्वित्राः' बनता है। यहाँ बहुव्रीहि समास है, किन्तु अन्य पदार्थ प्रधान लक्षण की अव्याप्ति है और उभय पदार्थ प्रधान होने से द्वन्द्व लक्षण की अतिव्याप्ति है।

सिद्धान्त रूप से 'अव्ययीभावाधिकारपठितत्वमव्ययीभावत्वम्' इत्यादि ही अव्ययीभाव आदि समासों का लक्षण करना चाहिये। जहत्स्वार्थावृत्ति (जहति पदानि स्वार्थं यस्यां वृत्तौ सा जहत्-स्वार्था वृत्तिः) में 'पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः' 'उत्तरपदार्थ-प्रधानस्तत्पुरुषः' इत्यादि समास लक्षण न केवल अव्याप्ति, अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हैं, अपि तु सर्वथा असम्भव है या असम्भव का 'लक्ष्यमात्रावृत्तित्वरूप असम्भव अर्थ है।

'जहत् स्वार्था वृत्तिः' पक्ष में समुदाय में शक्ति होने से उसमें रहने वाले पद अनर्थक होते हैं। इसलिये पूर्व या उत्तर पदार्थ के प्रधानता की व्यवस्था सर्वथा असम्भव है। भौतपूर्व्यादि—पूर्वं भूतं भूतपूर्वम्। भूतपूर्वमेव भौतपूर्व्यम्। यहाँ स्वार्थ में 'ष्यञ्' प्रत्यय

स्यादिरेखागवयादिनिष्ठलाङ्गूलादेर्वास्तवपशवलक्षणत्वदेतेषामपि न समास-लक्षणत्वम्। बोधकता तु तद्वदेव स्यादिति भावः ॥ २६ ॥

ननु पूर्वपदार्थप्राधान्यादि समासे सुवचम्। तथा हि—'समर्थः पदविधिः। (२।१।१) इत्यादिसूत्रे भाष्यकारैरनेकधोक्तेष्वपि पक्षेषु

सावित्री

हुआ है। 'भूतकालिकभवनाभय' ऐसा समास का अर्थ है। यहाँ पूर्वपदार्थ प्रधान न होने से 'पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः' यह लक्षण नही घटित होता है। इसलिये इन लक्षण को 'रेखागवय' की भांति समझना चाहिये। रेखागवय 'रेखा से चित्रित गो सदृश पशु विशेष को कहते हैं। जैसे—रेखागवय में रहने वाला पशु सींग, पूँछ इत्यादि चेतन पशुनिष्ठ न होने से वास्तविक पशु का लक्षण नही हो सकता है वैसे ही 'पूर्वप्रधान' इत्यादि पूर्वोक्त समास लक्षण विभिन्न स्थलों में संघटित न होने के कारण तत्तद्समासों का वास्तविक लक्षण नही हो सकता है। किन्तु बोधकता रेखागवय की भांति बनो रहेगी। जैसे—रेखागवय में रहने वाला शृङ्ग, पुच्छ, आदि वास्तविक गवय निष्ठ शृङ्ग आदि के सादृश्य आरोप से गवय आदि का बोधक होता है वैसे ही समास में अविद्यमान भो पूर्वपदार्थ प्रधान आदि सादृश्य के आरोप से विग्रह वाक्यनिष्ठ अर्थ की प्रतीति होता है।

जहत्स्वार्थावृत्ति पक्ष में 'पूर्वपदार्थ प्रधान होना' अव्ययीभाव आदि समास में असंभव होने पर भी अजहत् स्वार्थवृत्ति पक्ष में पूर्व या उत्तर पदार्थ की प्रधानता का लक्षण संभव है। इसलिये मूल में ग्रन्थकार ने कहा है—'ननु पदार्थप्राधान्यादिसमासे सुवचम्" अर्थात् "पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः' 'उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः' इत्यादि अव्ययीभाव आदि समास लक्षणों को सरलता से कहा जा सकता है।

इसके समर्थन में कहा है कि "समर्थः पदविधिः" सूत्र पर भाष्यकार ने अनेक पक्ष प्रस्तुत किया है। उनमें जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था वृत्ति का क्रमशः एकार्थीभाव और व्यपेक्षा में पर्यवसान माना है।

वहाँ यह कहा गया है—सामर्थ्य दो प्रकार का होता है—(१) व्यपेक्षालक्षण। (२) एकार्थीभावलक्षण। 'व्यपेक्षा' को अधिक स्पष्ट करते हुये कहा है—"स्वार्थपर्यवसायिनां पदानामाकाङ्क्षादिवशाद्यः परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा" अर्थात् स्वार्थ में परिपूर्ण पदों का आकांक्षा आदि के कारण जो परस्पर सम्बन्ध है उसका नाम व्यपेक्षा है। यह सम्बन्ध राज्ञः पुरुषः इत्यादि वाक्य में होता है।

"एकार्थीभावलक्षण' कहते हैं—प्रत्येकमर्थवत्त्वेन पृथग्गृहीतानां पदानां समुदाय-शक्त्या विशिष्टार्थप्रतिपादकत्वमेकार्थीभावत्वम्"।

जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थपक्षयोरेवैकार्थीभाव–व्यपेक्षारूपयोः पर्यवसानं लभ्यते । तत्राजहत्स्वार्थापक्षे उक्तव्यवस्था नासंभविनीत्याशङ्कां मनसि कृत्याऽऽह—

जहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थे द्वे वृत्ती ते पुनस्त्रिधा ॥३०॥
भेदः संसर्ग उभयं चेति वाच्यव्यवस्थितेः ।

जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा जहत्स्वार्था । पदे वर्णवद् वृत्तौ पदानामानर्थक्यमित्यर्थः । अयं भावः—समासशक्त्यैव राजविशिष्ट-पुरुषभानसम्भवे न राजपुरुषपदयोरपि पुनस्तद्बोधकत्वं कल्प्यम् , वृष-

---

सावित्री

अर्थात् अर्थवान् रूप से गृहीत प्रत्येक पदों की समुदायशक्ति से विशिष्ट एक अर्थ का प्रतिपादन होना—एकार्थीभाव कहलाता है । जैसे—'राजपुरुषः' इत्यादि में है । यहां 'राज्ञः' और पुरुषः, प्रत्येक पद अलग-अलग अर्थवान् रूप से गृहीत है और दोनों का समास होकर समुदायशक्ति के द्वारा 'राजसम्बन्धीपुरुष' ऐसा अर्थ बोध होता है ।

इस प्रकार 'अजहत्स्वार्था पक्ष में जबकि पदों का अपना अस्तित्व विद्यमान रहता है तो 'पूर्व' या उत्तर पदार्थ के प्राधान्य की व्यवस्था असम्भव नही है—इसलिये ग्रन्थकार ने कहा है—

जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थे द्वे वृत्ती ते पुनस्त्रिधा । भेदः, संसर्ग उभयं वेति वाच्यव्यस्थितेः ॥

अर्थात् समास में जहत्स्वार्था और अजहत्स्वार्था ये दो वृत्तियाँ होती है । पुनः इन दोनों के ३ भेद होते हैं—

(१) भेद ।
(२) संसर्ग ।
(३) उभय ।

त्याग देते हैं पद अपने अर्थ को जिस वृत्ति में, उसे अजहत्स्वार्था वृत्ति कहते हैं । जैसे—राजपुरुषः । यहाँ 'राज्ञः' और 'पुरुषः', ये दोनों पद अपने २ अर्थ को छोड़कर समुदाय शक्ति के द्वारा 'राजसम्बन्धीपुरुष' ऐसे विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं । जैसे—पदों में प्रत्येक वर्ण का पृथक् २ का कोई अर्थ नहीं होता है समास आदि वृत्तियों में पद अनर्थक होते हैं । तात्पर्य यह है कि वृत्तिगत पदों का पृथक् कोई अर्थ नहीं होता है ।

यावकादिपदेषु वृषादिपदानामिव । अन्यथा राजपदेन विग्रहवाक्ये इव; राज्ञः स्वातन्त्र्येणोपस्थितिसत्त्वात्, 'ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः' इत्यत्रेव 'ऋद्धस्य राजपुरुषः' इत्यस्याप्यापत्तेरिति ।

अजहदिति—न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा अजहत्स्वार्था ।

अयमभिप्रायः—राजपुरुषादिसमासादौ नातिरिक्ता शक्तिः, कल्पकाभावात्, क्लृप्तराजादिपदादेवार्थोपस्थितिसम्भवे तत्कल्पनस्य

सावित्री

संक्षेप में यह भाव है कि समास शक्ति के द्वारा ही राजविशिष्ट पुरुष का बोध सम्भव है, इसलिये 'राज' और पुरुष पद के स्वतन्त्र अर्थ बोध की कल्पना अनावश्यक है। जैसे—वृषभ, यावक-आदि पदों में 'क' प्रत्यय आदि अनर्थक होते हैं वैसे समास आदि वृत्तियों में पृथक् २ पदों का कुछ अर्थ नहीं होता है ।

अन्यथा 'राज्ञः पुरुषः' इस विग्रह वाक्य में 'राज्ञः' पद की स्वतन्त्र रूप से जैसे उपस्थिति होती है वैसे ही यदि 'राजपुरुषः' इस समास में भी 'राज्ञः' पद की स्वतन्त्र उपस्थिति मानेंगे तो 'ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः' की भाँति "ऋद्धस्य राजपुरुषः" ऐसा भी प्रयोग होने की आपत्ति होगी ।

पद अपने स्वार्थ को नहीं त्यागते हैं जिस वृत्ति में, उसे अजहत्स्वार्था कहते हैं । अभिप्राय यह है कि 'राजपुरुषः' आदि समास में अतिरिक्त शक्ति (एकार्थी भाव रूप विशिष्ट शक्ति) मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। 'राजपुरुषः' पद से जो अर्थ कल्पित है, 'राज' आदि पदों की उपस्थिति से ही वह अर्थ सम्भव है । तब अतिरिक्त (विशिष्ट) शक्ति की कल्पना करना गौरव ग्रस्त है । 'राज' आदि पदों में जो क्लृप्त शक्ति है उसका त्याग भी अप्रामाणिक होगा । इसके अतिरिक्त आकांक्षा, योग्यता आदि के द्वारा क्लृप्तशक्ति से ही विशिष्ट अर्थ का बोध हो जाता है । इस प्रकार क्लृप्त अवयव शक्ति के द्वारा ही विशिष्ट अर्थ बोध का निर्वाह सम्भव होने से समुदाय में विशिष्ट शक्ति-कल्पना का अभाव रूप पक्ष भाष्यकार ने मतान्तर से कहा है ।

यदि यह कहें कि 'राज्ञः पुरुष' इस वाक्य में 'राज्ञः' पद की स्वतन्त्र रूप से उपस्थिति होने के कारण जैसे उसमें 'ऋद्धस्य' इस विशेषण का अन्वय होता है वैसे ही 'राजपुरुषः' इस समास के 'राज' पदार्थ में भी 'ऋद्धस्य' का अन्वय होने लगेगा, ऐसा

गौरवपराहतत्वाच्च। क्लृप्तशक्तित्यागोऽप्यप्रामाणिकः कल्प्येत। तथा चाऽऽकाङ्क्षादिवशात् क्लृप्तशक्त्यैव विशिष्टार्थबोधः।

अयमेव व्यपेक्षापक्षो मतान्तरत्वेन भाष्यकारैरुक्तः।

न चात्र मते समासे 'ऋद्धस्य' इति विशेषणान्वयापत्तिः, 'सविशेषणानां वृत्तिर्न, वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न' इति वार्त्तिकात्। तथा चैतन्मतवादिनां पूर्वोत्तरपदार्थसत्त्वाद् पूर्वपदार्थप्रधान इत्यादि-व्यवस्था सूपपादेति भावः।

प्रसङ्गाद् वृत्तिभेदमपि निरूपयति—ते पुनरिति। द्वे अपि वृत्ती त्रिविधे, वाच्यत्रैविध्यात्।

सावित्री

कहना उचित नहीं है क्योंकि विशेषण के साथ समास आदि वृत्तियाँ नहीं होती हैं और वृत्त अर्थात् समास होने पर उसके साथ विशेषण का यो।। नहीं होता है। वार्त्तिककार ने कहा है—"सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न"। इस प्रकार समास में अतिरिक्त शक्ति कल्पना करने की अपेक्षा इस वचन को ही मान लेने में लाघव है। अत एव व्यपेक्षा पक्ष में पूर्व और उत्तर पद के अर्थवान् होने से 'पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः' इत्यादि लक्षण भी सरलता से उपपन्न किया जा सकता है।

जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था—इन दोनों वृत्तियों का व्याख्यान कर प्रसङ्गवश वृत्ति भेद का भी निरूपण करते हैं—

कहते हैं कि वे दोनों वृत्तियाँ (जहत्स्वार्था) वाच्य की त्रिविधता से तीन प्रकार की होती है—

(१) भेद।

(२) संसर्ग।

(३) उभय (भेद और संसर्ग)

भेद का अर्थ है अन्योऽन्य.भाव। यह दो व्यक्तिसापेक्ष है। अत एव राजपुरुषः' इत्यादि समास में 'अराजकीय भिन्न पुरुष' ऐसा बोध होता है। यदि भेद को वाच्यार्थ नहीं मानेंगे तो 'राजपुरुषः सुन्दरः' की भाँति "राजपुरुषः देवदत्तस्य" यह भी प्रयोग होने लगेगा। यहाँ 'देवदत्तस्य राज्ञः पुरुषः', देवदत्त राजा का पुरुष है, इस आशय से देवदत्तस्य इस षष्ठ्यन्त का राज्ञः इस षष्ठ्यन्त में अन्वय होगा जैसे समास घटक 'पुरुष' में

वाच्यमेवाह—भेद इत्यादि। भेदोन्योऽन्याभावः तथा च 'राजपुरुषः' इत्यादावराजकीयभिन्न इति बोधः। अस्यावाच्यत्वे च 'राजपुरुषः सुन्दरः' इति वद्राजपुरुषो देवदत्तस्य चेत्यपि स्यात्। वाच्यत्वे तद्विरोधान्नैवं प्रयोग इति भावः।

राजसम्बन्धवानित्येव शाब्दभानम्, भेदस्तूत्तरकालमुपतिष्ठत इत्याशयेनाह—संसर्ग इति।

विनिगमनाविरहम्, अस्वामिकेऽपि राजपुरुष इत्यादिप्रयोगापत्तिं च मनसि कृत्वोभयं वाच्यमित्याह—उभयं वेति। तथा चाराजकीयभिन्नो राजसम्बन्धवाँश्चायमिति बोधः ॥३०६॥

सावित्री

'सुन्दर' इस विशेषण का अन्वय होता है वैसे ही 'देवदत्तस्य' इस विशेषण का भी अन्वय होगा। जैसे—राजस्वामीवाला जो पुरुष, वह सुन्दर है, यह जैसे बोध होता है वैसे ही राज सम्बन्धी जो पुरुष है वह देवदत्त सम्बन्धी है ऐसे बोध की आपत्ति होगी।

जब भेद को वृत्ति का वाच्य अर्थ मानते हैं तो राजसम्बन्धी पुरुष में अराजकीय पुरुष का विरोध होने के कारण उस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है।

'राजपुरुषः' इसके श्रवण से प्रथमतः 'राजनिरूपितस्वत्वसम्बन्धवान्' इतना ही शाब्दबोध होता है। तदनन्तर भेद की उपस्थिति होती है। 'भेद' दो में रहने वाला धर्म है। अतः वह संसर्ग अर्थात् सम्बन्ध के विना नहीं सम्भव है। भेद की प्रतीति तात्पर्य वश अनुमान से होती है। इसलिये ग्रन्थकार ने आगे लिखा है—संसर्ग इति।

अब 'विनिगमनाविरह' से अर्थात् भेद हीवाच्य माना जाय या, संसर्ग ही वाच्य हो—इनमें से किसी के भी वाच्य होने का कोई निश्चायक प्रमाण नहीं है। संसर्ग यदि वाच्य नहीं होगा तो जो न राजसम्बन्धी है और न राजभिन्न सम्बन्धी है अर्थात् सर्वथा स्वतन्त्र है, स्वामी के सम्बन्ध से रहित है उस अस्वामिक पुरुष में भी 'राजपुरुषः' ऐसे प्रयोग की आपत्ति होगी। ऐसी आशंका कर ग्रन्थकार ने कहा है—'उभयं चेति'। अर्थात् भेद और संसर्ग—उभय वाच्य होंगे। इसलिये 'राजपुरुषः' से अराजकीयभिन्न, राजसम्बन्धवान्—यह दोनों अर्थ बोध होगा ॥ ३०६॥

ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त प्रकार से व्यपेक्षावाद के युक्ति और भाष्य विरुद्ध होने के कारण उसी के आधार पर निर्मित जो 'पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावः' इत्यादि लक्षण हैं वे भी अयुक्त हैं। अयुक्त होने पर भी 'रेखागवय' न्याय से 'पूर्व-पदार्थ-प्रधानः' इत्यादि उत्सर्ग

व्यपेक्षावादस्यैवं युक्तिभाष्यविरुद्धत्वात्तन्मूलकः 'पूर्वपदार्थप्रधानः' इत्याद्युत्सर्गोऽप्ययुक्तः, किन्तु 'रेखागवय' न्यायेनोत्सर्गोऽपि परम्परयैव बोधक इत्याशयेन समाधत्ते—

समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् ॥३१॥
बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने
स्यान्महद्गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः ॥३२॥

समास इति वृत्तिमात्रोपलक्षणम् । 'समर्थः पदविधिः' (२।१।१) इत्यत्र पदमुद्दिश्य यो विधीयते समासादिः स समर्थ इति विग्रहवाक्याभिधाने शक्तः सन् साधुरिति सूत्रार्थस्य भाष्याल्लाभात् । पदोद्देश्यक-

---

सावित्री

(सामान्य नियम) परम्परया बोधक होता है। जैसे—'रेखागवय' में स्थित पुच्छ आदि के द्वारा चेतन पशु में स्थित पुच्छ आदि अवयवों का बोध होता है और उसके द्वारा परम्परया वास्तविक पशु का बोध होता है वैसे ही 'पूर्व-पदार्थ-प्रधान' इत्यादि उत्सर्ग से समास आदि वृत्ति का प्रथमतः बोध होता है तदनन्तर समास आदि वृत्ति में रहने वाले अर्थ का बोध होता है। इस प्रकार परम्परया उत्सर्ग विशिष्ट अर्थ का बोध होता है। इसी बात को उपस्थित करते हुये आगे की कारिका प्रस्तुत करते हैं—"समासे खलु भिन्नैव" इत्यादि।

समास में 'पङ्कज' शब्द की भाँति अतिरिक्त शक्ति होती है। 'पङ्काज्जातः पङ्कजः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'पङ्कज' से मीन, शैवाल आदि विभिन्न अर्थों का बोध सम्भव है। उसे रोकने के लिये 'पद्मत्व' रूप से अर्थ बोधिका समुदाय शक्ति माननी पड़ती है। ऐसे ही समास में भी समुदाय की अर्थबोधिका एक अतिरिक्त शक्ति माननी चाहिये।

यदि समुदाय में अतिरिक्त शक्ति नहीं मानेंगे तो 'पङ्कज' शब्द से शैवालत्व, मीनत्व, पद्मत्व आदि नाना धर्म उपस्थित होंगे, विशेषण लिङ्ग, संख्या आदि की भी उपस्थिति होगी। उन नाना धर्मों की व्यावृत्ति के लिये 'सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न" इत्यादि वचन स्वीकार करना पड़ता है जिससे गौरव होगा। इसलिये समुदाय में 'एकार्थीभाव' रूप अतिरिक्त शक्ति माननी चाहिये।

यहाँ 'समास' यह शब्द कृत्-तद्धित-आदि वृत्ति मात्र का उपलक्षण है। 'समर्थः

विधित्वं च—कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपासु पञ्चस्वपि वृत्तिष्व-स्त्येव। विशिष्टशक्त्यस्वीकर्तृणां व्यपेक्षावादिनां मते दूषणं शक्तिसाधक-मेवेत्याशयेनाऽऽह—पङ्कजशब्दवदिति। पङ्कजनिकर्तर्यपि योगादेवोप-स्थितौ तत्रापि समुदायशक्तिर्न सिद्ध्येत्।

न च पद्मत्वरूपेणोपस्थितये सा कल्प्यत इति वाच्यम्, चित्र-ग्वादिपदेऽपि स्वामित्वेनोपस्थितये तत्कल्पनाऽऽवश्यकत्वात्। लक्षणयैव

सावित्री

पदविधिः' (२।१।१) इस सूत्र के द्वारा 'पद' को उद्देश्य करके जो समास आदि का विधान किया जाता है वही समर्थ कहलाता है।

'राजपुरुषः' यह वाक्य है, उस अर्थ का विग्रह वाक्य 'राज्ञः पुरुषः' है। यहाँ 'राज्ञः पुरुषः' का जो अर्थ है उसका अभिधान करने में 'राजपुरुष' शब्द समर्थ है; क्योंकि उससे उस अर्थ की प्रतीति होती है। समास आदि वृत्ति के अर्थ का अवबोधक ही विग्रह वाक्य होता है। इस लिये विग्रह वाक्य के अर्थ कथन में समास आदि समर्थ होते हैं। ऐसे ही अर्थ कथन में समर्थ होकर समास साधु होता है। ऐसा 'समर्थः पदविधिः' सूत्र के भाष्य से ज्ञात होता है। वहाँ पर भाष्यकार ने कहा है—

"पृथगर्थानामेकार्थीभावः सामर्थ्यम्, 'राज्ञः पुरुषः' इति वाक्ये पृथगर्थानि, समासे एकार्थानि"।

पदोद्देश्यक विधित्व कृत्, तद्धित, समास, एकशेष, सनाद्यन्त धातु रूप—पाँचों वृत्तियों में रहता है। यहाँ पद का तात्पर्य सुबन्त से है सुप् से नहीं।

विशिष्ट (समुदाय) में शक्ति न मानने वाले व्यपेक्षावादी नैयायिकों के मत में जो दोष है वही विशिष्ट में शक्ति के साधक हैं। समास आदि वृत्ति में विशिष्टशक्ति न न मानने वाले व्यपेक्षा वादियों के मत में 'राजपुरुषः' इत्यादि में क्लृप्त राज पद की अवयव शक्ति से ही पदार्थ की उपस्थिति होती है तथा परस्पर आकांक्षा आदि के द्वारा जैसे विशिष्ट अर्थ का बोध होता है वैसे ही 'पङ्कज' शब्द से भी विशिष्ट अर्थ की उपस्थिति सम्भव होगी जिससे 'रूढ़ि' के उच्छेद होने की आपत्ति होगी। यदि कहें कि 'रूढ़ि' का उच्छेद होना इष्ट है तब 'पङ्कजनि कर्त्ता' इस अर्थ की भी अवयव शक्ति द्वारा उपस्थिति हो जायगी और वहाँ भी समुदाय में शक्ति सिद्ध न हो सकेगी जबकि 'पङ्कज' शब्द में विशिष्ट शक्ति सभी लोग मानते हैं।

तथोपस्थितिरिति चेत्, पङ्कजपदेऽपि सा सुवचा। एवं रथकारपदेऽपि तथा च 'वर्षासु रथकारोऽग्निमादधीत' इत्यत्रापि विना लक्षणां क्लृप्त-योगेन ब्राह्मणादिविषयतयोपपत्तौ तत्कल्पनां कृत्वा जातिविशेषस्याधि-कारित्वं प्रकल्प्यापूर्वविद्याकल्पनमयुक्तं स्यादिति भावः।

सावित्री

यदि यह कहें कि पङ्कज' शब्द के द्वारा पद्मत्वरूप अर्थ की उपस्थिति के लिये समुदाय में शक्ति मानना उचित न होगा, क्योंकि पद्मत्व रूप से उपस्थिति भी लक्षणा के द्वारा हो सकती है। यदि 'पङ्कज' शब्द से पद्मत्व रूप की उपस्थिति के लिये समुदाय में शक्ति मानेंगे तो 'चित्रगु' शब्द से 'चित्र (विचित्र) गायें हैं जिसकी' अर्थात् 'चित्र-गो-स्वामी' इस अर्थ की उपस्थिति के लिये भी समुदाय में शक्ति माननी पड़ेगी। यदि 'चित्रगु' शब्द से 'चित्र-गो-स्वामी' अर्थ की उपस्थिति लक्षणा से मानेंगे तो 'पङ्कज' शब्द में भी लक्षणा के द्वारा ही पद्मत्व अर्थ मानना उचित होगा। ऐसा होने पर 'रथकार' पद में भी समुदाय शक्ति सिद्ध न हो सकेगी। वहाँ भी लक्षणा द्वारा ही 'शूद्र जाति विशेष' अर्थ का बोध हो जायगा।

श्रुति है—'वर्षासु रथकारोऽग्निमादधीत' अर्थात् वर्षा ऋतु में रथकार (बढ़ई) अग्नि का आधान करे।

'मीमांसा' में यह विचार किया गया है कि यहाँ 'रथकार' का क्या अर्थ है? शूद्र जाति विशेष (बढ़ई) अथवा रथ को बनाने वाला द्विज आदि सभी। यदि शूद्र जाति विशेष अर्थ मानते हैं तो 'अग्न्याधान' उपपन्न न हो सकेगा क्योंकि अग्नि का आधान मन्त्र पूर्वक होता है और मन्त्र में शूद्र का अधिकार नहीं है। लिखा है—स्त्रीशूद्रौ नाधीयेताम्। इसलिये 'रथकार' पद से अवयव शक्ति के द्वारा 'रथ को बनाने वाला ब्राह्मण' का ग्रहण करना चाहिये—ऐसी आशंका कर 'योगाद् रूढिर्बलीयसी' इस न्याय से समुदाय शक्ति के द्वारा शूद्र का ग्रहण होगा—ऐसा निर्णय किया गया है। यहाँ वेद में शूद्र का अधिकार नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इस श्रुति वचन से अग्नि के आधान के उपयोगी मन्त्रों में अधिकार की कल्पना कर ली जायगी। इसलिये 'वर्षासु रथकारोऽग्नि-मादधीत' इस श्रुति में लक्षणा के विना 'रथं करोति-इति रथकारः' इस व्युत्पत्ति से अवयव शक्ति द्वारा ब्राह्मण आदि की विषयता उपपन्न हो जाती, श्रुति चरितार्थ हो जाती, पुनः समुदाय शक्ति की कल्पना कर शूद्र जाति विशेष को अग्नि के आधान का अधिकारी मानकर इस श्रुति को आधान की उपयोगी मानकर इससे अपूर्व विद्या की कल्पना करना अनुचित है।

साधकान्तरमाह—बहूनामिति । वृत्तेर्धर्म्माः विशेषणलिङ्ग-संख्याद्ययोगादयस्तेषां वचनैः साधने गौरवमित्यर्थः ।

अयं भावः—विशिष्टशक्त्यस्वीकारे 'राज्ञः पुरुषः' इत्यत्रेव 'राजपुरुषः' इत्यत्रापि स्याद्विशेषणाद्यन्वयः, राजपदेन स्वतन्त्रोपस्थिति-सत्त्वात् । विभाषावचनञ्च समासनियमवारणाय कार्यमिति ।

ननु 'सविशेषणानाम्' इति वचनान्न विशेषणाद्यन्वयः, विभाषावचनञ्च कृतमेवेत्याशङ्कां समाधत्ते—वचनैरेवेति । न्यायसिद्धमेव सूत्रम् । व्यपेक्षाविवक्षायां वाक्यस्य, एकार्थीभावे समासस्येति

सावित्री

समुदाय में शक्ति मानने के पक्ष में एक दूसरा प्रमाण प्रस्तुत करते हुये कहते हैं वहूनामिति ।

एकार्थीभाव रूप समास-आदि वृत्तियों में विशेषण, लिङ्ग, संख्या आदि अनेक धर्मों का अयोग (असम्बन्ध) हो जाता है जिससे उनका शाब्दबोध में भान नहीं होता है । शाब्दबोध का विषय बनाने के लिये "सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषण-योगो न" इत्यादि वचन मानना पड़ेगा जिससे गौरव होगा । इसलिये समुदाय में शक्ति मानना आवश्यक है ।

आशय यह है कि विशिष्ट में शक्ति न मानने पर जैसे 'राजपुरुषः' इस समास-वृत्ति में 'ऋद्धस्य' इत्यादि विशेषण का अन्वय होता है वैसे ही "ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः" यहाँ पर भी 'ऋद्धस्य, इस विशेषण का 'राज' पदार्थ में अन्वय होने लगेगा क्योंकि 'राज' पदार्थ की स्वतन्त्र उपस्थिति होती है। फलतः 'ऋद्धस्य राजपुरुषः' ऐसा अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा । समुदाय में विशिष्ट शक्ति मानने पर 'राजपुरुषः' में राज और पुरुष-पदार्थ का परस्पर विशेष्य-विशेषण भाव से युक्त विशिष्ट विषयक ही बोध होता है । राज पद से पुरुष विशेषणता से युक्त स्वार्थ की उपस्थिति नहीं होती है अतः 'ऋद्धस्य' इस विशेषण का राजमें अन्वय नहीं होता है। इसलिये 'ऋद्धस्य राजपुरुषः' ऐसा प्रयोग नहीं होगा ।

यदि व्यपेक्षा सामर्थ्य में ही समास होता है—ऐसा स्वीकार करेंगे और 'विभाषा' अधिकार नहीं मानते हैं तो समास नित्य ही वाक्य का निवर्त्तक जायगा । तव वाक्य (विग्रह) का कहीं प्रयोग नहीं होगा । इसलिये विकल्प से वाक्य की निवृत्ति के लिये 'विभाषा' सूत्र

स्वभावादेव प्रयोगनियमसम्भवात्। सविशेषणेत्यपि विशिष्टशक्तौ राज्ञः पदार्थैकदेशतयाऽन्वयासम्भवान्न्यायसिद्धमिति भावः।

अत एव व्यपेक्षापक्षमुद्भाव्य "अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसावेकार्थीभावकृतो विशेषः, स वक्तव्यः" इति भाष्यकारेण दूषणमप्युक्तम् ॥३२॥

सावित्री

करना पड़ता है। एकार्थीभाव में समास होगा और व्यपेक्षा में वाक्य रहेगा। इसलिये दोनों के स्वतः सिद्ध रहने से 'विभाषा' सूत्र नहीं करना पड़ता है।

इस पर व्यपेक्षावादी आगे कहते हैं कि 'सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोगो न' इस वचन के अनुसार 'राजपुरुषः' इस समास घटक 'राज' पदार्थ में 'ऋद्धस्य' इत्यादि विशेषण का अन्वय नहीं होगा और न तो समास होने से नित्य वाक्य की निवृत्ति होती है। 'विभाषा' वचन मानने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि यह सूत्र महर्षि पाणिनि ने पहले से बनाया है। इसलिये व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य में भी समास मानने पर कोई दोष नहीं होगा—ऐसी आशंका का समाधान करते हुये ग्रन्थकार ने कहा है—वचनैरेवेति।

'विभाषा' यह अधिकार सूत्र न्याय सिद्ध है कोई अपूर्व वचन नहीं है। तात्पर्य यह है कि एकार्थीभाव की विवक्षा में समास होता है और व्यपेक्षा में वाक्य रहता है। इसलिये समास और वाक्य दोनों स्वतः सिद्ध हैं, इसके लिये 'विभाषा' इस अधिकार सूत्र की कोई अपेक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त 'सविशेषणानां वृत्तिर्न' इत्यादि वचन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विशिष्ट में शक्ति रहने पर 'राजपुरुष' घटक जो 'राज' पदार्थ है वह पदार्थैकदेश है। अतः उसमें 'ऋद्धस्य' आदि विशेषण के अन्वय की सम्भावना नहीं होती। इस प्रकार 'सविशेषणानां वृत्तिर्नेति' इत्यादि वचन भी 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति' इस न्याय विरोध से अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार व्यपेक्षा पक्ष को दोषग्रस्त मानकर भाष्यकार ने कहा है—इस व्यपेक्षा पक्ष में यह जो एकार्थीभाव रूप विशेष है—उसी को कहना चाहिये। ऐसा कहकर व्यपेक्षा पक्ष का खण्डन कर दिया है ॥३२॥

विशिष्ट में शक्ति न मानने पर 'धवखदिरौ' इत्यादि में प्रतीयमान समुच्चय अर्थ को अलग से कहना पड़ेगा। यहाँ धवश्च खदिरश्च=धवखदिरौ में इतरेतरयोग द्वन्द्व का

तथा 'धवखदिरौ' 'निष्कौशाम्बिः' 'गोरथः' 'घृतघटः' 'गुडधानाः' 'केशचूडः' 'सुवर्णालङ्कारः' 'द्विदशाः' 'सप्तपर्णाः' इत्यादावितरेतरयोग-निष्क्रान्त-युक्त-पूर्ण-मिश्र-सङ्घात-विकार-सुच्प्रत्यय-लोप-वीप्साद्यर्थो वाचनिको वाच्य इत्यतिगौरवं स्यादिति दूषणान्तरमाह—

सावित्री

बोधक चकार है। उसके लोप की कल्पना करनी होगी जिससे गौरव होगा। विशिष्ट में शक्ति मानने पर "धवखदिर-समुच्चय" इतना अर्थ समास वृत्ति से ही निकल जाता है।

'कौशाम्ब्याः निष्क्रान्तः' इस अर्थ के वाचक 'निष्कौशाम्बी' में क्रान्त पद का लोप कहना पड़ेगा। "कौशाम्बी से निकलने वाला" इस विशिष्ट अर्थ में शक्ति मानने पर 'क्रान्त' रूप अर्थ भी समास का ही हो जाता है। इसी प्रकार 'गोयुक्तो रथः गोरथः—यहाँ पर भी 'युक्त' पद का लोप कहना होगा। 'घृतपूर्णो घटः' इस अर्थ के वाचक 'घृतघटः' में भी 'पूर्ण' पद का लोप कहना होगा। 'गुडेन मिश्राः धानाः' इस अर्थ में 'गुडधानाः' शब्द में मिश्र पद का लोप कहना पड़ेगा। 'केशचूडः' में 'केशसंघातभूता चूडा यस्य' इस बहुव्रीहि समास में 'संघात' पद का लोप स्वीकार करना होगा। 'सुवर्णस्य विकारोऽलङ्कारः' इस अर्थ के वाचक 'सुवर्णालङ्कार' में 'विकार' शब्द का लोप मानना पड़ेगा।

'द्विरावृत्त दश' इस अर्थ के बोधक 'द्विदश' शब्द में अर्थ के अनुरोध से सुच् प्रत्यय का लोप कहना होगा।

'सप्त सप्त पर्णानि यस्य' इस अर्थ के बोधक 'सप्तपर्ण' शब्द में 'वीप्सा' का लोप कहना होगा। इन सब कारणों से अनेक गौरव होगा। विशिष्ट में शक्ति मानने पर उक्त सभी अर्थ तत्तद् समस्त पद के हो जायेंगे, किसी पद के लोप आदि की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी।

इस प्रकार व्यपेक्षा पक्ष में दूसरा दोष प्रस्तुत करते हैं—

चकारादिनिषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम्। कर्त्तव्यं ते न्यायसिद्धं त्वस्माकं तदिति स्थितिः॥

अर्थात् व्यपेक्षावाद के मत में 'धवखदिरौ' इत्यादि स्थल में चकार आदि लोप कहना पड़ेगा, "समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयातिरिक्तसम्बन्धोऽव्युत्पन्नः" इत्यादि व्युत्पत्तियों का भङ्ग करना पड़ेगा। हमारे विशिष्टशक्तिवादी मत में समुच्चय आदि अर्थ न्यायसिद्ध है। इसलिये हमारे मत में चकार आदि पदों का न लोप करना पड़ता है

चकरादिनिषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम् ।
कर्त्तव्यं ते न्यासिद्धं त्वस्माकं तदिति स्थितिः ।।३३।।

अदिना 'घनश्यामः' 'हंसगमनः' इत्यादाविवादीनां पूर्वोक्तानाञ्च संग्रहः । दूषणान्तरमाह--बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम् इति । अयमाशयः--'चित्रगुः' इत्यत्र स्वाम्यादिप्रतीतिरनुभवसिद्धा ।

सावित्री

और न किसी व्युत्पत्ति का भङ्ग होता है । यही हमारी स्थिति है और यही हमारे मत में लाघव है ।

व्यपेक्षावादी के मत में 'धवखदिरौ' इत्यादि में दोष देने के अनन्तर दूषणान्तर प्रस्तुत करते हुये कहते हैं—

चकारादिनिषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम ।
कर्त्तव्यं ते न्यायसिद्धं त्वस्माकं तदिति स्थितिः ॥३३॥

यहाँ चकारादि पद में आदि पद से "घन इव श्यामः = घनश्यामः" में 'इव' पद का लोप कहना पड़ेगा । "उपमानानि सामान्यवचनैः" (२।१।५५) सूत्र से उपमान घन' का सादृश्यादिवाचक इव आदि के साथ समास होता है । समास होने पर इव का लोप होता है । हमारे (एकार्थीभाववादी) मत में 'घनगतश्यामत्वसदृशश्यामत्ववान्' इस विशिष्ट अर्थ का लाभ समासशक्ति से ही हो जाता है । इसलिये 'इव' आदि के लोप करने की अपेक्षा नहीं होती है जबकि व्यपेक्षावादी को 'इव' पद का लोप करना पड़ता है ।

इसी भाँति व्यपेक्षावादी के मत में 'हंसस्य गमनमिव गमनं यस्य' इस अर्थ के बोधक 'हंसगमनः' में सादृश्यवाचक 'इव' का लोप करना पड़ता है । हमारे मत में 'हंस-कर्तृकगमनसदृशगमनकर्त्ता' इस अर्थ का लाभ समासवृत्ति से ही हो जाता है । इसके अतिरिक्त 'निष्कौशाम्बिः' इत्यादि में 'क्रान्त' आदि का लोप कहना पड़ता है जैसा कि पहले कहा जा चुका है ।

अभिप्राय यह है कि 'चित्रगुः' इस समस्त पद का 'चित्र गाय का स्वामी' यह अर्थ अनुभव सिद्ध है । यहाँ 'चित्रगु' का 'चित्रा गावो यस्य' ऐसा विग्रह-वाक्य होता है । इससे जिसकी चित्र (वर्ण) गायें हैं—ऐसा गोपदार्थ विशेषणक अन्यपदार्थ मुख्य विशेष्यक बोध होता है । समास होने पर चित्रगो सम्बन्धी—और चित्रगोस्वामी—ऐसा चित्रगो विशेषणक-अन्य पदार्थ मुख्यविशेष्यक बोध होने से स्वामी अर्थ की प्रतीति स्वतः सिद्ध है । अब प्रश्न यह है कि यदि समास में अतिरिक्त शक्ति न मानी जाय तो 'स्वामी' अर्थ कहाँ से आया

न च तत्र लक्षणा, 'प्राप्तोदको ग्रामः' इत्यादौ तदसम्भवात्; 'प्राप्तिकर्त्रभिन्नमुदकम्' इत्यादिबोधोत्तरं तत्सम्बन्धिग्रामलक्षणायामपि 'उदककर्तृकप्राप्तिकर्मग्रामः' इत्यर्थालाभात्।

प्राप्तेति क्तप्रत्ययस्यैव कर्त्रर्थकस्य कर्मणि लक्षणेति चेत्तर्हि समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयव्युत्पत्तेरुदकाभिन्नप्राप्तिकर्मेति स्यात्।

सावित्री

क्योंकि 'चित्रगु' में 'चित्र' और 'गो' ये दो शब्द हैं। इनमें किसी का भी स्वामी अर्थ नहीं है।

यदि यह कहें कि 'चित्रगु' इस समस्त पद की 'चित्र-गो-स्वामी' अर्थ में लक्षणा करके स्वामी अर्थ का लाभ हो जायगा, तो इसके उत्तर में विशिष्ट शक्तिवादी का कहना है कि लक्षणा के द्वारा ऐसा अर्थ लाभ असम्भव है। क्योंकि विशिष्ट शक्तिवादी का मत है कि 'चित्रगु' में यथाकथञ्चित् लक्षणा के द्वारा स्वामी आदि अर्थ की प्रतीति सम्भव होने पर भी 'प्राप्तोदकः' में लक्षणा के द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ सम्भव नहीं है। अतः अभीष्ट अर्थ का सर्वत्र लक्षणा द्वारा सम्भव नहीं है। अतः 'चित्रगुः' में भी लक्षणा द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ करना अनुचित है।

प्राप्तोदको ग्रामः' के 'प्राप्त' पद में 'प्र' पूर्वक 'आप्' धातु से कर्त्ता अर्थ में 'क्त' प्रत्यय हुआ है, उसका 'अभेद' सम्बन्ध से उदक पदार्थ में अन्वय होकर 'प्राप्तिकर्त्र्यभिन्नमुदकम्' ऐसा वाक्यार्थ बोध होगा। तदनन्तर 'तत्सम्बन्धी ग्राम' में लक्षणा करने पर प्राप्तिकर्त्र्यभिन्नोदकसम्बन्धिग्राम' ऐसा लक्ष्यार्थ होगा। इस प्रकार लक्षणा करने पर भी 'उदककर्तृकप्राप्तिकर्मग्रामः' इस अभीष्ट अर्थ का लाभ नहीं हो सकेगा। समास में विशिष्ट शक्ति मानने पर उस अर्थ विशेष में समस्त पद की शक्ति मानी जाती है। अतः अभीष्ट अर्थ लाभ में कोई बाधा नहीं रहती है।

यदि यह कहें कि 'प्राप्तोदक' में कर्त्ता अर्थ के बोधक 'क्त' प्रत्यय की ही 'कर्म' अर्थ में लक्षणा कर ली जाय और 'उदक' का कर्तृतासम्बन्ध से 'प्राप्ति' में अन्वय कर लिया जाय तो 'उदककर्तृकप्राप्तिकर्मग्राम' इस अभीष्ट अर्थ का लाभ हो जायगा। इसके लिये समास की विशिष्ट अर्थ में शक्ति मानने की क्या आवश्यता है?

१—'प्राप्तोदक' में 'प्राप्तमुदकं यम्' इस विग्रह वाक्य से 'तत्कर्मकप्राप्तिकर्त्रुदकम्' ऐसा वाक्यार्थ बोध होता है, समास से 'उदककर्तृकप्राप्तिकर्मग्रामः' ऐसा बोध होता है।

अन्यथा समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयव्युत्पत्तिभङ्गापत्तेः। प्राप्तेर्धात्वर्थतया कर्तृतासम्बन्धेन भेदेनोदकस्य तत्रान्वयासम्भवाच्च। अन्यथा 'देवदत्तः पच्यते', इत्यत्र कर्तृतासम्बन्धेन देवदत्तस्यान्वय-संभवेनानन्वयानापत्तेः।

सावित्री

इसके उत्तर में समास से अतिरिक्त शक्तिवादी वैयाकरण का कहना है कि यदि कर्त्ता अर्थ में विहित 'क्त' प्रत्यय' का 'कर्म' अर्थ में लक्षणा करेंगे तो 'प्राप्त और उदक, इन दोनों पदों के समानाधिकरण (समानविभक्तिक) होने से परस्पर में अभेदसम्बन्ध से अन्वय होगा क्योंकि नियम है कि समानाधिकरण प्रातिपदिकार्थों का आपस में अभेदान्वय होता है। नियमानुसार अभेदान्वय होने पर 'प्राप्तोदक' का 'उदकाभिन्नप्राप्तिकर्म' यही अर्थ होगा न कि उदककर्तृकप्राप्तिकर्म।

यदि उदक और प्राप्ति में अभेद सम्बन्ध से अन्वय न कर 'उदक' का कर्तृता सम्बन्ध से 'प्राप्ति' पदार्थ में अन्वय मानेंगे तो समानाधिकरण प्रातिपदिकार्थों का अभेदान्वय ही होता है—यह नियम भङ्ग हो जायगा। यदि यह कहें कि हम उदक का कर्तृता रूप भेद सम्बन्ध से 'प्राप्ति' क्रिया में अन्वय करेंगे, न कि प्राप्ति कर्म रूप नामार्थ में। ऐसा होने पर समानाधिकरण प्रातिपदिकार्थों का अभेदान्वय नियम भङ्ग होने की आशंका नहीं रहेगी। इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि उदक का कर्त्ता रूप भेद सम्बन्ध से प्राप्ति रूप धात्वर्थ क्रिया में भी अन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि नियम है—'नामार्थधात्वर्थयोः साक्षाद् भेदान्वयोऽव्युत्पन्नः' अर्थात् नामार्थ और धात्वर्थ का साक्षात् भेद सम्बन्ध से अन्वय अव्युत्पन्न है। यह नियम अस्वीकार करने पर 'देवदत्तः पच्यते' यहाँ पर भी 'देवदत्त' का कर्तृता सम्बन्ध से 'पाक' क्रिया में अन्वय निर्बाध हो जायगा तब यहाँ अनन्वय की अनापत्ति (असिद्धि) हो जायगी। अर्थात् अन्वय होने लगेगा।

वस्तुतः यहाँ 'देवदत्तेन पच्यते' इस अर्थ में 'देवदत्तः पच्यते' यह प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि देवदत्त शब्द के उत्तर तृतीया विभक्ति न होने से कर्त्ता अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। यदि तृतीया आदि विभक्ति के बिना भी कर्त्ता रूप से क्रिया में अन्वय हो तो यहाँ 'देवदत्तः पच्यते' में देवदत्त' का पाक क्रिया में कर्तृत्व सम्बन्ध से अन्वय होने लगेगा, तब 'देवदत्तः पच्यते' इस वाक्य में अन्वयाभावरूप अभीष्ट सिद्धि नहीं हो पायेगी।

अथोदकाभिन्नकर्तृका प्राप्तिरिति बोधोत्तरं तत्संबन्धिग्रामो लक्ष्यत इति चेन्न, प्राप्तेर्धात्वर्थतया क्तार्थकर्त्तारं प्रति विशेष्यतया असंभवात्, प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यमिति व्युत्पत्तेः। प्राप्तपदे प्राप्तेर्विशेष्यत्वे तस्या एव नामार्थत्वेनोदकेन सममभेदान्वयापत्तेश्च। एवमूढरथः, उपहृतपशुः, उद्धृतौदना, 'बहुपाचिका इत्यादावपि द्रष्टव्यम्। अत्र हि रथकर्मकवहनकर्त्ता, पशुकर्मकोपहरणोद्देश्यः, ओदन-

---

सावित्री

अब व्यपेक्षावादी का मत प्रस्तुत करते हुये कहते हैं कि 'प्राप्तोदक' में 'उदक' पदार्थ का क्तप्रत्ययार्थ कर्त्ता में अभेद सम्बन्ध से अन्वय करके 'उदकाभिन्नकर्त्ता' अर्थ हो जायगा। तदनन्तर उस क्तप्रत्ययार्थकर्त्ता का वृत्तित्व सम्बन्ध से 'प्राप्ति' पदार्थ में अन्वय कर लेंगे। इससे 'उदकाभिन्नकर्तृकप्राप्ति' ऐसा अर्थ बोध हो जायगा। उस प्राप्ति का तत्सम्बन्धी ग्राम में लक्षणा कर लेंगे जिससे 'उदकाभिन्नकर्तृकप्राप्तिसम्बन्धिग्राम' ऐसा अभीष्ट अर्थ लाभ हो जायगा। इस प्रकार न अभीष्ट अर्थ में कोई बाधा होगी और न किसी प्रकार के व्युत्पत्ति नियम भङ्ग की ही आशंका ही होगी। ऐसी स्थिति में समास में अतिरिक्त (विशिष्ट) शक्ति मानने की क्या अपेक्षा है ?

इसके उत्तर में एकार्थीभाववादी का कहना है कि 'प्राप्ति' पदार्थ धातु का अर्थ है उसका 'क्त' प्रत्ययार्थ कर्त्ता अर्थ में विशेष्यत्वेन अन्वय असम्भव है, क्योंकि नियम है - प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ में प्रत्ययार्थ ही प्रधान होता है। 'प्राप्ति' रूप धात्वर्थ को क्तप्रत्ययार्थ कर्त्ता में विशेष्य रूप से अन्वय करने पर प्रत्ययार्थ के प्रधान होने का नियम भङ्ग हो जायगा।

यदि यह कहें कि प्रकृति-प्रत्यय में प्रत्ययार्थ के प्रधान होने की बात सार्वत्रिक नहीं है, प्रत्युत संख्या आदि के विषय में यह नियम व्यभिचरित है। जैसे—'गामानय' इस वाक्य से 'एकत्वविशिष्टगो का आनयन' रूप अर्थ की प्रतीति होती है। यहाँ एकत्व संख्या 'ग्राम्' में 'अम्' प्रत्यय का अर्थ है और वह संख्या 'गो' रूप प्रकृत्यर्थ में विशेषण है। इसलिये यहाँ प्रत्ययार्थ प्रधान न होकर प्रकृत्यर्थ में विशेषण है। ऐसी स्थिति में 'प्राप्ति' पदार्थ के धात्वर्थ (प्रकृत्यर्थ) होने पर भी 'क्त' प्रत्ययार्थ कर्त्ता में विशेष्यत्वरूप से अन्वय होने में कोई बाधा नहीं है।

इस आशंका का समाधान करते हुये विशिष्टशक्तिवादी का मत है कि यदि यथाकथञ्चित् 'प्राप्त' पद को विशेष्य मान लें तो वह नामार्थ हो सकता है। नामार्थ

कर्मकोद्धरणावधिः, बहुपाककर्त्रधिकरणम् इति बोधाभ्युपगमात्। अतिरिक्तशक्तिपक्षे च घटत्वविशिष्टे घटपदस्योदककर्तृकप्राप्तिकर्मत्व-विशिष्टे प्राप्तोदक इत्यादिसमुदायशक्त्यैव निर्वाह इति भावः ॥२३॥

सावित्री

होने पर उसका उदक के साथ अभेदान्वय होने की आपत्ति होगी। क्योंकि समान विभक्तिक नामार्थों का परस्पर अभेदान्वय होने का नियम है।

इस प्रकार व्यपेक्षावादी के मत में न केवल 'प्राप्तोदक' इत्यादि द्वितीयार्थक बहुव्रीहि में ही लक्षणा के द्वारा इष्ट अर्थ का लाभ नहीं सम्भव है अपि तु तृतीया आदि बहुव्रीहि में भी लक्षणा से अभीष्ट लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार ऊढरथः, उपहृतपशुः, उद्धृतौदना, बहुपाचिका-इत्यादि में भी व्यपेक्षावादी के अनुसार लक्षणा द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ नहीं हो सकता है। 'ऊढरथः'' का 'ऊढो रथो येन' इस विग्रह वाक्य से 'यत्कर्तृकवहनकर्माऽभिन्नो रथः' ऐसा शाब्दबोध होता है, 'उपहृतपशुः' का 'उपहृतः पशुः यस्मै' इस विग्रह द्वारा 'यदुद्देश्यकोपहारकर्मीभूतः पशुः' ऐसा अर्थ बोध होता है, उद्धृत ओदनः यस्याः' इस अपादान बहुव्रीहि का 'यदवधिकोद्धरणकर्माभिन्नौदनः'' यह शाब्दबोध होता है। 'बहुपाचिका' का 'बहवः पाचकाः यस्याम्' इस वाक्य से 'यद-धिकरणबहुत्वभिन्नपचनकर्त्तारः' ऐसा शाब्दबोध होता है।

उक्त सभी स्थलों में अन्य पदार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध इष्ट है। समास में अतिरिक्त शक्ति बिना स्वीकार किये ऐसा बोध सम्भव नहीं है। यदि कहें कि लक्षणा के द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ हो जायगा, वह सम्भव नहीं है। 'ऊढरथः' में यदि प्रथमतः ही रथ आदि पद का 'रथसम्बन्धी' इत्यादि रूप से अन्य पदार्थ में लक्षणा करते हैं तो रथ के पदार्थैकदेश होने से वहाँ 'ऊढ' पदार्थ का अन्वय नहीं होता है। इसलिये 'वहनकर्माभिन्नो रथः' इस बोध के अनन्तर सम्बन्धी में लक्षणा करने पर भी 'रथवहनकर्त्ता' इस अभीष्ट अर्थ का लाभ न हो सकेगा। इसी प्रकार 'उपहृतपशुः' इत्यादि पदों में भी लक्षणा द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ सम्भव नहीं है। विशिष्टशक्तिवादी के मत में जैसे 'घट' पद घटत्वविशिष्टशक्ति के द्वारा विशिष्ट अर्थ का उपस्थापक है वैसे ही 'प्राप्तोदक' इत्यादि समुदाय भी विशिष्टशक्ति के द्वारा उदककर्तृकप्राप्तिकर्मत्वविशिष्ट' अर्थ का उपस्थापक है। इसी प्रकार 'ऊढरथः' इत्यादि समुदाय भी विशिष्टशक्ति के द्वारा 'रथवहन-कर्त्ता' इत्यादि विशिष्ट अर्थ के उपस्थापक समझना चाहिये। कहीं कोई अनुपपत्ति नहीं होगी। ॥२३॥

साधकान्तरमाह—

अपष्ठ्यर्थबहुव्रीहौ व्युत्पत्यन्तरकल्पना ।
क्लृप्तत्यागश्चास्ति तव तत् किं शक्तिं न कल्पयेः ॥३४॥

अयं भावः – चित्रगुरित्यादिषु चित्रगवीणां स्वाम्यादिप्रतीतिर्न विना शक्तिमुपपद्यते । न च तत्र लक्षणा । सा हि न चित्रपदे, चित्रस्वामी गौरिति बोधापत्तेः । नापि गोपदे, 'गोस्वामी चित्रः' इत्यन्वयबोधापत्तेः । चित्रादिमात्रस्य लक्ष्यैकदेशत्वेन तत्र गवादेरन्वयायोगात् ।

न च "चित्राभिन्ना गौः" इति शक्त्युपस्थाप्ययोरन्वयबोधोत्तरं तादृशगोस्वामी गोपदेन लक्ष्यते इति वाच्यम्, गोपदस्य चित्रपदस्य वा विनिगमनाविरहेण लक्षकत्वासम्भवात् ।

सावित्री

समास में विशिष्टशक्तिसाधक प्रमाणान्तर प्रस्तुत करने हेतु कारिका लिखते हैं—
अषष्ठ्यर्थबहुव्रीहौ इत्यादि ।

व्यपेक्षावादी के मत का खण्डन करते हुये ग्रन्थकार का कहना है कि समास में विशिष्टशक्ति मानने पर अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि अर्थात् षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि से भिन्न 'प्राप्तोदक' इत्यादि द्वितीया, तृतीया आदि बहुव्रीहि में व्युत्पत्त्यन्तर की कल्पना करनी पड़ेगी। यहाँ षष्ठ्यर्थ ससम्बर्थ बहुव्रीहि का भी उपलक्षण हैं। 'प्राप्तोदक' इत्यादि में व्युत्पत्त्यन्तर की कल्पना करनी पड़ती है अर्थात् 'नामार्थयोरभेदातिरिक्तः सम्बन्धोऽव्युत्पन्नः' 'प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्' इत्यादि नियमों को छोड़ देना पड़ता है। फलतः अगत्या शक्त्यन्तर की कल्पना करनी पड़ती है। 'क्लृप्तत्याग' अर्थात् अवयव शक्ति का त्याग करना पड़ता है।

'प्राप्तोदको ग्रामः' के 'प्राप्तोदक' का उदक भिन्न जो कर्त्ता 'तत्कर्मक प्राप्ति—ऐसा अर्थ होता है। यहाँ 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'आप्' धातु से कर्त्ता अर्थ में क्तप्रत्यय हुआ है उस कर्त्ता अर्थ में उदक पदार्थ का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है। तब अर्थ होता है—उदकाभिन्न जो कर्त्ता, उस कर्त्ता का वृत्तित्वसम्बन्ध से प्राप्ति पदार्थ में अन्वय करके 'उदकाभिन्नकर्तृवृत्तिप्राप्ति' ऐसा अर्थ बोध होता है।

विशिष्ट में शक्ति न मानने पर 'प्राप्त' पद में 'क्त' प्रत्ययार्थ जो कर्त्ता, उसका विशेष्यत्वेन धात्वर्थ प्राप्ति क्रिया में अन्वय असम्भव हो जायगा, क्योंकि नियम है—

न च गोपदे साक्षात्सम्बन्ध एव विनिगमक इति वाच्यम्; एवमपि 'प्राप्तोदकः' कृतविश्वः' इत्याद्यषष्ठ्यर्थबहुव्रीहौ विनिगमकाप्राप्तेः। यौगिकानां कर्त्राद्यर्थकतया साक्षात्सम्बन्धाविशेषात्।

न च 'पदद्वये लक्षणा' इति नैयायिकोक्तं युक्तम्, बोधावृत्तिप्रसङ्गात्। न च परस्परं तात्पर्यग्राहकत्वादेकस्यैवैकदा लक्षणा, न द्वयोरिति न बोधावृत्तिरिति वाच्यम्, एवमपि विनिगमनाविरहतादवस्थ्येन लक्षणाया असम्भवात्।

सावित्री

"प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्"। इस नियम को भङ्ग यदि करते हैं तो उसकी अपेक्षा विशिष्ट में शक्ति मानना चाहिये।

भाव यह है कि 'चित्रगु' इत्यादि पद का चित्र वर्ण वाली गायों का स्वामी (चित्राणां गवां स्वामी) यह अर्थ अनुभव सिद्ध है। यहाँ 'चित्र' पद का विचित्र वर्ण अर्थ है, 'गो' पद का 'गाय' अर्थ है। 'स्वामी' रूप अर्थ किसी पद का नहीं है। अतः उसकी प्रतीति विना समुदाय में अतिरिक्त शक्ति माने नहीं हो सकती है।

यदि यह कहें कि समास में अतिरिक्त शक्ति मानने की अपेक्षा नहीं है। लक्षणा द्वारा स्वामी अर्थ की प्रतीति हो जायगी। तब यह प्रश्न उठता है कि 'चित्रगु' में चित्र और गो—ये दो शब्द सम्मिलित हैं। इन दोनों में किस पद की 'स्वामी' अर्थ में लक्षणा करेंगे? यदि 'चित्र' पद की लक्षणा करते हैं तो 'चित्रस्वामी गौः' ऐसे बोध की आपत्ति होगी। यदि 'गो' पद की लक्षणा करते हैं तो 'गोस्वामी चित्र' ऐसे अन्वय बोध की आपत्ति होगी। यदि यह कहें कि 'चित्र' पद का 'चित्रस्वामी' अथवा 'गो' पद का 'गोस्वामी' अर्थ में लक्षणा करके 'चित्रगोस्वामी' अर्थ का लाभ हो जायगा, कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर 'चित्रपदार्थ' अथवा 'गोपदार्थ' के पदार्थैकदेश होने से उसमें 'गौ' आदि का अन्वय न हो सकेगा। नियम है—पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। यदि ऐसा कहें कि 'चित्रगु' पद की 'पदार्थोपस्थिति' आदि सामग्री के द्वारा अन्वय बोध होकर पहले "चित्राभिन्ना गौः" ऐसा अर्थ बोध हो जायगा। तदनन्तर 'गो' पद की 'गोस्वामी' अर्थ में लक्षणा करके 'चित्राभिन्नगोस्वामी' अर्थ का लाभ हो जायगा। इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि 'स्वामी' अर्थ में 'चित्र' पद की लक्षणा की जाय अथवा 'गो' पद की लक्षणा की जाय—इसमें कोई विनिगमक न होने से लक्षणा सम्भव नहीं है। इसलिये 'लक्षणा' द्वारा 'स्वामी' अर्थ के लाभ की बात नहीं कही जा सकती है।

न च चरमपदे एव सा, प्रत्ययार्थान्वयानुरोधात्, प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेरिति वाच्यम्, एवं हि बहुव्रीह्यसम्भवापत्तेः। अनेकमन्यपदार्थे (२।२।४) इत्यनेकसुबन्तानामन्यपदार्थप्रतिपादकत्वेन तद्विधानात्।

सावित्री

पहले कह चुके हैं कि 'चित्रगु' में 'चित्र' या 'गो' पद की स्वामी अर्थ में लक्षणा
की जाय, इसका कोई विनिगमक न होने से लक्षणा नहीं हो सकती है। इसके आगे
कहते हैं कि गो पद का स्वामी अर्थ में स्वत्वनिरूपित साक्षात् सम्बन्ध है, इसलिये 'गो'
पद की स्वामी अर्थ में लक्षणा करने में यही विनिगमना (एकतरपक्षपातिनी युक्ति) है।
ऐसी स्थिति में विनिगमक के अभाव में लक्षणा नहीं होगी, यह कहना उचित नहीं है।
इसके समाधान में अतिरिक्त शक्तिवादी का कहना है कि 'चित्रगु' इत्यादि षष्ठ्यर्थ
बहुव्रीहि में उत्तरपद की लक्षणा करने में साक्षात् सम्बन्ध के विनिगमक होने पर भी
'प्राप्तोदकः' 'कृतविश्वः' इत्यादि अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि के लक्षणा करने में कोई विनिगमक
नहीं है। 'प्राप्तोदक' में 'प्राप्तमुदकं यम्' इस विग्रह से कर्म अर्थ में बहुव्रीहि समास है।
'उदककर्तृकप्राप्तिकर्म' ऐसा अर्थ बोध होता है। यहाँ 'प्राप्त' पद में 'क्त' प्रत्यय कर्त्ता
का वाचक है, उस 'क्त' प्रत्यय से 'कर्त्ता' रूप में जिस अर्थ का बोध होता है, उसी
अर्थ का उदक पद से उदकत्वेन बोध होता है। दोनों पदों का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न है
किन्तु विशेष्य भूत अर्थ एक है। इस प्रकार दोनों पदों के समानार्थक होने से जैसे 'उदक'
पद का अन्य पदार्थ के साथ साक्षात् सम्बन्ध है वैसे ही 'प्राप्त' पद का भी है। इसलिये
इनमें किस 'पद' की अन्य पदार्थ में लक्षणा की जाय—इसमें कोई विनिगमक नहीं है।

'कृतविश्वः' में 'कृतं विश्वं येन' ऐसी व्युत्पत्ति है। 'विश्वकर्मकोत्पत्तिकर्तृत्वेन'
अन्य पदार्थ की प्रतीति होती है। यहां 'कृतिकर्माभिन्नं विश्वम्' ऐसा अर्थ होने से कृत
और विश्व—दोनों शब्द एक अर्थ के बोधक हैं और दोनों का समान रूप से अन्य
पदार्थ के साथ साक्षात् सम्बन्ध है। इसलिये यहाँ भी पूर्वोत्तर पद में किस पद की अन्य
पदार्थ में लक्षणा की जाय—इसमें कोई विनिगमक नहीं है।

'प्राप्तोदकः' 'कृतविश्वः' इत्यादि यौगिक शब्दों के पूर्वोत्तर पद कर्त्ता-कर्म-इत्याद्यर्थक
होकर समान रूप से अन्य पदार्थ के साथ साक्षात् सम्बद्ध हैं। इस कारण पूर्व और उत्तर
पदों का अन्य पदार्थ के साथ साक्षात् सम्बन्ध लक्षणा में विनिगमक नहीं हो सकता है।

यदि प्राचीन नैयायिकों की भाँति 'चित्रगु' इत्यादि के दोनों पदों (चित्र और गो)
की 'चित्रगोस्वामी' अर्थ में लक्षणा कर ले, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि दोनों पदों की

किञ्चैवं सति घटादिपदेष्वपि चरमवर्ण एव वाचकताकल्पना स्यात्, पूर्वपूर्ववर्णानां तात्पर्यग्राहकत्वेनोपयोगसम्भवात्। एवं सति चरमवर्णमात्रश्रवणेऽर्थबोधापत्तिरिति चेत्, अत्राप्युदकपदमात्रश्रवणादर्थप्रत्ययापत्तिस्तुल्येत्यन्यत्र विस्तरः।

सावित्री

'चित्र–गोस्वामी' अर्थ में लक्षणा करने पर दो बार 'चित्रगोस्वामी' ऐसे बोध की आपत्ति होगी।

इस 'बोधावृत्ति' रूप दोष के परिहार के लिये आप यह कहते हैं कि हम एक साथ दोनों पदों में लक्षणा नहीं करेंगे अपितु एक पद की लक्षणा करेंगे दूसरा पद तात्पर्य का ग्राहक रहेगा। जैसे—यदि 'चित्र' शब्द की चित्रगोस्वामी में लक्षणा करेंगे तो 'गो' पद तात्पर्य का ग्राहक होगा। यदि 'गो' पद की 'चित्रगोस्वामी' अर्थ में लक्षणा करेंगे तो 'चित्र' पद तात्पर्यग्राहक होगा इस प्रकार बोध की आवृत्ति नहीं होगी।

इसके उत्तर में कहना है कि कब किस पद की लक्षणा की जाय? किस पद को तात्पर्य का ग्राहक माना जाय? इसका भी कोई विनिगमक न होने से ऐसी लक्षणा भी असम्भव है।

यदि कहें कि प्रत्ययार्थ के अन्वय के अनुरोध से चरम पद में ही लक्षणा की जाय क्योंकि यह व्युत्पत्ति है—"प्रत्यानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वम्। "अर्थात् प्रत्ययों का सन्निहितपदार्थ गत स्वार्थ का बोधक होना नियम है जैसे—प्रत्यय के समीप उच्चरित जो पूर्वपद, उसका जो एकत्व आदि अर्थ, उसका बोधकत्व प्रत्यय में होने का नियम है।

इस प्रकार चरम (अन्तिम) पद की अन्य पदार्थ में लक्षणा स्वीकार कर लेने पर यह बात समाप्त हो जाती है कि पूर्व, उत्तर पद में विनिगमक के अभाव में लक्षणा नहीं सकेगी। ऐसी स्थिति में लक्षणा द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ हो जायगा। पुनः समास की विशिष्ट (अतिरिक्त) अर्थ में शक्ति मानने की क्या आवश्यकता है?

इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि यदि चरम पद में लक्षणा करके अभीष्ट अर्थ लाभ करेंगे और विशिष्ट में शक्ति नहीं मानेंगे तो बहुव्रीहि समास का विधान असम्भव हो जायगा। बहुव्रीहिसमास का विधायक सूत्र है—अनेकमन्यपदार्थे (२।२।४)। इस सूत्र से अनेक सुबन्तों के अन्य पदार्थ के प्रतिपादक होने पर ही समास का विधान किया गया है। यदि उत्तर पद में लक्षणा द्वारा अन्य पदार्थ की उपस्थिति मानेंगे तो वे सुबन्त पद अन्य पदार्थ के प्रतिपादक न हो सकेंगे। फलतः बहुव्रीहि समास नहीं होगा। पूर्वोक्त रीति से अन्तिम पद की लक्षणा द्वारा अभीष्ट अर्थ का लाभ करेंगे तो घट

एवं चाषष्ठ्यर्थ-बहुव्रीहौ व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना, उक्तयुक्तेः। अगत्या शक्त्यन्तरकल्पना, क्लृप्तत्यागः, क्लृप्तशक्त्योपपत्तिरिति व्युत्पत्तित्यागश्च तत्रास्ति। तत् किं सर्वत्र समासे शक्तिं न कल्पयेदिति वाक्यार्थः।

यत्तु व्यपेक्षावादिनो नैयायिकमीमांसकादयः—न समासे शक्तिः, 'राजपुरुषः' इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिलक्षणयैव 'राजसम्बन्ध्यभिन्नः

सावित्री

आदि पद के चरम वर्ण अकार आदि में भी कम्बुग्रीवादि अर्थ की वाचकता माननी पड़ेगी और पूर्व पूर्व वर्ण तात्पर्य के ग्राहक होंगे। इसके अतिरिक्त 'प्राप्तोदकः' इत्यादि के उत्तर पद उदक' मात्र के श्रवण से 'प्राप्तिकर्मीभूत ग्राम' अर्थ की प्रतीति रूप आपत्ति समान रूप से होगी। यह बात अन्यत्र (वैयाकरणभूषण में) विस्तार से कही गई है।

'कर्मणि द्वितीया' इत्यादि शास्त्र से बोधित है कि 'कर्म' अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है। प्रत्यासत्तिन्याय से "प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं-प्रत्ययानाम्" इस व्युत्पत्ति से उत्तर पद में बोध्य लाक्षणिक अर्थ में प्रत्ययार्थ का अन्वय नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर पद मात्र प्रकृति नहीं है। प्रकृतित्व 'प्रत्ययनिष्ठोद्देश्यतानिरूपितविधेयताश्रयपर्याप्ताधिकरण' को ही होता है। वहाँ व्युत्पत्त्यन्तर स्वीकार करना हो तो उसकी अपेक्षा समुदाय में शक्ति मानना ही उचित है।

इस प्रकार व्यपेक्षावादियों का मत स्वीकार करने पर 'प्राप्तोदकः' इत्यादि अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि में प्रकृत्यर्थ-प्रत्ययार्थ के परस्पर अन्वय न होने से अगत्या व्युत्पत्त्यन्तर अर्थात् समुदायशक्ति स्वीकार करनी पड़ती है। क्लृप्तअन्वयशक्ति के द्वारा ही निर्वाह होता है—इस नियम का त्याग करना पड़ता है। इसलिये सर्वत्र समास में समुदायशक्ति की कल्पना क्यों नहीं करते हैं?

'अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि' सप्तम्यर्थ बहुव्रीहि का भी उपलक्षण है। यहाँ द्वितीया बहुव्रीहि से लेकर पञ्चमी बहुव्रीहि तक को अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि के अन्तर्गत समझना चाहिये। जैसे—प्राप्तमुदकं यं स प्राप्तोदको ग्रामः, ऊढः रथो येन स ऊढरथः, उपहृतः पशुः यस्मै स उपहृत पशुः, उद्धृतं ओदनं यस्या सा उद्धृतौदना—इत्यादि। षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि का उदाहरण है—चित्रगु। उसका विग्रह लभ्य अर्थ है—चित्राणां गवां स्वामी। यहाँ समुदाय में शक्ति स्वीकार किये विना अभीष्ट अर्थ का बोध नहीं हो सकता है। लक्षणा करने पर अर्थ बोध की विपरीतता की चर्चा की जा चुकी है।

पुरुषः' इति बोधोपपत्तेः। अत एव राज्ञः पदार्थैकदेशतया न तत्र 'शोभनस्य' इत्यादिविशेषणान्वयः।

न वा घनश्यामः, निष्कौशाम्बिः, गोरथ इत्यादाविवादिप्रयोगापत्तिः; उक्तार्थतयैव क्रान्तादिपदप्रयोगासम्भवात्।

न वा 'विभाषा' (२।७।११) इति सूत्रावश्यकत्वम्, लक्षणया 'राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः' इति बुबोधयिषायां समासस्य, राजसम्बन्धवानिति बुबोधयिषायां विग्रहस्येत्यादिप्रयोगनियमसम्भवात्। नापि पङ्कजपदप्रतिबन्दी शक्तिसाधिका, तत्रावयवशक्तिमजानतोऽपि बोधात्।

सावित्री

व्यपेक्षावादी के मत में समास गत प्रत्येक शब्द का अपना स्वतन्त्र अर्थ बना रहता है और अपेक्षा आदि के कारण उन पदों का जो परस्पर सम्बन्ध होता है उसी को आकांक्षा कहते हैं। व्यपेक्षालक्षण रूप सामर्थ्य की व्याख्या करते हुये तत्त्वबोधिनीकार ने कहा है—"स्वार्थपर्यवसायिनां पदानामाकाङ्क्षादिवशाद्यः परस्परं सम्बन्धः सा व्यपेक्षा।"

नैयायिक—मीमांसक आदि व्यपेक्षावादी हैं। इनके मत में 'राजपुरुषः' इत्यादि समास में अवयव शक्ति के अतिरिक्त समुदाय में कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है। 'राजपुरुषः' इत्यादि में 'राज' पद की ही 'राजसम्बन्धी' अर्थ में लक्षणा करके "राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः" ऐसा अर्थ बोध हो जायगा। इस प्रकार समास के पूर्व पद की स्वसम्बन्धी में लक्षणा स्वीकार करने पर राजपदार्थ के पदार्थैकदेश होने से उसमें शोभनस्य, ऋद्धस्य इत्यादि विशेषण का अन्वय न होगा, क्योंकि नियम है—पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन।

हमारे (व्यपेक्षावादी) मत में घनश्यामः=घन इव श्यामः, निष्कौशाम्बिः= निष्क्रान्तः कौशाम्ब्याः, गोरथः=गोयुक्तो रथ इत्यादि में सादृश्य आदि के बोधक 'इव' निष्क्रान्त—आदि शब्दों के प्रयोग करने की आपत्ति होगी—ऐसा भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 'घन' आदि पद की 'सदृश' आदि अर्थ में लक्षणा करके तत्तद् अर्थों का लाभ हो जायगा। लक्षणा द्वारा उन अर्थों के उक्त हो जाने पर 'इव' आदि शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा नहीं होगी; क्योंकि नियम है—उक्तार्थानामप्रयोगः। इसके अतिरिक्त व्यपेक्षा पक्ष में 'विभाषा' (२।१।११) यह सूत्र करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तात्पर्य यह है कि जब पूर्व पद में लक्षणा द्वारा 'राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः' ऐसे अर्थ बोध की इच्छा हुई तो 'राजपुरुषः' ऐसा समास होगा और जब 'राजसम्बन्धवान्

न च शक्त्यग्रहे लक्षणया तेभ्यो विशिष्टार्थप्रत्ययः संभवति। अत एव राजादिपदशक्त्यग्रहे 'राजपुरुषः' 'चित्रगुः' इत्यादौ न बोधः। न च चित्रगुरित्यादौ लक्षणासंभवेऽप्यषष्ठ्यर्थबहुव्रीहौ लक्षणाया असंभवे बहुव्युत्पत्तिभञ्जनापत्तेरिति वाच्यम्, प्राप्तोदक इत्यादावुदकपद एव लक्षणास्वीकारात्। पूर्वपदस्य यौगिकत्वेन तल्लक्षणाया धातुप्रत्यय-तदर्थज्ञानसाध्यतया विलम्बितत्वात्, प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगत-स्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्त्यनुरोधाच्च।

घटादिपदे चातिरिक्ता शक्तिः कल्प्यमाना विशिष्टे कल्प्यते, विशिष्टस्यैव सङ्केतितत्वात्। बोधकत्वस्यापि प्रत्येकं वर्णेष्वसत्त्वात्।

सावित्री

पुरुषः' ऐसे अर्थ बोध की इच्छा हुई तो 'राज्ञः पुरुषः' यह वाक्य ही रह जायगा। वहाँ समास नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार 'राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः' इस अर्थ बोध में 'राजपुरुषः' ऐसा समास तथा 'राजसम्बन्धवान् पुरुषः' ऐसे अर्थ बोध में 'राज्ञः पुरुषः' यह वाक्य—ऐसा प्रयोग नियम सम्भव होने से दोनों (समास और वाक्य) सिद्ध हो जायेंगे। 'राज्ञः पुरुषः' में 'राज' और 'पुरुष' की सम्बन्ध वाचिका षष्ठी होती है, उस षष्ठी वाच्य सम्बन्ध का आश्रयता सम्बन्ध से पुरुष पदार्थ में अन्वय कर 'राजसम्बन्धवान् पुरुषः' ऐसा अर्थ बोध होगा। समास में तो दोनों शब्दों के मध्य कोई विभक्ति रहती नहीं है, दोनों ही नामार्थ रहते हैं। नामार्थों का परस्पर अभेद सम्बन्ध ही होता है। कहा है—नामार्थयोरभेदातिरिक्तः सम्बन्धोऽव्युत्पन्नः। इसलिये राज और पुरुष का स्व-स्वामिभाव रूप भेद सम्बन्ध नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में 'राज' पद की राजसम्बन्धी में लक्षणा करके 'राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः' ऐसा अर्थ बोध होता है। इस प्रकार समास और वाक्य—दोनों प्रयोग भिन्न अर्थ बोधन की इच्छा से स्वतः सिद्ध हैं। उसके लिये 'विभाषा' सूत्र की अपेक्षा नहीं है। व्यपेक्षावादी आगे कहते हैं कि—एकार्थीभाववादी जो यह कहते हैं कि यदि समास में विशिष्ट शक्ति नहीं स्वीकार करेंगे तो 'पङ्कज' शब्द में अवयव शक्ति के द्वारा 'पङ्कजनि-कर्त्ता' रूप से 'पद्म' की भी उपस्थिति हो जायगी। वहाँ भी समुदाय शक्ति की आवश्यकता नहीं रहेगी—इस प्रकार की प्रतिबन्दी कोटि भी समुदाय में शक्ति की साधिका नहीं हो

प्रकृते चात्यन्तसन्निधानेन प्रत्ययार्थान्वयसौलभ्यायोत्तरपद एव सा कल्प्यत इति विशेषः। स्वीकृतश्च घटादिपदेष्वपि चरमवर्णस्यैव वाचकत्वं मीमांसकमन्यैरित्याहुः।

सावित्री

सकती है क्योंकि अवयव शक्ति को न जानने वाले को भी 'पङ्काधिकरणकोत्पत्त्याश्रय' अर्थ का बोध होता है।

यदि यह कहा जाय कि अवयवशक्ति का ज्ञान न होने पर शक्यार्थ की उपस्थिति न हो सकेगी। शक्यार्थ के अभाव में शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा के द्वारा 'पङ्कज' आदि शब्द घटक-अवयवों से विशिष्ट (पद्मत्वविशिष्टपद्मरूप) अर्थ बोध सम्भव न हो सकेगा। ऐसी स्थिति में 'पङ्कज' शब्द से अनुभव सिद्ध पद्मत्व प्रकारक बोध के उत्पादन के लिये समुदाय में शक्ति स्वीकार करना आवश्यक होगा। इससे सुस्पष्ट है कि लक्षणा में अवयवशक्ति-ज्ञान आवश्यक कारण है। इसलिये 'राजपुरुषः' 'चित्रगुः' इत्यादि में राज और पुरुष-आदि पदों का शक्य अर्थ ज्ञात न हो तो अनुभवसिद्ध अर्थबोध न हो सकेगा। 'चित्रगु' इत्यादि में 'गो' पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ साक्षात् सम्बन्ध को विनिगमक मानने से लक्षणा सम्भव होने पर भी 'प्रासोदक', इत्यादि अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि से समासगत किस पदार्थ की अन्य पदार्थ में लक्षणा की जाय—इसका कोई विनगमक न होने से लक्षणा असम्भव होगी और नामार्थों का परस्पर अभेदान्वय ही होता है—इस प्रकार की बहुत सी व्युत्पत्तियों को भङ्ग करना होगा।

इन अनेक दोषों का उद्धार करते हुये व्यपेक्षावादी नैयायिकों का कहना है कि 'प्रासोदक' इत्यादि में उदक पद की अन्य पदार्थ में लक्षणा तथा 'प्रास' पद को तात्पर्य-ग्राहक मान लेने से "उदककर्तृक प्रासिकर्मक ग्राम" ऐसा अर्थ उपपन्न हो जायगा। यदि 'प्रासोदक' के पूर्व पद (प्रास) की लक्षणा करें तो 'प्रास' के यौगिक होने से विलम्ब होगा। इसके अतिरिक्त 'प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वम्" इस नियम के अनुसार उत्तरपद में ही लक्षणा करना उचित होगा। इसी रीति से 'घट' आदि की भी चरम वर्ण में ही वाचकता होती है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 'घट' आदि आनुपूर्वी में धातु आदि से भिन्न अतिरिक्त (विशिष्ट) शक्ति की कल्पना की गई है। इसलिये विशिष्ट अर्थ में ही उस आनुपूर्वी को संकेतित समझा जाता है। 'प्रासोदक' इत्यादि के प्रत्येक पद की भाँति 'घट' आदि के प्रत्येक वर्ण में वाचकता नहीं होती है। 'प्रासोदक' में उत्तर पदार्थ का प्रत्ययार्थ के अत्यन्त सन्निहित होने के कारण अन्वय सुविधा के लिये 'उत्तर' पद में ही लक्षणा करनी चाहिये। मीमांसक लोग भी 'घट' आदि पदों के चरम वर्ण में ही वाचकता स्वीकार करते हैं।

अत्रोच्यते—समासे शक्त्यस्वीकारे तस्य प्रातिपदिकसंज्ञादिकं न स्यात्, अर्थवत्त्वाभावात्। "अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् (१।२।४५) इत्यस्याप्रवृत्तेः। न च कृत्तद्धितसमासाश्च (१।२।४६) इत्यत्र समासग्रहणात् सा, तस्य नियमार्थताया भाष्यसिद्धाया वैयाकरणभूषणे स्पष्टं प्रतिपादितत्वात्। समासवाक्ये शक्त्यभावेन शक्यसम्बन्धरूपलक्षणाया अप्यसम्भवेन लाक्षणिकार्थवत्त्वस्याप्यसम्भवात्।

अथ 'तिसृञ्झि' इत्यारभ्य 'ङ्योस्सुप्' इति तिप्प्रत्याहारो भाष्यसिद्धमादाय 'अतिप्प्रातिपदिकम्' इत्येव सूत्र्यताम्, कृतमर्थवदादिसूत्रद्वयेन। समासग्रहणञ्च नियमार्थमस्तु। तथा च अतिप्=

सावित्री

पूर्वोक्त रीति से व्यपेक्षावादी नैयायिक-मीमांसक आदि द्वारा अपने मत में सभी प्रकार के दोषों का परिहार करने के अनन्तर वैयाकरण उनके मत का अनौचित्य प्रदर्शित करते हुये अपने मत का उपपादन करते हैं—समास में समुदाय शक्ति न स्वीकार करने पर अर्थवत्ता के अभाव में प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं होगी।

यदि यह कहें कि समास की अर्थवत्ता के अभाव में 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' (१. २. ४५) से प्रातिपदिक संज्ञा भले न हो, 'कृत्तद्धितसमासाश्च' (१. २. ४६) इस सूत्र के समासग्रहणसामर्थ्य से प्रातिपदिकसंज्ञा हो जायगी। ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि 'समास' ग्रहण की भाष्य-सिद्ध-नियमार्थता 'वैयाकरणभूषण' में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। भाष्यकार ने भी 'समास' ग्रहण को विध्यर्थ न मानकर नियमार्थ ही माना है। कहा है—'समासग्रहणमर्थवत्समुदायानां नियमार्थम्' इति।

समास में विशिष्ट शक्ति न स्वीकार करने पर शक्यार्थ के अभाव में शक्यसम्बन्ध रूप लक्षणा भी न हो सकेगी। फलतः समास में लाक्षणिक अर्थवत्ता भी नहीं रहेगी और अर्थवत्ता के अभाव में प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकेगी। इस लिये समास रूप समुदाय में विशिष्ट शक्ति मानना आवश्यक है।

इसके अनन्तर अन्य सूत्रों में न्यासान्तर करके अर्थवत्ता के अभाव में समास की प्रातिपदिकसंज्ञा करने का उपक्रम करते हुये कहते हैं :—

'तिसृञ्झि०' (३।४।७८) इत्यादि के 'ति' से आरम्भ कर 'ङ्योस्सुप्' (४।१।२) इस सूत्र के पकार तक 'तिप्' प्रत्याहार की कल्पना कर ली जाय—ऐसा भाष्यानुसारी

सुप्तिङन्तभिन्नं प्रातिपदिकमित्यर्थात् समासस्यापि सा स्यादिति चेत्त-थापि प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणायार्थवत्त्वाऽऽवश्यकत्वेन सामासाव्याप्ति-तादवस्थ्यमेव । तथा च प्रातिपदिकसंज्ञारूपं कार्यमेवार्थवत्त्वमनुमापयति धूम इव वह्निम् ।

किञ्चैवं 'चित्रगुमानय' इत्यादौ कर्मत्वाद्यनन्वयापत्तिः, प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेः । विशिष्टोत्तरमेव प्रत्ययोत्पत्तेर्वि-शिष्टस्यैव प्रकृतित्वात् । यत्तु सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तिरेव

सावित्री

मत है । उसे तिप् प्रत्याहार के साथ ही 'समास' ग्रहण को भाष्य की रीति से नियमार्थ ही माना जाय । 'अतिप्प्रातिपदिकम्' सूत्र का अर्थ होगा कि तिबन्तभिन्न की प्रातिपदिकसंज्ञा हो । इससे समास की भी प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध हो जायगी ।

किन्तु ऐसा मानने पर प्रत्येक वर्ण की प्रतिपादिकसंज्ञा वारण के लिये यह कहना आवश्यक होगा कि अर्थवान् की प्रातिपादिकसंज्ञा होती है । ऐसा करने पर समास में विशिष्टशक्ति के अभाव पक्ष में प्रातिपदिकसंज्ञा की अव्याप्ति का दोष तदवस्थ (पूर्ववत्) रह जायगा । इसलिये जैसे धूम देखकर वह्नि का अनुमान होता है वैसे ही समास में प्राति-पदिकसंज्ञा रूप कार्य देखकर अर्थवत्ता का अनुमान होता है ।

'अतिप् प्रातिपदिकम्' इस न्यास में पर्युदास न्याय से तिप्भिन्न-तिप्सदृश अर्थवान् का ही ग्रहण होगा, अनर्थक की प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं होगी । 'अर्थवत्' सूत्र की अपेक्षा नहीं होगी । समास ग्रहण के नियमार्थक होने से समास की प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध हो जायगी, वाक्य की प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं होगी और कहीं कोई दोष नहीं होगा । इसलिये दूषणान्तर प्रस्तुत करते हुये कहते हैं—समास में विशिष्टशक्ति न स्वीकार करने पर 'चित्रगुमानय' इत्यादि वाक्य के 'चित्रगुम्' में स्थित 'गो' आदि पदार्थ में अम् का अर्थ कर्मत्व आदि का अन्वय न होने की आपत्ति होगी क्योंकि नियम है—"प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगतस्वार्थ-बोधकत्वम्" अर्थात् प्रत्यय अपने प्रकृत्यर्थ के साथ अन्वित होकर अपना अर्थ बोध कराते हैं । ऐसी परिस्थिति में समुदाय में विशिष्टशक्ति स्वीकार किये विना 'चित्रगु' पदार्थ में प्रकृत्यर्थत्व उपपन्न न हो सकेगा । प्रकृत्यर्थत्व के अभाव में प्रत्ययार्थत्व का अन्वय नहीं होगा । यहाँ 'चित्रगु' इतने समुदाय से प्रत्यय की उत्पत्ति होती है । इसलिये समुदाय में ही प्रकृतित्व है उसके एक देश 'गो' में नहीं है ।

कल्प्यत इति तन्न, 'उपकुम्भम्' 'अर्द्धपिप्पली' इत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन व्यभिचारात्।

न च तत्रापि सन्निधानमेव, आनुशासनिकसन्निधेर्विवक्षितत्वात्। तथा च यत्पदोत्तरं याऽनुशिष्टा सा तदर्थगतं स्वार्थं बोधयति। समासे च समस्यमानपदोत्तरमेवानुशासनमिति वाच्यम्, अर्थवत्सूत्रेण विशिष्टस्यैव प्रातिपदिकत्वेन विशिष्टोत्तरं विभक्त्यनुशासनात्।

सावित्री

कुछ व्यपेक्षावादी यह कहते हैं कि "प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम्" यह व्युत्पत्ति मानना ठीक नहीं है अपितु "सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम्" ऐसी व्युत्पत्ति माननी चाहिये। इससे 'चित्रगुमानय' इत्यादि में दोष नहीं होगा, क्योंकि 'चित्रगुम्' के अमर्थ प्रत्यय का समीपवर्ती 'गो' पदार्थ में अन्वय होकर अर्थ बोध हो जायगा।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि 'सन्निहितपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वम् प्रत्ययानाम्' ऐसी व्युत्पत्ति स्वीकार करने पर 'उपकुम्भम्' 'अर्धपिप्पली' इत्यादि के पूर्व पदार्थ में विभक्त्यर्थ का अन्वय होने से व्यभिचार दोष होगा। यहाँ आदि पद से 'पूर्वकायः' इत्यादि इतरेतरयोग-द्वन्द्व का भी संग्रह समझना चाहिये। 'उपकुम्भम्' का कुम्भनिरूपितसामीप्यवान्, 'अर्धपिप्पली' का "पिप्पली सम्बन्धी अर्ध" यह अर्थ बोध होता है। यहाँ विभक्त्यर्थ का पूर्वपदार्थ में अन्वय होने के कारण 'सन्निहितपदार्थ॰' इत्यादि नियम का व्यभिचार हो जाता है। क्योंकि यहाँ उप, अर्ध, पदार्थ में विभक्त्यर्थ का अन्वय करने में बीच में कुम्भ, पिप्पली आदि का व्यवधान हो जायगा जिससे सन्निहित पदार्थता नहीं रहेगी।

यदि यह कहें कि नहीं, उपकुम्भम्, अर्धपिप्पली इत्यादि में भी सन्निहितत्व है, क्योंकि सन्निहित होने का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्ययार्थ से अव्यवहित पूर्व प्रकृत्यर्थ होना चाहिये, अपि तु प्रत्ययार्थ और प्रकृत्यर्थ में अनुशासनिक सन्निधि विवक्षित है। अनुशासनिक सन्निधि का तात्पर्य व्याकरणशास्त्र से बोधित सन्निधि से है अर्थात् समस्यमान पद के उत्तर जो विभक्ति रहती है वह उस पद निष्ठ स्वार्थ का बोध कराती है। व्याकरण शास्त्र में समस्यमान पद के उत्तर ही विभक्ति विधान का अनुशासन है। समास अनेक पदों का समुदाय होता है, समुदाय भी तद्गत प्रत्येक अवयव से भिन्न नहीं होता है। इसलिये समास के उत्तर विहित जो विभक्ति, उसका सन्निहितत्व पूर्व पद में भी समान रूप से..

अथ 'प्रकृतित्वाश्रये विभक्त्यर्थान्वयः' इत्येव कल्प्यत इति चेत्तर्हि 'पङ्कजमानय' 'दण्डिनं पश्य' 'शूलिनं पूजय' इत्यादौ पङ्क-दण्ड-शूलेष्वानयन-दर्शन-पूजनादेरन्वयप्रसङ्गात्, 'अघटमानय' इत्यत्र घटेऽप्यानयनान्वयापत्तेश्च ।

न च दण्डादीनां विशेषणतया न तत्रानयनाद्यन्वयः, पाकान्नीलः, धर्मात्सुखी इत्यादौ पाक-धर्मादिहेतुताया रूपसुखादावनन्वयप्रसङ्गात् । यच्च—प्रकृत्यर्थत्वं तज्जन्यज्ञानविषयत्वमात्रम्, तच्चात्राविरुद्धमिति

सावित्री

रहता है। जैसे - 'धवखदिरौ' इत्यादि के 'धव' और 'खदिर' प्रत्येक पदार्थ में विभक्त्यर्थ का अन्वय होता है । अव्ययीभाव में अव्यय का सुबन्त के साथ समास होता है । अव्यय में प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान होता है और उसी में विभक्त्यर्थ का अन्वय होता है । इस प्रकार 'उपकुम्भम्' आदि में भी व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी अनुशासनिक सन्निधि होने से वहाँ प्रत्ययार्थ का प्रकृत्यर्थ में अन्वय करने से कोई दोष नहीं होगा ।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि व्याकरणशास्त्र से बोधित सन्निहितत्व भी विशिष्ट का ही होता है न कि केवल पूर्व पद का । 'कृत्तद्धित०' सूत्र का समासग्रहण नियमार्थक है । इसलिये 'समास' की भी प्रातिपदिकसंज्ञा 'अर्थववत्०' सूत्र से 'राजपुरुष' इत्यादि विशिष्ट-समुदाय की होती है और समस्यमान पद के उत्तर ही विभक्ति का अनुशासन सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'उपकुम्भम्' इत्यादि में भी शास्त्रबोधित सन्निहितत्व विशिष्ट को ही होगा, केवल पूर्व पद को नहीं। इसलिये इन स्थलों में व्यभिचार दोष बना रहेगा ।

यदि यह कल्पना कर ली जाय कि प्रकृतित्व के आश्रय में विभक्त्यर्थ का अन्वय हो जाता है तो कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि प्रकृतित्व की आश्रयता पूर्व और उत्तर दोनों भागों में समान रूप से रहेगी। तब 'उपकुम्भम्' के पूर्वपदार्थ समीप में विभक्त्यर्थ का अन्वय हो जायगा। ऐसी स्थिति में जब कोई दोष नही है तो विशिष्ट में शक्ति क्यों मानी जाय ?

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का आशय है कि यदि प्रकृतित्व के आश्रय अर्थात् प्रकृति के अर्थ में विभक्त्यर्थ का अन्वय होना स्वीकार करेंगे तो 'पङ्कजमानय' 'दण्डिनं पश्य' 'शूलिनं पूजय' इत्यादि स्थल में अपर्याप्ति सम्बन्ध से पङ्क, दण्ड, शूल इत्यादि में आनयन, दर्शन, पूजन—इत्यादि का अन्वय होने लगेगा। 'अघटमानय' इत्यादि में 'अघट' पदनिष्ठ घट पदार्थ में आनयन क्रिया का अन्वय होने लगेगा।

तन्न, 'घटं पश्य' इत्यत्र घटपदात् समवायेनोपस्थिताकाशवारणाय वृत्त्या प्रकृत्यर्थत्वस्यावश्यकत्वात् ।

अथ प्रत्ययप्राग्वर्त्तिपदजन्योपस्थितिविशेष्यत्वं प्रकृत्यर्थत्वमिति चेन्न; गामानयति कृष्णो दण्डेनेत्यत्र कृष्णे तृतीयार्थान्वयप्रसङ्गात् ।

सावित्री

यदि कहें कि नहीं, 'दण्डिनं पश्य' में 'दण्ड' विशेष्य है उसमें आनयन आदि क्रिया का अन्वय कैसे होगा ? क्योंकि न्याय है—'प्रधानाऽप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः' इसके उत्तर में कहना है कि यह न्याय मानने पर 'पाकान्नीलः' 'धर्मात् सुखी' इत्यादि में पाक, धर्म, पदार्थ का नील, सुख इत्यादि विशेषण में अन्वय नही हो सकेगा। अभिप्राय यह है कि 'पाकान्नीलः' में 'नील' शब्द नील रूप अर्थपरक है 'धर्मात् सुखी' में 'सुखी' शब्द सुखविशिष्ट अर्थ का बोधक है इनमें 'नील' अपने आश्रय अर्थ नीलत्व में 'सुखी' 'सुख विशिष्ट' में विशेषण है, विशेष्य (प्रधान) न होने के कारण इनमें 'पाकात्' इत्यादि विभक्ति के अन्तर्गत पञ्चम्यर्थ जन्यता का अन्वय न होगा जबकि विशेषणीभूत नील, सुख आदि में पञ्चम्यर्थ जन्यता का अन्वय अभीष्ट है।

जो यह कहते हैं कि 'प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम्' इस अन्वय नियम में 'प्रकृत्यर्थत्व' का अर्थ 'प्रकृतिजन्यज्ञानविषयत्वमात्र' समझा जाय न कि 'वृत्त्या प्रकृतिजन्यज्ञानविषयत्व' ऐसा होने पर 'उपकुम्भम्' 'अर्धपिप्पली' इत्यादि के पूर्व पदार्थ 'समीप और अर्ध' आदि में प्रकृतिजन्यज्ञानविषयता अक्षत है। इसलिये कोई दोष नही होगा। इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि यदि 'प्रकृतिजन्यज्ञानविषयता' मात्र को प्रकृत्यर्थ मानेगे तो 'घटं पश्य' के 'घट' पद से समवाय सम्बन्ध से आकाश की भी उपस्थिति होगी और घट पद रूप प्रकृति से जन्य विषयता आकाश में भी होने से उसका भी बोध होने लगेगा। अत एव 'घट' पद से 'आकाश' का अर्थ बोध वारण के लिये 'वृत्या प्रकृतिजन्यज्ञानविषयत्वम्' ऐसा प्रकृत्यर्थत्व का लक्षण करना आवश्यक होगा। ऐसा तभी सम्भव है जब समास में अतिरिक्त शक्ति स्वीकार की जाय।

इसके आगे व्यपेक्षावादी यह कहते हैं कि हम "प्रत्ययसन्निहितपदार्थत्वं प्रकृतित्वम्" ऐसा लक्षण नही करेंगे, अपि तु 'प्रत्ययप्राग्वर्त्तिपदजन्योपस्थितिविशेष्यत्वं प्रकृत्यर्थत्वम्' ऐसा लक्षण करेंगे।

इसका अभिप्राय होगा कि जिस किसी प्रत्यय के पूर्व विद्यमान जो पद, तादृश पदजन्या जो उपस्थिति, तद्विशेष्यत्व--ही प्रकृतित्व कहलायेगा। इससे उपकुम्भम्, अर्ध-

अत्र समस्यमानपदार्थगतस्वार्थबोधकत्वं समासोत्तरविभक्तेः कल्प्यत इति चेत् तन्न, अक्लृप्तकल्पनां क्लृप्तव्युत्पत्तित्यागं चापेक्ष्य समुदायशक्तिकल्पनस्यैव युक्तत्वादिति दिक् ।

अपि च समासे विशिष्टशक्त्यस्वीकारे 'राजपुरुषः' 'चित्रगुः' 'नीलोत्पलम्' इत्यादौ सर्वत्रानन्वयप्रसङ्गः; राजपदादेः सम्बन्धिनि लक्षणायामपि 'तण्डुलः पचती' त्यादौ कर्मत्वादिसंसर्गेण तण्डुलादेः

सावित्री

पिप्पली इत्यादि से विहित जो प्रत्यय, उससे पूर्ववर्त्ती प्रकृति है उपकुम्भम्, अर्धपिप्पली-इत्यादि, तत्पदजन्य उपस्थिति है तत्तद् पदों का श्रावण प्रत्यक्षज्ञान, तद्विशेष्यत्व है समीप, अर्ध आदि ऐसे अर्थों में विभक्त्यर्थ का अन्वय करने में कोई बाधा नहीं है। तब फिर समास में विशिष्टशक्ति क्यों मानी जाय ?

व्यपेक्षावादियों के इस तर्क के उत्तर में भूषणकार का कहना है कि यदि प्रत्यय प्राग्वर्त्ति-विशेष्यत्व को प्रकृत्यर्थ मानेंगे तो 'गामानयति कृष्णो दण्डेन' में तृतीया 'टा' प्रत्यय-प्राग्वर्त्तिपद-जन्योपस्थितिविशेष्यत्व कृष्ण में रहने से 'दण्डेन' में तृतीयार्थ जो करणत्व है, उसका अन्वय कृष्ण में होने लगेगा। यदि ऐसा कहें कि 'दण्डेन' में जो 'टा' विभक्ति है उससे पूर्ववर्त्तित्व कृष्ण में भले हो, पर बीच में 'दण्ड' शब्द का व्यवधान है, इसलिये 'दण्डेन' में स्थित तृतीयार्थ करणत्व का 'कृष्ण' में अन्वय नही होगा ऐसा कहना इसलिये ठीक नही है कि 'प्रत्ययाव्यवहितपूर्ववर्त्तिपदजन्योपस्थितिविशेष्यत्वं प्रकृतित्वम्' ऐसा प्रकृति का लक्षण हो जायगा। ऐसा होने पर 'उपकुम्भम्' इत्यादि में 'प्रत्ययाव्यवहितप्राग्वर्तिपदजन्यो-पस्थितिविशेष्यत्व' कुम्भ पदार्थ में रहने से उसी में विभक्त्यर्थ का अन्वय होने लगेगा।

इस दोष के परिहार के लिये व्यपेक्षावादी का कहना है कि समस्यमान जो पद, तदर्थगत जो स्वार्थ (कर्मत्व आदि), तद्बोधकत्व समासोत्तर विभक्ति को होता है ऐसी व्युत्पत्ति की हम कल्पना करेंगे। इससे समस्यमान पद, समासघटकीभूत पूर्व पद और उत्तर पद सभी रहेंगे। इन तत्तद् पदार्थों में समासोत्तर विभक्त्यर्थ कर्मत्व आदि का अन्वय कर लिया जायगा। इससे प्रत्ययार्थ का प्रकृत्यर्थ के अन्वय में कोई बाधा नहीं होगी। इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि ऐसा स्वीकर करने पर 'समस्यमानपदार्थगत' इत्यादि अक्लृप्त नियम की कल्पना करनी पड़ेगी, 'प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययानाम्' इत्यादि क्लृप्त नियम का त्याग करना पड़ेगा। इसकी अपेक्षा समास में अतिरिक्त शक्ति मानना ही युक्तियुक्त है।

पाकादावन्वयवारणाय प्रातिपदिकार्थप्रकारकबोधं प्रति विभक्तिजन्यो-पस्थितेर्हेतुताया आवश्यकत्वात्; पुरुषादेस्तथात्वाभावात् । 'तण्डुलः शुभ्रः' इत्यादौ च प्रातिपदिकार्थप्रथमार्थे तण्डुलादेस्तस्य च शुक्लेऽभेदेनैवान्वयः । शुभ्रेण तण्डुलेनेत्यादौ च विशेषणविभक्तिरभेदार्थिका, पार्ष्णिको

सावित्री

इसके अतिरिक्त समास में अतिरिक्त शक्ति स्वीकार न करने पर 'राजपुरुषः' 'चित्रगुः' 'नीलोत्पलम्' इत्यादि में सर्वत्र अनन्वय का प्रसङ्ग होगा, क्योंकि नामार्थों का भी विभक्त्यर्थ के माध्यम से ही परस्पर अन्वय होता है जब कि समास होने पर विभक्ति का लुक् हो जाने से बीच में विभक्त्यर्थ का अभाव रहता है । 'राजपुरुषः' इत्यादि में राज पद की राजसम्बन्धी में लक्षणा करने पर 'राज्ञः' के पदार्थ का एकदेश होने से 'शोभनस्य' आदि विशेषण का अन्वय वारण करने पर भी 'दास्याः पुत्रः' इत्यादि अलुक् समास की लक्षणा में कोई प्रमाण नही है । ऐसे स्थलों में शोभन आदि विशेषण के अन्वय होने का दोष होगा ।

यद्यपि 'राजपुरुषः' में राजपद की राजसम्बन्धी में, 'चित्रगु' के 'गो' पद की गोस्वामी में तथा 'नीलोत्पलम्' के 'उत्पल' पद की नीलोत्पल में लक्षणा करने से यथाकथञ्चित् नामार्थों का परस्पर अन्वय बन जायगा । इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि नामार्थों के अन्वय के बारे में कोई नियम नहीं बनायेंगे तो जिस किसी सम्बन्ध से नामार्थों का नामार्थ या क्रिया आदि में अन्वय होने से तो 'तण्डुलः पाकः' ऐसा अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा । यहाँ 'तण्डुल' कर्म है कर्त्ता नही । प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है । कर्मत्व की अविवक्षा करने से द्वितीया नही हुई है । यहाँ क्रिया—कारकभाव सम्बन्ध बोधक द्वितीया विभक्ति के 'अम्' प्रत्यय का अभाव है, इसलिये कर्मता सम्बन्ध से 'तण्डुल' का 'पाक' क्रिया' में अन्वय नहीं होता है और 'तण्डुलः पचति' ऐसा प्रयोग नहीं होता है । यदि द्वितीया के विना भी कर्मत्व संसर्ग से 'तण्डुलः पचति' इस वाक्य से 'तण्डुलकर्मक पाकक्रिया' ऐसा अर्थ बोध होने लगेगा जो सभी दार्शनिकों के अनुभव के विरुद्ध है । इसलिये इस अनिष्ट बोध के वारण के लिये ऐसा कार्यकारणभाव मानना चाहिये—'प्रातिपदिकार्थप्रकारकबोधं प्रति विभक्तिजन्योपस्थितिः कारणम्' । 'राजपुरुषः' इत्यादि में राजपदोत्तर कोई विभक्ति न होने से शाब्दबोध न हो सकेगा । 'प्रातिपदिकार्थ-प्रकारक-बोधं प्रति' इत्यादि लक्षण से पूर्व 'भेदसम्बन्धावच्छिन्न' निवेश करना चाहिये । ऐसा करने से कार्यकारणभाव का स्वरूप होगा—भेदसम्बन्धावच्छिन्नप्रातिपदिकार्थप्रकारकबोधं प्रति विभक्तिजन्योपस्थितिः कारणम् । ऐसा कार्य कारण भाव मानने से 'स्तोकं पचति' इत्यादि

वाऽन्वय इति नातिप्रसङ्गः। तथा च समासे परस्परमन्वयासंभवादावश्यिकैव समुदायस्य तादृशे विशिष्टार्थे शक्तिः।

सावित्री

में 'स्तोक' रूप प्रातिपदिकार्थ का अभेद सम्बन्ध से पाक क्रिया में अन्वय करने पर भी व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि यहाँ भेद सम्बन्ध विवक्षित है।

'राजपुरुषः' में राज प्रकारक पुरुषविशेष्यक-बोध होता है। यहाँ पुरुषविशेष्यक बोध में विभक्तिजन्य उपस्थिति रूप कारण नहीं है। कारण के अभाव में शाब्दबोध नहीं होगा।

'तण्डुलः शुभ्रः' में शुभ्ररूप नामार्थप्रकारक तण्डुलविशेष्यक शाब्दबोध होता है। यहाँ भी विशेष्यतासम्बन्ध से विभक्तिजन्य उपस्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ 'शुभ्रः' में मात्र साधुत्व के लिये प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। इसलिये यहाँ शाब्दबोध नहीं होना चाहिये। इस आपत्ति के वारण करने हेतु ऐसा कार्य-कारण-भाव मानना चाहिये—'प्रातिपदिकार्थप्रकारकबोधं प्रति धातुभिन्नजन्योपस्थितिः कारणम्'। 'तण्डुलः शुभ्रः' में तण्डुल रूप नामार्थ का अभेद सम्बन्ध से प्रथमाविभक्त्यर्थ में अन्वय हुआ और उस विभक्त्यर्थ का अभेद सम्बन्ध से शुक्ल पदार्थ में अन्वय हुआ। तब 'तण्डुलाभिन्नो यो विभक्त्यर्थः तदभिन्नः शुभ्रः'' ऐसा शाब्दबोध होता है। यहाँ धातुभिन्नजन्योपस्थितिरूप कारण विद्यमान है। इसलिये शाब्दबोध में कोई बाधा नहीं है।

यहाँ यह सन्देह होता है कि 'तण्डुलः शुभ्रः' में 'शुभ्र' रूप विशेषण में विहित विभक्ति मात्र साधुत्व के लिये है किन्तु 'शुभ्रं तण्डुलम्' 'शुभ्रेण तण्डुलेन' इत्यादि में विहित द्वितीया-तृतीया आदि विभक्ति प्रातिपदिकार्थ में नहीं है, कर्म, करण आदि अर्थ में विहित हैं—ये विभक्तियाँ साधुत्वार्थ नहीं हो सकती हैं—ऐसे स्थानों में विशेष्य-विशेषण का परस्पर अभेद सम्बन्ध से अन्वय कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि इन स्थलों में विशेषण में विहित विभक्ति अभेद अर्थ वाली है। इसलिये अन्वय और अर्थबोध में कोई बाधा नहीं है। यदि कहें कि 'कर्मणि द्वितीया' इत्यादि सूत्र से कर्म आदि अर्थ में द्वितीया आदि विभक्तियाँ विहित हैं न कि अभेद अर्थ में। तब ये विशेषण विभक्तियाँ अभेदार्थक कैसे हुई? इसका उत्तर है कि कर्म आदि का अभेद कर्म आदि रूप है। इसलिये 'कर्मणि द्वितीया' इत्यादि से अभेद अर्थ में द्वितीया आदि का विधान होता है। अथवा यों समझिये कि इन स्थलों में 'पार्ष्ठिक' अन्वय है। पार्ष्ठिक की व्युत्पत्ति है पृष्ठम्=पश्चात्कालः। "तत्र भवः पार्ष्ठिकः। कहीं कहीं पार्ष्णिको वाऽन्वयः" ऐसा पाठ है। वहाँ भी व्युत्पत्ति है—पार्ष्णि=पृष्ठम्—पश्चात्कालः। ततष्ठञ्। इसका

किं च 'राजपुरुषः' इत्यादौ संबन्धिनि सम्बन्धे वा लक्षणा ? नाद्यः; 'राज्ञः, पुरुषः' इति विवरणविरोधात्, समाससमानार्थकवाक्यस्यैव विग्रहत्वात् । अन्यथा तस्माच्छक्तिनिर्णयो न स्यात् । नान्त्यः 'राज-सम्बन्धरूपपुरुषः' इति बोधप्रसङ्गात् । विरुद्धविभक्तिरहितप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयव्युत्पत्तेरित्यादि प्रपञ्चितं वैयाकरणभूषणे ।

सावित्री

अभिप्राय यह है कि 'कर्मणि द्वितीया' इत्यादि में प्रत्यय नियम द्वारा कर्मादि में ही 'द्वितीया' विभक्ति होती है—ऐसा नियम होने से साधुत्वमात्र के लिये ये विभक्तियाँ आती हैं, ऐसा नहीं कह सकते, अपितु कर्म आदि अर्थ में होती हैं यही मानना उचित है । पदों का समास होने पर विभक्ति का लुक् हो जाने से परस्पर अन्वय असम्भव हो जायगा क्योंकि नामार्थों का आपस में विभक्त्यर्थ द्वारा ही अन्वय होता है । ऐसी स्थिति में समुदाय का समुदाय-विशिष्ट अर्थ में शक्ति मानना उचित है ।

पूर्वोक्त प्रकार से समास में विशिष्टशक्ति का प्रतिपादन कर उसी के समर्थन में आगे भी कहते हैं कि समास में विशिष्ट शक्ति न स्वीकार करने पर लक्षणा के द्वारा अभीष्ट अर्थ नहीं सिद्ध हो सकेगा । यदि 'राजपुरुषः' इत्यादि में प्रथम प्राप्त राज पद की लक्षणा करना चाहें तो प्रश्न होता है कि राज पद की लक्षणा किसमें होगी—सम्बन्धी या सम्बन्ध में । प्रथमतः राज पद की राजसम्बन्धी में लक्षणा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर 'राजपुरुषः' का 'राज्ञः पुरुषः' जो विवरण किया जाता है, वह वाक्य समानार्थक नहीं होगा, जबकि समान वाक्यार्थ ही विग्रह अर्थात् विवरण कहलाता है ।

वस्तुतः 'राजपुरुषः' इस समास का 'राजनिष्ठस्वामितानिरूपितस्वत्ववान् पुरुषः' ऐसा बोध स्व-स्वामिभाव रूप सम्बन्ध से होता है । 'राज्ञः पुरुषः' इस विवरण (विग्रह) से भी यही अर्थ प्रतीत होता है । सम्बन्धी में लक्षणा करने पर "राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः" ऐसा भिन्न अर्थ वाला शाब्दबोध होने लगेगा, जो कि अभिप्रेत नहीं है । यदि समास समानार्थक विग्रह वाक्य को नहीं मानेंगे तो विग्रह वाक्य से समास की शक्ति का निर्णय न हो सकेगा ।

यदि 'राज' पद की सम्बन्ध में लक्षणा करते हैं तो वह भी उचित नहीं है क्योंकि सम्बन्ध में लक्षणा करने पर 'राजसम्बन्धरूपः पुरुषः' ऐसा बोध होने लगेगा । इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि विरुद्धविभक्तिरहितप्रातिपदिकार्थों का परस्पर में अभेदान्वय

अत एव 'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः' इत्यत्र न भक्षमुद्दिश्य प्राथम्य-विधानं युक्तम्, एकप्रसरताभङ्गापत्तेरिति तृतीये "त्र्यङ्गैः स्विष्टकृतं यजति" इत्यत्राङ्गानुवादेन त्रित्वविधानं न युक्तम्, एकप्रसरताभङ्गा-पत्तेरिति दशमे च निरूपितं संगच्छते। संगच्छते चारुणाधिकरणारम्भः। अन्यथा 'अरुणया एकहायन्या पिङ्गाक्ष्या सोमं क्रीणाति' इत्यत्रारुण्य-पदवदितरयोरपि एकाब्दत्वादिगुणमात्रवाचकतया अमूर्त्तत्वात् क्रीणातौ

— स्ववाक्योपात्त द्रव्य

सावित्री

होता है—ऐसा नियम वैयाकरणभूषण में वर्णित है। 'राजपुरुषः इत्यादि के उत्तरपदार्थ पुरुष आदि विरुद्ध विभक्तिरहित होने से अभेदान्वय दुर्निवार्य होगा।

समास में विशिष्ट शक्ति स्वीकार करने के कारण 'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः' इस मीमांसा वाक्य में एक प्रसरता = मिलितार्थबोधजनिका एकार्थीभावात्मिका शक्ति भङ्ग हो जायगी यहाँ 'ऋत्विजो हविश्शेषं भक्षयन्ति' इस वाक्य से प्राप्त भक्षण को उद्देश्य करके 'वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः' इस वाक्य द्वारा प्राथम्य का विधान किया जाता है। 'वषट्कर्त्ता' कहते हैं—वषण् नाम का उच्चारण करने वाले होता विशेष को, यदि भक्षण का उद्देश्य करके प्राथम्य का विधान करते हैं तो जो भक्षपूर्व वाक्य से विहित है वही 'वषट्कर्त्ता' का प्रथम है—ऐसा वाक्य भेद करके अन्वय करना होगा। वाक्य भेद करेंगे तो 'प्रथम भक्ष' यह समास ही अनुपपन्न हो जायगा।

समास में सभी घटक पद मिलकर विशिष्ट एक अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, उसी एक अर्थ का विवक्षानुसार उद्देश्यत्व या विधेयत्व होता है न कि उसके किसी एक देश मात्र का उद्देश्यत्व या विधेयत्व मानना उचित है। यदि प्रथमभक्षः, इस समास के अन्तर्गत 'भक्ष' पदार्थ को उद्देश्य करके प्राथम्य का विधान करते हैं तो इन दोनों पदों का एक वृत्ति में प्रवेश ही नहीं हो सकेगा। यतः "वषट्कर्त्तुः प्रथमभक्षः' इस वाक्य में समास पहले किया हुआ है, इस शब्द मर्यादा से विशिष्ट अर्थ ही विवक्षित है—ऐसा प्रतीत होता है। दोनों पदार्थों के उद्देश्य, विधेय भाव से पृथक् उपस्थिति होने से एक प्रसरता अर्थात् विशिष्टैकोपस्थितिजनकत्वरूपसामर्थ्य भङ्ग हो जायगा। इसके अतिरिक्त मीमांसा के तृतीयाध्याय में "त्र्यङ्गैः स्विष्टकृतं यजति" इस वाक्य में अङ्ग का उद्देश्य कर त्रित्व का विधान उचित नहीं है, क्योंकि यदि 'त्र्यङ्गैः' में वृत्ति के अन्तर्गत अङ्ग पदार्थ को उद्देश्य कर त्रित्व का विधान करेंगे तो उन दोनों पदों का एक वृत्ति में प्रवेश ही नहीं होगा। इससे एक प्रसरता (विशिष्ट एक उपस्थिति जनकत्व) रूप सामर्थ्य भङ्ग हो जायगा।

करणत्वासम्भवस्य तुल्यत्वादारुण्यस्यैव वाक्याद् भेदशङ्काया असम्भवादिति प्रपञ्चितं भूषणे। तस्मात् समासशक्तिपक्षो जैमिनीयैरवश्याभ्युपेय इत्यास्तां विस्तरः ॥३५॥

'राजपुरुषः' इत्यादौ राजा चासौ पुरुषश्चेति विग्रहः। 'चित्रगुः' इत्यादौ च चित्राणां गवामित्येव समानार्थत्वानुरोधात्। यद्यपि प्रथमान्तानामेव बहुव्रीहिरिति 'शेषो बहुव्रीहिः' (२।२।२३) इति

सावित्री

मीमांसा ग्रन्थ के दशवें अध्याय में भी यह बात वर्णित है। समास में विशिष्ट शक्ति मानने पर ही 'अरुणाधिकरण' के आरम्भ की सङ्गति बैठती है।

यदि समास में विशिष्ट शक्ति न स्वीकार करते तो "अरुणया एकहायन्या पिङ्गाक्ष्या सोमं क्रीणाति" इस वाक्य में यह सन्देह होता है कि 'आरुण्य' पद 'एक हायनी' आदि में विशेषण है अथवा क्रीणाति में—इस प्रकार का सन्देह और उसके समाधान के लिये 'अरुणाधिकरण' का आरम्भ—सब अनावश्यक रहता। "अरुणया एकहायन्या पिङ्गाक्ष्या सोमं क्रीणाति" इस वाक्य में 'आरुण्य' की भाँति एकहायनी और पिङ्गाक्षी भी गुण वाचक होने से अमूर्त्त है, इसलिये आरुण्य की भाँति इन दोनों का भी क्रीणाति का करण होना असम्भव है। तब तीनों पदों का लाक्षणिक होना समान है। ऐसी स्थिति में केवल 'आरुण्य' का ही वाक्य से भेद की आशंका असम्भव है—ये सब बातें 'वैयाकरणभूषण' में विवेचित हैं। इसलिये समासशक्तिपक्ष मीमांसकों को भी अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

इस प्रकार मीमांसक आदि के प्रति 'समास' में समुदाय शक्ति-निरूपण के अनन्तर 'आख्यातं तद्धितकृतोः' इत्यादि कारिका का उल्लेख किया है जो कि पूर्व ग्रन्थ से असङ्गत होगा—इस आशङ्का के निराकरण के लिये कहा है—'राजपुरुषः' में विग्रह के समास-समानार्थकत्व के अनुरोध से 'राजा चासौ पुरुषश्च' ऐसा विग्रह करना चाहिये। यहाँ राजपद राजसम्बन्धी अर्थ में लाक्षणिक है उसका अभेद सम्बन्ध से पुरुष पदार्थ में अन्वय होकर 'राजसम्बन्ध्यभिन्नः पुरुषः' ऐसा बोध उपपन्न होगा। 'चित्रगुः' में समानार्थत्व के अनुरोध से 'चित्राणां गवामयम्' यही विग्रह होगा। वहाँ 'गवामयमित्येव' में एवकार के निवेश से 'चित्रा गावो यस्य' इस प्रसिद्ध विग्रह की व्यावृत्ति हो जाती है। यद्यपि अनेक प्रथमान्तों का बहुव्रीहि समास होता है, ऐसा "शेषो बहुव्रीहिः" सूत्र घटक 'शेष' शब्द से लाभ होता है। तथापि दूसरे पक्ष में 'चित्रा गावो यस्य' ऐसा विग्रह भी होता है। 'राज्ञः पुरुषः' इत्यादि में षष्ठी (२।२।८) सूत्र से समास विधान किया गया है। षष्ठी समास के अभाव

सूत्राल्लभ्यते इति प्रथमान्तम्; पक्षे वाक्यं 'चित्रा गावो यस्य' इत्येवं संभवत्येव। 'षष्ठी' (२।२।८) इति समासविधानात् 'राज्ञः पुरुषः' इति च पक्षे वाक्यम्। तथापि तस्य न विग्रहत्वम्; भिन्नार्थत्वात्, किन्तूक्तस्यैवेति मीमांसकास्तान् प्रसङ्गान्निरस्यति—

आख्यातं तद्धितकृतोर्यत्किञ्चिदुपदर्शकम्।
गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः ॥८।३५।

तद्धितकृतोर्यत्किञ्चिदर्थबोधकं विवरणमाख्यातं तत्र विपर्ययो दृष्टः। तथा हि—आक्षिकः, कुम्भकारः इत्यत्राक्षकरणकव्यापाराश्रयः, कुम्भानुकूलव्यापाराश्रय इति बोधः। 'अक्षैर्दीव्यति' 'कुम्भं करोति' इत्यत्राक्षकरणिका देवनानुकूला भावना कुम्भोत्पत्त्यनुकूला भावनेति बोधः। कृत्यप्रत्यये कारकाणाम्; आख्याते च भावनायाः प्राधान्यं

सावित्री

पक्ष में यद्यपि 'राज्ञः पुरुषः' यह वाक्य होगा तथापि भिन्नार्थक होने से उसका विग्रह होना असम्भव है क्योंकि समास समान वाक्यार्थ ही विग्रह हो सकता है—ऐसा मीमांसकों का अभिप्राय है। उसका खण्डन करने के लिये वैयाकरण आगे की कारिका उपस्थित करते हैं—

कृदन्त, तद्धितान्त में जिस किसी अर्थ का बोधक तिङन्त घटित विवरण होता है उसमें भी कृदन्त, तिङन्त के विशेष्य-विशेषण भाव का व्यत्यास देखा जाता है। जैसे—'अक्षैर्दीव्यति' अर्थ में 'अक्ष' शब्द तेन दीव्यति' (४।४।२) इत्यादि सूत्र से कर्त्ता में 'ठक्' प्रत्यय होकर बनता है। 'अक्षकरणकव्यापाराश्रय' ऐसा अर्थ होता है। इसी भाँति 'कुम्भकारः' के कुम्भं करोति, इस अर्थ में 'कुम्भ' उपपद 'कृ' धातु से कर्त्ता अर्थ में अण् प्रत्यय होकर 'कुम्भकारः' प्रयोग बनता है। इसका "कुम्भोत्पत्त्यनुकूल-व्यापाराश्रय" ऐसा अर्थ बोध होता है।

इस प्रकार 'आक्षिकः' इस तद्धित का 'अक्षकरणकव्यापाराश्रय' यह अर्थ बोध होता है। इसी का 'अक्षैर्दीव्यति' ऐसा तिङन्त घटित विग्रह करने पर 'अक्षकरणिका देवनानुकूला भावना' ऐसा बोध होता है। तद्धित स्थल में जहाँ कर्तृ विशेष्यक शाब्दबोध होता है उसी का तिङन्त पद से विग्रह करने पर भावना विशेष्यक बोध होता है इसी भाँति 'कुम्भकारः' इस कृदन्त पद का 'कुम्भोत्पत्त्यनुकूलव्यापाराश्रयः' यह बोध होता है। उसी का विग्रह करने पर 'कुम्भोत्पत्त्यनुकूला भावना' ऐसा भावना विशेष्यक बोध होता है। इससे कृदन्त,

वदतो मीमांसकस्यापि गुणप्रधानभावांशव्यत्यासो न विवरणत्वबाधक इति नात्र पाक्षिकस्य 'चित्रा गावो यस्य' इत्यादेर्विग्रहत्वे बाधकमस्तीति भावः ॥३६॥

ननु वस्तूक्तरीत्या सर्वत्र समासे शक्तिः, अस्तु च तथा विग्रहस्तथापि षष्ठीतत्पुरुषकर्मधारययोः शक्तिमत्त्वाविशेषान्निषादस्थपत्यधिकरण सिद्धान्तसिद्धिर्नस्यादित्यत आह—

पर्यवस्यच्छाब्दबोधाविदूरप्राक्क्षणस्थितेः ।
शक्तिग्रहेऽन्तरङ्गत्वबहिरङ्गत्वचिन्तनम् ॥३७॥

पर्यवस्यंश्चासौ शाब्दबोधश्च तस्मादविदूरश्चासौ प्राक्क्षणश्च तदानीन्तनलाघवमादायाधिकरणाविरोध इत्यर्थः ।

सावित्री

तद्धित के तिङन्त घटित विग्रह में गुण प्रधान भाव अर्थात् विशेषण-विशेष्य भाव का व्यत्यास सहन करना पड़ता है और यह विपर्यय विग्रह में बाधक नहीं होता है और न पाक्षिक दोष होता है। इसलिये 'चित्रा गावो यस्य' इस विग्रह का भी कोई प्रतिबन्धक नहीं है. ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

इसके आगे मीमांसा के 'निषादस्थपत्यधिकरण सिद्धान्त, के खण्डन के लिये भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—पूर्वोक्त रीति से समास और विग्रह में विपर्यय से भले ही समास में अतिरिक्त शक्ति स्वीकार कर लें, विग्रह में पूर्वोक्त प्रकार से स्वीकार कर लें तथापि षष्ठी तत्पुरुषशक्तिमत्व के समान होने से 'निषादस्थपत्यधिकरण' सिद्धान्त की सिद्धि न हो सकेगी। इसलिये कहा है—'पर्यवस्यन् शाब्दबोधः' का अर्थ है शब्दशक्तिमर्यादा से फलीभूत जो शाब्दबोध अर्थात् समास की विशिष्ट शक्ति से जायमान शाब्दबोध, उससे अविदूर (सन्निहित) जो प्राक्क्षण (समास संज्ञा विधान से अव्यवहित पूर्ववर्त्ति अलौकिकप्रक्रिया वाक्यप्रयोगाधिकरणभूतक्षण) उस स्थिति के लाघव को लेकर अन्तरङ्ग-बहिरङ्गत्व का विचार समास में भी किया जाता है।

अभिप्राय यह है—'वसन्ते निषादस्थपतिं याजयेत्' यह श्रुति कहती है। वह 'निषाद स्थपति अधिकरण' में यह विचार किया गया है कि 'निषादस्थपति' पद में षष्ठी तत्पुरुष बहुव्रीहि है या कर्मधारय समास है। वहाँ 'निषादस्थपतिरूप' समास की एकार्थीभाव रूप विशिष्ट अर्थ में शक्ति है यह सिद्धान्त है। यहाँ 'निषादश्चासौ स्थपतिश्च' ऐसा विग्रह

अयं भावः—निषादस्थपतिपदस्य समासशक्तिपक्षे, निषादरूपे निषादानाञ्च स्थपतौ, निषादस्वामिके पुरुषान्तरे चेत्येवं सर्वत्र शक्तत्वान्नानार्थत्वम्। तथा च "नानार्थे तात्पर्याद् विशेषावगतिः" इति न्यायेन तत्कल्पनायां पदद्वयेन पूर्वोपस्थितार्थे एवोपस्थित्यादिलाघवात् तत् कल्प्यत इति। परेषामपि सति तात्पर्ये 'यष्टीः प्रवेशय' इतिवल्लक्षणाया दुर्वारत्वात्, तात्पर्यमेव कल्प्यकोटावशिष्यत इति दिक् ॥३६॥

इति वैयाकरणभूषणसारे समासशक्तिनिरूपणम् ॥५॥

सावित्री

करने पर निषाद रूप अर्थात् 'निषादाभिन्नस्थपति' ऐसा कर्मधारय समास होता है। 'निषादानां स्थपतिः' ऐसा विग्रह करने पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। 'निषादः स्थपतिः स्वामी यस्य' ऐसा विग्रह करने पर अन्यपदार्थकबहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार 'निषादस्थपति' शब्द इन तीनों अर्थों मे शक्त होने के कारण नानार्थक है। 'नानार्थे तात्पर्यविशेषावगतिः' अर्थात् नानार्थक शब्दों में वक्ता की विवक्षा के अनुरोध से तात्पर्य का निश्चय किया जाता है—इस न्याय से 'निषादस्थपति' शब्द में समानाधिकरण के अनुरोध से 'निषाद रूप स्थपति' ऐसे अर्थ का निश्चय किया जाता है। नैयायिक आदि अन्य व्यपेक्षावादी भी तात्पर्य के अनुरोध से 'यष्टीः प्रवेशय' इत्यादि में लक्षणा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार अनेकार्थक शब्दों में जिस अर्थ में लाघव होता है उसी के अनुसार कर्मधारय अर्थ में ही तात्पर्य का निश्चय करते हैं।

अथ शक्तिनिर्णयः

शक्तिप्रसङ्गात् तस्याः स्वरूपमाह—

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥३७॥

इन्द्रियाणाम् = चक्षुरादीनाम्, स्वविषयेषु = चाक्षुषेषु घटादिषु यथाऽनादिर्योग्यता = तदीयचाक्षुषादिकारणता, तथा शब्दानामपि अर्थैः सह तद्बोधकारणतैव योग्यता; सैव शक्तिरित्यर्थः।

सावित्री

इससे पूर्व 'समासशक्ति' प्रकरण में 'शक्ति' शब्द स्मृत हुआ है। इस प्रसङ्ग से 'शक्ति' पदार्थ का निरूपण करना आवश्यक समझा गया। इससे पूर्व 'समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्' इत्यादि के द्वारा समास में अतिरिक्त शक्ति स्वीकार की गई है।

वस्तुतः पद का पदार्थ के साथ सम्बन्ध को ही वैयाकरण शक्ति मानते हैं। वह सम्बन्ध वाच्यवाचक भाव रूप है। इसीलिये नागेश ने लघुसिद्धान्त मञ्जूषा में कहा है—तस्मात् पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः वाच्यवाचकभावापरपर्याया।

शक्तिस्वरूप के विषय में तार्किकों का कहना है—अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इत्याकारा, इदं पदमिममर्थं बोधयत्वित्याकारा वा—ईश्वरेच्छा शक्तिः, लाघवात्। उसी ईश्वरेच्छा को ईश्वरसङ्केत कहते हैं। वैयाकरणों को नैयायिकों का यह मत अभिप्रेत नहीं है। उनके मत से नैयायिकों के शक्ति लक्षण में 'आत्माश्रय' दोष आता है क्योंकि शाब्द-बोधरूप कार्य निमित्तभूत ईश्वरेच्छा के लिये पदनिष्ठशक्तिज्ञान, तज्ज्ञानाधीनोपस्थिति आवश्यक होती है। नैयायिक जिस क्षण में शक्तिज्ञान करते हैं उस क्षण में शाब्दबोध रूप कार्य असम्भव है। इसलिये उनके मत का निराकरण कर शक्तिस्वरूप निरूपण के लिये कौण्डभट्ट कारिका प्रस्तुत करते हैं—

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा। अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥१॥

अर्थात् चक्षु आदि इन्द्रियों का अपने विषय रूप, रस आदि के साथ अनादि

ननु न बोधकारणत्वमनादिभूतं शक्तिः, आधुनिकदेवदत्तादिपदे तदभावात्। अन्यथा पित्रादीनां सङ्केताज्ञानेऽप्यन्वयबोधप्रसङ्गः; लाक्षणिकातिव्याप्तेश्चेति सङ्केतज्ञानमपि हेतुर्वाच्यम्। तथा चाऽऽवश्यकत्वात् स एव शक्तिरस्तु। स चाधुनिके पित्रादेः, गवादौ चेश्वरस्य चेति चेत्।

अत्रोच्यते—संकेतो न स्वरूपेण हेतुः, अगृहीतशक्तिकादर्थबोधप्रसङ्गात्। नापि सामान्यतो ज्ञातः, प्रमेयत्वादिना तज्ज्ञानेऽपि बोधप्रसङ्गात्। नापि संकेतत्वेन तज्ज्ञानं हेतुः, गवादिपदेष्वीश्वरादेः

सावित्री

सम्बन्ध जैसे चला आ रहा है वैसे ही शब्दों का अपने अर्थों के साथ अनादि सम्बन्ध चला आ रहा है, वही योग्यता है और उसी योग्यता को शक्ति कहते हैं। घट आदि शब्दों का कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थों की बोधकारणता को ही शक्ति समझना चाहिये।

अब पूर्व वर्णित शक्ति स्वरूप के बारे में सन्देह उपस्थित करते हैं कि बोधकारणता अनादि रूप शक्ति नहीं हो सकती है क्योंकि आधुनिक देवदत्त, चैत्र, मैत्र आदि में अनादि बोधकारणता सम्भव नहीं है। ये सब नामकरण आधुनिक पिता आदि के द्वारा किया जाता है इसलिये इसमें अनादित्वविशिष्ट बोधकारणता असम्भव है प्रत्युत सादित्वविशिष्ट बोधकारणता विद्यमान है।

यदि आधुनिक सङ्केतित देवदत्त-आदि पदों में भी अनादित्वविशिष्ट बोधकारणता मानेंगे तो पिता आदि के द्वारा सङ्केत ज्ञान के अभाव में भी शाब्दबोध होने लगेगा, जबकि सिद्धान्ततः ऐसा नहीं होता है। यदि सङ्केत ज्ञान के विना भी शक्ति मानेंगे तो बोधकारणत्वरूप शक्ति का यह लक्षण लक्षणा में भी अतिव्याप्त होगा। गङ्गा आदि लाक्षणिक पदों में भी शक्ति के द्वारा ही तट का बोध हो जायेगा। लक्षणा करने की कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। यद्यपि गङ्गा पद का तट अर्थ में सङ्केत नहीं है तथापि गङ्गा पद से तट अर्थ का बोध प्रसिद्ध है। इसलिये बोधकारणत्व रूप शक्ति का ही लक्षण चला जायगा। लक्षणा अनपेक्षित हो जायगी। अत एव शाब्दबोध में सङ्केत ज्ञान को भी कारण मानना चाहिये। यतः सङ्केत ज्ञान के विना बोध नहीं हो सकता है अतः सङ्केत ही शक्ति है ऐसा मानना चाहिये। वह सङ्केत आधुनिक देवदत्त आदि में पिता आदि का रहता है और 'गो' आदि में ईश्वर सङ्केत रहता है। ऐसा मीमांसक आदि का विचार है। इसका खण्डन ग्रन्थकार ने आगे किया है।

संकेतत्वेन तज्ज्ञानशून्यानां लौकिकमीमांसकादीनां तत्तदर्थबोधजनकत्व-ग्रहवतामेव बोधोदयेन व्यभिचारात् ।

न चार्थधीजनकतावच्छेदकत्वेन तज्ज्ञानं तथा, ततोऽपि लाघवे-नार्थधीजनकत्वेनैव हेतुतायामस्मत्पक्षसिद्धेः । न चाधुनिकदेवदत्तादौ

सावित्री

मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुये वैयाकरणों का मत है कि शाब्दबोध में सङ्केत ज्ञान को भी कारण मानना चाहिये । वह संकेत शाब्दबोध में स्वरूपतः सामान्यतः अथवा विशेष रूप से हेतु है—इस विकल्प का निराकरण करते हुये कहते हैं कि सङ्केत स्वरूपतः शाब्दबोध में हेतु नहीं हो सकता है ।

क्योंकि सङ्केत यदि स्वभावतः शाब्दबोध के प्रति कारण हो तो शक्तिज्ञान के विना भी शाब्दबोध हो सकेगा । फलतः अगृहीत शक्तिवाले को भी अर्थबोध होने लगेगा । जबकि किसी पद में जिस—व्यक्ति को शक्तिग्रह नहीं है उसे उस पद से अर्थबोध नहीं होता है—ऐसा सभी का अनुभव है । जैसे—दाहकता के प्रति अग्नि की स्वरूपतः कारणता है अग्नि ज्ञान के विना भी अग्नि के साथ हाथ पैर आदि का स्पर्श हो जाने पर जलन होने लगती है, सङ्केत की शाब्दबोध के प्रति वैसी कारणता नहीं है । सङ्केत में साक्षात् बोध-कारणता नहीं है किन्तु संकेत ज्ञान में बोधकारणता माननी चाहिये । इसलिये सङ्केत स्वरूपतः शाब्दबोध में कारण नहीं हो सकता है ।

सामान्यतः ज्ञात सङ्केत भी शाब्दबोध में कारण नहीं हो सकता है । सामान्यतः ज्ञात का अर्थ है कि जिस किसी रूप से ज्ञान का विषय हो । तात्पर्य है कि जिस किसी की इच्छा का विषयीभूत ज्ञान चाहे वह ईश्वरसङ्केत हो या पिता आदि का सङ्केत हो । यदि ऐसा सङ्केत भी शाब्दबोध में कारण हो तो प्रमेयत्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व आदि रूप से भी सङ्केत ज्ञान होने पर बोध होने लगेगा । घट, पट आदि पदार्थ की भाँति 'सङ्केत' भी कोई प्रमेय पदार्थ है—ऐसा प्रमेयत्व आदि किसी धर्म से उसका ज्ञान होने पर सङ्केत ज्ञान हो जायगा और घट आदि पद से शाब्दबोध होने लगेगा, जबकि 'घट' पद का कम्बुग्रीवादि-मान् अर्थ में सङ्केत है—इस रूप से सङ्केत ज्ञान होने पर ही शाब्दबोध होता है ।

सङ्केतत्व रूप विशेष धर्म से भी सङ्केत शाब्दबोध में कारण नहीं हो सकता है क्योंकि 'गो' आदि में यद्यपि ईश्वर सङ्केत है, पर वह वहाँ सङ्केतत्वेन ज्ञात नहीं है वहाँ सङ्केतत्वेन ईश्वरीय सङ्केतज्ञान से शून्य नास्तिक लौकिक (चार्वाक), मीमांसक आदि के तत्तदर्थबोध-जनकग्रहवाले अर्थात् 'गवादिपदं गवाद्यर्थविषयकबोधजनकम्' इत्याकारक ज्ञानवाले को ही

सङ्केतज्ञानादेव बोधेनास्य व्यभिचारः, तत्रापि 'इदम्पदम् एनमर्थं बोधयतु' इतीच्छाग्रहे पदे तदर्थबोधकत्वस्यावगाहनेन व्यभिचाराभावात् ।

न च स्वातन्त्र्येणार्थबोधकताज्ञानं कारणं वाच्यम्, अन्यथा 'नेदं तद्धीजनकम्' इति ज्ञानवतः 'अस्माच्छब्दादयमर्थो बुद्धोनेन' इति जानतस्तद्ग्रहापत्तेरिति वाच्यम्, नेदं तद्धीजनक-

---

सावित्री

बोध होता है। इससे ईश्वरसङ्केत ज्ञान में व्यभिचार हो जाता है क्योंकि चार्वाक, मीमांसक आदि के मत में ईश्वर है ही नही, तब ईश्वरसङ्केत कैसे सम्भव हो सकता है।

यदि कहें कि नास्तिकों को ईश्वरीय सङ्केतत्वेन सङ्केतज्ञान भले न हो पर सङ्केतत्वेन सङ्केतज्ञान हो सकता है। इसके उत्तर में कहना है कि ग्रन्थकार ने मूल में लिखा है—तत्तदर्थबोधजनकत्वग्रहवतामेव बोधोदयेन व्यभिचारात्। यहाँ एवकार सङ्केतज्ञान का व्यवच्छेदक है। वस्तुतः 'तज्ज्ञानशून्यानाम्' इस मूलपाठ से सङ्केतज्ञान का व्यवच्छेद हो जाता है एवकार का पाठ निरर्थक है। इस प्रकार घट आदि पद कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ का प्रत्यायक है—ऐसे अर्थबोधजनकत्व ज्ञान वश सङ्केतज्ञान के बिना भी अर्थबोध हो जाता है। इसलिये सङ्केतत्वेन सङ्केतज्ञान शाब्दबोध में हेतु नहीं हो सकता है।

अब आगे मीमांसकों आदि के पक्ष को प्रस्तुत करते हुये कहते हैं, कि स्वरूपतः सामान्यतः अथवा सङ्केतत्वेन सङ्केत शाब्दबोध में कारण भले न हो पर ईश्वरीय सङ्केतज्ञान-शून्य लौकिक, मीमांसक आदि को घट आदि पद, घट आदि अर्थ के बोधजनक है—ऐसी बोधकारणता के ज्ञान मात्र से घट आदि का अर्थ बोध हो जाता है। इसलिये सङ्केतज्ञान को शाब्दबोध में हेतुत्व सम्भव न होने पर भी बोधजनकतावच्छेदकत्वेन सङ्केतज्ञान शाब्द-बोध में हेतु हो सकता है—इस आशंका के निवारण हेतु ग्रन्थकार ने लिखा है—न त्वार्थधीजनकतावच्छेदकत्वेन तज्ज्ञानं तथा अर्थात् अर्थबोधजनकतावच्छेदक रूप से सङ्केत को शाब्दबोध में हेतुता नहीं हो सकती है क्योंकि अर्थधीजनकतावच्छेदकत्वेन हेतुता की अपेक्षा अर्थधीजनकतात्वेन सङ्केत की हेतुता उचित है इसलिये जनकतावच्छेदक कोटि में अर्थधीजनकतावच्छेदकत्व का प्रवेश न करने से लाघव होता है। अभिप्राय यह है कि सङ्केत ही शाब्दबोध में कारण होता है, वह कारणता किस रूप से है—इसका विचार करने पर अर्थधीजनकता रूप ग्रहण करते हैं। पुनः 'अर्थधीजनकतावच्छेदकत्व पर्यन्त' लक्षण करने में गौरव होगा इस प्रकार लाघव होने से 'बोधकारणत्वमेव शक्तिः' ऐसा वैयाकरण का अभिमत सिद्ध होता है।

मिति ग्रहवतो बाधेन पदे परग्रहं जानतोऽपि तद्ग्रहासम्भवात् । अन्यथा भ्रान्तिज्ञस्यापि भ्रान्तत्वापत्तिरिति ।

इदश्चार्थधीजनकत्वं पित्रादिसंकेतज्ञानादेव गृह्यते; अतस्तज्ज्ञानात्

सावित्री

यदि यह कहें कि आधुनिक देवदत्त आदि में सङ्केतज्ञान से ही अर्थबोध होता है न कि अर्थधीजनकतारूप से । इसलिये अर्थबोधजनकतारूप कारण का व्यभिचार हुआ अर्थात् कारण के अभाव में भी कार्य होने से व्यतिरेक व्यभिचार हुआ ।

इस प्रकार का दोष देना इसलिये उचित नहीं है कि जहाँ सङ्केतज्ञान मात्र से अर्थ-बोध होता है वहाँ पर भी 'इदं पदमेनमर्थं बोधयतु' इस इच्छारूप सङ्केतज्ञान होने पर उस पद में अर्थधीबोधजनकत्वरूप बोधकारण के विद्यमान रहने से व्यतिरेक व्यभिचार सम्भव नहीं होगा ।

यदि यह कहें कि स्वातन्त्र्येण अर्थात् जो इतर में विशेषण न हो—ऐसा अर्थबोध-कताज्ञान शाब्दबोध में कारण होता है प्रकृत में बोधजनकत्व इच्छा रूप सङ्केत में विशेषण है । इसलिये यहाँ बोधकताज्ञान स्वतन्त्र नहीं है । अन्यथा अन्यत्र विशेषणरूप पारतन्त्र्य से भी बोधकताज्ञान में शाब्दबोध हेतुत्व हो जायगा । अभिप्राय यह है कि किसी भ्रान्त पुरुष को 'घट' पद से 'पट' अर्थ का ज्ञान हो गया । द्वितीय व्यक्ति जिसे 'नेदं तद्बीजनकम्' अर्थात् 'घट' पद 'पट' अर्थ का बोध नहीं करा सकता है—यह जानता हुआ भी यदि पार-तन्त्र्येण अर्थात् दूसरे के भी बोधकताज्ञान को शाब्दबोध में कारण मानेंगे तो जैसे देवदत्त को 'घट' पद से 'पट' रूप अर्थ का ज्ञान हुआ, तब घट पद की पट रूप अर्थ में शक्ति है, ऐसा शक्तिग्रह सम्भव होकर यज्ञदत्त को भी घट पद से पट विषयक अर्थ प्रतीति की आपत्ति होगी । इसलिये स्वातन्त्र्येण अर्थात् इतराविशेषणत्वेन अर्थबोधजनकताज्ञान शाब्दबोध में हेतु होता है—ऐसा अवश्य कहना चाहिये । अन्यथा 'नेदं तद्बीजनम्' अर्थात् घट पद पट अर्थबोधजनक नहीं होता है—ऐसे ज्ञानवान् अभ्रान्त पुरुष के ज्ञान से बोध होने के कारण दूसरे का भ्रम होते हुये भी घट पद से पट अर्थ का बोध नहीं होता है, नहीं तो घट पद में पट अर्थ बोधजनकता नहीं है—ऐसे निश्चयात्मकज्ञान वाले भ्रान्तिज्ञ को भी भ्रम होने की आपत्ति होती ।

यह अर्थबोधजनकता पिता आदि के सङ्केत ज्ञान से होती है । इसलिये पिता आदि के सङ्केत ज्ञान से पूर्व शाब्दबोध नहीं होता है । अर्थबोधजनकता रूप शक्ति स्वीकार करने पर 'गङ्गायां घोषः' में तट अर्थ में लाक्षणिक जो गङ्गा पद है उसकी अनादि-बोधकारणता

पूर्वं न बोधः। नापि लाक्षणिकोच्छापत्तिः, इष्टत्वात्, शक्तिग्राहकव्यवहार-स्य मुख्यलक्ष्यसाधारण्यात्।

किञ्च प्रत्यक्षादिपदजन्योपस्थितेः शाब्दबोधानङ्गत्वाच्छब्दबोधं प्रति शक्तिजन्योपस्थितेः; लक्षणाजन्योपस्थितेश्च कारणत्वं वाच्यम्, तथा च कार्यकारणभावद्वयकल्पने गौरवं स्यात्। अस्माकं पुनः शक्तिजन्यो-पस्थित्वेनैव हेतुतेति लाघवम्।

अपि च लक्षणावृत्तिस्वीकारे कार्यकारणभावस्य प्रत्येकं व्यभिचारः, शक्तिजन्योपस्थितिं विनाऽपि लक्षणाजन्योपस्थितितः

सावित्री

रूप अर्थबोधजनकता तट अर्थ में विद्यमान है। इसलिये शक्ति से तट अर्थ का बोध हो जायगा—लक्षणा के उच्छेद होने की आपत्ति होगी।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि लक्षणा के उच्छेद होने की आपत्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि लक्षणा का उच्छेद हो जाय, यह हमें इष्ट है। लक्षणा के उच्छेद का दोष हमारे (वैयाकरण) के पक्ष में गुण हो जायगा। शक्तिग्राहक शिरोमणि जो व्यवहार है वह जैसे शक्य में है वैसे लक्ष्य तीर में भी है। जैसे जलप्रवाहरूप विशेष अर्थ में गङ्गा पद का प्रयोगात्मक वृद्ध व्यवहार देखा जाता है वैसे तीररूप अर्थ में भी गङ्गा पद का प्रयोग रूप वृद्ध व्यवहार देखा जाता है। इसलिये शक्य, लक्ष्य-उभय अर्थ में गङ्गा पद का प्रयोग समान होने से जलप्रवाहरूप शक्य अर्थ में जैसे गङ्गा पद की शक्ति है वैसे ही ही लक्ष्य अर्थ तीर में भी गङ्गा पद की शक्ति स्वीकार कर ली जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि प्रत्यक्ष आदि की उपस्थिति शाब्दबोध में अङ्ग नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि जिसे 'घट' पद की कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ में शक्ति है ऐसा शक्तिग्रह नही है उसे 'चक्षु' इत्यादि के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होते हुये भी 'घटमानय' इस वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता हैं। इससे सिद्ध है कि प्रत्यक्ष आदि से जन्य उपस्थिति शाब्दबोध का अङ्ग नहीं होती है। इसलिये लक्षणा को पृथक् वृत्ति मानने पर शाब्दबोध में शक्तिजन्य उपस्थिति और लक्षणा जन्य उपस्थिति को कारण मानना होगा। इस प्रकार दो कार्य कारण भाव मानने पर गौरव होगा। केवल 'शक्ति' रूप वृत्ति को मानने वाले हम वैयाकरण को मात्र शक्ति जन्य उपस्थिति को शाब्दबोध में कारण मानना होगा, इससे लाघव होगा।

शाब्दबोधात् । न चाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन तत्तदुपस्थितिमत्त्वं कार्यतावच्छेदकम्, तत्तदुपस्थितित्वञ्च कारणतावच्छेदकम्, अनन्तकार्यकारणभावप्रसङ्गात् । किञ्च पदार्थोपस्थितिं प्रत्यपि शक्तिज्ञानत्वेन लक्षणाज्ञानत्वे च हेतुतेति व्यभिचारः, गौरवञ्च प्राग्वदेव द्रष्टव्यम् ।

सावित्री

इसके अतिरिक्त लक्षणा वृत्ति स्वीकार करने पर शक्ति और लक्षणा, उभय से जन्य अर्थोपस्थिति की शाब्दबोध कारणता उभयपर्याप्त रहेगी जिससे प्रत्येक में व्यभिचार होगा। शक्तिजन्योपस्थिति के बिना भी लक्षणाजन्य उपस्थिति से शाब्दबोध हो जायगा। वहाँ शक्तिजन्योपस्थिति रूप कारण के अभाव में शाब्दबोध होने से कारणाभाव रूप व्यतिरेक व्यभिचार होगा। लक्षणास्थल में शक्तिजन्य उपस्थिति के विना भी शाब्दबोध होने से कारणाभाव रूप व्यतिरेक व्यभिचार होगा।

पूर्वोक्त दोषवारण के लिये कार्यतावच्छेदक में अव्यहितोत्तरत्व निवेश करना चाहिये। इसलिये कार्यकारणभाव इस प्रकार होगा· तत्पदनिष्ठशक्तिज्ञानाधीनोपस्थित्यव्यहितोत्तरशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पदनिष्ठशक्तिज्ञानाधीनोपस्थितिः कारणम्, तत्पदनिष्ठलक्षणाज्ञानाधीनोपस्थित्यव्यहितोत्तर—शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पदनिष्ठलक्षणाज्ञानाधीनोपस्थितिः कारणम्।

इस प्रकार तत्तद् वृत्ति जन्य अर्थ की उपस्थिति के अनन्तर जायमान जो शाब्दबोध है वही तत्तद् उपस्थिति का कार्य है। यहाँ शक्तिजन्य उपस्थिति और लक्षणाजन्य उपस्थिति कारण है, कार्य है शाब्दबोध। उस शाब्दबोध में कार्यता रहती है, कार्यतावच्छेदक है तत्तद् उपस्थितिमत्त्व। इसी प्रकार शक्यार्थविषयक शाब्दबोध में कारणतावच्छेदक है शक्तिजन्योपस्थितित्व, लक्ष्यार्थविषयक शाब्दबोध में कारणतावच्छेदक है लक्षणाजन्योपस्थितिमत्व। शक्यार्थविषयक शाब्दबोध शक्तिजन्य अर्थोपस्थिति के अनन्तर अव्यवधान से होता है, लक्ष्यार्थविषयक शाब्दबोध में लक्षणाजन्य उपस्थिति के अनन्तर अव्यवधान से होता है किन्तु ऐसा मानने से अनेक कार्यकारणभाव स्वीकार करना पड़ेगा। इससे पूर्व पदार्थ की उपस्थिति में शक्तिज्ञान, लक्षणाज्ञान की हेतुता का व्यभिचार पूर्व की भाँति समझना चाहिये। शाब्दबोध की कारणता शक्ति-लक्षणा-उभय जन्य उपस्थिति को रहेगी। जहाँ शक्तिजन्योपस्थिति रहेगी वहाँ लक्षणाजन्य उपस्थिति नही रहेगी, अतः व्यभिचार होगा। जहाँ लक्षणाजन्य उपस्थिति रहेगी वहाँ शक्तिजन्य उपस्थिति के अभाव से व्यभिचार होगा।

पूर्वं न बोधः । नापि लाक्षणिकोच्छापत्तिः, इष्टत्वात्, शक्तिग्राहकव्यवहार-स्य मुख्यलक्ष्यसाधारण्यात् ।

किञ्च प्रत्यक्षादिपदजन्योपस्थितेः शाब्दबोधानङ्गत्वाच्छब्दबोधं प्रति शक्तिजन्योपस्थितेः, लक्षणाजन्योपस्थितेश्च कारणत्वं वाच्यम्, तथा च कार्यकारणभावद्वयकल्पने गौरवं स्यात् । अस्माकं पुनः शक्तिजन्यो-पस्थितत्वेनैव हेतुतेति लाघवम् ।

अपि च लक्षणावृत्तिस्वीकारे कार्यकारणभावस्य प्रत्येकं व्यभिचारः, शक्तिजन्योपस्थितिं विनाऽपि लक्षणाजन्योपस्थितितः

सावित्री

रूप अर्थबोधजनकता तट अर्थ में विद्यमान है। इसलिये शक्ति से तट अर्थ का बोध हो जायगा—लक्षणा के उच्छेद होने की आपत्ति होगी।

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि लक्षणा के उच्छेद होने की आपत्ति नहीं की जा सकती है क्योंकि लक्षणा का उच्छेद हो जाय, यह हमें इष्ट है। लक्षणा के उच्छेद का दोष हमारे (वैयाकरण) के पक्ष में गुण हो जायगा। शक्तिग्राहक शिरोमणि जो व्यवहार है वह जैसे शक्य में है वैसे लक्ष्य तीर में भी है। जैसे जलप्रवाहरूप विशेष अर्थ में गङ्गा पद का प्रयोगात्मक वृद्ध व्यवहार देखा जाता है वैसे तीररूप अर्थ में भी गङ्गा पद का प्रयोग रूप वृद्ध व्यवहार देखा जाता है। इसलिये शक्य, लक्ष्य-उभय अर्थ में गङ्गा पद का प्रयोग समान होने से जलप्रवाहरूप शक्य अर्थ में जैसे गङ्गा पद की शक्ति है वैसे ही ही लक्ष्य अर्थ तीर में भी गङ्गा पद की शक्ति स्वीकार कर ली जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि प्रत्यक्ष आदि की उपस्थिति शाब्दबोध में अङ्ग नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि जिसे 'घट' पद की कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ में शक्ति है ऐसा शक्तिग्रह नही है उसे 'चक्षु' इत्यादि के द्वारा घट का प्रत्यक्ष होते हुये भी 'घटमानय' इस वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता हैं। इससे सिद्ध है कि प्रत्यक्ष आदि से जन्य उपस्थिति शाब्दबोध का अङ्ग नहीं होती है। इसलिये लक्षणा को पृथक् वृत्ति मानने पर शाब्दबोध में शक्तिजन्य उपस्थिति और लक्षणा जन्य उपस्थिति को कारण मानना होगा। इस प्रकार दो कार्य कारण भाव मानने पर गौरव होगा। केवल 'शक्ति' रूप वृत्ति को मानने वाले हम वैयाकरण को मात्र शक्ति जन्य उपस्थिति को शाब्दबोध में कारण मानना होगा, इससे लाघव होगा।

शाब्दबोधात् । न चाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन तत्तदुपस्थितिमत्त्वं कार्य्यतावच्छेदकम्, तत्तदुपस्थितित्वञ्च कारणतावच्छेदकम्, अनन्तकार्यकारणभावप्रसङ्गात् । किञ्च पदार्थोपस्थितिं प्रत्यपि शक्तिज्ञानत्वेन लक्षणाज्ञानत्वे च हेतुतेति व्यभिचारः, गौरवञ्च प्राग्वदेव द्रष्टव्यम् ।

सावित्री

इसके अतिरिक्त लक्षणा वृत्ति स्वीकार करने पर शक्ति और लक्षणा, उभय से जन्य अर्थोपस्थिति की शाब्दबोध कारणता उभयपर्याप्ता रहेगी जिससे प्रत्येक में व्यभिचार होगा। शक्तिजन्योपस्थिति के बिना भी लक्षणाजन्य उपस्थिति से शाब्दबोध हो जायगा। वहाँ शक्तिजन्योपस्थिति रूप कारण के अभाव में शाब्दबोध होने से कारणाभाव रूप व्यतिरेक व्यभिचार होगा। लक्षणास्थल में शक्तिजन्य उपस्थिति के बिना भी शाब्दबोध होने से कारणाभाव रूप व्यतिरेक व्यभिचार होगा।

पूर्वोक्त दोषवारण के लिये कार्यतावच्छेदक में अव्यहितोत्तरत्व निवेश करना चाहिये। इसलिये कार्यकारणभाव इस प्रकार होगा· तत्पदनिष्ठशक्तिज्ञानाधीनोपस्थित्यव्यहितोत्तरशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पदनिष्ठशक्तिज्ञानाधीनोपस्थितिः कारणम्, तत्पदनिष्ठलक्षणाज्ञानाधीनोपस्थित्यव्यहितोत्तर—शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तत्पदनिष्ठलक्षणाज्ञानाधीनोपस्थितिः कारणम् ।

इस प्रकार तत्तद् वृत्ति जन्य अर्थ की उपस्थिति के अनन्तर जायमान जो शाब्दबोध है वही तत्तद् उपस्थिति का कार्य है। यहाँ शक्तिजन्य उपस्थिति और लक्षणाजन्य उपस्थिति कारण है, कार्य है शाब्दबोध। उस शाब्दबोध में कार्यता रहती है, कार्यतावच्छेदक है तत्तद् उपस्थितिमत्त्व। इसी प्रकार शक्यार्थविषयक शाब्दबोध में कारणतावच्छेदक है शक्तिजन्योपस्थितित्व, लक्ष्यार्थविषयक शाब्दबोध में कारणतावच्छेदक है लक्षणाजन्योपस्थितिमत्व। शक्यार्थविषयक शाब्दबोध शक्तिजन्य अर्थोपस्थिति के अनन्तर अव्यवधान से होता है, लक्ष्यार्थविषयक शाब्दबोध में लक्षणाजन्य उपस्थिति के अनन्तर अव्यवधान से होता है किन्तु ऐसा मानने से अनेक कार्यकारणभाव स्वीकार करना पड़ेगा। इससे पूर्व पदार्थ की उपस्थिति में शक्तिज्ञान, लक्षणाज्ञान की हेतुता का व्यभिचार पूर्व की भाँति समझना चाहिये। शाब्दबोध की कारणता शक्ति-लक्षणा-उभय जन्य उपस्थिति को रहेगी। जहाँ शक्तिजन्योपस्थिति रहेगी वहाँ लक्षणाजन्य उपस्थिति नहीं रहेगी, अतः व्यभिचार होगा। जहाँ लक्षणाजन्य उपस्थिति रहेगी वहाँ शक्तिजन्य उपस्थिति के अभाव से व्यभिचार होगा।

न च 'इदं पदमेतदर्थबोधकम्' इति शक्तिज्ञानेन कार्यकारणभावकल्पनेऽपि तत्तदर्थभेदेनानेककार्यकारणभावकल्पने गौरवं तवापि समानम्, परस्परव्यभिचारवारणायाव्यवहितोत्तरत्वघटितत्वे च सुतरामिति वाच्यम्, शक्तिभ्रमानुरोधेन तत्तत्पदतत्तदर्थभेदेन कार्यकारणभावानन्त्यस्य तवापि साम्यात्। लक्षणाकार्यकारणभावकल्पनागौरवं परं तवातिरिच्यते।

अथ वृत्तिजन्योपस्थित्वेनैव शाब्दबोधहेतुता, वृत्तिज्ञानत्वेन च पदार्थोपस्थितिकारणतेत्येवं मया वाच्यमिति चेन्न, शक्ति-लक्षणान्य-

---

सावित्री

आगे मीमांसक का वैयाकरण के प्रति आक्षेप है कि 'इदं पदमेतदर्थबोधकम्' अर्थात् अमुक पद अमुक अर्थ का बोधक है। इस प्रकार से कार्यकारणभाव की कल्पना करने पर भी तत्तद् अर्थ भेद से अनेक कार्यकारणभाव कल्पना का गौरव तुम्हारे मत में भी समान है। तात्पर्य यह है कि आप (वैयाकरण) को भी इस प्रकार का कार्यकारणभाव मानना पड़ेगा—घटोपस्थितिं प्रति घटपदं घटरूपार्थबोधकमिति शक्तिज्ञानं कारणम्, पटोपस्थितिं प्रति पटपदं पटरूपार्थबोधकमिति शक्तिज्ञानं कारणम्—इस प्रकार अनेक कार्य-कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। यह सर्वत्र शक्ति से पदार्थोपस्थिति मानने वाले वैयाकरण के मत में भी गौरव समान रूप से होगा। इसके अतिरिक्त आप (वैयाकरण) को पदों से पदार्थोपस्थिति में परस्पर व्यभिचार वारण के लिये अव्यवहितोत्तरत्व' निवेश करना पड़ता है इससे गौरव और अधिक सुस्पष्ट हो जाता है।

इसके उत्तर में वैयाकरणों का मीमांसकों से कहना है कि घट पद की पट रूप अर्थ में शक्ति है—ऐसा किसी को शक्तिभ्रम हो गया तो उसे घट पद से पट अर्थ की उपस्थिति होगी। जिसे ऐसा भ्रम नहीं हुआ उसे घट की उपस्थिति के प्रति घट पद अर्थ का बोधक है। जहाँ गंगा' पद तीर अर्थ में शक्त है—ऐसा किसी को भ्रम हो गया—वहाँ तीर की उपस्थिति के प्रति गङ्गापदनिष्ठ शक्ति ज्ञान कारण है। जहाँ गंगा पद तीर में लाक्षणिक है—वहाँ तीर की उपस्थिति के प्रति गङ्गा पद निष्ठ लक्षणा ज्ञान कारण है—इस प्रकार अनेक कार्यकारण भाव की कल्पना करनी होगी—यह अतिरिक्त गौरव होगा। मुझ (वैयाकरण) को लक्षणा ज्ञान से कार्यकारण भावकी कल्पना नहीं करना पड़ेगी। अप्रसिद्ध शक्ति ज्ञान के कार्य कारण भाव से भ्रम और लक्षणा का संग्रह हो जायगा।

इसके बाद लक्षणावादी मीमांसकों का कहना है कि पूर्वोक्त दोष वारण के लिये

तरत्वस्य, शाब्दबोधहेतुपदार्थोपस्थित्यनुकूलपदपदार्थसम्बन्धत्वस्य वा वृत्तित्वस्य कारणावच्छेदकत्वाच्छक्तित्वमपेक्ष्य गुरुत्वात्, शाब्दबोध-हेतुतावच्छेदकपदार्थोपस्थितिहेतुवृत्तेरज्ञाने तद्घटितकार्यकारणभावग्रह-स्याप्यसम्भवात् ।

अथ ममापि शक्तिज्ञानत्वेनैव हेतुता, शक्यसम्बन्धज्ञानरूप-लक्षणायां शक्तेरपि प्रवेशात् इति चेन्न, शक्तिज्ञान-पदार्थोपस्थित्योः

सावित्री

हम भी शक्ति या लक्षणा को शाब्दबोध के प्रति कारण मानेंगे अपि तु वृत्तित्वेन शक्ति, लक्षणा-दोनों का संग्रह हो जायगा । लक्षणा पृथक् वृत्ति नही माननी पड़ेगी। भाव यह है कि 'तीरविषयकशाब्दबोधम्प्रति गङ्गापदनिष्ठवृत्तिज्ञानजन्योपस्थितिः कारणम्, ऐसा कहना चाहिये । इससे वृत्तिज्ञानत्व रूप एक ही कारणतावच्छेदक होगा, किसी प्रकार का गौरव दोष नही होगा ।

इस पर वैयाकरण का नैयायिक मीमांसक आदि के प्रति कहना है कि वृत्तिज्ञानत्वेन पदार्थोपस्थिति को शाब्दबोध के प्रति कारण मानने पर शक्तिजन्य, लक्षणाजन्य पदार्थो-पस्थिति में शक्ति-लक्षणा-उभयवृत्तित्वावच्छिन्नत्व के रहने से एक ही कार्यकारणभाव रहेगा—यह आपका आशय है । वहाँ वृत्ति में यदि कारणता है तो कारणतावच्छेदक वृत्तित्व होगा किन्तु उस वृत्तित्व का क्या स्वरूप होगा। शक्तिलक्षण-अन्यतरत्व रूप होगा अथवा शाब्दबोध में हेतु जो पदार्थोपस्थिति, उसके अनकूल पद पदार्थ का सम्बन्धत्व रूप होगा। इस प्रकार के वृत्तित्व को कारणतावच्छेदक मानना पड़ेगा। ऐसा मानने पर शक्तित्व की अपेक्षा कहीं अधिक गौरव होगा। शाब्दबोध में कारण है पदार्थोपस्थिति, पदार्थोपस्थिति के प्रति कारण है वृत्तिज्ञान, इसलिये शाब्दबोध में केवल पदार्थोपस्थिति, कारण नही है किन्तु वृत्तिज्ञानजन्य पदार्थोपस्थिति कारण है उसका कारणतावच्छेदक है—वृत्तिज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितित्व। उस शब्द में कारणतावच्छेदक है पदार्थोपस्थिति, उस पदार्थोपस्थिति में कारण है वृत्तिज्ञान, उस वृत्तिज्ञान के न होने पर वृत्तिघटित-कार्यकारणभाव का ज्ञान भी असम्भव हो जायगा ।

लक्षणा अङ्गीकार करने वाले मीमांसकों का ही शाब्दबोध के प्रति कारणता है न कि शक्तिज्ञान और लक्षणा ज्ञान को पृथक्-पृथक् हेतुता है क्यों कि 'शक्यसम्बन्धरूपलक्षणा' के स्वरुप में शक्ति का भी प्रवेश है। लक्षणाज्ञान शक्तिज्ञानजन्य है। इस प्रकार लक्षणा

कार्यकारणभावे समानविषयत्वस्यावश्यकत्वात् । अन्यथा गङ्गा-तीरयोः सम्बन्धाग्रहवतो गङ्गापदशक्तिं जानतोऽपि 'गङ्गायां घोषः' इति वाक्यात्तीरबोधप्रसङ्गः, शक्तिज्ञानस्य हेतोः सत्त्वात् ।

अपि च 'घटमानय' इति वाक्यम्, हस्तिनश्च स्मरतः, घटपदादिभ्यो घटादेः, गजाद्धस्तिपकस्य च समूहालम्बनस्मरणवतो घटा-

---

सावित्री

स्वीकार करने पर भी शाब्दबोध में शक्तिज्ञान को ही कारण मानना चाहिये । इसके उत्तर में शाब्दिकों का कहना है कि शक्तिज्ञान और पदार्थोपस्थिति के कार्यकारणभाव में समान विषयता होना आवश्यक है । इसे इस प्रकार कहना चाहिये "तदर्थविषयकोपस्थितिं प्रति तदर्थनिरूपिततत्पदनिष्ठशक्तिज्ञानं कारणम् ।।"

अर्थात् घट रूप अर्थ की उपस्थिति के प्रति, घट रूप अर्थ निरूपित, घट पद में रहने वाली जो शक्ति, उस शक्ति का ज्ञान कारण है । यद्विषयक शक्तिग्रह हो तद्विषयक ही पदार्थोपस्थिति हो, तब उपस्थिति और शक्तिग्रह (शक्तिज्ञान) में समान विषयकत्व सिद्ध होता है । अन्यथा शक्तिज्ञान और पदार्थोपस्थिति में समान विषयता न रहने पर भी यदि कार्यकारणभाव माना जाता है तो गंगा और तीर का सम्बन्ध न जानने वाले व्यक्ति को केवल गङ्गा पद की प्रवाह रूप अर्थ में शक्ति ज्ञान से ही 'गङ्गायां घोषः' इस वाक्य से तीर का बोध होने लगेगा, जब कि गंगा पद के शक्य सम्बन्धी तीर का ज्ञान न रखने वाले पुरुष को गङ्गा पद से तीर का बोध नहीं होता है किन्तु यहाँ पदार्थोपस्थिति के हेतुभूत जो शक्तिज्ञान है उसके रहने से गंगा पद से तीर अर्थ का बोध होने लगेगा ।

इसके अतिरिक्त घटमानय' इस वाक्य तथा हस्ती (गज) का स्मरण करने वाले पुरुष को घट पद से घट आदि तथा गज से हस्तिपक का समूहालम्बनात्मक स्मरण वाले को 'घटानयन' का शाब्दबोध होने की आवृत्ति होगी क्योंकि समूहालम्बनात्मक पदार्थोपस्थिति में शक्तिरूपवृत्तिजन्यत्व है । यद्यपि जैसे घट' रूप अर्थ की पदनिष्ठशक्तिज्ञान से उपस्थिति होती है उस प्रकार शक्तिज्ञान से हस्तिपक की उपस्थिति नहीं होती है ।

अपि तु नियम्य-नियामक भाव से उपस्थिति होती है तथापि समूहालम्बनात्मक-पदार्थोपस्थिति रूप एकज्ञान में पदशक्तिजन्यत्व होने से 'घटमानयन' की भाँति हस्तिपद का भी शाब्दबोध होने की आपत्ति होगी ।

१—'एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकं भवति' इस न्याय से 'हस्ति' से 'हस्तिपक' का स्मरण होता है ।

नयनवद्धस्तिपकस्यापि शाब्दबोधापत्तिः, समूहालम्बनरूपायां पदार्थोपस्थितौ वृत्तिजन्यत्वसत्त्वात् ।

तथा च विषयतया 'शाब्दबोधं प्रति तदंशविषयकवृत्तिजन्योपस्थितिर्हेतुः' इति वाच्यम् । एवं च लक्षणाया अपि शक्तिज्ञानत्वेन हेतुत्वमसंभवदुक्तिकमिति । एतेन शक्तिप्रयोज्योपस्थितिर्हेतुरिति न लक्षणाज्ञाने कार्यकारणभावान्तरं ममापीति परास्तम् । प्रयोज्यत्वस्यातिप्रसक्तस्य दुर्वचत्वाच्चेत्यादिकं विस्तरेण प्रपञ्चितं भूषणे ।.१।३७

सावित्री

पूर्वोक्त दोषवारण के लिये विषयतासम्बन्ध से 'तद्विषयकशाब्दबोधं प्रति तदंशविषयकवृत्तिजन्योपस्थितिः कारणम्' ऐसा कार्यकारण भाव कहना चाहिये । एवं शक्यसम्बन्ध रूप लक्षणा में भी शक्ति का प्रवेश है । इससे 'गङ्गायां घोषः' इत्यादि लक्षणा स्थल में 'गङ्गा' पद की शक्ति से जैसे प्रवाह रूप अर्थ का बोध होता है वैसे तीर अर्थ की शक्ति ज्ञान से ही उपस्थिति हो जायगी । लक्ष्य अर्थ की उपस्थिति के प्रति भी शक्ति ज्ञान ही कारण होताहै—ऐसी कारणता जो पूर्व में कही गई है वह सम्भव नहीं है ।

समूहालम्बन रूप, घट-हस्तिपकरूप पदार्थ की उपस्थिति में घट अंश में जैसे घट-विषयक-वृत्तिज्ञानजन्य उपस्थिति है और हस्तिपक अंश में हस्तिपक पद गजनियन्ता अर्थ में शक्त है, यहाँ हस्तिपक-विषयक-वृत्तिज्ञानजन्य उपस्थिति नही है, क्यों कि यहाँ हस्तिपक पद नही है किन्तु स्मृति के विषयभूत 'गज' के सम्पर्क से हस्तिपक का स्मरण हुआ है । इसलिये जैसे वृत्तिज्ञान से घट का ज्ञान होता है, वैसा विषयतासम्बन्ध से हस्तिपक का भान न होने से उसका बोध नही होता है ।

इस प्रकार शक्ति-लक्षणा-दो प्रकार की वृत्ति ज्ञान का एक रूप से हेतुत्व सम्भव नही है । इसलिये शक्तिज्ञान प्रयोज्य उपस्थिति को ही हेतु मानने की अपेक्षा लक्षणा ज्ञान में अन्य कार्यकारण भाव की कल्पना नही करनी पड़ेगी—ऐसा कहने वाले लक्षणावादी मीमांसक आदि परास्त हो गये । अतिप्रसङ्ग रहित प्रयोज्यत्व (जन्यजन्यत्व) को कहना अशक्य है—इत्यादि बातें वैयाकरणभूषण में विस्तार से वर्णित हैं । तात्पर्य यह है कि 'घट' पद कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ में शक्त है—ऐसा जानने वाले व्यक्ति को 'घट' पद से कम्बुग्रीवादिमान पदार्थ की उपस्थिति होने पर उस घट से स्वसम्बद्ध आकाश की भी उपस्थिति हो जायगी और उस आकाश की घट पद जन्य शाब्दबोध होने की आपत्ति होगी, क्योंकि उस आकाश की भी उपस्थिति में घट पद निष्ठ शक्ति ज्ञान प्रयोज्यत्व अर्थात्

नन्वेवं भाषादितो बोधदर्शनात् बोधकतारूपा शक्तिस्तत्रापि स्यात्। तथा च साधुताऽपि स्यात्, शक्तत्वस्यैव साधुताया व्याकरणाधिकरणे प्रतिपादनादित्याशङ्कां द्विधा समाधत्ते—

असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते।
वाचकत्वाविशेषे वा नियमः पुण्यपापयोः॥३८॥

असाधुः=गाव्यादिः, अनुमानेन=साधुशब्दमनुमाय, वाचकः बोधकः कैश्चिदिष्यते। तथा च लिपिवत्तेषां साधुस्मरणे एवोपयोगः; न तु साक्षात्तद्वाचकत्वम् अतो न साधुत्वमिति भावः।

सावित्री

परम्परया घट पद निष्ठ-शक्ति ज्ञानजन्यता है। इसलिये ऐसे शक्ति प्रयोज्यत्व का अति प्रसङ्गरहित होना सर्वथा दुर्वच है॥३७॥

इस प्रकार बोधजनकत्व को ही शक्तित्व स्वीकार करने से भाषा (अपभ्रंश आदि) के द्वारा भी बोध देखा जाता है। इसलिये बोधकता रूप शक्ति अपभ्रंश में भी होगी, क्योंकि शक्तत्व के ही साधुता का प्रतिपादन जैमिनि के व्याकरणाधिकरण में किया गया है इस आशंका का दो प्रकार से समाधान किया गया है—

एक प्रकार यह है कि अपभ्रंश साक्षात् वाचक नहीं होते हैं किन्तु साधु शब्द का स्मरण कराकर परम्परया बोधक होते हैं। दूसरा प्रकार यह है कि साधु शब्द की भाँति अपभ्रंश में भी साक्षात् वाचकता है, दोनों में नियम केवल पुण्य पाप का होता है अर्थात् साधु शब्द के प्रयोग से पुण्य होता है, असाधु शब्द के प्रयोग से पाप होता है। इसी बात को कारिकाकार ने लिखा है—

असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते।
वाचकत्वाविशेषे च नियमः पुण्यपापयोः॥३८॥

असाधुः=गावी-गोणी इत्यादि, अनुमानेन=साधुशब्द का अनुमान कराकर, वाचकः=बोधक होता है—ऐसा कुछ लोगों का मत है। ऐसे लोगों के मत में अपभ्रंश साक्षात् वाचक नहीं होते हैं तथा लिपि की भाँति उन अपभ्रंशों का उपयोग साधु शब्द के स्मरण कराने में ही होता है। यतः उनमें साक्षात् वाचकता नहीं होती है अतः वे साधु नहीं होते हैं।

उक्तश्च वाक्यपदीये —

ते साधुष्वनुमानेन प्रत्ययोत्पत्तिहेतवः ।
तादात्म्यमुपगम्येव शब्दार्थस्य प्रकाशकाः ॥
न शिष्टैरनुगम्यन्ते पर्याया इव साधवः ।
न यतः स्मृतिमात्रेण तस्मात् साक्षादवाचकाः ॥
अम्बाम्बेति यदा बालः शिक्ष्यमाणः प्रभाषते ।
अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निर्णयः ॥
एवं साधौ प्रयोक्तव्ये योऽपभ्रंशः प्रयुज्यते ।
तेन साधुव्यवहितः कश्चिदर्थोऽभिधीयते ॥ इति

नन्वपभ्रंशानां साक्षादवाचकत्वे किं मानम् ? शक्तिकल्पकव्यवहारादेस्तुल्यत्वात्, इति चेत्, सत्यम्, तत्तद्देशभेदेन भिन्नेषु तेषु तेषु

सावित्री

वे असाधु शब्द, साधुविषयक स्मरण कराकर शाब्दबोध की उत्पत्ति के कारण होते हैं। तथा साधु शब्द और अर्थ के साथ तादात्म्यापन्न हो कर शब्द, अर्थ के प्रकाशक होते हैं। शिष्ट जनों के द्वारा पर्यायवाची साधु शब्दों की भांति अपभ्रंशों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यतः अपभ्रंश शब्द स्मरण मात्र से अर्थ का बोध नही कराते हैं अतः वे साक्षात् वाचक नहीं होते हैं।

'अम्बा अम्बा' ऐसा कहने के लिये सिखाया जाने वाला बालक जब जिह्वा आदि की असामर्थ्य वश म्बा म्बा' ऐसा कुछ अस्पष्ट उच्चारण करता है उससे व्यक्त का ज्ञान कर अर्थनिर्णय करते हैं।

इस प्रकार साधु शब्द का प्रयोग करने में जो अपभ्रंश का प्रयोग करता है उस अपभ्रंश शब्द से साधु शब्द के स्मरण द्वारा कोई अर्थ प्रतीत होता है।

अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि अपभ्रंश शब्द साक्षात् वाचक नही होते हैं इसमें क्या प्रमाण है ? क्योंकि शक्ति-ग्राहक शिरोमणि जो वृद्ध व्यवहार है वह साधु, असाधु दोनों में समान देखा जाता है ? इसके उत्तर में ग्रन्थकार का मीमांसक आदि के प्रति कहना है—आप की बात सत्य है किन्तु अपभ्रंशों में शक्ति मानने पर तत्तद् देश-भेद से अनेक शब्द में शक्ति मानना पड़ेगा जिससे गौरव होगा। जैसे—उत्तरभारत में 'घट' के

शक्तिकल्पने गौरवात् ।

न च पर्यायतुल्यता शङ्क्या, तेषां सर्वदेशेष्वेकत्वात्, विनिगमनाविरहेण सर्वत्र शक्तिकल्पना, नहि अपभ्रंशे तथा, अन्यथा भाषाणां पर्यायतया गणनापत्तेश्च । एवञ्च 'शक्तत्वमेवास्तु साधुत्वम्' इति नैयायिकमीमांसकादीनां मतेनैव द्रष्टव्यम् ।

इदानीं स्वमतमाह—वाचकत्वाविशेषे चेति । अयं भावः—अपभ्रंशानामशक्तत्वे ततो बोध एव न स्यात् । न च साधुस्मरणात् ततो बोधः, तानविदुषां पामराणामपि बोधात्, तेषां साधोरबोधाच्च ।

न च शक्तिभ्रमात् तेभ्यो बोधः, बोधकत्वस्याबाधेन तद्ग्रहस्या-

सावित्री

अर्थ में अपभ्रंश 'गगरी' शब्द का प्रयोग होता है इस घट अर्थ का अपभ्रंश रूप महाराष्ट्र में 'घागर' शब्द का प्रयोग होता है । इसी प्रकार अन्य देशों में भी भिन्न २ शब्दों का प्रयोग होता है जिससे गौरव होगा ।

यदि यह कहें कि अपभ्रंश शब्द साधु शब्दों के पर्याय के तुल्य हैं, उचित नही है क्योंकि पर्याय शब्द देश भेद से भिन्न नही हो जाते है अपितु सभी देशों में एक ही रहते हैं । विनिगमनाविरह से सभी देशों में प्रयुक्त पर्याय शब्दों में शक्ति की कल्पना करनी पड़ती है । अपभ्रंशों में वैसी शक्ति की कल्पना नही की जा सकती है अन्यथा भाषा (अपभ्रंश) शब्दों की पर्याय रूप से गणना करने की आपत्ति होगी । इस प्रकार 'शक्तत्वमेव साधुत्वम्' इस नैयायिक मीमांसकों के मत को अपने मत से ही देखना चाहिये ।

अपभ्रंश शब्दों के साक्षात् अवाचकत्व के विषय में मीमांसक आदि का मत प्रतिपादन के अनन्तर वैयाकरण स्वमत प्रस्तुत करते हुये कहते हैं—'वाचकत्वाविशेषे च नियमः पुण्यपापयोः ।'

अभिप्राय यह है कि यदि अपभ्रंशों में बोधकता रूप शक्ति न मानी जाय तो उनसे अर्थबोध नहीं होना चाहिये जब कि अपभ्रंशों से अर्थ बोध होता है—ऐसा सभी लोगों का अनुभव है । यदि यह कहें कि अपभ्रंशों से साधु शब्द का स्मरण होता है और उस स्मृत साधु शब्द से अर्थ बोध होता है । इस प्रकार अपभ्रंशों से साक्षात् अर्थबोध न हो कर परम्परया अर्थ बोध होता है । इसके उत्तर में कहना है कि यदि साधु शब्द के

भ्रमत्वात् । 'ईश्वरेच्छा शक्तिः, इति मतेऽपि सन्मात्रविषयिण्यास्तस्या बाधाभावात्, शक्तेः पदपदार्थविशेषघटिताया भ्रमासम्भवाच्चेति ।

उक्तञ्च वाक्यपदीये—

पारम्पर्यादपभ्रंशा विगुणेष्वभिधातृषु ।
प्रसिद्धिमागता येषु तेषां साधुरवाचकः ॥
दैवी वाग् व्यवकीर्णेयमशक्तैरभिधातृभिः ।
अनित्यदर्शिनां त्वस्मिन् वादे बुद्धिविपर्ययः ॥ इति ॥

सावित्री

स्मरण द्वारा अपभ्रंशों से अर्थ बोध होता है तो साधु शब्द ज्ञान से सर्वथा विहीन पामर लोगों को विना साधु शब्द के स्मरण के कैसे अर्थ बोध होता है । इसके साथ ही उन्हें साधु शब्द से अर्थ बोध नहीं होता है । यदि कहें कि शक्ति भ्रम से अपभ्रंश शब्दों से अर्थ बोध हो जायगा, उचित नही है, अपभ्रंशों की बोधजनकता में कोई बाधा न होने से उस बोधजनकत्व ज्ञानको भ्रम मानना असम्भव है । जो लोग 'ईश्वरेच्छा शक्तिः' है ऐसा मानते हैं उनके मत में भी सत्ता मात्र को विषय करने वाली ईश्वरेच्छा अपभ्रंश शब्द विषयिणी भी होगी । इसलिये अपभ्रंश विषयिणी ईश्वरेच्छा रूप शक्ति में कोई बाधा नहीं है । 'इदं पदममुमर्थं बोधयतु' इस प्रकार शक्ति के पद-पदार्थ विशेष से घटित होने के कारण भ्रमत्व असम्भव है । भाव यह है कि 'घट पदं घटे शक्तम्' 'पटपदं पटे शक्तम्' इस प्रकार की जो पद-पदार्थ विशेष घटित शक्ति है उसे भ्रम कैसे कहा जा सकता है ? इसलिये तत्तद् अर्थनिरूपित अपभ्रंशों की शक्ति को भी भ्रम नही कहा जा सकता है ।

वाक्यपदीय में कहा गया है—उच्चारण करने वालों की जिह्वा आदि दोष के कारण अपभ्रंश शब्द उस परम्परा से जिन अर्थों में ख्याति प्राप्त करते हैं उन अर्थों का साधु शब्द अवाचक होता है । यद्यपि जिन अर्थों में अपभ्रंश शब्द प्रयुक्त होते हैं उन अर्थों के वाचक साधु शब्द होते ही हैं—यह सर्वसम्मत मत है किन्तु व्यवहित अर्थात् असाधु शब्द के द्वारा स्मरण कराये गये साधु शब्द वाचक नही होते हैं अपि तु साक्षात् असाधु शब्द तत्तद् आनुपूर्वी रूप से वाचक होते हैं । शुद्ध उच्चारण करने के सामर्थ्य से रहित उच्चारण कर्त्ताओं के द्वारा संस्कृत रूप यह दैवी वाक् विकृत आनुपूर्वी वाली कर दी गई । शब्द को अनित्य मानने वाले नैयायिकों को इस शक्तिविचार रूप वाद में 'साधु-शब्द ही वाचक हैं अपभ्रंश आदि नहीं'—ऐसा बुद्धि विपर्यय हो गया है ।

अवाचकः = अबोधकः, बुद्धिविपर्ययः = एते एव वाचका नान्ये इति विपर्यय इत्यर्थः। किञ्च विनिगमनाविरहाद् भाषायामपि शक्तिः।

न च तासां नानात्वं दोषः, संस्कृतवन्महाराष्ट्रादिभाषायाः सर्वत्रैकत्वेन प्रत्येकं विनिगमनाविरहतादवस्थ्यात्। किञ्चानुपूर्वी पदेऽवच्छेदिका। सा च पर्यायेष्विव भाषायामप्यान्यान्यैवेति कस्तयोर्विशेष इति विभाव्यं सूरिभिः। तथा च संस्कृतवद् भाषायाः सर्वत्रैकत्वेन प्रत्येकं शब्दाः शक्ता एव। न च पर्यायतया भाषाणां गणनाऽऽपत्तिः, साधूनामेव कोशादौ विभागाभिधानात्।

सावित्री

अबोधक का अर्थ है बोध का जनक न होना। तात्पर्य है असाधु शब्द के द्वारा स्मृत साधु शब्द बोधक नही होते हैं अपितु असाधु शब्द साक्षात् बोधक होते हैं। नैयायिक मीमांसकों आदि को यह बुद्धि विपर्यय हो गया है कि साधु शब्द ही बोधक होते हैं असाधु शब्द नहीं। वस्तुतः साधु एवं असाधु, सभी शब्दों में समान रूप से बोधजनकता देखी जाती है। केवल साधु शब्द को ही बोधजनक मानने में एकतर पक्षपातिनी कोई युक्ति न होने के कारण भाषा (असाधु शब्द) में भी शक्ति होती है।

यदि कहें कि असाधु शब्दों के नाना होने के कारण नाना शक्ति माननी पड़ेगी, यह दोष है। इसके उत्तर में कहना है कि संस्कृत की भाँति महाराष्ट्र आदि भाषा शब्द भी उस देश में एक होने से उनमें नानात्व दोष नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में संस्कृत शब्द वाचक हैं, अपभ्रंश वाचक नहीं हैं—ऐसा मानने में एकतर पक्षपातिनी कोई युक्ति न होने से दोष तदवस्थ रहेगा।

इसके अतिरिक्त अपभ्रंशों की वाचकता स्वीकार करने में यह भी युक्ति है कि पद में अर्थबोधजनकता होती है उसकी अवच्छेदिका आनुपूर्वी होती है। जैसे—'घट' पद की 'घकार उत्तरवर्त्ती अकार उत्तरवर्त्ती टकार उत्तरवर्त्ती अकार' रूप आनुपूर्वी अवच्छेदिका है। यह जैसे घट पद के अपभ्रंश गगरी, घागर आदि अनेक हैं वैसे ही घट पद के शुद्ध पर्याय, कुम्भ, कलश—इत्यादि भी अनेक हैं। ऐसी स्थिति में शुद्ध और अपभ्रंश शब्दों में क्या भेद है—यह विद्वानों को विचार करना चाहिये। इसलिये संस्कृत की भाँति भाषा (अपभ्रंश) शब्द भी शक्त हैं।

नन्वेवं साधुता तेषां स्यादित्यत आह— नियम इति। पुण्यजननबोधनाय साधूनां साधुभिर्ज्ञापितव्यमिति विधिः, पापजननबोधनाय नासाधुभिरिति निषेधः। तथा च पापजननयोग्यत्वमसाधुत्वम्। तत्र जनकतावच्छेदिका च जातिः। तज्ज्ञापकं च कोशादि, व्याकरणादि च। एवमेव च राजसूयादेर्ब्राह्मणे फलाजनकत्ववद् गवादिशब्दानां नाश्वादौ साधुत्वं संगच्छते।

आधुनिकदेवदत्तादिनाम्नामपि 'द्व्यक्षरम्' इत्यादिभाष्येण व्युत्पादितत्वात् साधुत्वम्। एवं च यः शब्दो यत्रार्थे व्याकरणे व्युत्पा-

---

सावित्री

यदि यह कहें कि यदि भाषा शब्द भी शक्त हैं तो कोश आदि में उनकी भी गणना क्यों नहीं की गई? इसका उत्तर है कि कोश आदि में साधु शब्दों का ही कथन है अपभ्रंशों का नही।

पूर्वोक्त प्रकार से अपभ्रंशों को भी शक्त मानने पर वे भी साधु हो जायेंगे क्योंकि जैमिनी ने व्याकरणाधिकरण में शक्तत्व को ही साधु माना है। इस आशंका के उत्तर में कारिकाकार ने कहा है—'नियमः पुण्यपापयोः'।

अर्थात् शब्द और अपशब्द—दोनों से अर्थ ज्ञान समान होने पर भी 'घट' आदि साधु शब्दों के प्रयोग से पुण्य होता है गगरी आदि असाधु शब्दों के प्रयोग से पाप होता है। पुण्यजनक ज्ञान के लिये साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहिये—ऐसी विधि है। पापजनक होने के कारण असाधु शब्दों का प्रयोग नही करना चाहिये—ऐसा निषेध है। जिस शब्द में पुण्यजनन की योग्यता है वह साधु है। जिसमें पापजनन की योग्यता है वह असाधु है। उनमें जनकता की अवच्छेदिका (भेदिका) जाति है उसका सूचक कोश, व्याकरण आदि हैं। राजसूय आदि यज्ञ ब्राह्मण में फल के जनक नहीं होते हैं (राजसूय यज्ञ क्षत्रियों के फल के लिये होता है।) वैसे ही 'गो' आदि शब्द अश्व आदि अर्थों में साधु नहीं होते हैं—यह कहना उचित प्रतीत होता है।

देवदत्त आदि आधुनिक संज्ञा शब्द यद्यपि कोश, व्याकरण आदि से व्युत्पन्न नहीं हैं तथापि 'द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कुर्यात्' इत्यादि भाष्य के द्वारा व्युत्पादन होने के कारण साधु हैं। इससे यह निश्चय होता है कि जो शब्द, जिस अर्थ में व्याकरण से व्युत्पन्न बनाया गया है वह उस अर्थ में साधु है। 'सिंहो माणवकः' इत्यादि में सिंह गत शौर्य, क्रौर्य

दितः स तत्रैव साधुरिति पर्यवसितम्। गौणानां गुणे व्युत्पादनात्त-त्पुरस्कारेण प्रवृत्तौ साधुत्वमेव। आधुनिकलाक्षणिकानां त्वसाधुत्व-मिष्टमेव। अत एव 'ब्राह्मणाय देहि' इत्यर्थे ब्राह्मणं देहि' इत्यादिकं लक्षणयाऽपि न साधुरित्यादि विस्तरेण प्रपञ्चितं भूषणे ॥३८॥

अतिरिक्तशक्तिग्रहोपायमाह—

सम्बन्धिशब्दे सम्बन्धो योग्यतां प्रति योग्यता।
समयाद् योग्यतासंविन्मातापुत्रादियोगवत् ॥३॥३९॥

सम्बन्धो विषयः। योग्यतां प्रति योग्यता—सम्बन्धिशब्दं प्रति योग्यता विषय इति। समयात् = व्यवहारात्, योग्यता। संवित् =

सावित्री

आदि गुणों के आरोप से माणवक के लिये सिंह शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार गौण शब्दों का गुण (अप्रधान) अर्थ में व्युत्पादन साधु माना जाता है। आधुनिक लाक्षणिक शब्दों का असाधुत्व ही इष्ट है। इसलिये जिस किसी द्वारा शक्य सम्बन्ध से अतिरिक्त में लक्षणा करना अनुचित है। 'ब्राह्मणाय देहि' इस अर्थ में 'ब्राह्मणं देहि' का प्रयोग लक्षणा द्वारा भी साधु नहीं हो सकता है। यह बात वैयाकरणभूषण में विस्तार से कही गई है।

ग्रन्थकार कोश, व्याकरण आदि से अतिरिक्त शक्तिग्रह का उपाय बताते हुये कारिकाकार लिखते हैं—'सम्बन्धिशब्दे सम्बन्धो योग्यतां प्रति योग्यता'—इत्यादि। सम्बन्धी शब्दों का उनके अर्थों के साथ जो सम्बन्ध है वही सम्बन्धी शब्द के प्रति योग्यता है। वही शक्तिरूप है। वृद्ध व्यवहार से योग्यता का ज्ञान होता है जैसे माता पिता आदि का जन्यजनक भाव सम्बन्ध का निर्णायक व्यवहार होता है।

इस प्रकरण के आदि में 'इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा' इत्यादि कारिका में जो कुछ कहा गया है उसी का सारांश यहाँ भी वर्णित है। वहाँ कहा गया है कि चक्षु आदि इन्द्रियों का रूप आदि विषयों के साथ अनादि सम्बन्ध है वैसे ही शब्दों का उनके अर्थों के साथ विना किसी पुरुष प्रयत्न के अनादि सम्बन्ध है।

यहाँ शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध विषय है। 'अयमेतत् सम्बन्धी' इस व्यवहार में सम्बन्ध विषय है, ज्ञान विषय है। 'योग्यतां प्रति योग्यता' का अर्थ है कि सम्बन्धी शब्द के प्रति 'अयं शब्दोऽत्रार्थे योग्यः' यह योग्यता ही विषय है। 'समयात्' का व्यवहारात्—

शक्तिग्रहः। घटपदमत्र योग्यमेतत्सम्बन्धीति व्यवहारात् सा ग्राह्ये-त्यर्थः ॥३९॥

॥ इति वैयाकरणभूषणसारे शक्तिनिर्णयः ॥

सावित्री

यही अर्थ है। योग्यता संवित् का अर्थ है=शक्तिज्ञान। 'घट' पद कम्बुग्रीवादि अर्थ का सम्बन्धी है—व्यवहार से ही ऐसी शक्ति का ज्ञान होता है।

जैसे माता और पुत्र का जन्यजनकभाव सम्बन्ध पहले से सिद्ध है उसी का वृद्ध व्यवहार से निश्चय किया जाता है वैसे ही शब्द और अर्थ को—पहले से ही स्थित सम्बन्ध का वृद्ध व्यवहार से निर्णय होता है। कोश, व्याकरण आदि के द्वारा तत्तद् अर्थों में तत्तद् शब्द प्रयोग रूप वृद्धव्यवहार से शक्तिज्ञान होता है ॥३९॥

वैयाकरणभूषणसार के 'शक्तिनिर्णय' प्रकरण की 'सावित्री'
नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई।

अथ नञर्थनिर्णयः

नञर्थमाह—

नञ्समासे चापरस्य प्राधान्यात् सर्वनामता।
आरोपितत्वं नञ्द्योत्यं न ह्यसोऽप्यतिसर्ववत् ॥४०॥

नञ्समासे अपरस्य = उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् सर्वनामता सिद्ध्यतीति शेषः। अत एव आरोपितत्वमेव, नञ्द्योत्यमिति—अभ्युपेयमिति शेषः।

अयं भावः—'असर्वः' इत्यादौ 'आरोपितः सर्वः' इत्यर्थे सर्वशब्दस्य प्राधान्याबाधात् सर्वनामता सिद्ध्यति। अन्यथा 'अतिसर्वः' इत्यत्रेव सा न स्यात्; 'घटो नास्ति' इत्यादावभावविषयकबोधे तस्य विशेष्यताया एव दर्शनात्।

सावित्री

'समासशक्तिनिर्णय' के प्रसङ्ग में ही यद्यपि 'नञ्समास' का भी वर्णन उचित था किन्तु नञ् द्योतक होते हैं, वाचक नहीं। इसलिये इसका पृथक् वर्णन किया गया है।

'घटो न पटः' 'घटो नास्ति' इत्यादि असमास स्थल में नञ् अभाव का वाचक है तथापि 'न सः=असः' इत्यादि समास में 'तद्' का अर्थ जो वह है वह नञर्थ अभाव में विशेषण है। विशेषण होने के कारण 'संज्ञोपसर्जनीभूतास्तु न सर्वादयः' इस कथन के अनुसार 'असः' में स्थित 'तद्' शब्द की सर्वनाम संज्ञा न होती, इसलिये ग्रन्थकार ने कारिका प्रस्तुत की है—

नञ्समासे चापरस्य प्राधान्यात् सर्वनामता।
आरोपितत्वं नञ्द्योत्यं न ह्यसोऽप्यतिसर्ववत् ॥

अर्थात् नञ्समास में उत्तरपदार्थ के प्रधान होने के कारण सर्वनाम संज्ञा सिद्ध होती है। इसलिये 'क्षत्रिय' आदि के अर्थ में 'अब्राह्मणः' का प्रयोग होता है उसमें आरोपितत्व (आरोपित ब्राह्मणत्व) अर्थ नञ् से द्योत्य होता है। अन्यथा 'सर्वमतिक्रान्तः' इस अर्थ में 'अतिसर्व' शब्द निष्ठ सर्व शब्द के विशेषण होने के कारण जैसे सर्वनाम संज्ञा नहीं

अस्मद्रीत्या च स अर्थो बोधो मानसः। तथा च 'असर्वस्मै' इत्याद्यसिद्धिप्रसङ्गो नेति। अत्र चारोपितत्वम्—आरोपविषयत्वम्। अरोपमात्रमर्थो विषयत्वं संसर्ग इति निष्कर्षः। द्योत्योक्तिर्निपातानां द्योतकत्वमभिप्रेत्य ॥४०॥

'घटो नास्ति' 'अब्राह्मणः' इत्यादावारोपबोधस्य सर्वानुभवविरुद्धत्वात् पक्षान्तरमाह—

सावित्री

होती है वैसे 'असः' में 'तद्' शब्द के अर्थ का नञर्थ अभाव में विशेषण होने के कारण सर्वनामसंज्ञा नही होती है।

भाव यह है कि 'असर्वः' का 'आरोपितः सर्वः' यह अर्थ करने पर सर्व शब्द की प्रधानता (विशेष्यता) होने से सर्वनाम संज्ञा सिद्ध होती है। अन्यथा 'अतिसर्वः' की भाँति सर्वनाम संज्ञा न होती तो असर्वे, असर्वस्मै—इत्यादि प्रयोग न सिद्ध होते। यदि कहें कि 'असर्वः' इत्यादि में 'भेदप्रतियोगी सर्वः' ऐसा अर्थ स्वीकार करने पर सर्व शब्दार्थ की प्रधानता का निर्वाह हो सकता है, ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि 'घटो नास्ति' इत्यादि में अभाव विषयक बोध में नञर्थ अभाव की ही विशेष्यता देखी जाती है। नैयायिकों के मत में 'सत्तावान् घटाभावः' ऐसा बोध होता है। मेरे (शाब्दिक) मत में 'घटाभावः' इत्यादि अभाव विशेष्यक मेद बोध अर्थतः हो जाता है न कि शब्दजन्य होता है। तथा 'आरोपित अर्थ' नञ् वाच्य है—इस पक्ष में सर्वनाम संज्ञा और 'स्मै' इत्यादि आदेश की असिद्धि का प्रसङ्ग नहीं आता है। यहाँ आरोपितत्व का अर्थ है आरोपविषयत्व। वह आरोप नञ् का वाच्य हो अथवा द्योत्य अर्थ हो। वह उत्तर पदार्थ में विषयता सम्बन्ध से विशेषण होता है। इसी से कहा है—विषयत्वं तु संसर्गः। विषयत्व का संसर्ग मर्यादा से ही लाभ हो जाता है, 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इस न्याय के अनुसार' आरोप मात्र नञ् का अर्थ है। यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि नञ् का वाच्य अर्थ मानते हैं तो उसका द्योतकत्व भङ्ग हो जायगा। इसलिये ग्रन्थकार ने कहा है—'द्योत्यत्वोक्तिर्निपातानां द्योतकत्वमभिप्रेत्य'। अर्थात् जिनके मत में निपात द्योतक हैं वाचक नही है उनके मत के अनुसार नञ् को द्योतक कहा जाता है ॥४०॥

'घटो नास्ति' इत्यादि में 'घटकर्तृकसत्ताभाव' ऐसा सार्वजनीन बोध होता है, यहाँ नञ् का आरोपार्थक होना किसी का अनुभव नहीं है। इसी भाँति 'अब्राह्मणः' इत्यादि समास

अभावो वा तदर्थोऽस्तु भाष्यस्य हि तदाशयात् ।
विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम् ॥४१॥

तदर्थ := नञर्थः । अर्थपदं द्योत्यत्ववाच्यत्वपक्षयोः साधारण्येन कीर्त्तनाय । भाष्यस्येति—तथा च नञसूत्रे महाभाष्यम्—निवृत्तपदार्थक इति । निवृत्तं पदार्थो यस्य 'नपुंसके भावे क्तः' (३।१।११४) इतिक्तः' अभावार्थक इत्यर्थः ।

यत्तु—निवृत्तः पदार्थो यस्मिन्नित्यर्थः । सादृश्यादिनाऽध्यारोपित-ब्राह्मण्याः क्षत्रियादयोऽर्था यस्येत्यर्थ इति कैयटः, तन्न, अध्यारोपित-

---

सावित्री

में भी नञ् का आरोपार्थक होना सर्वथा अनुभव विरुद्ध है । इसलिये पक्षान्तर को प्रस्तुत करते हुये कहा है—

अभावो वा तदर्थोऽस्तु भाष्यस्य हि तदाशयात् ।
विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम् ॥२॥ (४१)

अर्थात् नञ् का अर्थ अभाव है अथवा आरोप अर्थ हो सकता है क्योंकि भाष्य का आशय दोनों प्रकार का होता है । इसके अतिरिक्त नञ् का अर्थ विशेषण या विशेष्य होता है—ऐसा विचारपूर्वक निश्चय करना चाहिये ।

यहाँ कारिका में प्रयुक्त 'तदर्थ' का अर्थ नञर्थ है । अर्थ पद का प्रयोग द्योत्यत्व-वाच्यत्व दोनों पक्षों का सामान्य रूप से प्रयोग के लिये किया गया है । ग्रन्थकार ने 'भाष्यस्य' यह प्रतीक लेकर भाष्य का तात्पर्य वर्णन किया है । 'नञ्' (२।२।६) सूत्र पर कहा गया है—निवृत्तपदार्थकः इति । अर्थात् निवृत्त=अभावार्थक है, पदार्थ=अर्थ जिस नञ् का, वह निवृत्तपदार्थक है । 'नि' पूर्वक 'वृत्' से 'नपुंसके भावे क्तः' (३।३।११४) सूत्र से भाव अर्थ में 'क्त' प्रत्यय हुआ है । अतः निवृत्त पद का अभाव अर्थ है ।

नञ् के आरोपित अर्थ परक होने से कैयट के व्याख्यान का खण्डन करते हुये कहते हैं—यत्तु । निवृत्तः पदार्थों—मुख्यं ब्राह्मण्यम्, यस्मिन् सः क्षत्रियादिः । अर्थात् सादृश्य आदि के द्वारा अध्यारोपित ब्राह्मण्य वाले क्षत्रिय आदि नञ् का अर्थ होता है, यह कैयट का आशय है वह उचित नहीं है क्योंकि अध्यारोपित=आरोप विषयीकृत, ब्राह्मणस्य=विप्र

ब्राह्मण्यस्य क्षत्रियादेर्नञवाच्यत्वात् । अन्यथा सादृश्यादेरपि वाच्यतापत्तेः ।

यत्तु—

तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता ।
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट् प्रकीर्त्तिताः ॥

इति पठित्वा अब्राह्मणः, अपापम्, अनश्वः, अनुदरा कन्या, अपशवो वा अन्ये गोऽश्वेभ्यः, अधर्म इत्युदाहरन्ति; तत्त्वार्थिकार्थमभिप्रेत्येति स्पष्टमन्यत्र ।

विशेषणमिति प्रतियोगिनीति शेषः। तथा चासर्वपदे सर्वनामता। 'अनेकमन्यपदार्थे' (२।२।२४) 'सेव्यतेऽनेकया सन्नतापाङ्ग्या' इत्यादावेकशब्दार्थप्राधान्यादेकवचननियमः । 'अब्राह्मणः' इत्यादावुत्तरपदार्थप्राधान्यात् तत्पुरुषत्वम् । 'अत्वं भवसि' 'अनहं भवामि' इत्यादौ पुरुषवचनादिव्यवस्था चोपपद्यते । अन्यथा त्वदभावो मदभावो इतिवदभावांशे युष्मदस्मदोरन्वयेन युष्मत्सामानाधिकरण्यस्य तिङ्क्ष्वसत्त्वात्

सावित्री

धर्मस्य, क्षत्रिय आदि में नञ् वाचक नहीं हो सकता है । अर्थात् द्योतक ही होता है। अन्यथा यदि आरोपित अर्थ नञ् का वाच्य अर्थ होता तो अब्राह्मण में सादृश्य आदि के द्वारा प्रतीयमान ब्राह्मण धर्म वाला क्षत्रियादि नञ् का वाच्य अर्थ होने की आपत्ति होती जब कि सादृश्य आदि नञ् के वाच्य अर्थ नहीं हैं अपि तु अर्थतः प्राप्त अर्थ हैं।

सादृश्य, अभाव अन्यत्व (भिन्नत्व), अल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध—ये जो छः प्रकार के नञर्थ बताकर अब्राह्मण, अपाप, अनश्व. अनुदरा कन्या, अपशु, अधर्म—इत्यादि क्रमशः उदाहरण दिये गये हैं ये नञर्थ नञ् के वाच्य अर्थ नहीं है अपितु आर्थिक अर्थात् आरोपित अर्थ हैं। 'अब्राह्मण' का आरोपित ब्राह्मणत्व विशिष्ट 'अपाप' का आरोपित पापत्वविशिष्ट इत्यादि अर्थ समझना चाहिये ।

पूर्वोक्त मत में 'अब्राह्मण' पद का ब्राह्मणभिन्न, ब्राह्मण सदृश क्षत्रिय आदि अर्थ है, 'अपाप' का पापाभाव अर्थ है 'अनश्व' का अश्व से भिन्न पशु, 'अनुदराकन्या' का अल्प उदरवाली कन्या, अधर्म का धर्मविरोध अर्थ अभिप्रेत है ।

पुरुषव्यवस्था न स्यात्। अस्मन्मते च भेदप्रतियोगित्वदभिन्नाश्रयिका भवनक्रियेत्यन्वयात् सामानाधिकरण्यं नानुपपन्नमिति भावः।

सावित्री

इसके आगे पूर्व कारिका के 'विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम्' इस अंश का भाव स्पष्ट करते हुये ग्रन्थकार ने कहा है—विशेषणमिति। अर्थात् नञर्थ कहीं विशेषण होता है और कहीं विशेष्य होता है। इसकी विशेष्यता, विशेषणता विवक्षा पर निर्भर करती है।

यह नञर्थ विशेषण किसके प्रति होता है? इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है—प्रतियोगिनीति शेषः। 'नञर्थः प्रतियोगिनि विशेषणम्' अर्थात् प्रतियोगी के प्रति विशेषण होता है। नञ् के साथ समास होने पर उत्तरपदार्थ प्राधान्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये कहा है—तथा चासर्वशब्दे सर्वनामसंज्ञा। अर्थात् 'न सर्वः असर्वः' में नञर्थ भेद है उसका प्रतियोगी सर्व शब्द है। इसलिये 'असर्वः' का भेदप्रतियोगी सर्वः' ऐसा अर्थ-बोध होता है। यहाँ सर्वशब्दार्थ के प्रधान होने से सर्वनाम संज्ञा होती है।

अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४) के 'अनेकम्' का 'अभाव प्रतियोगी एकः' अर्थ होता है। यहाँ उत्तरपदार्थ प्रधान होने से 'अनेकम्' में एकत्व संख्या अर्थ में एकवचन उपपन्न होता है। इसी प्रकार 'सेव्यताऽनेकया' के 'अनेकया' में भी एकवचन सिद्ध होता है अन्यथा अनेक के एक भिन्न होने के कारण द्विवचन, बहुवचन ही होता, न कि एकवचन होता। इस प्रकार नञर्थ अभाव प्रतियोगी रूप उत्तरपदार्थ का विशेषण होने में 'अनेकम्' यह पाणिनि निर्देश ही प्रमाण है—ऐसा समझना चाहिये। अब्राह्मणः' इत्यादि के "प्रतियोगितासम्बन्धेनाभावविशिष्टो ब्राह्मणः" अर्थ में उत्तरपदार्थ प्रधान होने से तत्पुरुष समास होता है।

'अत्वं भवसि' में 'अत्वम्' का अर्थ है=अभावप्रतियोगी युष्मदर्थः, भवसि' का अर्थ है=युष्मदर्थाभिन्नो लडर्थः कर्त्ता। यहाँ तिङर्थ युष्मद् अर्थ का प्रातिपदिकार्थ युष्मद् अर्थ से अभेदान्वय होने के कारण मध्यमपुरुष उपपन्न होता है। इसी प्रकार 'अनहं भवामि' में 'अनहम्' का अर्थ है=अभाव प्रतियोगिकोऽस्मदर्थः, 'भवामि' का अर्थ है=अस्मदर्थाभिन्नो लडर्थः कर्त्ता। यहाँ अस्मद् अर्थ का तिबर्थ अस्मद् के साथ अभेदान्वय होने से सामानाधिकरण्य है। अतः उत्तमपुरुष एकवचन की व्यवस्था उत्पन्न हुई। अन्यथा यदि नञर्थ अभाव, प्रतियोगी के प्रति विशेषण न रहता अपितु प्रधान ही रहता तो 'त्वदभावो मदभावोऽस्ति' में जैसे युष्मद् अस्मत् का सामानाधिकरण्य न होने से मध्यम, उत्तमपुरुष नहीं होता है अपि तु 'शेषे प्रथमः' (१।४।१०८) से प्रथम पुरुष होता है वैसे ही युष्मद्-अस्मद् अर्थ को नञर्थ अभाव का विशेषण स्वीकार करने पर अभाव ही प्रधान रहता युष्मद्-

विशेष्यो वेति—प्रतियोगिनीति शेषः। अयं भावः—गौणत्वेऽपि नञ्समासे "एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि" (६।१।१३२) इति ज्ञापकात् सर्वनामसंज्ञा नानुपपन्ना। 'असः शिवः' इत्यत्र सुलोपप्रवारणाय 'अनञ्समासे' इति हि विशेषणम्।

न च तत्र तच्छब्दस्य सर्वनामताऽस्ति, गौणत्वात्। 'अकोः'

सावित्री

अस्मद् अर्थ अप्रधान रहता तब 'अत्वं भवसि' 'अनहं भवामि' इत्यादि में 'मध्यम या उत्तम पुरुष न होकर प्रथम पुरुष ही होता क्योंकि अभाव के प्रधान रहने पर 'तिङ्वाच्यकारकवाचित्वेन' अभाव का ही सामानाधिकरण्य होता, नञर्थ अभाव में विशेषणीभूत युष्मदर्थ या अस्मदर्थ का तिङर्थ के साथ सामानाधिकरण्य न बनता। फलतः मध्यम या उत्तम पुरुष की व्यवस्था न बन पाती। हमारे (वैयाकरण) मत में नञर्थ अभाव को प्रतियोगी का विशेषण मान लेने पर 'अत्वं भवसि' का 'अभाव प्रतियोगी यो युष्मदर्थः, तद्भिन्नाश्रयिका सत्ता' ऐसा अर्थ होकर युष्मद् अर्थ का तिङर्थ के सामाधिकरण्य उपपन्न हो जायगा। तब मध्यम पुरुष, एकवचन की व्यवस्था सम्पन्न हो जायगी। 'अनहं भवामि' में भी इसी प्रकार समझना चाहिये।

नञर्थ कभी-कभी विशेष्य भी होता है यह बताने के लिये कहा है—विशेष्यो वेति। किसके प्रति विशेष्य होता है? यह बताने के लिये कहा है—प्रतियोगिनीति शेषः। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि कहीं कहीं नञर्थ प्रतियोगी के प्रति विशेष्य होता है। इसीलिये 'अब्राह्मणः क्षत्रियः' से "ब्राह्मणप्रतियोगिको योऽभावः तद्वान् क्षत्रियः" ऐसा अर्थ बोध होता है।

किन्तु नञर्थ के विशेष्य होने पर 'असः' इत्यादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी क्योंकि 'असः' का 'तद्भिन्न' अर्थ होता है उसमें नञर्थ भेद ही विशेष्य होगा। तच्छब्दार्थ उपसर्जन रहता है। तच्छब्दार्थ के प्रधान न होने से 'त्यदादीनामः' इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। फलतः 'असः' इत्यादि की सिद्धि न हो सकेगी। इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है—गौणत्वेऽपि। इसका अभिप्राय है कि नञ्समास घटक एतद्-तद्-शब्दार्थ के नञर्थ में विशेषण होने से गौण (अप्रधान) रहने पर भी सूत्रज्ञापन से सर्वनाम संज्ञा अनुपपन्न नहीं होती है अर्थात् हो जाती है। इसमें "एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्समासे हलि" (पा० सू० ६।१।१३२) सूत्र में 'अनञ्समास' ग्रहण ही ज्ञापक है। यहाँ 'असः शिवः' इत्यादि 'नञ्समास' में एतद्-तद्-शब्द से परे 'सु' का लोप न हो, इसके लिये सुलोप में 'अनञ्समासे' विशेषण किया गया है। अभिप्राय यह है कि एतत्तदोः

इत्यकच् सहितव्यावृत्त्या सर्वनाम्नोरेव तत्र ग्रहणलाभात्। तथा च 'अनञ्समासे' इति ज्ञापकं सुवचम्।

'अनेकमन्यपदार्थे' इत्यादावेकवचनम्, विशेष्यानुरोधात्। 'सुबामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे' (२।१।२ इत्यतोऽनुवर्तमानं सुब्ग्रहणं विशेष्यमेकवचनान्तमेव। किञ्चानेकशब्दाद् द्विवचनोपादाने, बहूनां बहुवचनोपादाने द्वयोर्बहुव्रीहिर्न सिद्धयेदित्युभयसंग्रहायैकवचनम्, जात्याभिप्रायिकम्, औत्सर्गिकं वा।

सावित्री

(पा० सू० ६।१।१३२) सूत्र में परस्पर साहचार्य से एतद्-तद्-शब्द सर्वनाम ही लिये जायेंगे। नञ्समास के अन्तर्गत विद्यमान एतद्, तद्-शब्द के उपसर्जन होने से सर्वनाम संज्ञा न होने से उस एतद्, तद् शब्द से परे 'सु' का लोप स्वतः नहीं होगा. उसके लिये 'अनञ्समास' ग्रहण व्यर्थ है। व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि—नञ्समास में उपसर्जनीभूत एतद्, तद्-शब्द से परे 'सु' का लोप होता है।

अब प्रश्न होता है कि साहचर्य ज्ञापन अनित्य होता है तब यह कैसे मान लिया जाय कि एतद्-तद्-शब्द के साहचर्य से सर्वनाम का ही ग्रहण होगा? इसके उत्तर में मूल में कहा है—अकोरिति। अकच्प्रत्यय के योग्य सर्वनाम एतद्, तद् शब्द का ग्रहण उचित है। इसके अतिरिक्त 'असः शिवः' इत्यादि में नञर्थ अभाव के विशेष्य होने पर तद् आदि उपसर्जन हो जायँगे जिससे सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा न होने से ही सुलोप की प्राप्ति नहीं होगी। पुनः सुलोप के वारण के लिये 'अनञ्समास' ग्रहण करना व्यर्थ होगा। व्यर्थ पड़कर ज्ञापन करेगा कि सर्वनाम संज्ञा होती है।

आगे यह शंका होती है कि नञ् समास में नञर्थ के विशेष्य होने पर 'अनेकमन्यपदार्थे' सूत्र में 'अनेकम्' का एकभिन्न अर्थ होगा। एकभिन्न में द्विवचन या बहुवचन होना चाहिये, एकवचन कैसे किया गया। इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है कि यहाँ विशेष्य के अनुरोध से एकवचन हुआ है। 'सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे' (२।१।२) सूत्र से सु का अनुवर्तन आता है, वह सुप् 'अनेकम्' के प्रति विशेष्य है और वह एकवचनान्त है। उसके अनुरोध से विशेषणीभूत 'अनेकम्' में भी एकवचन कर दिया गया।

यदि अनेकम्' पद का एक से भिन्न द्विवचन का ग्रहण किया जाय तो अनेकमन्यपदार्थे' का अर्थ होगा—अन्यपदार्थे वर्त्तमाने द्वे सुबन्ते समस्येते। ऐसा होने पर दो ही सुबन्तों का बहुव्रीहि समास होगा, बहुत सुबन्तों का बहुव्रीहि समास नहीं होगा। यदि

'सेव्यतेऽनेकया' इत्यत्रापि 'योषया' इति विशेष्यानुरोधात्, प्रत्येकं सेवनान्वयबोधनाय चैकवचनम्, न तदुत्तरपदार्थप्राधान्यप्रयुक्तम्। अत एव 'पतन्त्यनेके जलधेरिवोर्मयः' इत्यादिकमपि सूपपादम्।

'अत्वं भवसि' इत्यादौ युष्मदस्मदोस्तद्भिन्ने लक्षणा नञ्द्योतकः। तथा च भिन्नेन युष्मदर्थेन तिङः सामानाधिकरण्यात् पुरुषव्यवस्था। 'त्वद्भिन्नाभिन्नाश्रयिका भवनक्रिया' इति शाब्दबोधः। एवम् 'न त्वं पचसि' इत्यत्र त्वद्भिन्नाश्रयकपाकानुकूलभावनाऽभावः। 'घटो नास्ति'

सावित्री

'अनेकम्' से एक भिन्न बहुवचन का ग्रहण किया जाय तो 'अनेकमन्यपदार्थे' सूत्र का अर्थ होगा—अन्यपदार्थे वर्तमानानि बहूनि पदानि समस्यन्ते। ऐसा होने पर बहुत सुबन्तों का ही बहुव्रीहि समास होगा, दो सुबन्तों का नहीं होगा। अभीष्ट है कि चाहे दो सुबन्त हों या अनेक सुबन्त हों, सभी का बहुव्रीहि समास हो। इन दोनों प्रकार के सुबन्तों के संग्रह हेतु जाति के अभिप्राय से अथवा औत्सर्गिक एकवचन किया गया।

इसी प्रकार 'सेव्यतेऽनेकया' यहाँ पर भी 'योषया' इस विशेष्य के अनुरोध से अनेक शब्द से उपस्थित स्त्रियों में प्रति स्त्री के साथ सेवन के अन्वय बोध के लिए कवि ने एक वचन किया है न कि उत्तरपदार्थ का प्राधान्य लेकर एकवचन किया है।

'नञ्समास' में पूर्वपदार्थ प्रधान होता है—यह स्वीकार करने पर ही 'पतन्त्यनेके जलधेरिवोर्मयः' के 'अनेके' में बहुवचन उपपन्न हो सकेगा। पूर्वपदार्थ के प्रधान रहने से 'अनेक' का एकभिन्न अर्थ होता है। एक भिन्न के ही अनेक होने से ही बहुवचन संभव है अन्यथा यदि उत्तर पदार्थ प्रधान रहता तो 'अनेक' शब्द में बहुवचन उपपन्न नहीं हो पाता अपि तु उत्तरपदार्थ रूप एक शब्दार्थ के प्रधान होने से एकवचन ही होता।

अब आगे यह शंका होती है कि 'एतत्तदोः' इस सूत्र में 'अनञ्समास' ग्रहण को नञ्समास में पूर्वपदार्थ प्रधान होने से उत्तरपदार्थ के उपसर्जन होने पर भी सर्वनाम संज्ञा में ज्ञापक कहा गया है जिससे 'असः' इत्यादि की सिद्धि हो जायगी किन्तु 'अत्वं भवसि' में मध्यम पुरुष न हो कर प्रथम पुरुष होने की आपत्ति होगी क्योंकि पूर्वपदार्थ प्रधान होने से 'अत्वम्' का 'युष्मद्भिन्न' अर्थ होगा, उसका तिङ्वाच्ययुष्मद् अर्थ से सामानाधिकरण्य न होने से मध्यम पुरुष नहीं होगा अपि तु 'शेषे प्रथमः' सूत्र से प्रथम पुरुष होने की आपत्ति होगी।

इत्यत्र घटाभिन्नाश्रयकास्तित्वाभाव इति रीत्या बोधः, असमस्तनञः क्रियायामेवान्वयात् । स चाभावोऽत्यन्ताभावत्वान्योन्याभावत्वादि-रूपेण शक्यः, तत्तद्रूपेण बोधादित्याद्यन्यत्र विस्तरः ॥४१॥

इति वैयाकरणभूषणसारे नञर्थनिर्णयः ॥७॥

सावित्री

इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि 'अत्वं भवसि' इत्यादि में युस्मद् शब्द की तद्भिन्न में लक्षणा है। यहाँ 'इत्यादि' शब्द से 'अनहं भवामि' का भी संग्रह समझना चाहिये। इसमें भी 'अस्मद्' शब्द की तद्भिन्न में लक्षणा है। 'नञ् उस लक्षणा में तात्पर्य का ग्राहक है। तात्पर्य ग्राहक होने से द्योतक है। नञ् समभिव्याहार में युस्मद् अस्मद् शब्द की युष्मद्, अस्मद् से भिन्न में वृत्ति समझना चाहिये। 'अत्वं भवसि' में युष्मद् शब्दार्थ का अभेद सम्बन्ध से तिङर्थ कर्त्ता में अन्वय करने से तिङ्वाच्यकारक वाची का सामानाधिकरण्य बन जायगा, जिससे मध्यम पुरुष की व्यवस्था बन जायगी। उसका शाब्दबोध होता है त्वद्भिन्नाऽभिन्नाश्रयिका भवनक्रिया।

इसी प्रकार 'न त्वं पचसि' का त्वदभिन्नाश्रयकपाकानुकूलभावनाभावः ऐसा बोध होगा। घटो नास्ति का 'घटाभिन्नाश्रयकास्तित्वाभावः' ऐसा अर्थ बोध होता है क्योंकि असमस्त अर्थात् प्रसज्यप्रतिषेधीय नञ् का क्रिया में ही अन्वय बोध होता है। वह नञर्थ अभाव अत्यन्ताभावत्व या अन्योऽन्याभावत्व रूप से शक्य होता है क्योंकि अत्यन्ताभावत्व आदि तत्तद् विशेष रूप का बोध अनुभव सिद्ध है। यह सब अन्यत्र विस्तार से वर्णित है। ॥४१॥

इस प्रकार 'वैयाकरणभूषणसार' की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥४१॥

अथ निपातार्थनिर्णयः

प्रादयो द्योतकाः चादयो वाचकाः, इति नैयायिकमतमयुक्तम्, वैषम्ये बीजाभावादिति ध्वनयन्निपातानां द्योतकत्वं समर्थयते—

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा।
उपास्येते हरिहरौ लकारो दृश्यते यथा ॥४२॥

येन हेतुना प्रादयो द्योतकास्तेनैव हेतुना चादयः = निपातास्तथा = द्योतका इत्यर्थः। अयं भावः—'ईश्वरमनुभवति' इत्यादावनुभवादिः प्रतीयमानो न धात्वर्थः, 'भवति' इत्यत्राप्यापत्तेः। नोपसर्गार्थः, तथा सत्यप्रकृत्यर्थतया तत्राख्यातार्थानन्वयापत्तेः, प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेः; 'अनुगच्छति' इत्यादौ अनुभवादिप्रत्ययापत्तेश्च। न विशिष्टार्थः, गौरवात्। तथा च धातोरेव विद्यमान-

---

सावित्री

नैयायिकों का यह कहना कि प्र, परा आदि उपसर्ग रूप निपात द्योतक होते हैं च, व, ह, आदि वाचक होते हैं अनुपयुक्त है क्योंकि दोनों प्रकार के निपातों में वैषम्य का कोई कारण नहीं है। जैसे—'उपास्येते हरिहरौ' में अकर्मक 'आस्' धातु से 'कर्म' अर्थ में लकार करना अनुचित है, क्योंकि 'कर्म' में लकार सकर्मक धातु से ही आता है अकर्मक से नहीं।

जिस कारण से प्र, परा, अप, सम्—इत्यादि विशेष अर्थों के द्योतक होते हैं उसी प्रकार चादि (च, वा, ट, इत्यादि) निपात भी विशेष अर्थों के द्योतक होते हैं ऐसा मानना चाहिये। चादियों के द्योतकत्व को प्रमाणान्तर से पुष्ट करते हुये कहा है—अयं भावः इत्यादि। आशय यह है कि ईश्वरमनुभवति' में अनुभव अर्थ की प्रतीति होती है किन्तु यह धातु का अर्थ नहीं हो सकता है क्योंकि यदि 'भू' धातु का अनुभव अर्थ मानेंगे तो 'भवति' का भी अनुभव अर्थ होने की आपत्ति होगी। यह अनुभव अर्थ 'अनुभवति' इस पद में स्थित 'अनु' उपसर्ग का भी नहीं हो सकता है क्योंकि यदि उपसर्ग का अर्थ मानेंगे तो वह

त्वादिवाचकस्यास्तु लक्षणा, उपसर्गस्तात्पर्यग्राहक इत्यस्तु । तथा च तात्पर्यग्राहकत्वमेव द्योतकत्वमिति ।

एतच्च चादिष्वपि तुल्यम् । 'चैत्रमिव पश्यति' इत्यादौ सादृश्यविशिष्टं चैत्रपदलक्ष्यम्, इवशब्दस्तात्पर्यग्राहक इत्यस्य सुवचत्वादिति । तत्र स्वयं युक्त्यन्तरमाह—'उपास्येते हरिहरौ' इति । अत्र ह्युपासना किमुपसर्गार्थः, विशिष्टस्य, धातुमात्रस्य वा ।

नाद्यः, तथा सति स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वरूपसकर्मकत्वस्यासधातोरुपासनारूपफलवाचकत्वाभावादनापत्तेस्ततः कर्मणि लकारो न स्यात् । न द्वितीयः, गौरवात् । तृतीये त्वागतं द्योतकत्वम्,

---

सावित्री

अनुभव अर्थ प्रकृति का अर्थ नहीं रहेगा तब उसमें आख्यातार्थ (तिङर्थ) का अन्वय न हो सकेगा । नियम है—प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम् ।" अर्थात् प्रत्ययार्थ प्रकृत्यर्थ में अन्वित होकर अपने अर्थ के बोधक होते हैं । इसके अतिरिक्त 'अनु' इस उपसर्ग का अनुभव अर्थ मानने पर 'अनुगच्छति' से भी अनुभव अर्थ का बोध होने की आपत्ति होगी । 'अनु' उपसर्ग विशिष्ट 'भू' धातु को भी अनुभव अर्थ का वाचक मानना उचित नहीं है क्योंकि विशिष्ट आनुपूर्वी अर्थात् 'अनुभू' इस समुदाय को अनुभव अर्थ का वाचक मानने पर शक्ततावच्छेदक विशिष्ट आनुपूर्वी होगी जिससे गौरव होगा ।

इस प्रकार धातु, उपसर्ग में किसी के भी अनुभव अर्थ का वाचक न सिद्ध होने से अपने (वैयाकरण) मत का प्रतिपादन करते हुये कहते हैं—तथा चेति । भाव यह है कि यतः धातु विद्यमान अर्थ का वाचक है अतः उसकी शक्य सम्बन्धरूप लक्षणा सम्भव है । 'प्रादि' उपसर्ग अकेले किसी अर्थ के वाचक नहीं हैं, इसलिये उपसर्ग की शक्यसम्बन्ध रूप लक्षणा भी सम्भव नहीं है । 'धातु' का विद्यमानत्वादि अर्थ अनुभव सिद्ध है । इसलिये मूल में लिखा है—तथा च धातोरेव विद्यमानत्वादिवाचकस्यास्तु लक्षणा । उपसर्ग तात्पर्य के ग्राहक होते हैं, तात्पर्यग्राहकत्व ही द्योतकत्व है ।

पूर्वोक्त प्रकार का द्योतकत्व जैसे प्रादि में है उसी प्रकार चादि का भी द्योतकत्व मानना चाहिये । [नैयायिकों को अभिमत चादि का वाचकत्व पक्ष उचित नहीं ।]

तात्पर्यग्राहकत्वलाभादिति भावः । 'दृश्यते' इत्यत्र 'कर्मणि' इति शेषः ॥४॥

तच्चादिष्वपि तुल्यमित्याह—

तथाऽन्यत्र निपातेऽपि लकारः कर्मवाचकः ।
विशेषणाद्यप्रयोगोऽपि प्रादिवच्चादिके समः ॥४३॥

सावित्री

'चैत्रमिव पश्यति' इत्यादि में 'चैत्र' पद 'सदृश' अर्थ में लाक्षणिक है 'इव' पद सदृश अर्थ का तात्पर्य ग्राहक है । 'इव' पद समभिव्याहृत 'चैत्र' पद 'चैत्रसदृश' अर्थ का बोधक होगा । इस प्रकार 'चैत्रमिव पश्यति' का 'चैत्रनिरूपितसादृश्यविशिष्टं पश्यति' ऐसा अर्थ होगा । ऐसी स्थिति में सादृश्यविशिष्टं चैत्र पद का लक्ष्य अर्थ है तथा 'इव' शब्द तात्पर्य का ग्राहक है—ऐसा सरलतया कहा जा सकता है । चादि का द्योतकत्व सिद्ध करने के लिये प्रमाणान्तर प्रस्तुत करते हुये स्वयं कहा है—उपस्येते इति । 'उपस्येते इति । 'उपास्येते हरिहरौ' का 'हरिहराभिन्नलडर्थकर्मवृत्युपासनानुकूलो व्यापारः' ऐसा अर्थ बोध होता है ।

यहाँ यह आशंका होती है कि यह उपासना रूप अर्थ उपसर्ग का अर्थ है अथवा उपसर्गविशिष्ट धातुका अर्थ है या केवल धातु का अर्थ है । इसका उत्तर है कि—

यह 'उपासना' उपसर्ग का वाच्य अर्थ नहीं है । यदि ऐसा होता तो 'आस्' धातु उपासना रूप फल का वाचक नही होगा । इससे सकर्मक नहीं कहलायेगा, क्योंकि सकर्मक का लक्षण है—स्वार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वम् । धातु के सकर्मक न होने पर 'कर्म' अर्थ में लकार नही होगा । ऐसा होने पर "उपास्येते हरिहरौ" यह प्रयोग उपपन्न नही हो सकेगा ।

उपसर्ग विशिष्ट धातु को भी 'उपासना' अर्थ का वाचक नही माना जा सकता है क्योंकि ऐसा मानने पर उपसर्ग सहित धातु की विशिष्ट आनुपूर्वी को शक्ततावच्छेदक मानना पड़ेगा जिससे गौरव होगा ।

यदि केवल धातु को 'उपासना' अर्थ का वाचक मानेगे तो तात्पर्य का ग्राहक होने से उपसर्ग का द्योतकत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार उपसर्ग को 'वाचक' न मानकर 'द्योतक' मानना ही उचित है । यही वैयाकरणों का सिद्धान्त है ।

कारिका के उत्तरार्द्ध में कहा गया है—'लकारो दृश्यते' । इसमें 'कर्मणि' शेष है जिससे 'कर्मणि लकारो दृश्यते' यह अर्थ होता है ।

अन्यत्र = 'साक्षात्क्रियते' 'अलङ्क्रियते' 'ऊरीक्रियते शिवः' इत्यादौ। अत्रापि धातोस्तत्तदर्थे कर्मणि लकारसिद्ध्यर्थं तत्तदर्थवाचकत्वं वाच्यमित्युपसर्गवत् द्योतकत्वममीषामपीत्यर्थः। यद्यपि कृधातोः सकर्मकत्वमस्त्येव, तथाप्येष्वर्थेषु सकर्मकता न स्यात्। अन्यथा 'वायुर्विकुरुते' 'सैन्धवा विकुर्वते' इत्यत्रापि स्यादिति भावः।

अथोपासना—साक्षात्कारादिर्निपातार्थोऽस्तु, 'साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः' इति कोशस्वरसात्। तदनुकूलो व्यापार एव धात्वर्थोऽस्तु।

सावित्री

निपातों का द्योतकत्व प्रादि के समान चादि का भी समझना चाहिये। 'प्रादि' से अन्य निपात में भी 'कर्म' अर्थ में लकार होता है। 'प्रादि' निपातों की भांति चादि का भी विशेषण इत्यादि के साथ सम्बन्धाभाव रहता है।

'साक्षात् क्रियते' 'अलङ्क्रियते' ऊरीक्रियते शिवः' इत्यादि में साक्षात्, अलम् ऊरी-इत्यादि प्रादि से भिन्न निपात है—इनका द्योतकत्व माना जाता है तभी साक्षात् पूर्वक 'कृ' धातु का 'प्रत्यक्षानुकूलव्यापार' अर्थ होता है, अलम् पूर्वक 'कृ' धातु का 'शोभनानुकूल व्यापार' अर्थ होता है। जब 'साक्षात्कार' इत्यादि धातु के अर्थ माने जाते हैं तभी धातु सकर्मक होता है। इसलिये कर्म अर्थ में लकार सिद्धि के लिये धातु को 'साक्षात्कार' इत्यादि अर्थ का वाचक मानना चाहिये और प्रादि' उपसर्ग की भांति चादि को भी द्योतक मानना उचित है।

यदि यह कहें कि 'कृ' धातु स्वतः सकर्मक है उसकी सकर्मकता की सिद्धि के लिये उसे 'साक्षात्कार' इत्यादि अर्थ का वाचक क्यों मानते हैं? इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि यद्यपि 'कृ' धातु सकर्मक है तथापि 'साक्षात्कार' इत्यादि अर्थों में सकर्मकता तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि चादि को द्योतक नहीं मानते हैं। अन्यथा 'वायुर्विकुरुते' 'सैन्धवा विकुर्वते' इत्यादि में भी सकर्मता हो जाती।

इसके आगे नैयायिकों के मत का प्रतिपादन करते हैं—उपासना, साक्षात्कार इत्यादि निपातों के ही अर्थ समझे जायँ क्योंकि साक्षात् शब्द प्रत्यक्ष और तुल्य का वाचक है, ऐसा कोशकार का मत है। कहा है—साक्षात् प्रत्यक्षतुल्ययोः। यतः कोश में वाचक शब्दों का ही पाठ है, अतः निपातों को वाचक मानना चाहिये, द्योतक नहीं—ऐसा नैयायिकों का अभिप्राय है।

स्व-स्वयुक्तनिपातान्यतरार्थफलव्यधिकरणव्यापारवाचित्वं सकर्मकत्वमपि सुवचमिति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकावयुक्ताविति नेदं साधकमिति चेन्न; नामार्थ-धात्वर्थयोर्भेदेन साक्षादन्वयासम्भवेन निपातधात्वर्थयोरन्वयासम्भवात् । अन्यथा 'तण्डुलः पचति' इत्यत्रापि कर्मतया तण्डुलानां धात्वर्थेऽन्वया-पत्तेरिति ।

सावित्री

यद्यपि 'उप' निपात का उपासना अर्थ होता है--ऐसा किसी कोशकार के कथन से सिद्ध नहीं है तथापि 'अथ उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्तीति निपाताः' इस निरुक्त वचन के अनुसार निपातों का अर्थ निर्वचन करने के कारण 'उप' निपात के उपासना अर्थ की कल्पना की जा सकती है और 'आस्' धातु का 'उपासनानुकूल व्यापार' यह अर्थ माना जा सकता है । 'उपासना' रूप फल निपात (उप) का अर्थ होगा ।

अब यहाँ शंका होती है कि यदि 'उपासना' रूप फल निपात का अर्थ होगा तो धातु के फल का वाचक न होने के कारण 'स्वार्थफलव्यधिकरण-व्यापारवाचकत्व' रूप सकर्मकत्व का लक्षण घटित नहीं होगा, इसके उत्तर में कहा है—स्व-स्वयुक्तनिपातान्यतरार्थफलव्यधि-करणव्यापारवत्त्वं सकर्मकत्वम् । अर्थात् स्वम्=धातुः, स्वयुक्तनिपात=धातुयुक्तनिपात, एतयोरन्यतरार्थफलम्=धातु और निपात में किसी भी एक अर्थ जो फल, तद्व्यधिकरण व्यापार=उससे भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो व्यापार, उस व्यापार का वाचक धातु रूप सकर्मक सरलता से कहा जा सकताहै । इससे 'उपासना' रूप फल 'धातु' का अर्थ न होकर 'निपात' का अर्थ मानने पर भी 'आस्' धातु की सकर्मकता में कोई बाधा नहीं होगी ।

पूर्वोक्त प्रकार से सकर्मक का लक्षण मानने पर दृष्टान्त=उपास्येते हरिहरौ दार्ष्टा-न्तिक=साक्षात् क्रियते शिवः—दोनों निपातों के द्योतकत्व की सिद्धि में अनुपयुक्त होंगे क्योंकि इन दोनों स्थलों में निपातों की द्योतकता के विना ही निपात का जो अर्थ उपासना और साक्षात्कार रूप फल, उस फल का आश्रय होने से हरिहरौ, शिव का कर्मत्व उपपन्न हो जायगा । ऐसा होने पर 'उपास्येते हरिहरौ' इत्यादि स्थल में हरिहरौ' इत्यादि का कर्मार्थक लकार से अभिधान, धातु का विशिष्ट अर्थ वाचकत्व तथा निपातों के द्योतकत्व का साधक नहीं हो सकता है । ऐसा जो नैयायिकों का कथन है, उसका समाधान करते हुये ग्रन्थकार ने कहा है—नामार्थधात्वर्थयोरिति ।

'नामार्थ और धात्वर्थ का साक्षात् भेद से अन्वय नहीं होता है" यह नियम है । 'उपास्येते हरिहरौ' में 'उप' इस निपात रूप नामार्थ अर्थात् उपासना रूप फल का धात्वर्थ

किञ्च प्रादीनां वाचकत्वे 'भूयान् प्रकर्षः' 'कीदृशो निश्चयः' इतिवत् 'भूयान् प्र' 'कीदृशो निः' इत्यपि स्यात्। अस्मन्मते प्रादेरनर्थकत्वान्न तदन्वय इत्यतोद्योतकतां तेषां स्यादिति। साधकान्तरमभिप्रेत्याह—विशेषणेति। 'शोभनः समुच्चयो द्रष्टव्यः' इतिवत् 'शोभनश्च-द्रष्टव्यः' इत्यस्यापत्तेस्तुल्यसमाधेयत्वादिति भावः।

अपि च निपातानां वाचकत्वे प्रातिपदिकार्थयोर्विना षष्ठ्यादिकं भेदेनान्वयासम्भवः। अन्यथा 'राजा पुरुषः' इत्यस्य 'राजसम्बन्धी पुरुषः'

सावित्री

व्यापार में अनुकूलता रूप भेद सम्बन्ध से अन्वय ही नहीं होगा. पुनः हरिहरौ' का उपासना के कर्म रूप से लकार का अभिधान असम्भव हो जायगा।

अन्यथा यदि नामार्थ और धात्वर्थ का साक्षात् भेद सम्बन्ध से अन्वय मान लिया जाय तो तण्डुलः पचति' यहाँ पर भी कर्मता रूप भेद सम्बन्ध से तण्डुल का 'पच्' धात्वर्थ व्यापार में अन्वय होने लगेगा और द्वितीया के विना भी तण्डुलकर्मक-विक्लित्यनुकूल व्यापार' ऐसा अनिष्ट बोध होने लगेगा, जब के 'तण्डुलः पचति' इस वाक्य से ऐसा अर्थ-बोध अनुभव विरुद्ध है।

इसके अतिरिक्त निपातों को वाचक मानने पर प्र, नि-इत्यादि निपात क्रमशः प्रकर्ष. निश्चय-अर्थ के वाचक होंगे. तब 'भूयान् प्रकर्षः' के अर्थ में 'भूयान् प्रः' तथा 'कीदृशो निश्चयः' के अर्थ में कीदृशो निः' ऐसा प्रयोग होने की आपत्ति होगी जबकि ये उपसर्ग कहीं भी स्वतन्त्र रूप से वाचक नहीं देखे जाते हैं। निपातों को द्योतक मानने वाले हम वैयाकरणों के मत में प्रादि अनर्थक हैं अर्थात् वाचक नहीं हैं इसलिये उनमें विशेषण का अन्वय सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में निपातों की द्योतकता ही हो सकती है—इसमें साधकान्तर प्रस्तुत करते कारिका के उत्तरार्द्ध में कहा है—'विशेषणाद्ययोगोऽपि प्रादिवच्चादिके समः"। अर्थात् जैसे प्रादियों का विशेषण के साथ असम्बन्ध रहता है वैसे ही चादि का भी समझना चाहिये।

इसके साथ ही 'शोभनः समुच्चयः' में समुच्चय शब्द समुच्चय अर्थ का बोधक है, उसमें शोभन रूप विशेषण का अन्वय होता है, उसी प्रकार निपातों को वाचक मानने पर 'च' शब्द से उपस्थाप्य अर्थ में भी शोभन रूप विशेषण का अन्वय होने लगेगा। तब 'शोभनः समुच्चयः' के स्थान पर 'शोभनश्च' ऐसा प्रयोग होने की आपत्ति होगी?

इत्यर्थापपत्तेरित्यभिप्रेत्याह—आदीति—'धवखदिरयोः समुच्चयः' इतिवत् 'धवस्य च खदिरस्य च' इत्येव स्यादितिभावः ॥४३॥

ननु प्रातिपदिकार्थयोर्भेदेनान्वयबोधे विरुद्धविभक्तिजन्योपस्थितिर्हेतुरिति कार्यकारणभावो निपातातिरिक्तविषय एवेति नोक्तदोष इत्याशङ्कयाह—

सावित्री

इस आपत्ति के उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है कि प्रादियों के तुल्य ही इसका भी समाधान किया जा सकता है। अर्थात् जैसे 'प्रादि' निरर्थक होते हुये द्योतक होते हैं इसलिये उसमें विशेषण का अन्वय नहीं होता है उसी प्रकार चादियों के भी वाचक न होने से उसमें शोभन इत्यादि विशेषण का अन्वय संभव न होगा, जिससे 'शोभनः समुच्चयः' के अर्थ में 'शोभनश्च' ऐसा अनिष्ट प्रयोग नहीं होगा।

इसके साथ ही निपातों को वाचक मानने पर 'शोभनश्च' में शोभन और चकार—इन दो प्रातिपदिकार्थों का षष्ठी, द्वितीया इत्यादि विभक्ति के बिना भेद सम्बन्ध से अन्वय सम्भव न होगा। षष्ठी इत्यादि विभक्तियों के बिना नामार्थों का भेद सम्बन्ध से अन्वय स्वीकार कर लिया जाय तो 'राजा पुरुषः' ऐसे समान विभक्तियों का भी 'राजसम्बन्धी पुरुषः' ऐसा भेद सम्बन्ध से अन्वय होने की आपत्ति होगी। जबकि 'राजसम्बन्धी पुरुष' ऐसा अर्थ 'राज्ञः पुरुषः का होता है 'राजा पुरुषः' का नहीं।

इससे अतिरिक्त स्थल में दोष प्रदर्शन के लिये कारिका के 'प्रादि' में आदि पद का ग्रहण किया गया है। यहाँ 'आदि' पद से 'धवखदिरयो समुच्चयः' इस अर्थ को पकड़ा गया है। तात्पर्य यह है कि निपातों को वाचक मानने पर विभिन्न विभक्तिक नामार्थों का भेद सम्बन्ध से अन्वय होगा और 'धवखदिरयोः समुच्चयः' की भाँति 'धवस्य च, खदिरस्य च' ऐसा भी प्रयोग होने लगेगा और खदिर का समुच्चय—ऐसा अर्थ बोध होने लगेगा, जबकि ऐसा प्रयोग और अर्थ बोध नहीं होता है। इस प्रकार निपातों को द्योतक मानना ही उचित है जैसा कि वैयाकरणों का सिद्धान्त है ॥४३॥

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि प्रातिपदिकार्थों के भेदान्वय बोध में "विरुद्धविभक्तिजन्योपस्थितिः कारणम्" ऐसा कार्यकारण भाव निपात से अतिरिक्त में होता है—ऐसा मान लेने से 'धवखदिरयोः समुच्चयः' की भाँति धवस्य च, खदिरस्य च' यही प्रयोग होगा,

पदार्थः सदृशान्वेति विभागेन कदापि न।
निपातेतरसंकोचे प्रमाणं किं विभावय ॥३॥(४४)।

सदृशा सदृशेन समानाधिकरणनेति यावत्। अन्वेति अभेदेनेति शेषः। विभागेन, असदृशेन, असमानाधिकरणेनेति यावत्।

अयमर्थः—समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वयव्युत्पत्तिर्निपातिरिक्तविषयेति कल्पने मानाभावो गौरवं च। अस्माकं निपातानां द्योतकत्वादन्वय एव नास्तीति नायं दोषः। अत एव घटो

सावित्री

न कि धवश्च खदिरश्च यह प्रयोग होगा—यह जो दोष दिया गया था उसका वारण हो जायगा। इस आशंका के उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है—

पदार्थः सदृशान्वेति विभागेन कदापि न।
निपातेतरसंकोचे प्रमाणं किं विभावय ॥

अर्थात् पदार्थ सदृश = समानविभक्तिक के साथ ही अभेद सम्बन्ध से अन्वित होता है, विभाग—विरुद्धविभक्ति के साथ है कथमपि अभेद सम्बन्ध से अन्वित नहीं होता है—इस प्रसङ्ग में निपातेतर का संकोच करने में क्या प्रमाण है—अर्थात् कोई प्रमाण नहीं है—ऐसा समझना चाहिये।

यहाँ समान का अर्थ सादृश्य है। वह सादृश्य 'समानविभक्तिकपदजन्योपस्थितिविषयत्वेन' विवक्षित होगा। विभाग का अर्थ है असदृश—असमानाधिकरण। असमानाधिकरण का अभिप्राय है असमानविभक्तिक। इसका तात्पर्य यह है कि एक पद के उत्तर जो विभक्ति, तादृश पद का जो अर्थ, उसका भिन्न विभक्तिक पद से उपस्थित अर्थ के साथ अभेदान्वय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में 'समानाधिकरण = समानविभक्तिक, प्रातिपदिकार्थों का अभेदान्वय होता है यह नियम निपात से भिन्न में लगता है—इस कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है। यदि घटश्च इत्यादि में भेद सम्बन्ध से अन्वयानुपपत्ति को प्रमाण मानते हैं तो यह निपातेतर संकोच में गौरव भी होगा। हम वैयाकरणों के मत में निपात द्योतक होते हैं, किसी अर्थ के वाचक नहीं होते हैं। वाचक न होने से उसमें किसी अर्थ का अन्वय सम्भव नहीं है। 'घटश्च' में अन्वय ही नहीं होगा, क्योंकि उपस्थिति नहीं है। अन्वय वहीं होता है जहाँ पृथक् उपस्थिति और सम्बन्ध रहता है। 'घटश्च' में घट पद से ही

नास्तीत्यादौ घटपदं तत्प्रतियोगिके लाक्षणिकमिति नैयायिकाः ॥२॥(४४)

अपि च निपातानां वाचकत्वे काव्यादावन्वयो न स्यादिति साधकान्तरमाह—

शरैरुस्रैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्रसानिव ।
इत्यादावन्वयो न स्यात् सुपां च श्रवणं ततः ॥४॥४५॥

अत्रोस्रसदृशैः शरै रससदृशानुदीच्यानुद्धरिष्यन्नित्यर्थः । अयश्चोस्रादिशब्दानां तत्सदृशपरत्वे इवशब्दस्य द्योतकत्वे सत्येव सङ्गच्छते । अन्यथा प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तिविरोधः ।

सावित्री

'घटसमुच्चय' अर्थ का बोध हो जाता है, धवस्य च, खदिरस्य च, में 'धवस्य' से ही धवसमुच्चय 'खदिरस्य च' से 'खदिर समुच्चय' रूप अर्थ का बोध हो जाता है। इस प्रकार प्रादिपदिकार्थों के अभेदान्वय बोध नियम में निपातेतर का निवेश नहीं है। इसीलिये 'घटो-नास्ति' इत्यादि में नैयायिक लोग 'घट' पद को 'घटप्रतियोगिक' अर्थ में लाक्षणिक मानते हैं। यदि प्रातिपदिकार्थों के अभेदान्वयबोधक व्युत्पत्ति में 'निपातेतर' विशेषण का निवेश होता तो प्रातिपदिक नञ्-पद से उपस्थाप्य घट पदार्थ और नञ्पदार्थ का प्रतियोगिताकत्व रूप भेद सम्बन्ध से अन्वय हो जाता, लक्षणा करने की अपेक्षा नहीं थी। इससे सिद्ध होता है कि उक्त व्युत्पत्ति नियम में 'निपातेतर' इस विशेषण का निवेश नैयायिक भी नहीं मानते हैं।

इसके अतिरिक्त निपातों का द्योतकत्व सिद्ध करते हुये कहते हैं कि निपातों को वाचक मानने पर काव्य आदि में अन्वय नहीं होगा। काव्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये कहा है—

शरैरुस्रैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन् रसानिव ।
इत्यादावन्वयो न स्यात् सुपां च श्रवणं ततः ॥४॥४५॥

इस कारिका का पूर्वार्द्ध भाग रघुवंश महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग के ६६वाँ श्लोक से उद्धृत है। इसका अर्थ है—उस्रैः शरैः रसान् इव उदीच्यान् उद्धरिष्यन् इस स्थल में

तथाहि—उस्रैरिति करणे तृतीया। न चोस्रोऽत्र करणम्। इवार्थसदृशस्य करणत्वेऽपि तस्य करणत्वं नानेन बोधयितुं शक्यम्, अप्रकृत्यर्थत्वात्। इवशब्दस्य चासत्त्वार्थकतया तदुत्तरतृतीयाया असम्भवात्। सम्भवे वा श्रवणप्रसङ्गात्, उस्रपदोत्तरतृतीयानन्वयप्रसङ्गाच्चेत्याह—सुपाञ्चेति। सुपां श्रवणञ्चेत्यर्थः। चकारादुस्रपदोत्तरतृतीयाऽनन्वयः समुच्चीयते। इत्यादाविव्यादिपदात् "वागर्थाविव सम्पृक्तौ पार्वतीपरमेश्वरौ वन्दे" इत्यत्र वागर्थयोर्वेदिकर्मत्वाभावात्तदुत्तरद्वितीयाया अनन्वयः, इवार्थस्य कर्मत्वबोधासम्भवश्च संगृह्यते। यदि च विशेषणविभक्तिरभेदार्था, साधुत्वमात्रार्था वा तदाऽपि इवशब्दस्य वाचकत्वेऽनन्वय एव। उस्रसदृशशराणां समानाधिकरणपदोपस्थाप्यतया भेदेनान्वयायोगात्। बाधादभेदेनापि न सः। नह्युस्राभिन्नसदृशाभिन्नः शरः इत्यर्थो द्रष्टव्यः ॥३५॥

सावित्री

अन्वय नहीं होगा। यदि कथञ्चिद् अन्वय भी किया जाय तो सुप् आदि विभक्तियों के श्रवण होने की आपत्ति होगी।

यहाँ 'उस्र' का 'उस्रसदृश' और 'रस' का 'रससदृश' अर्थ होता है। यह अर्थ तभी हो सकता है जब 'सदृश' अर्थ के प्रतिपादक 'इव' इस निपात को द्योतक मानें। अन्यथा 'प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्वम्' इस व्युत्पत्ति का विरोध होगा। यहाँ उस्रैः' में 'उस्र' के उत्तर तृतीया करण अर्थ में हुई है वह तृतीया अपने प्रकृतिभूत उस्र पदार्थ में अन्वित होकर 'करण' रूप अपने अर्थ का बोधन करे, यह नियम घटित नहीं होगा।

यहाँ उस्र करण नहीं है अपि तु उदीच्यों के उद्धार क्रिया के प्रति शर' करण है। उसमें 'उस्र' विशेषण है। यदि 'उस्र' का उस्रसदृश' अर्थ नहीं करते हैं और 'इव' इस निपात को सदृश अर्थ का वाचक मानते हैं तो उस्रसदृश' का अभेद सम्बन्ध से शर' का विशेषण होकर उद्धरण क्रिया के प्रति करणत्व सम्भव है किन्तु उस इवार्थ सादृश्य का करणत्व 'शरैः' के तृतीया विभक्ति से बोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि 'इव' निपात को वाचक मानने पर सदृश अर्थ 'उस्र' रूप प्रकृति का अर्थ नहीं रहेगा। तब उसमें तृतीया विभक्त्यर्थ का अन्वय नहीं होगा। प्रत्ययों के बारे में नियम है कि वह अपने

इत्यादावित्यादिपदात् "वागर्थाविव सम्पृक्तौ पार्वतीपरमेश्वरौ वन्दे" इत्यत्र वागर्थयोर्वंदिकर्मत्वाभावात्तदुत्तरद्वितीयाया अनन्वय इव वागर्थस्य कर्मत्वबोधासम्भवश्च संगृह्यते। यदि च विशेषणविभक्तिर-भेदार्था, साधुत्वमात्रार्था वा तदाऽपि इवशब्दस्य वाचकत्वेऽनन्वय एव।

सावित्री

प्रकृत्यर्थ में अन्वित होकर ही अपने अर्थ का बोध कराता है। इसके साथ ही 'इव' असत्वार्थक निपात है। इसलिये उसके आगे तृतीया विभक्ति भी असम्भव होगी क्योंकि असत्वार्थक निपात में लिङ्ग, संख्या कारक आदि का अन्वय नहीं होता है।

यदि सदृश अर्थ वाले 'इव' शब्द की प्रातिपदिकसंज्ञा तथा विभक्ति हो सकती है—ऐसा मानते हैं तो 'इव' पद के उत्तर विभक्ति सुनाई पड़ेगी क्योंकि 'इव' शब्द के सदृश अर्थ का करण रूप से उद्धरण क्रिया में अन्वय होगा। ऐसा होने पर 'इव' शब्द में कारकानन्वयित्व रूप असत्वार्थकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति में निपातसंज्ञा और अव्यय संज्ञा न होगी और न 'अव्ययादाप्सुपः' सूत्र से सुप् का लुक् होगा। फलतः 'इव' शब्द के उत्तर विभक्ति सुनाई पड़ेगी। इसके अतिरिक्त 'उस्र' पदोत्तर तृतीया का अन्वय नहीं होगा क्योंकि 'इव' शब्द को वाचक मानने पर 'उस्र' का निरूपितत्व सम्बन्ध से सादृश्य में ही अन्वय होगा। 'उस्र' पदार्थ के उद्धरण क्रिया के प्रति करण न होने से उसमें तृतीया विभक्ति के करण अर्थ का अन्वय नहीं होगा। इसके साथ ही सुप् का श्रवण भी होगा। अत एव कारिका में कहा है—'सुपां च श्रवणं ततः'। यहाँ चकार भिन्न क्रम से है—अर्थात् 'सुपां श्रवणं च'। यहाँ 'च' से 'उस्र पदोत्तर तृतीया विभक्ति का अनन्वय होता है इस कथन का भी संग्रह हो जाता है।

कारिका के उत्तरार्द्ध में कहा है—इत्यादावन्वयो न स्यात्। आदि पद से अन्य का भी संग्रह हो जाता है। 'वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये' में वाक् च अर्थश्च=वागर्थौ, तौ इव सम्पृक्तौ=अभिन्नौ, पार्वती च परमेश्वरश्च=पार्वतीपरमेश्वरौ अर्थात् भवानी-शङ्करौ वन्दे—ऐसा अर्थ होता है। यहाँ 'वागर्थौ' में 'वागर्थ' के उत्तर 'औ' विभक्त्यर्थ कर्मत्व का वागर्थ पदार्थ में अन्वय होता है। निपात को वाचक मानने पर 'वागर्थौ' का इवार्थ सादृश्य में ही अन्वय होगा, द्वितीयार्थ कर्मत्व का उसमें अन्वय नहीं होगा क्योंकि प्रत्ययार्थ का प्रकृत्यर्थ में ही अन्वय होने का नियम है। इसलिये निपातों को द्योतक मानना ही उचित है। हमारे (वैयाकरण) मत में 'वागर्थ' पद का ही 'वागर्थसदृश' अर्थ है, 'इव' शब्द द्योतक है। 'वागर्थसदृश' अभेदसम्बन्ध से 'पार्वतीपरमेश्वरौ' में विशेषण है।

उस्रसदृशशराणां समानाधिकरणपदोपस्थाप्यतया भेदेनान्वयायोगात् । बाधादभेदेनापि न सः । न ह्युस्राभिन्नसदृशाभिन्नः शरः इत्यर्थो दृष्टव्यः ॥४५॥

ननु त्वन्मते 'अब्राह्मणः' इत्यादौ तत्पुरुषलक्षणाव्याप्त्यापत्तिः, पूर्वपदस्यानर्थकत्वेनोत्तरपदार्थप्राधान्याभावात् । उपसर्गस्यार्थवत्त्वाभावेन प्रातिपदिकत्वाभावद्विभक्तिश्च ततो न स्यादित्यत आह—

सावित्री

अत एव 'वन्दि' क्रिया के प्रति कर्म हो सकता है। 'इव' को वाचक मानने पर तादृश द्वितीया का इव' अर्थगत सादृश्य का बोधन असम्भव है।

यदि यह कहें कि विशेषणगत विभक्ति अभेद अर्थ का बोधन करानेवाली होती है, कर्मत्व या करणत्व अर्थ की बोधिका नहीं होती है। अथवा 'अपदं न प्रयुञ्जीत' इस भाष्य के अनुसार साधुत्व मात्र की संपादिका होती है—ऐसा होने पर भी यदि 'इव' निपात को सदृश अर्थ का वाचक मानेंगे तो विभक्तियों का अनन्वय रूप दोष बना रहेगा। इसी अनन्वय को स्पष्ट करते हुये कहा है—उस्रादिशराणाम्—इत्यादि।

'उस्रै इव शरैः' का 'उस्र सदृश शर' अर्थ है। यहाँ 'उस्राश्च सदृशाश्च शराश्च' में त्रिपद द्वन्द्व समझना चाहिये। समान विभक्तिक होने के कारण यहाँ भेदसम्बन्ध से अन्वय नहीं होगा क्योंकि विरुद्ध विभक्ति रहितों का परस्पर अभेदसम्बन्ध से ही अन्वय होता है। तब यह शंका होती है कि फिर यहाँ भेदसम्बन्ध से ही अन्वय हो जाय। इस पर ग्रन्थकार ने कहा है—बाधादभेदेनापि न सः। अर्थात् सादृश्य को भेदघटित होना चाहिये। इसलिये अभेद सम्बन्ध से भी अन्वय नहीं हो सकता है। निपात को वाचक मानने पर 'उस्र' का इवार्थ सादृश्य में अन्वय होगा। उस सादृश्य का शर में अन्वय होगा, तब 'उस्राभिन्नसदृशाभिन्नशरः' यह अर्थ होगा। 'शर' उस्र नहीं है यह भेद रहेगा। इससे अभेदान्वय भी बाधित रहेगा ॥४५॥

अब आगे नैयायिकों आदि का वैयाकरण के प्रति आक्षेप है कि आप वैयाकरण लोग निपातों को वाचक नहीं मानते हैं। इसलिये वे अनर्थक कहलायेंगे। ऐसी स्थिति में 'अब्राह्मणः' इत्यादि तत्पुरुष में 'उत्तरपदार्थप्रधानो तत्पुरुषः' इस लक्षण की अव्याप्ति होगी क्योंकि पूर्व पद नञ् के निरर्थक रहने पर प्राधान्यबोधक पूर्वपदार्थ रूप विशेषण के अभाव में उत्तरपदार्थ का प्राधान्य सम्भव नहीं है। उपसर्ग अर्थात् निपात मात्र के निरर्थक होने से

नञ्समासे चापरस्य द्योत्यं प्रत्येव मुख्यता ।
द्योत्यर्थमेवार्थमादाय जायन्ते नामतः सुपः ॥४६॥

नञ्समासादौ योत्तरपदार्थप्रधानता सा द्योत्यमर्थमादायैव। तमेवार्थमादायार्थवत्त्वात् प्रातिपदिकत्वमित्यर्थः ।

वस्तुतः 'अव्ययादाप् सुपः' (२।४।८२) इति ज्ञापकात् सुबुत्पत्तिः । 'निपातस्यानर्थकस्य' इति वार्त्तिकाद्वा प्रातिपदिकत्वम् । 'कृत्तद्धितसमासाश्च' (१।२।४६) इत्यनुक्तसमुच्चयार्थकचकारेण निपातानां संग्रह इति वा बोध्यम् । तस्माद्युक्तं निपातानां द्योतकत्वम् । उक्तश्चाकृत्यधिकरणवार्त्तिके—

सावित्री

अर्थवत्ता नहीं रहेगी, अर्थवत्ता के अभाव में प्रातिपदिकसंज्ञा नहीं होगी और प्रातिपदिकसंज्ञा के अभाव में निपात मात्र से विभक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिये कहा है—

नञ्समासे चापरस्य द्योत्यं प्रत्येव मुख्यता ।
द्योत्यमेवार्थमादाय जायन्ते नामतः सुपः ॥

अर्थात् नञ्समास में जो उत्तरपदार्थ की प्रधानता होती है वह द्योत्य अर्थ को लेकर होती है। उसी द्योत्य अर्थ को लेकर प्रातिपदिकसंज्ञा और विभक्ति की उत्पत्ति होती है।

वस्तुतः 'अव्ययादाप् सुपः' (२।४।८४) सूत्र से अव्यय से परे 'सुप्' के लुक् का जो विधान किया गया है वही ज्ञापक है कि अव्यय से परे सुप् विभक्ति आती है। यदि अव्ययों से विभक्ति न आती तो उनसे पर 'सुप्' के लुक् का विधान अनर्थक हो जाता। इसके अतिरिक्त 'निपातस्यानर्थकस्य' इस वार्तिक के द्वारा भी द्योतकतावादी पक्ष में प्रातिपदिकसंज्ञा हो सकती है। 'कृत्तद्धितसमासाश्च' (१।२।८६) इस सूत्र में स्थित चकार को अनुक्त का समुच्चयार्थक मानकर निपातों की प्रातिपदिकसंज्ञा हो सकती है। इस प्रकार निपातों को द्योतक मानना उचित है और उनकी प्रातिपदिकसंज्ञा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

निपातों को द्योतक मानने में आकृत्याधिकरण वार्तिक द्वारा मीमांसकों का मत प्रस्तुत करते हुये कहा है—

चतुर्विधे पदे चात्र द्विविधस्यार्थनिर्णयः ।
क्रियते संशयोत्पत्तेर्नोपसर्गनिपातयोः ॥
तयोरर्थाभिधाने हि व्यापारो नैव विद्यते ।
यदर्थद्योतकौ तौ तु वाचकः स विचार्य्यते ॥ इति ॥
उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते ।
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत् ॥ इति च ॥

अत्रोपसर्गपदं निपातोपलक्षणम् । धातुपदं पदान्तरस्येति बोध्यम् ॥४६॥

सावित्री

'चतुर्विधे पदे चात्र द्विविधस्यार्थनिर्णयः' इत्यादि ।

इसका अभिप्राय यह है कि नाम आख्यात उपसर्ग-निपात इन चार प्रकार के पदों में दो (नाम, आख्यात) ही का अर्थ निर्णय किया जाता है । दो ही (नाम, आख्यात) के बारे में सन्देह किया जाता है—नामार्थ जाति है या व्यक्ति है अथवा जातिविशिष्टव्यक्ति है । धात्वर्थ क्या है—व्यापार मात्र है या फलमात्र है अथवा फलानुकूलव्यापार है ।

उपसर्ग और निपात के बारे में कोई संशय नहीं किया जाता है और इन दोनों के अर्थ कथन में शक्ति या लक्षणा रूप कोई व्यापार नहीं रहता है । उपसर्ग, निपात जिस अर्थके द्योतक होते हैं, नाम, आख्यात उसी अर्थ के वाचक होते हैं । इस प्रकार उपसर्गों का द्योतकत्व ही युक्तियुक्त है । धातुओं का जो अर्थ निर्देश किया है, उपसर्गों के द्वारा उसका अतिरिक्त विशिष्ट अर्थ हो जाता है । उदाहरण के लिये जैसे—'हृ' धातु का हरण करना अर्थ है उसमें 'प्र' उपसर्ग जुड़ने पर 'प्रहार' रूप बनता है जिसका मारना' अर्थ होता है, 'आङ्' उपसर्ग लगने पर 'आहार' रूप बनता है जिसका भोजन अर्थ होता है, 'सम्' उपसर्ग रहने पर 'संहार' रूप होता है जिसका अर्थ' विनाश' होता है 'वि' उपसर्ग लगने पर 'विहार' रूप बनता है और उसका 'पैदल टहलना' अर्थ होता है 'पर' उपसर्ग लगने पर 'परिहार' रूप बनता है जिसका अर्थ होता है—निराकरण । यहाँ हरणार्थक 'हृ' धातु से 'ण्यत्' प्रत्यय करने से 'हार' रूप बना है । 'प्रहार' आदि सभी पदों में 'हृ' धातु है किन्तु उपसर्गों के भेद से अर्थों में भेद हो जाता है फिर भी उपसर्ग द्योतक ही होते हैं, वाचक नहीं होते हैं । यहाँ उपसर्ग पद निपात का उपलक्षण है और धातु पद अन्य सुबन्त आदि पद का उपलक्षण है ऐसा समझना चाहिये । भाव यह है कि जैसे—उपसर्ग के सम्भिं-

नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां निपातानां तदर्थवाचकत्वमेव युक्तम्; बोधकतारूपशक्तेरबाधात्। किञ्चोक्तरीत्या 'पचति' इत्यादौ धातोरेव कर्तृविशिष्टभावनायां लक्षणाऽस्तु तात्पर्यग्राहकत्वमात्रं तिङादेः स्यादित्यरुचेः पक्षान्तरमाह—

निपातानां वाचकत्वमन्वयव्यतिरेकयोः।
युक्तं वा न तु तद्युक्तं परेषां मतमेव नः ॥६॥ (४७)

सावित्री

व्याहार से हठात् धातु का अर्थ भिन्न प्रतीत होता है वैसे ही निपात के समभिव्याहार से 'चन्द्र इव मुखं दृश्यते' में 'इव' इस निपात से भिन्न 'चन्द्र' पद का 'चन्द्रसदृश' रूप अन्य अर्थ प्रतीत होता है ॥५॥ (४६)

अब देखा जाता है कि 'चन्द्र इव मुखम् दृश्यते' इस वाक्य में 'इव' इस निपात के रहने पर सादृश्य अर्थ की प्रतीति होती है और न रहने पर प्रतीति नहीं होती है—इस अन्वय-व्यतिरेक से निपातों को वाचक मानना उचित है, इसकी वाचकता में कोई बाधा नहीं है।

किन्तु यह अन्वय व्यतिरेक निपातों को द्योतक सिद्ध करने में भी साधन हो सकता है, तब निपातों को वाचक न मानकर द्योतक ही क्यों न माना जाय—इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने लिखा है—किञ्चेति। अर्थात् 'प्रजयति' यहाँ पर 'प्रकर्षविशिष्टजय' 'जि' धातु का ही अर्थ है, 'प्र' आदि उपसर्ग का नहीं। 'प्र' आदि उपसर्गों का तात्पर्यग्राहक रूप से उपयोग होता है—ऐसा कहा गया है।

'पचति' में 'पच्' धातु की 'कर्तृविशिष्टभावना' में लक्षणा होगी, तिङ् आदि मात्र तात्पर्य के ग्राहक होंगे। यहाँ आदि पद से कृत्, सन् आदि का भी संग्रह है—ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार निपातों के द्योतकत्व पक्ष के प्रति मन में अरुचि लेकर पक्षान्तर को प्रस्तुत करते हुये कहा है—

निपातानां वाचकत्वमन्वयव्यतिरेकयोः।
युक्तं वा न तु तद्युक्तं परेषां मतमेव नः ॥ ६ ॥ (४७)

'पच्' आदि धातु के साथ तिङ् आदि प्रत्यय के रहने पर कर्त्ता, कर्म आदि अर्थ की प्रतीति होती है, तिङ् आदि न रहने पर कर्त्ता आदि अर्थ की प्रतीति नहीं होती है—

एवञ्च 'धात्वर्थप्रातिपदिकार्थयोर्भेदेनान्वयबोधो न व्युत्पन्नः' इति निपातातिरिक्तविषयः। समानाधिकरणप्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वय इत्यपि तथेत्यगत्या कल्पनीयमिति भावः। न त्विति—नैयायिकोक्तं प्रादिचादिवैषम्यमित्यर्थः।

यत्तु—सर्वेषां निपातानां वाचकत्वेऽर्थवत्सूत्रेणैव तेषां प्रातिपदिकत्वसम्भवात् 'निपातस्यानर्थकस्य' इति विधिवैयर्थ्यम्। सर्वेषां द्योतकत्वे 'चानर्थकस्य' इति व्यर्थम्। तथा च केचिद् द्योतकाः; केचिद् वाचका इत्यभ्युपेयमिति तन्न, एवं हि "चादयो द्योतका प्रादयो

सावित्री

इस अन्वय व्यतिरेक से जैसे तिङों की वाचकता सिद्ध होती है वैसे ही निपातों को वाचक मानना उचित है किन्तु नैयायिकों की रीति से प्रादियों को वाचक तथा चादियों को द्योतक मानना अनुचित है। इसलिये मीमांसकों का जो निपातों की वाचकता का मत है, वही हमारा (वैयाकरणों) का मत है—यह मानना उचित नहीं है।

इसके अतिरिक्त "धात्वर्थ और प्रादिपदिकार्थ का भेद सम्बन्ध से अन्वय व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं है" यह नियम निपात से अतिरिक्त के विषय में है। इसी प्रकार समानाधिकरण=समान विभक्तिक, प्रातिपदिकार्थों का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होने का नियम भी निपाततिरिक्त के विषय में ही होता है। नैयायिकों के अनुसार, प्रादि वाचक हैं, चादि द्योतक हैं—यह अर्धजरतीयन्याय अनुचित है।

जो किसी ने यह कहा है कि सभी निपातों को वाचक मानने पर 'निपातस्यानर्थकस्य' इस कथन के द्वारा प्रातिपदिकसंज्ञा का विधान करना व्यर्थ होगा क्योंकि 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्' इस सूत्र से ही सभी निपातों की प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध हो जायगी। सभी निपातों को द्योतक मानने पर पूर्वोक्त वाक्य में 'अनर्थकस्य' यह अंश व्यर्थ हो जायगा क्योंकि जब सभी अनर्थक रहेंगे तो 'अनर्थकस्य' का कोई व्यावर्त्त्य नहीं रहेगा। इसलिये कुछ ही निपात अर्थवान् होते हैं, यह मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कुछ निपात 'वाचक' होते हैं, कुछ द्योतक होते हैं—यही मानना उचित होगा।

इसके उत्तर में वैयाकरण का कहना है कि कुछ निपातों को द्योतक तथा कुछ को वाचक कहना उचित नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर 'प्रादि' द्योतक हैं चादि वाचक हैं—के स्थान पर 'प्रादि' वाचक हैं चादि द्योतक हैं—ऐसा विपरीत नियम भी सम्भव होने लगेगा।

वाचकाः" इति वैपरीत्यावारणात्। सर्वथानर्थकानां पादपूरणमात्रार्थमुपात्तानां संग्रहाय वार्त्तिकारम्भस्य कैयटादौ स्पष्टत्वात्, तस्य प्रत्याख्यातत्वाच्च।

परेषामिति बहुवचनं मीमांसकसंग्रहाय। केवलवृक्षशब्दात् समुच्चयाबोधाच्चकारश्रवणे तद्बोधाच्चकार एव तद्वाचकः, न द्योतकः। किञ्च द्योतकत्वे पदान्तराणां तत्र शक्तिः कल्प्या, चकारादेर्द्योतकत्वशक्तिश्च कल्प्येति गौरवं स्यादिति हि समुच्चयाधिकरणे स्थितम्, तदपि न युक्तमिति भावः।

तथाहि—अन्वयव्यतिरेकौ तात्पर्यग्राहकत्वेनाप्युपयुक्तौ। घटादिपदानामेव समुचिते लक्षणा; तात्पर्यग्राहकः प्रकरणादिवच्चादिरिति

सावित्री

इस विपरीत नियम के वारण के लिये कुछ निपातों को वाचक तथा कुछ को द्योतक मानना उचित नहीं है। कैयट ने स्पष्ट कहा है कि जो निपात सर्वथा निरर्थक हैं, मात्र पाद पूर्त्ति के लिये गृहीत रहते हैं उनके संग्रह के लिये 'निपातस्यानर्थकस्य' इस वार्त्तिक का आरम्भ किया गया है। अब कौन वाचक हैं, कौन द्योतक हैं—इसका कोई विनिगमक न होने से विपरीत नियम भी सम्भव है। वस्तुतः भाष्यकार ने 'निपातस्यानर्थकस्य' इस वार्त्तिक का खण्डन कर दिया है। इसलिये वह वार्त्तिक मूलक पूर्वोक्त विचार भी अश्रद्धेय है।

कारिका में 'परेषाम्' पद में बहुवचन का ग्रहण मीमांसकों के संग्रह के लिये है। उनके मत के अनुसार केवल वृक्ष शब्द समुच्चय अर्थ का बोधक नहीं है अपितु 'वृक्षश्च' में चकार के श्रवण से समुच्चय अर्थ का वाचक है द्योतक नहीं। निपातों को द्योतक मानने पर 'घटश्च' इत्यादि में चकार से भिन्न घट पद की 'घटसमुच्चय' अर्थ में शक्ति माननी पड़ेगी, चकार में द्योतकत्व की कल्पना करनी होगी, इस उभयशक्ति कल्पना में गौरव होगा—यह बात मीमांसाशास्त्र के समुच्चयाधिकरण में कही गई है किन्तु ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं है। इसी बात को आगे सुस्पष्ट करते हुये कहा है—तथाहि इत्यादि। मीमांसकों का मत खण्डित करते हुये कहा है कि अन्वयव्यतिरेक यद्यपि निपातों की वाचकता में उपयोगी हैं तथापि तात्पर्यग्राहक रूप से भी उपयोगी हो सकते हैं। 'घटश्च' इत्यादि में केवल घट पद की 'घटसमुच्चय' अर्थ में लक्षणा मानेंगे, चकार प्रकरण आदि की भाँति तात्पर्य का

स्वीकारान्न शक्तिद्वयकल्पनाऽपि। अस्माकं लक्षणाग्रहदशायां बोधात्त-त्कार्यकारणभाव आवश्यकः। एवं शक्तिग्रहस्यापीति पक्षद्वयेऽपि कल्प्यान्तराभावेन गौरवाभावादुभयमपि युक्तमित्यभिमतम्।

अत एव——

"स वाचको विशेषाणां संभवाद् द्योतकोऽपि च" इति वाक्य-पदीयं सङ्गच्छते। दर्शनान्तररीत्या वाचकत्वमेव द्योतकत्वमेवेति नियमस्तु न युक्त इति ध्वनयन्नाह—मतमेव नः इति ॥६॥ (४७)

सावित्री

ग्राहक होगा। ऐसा स्वीकार करने पर घट और चकार की पृथक् शक्तिद्वय की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी।

इसलिये निपातों को वाचक तथा द्योतक—उभय स्वीकार करने वाले वैयाकरण जन 'घट' आदि पदों की समुच्चय अर्थ में लक्षणा करके चकार आदि को प्रकरण आदि की भाँति तात्पर्य का ग्राहक मानते हैं तभी घट आदि पद से समुच्चय आदि अर्थ की प्रतीति होती है। इसलिये 'समुच्चयादिविशिष्ट, घटाद्यर्थविषयकबोधम्प्रति घटादिपदनिष्ठलक्षणाज्ञानं-कारणम्' ऐसा शाब्दबोध और लक्षणाज्ञान में कार्यकारणभाव मानना आवश्यक है। इसी प्रकार निपातों के वाचकत्व पक्ष में 'घटाद्यर्थविषयकशाब्दबोधे घटादिपदनिष्ठं शक्तिज्ञानं कारणम्' समुच्चयार्थबोधे चादिनिपातनिष्ठशक्तिज्ञानं कारणम्' ऐसा शाब्दबोध और शक्ति-ज्ञान में कार्यकारणभाव मानना आवश्यक है। इस प्रकार निपातों के वाचकत्व या द्योत-कत्व, उभयपक्ष में कार्यकारणभावद्वय की अपेक्षा अधिक की कल्पना नहीं करनी पड़ती है, इसलिये कोई गौरव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निपातों का वाचकत्व और द्योतकत्व—दोनों पक्ष युक्तियुक्त है। अत एव वाक्यपदीयकार का यह कहना उचित प्रतीत होता है—'स वाचको विशेषाणां संभवाद् द्योतकोऽपि च' अर्थात् विशेषाणाम्=विशेषार्थानाम्, संभवात्, सः=उपसर्गरूपो निपातः वाचकः द्योतकश्च। युक्तिसाम्य होने से 'निपातों' का वाचकत्व द्योतकत्व दोनों उचित है। नैयायिकों का यह मत कि चादि वाचक ही होते हैं, प्रादि द्योतक ही होते हैं——नियम युक्तिसंगत नहीं है। इसी को ध्वनित करते हुये कहा है—मतमेव नः। नः=अस्माकम्, मते, परेषाम्=नैयायिकादीनाम्, यदेकस्य वाचकत्वम्, अपरस्य द्योतकत्वं तदेव न युक्तमिति।

पर्यवसितुमुपसंहरन्नाह—

निपातत्वं परेषां यत्तदस्माकमिति स्थितिः।
व्यापकत्वाच्छक्तताया: स्तववच्छेदकमिष्यते ॥७॥ (४८)

परेषां यन्निपातत्वम्—असत्त्वार्थकत्वे सति चादिगणपठितत्वम्; शक्तिसम्बन्धेन निपातपदवत्त्वञ्च। जातिर्वा, उपाधिर्वा, तदेवास्माकमपि।

सावित्री

अब इस प्रसङ्ग का उपसंहार करते हुये कहते हैं कि 'पर' अर्थात् नैयायिक, मीमांसक इत्यादि को जो 'निपात' का लक्षण अभिप्रेत है वही मुझ (वैयाकरण) को भी मान्य है। परन्तु नैयायिकों के अनुसार निपातों में वाचकता और द्योतकता रूप अवच्छेदक भेद स्वीकार्य नहीं है अपि तु शक्तता (वाचकता) व्यापक होगी और निपातत्व शक्तता-वच्छेदक होगा।

इसी को सुस्पष्ट करते हुये आगे कहा है—'पर' का जो निपातत्व है उस 'पर' का तात्पर्य नैयायिक, मीमांसकों से है वही मत हमारा भी है। 'चादयोऽसत्त्वे' (१।४।५७) सूत्र के अनुसार निपातत्व का लक्षण है—असत्त्वार्थकत्वे सति चादिगणपठितत्वम्। अर्थात् असत्त्वार्थक होते हुये चादिगण में पठित ही, निपात कहलाता है। सत्त्व के बारे में कहा जाता है—लिङ्गसंख्यान्वयि सत्त्वम्, विशेष्यतया तद्भिन्नार्थप्रतिपदिकत्वमसत्त्वार्थकम्।

इस प्रकार लिङ्ग, संख्या आदि में अनन्वयी होता हुआ चादिगण में पठित हो, निपात कहलाता है। इसके अतिरिक्त अन्य भी लक्षण किया है। जैसे—शक्तिसम्बन्धेन निपातपदवत्त्वम्। अर्थात् वाच्यवाचकभाव रूप सम्बन्ध से 'निपात' पद से अभिहित को निपात कहते हैं। यही निपातत्व प्रादि और चादि में समान रूप से रहता है और लाघव होने से उसी निपातत्व को वाचकतावच्छेदक स्वीकार करना चाहिये।

नैयायिकों के मत में ईश्वरसङ्केत शक्ति है, वैयाकरण के मत में बोधकता शक्ति है। यहाँ शक्यतावच्छेदक पद ही होंगे, पर पद अनन्त है, इसलिये शक्यतावच्छेदक भी अनन्त होगा। इस गौरव को दूर करने हेतु कहा है—जातिर्वा। अर्थात् जाति ही निपातत्व है। इस प्रकार लक्षण होगा—निपातजात्याश्रयत्वं निपातत्वमिति। यदि यह कहें कि निपात 'ह' शब्द में हत्व और निपातत्व दो धर्मों का साङ्कर्य होने से जाति सम्भव नहीं है क्योंकि साङ्कर्य जातिबाधक होता है। इस पर कहा है—उपाधिर्वा। अर्थात् उपाधिमत्त्वं निपातत्वम्। उपाधित्वञ्च—नित्यत्वे सत्यनेकसम्बद्धत्वम्।

परन्तु सामान्यधर्मे प्रमाणानां पक्षपाताच्छक्तता, द्योतकता वा तद्-वच्छेदेनैव कल्प्येति नैयायिकोक्तं प्रादि-चाद्योर्वैषम्यमयुक्तमित्यर्थः। व्यापकत्वात् = सामान्यत्वात्। शक्ततायाः इत्युपलक्षणम्—द्योतकतायाः वेत्यपि द्रष्टव्यम् ॥४८॥

। इति वैयाकरणभूषणसारे निपातानां द्योतकत्वादिनिर्णयः ॥८॥

सावित्री

नैयायिक लोग प्रायः जाति से अतिरिक्त धर्म के लिये उपाधि का व्यवहार करते हैं। वह उपाधि सखण्ड और अखण्ड भेद से दो प्रकार की होती है। आकाशत्व, दिक्त्व आदि सखण्डोपाधि है तथा अनुयोगितात्व, प्रतियोगितात्व आदि अखण्डोपाधि है। इस प्रकार मीमांसक, नैयायिक आदि को जाति या उपाधि रूप जैसा निपातत्व अभिप्रेत है वही हमें भी अभिप्रेत है। परन्तु यहाँ वाचकता, द्योतकता का अवच्छेदक भेदयुक्त नहीं है अपितु सामान्य धर्म में अर्थात् उपसर्गत्व की अपेक्षा निपातत्व रूप व्यापक धर्म में प्रमाणों (अवच्छेदक धर्मों) का पक्षपात देखा जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यापक धर्म के आधार पर ही द्योतकत्व अथवा वाचकत्व रूप विधेय माना जाता है। इसलिये शक्तता= वाचकता, या द्योतकता, तदच्छेदेनैव=निपातत्वावच्छेदेनैव मानना चाहिये। जैसा नैयायिकों का मत है कि प्रादि उपसर्ग द्योतक हैं तो द्योतकतावच्छेदक प्रादित्व या उपसर्गत्व होगा, निपात वाचक हैं तो वाचकतावच्छेदक निपातत्व है—ऐसा वैषम्य अनुचित है। अपितु निपातत्व व्यापक धर्म है वह उपसर्ग और उपसर्ग से भिन्न दोनों में समानरूप से रहता है। अतः निपातों के द्योतक या वाचक उभय पक्ष में अवच्छेदक धर्म निपातत्व का ही मानना युक्तियुक्त है।

कारिका में पठित 'शक्तता' पद 'द्योतकता' का भी उपलक्षण है। इसलिये वाचकता या द्योतकता, दोनों का अवच्छेदक निपातत्व है ऐसा अभिप्राय है ॥४८॥

इस प्रकार वैयाकरणभूषणसार में 'निपातार्थनिर्णय' प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥

अथ त्वादिभावप्रत्ययार्थनिर्णयः

भावप्रत्ययार्थमाह—

कृत्तद्धितसमासेभ्यो मतभेदनिबन्धनम् ।
त्वतलोरर्थकथनं टीकायां हरिणा कृतम् ।।४९।।

"कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेनाऽन्यत्र रूढ्यभिन्नरूपाव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः" इति वार्त्तिकवचनमिति मीमांसकादीनां भ्रममपाकुर्वन्नाह—टीकायामिति । भर्तृहरिणा महाभाष्यटीकायामित्यर्थः । त्वतलोरिति—भावप्रत्ययमात्रोपलक्षणम् ।

सावित्री

पहले नामार्थ सामान्य का निरूपण किया गया। तदनन्तर नामार्थ विशेष निपातार्थ का वर्णन किया गया और अब नाम के अन्तर्गत कृत्तद्धित आदि के अर्थ वर्णन प्रसङ्ग में प्रकृत्यर्थ प्रकारीभूत भावप्रत्यय का अर्थ वर्णन करना चाहते हैं। इसलिये यहाँ इस प्रकरण का आरम्भ किया गया है।

कृदन्तान्त, तद्धितान्त और समास से विहित जो त्वतल्-आदि भाव प्रत्यय हैं उनके अर्थ के विषय में शास्त्रकारों में मतभेद है। इसलिये भर्तृहरि ने त्व-तल आदि भाव प्रत्ययों का अर्थ वर्णन अपनी महाभाष्य की टीका में किया है।

अभिप्राय यह है कि कृदन्तान्त, तद्धितान्त और समास से परे भावप्रत्यय के द्वारा सम्बन्ध का कथन होता है। यह कथन रूढ़ि, अभिन्नरूप और अव्यभिचरित सम्बन्ध से अन्यत्र सर्वत्र होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या आगे मूल में ही की गई है। यहाँ 'कृत्तद्धितसमासेभ्यः' से लेकर 'अव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यः' यहाँ तक का वाक्य वार्त्तिककार का वचन है—मीमांसकों के इस भ्रम के निवारण हेतु ग्रन्थकार ने लिखा है—'टीकायां हरिणा कृतम्'। इससे सिद्ध है कि उक्त वचन भर्तृहरि का है वार्त्तिककार का नहीं है। मीमांसकों को भर्तृहरि के कथन में वार्त्तिककार का वचन होने का भ्रम हो गया था। यहाँ त्व-तल प्रत्यय भाव प्रत्ययमात्र के उपलक्षण हैं। भर्तृहरि ने महाभाष्य टीका में सभी प्रत्ययों का अर्थ निरूपण किया है।

अयमर्थः—समासादौ शक्तिः कल्प्यमाना राजादिसम्बन्धविशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तम्। तथा च तदुत्तरभावप्रत्ययः सम्बन्धं वदतीत्यर्थः। एतदपि भेदः, संसर्गः, उभयं वेत्युक्तेषु पक्षेषु भेदपक्षे न संभवतीत्यत आह—मतभेदेति। पक्षभेदेनेत्यर्थः।

एवं च राजपुरुषत्वमौपगवत्वं पक्तृत्वमित्यादौ स्वस्वामिभावसम्बन्धः, अपत्यापत्यवत्संबन्धः, क्रियाकारकभावसंबन्ध इत्यन्वयबोधः। औपगवादावव्यभिचरितसम्बन्धे त्वर्थान्तरवृत्तिस्तद्धित उदाहार्यः।

सावित्री

आशय यह है कि 'राजपुरुषः' इत्यादि समास की 'राजसम्बन्धवान् पुरुषः' ऐसे अर्थ में अतिरिक्त शक्ति है—यह बात समास शक्ति निरूपण के अवसर पर "समासे खलु भिन्नैव शक्तिः" इत्यादि कारिका के द्वारा कहा गया है। राजपुरुषत्वम, औपगत्वम्. पक्तृत्वम्—इत्यादि में उत्तरवर्त्ती त्वादिप्रत्यय, स्वस्वामिभावसम्बन्ध, अपत्यापत्यत्सम्बन्ध क्रियाकारकभाव सम्बन्ध को क्रमशः कहता है। यह सम्बन्ध कहीं भेदरूप, कहीं संसर्ग और कहीं उभय (भेद और संसर्ग) रूप होता है। समासशक्तिप्रकरण में कहा गया है—
भेदः संसर्ग उभयं वेति वाच्यव्यवस्थितेः।

अर्थात् समासवृत्ति का वाच्य कहीं भेद होता है, कहीं संसर्ग होता है और कहीं उभय (भेद और संसर्ग) होते हैं। उसमें भेद पक्ष में त्वप्रत्यय के द्वारा सम्बन्ध का कथन सम्भव नहीं है क्योंकि उस पक्ष में 'राजपुरुषः' का 'अराजकीयभिन्नः पुरुषः' ऐसा अर्थ बोध होता है वहाँ पुरुष अंश में राजसम्बन्ध का भाव नहीं होता है। भेद अभाव स्वरूप है और उसी का भान होता है। इसलिये भेद पक्ष में त्वप्रत्यय का भेद (अभाव) अर्थ होता है।

भेद-संसर्ग—आदि पक्षों को ध्यान में रखकर कारिका में कहा गया है—मतभेद निबन्धनम्। यहाँ मतभेद का आशय पक्ष भेद से है।

इस प्रकार समास आदि वृत्तियों में पक्ष भेद से संसर्ग को वाच्य मानने से राजपुरुषत्वम्, औपगवत्वम् पक्तृत्वम्—इत्यादि में क्रमशः स्वस्वभिभाव, अपत्यपात्यवत्, क्रियाकारकभाव—आदि सम्बन्ध से अन्वय बोध होता है।

'औपगवस्य भाव औपगत्वम्' इस अर्थ में 'औपगव' शब्द से तस्य भावस्त्वतलौ' (५।१।११९) इस सूत्र से भाव में 'त्व' प्रत्यय होता है। सिद्धान्तकौमुदीकारने लिखा है—'प्रकृत्तिजन्यबोधे प्रकारीभूतो भावः' इससे यह स्पष्ट होता है कि त्वतलादिप्रत्यय का जो

'दामोदरत्वम्' 'कृष्णसर्पत्वम्' इत्यादौ जातिविशेषबोधादाह--अन्यत्रेति। रूढेरभिन्नरूपादव्यभिचरितसम्बन्धेभ्यश्चान्यत्रेत्यर्थः। रूढिरुक्ता। द्वितीयं यथा शुक्लत्वम्। अत्र 'तदस्यास्त्यस्मिन्' (५।२।९४) इति मतुपः 'गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः' इति लुप्तत्वात् तद्धितान्तत्वेऽपि 'घटः शुक्लः' इत्यभेदप्रत्ययाद् गुणस्यैव प्रकारत्वेन भानं जायते।

सावित्री

प्रकृतिभूत शब्द, तादृशशब्दजन्य जो बोध, उस बोध में प्रकारतया=विशेषणतया, प्रतीयमान जो अर्थ, वही भाव प्रत्यय का अर्थ है। यहाँ 'उपगु' शब्द से अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम्' (४।१।९२ से अण् प्रत्यय हुआ है। 'उपगु' जनक है अपत्य जन्य है। दोनों में जन्य-जनक भाव सम्बन्ध है। इसी को अपत्यापत्यवत् सम्बन्ध कहते हैं। वह अव्यभिचरित सम्बन्ध होता है। जैसे सत् और सत्ता का सम्बन्ध कभी व्यभिचरित नहीं होता है वैसे ही अपत्य और अपत्यवान् का भी सम्बन्ध कभी व्यभिचरित नहीं होता है।

'औपगव' के सम्बन्ध में यह अरुचि है कि यहाँ 'तस्यापत्यम्' (पा० सू०।४।१।९२) इस सूत्र से षष्ठीप्रकृत्यर्थ 'उपगु' इत्यादि के सम्बन्धी अपत्य अर्थ में अण्-आदि प्रत्यय का विधान किया जाता है। वहाँ षष्ठ्यर्थ सम्बन्ध अणादि प्रत्यय के प्रकृत्यर्थ में ही अन्तर्भूत रहता है। इससे अपत्य अंश में सम्बन्ध ही प्रकारतया स्थित रहता है। वही सम्बन्ध 'औपगव' के उत्तरवर्त्ती 'त्व' प्रत्यय का वाच्य नहीं हो सकता है, अतः वहाँ 'त्व' प्रत्यय का जाति अर्थ है। 'औपगवत्वम्' का 'उपगुसम्बन्धी-अपत्यत्वम्' अर्थ है इसलिये ग्रन्थकार ने कहा है—औपगवादावव्यभिचरितसम्बन्धे तु अर्थान्तरवृत्तिस्तद्धित उदाहार्यः।

अर्थात् अव्यभिचरितसम्बन्ध में अर्थान्तरवृत्ति=अपत्यार्थ से भिन्न दीव्यति इत्यादि कर्मों में शक्त, तद्धितप्रत्यय का उदाहरण देना चाहिये। जैसे—'अक्ष' शब्द से दीव्यति अर्थ में ठक् प्रत्यय और उस 'ठ' के स्थान में इकादेश करने पर 'आक्षिकः' निष्पन्न होता है। उससे 'अक्षिकरणकदेवनक्रियावान्' ऐसा अर्थबोध होता है। यहाँ 'देवनक्रिया' का क्रियाकारकभावसम्बन्ध से ठगर्थकर्त्ता में प्रकारतया भान होता है। अतः 'आक्षिकत्वम्' में वही देवनक्रिया त्व प्रत्यय का अर्थ है।

"कृत्तद्धित-समासेभ्यः सम्बन्धाभिधानम् भावप्रत्ययेन" इस नियम के अनुसार 'दामोदरत्वम्' इत्यादि समास के उत्तर विधीयमान 'त्व' प्रत्यय के द्वारा सम्बन्ध का कथन होना चाहिये—इस आशंका का विवरण करते हुये ग्रन्थकार ने कहा है—दामोदरत्वम् कृष्णसर्पत्वम्—इत्यादौ जातिविशेषबोधादाह—अन्यत्रेति। आशय यह है कि 'दामोदरत्वम्' इत्यादि में 'त्व' प्रत्यय के द्वारा जातिविशेष का बोध होता है। यहाँ 'दामोदर' पद

तृतीयम्—सतो भावः सत्तेति। अत्र जातावेव प्रत्यय इति दिक् ॥४९॥

दण्डीत्यादौ प्रकृत्यर्थविशिष्टद्रव्यमात्रवाचकता तद्धितस्येति वदन्तं मीमांसकमन्यं प्रत्याह—

अत्रार्धजरतीयं स्याद् दर्शनान्तरगामिनाम्।
सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं त्वादिषु तच्छृणु ॥५०॥

सावित्री

नारायण परक होने से जाति का बोध होना सङ्गत नहीं है. तथापि कल्पभेद से नारायण का भेद लेकर व्यक्तिपरक होते हुये भी अवस्था भेद से अनेक व्यक्तिनिष्ठ जातित्व का उपपादन किया जा सकता है। 'कृष्णसर्पत्व' भी एक जाति विशेष है। इसलिये कहा गया है कि रूढि, अभिन्नरूप अव्यभिचरित सम्बन्ध से अन्यत्र "त्व' प्रत्यय के' द्वारा सम्बन्ध का कथन होता है। इससे सिद्ध होता है कि रूढि आदि में 'त्व' प्रत्यय के द्वारा सम्बन्ध कथन का नियम नहीं है। उदाहरण के लिये—दामोदरत्वम्, कृष्णसर्पत्वम्—इत्यादि में जाति अर्थ में 'त्व' प्रत्यय का विधान किया गया है। द्वितीय—अभिन्नरूप का उदाहरण है—शुक्लत्वम्। यहाँ 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप' इस सूत्र से विहित मतुप् का 'गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः' इस वार्त्तिक से लुक् कर देने पर गुण और गुणी में अभिन्नरूप अर्थात् समानानुपूर्वीक शब्द रह जाता है। इसके तद्धितान्त होने पर भी 'शुक्लत्वम्' में प्रकारीभूत शुक्ल अर्थ में ही त्व' प्रत्यय होता है न कि गुण-गुणी के समवाय सम्बन्ध में 'घटः शुक्लः' में जैसे शुक्ल गुण की ही प्रतीति होती है। अव्यभिचरित सम्बन्ध का उदाहरण है – 'सतो भावः सत्ता' यहाँ जाति के ही अर्थ में प्रत्यय हुआ है। सद्वस्तु और सत्ता सम्बन्ध कभी भी व्यभिचरित नहीं होते हैं। 'अस्' धातु से 'शतृ' प्रत्यय के द्वारा 'सत्' शब्द निष्पन्न होता है उसका 'सत्तावान्' ऐसा अर्थबोध होता है। यहाँ शतृप्रत्ययार्थ कर्त्ता में सत्ता का प्रकारतया भान होता है। इसलिये उसके उत्तर विधीयमान प्रत्यय के द्वारा भी 'सत्ता' अर्थात् जाति का ही अभिधान होता है ॥१॥४९॥

मीमांसक लोग 'दण्डी' इत्यादि में 'इन्' इस तद्धित प्रत्यय को 'दण्ड' आदि रूप प्रकृत्यर्थ विशिष्ट द्रव्यमात्र (पुरुष या देश आदि रूप) का वाचक मानते हैं द्रव्य और दण्ड के सम्बन्ध का वाचक नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों के प्रति कहा है—'अत्रार्द्धजरतीयं स्याद् दर्शनान्तरगामिनाम्, इत्यादि। दर्शनान्तरगामिनाम् = मीमांसकानाम् अर्थात् मीमांसकों का किसी भावप्रत्यय को सम्बन्ध का वाचक मानना तथा किसी को उससे भिन्न अर्थ का

अत्र—भावप्रत्ययविषये । तथा हि—दामोदरत्वम्, घटत्वमित्यादौ भावप्रत्ययस्य सम्बन्धानभिधायकत्वेन मीमांसकानां दण्डित्वमित्यादिष्वपि तदभिधानं न स्यात् । प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः प्रकृत्यर्थसमवेतो हि तदुत्तरभावप्रत्ययेनाभिधीयते । अन्यथा घटत्वमित्यत्र द्रव्यत्वादेः दण्डित्वमित्यादौ दण्डादेश्च तदुत्तरभावप्रत्ययवाच्यताऽऽपत्तेः । न च तन्मते दण्डीत्यादिबोधे सम्बन्धः प्रकारः ।

सावित्री

वाचक मानना 'अर्द्धजरतीय' नामक दोष होगा । वस्तुतः भाव प्रत्यय को सम्बन्ध तथा सम्बन्ध से भिन्न जाति आदि का वाचक मानना—दोनों पक्ष वैयाकरण सिद्धान्त में मान्य हैं इसे सुनो ।

'अर्द्धजरतीयम्' की व्युत्पत्ति है='जरत्या अर्धमर्धजरती' । यहाँ अर्धं नपुंसकम्' सूत्र से समास हुआ है । अर्द्धजरतीसदृशम्=अर्धजरतीयम् । 'समासाच्च तद्विषयात्' इस सूत्र से 'छ' प्रत्यय हुआ है । जैसे—कामिजनों का जरती के अर्ध भाग को विषयवासना वश चाहना तथा मुखस्तन आदि अर्धभाग को सौन्दर्यरहित होने से न चाहना अनुचित है, वैसे ही दामोदर और दण्डी शब्दों में दोनों स्थान पर भाव प्रत्यय रहने पर 'दामोदरत्वम्' में जाति का वाचक मानना 'दण्डी' में सम्बन्ध का वाचक मानना अनुचित है ।

कारिका में प्रयुक्त अत्र पद का अर्थ है=भाव प्रत्यय के विषय में । भाव यह है कि जैसे दामोदरत्वम् घटत्वम्—इत्यादि में भाव प्रत्यय के द्वारा सम्बन्ध का कथन नहीं होता है वैसे ही 'दण्डित्वम्' में भी मीमांसकों के अनुसार सम्बन्ध का कथन नहीं हो सकेगा । प्रकृतिजन्यबोध में जो प्रकार रहता है वही प्रकृत्यर्थ से समवेत होकर प्रकृति के उत्तरवर्ती-भाव-प्रत्यय द्वारा अभिहित होता है । इस प्रकार भाव-पदार्थ को परिष्कृत कर सकते हैं—त्वतलादिप्रत्यय प्रकृतिजन्यबोधीयप्रकारतावत्त्वे सति प्रकृत्यर्थसमवेतपदार्थत्वं भावत्वम् ।

भावपदार्थ के परिष्कार में विशेषण-विशेष्य उभय दल का निवेश न कर किसी एकतर का ही निवेश करें । यदि पूर्वपरिष्कार में 'सत्यन्तविशेषण' छोड़कर 'प्रकृत्यर्थसमवेतत्वं भावत्वम्' इतना ही लक्षण किया जाय तो 'घट' में द्रव्यत्व के समवाय सम्बन्ध से रहने के ही अभिधान की आपत्ति होगी तथा 'दण्डित्वम्' इत्यादि के 'त्व' प्रत्यय द्वारा 'दण्ड' आदि के कथन की आपत्ति होगी ।

यत्तु,

यदा स्वसमवेतोऽत्र वाच्यो नास्ति गुणोऽपरः ।
तदा गत्यन्तराभावात् सम्बन्धो वाच्य आश्रितः ॥

इति, तन्न, इनादेः सम्बन्धिवाचकत्वेनोपपत्तौ गत्यभावाभावात् । प्रपञ्चितश्चैतदादावेव वैयाकरणभूषणे ।

ननु तवापीदं वैषम्यं कथमित्यत आह—सिद्धान्ते त्विति । 'जायन्ते' इति वक्ष्यमाणविशेषणेऽन्वितम् । सिद्धान्ते प्रकृति-जन्यबोधे प्रकारे त्वादयो जायन्त इत्यर्थः । प्रकृतिजन्यबोधे प्रकार इत्यत्र पक्षद्वयं स्थितमिति योजना ॥५०॥

सावित्री

यदि यह कहें कि दण्डि' पद से 'दण्डनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतावान्' ऐसा शाब्दबोध होता है, इसमें दण्ड और दण्डी के सम्बन्ध का भी भान होता है। वहाँ प्रकारत्वेन सम्बन्ध का अभिधान स्वतः सिद्ध है—इस आशंका के उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है—न च तन्मते दण्डीत्यादि—बोधे सम्बन्धः प्रकारः। अर्थात् मीमांसक के मत में दण्ड और दण्डी के सम्बन्ध का भान संसर्गमर्यादा से होता है न कि सम्बन्ध अंश में शक्ति की कल्पना की जाती है, किन्तु 'दण्ड' अर्थ में 'दण्डी' पद की शक्ति है. आश्रय अर्थ में 'त्व' प्रत्यय की शक्ति है। 'दण्डी' पद से 'दण्डप्रकारक-पुरुष-विशेष्यक' ऐसा अर्थ बोध होता है। इस प्रकार 'दण्डि' पद जन्य शाब्दबोध में सम्बन्ध का भान ही नही होता है तब उसमें प्रकारता के भान का प्रश्न ही नहीं है।

यदा=जब, अत्र='दण्डित्वम्' इत्यादि में स्वसमवेतः=प्रकृत्यर्थसमवेत, अपरः=सम्बन्ध से भिन्न गुण, वाच्य=प्रकृति जन्यबोध में प्रकार, त्वादिप्रत्यय का वाच्य नहीं है तदा=तब, गत्यन्तराभावात्=उपायान्तर के अभाव से सम्बन्ध के वाच्य होने का आश्रयण करते हैं।

अर्थात् जब 'दण्डित्वम्' इत्यादि में प्रकृत्यर्थ में समवाय सम्बन्ध से विद्यमान सम्बन्ध से भिन्न गुण वाच्य नहीं होता है तो उपायान्तर के अभाव से प्रकृत्यर्थ में अप्रकार भी संयोगादि सम्बन्ध 'त्व' प्रत्यय का वाच्य होता है—ऐसा आश्रयण करना चाहिये।

इस प्रकार का मीमांसकों का मत युक्त नहीं है क्योंकि 'दण्डी' इत्यादि में इन् आदि तद्धित प्रत्यय के सम्बन्ध प्रकारक सम्बन्धिविशेष्यक बोध का जनक होने के कारण त्वादि प्रत्यय की सम्बन्ध-वाचकता उपपन्न हो जायगी। यह बात 'वैयाकरणभूषण' के 'वैश्वदेवी' इत्यादि तद्धित प्रत्ययों के प्रकरण के आदि में ही विस्तार से कही गई है।

तौ पक्षावाह—

प्रयोगोपाधिमाश्रित्य प्रकृत्यर्थप्रकारताम् ।
धर्म-मात्रं वाच्यमिति यद्वा शब्दपरा अमी ॥३॥५१॥
जायन्ते तज्जन्यबोधप्रकारे भावसंज्ञिते ।

प्रयोगे उपाधिर्निमित्तं प्रकृत्यर्थप्रकारताम् = प्रकारतया भासमानं धर्मं वाच्यतया आश्रित्य त्वादयो जायन्ते । प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारस्त्वाद्यर्थं इति यावत् ।

सावित्री

इस पर मीमांसकों का वैयाकरणों के प्रति आक्षेप है कि आप (वैयाकरण) के मत में भी यह वैषम्य है कि कहीं पर आप त्वादि प्रत्यय को जाति का वाचक मानते हैं और कहीं पर सम्बन्ध का वाचक मानते हैं। इसके उत्तर में कारिका में कहा गया है—सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं त्वादिषु तच्छृणु ।

अभिप्राय यह है कि 'तस्य भावस्त्वतलौ' इस सूत्र से भाव में त्वतलादि प्रत्यय का विधान किया जाता है। भावपदार्थ क्या है ? इसकी जिज्ञासा में कहा गया है—प्रकृतिजन्यबोधे यः प्रकारः सः । प्रकृतिजन्यबोध में प्रकार क्या है, इसके उत्तर में कहा है—तत्र पक्षद्वयमुक्तम् । उसके अनुसार भाव प्रत्यय का निश्चय कर तत्तद् अर्थों में त्वतलादिप्रत्ययों का विधान होना चाहिये ॥२१।५०॥

पूर्वनिर्दिष्ट दोनों पक्षों का स्वरूप प्रस्तुत करते हुये कहते हैं—प्रयोगे = तत्तद् शब्दों का अर्थ बोधन करने हेतु उच्चारण करने में, प्रकृत्यर्थप्रकारताम् = त्वादिप्रत्यय की जो प्रकृति, तज्जन्यबोध में प्रकारतया भासमान जो धर्म अर्थात् अर्थगत जिस धर्म को देखकर त्वादिप्रकृति का प्रयोग होता है उस धर्म को वाच्य मानकर त्वादि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे—'घट' शब्द जाति को लेकर अर्थबोध के लिये प्रवृत्त होता है, इसलिये 'घटत्वम्' में त्व प्रत्यय का जाति अर्थ है। 'शुक्ल' शब्द यदि गुण को लेकर अर्थ बोध के लिये प्रवृत्त होता है तो त्व प्रत्यय का अर्थ गुण होता है। इसी प्रकार अणु-महद्-दीर्घादि में त्व प्रत्यय का अर्थ गुण तथा 'पाचक' इत्यादि से विहित त्वतलादि प्रत्यय का क्रिया अर्थ है। संक्षेप में प्रकृतिजन्यबोध में जो प्रकार रहता है वही त्व-तल-आदि प्रत्ययों का अर्थ होता है।

अब आगे यह शंका होती है कि यदि प्रकृत्यर्थ में प्रकारक त्व प्रत्यय का अर्थ मान लिया जाय तो जैसे—'घटस्य भावः घटत्वम्' में प्रकृत्यर्थ में प्रकारभूत 'घटत्व' त्व प्रत्यय का

ननु 'घटत्वम्' इत्यत्र प्रकारत्वात् तदुत्तरभावप्रत्ययेन घटत्वत्वस्यापि वाच्यता स्यादित्यत्रेष्टापत्तिमाह- —धर्ममात्रमिति। न त्वत्र लघुगुरुविचार इत्यभिप्रायः। तत्तद्व्यक्तिविशिष्टब्रह्मसत्ताया एव घटत्वघटत्वत्वादिरूपत्वात्।

सम्बन्धिभेदात् सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु।
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः।
तां प्रातिपदिकार्थञ्च धात्वर्थञ्च प्रचक्षते।
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः।

इति वाक्यपदीयात्। उक्तञ्च "तस्य भावस्त्वतलौ"

सावित्री

अर्थ होता है वैसे ही 'घटत्वस्य भावः घटत्वत्वम्' में प्रकृतिजन्य बोध में प्रकारतया भासमान घटत्वत्व' भी त्व प्रत्यय का अर्थ होगा—इसके उत्तर में कहा है—इष्टापत्तिमाह। अर्थात् ऐसी सभावना अभीष्ट है। अत एव गोत्व-गोत्वत्व-आदि धर्म मात्र का ग्रहण करना चाहिये जिससे जाति, गुण, क्रिया आदि सभी शक्यतावच्छेदक धर्मों का बोध त्व प्रत्यय के द्वारा होता है। वह शक्यतावच्छेदक धर्म लघु हो या गुरु हो—इसका विचार नहीं किया जाता है।

जैसे रज्जू में सर्प का आरोप होता है वैसे ही ब्रह्म में सम्पूर्ण जगत का आरोप होने से 'ब्रह्म' की ह सत्ता सर्वत्र प्रकाशित होती है। वह ब्रह्मसत्ता गो, घट आदि तत्तद् व्यक्तिविशेष से परिच्छिन्न होकर गोत्व, घटत्व, गोत्वत्व, घटत्वत्व रूप से व्यवहार का विषय बनती है।

सम्बन्धिभेदात्=व्यक्तिभेद से, गवादिषु=गो, महिषी, मानव, घट, पट-आदि में, भिद्यमाना=व्यक्तिरूप उपाधि से पृथक्त्वेन प्रतीयमान, सत्ता ही जाति कहलाती है. तस्याम्=उस ब्रह्मसत्ता में सभी शब्द व्यवस्थित रहते हैं। तत्तद् व्यक्ति में विद्यमान ब्रह्मरूप सत्ता को प्रातिपदिकार्थत्व, धात्वर्थत्व-कहते हैं। वह ब्रह्मसत्ता नित्य है, महान् आत्मा है, उसी जातिरूप ब्रह्मसत्ता को त्व-तल-आदि प्रत्यय कहते हैं—ऐसा वाक्यपदीयकार ने कहा है। 'तस्य भावस्त्वतलौ' (५।१।११९) इस सूत्र पर वार्तिककार ने कहा है—यस्य गुणस्य भावाद् द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने त्वतलौ इति। अर्थात् जिस गुण=अप्रधानीभूत जात्यादि के रहने से द्रव्य=विशेष्य, के अर्थ को कहने के लिये शब्द की प्रवृत्ति

(५।१।११९) इति सूत्रे वार्त्तिककारैः—यस्य गुणस्य भावाद् द्रव्ये शब्दनिवेशस्तदभिधाने त्वतलौ इति ।

यस्य गुणस्य=विशेषणतया भासमानस्य भावात्=आश्रयत्वात् द्रव्ये=विशेष्ये, शब्दनिवेशः=शब्दप्रवृत्तिः, तस्मिन् वाच्ये त्वतलावित्यर्थः । तथा च रूपादिशब्देभ्यो जातौ, शुक्लाणुदीर्घमहदादिभ्यो गुणे, पाचकादिशब्देभ्यः क्रियायाम्, घटादिशब्देभ्यो जातौ प्रत्ययः, रूपादिशब्दानां जातिप्रकारकबोधजनकत्वात् । पाचकादिशब्दानां क्रियाकारकबोधजनकत्वे तस्यां प्रत्ययः ।

'संसर्गप्रकारकबोधजनकत्वम्' इति मते च संसर्ग इति व्यवस्था

सावित्री

होती है उसी विशेषणीभूत जाति आदि अर्थ का अभिधान त्व-तलादि प्रत्यय के द्वारा होता है ।

यहाँ गुण शब्द रूप-रस आदि परक नहीं है अपि तु अप्रधान या विशेषण परक है 'द्रव्य' का विशेष्य अर्थ है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस जाति या विशेषण के रहने से विशेष्यभूत अर्थ के बोधन हेतु शब्द का प्रयोग होता है उस विशेषणीभूत जाति-आदि अर्थ के वाच्य रहने पर त्व-तल आदि प्रत्यय होते हैं । कैसे शब्द से कैसे अर्थ में त्वादि भाव प्रत्यय होते हैं यह बताने के लिये कहा है—तथा चेत्यादि । रूप आदि शब्द से जाति अर्थ में, शुक्ल-अणु दीर्घ-महत-आदि शब्द से गुण अर्थ में और पाचक आदि शब्द से क्रिया अर्थ में भाव प्रत्यय होते हैं । यतः रूप आदि शब्द जाति प्रकारक बोध जनक हैं अतः घट आदि शब्द से जाति अर्थ का बोध होता है । 'पाचकः' का पाकक्रियाश्रय' अर्थ होता है । इससे यह क्रियाकारकबोध का जनक है । अत एव इससे क्रिया अर्थ में भाव प्रत्यय होता है । जहाँ पाचकः' से "पाकक्रियासम्बन्धवान् देवदत्त आदि" ऐसा संसर्ग प्रकारक बोध होता है वहाँ संसर्गप्रकारकबोध का अनुभव होने से सम्बन्ध अर्थ में भाव प्रत्यय का विधान किया जा सकता है ।

प्रधानतया जात्यादि वाचक घटत्व आदि शब्दों में व्यक्ति ही शक्यतावच्छेदक होते हैं । तादृश जाति का शक्यतावच्छेदक 'घटत्वत्व' नहीं होगा किन्तु त्वादि प्रत्यय की प्रकृति से वाच्य व्यक्ति ही शक्यतावच्छेदक होते हैं ।

'घटत्वम्' के प्रकृत्यर्थ में प्रकारीभूत धर्म घटत्व' होता है । इसलिये कहा है—घटत्वमित्यत्र घटवृत्तिरसाधारणधर्म रूप से बोध होता है न कि जात्यादि रूप से

सूपपादेति भावः। तत्र जातिवाचकानां व्यक्तय एव शक्यतावच्छेदिकाः। तथा च 'घटत्वम्' इत्यत्र 'घटवृत्तिरसाधारणो धर्मः' इति बोध इत्यादि द्रष्टव्यम्।

पक्षान्तरमाह—यद्वेति। "यद्वा सर्वे भावाः स्वेनार्थेन भवन्ति स तेषां भावः" इति वार्त्तिकोक्तेः। यद्वाशब्दस्तत्सूचनप्रयोजनकोऽपि। भवन्ति वाचकत्वेन प्रवर्तन्त इति भावाः शब्दाः स्वेन स्वरूपेणार्थेन भवन्ति = प्रवर्त्तन्ते।

अतः स तेषां भावः = प्रवृत्तिनिमित्तमित्यर्थः। अयं भावः = अर्थवच्छब्दोऽपि द्रव्ये प्रकारः। हरिहरनलेक्ष्वाकुयुधिष्ठिरवशिष्ठादिशब्देभ्यस्तद्वाच्यः कश्चिदासीदिति शब्दप्रकारकबोधस्य सर्वसिद्धत्वात्, अन्यथा वनौषधिवर्गादेर्नागरिकान् प्रत्यबोधकत्वापत्तेश्च। एवमेवा-

---

सावित्री

कारिका के अन्तिम चरण में कहा गया है—यद्वा शब्दपरा अमी। यहाँ 'यद्वा' शब्द के द्वारा पक्षान्तर प्रस्तुत किया गया है। इसका अभिप्राय है कि एक मत में भाव प्रत्यय के द्वारा तत्तद् शब्द ही वाच्य है। 'तस्य भावस्त्वतलौ' इस सूत्र पर वार्त्तिककार ने कहा है—"यद्वा सर्वे भावाः स्वेनार्थेन भवन्ति, स तेषां भावः।"

कारिकाकार ने 'यद्वा' शब्द घटित वार्त्तिक का स्मरण कराने के लिये कारिका में 'यद्वा शब्दपरा अमी' ऐसा कहा है। भवन्ति का अर्थ है=वाचक रूप से प्रवृत्त होते हैं। यहाँ 'भाव' का अर्थ शब्द है। 'स्वेन रूपेण' यहाँ पर स्वशब्द आत्मीय वाची है। शब्द का आत्मीय अपना स्वरूप ही होता है।

इसका आशय यह है कि सभी शब्द अपने वाच्य अर्थों का वाचक होकर प्रवृत्त होते हैं। इसलिये सः=शब्दस्वरूपात्मकोऽर्थः, तेषाम्=शब्दानाम्, भावः=प्रवृत्तिनिमित्ताम्। अर्थबोधन के लिये ही शब्दप्रयोग होता है, इसलिये शब्दप्रयोग में अर्थ की कारणता विवक्षित होती है और इसी कारण से 'स्वेन अर्थेन' में करण अर्थ में तृतीया विभक्ति हुई है। इस प्रकार जात्यादि की भाँति शब्द की प्रवृत्ति में कारण होने से शब्द भी प्रवृत्तिनिमित्त है। इसलिये शब्द भी त्व प्रत्यय का अर्थ होता है।

प्रसिद्धार्थकपदेष्वनुभवः सर्वसिद्धः; न तु घटादिपदेष्विव तत्तज्जात्यादिरूपेण। तथा चोभयमवच्छेदकम्। यस्य तथाशक्तिग्रहस्तस्य जात्यादिरूपेणैवोपस्थितिः।

पदप्रकारकः शक्तिग्रहस्तु विशिष्य नापेक्षितः। किन्तु 'इदं पदं कचिच्छक्तम्, साधुपदत्वात्, इत्यादिरूप एवापेक्ष्यते इति विशिष्या

सावित्री

जैसे घटः, शुक्लः, पाचकः—इत्यादि में जाति-गुण-क्रिया इत्यादि की घट आदि द्रव्यनिरूपित प्रकारता सर्वानुभव सिद्ध है वैसे शब्द की भी द्रव्य आदि निरूपित प्रकारता सिद्ध करने के लिये कहा है—अर्थवच्छब्दोऽपि। अर्थात् जैसे जाति आदि अर्थ की द्रव्य-निरूपित विशेषणता प्रसिद्ध है वैसे ही शब्द भी द्रव्य के प्रति विशेषण होता है। उदाहरण के रूप में कहा है—हरिहर, नल, इक्ष्वाकु, युधिष्ठिर, वशिष्ठ आदि के द्वारा तत्तद् शब्द वाच्य कोई था—ऐसा शब्द प्रकारक बोध सर्वसिद्ध है। अन्यथा यदि अर्थांश में शब्द प्रकारक बोध नहीं मानते हैं तो वनौषधियों का ज्ञान नागरिकों के लिये सम्भव नहीं है। वनौषधियों का ज्ञान वनवासियों को ही रहता है, तत्तद् औषधियों के बोधक शब्दों का ज्ञान रहता है। यदि द्रव्य ज्ञान में शब्द को प्रकार नहीं मानेंगे तो वनौषधियों से अनभिज्ञ नागरिकों को वनौषधियों का ज्ञान न हो सकेगा। यहाँ नागरिक शब्द विशेष रूप से अनभिज्ञपरक है। इसलिये यदि किसी नागरिक को विशेषज्ञान हो तो भी कोई दोष न होगा।

इसी प्रकार अप्रसिद्धार्थक पदों में भी पद-प्रकारक अनुभव सर्वसिद्ध है न कि घट आदि की भाँति तत्तद् जातिप्रकारक-बोध होता है। शब्दप्रकारक-बोध मानने के फलस्वरूप जात्यादि और शब्द दोनों शक्यतावच्छेदक होंगे।

इसी प्रकार प्रसिद्ध पदार्थों में जिस पुरुष को घटपटत्वादि जात्यादि विशेष रूप से शक्तिग्रह होगा उसको उसी प्रकार घटत्वादि जाति-विशेष रूप से उपस्थिति होगी।

अप्रसिद्धार्थक स्थल में सामान्य रूप से मात्रपदप्रकारक बोध होता है वहाँ घटपटादि रूप विशेष्य अपेक्षित नहीं होता है किन्तु 'एतत् पदवाच्यः कश्चिदर्थः' इस प्रकार से एतद् पद वाच्यत्वरूप से अपेक्षित होता है। इसलिये नलत्वादि विशेष रूप से अगृहीत शक्ति वालों को नल आदि शब्द से पद-प्रकारक ही बोध होता है। इसलिये जाति के

गृहीतशक्तिकेभ्यस्तथैव बोधः। तथा च 'शब्दोऽपि त्वप्रत्यार्थः' इति प्रपञ्चितं भूषणे ॥५१॥

॥ इति वैयाकरणभूषणसारे भावप्रत्ययार्थनिर्णयः ॥९॥

सावित्री

अतिरिक्त शब्द भी त्वप्रत्यय का अर्थ है—ऐसा 'वैयाकरण भूषण' में विचार किया गया है।

इस प्रकार वैयाकरणभूषणसार के 'भावप्रत्ययार्थनिर्णयः' की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥९॥५१॥

त्यागी इन्द्रपाल देवताद्वि

अथ देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः

'साऽस्य देवता' (४।२।२४) इत्यत्र देवताविशिष्टं देयं प्रत्ययार्थः। 'ऐन्द्री' 'वैश्वदेवी' इत्यादौ इन्द्रादेर्देवतात्वोपस्थापकान्तराभावात्, तेन रूपेणोपस्थितये शक्तिकल्पनाऽऽवश्यकत्वात्।

सावित्री

यहाँ एक विचार आता है कि प्रथम वर्णित अपत्यार्थक तद्धित की उपेक्षा कर देवतार्थकतद्धित का अर्थनिर्णय करने में क्या हेतु है? इसके उत्तर में यह कहना है कि 'तस्यापत्यम्' में अपत्यरूप प्रत्ययार्थ एक ही है, उस अपत्यरूप प्रत्ययार्थ में प्रकृत्यर्थ का जन्यजनकभावरूप भेद सम्बन्ध से विशेषणता सहज है, वहाँ कोई सन्देह नहीं होता है। इसलिये उसके अर्थ निर्णय की अपेक्षा नहीं होती है किन्तु देवतार्थक तद्धित में अनेकपक्ष सम्भव है जिससे प्रत्ययार्थ की प्रधानता तथा प्रकृत्यर्थ की प्रकारता का निर्णय कठिन हो जाता है। अतः देवतार्थक तद्धित प्रत्ययों का अर्थ निर्णय करना आवश्यक है।

'साऽस्य देवता' इस सूत्र से विधीयमान अण् प्रत्यय का 'देवताविशिष्ट देय' अर्थ है। यहाँ 'देय' का 'हवि' इत्यादि द्रव्य अर्थ है। यह 'देय' पद मन्त्र का भी उपलक्षण है। 'इन्द्रो देवताऽस्य' इस अर्थ में 'इन्द्र' शब्द से 'अण्' का विधान कर 'ऐन्द्रम्' बनता है। 'इससे 'ऐन्द्रः मन्त्रः' 'ऐन्द्रो हविः' इत्यादि प्रयोग उपपन्न होता है। 'विश्वेदेवो देवता अस्य' इस अर्थ में 'विश्वेदेव' अण् और स्त्रीत्व की विवक्षा में 'ङीप्' कर 'वैश्वदेवी' रूप निष्पन्न होता है। यह भी मन्त्र या हवि के प्रति विशेषण रूप से प्रयुक्त होता है।

'ऐन्द्रम्' 'वैश्वदेवी' इत्यादि पदों में यद्यपि देवतात्व अव्यभिचरित है तथापि केवल 'इन्द्र' आदि पद से इन्द्रत्व रूप से उपस्थिति होती है न कि देवतात्व रूप से, क्योंकि देवतात्व रूप से इन्द्रादि का उपस्थापक इन्द्र आदि पद नहीं है। इसलिये देवतात्व रूप से इन्द्र आदि की उपस्थिति के लिये तद्धित प्रत्यय का देवता अंश में भी शक्ति की कल्पना आवश्यक है।

यतः तद्धित प्रत्यय देवताविशिष्ट द्रव्यार्थक होते हैं अतः 'वैश्वदेवी आमिक्षा' के 'वैश्वदेवी' में विहित तद्धित प्रत्यय देवता युक्त आमिक्षा रूप विशेष अर्थ को कहता है। यहाँ 'विश्वे देवा देवता अस्य' इस अर्थ में 'साऽस्य देवता' से अण् तथा 'टिड्ढाणञ्' सूत्र से ङीप् करके निष्पन्न होता है।

अत एव—

आमिक्षां देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः ।
आमिक्षापदसान्निध्यात् तस्यैव विषयार्पणम् ॥ इति ॥

केवलाद्देवतावाची तद्धितोऽग्नेः समुच्चरन् ।
नान्ययुक्तोऽग्निदैवत्यं प्रतिपादयितुं क्षमः ॥ इति च ॥

मीमांसकैः प्रयुक्तमित्याशयेनाह —

प्रत्ययार्थस्यैकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् ॥५२॥
अभेदश्चात्र संसर्ग आग्नेयादावियं स्थितिः ।
देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिरस्तु वा ॥५३॥

एकदेशे = देवतारूपे । तच्च विशेषणमभेदेनेत्याह—अभेदश्चेति ।

सावित्री

तस्यैव = तद्धितप्रत्ययस्यैव, विषयार्पणम् = आमिक्षा रूपो विषयविशेषः समर्प्यत इत्यर्थः । 'वैश्वदेवी आमिक्षा' इस प्रयोग में 'वैश्वदेवी' पद से उपात्त विशेष कौन है, इस जिज्ञासा के उत्तर में कहा है कि आमिक्षा पद के सन्निधान से आमिक्षा रूप विषय का ही समर्पण ज्ञात होता है। वहाँ विषय विशेष नियत नहीं है। नियत विशेष अर्थ का ज्ञान तद्धित प्रत्यय के द्वारा होता है। यहाँ 'आमिक्षा' पद के सन्निधान से अण् रूप तद्धित प्रत्यय आमिक्षा रूप विशेष अर्थ का प्रतिपादन करता है।

सोम आदि पद के सन्निधान से रहित केवल 'अग्नि' शब्द से विहित देवतावाची तद्धित प्रत्यय सोम आदि अन्य से युक्त अग्नि देवता को उद्देश्य करके जो देय, उसका प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अभिप्राय यह है कि एक वाक्य है—

'आग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावस्यायाम्'। अर्थात् अमावास्या तिथि में अष्टकपाल रूप पात्र विशेष में संस्कृत पुरोडाश 'अग्नि' देवता के लिये होता है।

देवतार्थकतद्धित प्रत्यय का 'देवताविशिष्ट देय' अर्थ है—यह मीमांसकों को अभिप्रेत है। इसीलिये 'देवताविशिष्ट देय' रूप तद्धित प्रत्ययार्थ के 'अग्नि आदि देवता रूप एकदेश में 'अग्नि आदि प्रकृत्यर्थ विशेषण होता है। वह विशेषण किस सम्बन्ध से रहता है? इसके उत्तर में कहा है—अभेदश्चात्र संसर्गः। इसका अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रकृत्यर्थ अभेद सम्बन्ध से विशेषण होता है। 'आग्नेय' आदि पदों में यही स्थिति रहती है। इसलिये 'आग्नेय' पद का 'अग्न्यभिन्न देवता कदेय' ऐसा अर्थ बोध होता है।

ननु देवतायाः प्रत्ययार्थस्यैकदेशत्वान्न प्रकृत्यर्थस्य तत्राभेदेनाप्यन्वय इत्याशयेनाह—देवतायामिति। तथा च पदार्थैकदेशतैव नास्तीति भावः ॥५३॥

नन्वग्न्यादिदेवस्य प्रकृत्यैव लाभान्न तत्र शक्तिः कल्प्या। न च देवतात्वेन रूपेणोपस्थितये सा कल्प्यते, प्रकृतेर्लक्षणयैव तथोपस्थिति-सम्भवात्। उपसर्गाणां द्योतकत्वनये 'प्रजयति' इत्यत्र प्रकृष्टजयप्रत्यय-वदित्यभिप्रेत्याह—

सावित्री

अब यहाँ शंका होती है कि अग्नि आदि देवता विशिष्टदेय' रूप प्रत्ययार्थ के 'अग्नि' आदि देवता रूप एकदेश में 'अग्नि' रूप प्रकृत्यर्थ का अभेद सम्बन्ध से अन्वय नहीं होगा, क्योंकि नियम है—पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। इसके उत्तर में कारिका में कहा गया है—

देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिरस्तु वा।

इसका आशय यह है कि देवता और देय वस्तु में तद्धित प्रत्यय की खण्डशः (पृथक् २) दो शक्तियाँ हैं। जैसे—एकवृन्तगत दो फल रहते हैं। इससे देवता के पदार्थैकदेश होने की भी शंका नहीं होती है ॥१॥५२॥

अब यह सन्देह होता है कि 'अग्नि' आदि देवता अथ का 'अग्नि' आदि प्रकृति से ही लाभ हो सकता है। इसलिये उस अर्थ में तद्धितप्रत्यय की शक्तिकल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि अग्नि आदि का देवतात्व कभी व्यभिचरित नहीं होता है।

यदि यह कहें कि प्रकृतिभूत 'अग्नि' शब्द से अग्नित्व रूप से देवतात्व की उपस्थिति होती है देवतात्व रूप से उपस्थिति नहीं होती है। इसलिये देवता रूप से अग्नि की उपस्थिति के लिये देवता अर्थ में तद्धित प्रत्यय के शक्ति की कल्पना आवश्यक है। इसके उत्तर में कहना है कि ऐसी उपस्थिति तो अग्नि आदि प्रकृति की अग्नि आदि देवता अर्थ में लक्षणा द्वारा ही संभव है।

जैसे उपसर्गों के द्योतकत्व पक्ष में 'प्रजयति' यहाँ पर 'जि' धातु से लक्षणा द्वारा प्रकृष्टजय अर्थ की प्रतीति होती है वैसे 'अग्नि' रूप प्रकृति की लक्षणा द्वारा 'अग्निदेवता' अर्थ का भान हो सकता है। इसलिये तद्धित प्रत्यय का देवता अर्थ में शक्ति कल्पना क्यों की जाय? इसके उत्तर में कहा है—प्रदेय एव वा शक्तिः इत्यादि। 'देवताविशिष्टदेय' अर्थ में तद्धितप्रत्यय की शक्ति है—यह एक पक्ष है। अथवा 'इन्द्र' आदि से अभिन्न

प्रदेय एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वास्तु लक्षणा।
देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमी स्थिताः ॥५४॥

न च 'ऐन्द्रं दधि' इत्यादौ द्रव्यस्य पदान्तराल्लाभात् कुतः पुनः प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः कल्प्यत इति वाच्यम्। पदान्तराश्रवणेऽपि तत्प्रतीतेः, 'ऐन्द्रं दधि' इति सामानाधिकरण्याच्च।

अन्यथाऽऽख्यातस्यापि कर्तृकर्मवाचित्वं न स्यात्। मीमांसकानां पुनः प्रत्ययस्य देवतात्वमेवार्थोऽस्तु। द्रव्यं पदान्तराल्लभ्य एवेति

सावित्री

देवता अर्थ में प्रकृति की निरूढा लक्षणा होती है और 'देय' अर्थ में तद्धित प्रत्यय होता है। इस प्रकार इन्द्र आदि देवता प्रकृत्यर्थ होंगे और देय द्रव्य तद्धित प्रत्यय का अर्थ होगा। ये सभी शास्त्र में कहे गये है।

'ऐन्द्रं दधि' इत्यादि में उच्चरित 'दधि' पद से ही देय द्रव्य का लाभ सम्भव है पुनः तद्धित प्रत्यय की 'देय द्रव्य' अर्थ में शक्ति की कल्पना करना अनुचित है। इसलिये देवता अर्थ में ही तद्धित प्रत्यय की शक्ति कल्पना चाहिये न कि देवता विशिष्ट द्रव्य अर्थ में।

इस आक्षेप का उत्तर यह है कि दधि आदि पद के बिना भी देवतार्थक तद्धित-प्रत्यय के द्वारा 'देवतासम्बन्धी देय द्रव्य' अर्थ की प्रतीति अनुभव सिद्ध है। इसलिये तद्धित प्रत्यय की देय द्रव्य अर्थ में शक्ति की कल्पना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ऐन्द्र और दधि का सामानाधिकरण्य के अनुरोध से भी तद्धितप्रत्यय का देय द्रव्य अर्थ में शक्ति मानना आवश्यक है। यदि तद्धित प्रत्यय का देवता मात्र अर्थ होता तो 'इन्द्राभिन्नदेवता' इस अर्थ वाले इन्द्र पद का दधि पद के साथ अभेदान्वय न होता।

वैयाकरण 'पचति देवदत्तः' 'पच्यते तण्डुलः' इत्यादि में आख्यात को कर्त्ता कर्म का वाचक मानते हैं, उस आख्यात वाच्य कर्त्ता-कर्म का देवदत्त-तण्डुल आदि के साथ सामानाधिकरण्येन = अभेदसम्बन्ध से अन्वय होता है। इस अभेदान्वय के अनुरोध से आख्यात की कर्तृ, कर्म वाचकता सिद्ध होती है। यदि सामानाधिकरण्य के अनुरोध से तद्धित प्रत्यय की 'देय द्रव्य' अर्थ में शक्ति नहीं मानते हैं तो तुल्यन्याय के अनुसार आख्यात की भी कर्त्ता, कर्म अर्थ में शक्ति सिद्ध न हो सकेगी।

वैयाकरणों पर आरोप कर मीमांसकों से भी कहना है—मीमांसकों को भी 'देवतात्वविशिष्ट देवता' इस विशिष्ट अर्थ में तद्धित प्रत्यय की 'देवतात्व' अर्थ में ही शक्ति-कल्पना उचित है, द्रव्य अर्थ तो पदान्तर से लभ्य ही होता है। मीमांसक लोग जैसे आख्यात का कर्त्ता अर्थ न मानकर लाघव होने से भावना अर्थ मानते हैं। भावनाश्रय

आख्यातस्य कर्तृवद् वाच्यत्वं माऽस्त्विति कुतो न शक्यते वक्तुमिति दिक्।

देवतायां देवतात्वेन रूपेण निरूढेति—अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वम्, अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वं वा तत्त्वमिति भावः ॥५४॥

अनयैव रीत्याऽन्यत्राप्यवधेयमित्याह—

क्रीडायां णस्तदस्यास्तीत्यादावेषैव दिक् स्मृता।
वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते ॥५५॥

सावित्री

कर्त्ता का भान 'देवदत्त' आदि पदान्तर से हो जाता है। वैसे ही प्रकृत स्थल में पदान्तर लभ्य प्रदेय अर्थ में तद्धितप्रत्ययार्थ देवतात्व के अन्वय से ही 'देवतात्वविशिष्ट प्रदेय' अर्थ का लाभ सम्भव है, पुनः तद्धित प्रत्यय की 'देय' अर्थ में शक्ति सिद्ध न हो सकेगी।

आगे पुनः शंका होती है कि 'अग्नि' पद की शक्ति से ही 'अग्नि'देवता' अर्थ का लाभ सम्भव है पुनः उसके लिये लक्षणा की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में कहा गया है—देवतात्वरूपेण। अग्नि' आदि शब्द की देवतात्व रूप से उपस्थिति के लिये लक्षणा का आश्रयण आवश्यक है। शक्ति के द्वारा 'अग्नि' शब्द से 'अग्नित्व' रूप से उपस्थिति होती है देवतात्व रूप से नहीं।

वह लक्षणा निरूढा लक्षणा होती है प्रयोजनवती नहीं। 'निरूढा' लक्षणा का स्वरूप निर्वचन करते हुये कहा है—अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वम्, अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वं वा।

'अनुपपत्तिज्ञानापूर्वकत्वम्' का अर्थ है—अन्वयानुपपत्तिज्ञानशून्यत्वम्। यदि अन्वयानुपपत्तिशून्यत्व को ही निरूढात्व' मानेंगे तो प्रवाह की घोष में अन्वयानुपपत्ति से लक्षणा होती है और 'गङ्गायां घोषः' में निरूढा लक्षणा होती है—यह व्यवहार अनुपपन्न हो जायगा। इसलिये दूसरा लक्षण किया है—अनादिप्रयोगावच्छिन्नत्वम् वा। अर्थात् अनादि जो प्रयोग, तदवच्छिन्नत्व निरूढात्व कहलाता है। यहाँ प्रयोग का अवच्छेदकत्व कर्मता सन्बन्ध से होता है। अनादि काल से जो प्रयोग का विषय बनती है वही निरुढा लक्षणा कहलाती है ॥५४॥

देवतार्थक तद्धित प्रत्यय स्थल में 'देवता विशिष्ट देय', देवता और देय में पृथक् २, अथवा केवल देवता अर्थ में तद्धित प्रत्यय की शक्ति मानी गई है वैसे ही अन्यत्र भी भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रत्यय की शक्ति देखी जाती है। 'तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः'

'तदस्यां प्रहरणमिति क्रीडायां णः' (४।२।५७) इत्यत्र प्रहरणविशिष्टा क्रीडा, प्रहरणक्रीडे, क्रीडामात्रं वाऽर्थः। आदिना 'सोऽस्य निवासः' (४।३।८९) 'सास्मिन् पौर्णमासीति' (४।२।२१) 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्' (५।२।१४) इत्यादिकं संगृह्यते।

वृत्तिमात्रेऽतिरिक्तशक्तेः 'समर्थः पदविधिः' (२।१।१) इति सूत्राल्लाभादुक्तो विचारः शास्त्रान्तरीयैः सह तद्रीत्यैवोक्तः। आरोपित-

---

सावित्री

(४।२।५७) इस सूत्र से विधीयमान 'ण' प्रत्यय का 'प्रहरणविशिष्ट क्रीडा', प्रहरण और क्रीडा या केवल क्रीडा अर्थ होता है। 'सोऽस्य निवासः' (४।३।८९) सूत्र से विहित अणादि प्रत्यय का 'निवासविशिष्ट अधिकरण' निवास और अधिकरण पृथक्-पृथक् अथवा सम्बन्धी—तीन अर्थ होते हैं। 'साऽस्मिन् पौर्णमासीति (४।२।२१) सूत्र से विहित अण् प्रत्यय का पौर्णमासी विशिष्ट सम्बन्धी', पौर्णमासी और सम्बन्धी पृथक्-पृथक् अथवा केवल सम्बन्धी अर्थ होता है ? 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्' (५।१।१४) से विहित मतुप् प्रत्यय का सम्बन्धवान् अथवा सम्बन्ध और आश्रय-पृथक्-पृथक् अर्थ होता है।

यहाँ आदि पद से 'तस्यापत्यम्' 'तेन रक्तं रागात्' 'संस्कृतं भक्षाः' इत्यादि का भी संग्रह करना चाहिये। इन स्थलों में भी अणादि प्रत्ययों का पूर्वोक्त प्रकार से भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। 'समर्थः पदविधिः' (२।१।१) इस सूत्र से वृत्ति मात्र में अतिरिक्त शक्ति होने का अर्थ लाभ हो जाता है जिससे प्रकृति, प्रत्यय का पृथक् अर्थ बोध न हो कर एकार्थीभावापन्न समुदाय की ही विशिष्ट अर्थ में शक्ति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में तद्धित प्रत्यय का अर्थ विचार अनावश्यक है तथापि मीमांसक आदि अन्य शास्त्रकारों की रीति से विचार किया गया है। अथवा यह समझिये कि प्रकृति, प्रत्यय में तत्तद् अर्थ का आरोप कर तद्धित प्रत्यय का अर्थ विचार किया गया है। वस्तुतः विशिष्ट शक्ति के द्वारा विशिष्ट अर्थ की उपस्थिति होती है। वृत्ति में एकार्थीभाव होने से प्रकृत्यर्थ, प्रत्ययार्थ का परस्पर अन्वय ही नहीं होता है। इसलिये प्रकृत्यर्थ के एकदेश में प्रत्ययार्थ का अन्वय होता है—इस प्रकार के विशेष विचार के लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

वृत्तियाँ ५ प्रकार की होती हैं—कृदन्त, तद्धित, समास, एकशेष, सनाद्यन्त, धातुरूप। वृत्ति का लक्षण है—परार्थाभिधानं वृत्तिः। 'पर' अर्थ का अभिधान जिससे हो उसे वृत्ति कहते हैं। परार्थ कहते है—प्रत्यायन्तर्भावेणापरपदार्थान्तरभावेण वा यो विशिष्टोऽर्थः स परार्थः। अर्थात् प्रत्ययान्तर में अन्तर्भाव से अथवा अन्य पदार्थ में अन्तर्भाव से जो विशिष्ट अर्थ होता है वह परार्थ कहलाता है उसी परार्थ के कथन की शक्ति जिस कृत्,

प्रकृतिप्रत्ययार्थमादाय वा । वस्तुतो विशिष्टशक्त्यैवार्थोपस्थिति-रित्याह—वस्तुत इति ।।५५।।

।। इति वैयाकरणभूषणसारे देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः ।।१०।।

सावित्री

तद्धित आदि में होती है उसे वृत्ति कहते हैं। वैयाकरण के मत में जहत्स्वार्थावृत्ति पक्ष में पदों का पृथक् कोई अर्थ न होने से तद्धित प्रत्ययों का विभिन्न प्रकार से शक्तिनिरूपण करना सिद्धान्त विरुद्ध है। इसलिये प्रकृत विचार मीमासकों आदि की रीति से किया गया है—यही कहना युक्तियुक्त है।

इस प्रकार वैयाकरणभूषणसार के 'देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः' की सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।।३।।५४।।

अथाभेदैकत्वसङ्ख्यानिर्णयः

वृत्तिप्रसङ्गात् तत्राभेदैकत्वसङ्ख्या प्रतीयते इति सिद्धान्तं दृष्टान्तेनोपपादयति—

अभेदैकत्वसङ्ख्याया वृत्तौ भानमिति स्थितिः ।
कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायाद् यथोच्यते ॥५६॥

सावित्री

यहाँ सन्देह होता है, कि प्रातिपदिक घटक प्रत्ययार्थ निरूपण प्रसङ्ग में अभेदैकत्व संख्या का निरूपण अनुचित है । इसलिये कहा है—वृत्तिप्रसङ्गादिति । अर्थ विशिष्ट वृत्ति के वर्णन में स्मृति पथ पर प्राप्त उसके धर्म की भी उपेक्षा अनुचित है । इसलिये अभेदैकत्व संख्या का भी निरुपण असंगत नही है ।

कृत्तद्धित, समास आदि वृत्तियों में अभिन्न रूप से संश्लिष्ट एकत्व संख्या की प्रतीति होती है । आशय यह है कि समास आदि वृत्तियों में जब तक उपसर्जन पद के उत्तर एकत्वादि संख्या बोधक विभक्तियाँ नहीं आती हैं तब तक संख्या विशेष की प्रतीति नही होती है अपितु संख्यात्वेन सामान्यतया सभी संख्याओं की प्रतीति होती है तब एकत्व की भी प्रतीति होती है ।

अभेदैकत्व संख्या में 'अभेद' का अर्थ है=भेदाभाव । भेदस्य=एकत्वत्व भेदस्य, अभावो यत्र संख्यायां साऽभेदैकत्वसंख्या । अर्थात् संख्यात्वेन प्रतीयमान जो एकत्वसंख्या वह अभेदैकत्व संख्या कहलाती है—ऐसा अर्थ है ।

संख्यात्वेन प्रतीयमान एकत्व संख्या अभेदैकत्व संख्या कहलाती है—इसको दृष्टान्त से पुष्ट करते हुये कहते हैं—

अभेदैकत्वसंख्याया वृत्तौ भानमिति स्थितिः इत्यादि । अर्थात् समास आदि वृत्तियों में संख्यात्वेन प्रतीयमान एकत्व संख्या का भान होता है । जैसे 'कपिञ्जलानालभेत' इस वाक्य के 'कपिञ्जलान्' पद में स्थित शस् विभक्ति के द्वारा बहुत्व की विवक्षा कर त्रित्व-संख्या का ग्रहण होता है क्योंकि बहुत्वविवक्षा में त्रित्वसंख्या ही प्रथमत उपस्थित होती है । वैसे ही संख्यात्वेन संख्या की प्रतीति करने पर प्रथमोपस्थित होने से एकत्व संख्या का ही ग्रहण होता है ।

सङ्ख्याविशेषाणामविभागेन सत्त्वम् = अभेदैकत्वसंख्या। उक्तञ्च वाक्यपदीये—

यथौषधिरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः।
अविभागेन वर्त्तन्ते संख्यां तां तादृशीं विदुः॥ इति॥

परित्यक्तविशेषं वा संख्यासामान्यं तत्। उक्तञ्च—

भेदानां वा परित्यागात् संख्यात्मा स तथाविधः।
व्यापाराज्जातिभागस्य भेदापोहेन वर्तते॥

अगृहीतविशेषेण यथा रूपेण रूपवान्।
प्रख्यायते न शुक्लादिर्भेदापोहस्तु गम्यते॥ इति

सावित्री

एकत्व द्वित्व-त्रित्व-आदि संख्या विशेष का अविभाग होने से संख्यात्वेन अभेदैकत्व-संख्या बोध का विषय बनती है।

जैसे सभी औषधियों के रस और शक्तियाँ मधुमक्खियों द्वारा मधु में स्थापित कर दी जाती है, उनका कोई विभाग नहीं होता है वैसे ही वृत्ति गत अभेदैकत्व संख्या भी अपने आश्रय में अविभक्त हो कर रहती है।

पक्षान्तर प्रस्तुत करते हुये है—परित्यक्तविशेषं वा संख्यासामान्यं तत्। अर्थात् परित्यक्तविशेषम् = त्याग दिया गया है—एकत्व द्वित्व-बहुत्व आदि विशेषधर्म जिसका, तादृश जो संख्या सामान्य = एकत्वाद्यग्रहणकालिकसंख्यत्वप्रकारकप्रतीतिविषयसंख्या, सैव च तत् = अभेदैकत्वसंख्यारूपम्।

इसका अर्थ हुआ कि त्याग दिया गया है एकत्वादि धर्म विशेष जिस संख्या की, वह जो संख्यात्व रूप संख्यासामान्य, वही अभेदैकत्व संख्या कहलाती है। इसी अर्थ को वाक्यपदीय में भी प्रमाणित किया गया है। कहा गया है—भेदानां वा परित्यागात् संख्यात्मा स तथाविधः॥ इत्यादि।

भेदानाम् = एकत्वादिविशेषधर्माणाम्, परित्यागात् = अग्रहणात्, सः = एकत्वादिः, संख्यात्मा = सख्यासामान्यरूपः, तथाविधः = अभेदैकत्वरूपः।

अभिप्राय यह है कि एकत्वादि संख्या भेदों की अप्रतीति से संख्यात्वेन भासमान जो संख्या, वही अभेदैकत्व संख्या पद से व्यवहृत होती है। जातिभागस्य = संख्यात्वस्य,

अस्या वृत्तौ = समासादौ भानं न्यायसिद्धमिति भावः इति मत-स्थितिर्वैयाकरणानाम् ।

अयं भावः—'राजपुरुष' इत्यादौ राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञां वाऽयं पुरुष इति जिज्ञासा जायते । विशेषजिज्ञासा च सामान्यज्ञानपूर्विकेति सामान्यरूपेण तत्प्रतीतिः शब्दादावश्यकी । अतस्तस्यां शक्तिरिति । तस्या एकत्वेन प्रतीतौ न्यायमाह—कपिञ्जलेति । बहुत्वगणनायां

सावित्री

व्यापारात् = तेन रूपेण भानात् भेदापोहेन वर्तते = भेदस्य विशेषस्यैकत्वादेरपोहोऽग्रहस्तेन वर्तते ।

अर्थात् संख्यात्व की संख्या रूप से प्रतीति होने पर एकत्वादि संख्याविशेष का ग्रहण नहीं होता है । दृष्टान्त रूप से कहा है—जैसे–दूरस्थ घट इत्यादि शुक्ल रहने पर भी शुक्ल आदि रूप से अगृहीत रूप का रूपत्वेन भान होता है, न कि शुक्लत्व-कृष्णत्व आदि रूप से भान होता है ·वैसे ही 'राजपुरुष' इत्यादि वृत्ति में संख्यात्वेन सामान्य संख्या ही प्रतीत होता है एकत्वादिरूप से संख्याविशेष का भान नहीं होता है ।

इस 'अभेदैकत्वसंख्या' का वृत्ति में भान होता है—ऐसा वैयाकरणों का अभिप्राय है ।

भाव यह है कि 'राजपुरुषः' इस पद जन्य बोध के अनन्तर यह जिज्ञासा होती है कि वह 'राजपुरुषः' राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्–वा पुरुषः—अर्थात् एक राजा का पुरुष है, दो राजा पुरुष है, या तीन (बहुत) राजा का पुरुष है । विशेष विषयिणी जिज्ञासा सामान्यज्ञान पूर्वक ही होती है । सामान्यज्ञान के विना विशेष जिज्ञासा का उदय नहीं सम्भव है । इसलिये एकत्वादि संख्याविशेष के ज्ञान के लिये शब्द से संख्यात्वेन सामान्यरूप से संख्या की प्रतीति आवश्यक है । इससे समास आदि वृत्ति की संख्यात्वेन संख्या अर्थ में शक्ति है ।

यहाँ मतान्तर प्रस्तुत करते हुये कहा है कि उस संख्या का एकत्वत्वेन भान होता है न कि संख्यात्वेन सामान्य रूप से । इसलिये कहा है—तस्या एकत्वेन प्रतीतौ न्यायमाह—कपिञ्जलेति । श्रुति में आया है—'वसन्ते कपिञ्जलानालभेत' । इसका अभिप्राय है कि वसन्त देवता का उद्देश्य कर बहुत्वविशिष्ट कपिञ्जल [चातक अथवा तित्तिर] का आलम्भन करना चाहिये । यहाँ बहुत्व की संख्या गणना में त्रित्व से लेकर परार्द्धपर्यन्त

त्रित्वस्यैव प्रथमोपस्थितत्वात् तद्रूपेणैव भानवद् एकत्वस्य सर्वतः प्रथमोपस्थितत्वमस्तीति भावः ।

वस्तुतस्तु जिज्ञासैव नानुभवसिद्धा । तथात्वे वा ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेनैव हेतुहेतुमद्भावात्तद्रूपेणैव वाच्यता स्यादिति ध्येयम् ॥५६॥

॥ इति वैयाकरणभूषणसारे अभेदैकत्वसंख्यानिरूपणम् ॥११॥

सावित्री

संख्या की उपस्थिति होने पर भी प्रथम उपस्थित होने से त्रित्व संख्या ही ली जाती है और 'त्रित्वविशिष्ट कपिञ्जलकर्मक आलम्भन" ऐसी प्रतीति होती है। इसी प्रकार 'राजपुरुषः' में भी एकत्व संख्या प्रथमतः उपस्थित होती है। इसलिये उसी की प्रतीति मानना आवश्यक है।

वस्तुतः 'राजपुरुषः' इस बोध के अनन्तर एक, दो या तीन राजा का पुरुष है ऐसी जिज्ञासा ही अनुभव सिद्ध नहीं है। इसलिये उस जिज्ञासा के बल से संख्या विशेष के भान की कल्पना अनुचित है। यदि संख्या विशेष की जिज्ञासा को अनुभव सिद्ध मान लें तो ज्ञान और इच्छा के समान प्रकारक रूप से कार्यकारण भाव होने से तत्तद् रूप से ही अर्थात् एकत्वादि रूप से वाच्यता सिद्ध हो जाती।

आशय यह है कि यद्धर्म प्रकारक यद्विशेष्यक ज्ञान होता है तद्धर्म प्रकारक तद्विशेष्यक इच्छा को उत्पन्न करता है। इसलिये यद्धर्म प्रकारक, यद्विशेष्यक इच्छा होती है तद्धर्म प्रकारक तद्विशेष्यक ज्ञान ही तादृश इच्छा का कारण होता है। प्रकृत स्थल में यदि एकत्वत्वादि विशेषधर्म प्रकारक बोध की इच्छा है तो उसके कारणीभूत ज्ञान में भी एकत्वत्वादि विशेषधर्मप्रकारकत्व होना आवश्यक है। इस प्रकार ज्ञान और इच्छा में समान प्रकारक कार्यकारण भाव का अनुभव होने से वृत्ति में एकत्वत्वादि संख्या वाच्य हो जायगी। इस स्थिति में वृत्ति में संख्यात्वेन् संख्यासामान्य की प्रतीति स्वतः नहीं होगी।

इस प्रकार वैयाकरणभूषणसार' के अभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः प्रकरण को सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई।

अथ संख्याविवक्षानिर्णयः

संख्याप्रसङ्गादुद्देश्यविधेययोः संख्याविवक्षाऽविवक्षे निरूपयति—

लक्ष्यानुरोधात् संख्यायास्तन्त्रातन्त्रे मते यतः ।
पश्वेकत्वादिहेतूनामाश्रयणमनाकरम् ॥५८॥

'ग्रहं संमार्ष्टि' इत्यत्रोद्देश्यग्रहगतमेकत्वमविवक्षितमितिवक्ना-स्माकमुद्देश्यविशेषणाविवक्षानियमः; धातोरित्येकत्वस्य विवक्षितत्वात् ।

उत्पद्येत समस्तेभ्यो धातुभ्यः प्रत्ययो यदि ।
तदा सर्वैर्विशिष्येत द्वन्द्वोत्पन्नसुवर्थवत् ॥

सावित्री

पूर्व प्रकरण में अभेदैकत्व संख्या सामान्य का निरूपण किया गया है । वहाँ 'कपिञ्जलानालभेत' इस वाक्य में स्थित 'कपिञ्जलान्' के बहुवचन की विवक्षा का उदाहरण दिया गया है । इसलिये प्रसङ्गवश स्मृत संख्याविवक्षा की उपेक्षा अनुचित है । अतः यहाँ उद्देश्य, विधेय की संख्या विवक्षा या अविवक्षा के निर्णय हेतु प्रकृत प्रकरण का आरम्भ युक्तियुक्त है ।

मीमांसकों के मत से उद्देश्यगत संख्या का भान नही होता है किन्तु विधेयगत संख्या का भान होता है, जबकि वैयाकरण के मत से उद्देश्यगत संख्या की विवक्षा रहे या विधेयगत संख्या विवक्षित रहे इस बारे में कोई नियम नही है । इसलिये यह विवक्षा या अविवक्षा लक्ष्य के अनुसार समझनी चाहिये । यहीं व्याकरणशास्त्र सम्मत पक्ष है । 'पशुना यजेत' में 'ना' प्रत्ययोपात्त एकत्व का आश्रयण अशास्त्रीय है अर्थात् भाष्यसम्मत नहीं है । यद्यपि मीमांसकों के मत से अनेक पशु करणक याग के वारण हेतु एकत्व संख्या विवक्षित है किन्तु वैसा हम वैयाकरणों का सिद्धान्त नही है ।

ज्योतिष्टोम याग में कहा गया है—दशापवित्रेण ग्रहं संमार्ष्टीति । दशापवित्रम्= पटखण्डः ग्रहः=पात्रम्, संमार्जनम्=संशोधनम् । इसका अर्थ हुआ कि पटखण्ड से यज्ञीय पात्र विशेष का शोधन करना चाहिये । यहाँ 'ग्रहण' में एकत्व संख्या विवक्षित नहीं है क्योंकि यज्ञीय सभी पात्रों का सम्मार्जन अभिप्रेत हैं न कि किसी एक पात्र का शोधन अभीष्ट है ।

इति शब्दान्तराधिकरणे भट्टपादैरभिधानाच्च। 'आर्धधातुकस्येड् वलादेः' (७।२।३५) इत्यत्रानुवाद्यार्द्धधातुकविशेषणस्य वलादित्वस्य विवक्षितत्वाच्च।

एवं 'पशुना यजेत' इतिवद् विधेयविशेषणं विवक्षितमित्यपि नियमो न, "रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः" (८।२।४२) इत्यत्र

सावित्री

इस प्रकार जैसे 'ग्रहम्' इस उद्देश्य की एकत्व संख्या विवक्षित नहीं है वैसे सर्वत्र उद्देश्य में विशेषणीभूत एकत्वादि संख्या विविक्षित नहीं रहती है—ऐसा हम वैयाकरणों का नियम नही है। इसमें हेतु कहा गया है—धातोरित्येकत्वस्य विवक्षितत्वात्। तिङ्, कृत् प्रत्ययों के विधान में 'धातोः' (३।१।९१ सूत्र का अधिकार जाता है। वहाँ तिङादि प्रत्यय विधान में उद्देश्यभूत धातु पदार्थ में विशेषणीभूत एकत्व संख्या वैयाकरणों के मत में विवक्षित रहती है। यदि वहाँ एकत्वसंख्या विवक्षित न रहे तो धातुसमुदाय से भी प्रत्यय विधान की आपत्ति होगी। जैसे—'धवखदिरौ छिन्धि' इत्यादि द्वन्द्व घटक धव-खदिर आदि पदार्थ सुबर्थ कर्मगत संख्या द्वारा विशेषित होते हैं। वैसे 'गा' 'जि' 'ध्य' इत्यादि धातु समुदाय से तिबादि प्रत्यय होने लगेंगे।

'धातु' में एकत्व की विवक्षा मीमांसकों को भी मान्य है। [1]शब्दान्तराधिकरण में कुमारिलभट्ट ने ऐसा कहा है। इसके अतिरिक्त 'आर्धधातुकस्येड् वलादेः' इस सूत्र से इड् विधान में उद्देश्य जो आर्धधातुक, उसमें विशेषण है वलादित्व, उस वलादित्व में एकत्व संख्या विवक्षित है। यदि उद्देश्य के विशेषण की अविवक्षा का नियम मान लें तो आर्धधातुक का विशेषण जो वलादि, उसका सूत्र में ग्रहण व्यर्थ हो जाता।

---

१. शब्दान्तराधिकरणे—'शब्दान्तरे कर्मभेदः, कृतानुबन्धत्वात्' इति सूत्रघटिताङ्गापूर्वभेदाधिकरणे इत्यर्थः। तत्र हि—'यजति' 'ददाति' 'जुहोति' एषु प्रत्ययेन भिन्ना भावनाऽभिधीयते एकैव वा? एकप्रत्ययप्रतिपाद्यत्वादेकैवेति पूर्वपक्षे सिद्धान्तितम्। यदि सर्वधातुभ्य एक एव प्रत्ययः स्यात्तदा एकैव भावना सर्वधात्वर्थानुरक्ता प्रतीयते। तत्रैवोक्तम्—

निष्पद्येत समस्तेभ्यो धातुभ्यः प्रत्ययो यदि।
ततः सर्वविशिष्टा स्याद् द्वन्द्वोत्पन्नसुबर्थवत्॥ इति॥

अत्र तु 'यजतेः' 'ददातेः' 'जुहोतेश्च' पृथक् पृथक् प्रत्ययो दृश्यते इति नानाधात्वर्थानुरक्ता भिन्नैव भावनाऽभिधीयत इति शेषः।

नकारद्वयविधानानापत्तेः । तथा 'भिन्नः' इत्यत्र नकारद्वयलाभो न स्यात् । 'आद्गुणः' (६।१।८७) इत्यादावेकत्वविवक्षयैवोपपत्तौ "एकः पूर्वपरयोः" (६।१।८४) इत्येकग्रहणवैयर्थ्यापत्तेश्चेति भावः ।

शब्दार्थस्तु—संख्याया लक्ष्यानुरोधात्तन्त्राऽतन्त्रे यतो मते, अतः

सावित्री

'पशुना यजेत' में याग का विधान पूर्वप्रयुक्त वाक्यान्तर से प्राप्त है। इस वाक्य से पशु का विधान किया जाने से पशुगत एकत्व विवक्षित है। इससे अनेक पशु करणक याग से अदृष्टसिद्धि नहीं होगी। अतः विधेयगत विशेषण विवक्षित ही होता है—यह जो मीमांसकों का मत है वह भी हम वैयाकरणों को स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार्य है, इसका समाधान किया है कि 'रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः' इस सूत्र से नकारद्वय का विधान न हो सकेगा जिससे 'भिन्नः' में दो नकार का लाभ न हो सकेगा।

स्थिति यह है कि रेफ, दकार से परे निष्ठा तकार को नकार का विधान किया गया है। इसमें विधेय 'नः' में एकवचन है। विधेय में विशेषण की विवक्षा करने पर एकत्व-संख्या विशिष्ट नकार का विधान होगा तब 'भिन्नः' में दो नकार का विधान नहीं होगा।

इस पर एक तर्क देते हैं, कि नहीं, विधेयगत विशेषण की विवक्षा करने भी दो नकार के विधान में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रकृत सूत्र में क्रमशः दो वाक्य होंगे :—

(१) रदाभ्यां निष्ठातो नः।

(२) पूर्वस्य च दः।

प्रथम वाक्य का अर्थ होगा कि रेफ, दकार से परे निष्ठा तकार को नकार होता है और दूसरे का अर्थ होगा कि निष्ठा तकार से पूर्ववर्त्ती दकार को नकार होता है। इस प्रकार दो वाक्यों से पृथक् २ एक-एक नकार के विधान से विधेय गत विशेषण की विवक्षा करने पर भी 'भिन्नः' में दो नकार के विधान में कोई कठिनाई नहीं होगी। सूत्र में चकार के ग्रहण से यह भी सूचित होता है कि वाक्य भेद पाणिनि को अभीष्ट है।

इस प्रकार यहाँ दोष न होने से दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—'आद्गुणः' इत्यादाविति। इसका तात्पर्य है कि विधेय गत विशेषण विवक्षित है—मीमांसकों का यह नियम व्याकरणशास्त्र में भी मान लिया जाय तो 'आद्गुणः' सूत्र से विधेय 'गुणः' में एक-वचन होने से पूर्व पर के स्थान में स्वतः एक ही गुण आदेश होगा, 'एकः पूर्वपरयोः' सूत्र का एक ग्रहण व्यर्थ हो जायगा।

पश्वेकत्वाधिकरणोक्तहेतूनामाश्रयणं नास्मत् सिद्धान्तसिद्धमिति । आदिना ग्रहैकत्वग्रहः ।।५७।।

ननु विधेयविशेषणविवक्षा आवश्यकी अन्यथा 'सुद्ध्युपास्यः' इत्यादावनन्तयकाराद्यापत्तेः । 'भिन्नः' इत्यत्र नकारद्वयवदन्येषामप्यापत्तेः, 'एकः पूर्वपरयोः' इत्यत्रैकग्रहणञ्च स्थानिभेदादादेशभेदवारणायेत्यभिप्रेत्याह —

सावित्री

'लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः' इत्यादि कारिका का शब्दार्थ करते हुये कहते हैं— संख्यायाः = एकत्वादि-संख्याः, लक्ष्यानुरोधात् = प्रयोगाणां सिद्ध्यनुरोधात्, तन्त्राऽतन्त्रे = विवक्षाविवक्षा वा, यतः = यस्मात् कारणात्, मते = सिद्धान्तसिद्धे अतः = अस्मात् कारणात्, पश्वेकत्वाधिकरणेति = 'पशुना' इति करणतृतीयाविभक्त्यैकवचनोपादानात्करणकारकमेकत्वं पुंस्त्वं चेति त्रितयमेकस्मादेव 'ना' इति प्रत्ययात् प्रतीयते ।

सारांश यह है कि यतः एकत्वादि संख्या की विवक्षा या अविक्षा लक्ष्य (प्रयोग) के अनुसार होती है अतः 'पशुना' में एकत्व संख्या की विवक्षा हम वैयाकरणों के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है ।

आदि पद से 'ग्रहं संमार्ष्टि' का संग्रह होता है । यदि 'ग्रहम्' पद में एकत्व संख्या विवक्षित हो तो 'प्राजापत्या नवग्रहाः' इस वाक्य से विहित नवग्रह के उद्देश से सम्मार्ग का विधान होता है—इस उत्पत्ति वाक्य से प्रतिपाद्य नवत्व संख्या का एकत्व, संख्या से विरोध होगा ।।५७।।

अब यह एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत करते हुये कहते हैं कि विधेय के विशेषण एकत्वादि की विवक्षा आवश्यक है अन्यथा 'सुद्ध्युपास्यः' में इकार के स्थान में अनन्त यकार रूप यण् की आपत्ति होगी । 'भिन्नः' में दो नकार के स्थान पर तीन या चार नकार होने लगेंगे । 'एकः पूर्वपरयोः' में एक ग्रहण की सार्थकता यह है कि पूर्व और पर दो स्थानी के स्थान में दो आदेश न हो जायँ, एक ही आदेश हो । इसी भाव को व्यक्त करने के लिये कारिका प्रस्तुत करते हैं—

विधेये भेदकं तन्त्रमन्यतो नियमो न हि ।
ग्रहैकत्वादिहेतूनाभाश्रयणमनाकरम् ।।२।।५८।।

भेदकम् = विशेषणम्, तन्त्रम् = विवक्षितम् । अभिप्राय यह है कि विधेय में विशेषण विवक्षित है, किन्तु विधेय से अन्यत्र उद्देश्य आदि में यह नियम नहीं है । 'ग्रहं

विधेये भेदकं तन्त्रमन्यतो नियमो नहि ।
ग्रहैकत्वादिहेतूनामाश्रयणमनाकरम् ॥५८॥

भेदकम् = विशेषणम् , तन्त्रम् = विवक्षितम् । विधेयविशेषणं विवक्षितमित्यस्तु, तथाप्यन्यतः = अनुवाद्यस्य नियमो नहि । क्वचित् तन्त्रम् ; क्वचिन्नेत्यर्थः । ग्रहैकत्वादौ यो हेतुर्वाक्यभेदादिस्तस्यात्राश्रयणमनाकरम् । एकत्वविशिष्टं धातुम् , वलादित्वविशिष्टमार्द्धधातुकञ्चोद्दिश्य प्रत्ययेडागमादेर्विधिसम्भवादिति भावः ।

नन्वेवं 'भिन्नः' इत्यत्र नकारद्वयलाभो न स्यादित्यत आह—

सावित्री

सम्मार्ष्टि' इत्यादि में विशेषण की विवक्षा, अविवक्षा से नियम साधक हेतु का आश्रयण शास्त्र विरुद्ध है । 'प्राजापत्या नवग्रहाः' इत्यादि वाक्य से विहित ग्रह के उद्देश्य से 'ग्रहं सम्मार्ष्टि के द्वारा एकत्वविशिष्ट ग्रह के सम्मार्ग विधान में उत्पत्तिवाक्य से प्रतिपादक नवत्व संख्या का विरोध होता है उसके परिहार के लिये 'ग्रहं सम्मार्ष्टि' इस वाक्य की नव बार आवृत्ति करना पड़ता है जिससे वाक्यभेद की आपत्ति होती है । इसलिये उद्देश्य में भी विशेषण की विवक्षा व्याकरण शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है ।

अब शंका होती है कि यदि 'ग्रहम्' में एकत्वविशेषण की विवक्षा नहीं होती है तो उसी भाँति 'धातोः' में एकत्व की तथा 'आर्धधातुकस्येड्वलादेः' में वलादित्व रूप विशेषण की विवक्षा न हो सकेगी—इसके उत्तर में कहना है कि 'ग्रहम्' में वाक्यभेद रूप बाधक हेतु के कारण एकत्वादि विशेषण की विवक्षा नहीं होती है किन्तु 'धातोः' इत्यादि में कोई बाधक हेतु नहीं है । इसलिये एकत्वविशिष्ट धातु से प्रत्यय का विधान तथा वलादित्व विशिष्ट आर्धधातुक का उद्देश्य करके इडागम का विधान सम्भव है ।

विधेय में विशेषण विवक्षित होता है—यह पहले कह चुके हैं किन्तु वैसा मानने पर 'भिन्नः' में दो नकार का लाभ न हो सकेगा । इसलिये आगे समाधान के लिये कहते हैं—रदाभ्यां वाक्यभेदेन इत्यादि । 'रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः' इस सूत्र में वाक्य भेद करेंगे । 'रदाभ्यां निष्ठातो नः' यह एक वाक्य होगा तथा 'पूर्वस्य च दः' यह दूसरा वाक्य होगा । प्रथम वाक्य का अर्थ होगा कि रेफ, दकार से परे निष्ठा तकार को नकार होता है तथा द्वितीय का अर्थ होगा कि निष्ठा तकार से पूर्ववर्त्ती दकार को नकार होता है । इस प्रकार वाक्य भेद से 'भिन्नः' में दो नकार का लाभ हो जायगा । इस भाँति

रदाभ्यां वाक्यभेदेन नकारद्वयलाभतः ।
क्षतिर्नैवास्ति तन्त्रत्वे विधेये भेदकस्य तु ॥५९॥

चकारसूचितम्—निष्ठातस्य नः पूर्वस्य दकारस्य च न इति वाक्यभेदमादाय नकारद्वयलाभ इत्यर्थः ॥५९॥

॥ इति वैयाकरणभूषणसारे संख्याविवक्षानिर्णयः ॥१२॥

सावित्री

विधेय के विशेषण की विवक्षा करने पर भी कोई क्षति नही है । 'रदभ्याम्' इत्यादि सूत्र में चकार के ग्रहण से यह सूचित होता है कि वाक्य भेद पाणिनि को अभीष्ट है ॥५९॥

इस प्रकार वैयाकरणभूषणसार के 'संख्याविवक्षानिर्णयः' प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥३॥५४॥

अथ क्त्वाद्यर्थनिर्णयः

क्त्वाप्रत्ययादेरर्थं निरूपयति—

अव्ययकृत इत्युक्तेः प्रकृत्यर्थे तुमादयः।
समानकर्तृकत्वादि द्योत्यमेषामिति स्थितिः ॥६०॥

तुमादयः = तुमुन्नादयः; प्रकृत्यर्थे = भावे; आदिना = क्त्वादेः संग्रहः। भावे इत्यत्र मानमाह—अव्ययकृत इति। 'अव्ययकृतो भावे' इति वार्त्तिकादित्यर्थः।

ननु 'समानकर्त्तृकयोः पूर्वकाले' (३।४।२१) इत्यादिसूत्राणां का गतिस्तत्राह—समानकर्तृकत्वादि।

सावित्री

क्त्वा प्रत्यय का अर्थ निरूपण करते हुये कहते हैं—'अव्ययकृतो भावे' इस वार्त्तिक से अव्यय संज्ञक तुमुन् आदि कृत् प्रत्यय प्रकृत्यर्थ = भाव अर्थ में होते हैं। तुमादयः में आदि पद से क्त्वा, णमुण्—आदि का संग्रह समझना चाहिये। इन स्थलों में 'क्त्वांतोसुन् कसुनः' (१।१।४०) कृन्मेजन्त (१।१।३९) इत्यादि सूत्रों से अव्यय संज्ञा होती है।

यद्यपि क्त्वा प्रत्यय का प्रकृत्यर्थ = धात्वर्थ, फल और व्यापार दो होते हैं तथापि प्रधानाप्रधानन्याय से प्रधानीभूत भाव अर्थात् व्यापार अर्थ में क्त्वादि प्रत्यय होते हैं।

यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि क्त्वा प्रत्यय का मात्र भाव = व्यापार अर्थ स्वीकार करेंगे तो 'समानकर्त्तृकयोः पूर्वकाले' इत्यादि सूत्रों की क्या गति होगी क्योंकि इस सूत्र के अनुसार समानकर्तृक क्रियाओं में पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में क्त्वा प्रत्यय होता है। वार्त्तिक के अनुसार केवल भाव अर्थ में क्त्वा प्रत्यय का विधान मानने पर 'समान-कर्तृकयोः पूर्वकाले' सूत्र से स्वाभाविक विरोध हो जायगा। इसलिये कारिका में कहा है—'द्योत्यामिति स्थितिः'। अर्थात् 'क्त्वा' आदि का द्योत्य अर्थ होता है वाच्य नहीं। इससे सूत्र के साथ विरोध का परिहार हो जाता है।

अयं भावः—'भोक्तुं पचति' 'भुक्त्वा व्रजति' इत्यादावेकवाक्यता सर्वसिद्धा भोजनपाकक्रिययोर्विशेष्यविशेषणभावमन्तरेणानुपपन्ना। अन्यथा 'भुङ्क्ते' 'व्रजति' इत्यादावप्येकवाक्यताऽऽपत्तेः। तथा च तयोर्विशेष्यविशेषणभावनिरूपकः संसर्गः, जन्यत्वम्, सामानाधिकरण्यम् पूर्वोत्तरभावः, व्याप्यत्वञ्चेत्यादिरनेकविधः। तथा च—'भोक्तुं पचति' 'भुक्त्वा तृप्तः' इत्यादौ भोजनजनिका पाकक्रिया, भोजनजन्या तृप्तिरिति बोधः। अत एव जलपानानन्तर्यस्य तृप्तौ सत्त्वेऽपि 'पीत्वा तृप्तः' इति न प्रयोगः।

सावित्री

'भोक्तुं पचति' का 'भविष्यद् भोजनफलिका वर्त्तमानकालिकी भोजनक्रिया' अर्थ होता है 'भुक्त्वा व्रजति' का 'भोजनोत्तरावर्त्तमानकालिकी व्रजनक्रिया' अर्थ होता है। इन दोनों स्थलों में एक क्रियामुख्यविशेष्यक बोध होने से एक वाक्यता सर्वानुभवसिद्ध है। यह एकवाक्यता एकवाक्यगत दोनों क्रियाओं के परस्पर विशेषणविशेष्यभावापन्न होने पर ही होती है। यदि क्रियाओं में परस्पर विशेष्य-विशेषण भाव के विना भी एकवाक्यता होती तो भुङ्क्ते, व्रजति-इत्यादि में भी एकवाक्यता हो जाती। यहाँ 'भुङ्क्ते' का 'एककर्तृ का वर्तमानकालिकी व्रजनक्रिया' ऐसा अर्थ बोध होता है। प्रकृत में भोजन क्रिया का जो कर्त्ता है व्रजन क्रिया का कर्त्ता उससे भिन्न हो सकता है। इसलिये यहां भोजन, व्रजन-दो क्रिया मुख्यविशेष्यक बोध का अनुभव होता है न कि एक क्रिया मुख्य विशेष्यक एक-वाक्यता का अनुभव होता है। इस प्रकार क्रियाओं में परस्पर विशेष्य विशेषणभाव होकर ही एकवाक्यता होती है।

यह विशेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध अनेक प्रकार का होता है। यहाँ जन्यत्व' अर्थात् जन्यजनक भाव सम्बन्ध होता है। यहाँ 'जन्यत्व' 'जनकत्व' का भी उपलक्षण है, कहीं सामानाधिकरण्य अर्थात् एकाश्रयवृत्तित्व (एक कर्तृकत्व) सम्बन्ध होता है, कहीं पूर्वोत्तर भाव = पूर्वकालवृत्तित्व, उत्तरकालवृत्तित्व, सम्बन्ध होता है, कहीं व्याप्यत्व = नियतसाहचर्य, सम्बन्ध होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार का सम्बन्ध होता है।

आगे तुमुन् आदि प्रत्ययों के शाब्दबोध का प्रकार बताते हुये कहते हैं—'भोक्तुं पचति' में तुमुन् प्रत्यय के प्रकृत्यर्थ अर्थात् भुज् धात्वर्थ भोजन का 'पच्' धात्वर्थ = विक्लित्यनुकूलव्यापार के साथ सामानाधिकरण्य = एकाधिकरणवृत्तित्व सम्बन्ध से अन्वय होता है। यहाँ भोजन क्रिया का पचन क्रिया के साथ जन्यजनक भाव सम्बन्ध है, वह सम्बन्ध

सामानाधिकरण्यस्यापि संसर्गत्वेनार्थसमानकर्तृकत्वमपि लब्धम्। 'भुक्त्वा व्रजति' इत्यादौ पूर्वोत्तरभावः सामानाधिकरण्यं च संसर्ग इति भोजनसमानाधिकरणा तदुत्तरकालिकी व्रजनक्रियेति बोधः। 'अधीत्य-तिष्ठति' 'मुखं व्यादाय स्वपिति' इत्यादौ चाध्ययनव्यादानयोरभाव-कालेऽप्रयोगाद्यदा यदाऽस्य स्थितिः स्वापश्च तदा तदाऽध्ययनं मुख-व्यादानञ्चेति कालविशेषच्छिन्नव्याप्यत्वबोधाद् व्याप्यत्वं सामानाधि-करण्यं च संसर्गः। एवं चान्यलभ्यत्वान्न सूत्रात्तेषां वाच्यतालाभ इति युक्तम् 'अव्ययकृतो भाव' इति। एवं च प्रकृत्यर्थक्रिययोः संसर्ग तात्पर्य-ग्राहकत्वरूपं द्योतकत्वं क्त्वादीनाम्। अत एव 'समानकर्तृकयोः' इति

सावित्री

तुमुन् प्रत्यय से द्योत्य है। यहाँ भोजन जन्य है और पाकक्रिया उसकी जनिका है। दोनों क्रियाओं में समानकर्तृत्व और पूर्वोत्तरभाव विद्यमान है। इसी भाँति 'भोक्तु, पचति' का 'भविष्यदभोजनोद्देश्यिका पाकक्रिया' अर्थ बोध होता है। 'भुक्त्वा तृप्तः' का भोजनजन्या तृप्तिः' ऐसा अर्थबोध होता है। यहाँ भी भोजन और तृप्ति क्रियाओं में परस्पर जन्यजनक भाव स्वीकार करने के कारण भोजन जन्य तृप्ति की विवक्षा रहने पर कदाचित् जलपान से ही तृप्ति हो जाय तो भी 'पीत्वा तृप्तः' ऐसा प्रयोग नहीं होता किन्तु यदि जलपान जन्य तृप्ति की विवक्षा हो तो पीत्वा तृप्तः' ऐसा प्रयोग हो जायगा।

संसर्ग रूप से सामानाधिकरण अर्थात् समानकर्तृत्व अर्थ का लाभ हो जाता है। समानकर्तृत्व अर्थ अभिप्रेत है। इसलिये विभिन्न कर्तृक दो क्रियाओं को लेकर 'भुक्त्वा-तृप्तः' ऐसा प्रयोग नहीं होता है। भुक्त्वा व्रजति' का "तत्कर्तृकपूर्वकालवृत्तिभोजनो-त्तरकालवृत्तितत्कर्तृकव्रजन" ऐसा अर्थ बोध होता है। यहाँ पूर्वोत्तरकालवृत्तित्व सामानाधि-करण—इन दो सम्बन्धों का भान होता है।' और तभी भोजन समानाधिकरणा व्रजनक्रिया का बोध होता है। भोजन समानाधिकरणा व्रजनक्रिया का अभिप्राय है कि भोजनक्रिया का जो आश्रय (कर्त्ता) है वही व्रजनक्रिया का भी कर्त्ता है।

अब यहाँ सन्देह होता है कि यदि पूर्वोत्तरकालत्व आदि सम्बन्ध भी 'क्त्वा' प्रत्यय का अर्थ है तो अधीत्य तिष्ठति' 'मुखं व्यादाय स्वपिति' इत्यादि प्रयोग उपपन्न नहीं हो सकेंगे क्योंकि यहाँ अध्ययन-स्थिति तथा मुखव्यादान-शयन में पूर्वोत्तरकालवृत्तित्व नहीं है अपि तु समानकालवृत्तित्व है। जिस काल में अध्ययन करता है उसी काल में स्थित रहता है और जिस काल में मुख व्यादान करता है उसी काल में शयन करता है। इसके उत्तर

सूत्रे स्वशब्देनोपात्तत्वान्नेति भाष्यप्रतीकमादाय पौर्वापर्यकाले द्योत्ये क्त्वादिर्विधीयते न तु विषय इति कैयटः।

यत्तु—समानकर्तृकयोरिति सूत्रात् समानकर्तृकत्वं क्त्वा वाच्यम् अन्यथा 'ओदनं पक्त्वाऽहं भोक्ष्ये' इत्यत्र मयेति तृतीया-प्रसङ्गाच्च। न चाऽऽख्यातेन कर्त्तुरभिधानान्न सेति वाच्यम्, भोजन-क्रियाकर्तुरभिधानेऽपि पाकक्रियाकर्त्तुस्तदभावात्। अनभिहिते भवतीति

सावित्री

में कहा है जब-जब स्थित रहता है तब २ अध्ययन करता है। इस सहभाव क्रिया की विवक्षा में 'अधीत्य तिष्ठति' प्रयोग हुआ है। जब २ सोता है, तब २ मुखव्यादान के सहित ही सोता है—ऐसे अर्थबोधन की इच्छा से 'मुखं व्यादाय' प्रयोग होता है।

अध्ययन करने के बाद बैठता है या मुख व्यादान के बाद सोता है ऐसी विवक्षा में अध्ययन या व्यादान के अभाव काल में अधीत्य तिष्ठति, मुखं व्यादाय स्वपिति—ऐसा प्रयोग नहीं होता है अपि तु जिस काल में बैठता है उसी काल में अध्ययन करता है, जिस काल में सोता है उसी काल में मुख व्यादान करता है—ऐसी विवक्षा में ही 'अधीत्य तिष्ठति' 'मुखं व्यादाय स्वपिति' इत्यादि प्रयोग होता है। इसीलिये मूल में कहा है—अध्ययन-व्यादानयोरभावकालेऽप्रयोगात्। इससे स्पष्ट है कि जहाँ पूर्वकालिक अध्ययन के उत्तरकाल में स्थिति तथा पूर्वकालिक मुख व्यादान के उत्तर काल में शयन क्रिया—ऐसी अर्थबोधन की विवक्षा हो तो पूर्वोक्त प्रकार के प्रयोग नहीं होते हैं।

इसका सारांश यह है कि जब २ स्थिति, शयन अभिप्रेत है तब २ अध्ययन, मुख व्यादान अपेक्षित है। अध्ययन के बिना कदापि नहीं बैठता है। यहाँ अध्ययन व्यापक और स्थिति व्याप्य है। इसी भाँति मुख व्यादान के बिना कदापि नही सोता है। यहाँ मुखव्यादान व्यापक है तथा शयन व्याप्य है। इस प्रकार 'अधीत्य तिष्ठति' 'मुखं व्यादाय स्वपिति' का 'तत्तत्कालविशेषावच्छिन्नं यत्तत्कर्तृकमध्ययनं मुखव्यादानं च तन्निष्ठव्यापकता-निरूपितव्याप्यता तत्कर्तृकस्थितिस्वापयोः' ऐसा अर्थ बोध होता है। तभी व्याप्त्व, सामानाधिकरण्य रूप संसर्ग का बोध होता है। यहाँ सामानाधिकरण्य, व्याप्यत्व आदि सम्बन्ध का संसर्गमर्यादा से लाभ होने के कारण 'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' सूत्र से विहित क्त्वा प्रत्यय का वाच्य नहीं हो सकता है। अतः 'अव्यय कृतो भावे' वार्त्तिक से भाव अर्थ में क्त्वा आदि प्रत्यय का विधान उचित है। ऐसी स्थिति में 'भुक्त्वा व्रजति' इत्यादि की दो प्रकृत्यर्थ क्रियाओं (भोजन, व्रजन) में समानकर्तृकत्वादि सम्बन्ध के क्त्वा आदि

पर्युदासाश्रयणात् । अत एव 'प्रासादे आस्ते' इत्यत्र प्रसादनिरूपिताधिकरणस्याभिधानेऽप्यासित्व क्रियाधिकरणस्यानभिधानात् सप्तमीति, भाष्ये स्पष्टम् । तस्मात् क्त्वाप्रत्ययस्य कर्तृवाचित्वमावश्यकमिति, तन्न, सूत्रात्तस्य वाच्यत्वालाभात् । 'समानकर्तृकयोः क्रिययोः पूर्वकाले क्त्वे' त्येव तदर्थात् । अन्यथा समानकर्तरीत्येव सूत्रन्यासः स्यात् । तृतीया-

---

सावित्री

प्रत्यय तात्पर्यग्राहकत्व रूप से द्योतक होते हैं । समानकर्तृकत्व आदि क्त्वा प्रत्यय के वाच्य अर्थ नहीं होते हैं, इसीलिये 'समानकर्तृकयोः' सूत्र पर भाष्यकार ने कहा है—इह कस्मान्न भवति, पूर्वं भुङ्क्ते, पश्चात् व्रजति । स्वशब्देनोपात्तत्वान्न' भवति ।

यहाँ 'पूर्वं भुङ्क्ते' 'पश्चात् व्रजति' इत्यादि में भोजन, व्रजन क्रियाओं में समानकर्तृक, पूर्वोत्तरकालिकत्व आदि की प्रतीति के कारण 'क्त्वा' प्रत्यय होने की शंका की गई तथा उसके समाधान के लिये कहा—स्वशब्देनोक्तत्वान्न । इसका अभिप्राय यह है कि स्वशब्द अर्थात् (वाक्य में यदुक्त) पूर्वोत्तर शब्द से पूर्वोत्तरकालिकत्व अर्थ का लाभ हो जाता है । 'उक्तार्थानामप्रयोगः' इस न्याय से उन अर्थों में क्त्वा आदि प्रत्यय नहीं होते हैं । इसलिये कैयट ने कहा है—पौर्वापर्यकाले द्योत्ये क्त्वादिर्विधीयते न तु विषय इति भावः । इस भाष्य और कैयट ग्रन्थ से सुस्पष्ट है कि पूर्वोत्तरकालिकत्व आदि क्त्वा प्रत्यय के द्योत्य अर्थ है, वाच्य अर्थ नहीं है ।

नैयायिकों के मत को दूषित करने के लिये कहा है—

जो यह कहा है कि 'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' इस सूत्र से समानकर्तृकत्व' क्त्वा प्रत्यय का अर्थ है—इसका लाभ हो जायगा । यहाँ दोनों पदों में बहुव्रीहि समास है । समानकर्तृकयोः का अर्थ है—समानः कर्त्ता ययोः क्रिययोः । यहाँ क्रियारूप अर्थ अन्यपदार्थ है । पूर्वकाल = पूर्वः कालो यस्य—षष्ठ्यर्थ बहुव्रीहि है । इससे 'समानः कर्ता ययोस्तादृशक्रिययोर्मध्ये पूर्वकालसम्बन्धिक्रियारूपार्थवाचकाद् धातोः क्त्वा प्रत्ययो भवति' यह अर्थ होने से समानकर्तृक अर्थ धातु से ही लाभ हो जायगा, उस अर्थ में क्त्वा प्रत्यय का विधान अनपेक्षित है । यदि पूर्वोक्त रीति से सूत्र के द्वारा 'समानकर्तृक' अर्थ का लाभ न मानते तो 'समानकर्तरि' ऐसा ही सूत्र न्यास करते न कि 'समानकर्तृकयोः' ऐसा सूत्र करते ।

यहाँ सन्देह होता है कि जब कर्त्ता को क्त्वा प्रत्यय का अर्थ नहीं मानते हैं तो 'ओदनं पक्त्वाऽहं भोक्ष्ये' में कर्ता के अनुक्त होने से 'अहम्' के स्थान पर तृतीया विभक्ति का रूप होने को आपत्ति होगी । यदि कहें कि 'भोक्ष्ये' में कर्त्ता अर्थ में तिङ् होने से कर्त्ता उक्त है, इसलिये तृतीया होने की आपत्ति नहीं होगी, तो इसका उत्तर यह है कि 'भोक्ष्ये'

पादनं तु आख्यातार्थक्रियायाः प्रधानभूतायाः कर्तुरभिधानात् प्रधानानुरोधेन गुणे कार्यंप्रवृत्तेर्न संभवति ।

उक्तञ्च वाक्यपदीये—

"प्रधानेतरयोर्यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् ।
शक्तिर्गुणाश्रया तत्र प्रधानमनुरुध्यते ॥

सावित्री

के तिङ् से भोजन क्रिया का कर्त्ता उक्त होने पर भी पाक क्रिया का कर्त्ता अनुक्त होने से तृतीया होने की आपत्ति बनी रहेगी ।

'कर्तृकरणयोस्तृतीया' सूत्र से तृतीया विभक्ति के विधान में 'अनभिहिते' सूत्र का अधिकार आता है जिससे 'अनभिहिते' में पर्युदास नञ् का आश्रयण किया गया है । यहाँ यद्यपि पाक और भोजन क्रिया का कर्त्ता एक है तथापि 'भोक्ष्ये' में भुजि क्रिया का कर्त्ता उक्त होने पर भी पाक क्रिया का कर्त्ता अनुक्त होने से अनभिहित मानकर तृतीया होने की आपत्ति बनी रहेगी ।

'कर्तृकरणयोस्तृतीया' सूत्र से तृतीया विभक्ति के विधान में 'अनभिहिते' सूत्र का अधिकार आता है जिससे अनभिहित कर्त्ता, कर्म अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है । 'अनभिहिते' में पर्युदास नञ् का आश्रयण किया गया है । यहाँ यद्यपि पाक और भोजन क्रिया का कर्त्ता एक है तथापि 'भोक्ष्ये' में भुजि क्रिया का कर्त्ता उक्त होने पर भी पाक क्रिया का कर्त्ता अनुक्त होने से अनभिहित मानकर तृतीया होने की आपत्ति बनी रहेगी । कर्त्ता के एक होने पर भी क्रिया के भेद से कारक भेद मानकर कर्त्ता का अनभिहित होना सिद्ध होता है । 'अनभिहिते' इसका अधिकार होने के कारण ही 'प्रासादे आस्ते' में सप्तमी विभक्ति हुई है । यहाँ 'प्रसीदत्यस्मिन्' इस अर्थ में 'प्र' पूर्व 'सद्' धातु से अधिकरण अर्थ में 'हलश्च' (३।३।१२१) सूत्र से अधिकरण में 'घञ्' प्रत्यय होता है और 'उपसर्गस्य घञमनुष्ये बहुलम्' (६।३।१२२) सूत्र से पूर्व पद को दीर्घ होकर 'प्रासाद' रूप निष्पन्न होता है । यहाँ घञ् प्रत्यय के द्वारा 'सद्' क्रिया का अधिकरण उक्त होने पर भी 'आस्' क्रिया का अधिकरण अनुक्त होने से अनभिहित मानकर 'प्रासादे' में सप्तमी का विधान होता है—यह बात भाष्य में स्पष्ट की गई है । इसी समान स्थिति में 'ओदनं पक्त्वाऽहं भोक्ष्ये' इस वाक्य में तृतीया की आपत्ति वारण के लिये 'क्त्वा' प्रत्यय को कर्त्ता का वाचक मानना आवश्यक है । इसके उत्तर में कहना है कि पूर्वोक्त प्रकार का कथन अनुचित है क्योंकि 'समानकर्तृकयोः' सूत्र से ही कर्त्ता अर्थ का लाभ हो जाता है । इसीलिये 'समान-

प्रधानविषयाशक्तिः प्रत्ययेनाभिधीयते ।
यदा गुणा तदा तद्वदनुक्ताऽपि प्रतीयते" इति ॥

सावित्री

कर्तृकयोः क्रिययोः पूर्वकाले क्त्वा प्रत्ययो भवति' ऐसा 'समानकर्तृकयोः पूर्वकाले' सूत्र का अर्थ होता है। यदि पूर्वोक्त प्रकार से सूत्र द्वारा कर्ता अर्थ का लाभ न होता हो तो 'समानकर्तृकयोः' के स्थान पर 'समानकर्तरि' ऐसा ही सूत्र का न्यास करते।

'क्त्वा' प्रत्यय का कर्त्ता न मानने पर 'ओदनं पक्त्वाऽहं भोक्ष्ये' में तृतीया की आपत्ति का समाधान यह है कि 'भोक्ष्ये' यह प्रधान क्रिया है, पाक क्रिया विशेषणीभूत होने से गौण है। प्रधान क्रिया के तिङ् से कर्त्ता उक्त है उसी के अनुरोध से गौणभूत पाक क्रिया का भी कर्त्ता उक्त मान लिया जायगा जिससे तृतीया विभक्ति होने की आपत्ति नहीं होगी।

यत्र=वाक्ये, प्रधानेतरयोः=मुख्यगौणयोः क्रिययोः द्रव्यस्य=कारकस्य (कर्त्तुः) पृथक् पृथक् शक्तिः दृश्यते तत्र गुणाश्रया=गुणक्रियानिरूपितशक्तिः, प्रधानमनुरुद्ध्यते=प्रधानक्रियानुरोधिनी भवति।

अभिप्राय यह है कि जिन वाक्यगत मुख्य और गौण क्रियाओं में कारकशक्ति पृथक् पृथक् दिखाई पड़ती है वहाँ गौणभूत क्रिया प्रधानीभूत क्रिया का अनुसरण करती है। यदि प्रत्यय के द्वारा प्रधान क्रिया की कारकशक्ति उक्त होती है तो उसी प्रत्यय के द्वारा अनुक्त भी गौण क्रिया की कारकशक्ति उक्त समझनी चाहिये। इसी तुल्य न्याय के अनुसार यदि तिङ् प्रत्यय के द्वारा प्रधानक्रिया निरूपित कारक शक्ति अनुक्त है तो गौण क्रिया निरूपित कारकशक्ति तिङादि प्रत्यय के द्वारा उक्त होने पर भी अनुक्त की भाँति समझना चाहिये।

यदि गुणक्रिया निरूपित कारकशक्ति प्रधानक्रिया निरूपित कारक शक्ति की अनुगामिनी होती है—ऐसा नहीं मानेंगे तो कर्म भी क्त्वा प्रत्यय का अर्थ होने की आपत्ति होगी जिससे 'पक्त्वौदनो मया भुज्यते' यहाँ पर 'ओदन' में द्वितीया के वारण का कोई उपाय नहीं रहेगा।

यहाँ 'ओदन' में भोजन तथा पाक, दो क्रिया निरूपित दो कर्म की प्रतीति होती है। 'भुज्' धातु से उत्तर तिङ् प्रत्यय से भुजिक्रिया निरूपित कर्मत्व के उक्त होने पर भी 'पच्' धातु से उत्तर क्त्वा प्रत्यय से अनुक्त होने के कारण 'ओदन' पद से द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति है। उसके वारण के लिये 'क्त्वा' प्रत्यय की कर्मवाचकता स्वीकार करनी चाहिये। यदि 'क्त्वा' प्रत्यय की कर्त्ता अर्थ में शक्ति मानते हैं तो द्वितीया विभक्ति का वारण संभव न होगा क्योंकि ओदननिष्ठपाकक्रियानिरूपित जो कर्मत्व, उसका क्त्वा प्रत्यय से अभिधान नहीं होता है। अतः अनुक्त कर्म होने से द्वितीया की आपत्ति स्वाभाविक है। इसलिये

किं च अन्यथा कर्मणोऽपि क्त्वार्थतापत्तिः; पक्त्वौदनो मया भुज्यत इत्यत्र द्वितीयायाः प्रकारान्तरेणावारणात् इत्यास्तां विस्तरः ॥१०।६०॥

॥ इति वैयाकरणभूषणसारे क्त्वाद्यर्थनिर्णयः ॥

सावित्री

गुणक्रिया निरूपित कारकशक्ति प्रधानक्रिया निरूपित कारकशक्ति की अनुगामिनी होती है—इस न्याय का अनुसरण करने से प्रधानीभूत भुज् क्रिया निरूपित कर्मत्व का तिङ् प्रत्यय के द्वारा अभिधान होने पर गुणीभूत भुजिक्रिया निरूपित कर्मत्व शक्ति का क्त्वा' प्रत्यय के द्वारा अभिधान न होने पर भी अभिधान माना जायगा और तब कर्म के अनुक्त न रहने से द्वितीया की प्राप्ति नहीं होगी ॥६०॥

इस प्रकार 'वैयाकरणभूषणसार' के 'क्त्वाद्यर्थनिर्णयः' प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ॥

अथ स्फोटनिर्णयः

सिद्धान्तनिष्कर्षमाह—

वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः ।
साधुशब्देऽन्तर्गता हि बोधका न तु तत्स्मृताः ॥१।६१॥

यद्यपि वर्णस्फोटः, पदस्फोटो वाक्यस्फोटोऽखण्डपदवाक्यस्फोटौ वर्णपदवाक्यभेदेन त्रयो जातिस्फोटा इत्यष्टौ पक्षाः सिद्धान्तसिद्धा इति वाक्यग्रहणमनर्थकं दुरर्थकं च तथापि वाक्यस्फोटातिरिक्तानामवास्तवत्वबोधनाय तदुपादानम् । एतदेव ध्वनयन्नाह—अतिनिष्कर्ष इति ।

सावित्री

नैयायिकों के मत से शब्द अनित्य है उनके मत का खण्डन करने के लिये इस कारिका का आरम्भ किया गया है । वैयाकरण के मत से प्रकृति, प्रत्यय आदि की कल्पना अवास्तविक है, वाक्यस्फोट ही वास्तविक है । यही प्रमाणों के द्वारा निष्कर्ष है ।

स्फोट=स्फुटति प्रकाशते, ज्ञातो भवत्यर्थोऽनेनास्माद्वेति स्फोटः । इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थशक्तिमान् शब्द ही 'स्फोट' पदार्थ है ।

आगे वर्ण, पद आदि के भेद से आठ प्रकार के स्फोट का वर्णन करेंगे किन्तु वाक्यस्फोट ही अत्यन्त निष्कर्ष अर्थात् प्रमाणों से निर्णीत पदार्थ है—ऐसा वैयाकरणों का सिद्धान्त है । 'पचति' इत्यादि साधु शब्दों के अन्तर्गत 'पच्' धातु, 'ति' प्रत्यय आदि ही अर्थ के बोधक होते हैं, 'ति' प्रत्यय के द्वारा स्मृत लकार आदि वाचक नहीं होते हैं । यह स्फोट एक, नित्य और विभु होता है ।

'असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते' इस क्रम के अनुसार वर्ण, पद आदि अवास्तविक स्फोट विभाग बताकर उन सब का पर्यवसान वाक्यस्फोट में किया है । स्फोट के आठ विभाग क्रमशः इस प्रकार है—

१—वर्णस्फोट ।
२—पदस्फोट ।
३—वाक्यस्फोट ।

मतस्थितिर्वैयाकरणानां महाभाष्यकारादीनाम् । तत्र क्रमेण सर्वास्तान्नि रूपयन्वर्णस्फोटं प्रथमभाह — साधु शब्द इति । साधुशब्दानन्तर्गता वाचका न वेति विप्रतिपत्तिः ।

विधिकोटिरन्येषां नेति वैयाकरणानाम् । साधुशब्दे पचति राम इति प्रयुज्यमानेऽन्तर्गतास्तिब्विसर्गादय एव बोधका वाचकास्तेषामेव

सावित्री

४ — अखण्ड पदस्फोट ।

५ — अखण्डवाक्यस्फोट ।

६ — वर्णजातिस्फोट ।

७ — पदजातिस्फोट ।

८ — वाक्यजातिस्फोट ।

उपर्युक्त सभी प्रकार के स्फोटों का उपयोग वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिये किया जाता है ।

उपर्युक्त ८ प्रकार का स्फोट वर्णन करने से कारिका में मुख्य रूप से 'वाक्यस्फोट' का ग्रहण करना अनर्थक है या [1]दुरर्थक=विरुद्धार्थक है । तथापि वाक्यस्फोट से अतिरिक्त स्फोटों की अवास्तविकता के बोधन के लिये उनका ग्रहण किया गया है । इसी को ध्वनन करने के लिये कहा है—अतिनिष्कर्ष इति । महाभाष्यकार आदि के अनुसार 'वाक्यस्फोट' ही प्रामाणिक सिद्धान्त है । वहाँ वर्ण, आदि स्फोटों का क्रमिक वर्णन करते हुये कहा है— साधुशब्दान्तर्गता इति । 'पचति' इत्यादि साधु शब्द गत प्रकृति, प्रत्यय से स्मृत लकारादि बोधक होते है—इस प्रकार का संशय होता है ।

यहाँ 'अन्येषाम्' का तात्पर्य नैयायिकों से है । नैयायिक 'पचति' 'रामः'—इत्यादि साधु शब्दों में विद्यमान तिप्, विसर्ग से स्मृत लकार, सु आदि प्रत्यय को वाचक मानते हैं जबकि वैयाकरणों का सिद्धान्त है कि 'पचति' 'रामः' इत्यादि साधु शब्द घटक ति, विसर्ग-आदि ही बोधक हैं, उनसे स्मृत लकार, स्वादि प्रत्यय वाचक नही होते हैं । ति, विसर्ग आदि

१—दुरर्थकम्—(क) दुष्टु अर्थः प्रयोजनं यस्य तद् दुरर्थकम् अन्यासंग्रहरूपदोषग्रस्तञ्चेत्यर्थः । वैयाकरण भूषणसार—दर्पण—४५१

(ख) तदुपादाने याक्यातिरिक्तानामसंग्रहापत्ते रितिभावः ।
(वैयाकरणभूषणसार—दर्पण—४५१)

शक्तत्वस्य प्राग्व्यवस्थितत्वान्न तु तैः स्मृताः लादयः स्वादयश्चे, त्यर्थः ॥१॥६१॥

ये तु प्रयोगान्तर्गतास्तिब्विसर्गादयो न वाचकास्तेषां बहुत्वेन शक्त्यानन्त्यापत्तेः। 'एधाञ्चक्रे' 'ब्रह्मे'त्यादावादेशभूतलुगादेरभाव-रूपस्य बोधकत्वासंभवाच्च। किन्तु तैः स्मृताः लकाराः स्वादयश्च-वाचकाः, लत्वस्य जातिरूपतया शक्तताव्च्छेदकत्वौचित्यात्, अव्यभि-चाराच्च। आदेशानां भिन्नतया परस्परव्यभिचारित्वात्। 'लः कर्मणि'

सावित्री

की वाचकता की व्यवस्था 'शक्तिनिरूपण' नामक पूर्व प्रकरण में कर दी गई है कि वे (ति, विसर्ग आदि) ही शक्त हैं, उससे स्मृत लकार स्वादि प्रत्यय बोधक नही हैं ॥१॥

नैयायिकों का मत खण्डन करने के लिये पहले उनका मत उपस्थित करते हैं। नैयायिकों का पक्ष है कि 'पचति' 'रामः' इत्यादि साधु शब्दो में विद्यमान ति, विसर्ग-आदि संख्या में बहुत हैं उनको वाचक मानने से शक्त्याश्रय शब्द अनन्त हो जायँगे जिससे गौरव होगा। इसलिये तिबादि से स्मृत लकार, विसर्ग से स्मृत स्वादि को ही वाचक मानना उचित है।

इसके अतिरिक्त नैयायिक यह भी कहते हैं कि 'एधाञ्चक्रे' में 'आमः' (२।४।८१) सूत्र से लिट् का लुक् होता है, 'ब्रह्म' पद के उत्तरवर्त्ती 'सु' का लोप होता है। यह लुक्, लोप आदि अभाव रूप है। इसलिये इनसे अर्थ बोध संभव नही है क्योंकि वैयाकरण का सिद्धान्त है—उच्चारित इति।

अत एव नैयायिक ति, विसर्ग-आदि से स्मृत लकार और स्वादि को ही वाचक मानते है। आगे नैयायिकों का यह भी कहना है कि सभी लकारों में अनुगत रूप से भासमान 'लत्व' रूप जाति एक ही है, उसी को शक्तावच्छेदक मानने में लाघव है। साथ ही 'लत्व' जाति को शक्ततावच्छेदक मानने पर तिप्-तस्-झि-इत्यादि में परस्पर व्यभिचार दोष भी नहीं होता है। 'तिप्' आदि आदेशों को वाचक मानने पर उनके एक दूसरे से भिन्न होने के कारण परस्पर व्यभिचार होता है। इसलिये इन आदेशों से स्थानी रूप में स्मृत लकार को ही वाचक मानना चाहिये। सर्वत्र समान रूप से प्रतीति होती है और कहीं व्यभिचार भी नही होता है। नैयायिकों का यह भी कहना है कि लकार को वाचक मानने में पाणिनि का यह सूत्र भी प्रमाण है—लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः (३।४।६९)। इसके अनुसार सकर्मक धातुओं से कर्त्ता, कर्म तथा अकर्मक धातुओं से कर्त्ता, भाव अर्थ में लकार का विधान

(३।४।६९) इत्याद्यनुशासनानुगुण्याच्च । न ह्यादेशेष्वर्थबोधकमनुशासनमुपलभामहे इत्याहुः ।

तान् स्वसाधकयुक्तिभिर्निराचष्टे—

व्यवस्थितेर्व्यवहृतेस्तद्धेतुन्यायतस्तथा ।
किं चाऽऽख्यातेन शत्राद्यैर्लडेव स्मार्यते यदि ॥२॥
कथं कर्तुरवाच्यत्ववाच्यत्वे तद्विभावय ॥६२॥

व्यवस्थानुरोधात्प्रयोगान्तर्गता एव वाचकाः, न तु तैस्तत्स्मृता इत्यर्थः । तथा हि—पचतीत्यादौ लकारमविदुषो बोधान्न तस्य वाचकत्वम् । न च तेषां तिङ्क्षु शक्तिभ्रमाद् बोधः, तस्य भ्रमत्वे माना-

---

सावित्री

किया गया है । 'तिप्' आदि लकार के आदेशों को वाचक मानने में पाणिनि का कोई अनुशासन (सूत्र) नहीं मिलता है । इस प्रकार लकार, आदि को ही वाचक मानना चाहिये—ऐसा नैयायिकों का सिद्धान्त है ।

पूर्वोक्त प्रकार के नैयायिकों के मत को अपनी युक्तियों से खण्डन करते हैं—व्यवस्थितेर्व्यवहृतेः—इत्यादि । व्यवस्था और व्यवहार के अनुरोध से तथा 'तद्धेतुन्याय' से साधु शब्द में विद्यमान 'तिप्' आदि प्रत्यय ही वाचक होते हैं । यदि यह मान लिया जाय कि आख्यात (तिङन्त), शतृ, शानच् आदि के द्वारा लट् आदि लकार का ही स्मरण होता है तो 'वक्ता' में तृच् प्रत्यय के द्वारा कर्त्ता तथा 'पचति' में 'तिप्' प्रत्यय के द्वारा भावना की वाचकता का नैयायिक मीमांसकों का सिद्धान्त उपपन्न नही हो सकेगा क्योंकि दोनों स्थलों में लकार ही स्थानी है । इसलिये 'पक्ता' इत्यादि कृत्प्रत्यय स्थल में कर्त्ता अर्थ हो तथा 'पचति' इत्यादि तिङन्त स्थल में भावना अर्थ हो—ऐसा सिद्धान्त उपपन्न न हो सकेगा ।

(इसकी विस्तृत व्याख्या आगे की गई है)

व्यवस्था के अनुरोध से प्रयोग में स्थित 'तिप्' विसर्ग आदि ही वाचक होते हैं न कि तिप्' आदि से स्मृत लकार आदि बोधक होते हैं । 'प्रमाण के द्वारा पदार्थनिर्धारण को व्यवस्था कहते हैं । 'पचति' इत्यादि में लकार का ज्ञान न रखने वाले अवैयाकरण को बोध होता है, इसलिये लकार को वाचक मानना उचित नहीं है । यदि यह कहें कि तिङादि

१—वैयाकरणभूषणसार—दर्पण—पृष्ठ—४५७

भावात् । आदेशिनामपि तत्तद्वैयाकरणैः स्वेच्छया भिन्नानामभ्युपगमात्, कः शक्तः को नेति व्यवस्थानापत्तेश्च । सर्वेषां शक्तत्वे गौरवम्; व्यभिचारश्चास्त्येव । आदेशानां प्रयोगान्तर्गततया नियतत्वात् युक्तं तेषां शक्तत्वम् । तथा चादेशिस्मरणकल्पना नेति लाघवम् ।

साधकान्तरमाह — व्यवहृतेरिति — व्यवहारस्तावच्छक्तिग्राहकेषु मुख्यः । स च श्रूयमाणतिङादिष्वेवेति ते एव वाचका इत्यर्थः ।

किञ्च तद्धेतुन्यायत इति—लकारस्य बोधकत्वे 'भू ल्' इत्यतोऽपि बोधापत्तिः स्यात् । तादृशबोधे भवतीति समभिव्याहारोऽपि कारणमिति चेत् तर्ह्यावश्यकत्वादस्तु तादृशसमभिव्यवहारस्यैव वाचकत्व-

सावित्री

से अवैयाकरणों को जो बोध होता है वह शक्ति भ्रम से होता है, तो उसे भ्रम मानने में कोई प्रमाण नही है । तिप्, विसर्ग आदि के जो स्थानी है उनको पाणिनि, कातन्त्र, शाकटायन आदि विभिन्न वैयाकरणों ने भिन्न-भिन्न माना है । किसी ने तिप्' का स्थानी 'लट्' माना हैं, तो किसी ने 'कट्' माना है। किसी ने विसर्ग का स्थानी 'सु' माना है. किसी ने 'सि' को स्वीकारा है, किसी ने 'र' को माना है । ऐसी स्थिति में किस स्थानी को वाचक माना जाय, किसे न माना जाय—इसकी व्यवस्था नही बन सकती है । यदि सभी को वाचक मान लिया जाय तो अनेक में शक्ति की कल्पना करनी होगी जिससे गौरव होगा । जिस स्थल में किसी एक स्थानी को वाचक मानेंगे उसी समय उसी स्थल में दूसरे स्थानी को वाचक नही मान सकते है—इसलिये स्थानियों में परस्पर व्यभिचार दोष भी होगा । प्रयोग के अन्तर्गत जो तिप्, विसर्ग आदि आदेश हैं वे नियत हैं । अतः शक्ति का आश्रय उन्हीं को मानना उचित होगा । प्रयोग में स्थित तिबादि को वाचक मानने से स्थानी के स्मरण की कल्पना भी नहीं करनी पड़ती है, यह भी एक लाघव है । इस प्रकार आदेशों को ही वाचक मानना उचित है ।

तिप्, विसर्ग आदि आदेशों को ही वाचक मानने में दूसरा भी हेतु प्रस्तुत करते हैं—व्यवहृतेरिति । अभिप्राय यह है कि शक्तिज्ञान में व्यवहार ही मुख्य कारण होता है । कहा है—

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च ।
वाक्यस्य शेषाद् विवृत्तेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥

व्यवहारतः प्रयोग में श्रूयमाण तिप्, विसर्ग आदि में ही शक्तिग्रह होता है । इसलिये

शक्तिः। अन्यथा लकारस्य वाचकत्वम्, समभिव्याहारस्य कारणत्वञ्चेत्युभयं कल्प्यमिति गौरवं स्यात्। तथा च तादृशसमभिव्याहारः, समभिव्याहृता वर्णा वेत्यत्र प्रयोगान्तर्गता वर्णा वाचका इति सिद्धयतीति भावः॥

अपि च लकारस्यैव वाचकत्वे कृत्तिङोः कर्तृभावनावाचकत्वव्यवस्था त्वत्सिद्धान्तसिद्धा न स्यादित्याशयेनाऽऽह—किञ्चेति।

सावित्री

उन्हीं को वाचक मानना न्याय संगत है। आदेशों को ही वाचक मानने में एक अन्य कारण प्रस्तुत करते हुए कहा है—तद्धेतुन्यायतस्तथा। उसकी व्युत्पत्ति उस प्रकार है—तस्य=कारणीभूतस्य हेतुस्तद् हेतुः, स चासौ न्यायश्च तद्धेतुन्यायस्तस्मादित्यर्थः तद्धेतोरेव कारणत्वमस्तु किं तेन।

उदाहरण रूप से 'तस्य' पद से कपाल आदि का ग्रहण कर सकते हैं, उसका हेतु=कारण मृदादि होगा, उसी को घट आदि का कारण मानना चाहिये। अभिप्राय यह है कि कपाल आदि के कारणीभूत मृदादि को ही घटादि का कारण मानने में लाघव है। यदि घट के प्रति कपाल को कारण मानते हैं तो कपाल और मृद् (मिट्टी) दो को कारण मानना पड़ेगा जिससे गौरव होगा। यहां 'तद्धेतोरेव कारणत्वम्' इत्याकारक तद्धेतुन्याय का आशय है। प्रकृत में तिबादि आदेश से स्मृत लकार को बोधक मानने पर श्रूयमाण लकार की बोधकता स्वतः सिद्ध रहेगी। तब आदेश से स्मृत लकार और 'भू ल्' इत्यादि में श्रूयमाण लकार—दोनों को वाचक मानना होगा जिससे गौरव होगा। लकार को वाचक मानने पर 'भू-ल्' इस समभिव्याहार (पूर्वापरीभावपूर्वक उच्चारण) को कारण मानना होगा। इस प्रकार लकार को वाचक तथा तादृश (पचति) समभिव्याहार को कारण मानने में दोनों की कल्पना करनी पड़ेगी जिससे विशेष गौरव होगा। इसकी अपेक्षा 'पचति' इस समभिव्याहार या विनिगमक के अभाव से समभिव्याहृत वर्णों को ही वाचक मानने में लाघव है। इससे तिबादि आदेशों की ही वाचकता सिद्ध होती है।

इसके अतिरिक्त लकार को ही वाचक मानने के पक्ष में लकार के स्थान में विधीयमान 'कृत्' प्रत्यय का कर्त्ता अर्थ होता है और उसी लकार के स्थान में विधीयमान 'तिङ्' प्रत्यय का कर्त्ता अर्थ होता है—यह जो आप नैयायिक और मीमांसकों का सिद्धान्त है, उसकी सिद्धि न हो सकेगी—इसलिये कहा गया है—किञ्चेति।

अभिप्राय यह है कि नैयायिक, मीमांसकों के अनुसार 'पक्ता' इत्यादि में कृत्प्रत्यय का कर्त्ता अर्थ है 'पचति' इत्यादि तिङन्त में तिङ् का भावना अर्थ है। कृत् और तिङ्—

आदेशानां वाचकत्वे च तिङ्त्वेन भावनायां शानजादिना कर्तरिशक्तिरित्युपपद्यते विभाग इति भावः ।

न च शानजादौ कृतिर्लकारार्थः, आश्रय शानजर्थ इत्यस्तु 'कर्तरि कृत्' (३।४।६७) इत्यनुशासनादिति शङ्क्यम्, स्थान्यर्थेन निराकाङ्क्षतया शानजादौ कतरीत्यस्याप्रवृत्तेरन्यथा घञादावपि प्रवर्तेत ॥२।६२॥

'देवदत्तः पचमानः' इत्यादिसामानाधिकरण्यानुरोधाच्छानचः कर्त्ता वाच्यः स्यादित्याशङ्क्याह—

तरबाद्यन्ततिङ्क्ष्वस्ति नामता कृत्स्विव स्फुटा ॥३।६३॥
नामार्थयोरभेदोऽपि तस्मात्तुल्योऽवधार्य्यताम् ।

सावित्री

दोनों स्थलों में लकार ही स्थानी है—यदि लकार ही वाचक है तो दोनों स्थलों अर्थ भेद हो जायगा, जिससे नैयायिक, मीमांसकों का अपने ही सिद्धान्त से विरोध होगा ।

यदि स्थानी को वाचक न मान कर आदेशों को वाचक मानेंगे तो 'तिङ्' को भावना तथा शान आदि 'कृत्' प्रत्यय की कर्त्ता अर्थ में शक्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी । इस प्रकार दोनों का विभाग उपपन्न हो सकेगा । यदि यह कहें कि नैयायिकों के अनुसार लकार का अर्थ 'कृति' है और लकार के स्थान में विधीयमान शतृ, शानच्-आदि प्रत्ययों का 'कर्त्तरि कृत्' (३।४।६७) । इस सूत्र के अनुसार कृत्याश्रय अर्थात् कर्त्ता अर्थ हो जायगा । इस प्रकार नैयायिकों के मत में कोई दोष नहीं होगा । इसके उत्तर में ग्रन्थकार का कहना है—स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैवादेशता' अर्थात् 'स्थान के अर्थ कथन में समर्थ ही आदेश होता है' इस भाष्य नियम के अनुसार स्थानी जिस अर्थ को कहता है आदेश भी उसी अर्थ का प्रतिपादन करता है । ऐसी स्थिति में स्थानी 'लट्' का कर्त्ता आदि जो अर्थ है उस स्थान में विहित शतृ, शानच् आदि के भी वही अर्थ होगें क्योंकि आदेश स्थानी के ही अर्थ से अर्थवान् होते हैं । इसलिये शतृ, शानच आदि आदेश अर्थांश में साकाङ्क्ष नहीं होंगे । फलतः आदेशों के अर्थ निर्धारण में 'कर्तरि कृत्' आदि की स्वतः प्रवृत्ति नही होगी । अन्यथा आदेश के अर्थांश में निराकाङ्क्ष रहने पर भी यदि 'कर्त्तरि कृत्' आदि की प्रवृत्ति स्वीकार करेंगे तो 'भावे' (३।३।१८) सूत्र से अर्थ निर्देश पूर्वक प्रत्यय का विधान होने से 'घञ्' प्रत्यय यद्यपि अर्थांश में निराकाङ्क्ष है तथापि में 'कर्तरि कृत्' की प्रवृत्ति होगी और घञ् आदि प्रत्यय का भी कर्त्ता अर्थ होने की आपत्ति होगी ॥२।६२॥

'पचतितरां मैत्रः' 'पचतिकल्पं मैत्रः' इत्यादिषु नामार्थत्वाभेदान्वययोः सम्भव एवेति कर्तृवाचकता स्यादिति भावः। न च पचतिकल्पमित्यत्र सामानाधिकरण्यानुरोधात् कर्त्तरि लक्षणा, 'पचमानः'

सावित्री

नैयायिक के मत में शानच् आदि प्रत्यय कर्त्ता के वाचक हैं इसमें प्रमाणान्तर प्रस्तुत करते हुये कहते हैं—देवदत्तः पचमान इत्यादि।

'देवदत्तः पचमानः' के दोनों पदों में सामानाधिकरण्य आवश्यक है। सामानाधिकरण्य का अर्थ है—समानविभक्तिकत्वे सत्यभेदेनैकार्थबोधजनकत्वम्। अर्थात् समान विभक्तिक होते हुये अभेद सम्बन्ध से एक अर्थ का बोधजनक होना सामानाधिकरण्य कहलाता है। यहाँ देवदत्तः और पचमानः दोनों में प्रथमा विभक्ति का एकवचन होने से समानविभक्तिकत्व है तथा दोनों पद अभेद सम्बन्ध से विक्लित्यनुकूलव्यापाराश्रय रूप एक ही अर्थ के वाचक हैं। इससे इन दोनों पदों में सामानाधिकरण्य सुनिश्चित है।

यहाँ 'देवदत्त' इस नामार्थ का 'पचमानः' शानजन्त अर्थ के साथ अभेदान्वय बोध होना सभी लोगों का अनुभव सिद्ध है। इस सर्वानुभव अभेदान्वय के अनुरोध से नैयायिकों के मत में लकार कृति का वाचक होते हुये भी शानच् आदि कृत् प्रत्यय कर्त्ता के वाचक होंगे—इस आरोप का समाधान करते हुये ग्रन्थकार ने कहा है—

तरबाद्यन्ततिङ्क्ष्वस्ति नामता कृत्स्विव स्फुटा।
नामार्थयोरभेदोऽपि तस्मात्तुल्योऽवधार्यताम् ॥३।६२॥

अर्थात् तरबाद्यन्त तिङों (पचतितरां मैत्रः) में कृत्प्रत्ययान्त (पचमानः) की भाँति नामता (प्रातिपदिक होना) सुस्पष्ट है। इसलिये इन दोनों स्थलों में समान रूप से अभेदान्वय होता है—ऐसा समझना चाहिये। 'पचतितरां मैत्रः' 'पचतिकल्पं मैत्रः' इन दोनों स्थलों में नामार्थों का अभेदान्वय संभव है और इसी से तिङो की कर्तृवाचकता भी सिद्ध हो जाती है।

'पचतितरां मैत्रः' में पचतितराम्' का अर्थ है—अतिशयेन या विक्लितिस्तदनुकूला भावना। इसका मैत्र के साथ अभेदान्वय होता है। 'पचति कल्पं मैत्रः' में 'पचतिकल्पम्' का अर्थ है—ईषदसमाप्ता या विक्लितिस्तदनुकूला भावना—इस अर्थ का मैत्र के साथ अभेदान्वय होता है।

यदि कहें कि 'पचतिकल्पम्' इत्यादि में सर्वानुभूत अभेदान्वय बोध की उपपत्ति के लिये लकार की कर्त्ता अर्थ में लक्षणा कर लेंगे। किन्तु ऐसा मानने पर 'पचमानश्चैत्रः' में भी सर्वानुभूत अभेदान्वय के अनुरोध से लट् लकार की कर्त्ता अर्थ में लक्षणा करने की आपत्ति होगी।

इत्यत्राप्यापत्तेरिति। लः कर्मणीत्यनुशासनञ्च लाघवात् कल्पिते लकारे कर्त्रादिवाचित्वं कल्पितमादायेत्युक्तम् ॥६३॥

॥ इति वर्णस्फोटनिरूपणम् ॥

सावित्री

एक यह भी शंका होती है कि यदि आदेश को ही वाचक माना जाय तो 'लः कर्मणि च भावे चाऽकर्मकेभ्यः' (३।४।६९। सूत्र से स्थानी लकार को कर्ता, कर्म का वाचक मानना अनुचित होगा, इसके उत्तर में कहा गया है कि यद्यपि व्यवहार दशा में श्रूयमाण तिबादि आदेश से ही अर्थ बोध देखा जाता है तथापि उस बोधकतारूप को लाघव वश प्रक्रियानिर्वाह के लिये तिबादि के स्थानी रूप से लकार की कल्पना करके उन लकारों में कर्त्ता, कर्म का विधान किया गया है—यह बात आख्यातार्थ निरूपण में कही गई है। जैसे—रामान्, रामैः—इत्यादि के नकार, विसर्ग निष्ठ कर्म, करण आदि बोधकता शक्ति को लेकर शस्, भिस् आदि का विधान किया गया है वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये।

इस प्रकार 'स्फोटवाद' में 'वर्णस्फोटः' प्रकरण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥

(अथ पदादिस्फोटनिरूपणम्)

अथादेशा वाचकाश्चेत् पदस्फोटस्ततः स्फुटः ॥६४॥

एवमादेशानां वाचकत्वे सिद्धे पदस्फोटोऽपि सिद्ध एवेत्याह— अथेत्यादि । आदेशाः = तिङ्विसंर्गादयः । अयं भावः—समभिव्याहृत-वर्णानां वाचकत्वे सिद्धे तादृशवर्णसमभिव्याहाररूपपदस्य वाचकता सिद्धयति । प्रतिवर्णमर्थस्मरणस्यानुभवविरुद्धत्वात् प्रत्येकं वर्णानामर्थवत्वे प्रातिपदिकत्वापत्तौ 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इत्यादिभिः घनम्, वनम् इत्यादौ नलोपाद्यापत्तेश्च ।

एतच्च चरमवर्णे एव वाचकत्वशक्तिः, शक्तेर्व्यासज्यवृत्तित्वे माना-भावात् । पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्यसंस्काराश्चरमेणार्थधीजनने सहकारिण इति न तन्मात्रोच्चारणादर्थधीरिति वर्णस्फोटवादिनां मतान्तरस्य दूष-णायोक्तम् । रामोऽस्तीति वक्तव्ये राम् इत्यनन्तरं घटिकोत्तरमोकारो-

---

सावित्री

इससे पूर्व प्रसङ्ग में सबसे बहिरङ्गभूत वर्णस्फोट का वर्णन किया गया । अब इसकी अपेक्षा अन्तरङ्ग 'पदस्फोट' का निरुपण करते हैं । पूर्व प्रकार से वर्ण समूह रूप पद के चरम वर्ण में ही वाचकता सिद्ध होती है, क्योंकि वर्णसमुदाय में शक्ति पर्याप्तत्व मानने में कोई प्रमाण नहीं है । पूर्व, पूर्व, वर्णानुभव से जन्य संस्कार अन्तिम वर्ण से अर्थ-बोध करने में सहकारी होते हैं ।

इसलिये अन्तिम वर्ण मात्र के उच्चारण से अर्थबोध नही होता है । समभिव्याहृत वर्णों को वाचक न मानने पर वर्ण समुदाय रूप पद को अवाचकता स्वतः सिद्ध हो जाती है—यह वर्णस्फोटवादियों का मतान्तर है । उसके खण्डन के लिये मूल में समुदाय को वाचक कहा गया है । 'रामोऽस्ति' इस वाक्य के निरन्तर उच्चारण से 'रामकर्तृक सत्ता' ऐसा अर्थबोध होता है । यहाँ 'राम्' इस मान्त उच्चारण के एक घटिका बाद यदि ओकार का उच्चारण किया जाय तो वहाँ भी अर्थबोध की आपत्ति होगी क्योंकि वहाँ 'राम्' इस उच्चारण के अनुभव से जन्य संस्कार विद्यमान हैं परन्तु व्यवहित उच्चारण होने से अर्थबोध नहीं होता है । इसलिये 'रामोऽस्ति' में रेफ उत्तरवर्ती आकारोत्तरवर्ती उकारत्व रूप आनुपूर्वी को ही शक्तावच्छेदक मानना उचित होगा ॥६४॥

च्चारणेऽर्थबोधापत्त्या तादृशानुपूर्व्या एव शक्तताऽवच्छेदकत्वौचित्या-दिति दिक् ॥६४॥

सुप्तिङन्तं पदमिति पारिभाषिकपदस्य स्वीकर्तॄणां मतमाह—

घटेनेत्यादिषु न हि प्रकृत्यादिभिदा स्थिता ।
वस्नसादाविवेहापि संभ्रमोहो हि दृश्यते ॥५।६५॥

घटेनेत्यादौ 'घटे' इति प्रकृतिः, 'न' इति प्रत्ययः । 'घट' इति प्रकृतिः, 'एन' इति प्रत्यय इति विभागस्य 'सर्वे सर्वपदादेशाः' इति स्वीकारे विशिष्य प्रकृतिप्रत्ययोर्ज्ञानासंभवान्न वाचकत्वमित्यर्थः । वैया-करणैर्विभागः सुज्ञेय इत्यतो दृष्टान्तव्याजेनाह—वस्नासादाविति 'बहु-वचनस्य वस्नसौ' (८।१।२१) इति समुदायस्यादेशविधानात्र तद्विभागः सम्भवतीत्यर्थः ॥६५॥

सावित्री

'सुप्तिङन्तं पदम्' (१।४।१४) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार पारिभाषिक पद का वाचकत्व स्वीकार करने वालों के मत से पदस्फोट की सिद्धि का उपाय प्रदर्शित करते हुये कहा—घटेनेत्यादिषु । उनके अनुसार 'घटेन' इत्यादि में अखण्ड पदस्फोट है । वहाँ प्रकृति, प्रत्यय का भेद स्फुट नहीं है। जैसे कि युष्मद्, अस्मद् के स्थान में विहित आदेश वस्, नस् इत्यादि में प्रकृति, प्रत्यय आदि भेद की प्रतीति नहीं होती है, प्रत्युत भेदविषयक सम्मोह (संशय) बना रहता है उसी प्रकार 'घटेन' में भी प्रकृति प्रत्यय विभाग स्फुट नहीं है।

'घटेन' इत्यादि स्थल में 'घटे' प्रकृति है, 'न' प्रत्यय है अथवा 'घट' प्रकृति है 'एन' प्रत्यय है—ऐसा संशय होने से विशेषण, विशेष्यभावपूर्वक प्रकृति, प्रत्यय आदि का ज्ञान असम्भव होगा जिससे उसमें वाचकता सिद्ध न हो सकेगी क्योंकि भाष्य का सिद्धान्त है—'सर्वे सर्वपदादेशाः' अर्थात् सभी आदेश अर्थवान् समुदाय रूप पद के स्थान में होते हैं—शब्द की नित्यता के प्रतिपादक, भाष्य के इस पक्ष में वस, नस् आदि की भाँति 'घटेन' में भी प्रकृति, प्रत्यय का विभाग संभव न होगा ।

वैयाकरण को प्रकृति प्रत्यय-आदि का विभाग अवश्य जानना चाहिये—इसलिये दृष्टान्त के व्याज से कहा है—वस्नसादाविति । 'बहुवचनस्य वस्नसौ' (८।१।२१) सूत्र से सुबन्त समुदाय के स्थान में वस्, नस् आदि आदेश देखा जाता है । इसलिये समुदाय में प्रकृति प्रत्यय का विभाग संभव नहीं है । अतः अखण्डपदस्फोट मानना उचित है ।

अथ वाक्यस्फोटनिरूपणम्

सुप्तिङन्तचयरूपवाक्यस्यापि तदाह—

हरेऽवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु ।
अर्थे विशिष्य सम्बन्धाग्रहणं चेत्समं पदे ॥६।६६॥
लक्षणादधुना चेत्तत्पदेऽर्थेऽप्यस्तु वत्तथा ।

हरेऽव, विष्णोऽव इत्यादौ पदयोः 'एङः पदान्तादति' (६।१।१०९) इत्येकादेशे सति न स्फुटविभागः सुज्ञानः । तथा च प्रत्येकं पदाज्ञानेऽपि समुदायशक्तिज्ञानाच्छाब्दबोधात् समुदायेऽप्यावश्यिकी शक्तिः । एवञ्च प्रकृतिप्रत्ययेषु विशिष्याज्ञायमानेष्वपि समुदायव्युत्पत्त्या बोधात् तत्राप्यावश्यिकैव शक्तिरिति भावः ।

सावित्री

वाक्यस्फोट का निरूपण करते हुये कहा है—सुप्तिङन्तचयरूपवाक्यस्यापि ।

भाव यह है कि जैसे वर्ण समूह रूप पद की वाचकता सिद्ध होती है वैसे ही सुबन्त, तिङन्त रूप पदसमुदाय की भी वाचकता सिद्ध होती है । 'हरेऽव' इत्यादि में 'हरे' (सम्बोधन) सुबन्त है तथा 'अव' (रक्षाकरो) तिङन्त है—इन दोनों के समुदाय को वाक्य स्फोट समझना चाहिए । यदि वाक्यार्थ निरूपित अर्थ में विशेषणविशेष्य भाव का ग्रहण नहीं होता है, तो उसी प्रकार से पद में भी पदार्थ निरूपित शक्ति का ग्रहण नहीं होगा । यदि लक्षणा से पद में पदार्थ निरुपित शक्ति का ग्रहण करें तो उसी भाँति वाक्य में वाक्यार्थ निरुपित शक्ति का ज्ञान लक्षणा से हो सकता है । इस प्रकार 'हरेऽव' 'विष्णोऽव' इत्यादि में एकतिङ्विशेष्य का बोध होने से वाक्यस्फोट सुनिश्चित होता है । 'हरेऽव', 'विष्णोऽव' इत्यादि पदों में 'एङः पदान्तादति' से पूर्व रूप होने पर पदों का विभाग सरलता से नहीं हो सकता है । समुदित पद में प्रत्येक पद का पृथक् २ ज्ञान न होने पर भी पदसमुदाय रूप वाक्य शक्ति का ज्ञान होता ही है, उसी से शाब्दबोध होता है । इसलिए पद समुदाय रूप वाक्य में शक्ति मानना आवश्यक है । वाक्यशक्ति की भाँति प्रकृति-प्रत्यय पदों में सूत्रोत्पात्तरूप से ज्ञायमान न होने पर भी समुदायव्युत्पत्ति से शाब्दबोध होता है, इसलिए सुबन्त, तिङन्त रुप पद में शक्ति मानना आवश्यक है । जैसे—'हरेऽव' इत्यादि में प्रत्येक पद का स्पष्ट ज्ञान न होने पर भी वाक्य से अर्थ बोध होता है, जिससे पदसमुदायात्मक वाक्य में शक्ति मानी जाती है । उसी भाँति जहाँ प्रकृति, प्रत्यय विभाग

वस्तुतः पदैः पदार्थबोधवद् वाक्येन वाक्यार्थबोध इति पदार्थशक्तिः पदेष्विव वाक्यार्थशक्तिर्वाक्येऽप्युपेयेति पदस्फोटवाक्यस्फोटौ व्यवस्थितौ। अन्यथा घटः कर्मत्वमानयनं कृतिरित्यादौ तादृशव्युत्पत्तिरहितस्यापि बोधप्रसङ्गः।

'घटमानय' इत्यत्रेव पदार्थानामुपस्थितौ सत्यपि तात्पर्यज्ञाने बोधाभावाच्च। तत्रैव घटकर्मकमानयनमिति बोधे घटार्थकप्रातिपदिकोत्तरं कर्मत्ववाचकविभक्तेस्ततो धातोस्तत आख्यातस्य समभिव्याहारः

सावित्री

का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है वहाँ भी विशिष्ट बोध के कारण प्रकृति-प्रत्यय समुदाय रूप पद में शक्ति की कल्पना करनी चाहिए।

वस्तुतः पदों से पदार्थ बोध की तरह वाक्य से वाक्यार्थ बोध होता है। इसलिए जैसे पदों में पदार्थ शक्ति होती है वैसे वाक्यों में वाक्यार्थ शक्ति होती है। इस प्रकार, पदस्फोट, वाक्यस्फोट व्यवस्थित हुए। अन्यथा वाक्यशक्ति न मानने पर 'घटः कर्मत्वमानयन कृतिः' इत्यादि में तादृश व्युत्पत्ति से रहित को भी शाब्दबोध होने की आपत्ति होगी। तात्पर्य यह है कि जैसे—'घटः कर्मत्वमानयनं कृतिः' इत्यादि वाक्यशक्ति ज्ञान वाले पुरुष को 'घटः कर्मत्वम्' इत्यादि वाक्य से बिना किसी संशय के घटकर्मक आनयन ऐसा अर्थ बोध होता है वैसे तादृश व्युत्पत्तिज्ञान से रहित पुरुष को भी उस वाक्य से 'घटकर्मकानयन' ऐसा बोध होने की आपत्ति होगी।

'घटमानय' इस वाक्य से पदार्थ की उपस्थिति जैसे होती है, वैसे 'घटः कर्मत्वम् आनयनम् कृतिः' इस वाक्य से भी वैसा बोध हो—ऐसी वक्ता की इच्छा (तात्पर्यज्ञान) रहने पर भी 'घटः कर्मत्वम् आनयनम् कृतिः' से भी पदार्थ के उपस्थित होने से तात्पर्य रहने पर भी अर्थबोध नहीं होता है। इसलिए भी वाक्यशक्ति अवश्य स्वीकार करना चाहिए। 'घटमानय' इत्यादि की भाँति 'घटकर्मक आनयन' इत्यादि बोध के प्रति 'घटार्थप्रातिपदिकोत्तरकर्मत्ववाचक अमादिविभक्ति, तदनन्तर धातु, तदुत्तर तिङ् का उच्चारण कारण है—ऐसा कार्यकारणभाव फलित होता है। इसके अतिरिक्त तादृश कार्यकारणभावविषयक ज्ञान वाले पुरुष को पूर्वोक्त प्रकार का अर्थ बोध होता है। इसलिये उक्त प्रकार का कार्यकारणभाव ज्ञान भी शाब्दबोध में कारण है। पदसमूहात्मक वाक्य की वाचकता सिद्ध होने से वाक्यस्फोट सिद्ध होता है। घट आदि पदार्थ बोध के प्रति घट आदि पद कम्बुग्रीवादिमान् आदि अर्थ में शक्त है, इसलिये घट आदि बोध में पदनिष्ठ शक्तिज्ञान कारण है।

कारणमिति कार्यकारणभावज्ञानवतो बोधात्तज्ज्ञानमपि हेतुरिति चेत्तर्हि सिद्धो वाक्यस्फोटः। घटादिपदार्थबोधे बोधकतारूपशक्तिज्ञानकार्यकारणभावस्यैव विशिष्टवाक्यार्थबोधे पदसमभिव्याहाररूपवाक्यशक्तिज्ञानस्यापि हेतुत्वकल्पनात् अर्थोपस्थापकज्ञानविषयशब्दवृत्तिज्ञानकारणत्वस्यैव शक्तित्वात्। युक्तञ्चैतत्—विषयतासम्बन्धेन शाब्दबोधमात्रे वृत्तिज्ञानस्य लाघवेन हेतुत्वसिद्धेः विवेचितञ्चैतद् भूषणे।

ननु वाक्यार्थस्यापूर्वत्वात् कथं तत्र शक्तिग्रह इत्याशङ्क्याऽऽह—अर्थ इति। वाक्यस्येति शेषः। वाक्यस्य वाक्यार्थे विशिष्य शक्त्यग्रहणं चेत्तर्हि पदेऽपि समम्। पद एवान्वयांशे शक्तिरिति पक्षेऽपि तद्ग्रहासम्भवस्तुल्य इत्यर्थः। यदि च पदशक्तिः पदार्थांशे ज्ञाताऽन्वयांशे

सावित्री

ऐसा कार्यकारणभाव अवश्य स्वीकार करना चाहिये। 'घटकर्मकानयन' इस विशिष्ट वाक्यार्थ के प्रति 'घटमानय' यह वाक्य 'घटकर्मकानयन' इस अर्थ में शक्त है, एवं पदसमूहात्मक 'घटमानय' इत्यादि वाक्यनिष्ठ शक्तिज्ञान कारण है—इस प्रकार 'घटमानय' इस वाक्य में रहने वाले शक्तिज्ञानरूप कार्यकारणभाव मानने से वाक्य की वाचकता सिद्ध होती है। 'घट' आदि पदार्थ के बोध में जैसे 'घट' पद में रहनेवाला शक्तिज्ञान कारण है, वैसे ही कार्यकारणभाव की भाँति घटकर्मकानयन' इत्यादि विशिष्ट वाक्यार्थबोध के प्रति पदसमूहात्मक वाक्यनिष्ठ शक्तिज्ञान कारण होता है, क्योंकि अर्थ का उपस्थापक जो ज्ञान, तादृशज्ञान का विषय जो शब्द, उस शब्द में रहनेवाली ज्ञानकारणता को ही शक्ति माना जाता है। संक्षेप में शब्दनिष्ठ बोधकारणता ही शक्ति कहलाती है। इसी से पद की भाँति वाक्य की भी शक्ति सिद्ध होती है। यही उचित है क्योंकि शाब्दबोध मात्र के प्रति वृत्तिज्ञान की कारणता सिद्ध है। इसलिये विषयभेद से कार्यकारणभाव बाहुल्य नहीं होगा। अत एव मूल में कहा है—लाघवेन हेतुत्वसिद्धेः। इस प्रकार घट, पट आदि विषय भेद होने पर भी सामान्यतः शाब्दबोध में वृत्तिज्ञान ही कारण होता है। यद्यपि घट आदि पद अनन्त होते हैं, पदार्थ अनन्त होते हैं, इसलिये कार्यकारण भी अनन्त हो सकते हैं। अतः घट आदि विषय का निवेश न करके सामान्यतः शाब्दबोध में वृत्तिज्ञानजन्य उपस्थिति कारण होती है,—ऐसा ही कार्यकारणभाव मानना सर्वथा उचित है। इसी में लाघव है। वैयाकरणभूषण में इसका विचार किया गया है।

वाक्यशक्ति के बारे में यह सन्देह किया है कि जैसे घट, पट आदि पदार्थ अपूर्व

चाज्ञातोपयुज्यत इति कुब्जशक्तिवादस्तदा ममापि वाक्यस्य शक्तिरज्ञातैवोपयुज्यत इति वादाभ्युपगमस्तुल्य इति भावः ।

ननु वृद्धव्यवहारं पश्यतो मनसा पदार्थवद् वाक्यार्थेऽपि तद्ग्रह इति चेत्तुल्यमित्याह—लक्षणादिति । लक्ष्यते तर्क्यतेऽनेनेति लक्षणं मनस्तस्मात् । अपि पदं पदपदोत्तरं बोध्यम् । पदेऽपि लक्षणात्तद्ग्रहश्चेत्तर्हिंस्तु वाक्येऽपीति शेषः । वस्तुतस्तु समुदितार्थे विशिष्टवाक्यस्यैव प्रथमं तद्ग्रहः । आवापोद्वापाभ्यां परं प्रत्येकं तद्ग्रह इति बोध्यम् ॥६६॥६६॥

सावित्री

नहीं है, अपि तु पूर्व सिद्ध हैं, इसलिये उन पदार्थों में घट आदि पदों का शक्तिग्रह उचित है, किन्तु वाक्यार्थ पूर्वसिद्ध नहीं है, प्रत्युत अपूर्व है । तब वहाँ वाक्यार्थ निरूपित शक्तिग्रह कैसे संभव है ? इस आशंका के उत्तर में मूल में कहा है—अर्थ इति । अर्थात् वाक्यार्थ बोध से पूर्व पदार्थ सम्बन्ध अविद्यमान रहने से यदि वाक्यशक्तिग्रह संभव नहीं है, तो पद के बारे में भी समान रूप से यह शंका की जा सकती है कि पदार्थ बोध से पूर्व पद में भी शक्तिग्रह कैसे संभव है ? यदि यह कहें कि पदशक्ति पदार्थ अंश में ज्ञात है अन्वयांश में अज्ञात है इससे शाब्दबोध हो जायगा तो इसके उत्तर में कहना है तो यह कुब्जशक्तिवाद होगा, तब मेरे भी मत में वाक्य की शक्ति वाक्यार्थ में ज्ञात होगी और अन्वयांश में अज्ञात रहेगी । इस प्रकार दोनों पक्ष में अज्ञातशक्ति को उपयोगिनी स्वीकार करना होगा ।

यदि वृद्ध व्यवहार को देखने वाला व्यक्ति पद से पदार्थबोध की भाँति मन से शक्ति ज्ञान करेगा, तो वाक्य की शक्ति का ज्ञान मन से हो जायगा । इसलिए आगे कहा है—लक्षणात् । यहाँ 'लक्षणात्' का अर्थ 'मनसः' है । 'लक्ष' धातु से लक्ष्यते, तर्क्यते अनेन' इस करण अर्थ में 'ल्युट्' प्रत्यय करने से 'लक्षण' शब्द निष्पन्न होता है । इसका ज्ञान साधनरूप मन अर्थ होता है । यहाँ तात्पर्य यह है कि मन से पद में अर्थ निरूपित शक्तिज्ञान अभीष्ट है तो वाक्य में भी मन से वाक्यार्थ निरूपित शक्तिग्रह स्वीकार करना होगा ।

वस्तुतः समुदित अर्थ में विशिष्ट वाक्य का ज्ञान हो पहले विशिष्ट वाक्यार्थ निरूपित शक्तिग्रह होता है पुनः अवाप-उद्वाप (आनयन-अपसरण) के द्वारा प्रत्येक पद में शक्तिग्रह होता है । प्रत्येक पदशक्ति के साथ आकांक्षा आदि के द्वारा वाक्यार्थ बोध होता है तो पदस्फोट सिद्ध होता है और जब प्रत्येक पद के शक्ति की विना अपेक्षा किये ही वाक्यशक्ति से विशिष्ट अर्थ बोध होता है तो वाक्यस्फोट निष्पन्न होता है । इस प्रकार पदस्फोट वाक्यस्फोट दोनों पक्ष फलित होता है ।

इत्थमेव मीमांसकानां वेदान्तैकदेशिनां च गतिरित्याह—

सर्वत्रैव हि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति ये विदुः।
भाट्टास्तेऽपीत्थमेवाऽऽहुर्लक्षणाया ग्रहे गतिम् ॥६७॥

भाट्टा इति तदनुयायिनां वाचस्पतिकल्पतरुप्रभृतीनामुपलक्षणम् ।

ननूक्तपक्षद्वयमनुपपन्नम्, उपपत्तेरभिव्यक्तेर्वैकदाऽसंभवेन वर्णसमूहरूपपदज्ञानासंभवात्। तथा च सुतरां तत्समूहरूपपदज्ञानासंभव इति चेन्न, उत्तरवर्णप्रत्यक्षसमयेऽव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेनोपस्थितपूर्ववर्णवत्त्वम् तथा तदुत्तरप्रत्यक्षकाले उपस्थितविशिष्टतद्वर्णवत्त्वं तस्मिन्सु-

---

सावित्री

समुदित अर्थ में विशिष्टवाक्य की ही शक्ति होती है—ऐसा स्फोट मीमांसकों और वेदान्त के एकदेशीय विद्वानों को भी स्वीकार करना होगा।

सर्वत्र लक्षणावृत्तिजन्य लक्ष्य ही वाक्यार्थ होता है—ऐसा जो कुमारिलभट्ट आदि मीमांसक कहते हैं वे भी लक्षणा के ज्ञान में वाक्यशक्ति को ही उपाय मानते हैं। वाक्यशक्ति के विना लक्षणा असंभव है क्योंकि 'शक्यसम्बन्धो लक्षणा' ऐसा मान्य सिद्धान्त है। यहाँ भाट्ट पद वाचस्पति, कल्पतरु आदि का भी उपलक्षण है।

अब आगे शंका करते हैं कि पदस्फोट और वाक्यस्फोट रूप दोनों पक्ष अनुपपन्न हैं क्योंकि वर्णों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति पक्ष हो, पद घटक वर्णसमूह की युगपद उपस्थिति या अभिव्यक्ति संभव नहीं है, ये वर्ण क्रमशः उत्पन्न या अभिव्यक्त होते हैं। इसलिये वर्णसमूह रूप पद का ज्ञान असंभव होगा। पद ज्ञान असंभव होने पर पदसमूहरूप वाक्य का ज्ञान स्वतः असम्भव हो जायगा—इसके उत्तर में कहा है कि पूर्वोक्त प्रकार की शंका उचित नहीं है क्योंकि 'घट' इत्यादि में घकार उत्तरवर्ती जो अकार है उसके ज्ञान के समय अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्ध से उपस्थित जो घकार, तादृश घकारवत्त्व, उस अकार में रहेगा तथा उसके उत्तरवर्ती टकार में घकार विशिष्ट अकार का ज्ञान सरलता से संभव है। इस प्रकार पूर्व-पूर्व वर्ण का वैशिष्ट्य उत्तर उत्तर वर्ण में रहने से जैसे वर्णसमुदाय रूप पद का ज्ञान

ग्रहमिति तादृशानुपूर्वीघटितपदत्वस्यैव वाक्यत्वस्यापि सुग्रहत्वात् ।।७।।६७।।

।। इति वाक्यस्फोटनिर्णयः ।।

सावित्री

हो जाता है, वैसे ही पदसमुदायरूप वाक्य का भी ज्ञान हो जायगा । इसलिये पदस्फोट या वाक्यस्फोट, दोनों पक्ष निर्बाध रूप से सिद्ध है ।

इस प्रकार 'वाक्यस्फोट' निरूपण की 'सावित्री' नामक हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई ।।

(अथ अखण्डस्फोटनिरूपणम्)

इदानीमखण्डपक्षमाह—

> पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च।
> वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥६८॥

पदे = पचतीत्यादौ न वर्णाः, नातो वर्णसमूहः पदमिति शेषः। दृष्टान्तव्याजेनाऽऽह—वर्णेष्विति। एकारौकारलृकारऋकारादिवर्णेष्ववयवाः प्रतीयमाना अपि यथा नेत्यर्थः। क्वचिदित्येव पाठः। एवं वाक्येऽप्याह—वाक्यादपि। पदानामपि वाक्याद्विवेको भेदो नास्तीत्यर्थः।

अयं भावः—वाक्यं पदञ्चाऽखण्डमेव न तु वर्णसमूहः। अनन्तवर्णकल्पने मानाभावात्। तत्तद्वर्णोत्पादकत्वेनाभिमतवायुसंयोगनिष्ठं

सावित्री

अब तक सखण्डस्फोट का वर्णन कर चुके। आगे अखण्डस्फोट के वर्णन हेतु कहा है—पद में वर्ण नहीं हैं, वर्णों में भी कोई अवयव नहीं हैं तथा वाक्य में पदों का भी कोई भेद नहीं है।

'पचति' इत्यादि पदों में वर्ण नहीं होते हैं, इसलिये वर्णसमूह रूप पद नहीं हो सकता है। दृष्टान्त व्याज से कहा है—वर्णोष्विति। जैसे—एकार, औकार, ऋकार लृकार आदि वर्णों में अवयव की प्रतीति होने पर भी अवयव नहीं माने जाते हैं। ऐसे ही वाक्य में पदों की प्रतीति होने पर भी वे पृथक् नहीं माने जाते हैं और वाक्य एक तथा अखण्ड रहता है। तात्पर्य यह है कि पदों का वाक्य से भेद नहीं होता है।

अभिप्राय यह है कि वाक्य या पद अखण्ड ही होता है वर्णसमूहरूप नहीं होता है क्योंकि वर्णसमूह रूप पद या वाक्य मानने पर अनन्त वर्ण की कल्पना करनी पड़ेगी। अनन्तवर्ण की कल्पना में कोई प्रमाण नहीं है इससे गौरव होगा।

यदि यह कहें कि 'करोति' 'गच्छति' इत्यादि में ककार, गकार इत्यादि की विलक्षण प्रतीति ही अनन्त वर्ण होने में प्रमाण है—इसके उत्तर में मूल में कहा है तत्तद्वर्णेति। अर्थात् ककार, गकार इत्यादि तत्तद् वर्णोत्पादक रूप से अभिमत जो वायुसंयोग, उसमें

तत्तद्वर्णजनकताया: व्यञ्जकताया वाऽवच्छेदकं वैजात्यमादायैव ककारो गकार इत्यादिप्रतीतिवैलक्षण्यसंभवात्। स्पष्टं हि भामत्याम्—"तारत्वादि वायुनिष्ठं वर्णेष्वारोप्यते" इत्युक्तं देवताधिकरणे।

न चैवं वायुसंयोग एव वाचकोऽपि किं न स्यादिति वाच्यम्; प्रत्यक्षोपलभ्यमानककारादेरेव वाचकत्वस्यानुभवसिद्धत्वात् तथा च वाचकत्वान्यथानुपपत्त्या तदेवेदं पदम्, तदेवेदं वाक्यम्, सोऽयं गकार:, इति प्रतीत्या च स्फोटोऽखण्डः सिद्ध्यति। एतेन गौरित्यादौ गकारौकारविसर्गादिव्यतिरेकेण स्फोटाननुभवाच्छ्रूयमाणवर्णानामेव वाचकत्वमस्तीत्यपास्तम्, तेषां स्फोटातिरिक्तत्वाभावात्।

सावित्री

रहने वाले तत्तद् वर्ण की जनकता[१] या व्यञ्जकता का अवच्छेदक वैजात्य=पदार्थों का असाधारण धर्म, ककार, गकार आदि रूप उसी का स्फोट में आरोप करने से ककार, गकार आदि की प्रतीति हो सकती है। अतः स्फोट वर्णों से पृथक् है।

भामती के देवताधिकरण में स्पष्ट कहा गया है—वायुनिष्ठ तारत्व (दीर्घत्व) आदि धर्म वर्णों में आरोपित हैं न कि वास्तविक हैं।

अब आगे सन्देह करते हैं कि ककार आदि को वाचक मानने की अपेक्षा लाघव होने से कण्ठताल्वाद्यभिघातजन्य वायुसंयोग को ही वाचक क्यों न माना जाय? इसके उत्तर में कहा है कि श्रावण प्रत्यक्ष से उपलभ्यमान ककार आदि की ही वाचकता अनुभव सिद्ध है। शब्द श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य होने के कारण प्रत्यक्ष का विषय होता है, वायुसंयोग त्वगिन्द्रिय से ग्राह्य न होने के कारण प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता है, प्रत्यक्ष का विषय न होने से वायुसंयोग वाचक नहीं बन सकता है। इसके साथ ही पद और वाक्य वर्ण-समूह रूप होते हैं। वर्ण क्रमशः आशुतर विनाशी होते हैं जिससे उनका एक साथ मिलन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में वर्ण समूह रूप पद और वाक्य की वाचकता उपपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए पद और वाक्य को वर्णसमूह से अतिरिक्त मानना आवश्यक है। इस प्रकार पद और वाक्य की वाचकता अनुपपन्न होने पर 'तदेवेदं पदम्' 'तदेवेदं वाक्यम्'

१—नैयायिकों के मत में वर्णों के अनित्य होने से तत्सम्बन्धी वायुसंयोग में जनकता होती है तथा वैयाकरणों के मत में वर्णों के नित्य होने से तत्सम्बन्धी वायुसंयोग में व्यञ्जकता नहीं रहती है।

यत्तु वर्णानां प्रत्येकं वाचकत्वे प्रत्येकादर्थबोधापत्तिः। समुदायस्य तु क्रमवतामाशुतरोत्पन्नानां तथैवाभिव्यक्तानां वा ज्ञानमसंभाव्यमेव। पूर्वपूर्ववर्णानुभवसंस्कारसहकारेणैकदा समूहालम्बनरूपसकलज्ञानसंभवस्तु सरोरसः; जरा-राज-नदी-दीनादिसाधारण इत्यतिप्रसङ्ग इति स्फोट एवाखण्डो नादाभिव्यङ्ग्यो वाचक इति कैयटः, तत्तुच्छम्, पदज्ञानसंभवस्योपपादितत्वद्वर्णानां प्रत्येकं व्यञ्जकत्वं समुदितानां वेत्यादिविकल्पग्रासाच्च।

ननु त्वन्मतेऽप्येष दोषः। तत्तद्वर्णोत्पादकत्वेनाभिमतवायुसंयोगानां प्रत्येकं व्यञ्जकत्वं समुदितानां वेति विकल्पस्य संभवादिति चेत्? उच्यते—

सावित्री

'सोऽयं गकारः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा सिद्ध नहीं हो सकेगी? अतः पूर्वोक्त प्रत्यभिज्ञा की अनुपपत्ति से ही अखण्ड स्फोट सिद्ध होता है। 'सोऽयं गकारः' इत्यादि प्रतीति से वर्णों की नित्यता सिद्ध होती है। यदि वर्ण अनित्य होंगे, तो वर्णसमूह रुप पद और वाक्य भी अनित्य होंगे, तब प्रत्यभिज्ञा नहीं बन पायेगी और न स्फोट की अखण्डता ही सिद्ध हो सकेगी। इसलिए किसी का यह कहना कि 'गौः' इत्यादि में गकार, ओकार तथा विसर्ग से भिन्न स्फोट का अनुभव नहीं होता है। अतः श्रूयमाण वर्णों को ही वाचक मानना चाहिये— कहना अपास्त (असिद्ध) हुआ क्योंकि गकार, औकार—आदि वर्ण स्फोट से भिन्न नहीं है। वायुसंयोग निष्ठ गकार आदि से स्फोट का ही भान होता है।

स्फोट साधन में कैयट का मत दूषित करने हेतु 'यत्तु' इत्यादि वाक्यके द्वारा उनका मत प्रस्तुत करते हुये विचार करते हैं—प्रत्येक वर्ण वाचक होता है अथवा वर्ण समुदाय।

यदि प्रत्येक वर्ण वाचक हैं तो प्रति वर्ण से अर्थ बोध होने की आपत्ति होगी। यदि समुदाय को वाचक मानते हैं तो क्रमशः उत्पन्न या अभिव्यक्त होने वाले वर्णों का समुदाय संभव नहीं है क्योंकि वर्ण प्रथम क्षण में उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षणमें स्थित रहता है, तृतीय क्षण में नष्ट हो जाता है। पूर्व-पूर्व वर्ण के नाश क्रम से उत्तर वर्ण उत्पन्न होता रहता है। वर्णों में स्थायित्व न होने से समुदाय का प्रत्यक्ष संभव नहीं है। पूर्व-पूर्व उच्चारित वर्णों का उच्चारणजन्य जो अनुभव, तद्रूप जो संस्कार, उसके सहयोग से एक समय में समूहालम्बनात्मक ज्ञान यद्यपि संभव है तथापि सरो-रसः, जरा-राज, नदी-दीन-इत्यादि विपरीत वर्णक्रम वाले शब्द युगलों में समानार्थक होने की आपत्ति होगी। इसलिये वायुसंयोग से कत्व-खत्व धर्मवाले जो वर्ण उत्पन्न होते हैं, उससे अखण्डस्फोट की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्त अखंड

प्रत्येकमेव संयोगा अभिव्यञ्जकाः परन्तु केचिद् गत्वेन, केचिदौत्वेन, केचिद्विसर्गत्वेनेत्यनेकैः प्रकारैः। एवं चाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन घवत्त्वं टकारे गृह्यते, एतादृशपदज्ञानकारणताया अविवादात्। परंन्त्वव्यवहितोत्तरत्वं स्वज्ञानाधिकरणक्षणोत्पत्तिकज्ञानविषयत्वं वाच्यम्। अत एव घज्ञानानन्तरटज्ञानविषयत्वरूपानुपूर्वीत्यादिनैयायिकवृद्धानां व्यवहारः। एवञ्च न कश्चिद् दोषः।

सावित्री

स्फोट से अर्थबोध होता है—यह जो कैयट का मत है वह तुच्छ है, क्योंकि पूर्व-पूर्व वर्ण संस्कार से युक्त चरम वर्ण जन्य पद ज्ञान में वर्णों का पूर्वापरीभाव के क्रम से ज्ञान होता है, यह बात सखण्डस्फोट के कथन समय में ६७वीं कारिका के व्याख्यान में कह दिया गया है। इसलिये वर्णों का पौर्वापर्य भिन्न होने से नदी-दीन, सरो-रसः इत्यादि में समानार्थक होने की आपत्ति नहीं होगी। हाँ, वर्णातिरिक्त स्फोट को वाचक मानने पर दोष होगा। इसे प्रदर्शित करने के लिये कहा है—वर्णानामिति। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वर्ण को वाचक माना जाय अथवा वर्ण समुदाय को वाचक माना जाय, यह संशयात्मक दोष होता है। प्रत्येक वर्ण को वाचक मानने पर शब्द के प्रथम वर्ण से ही अर्थ बोध हो जाना चाहिये, शेष वर्ण व्यर्थ हो जायेंगे। समुदित वर्णों का ज्ञान असंभव है क्योंकि चरमवर्ण की अभिव्यक्ति के समय क्रमशः पूर्व-पूर्व अभिव्यक्त वर्णों की स्थिति न होने एक साथ मिलन नहीं हो सकेगा। इसलिये समुदाय का ज्ञान ही असंभव होगा। पुनः समुदाय की वाचकता स्वतः असिद्ध हो जायगी। इस प्रकार के विकल्प से आक्रान्त होने के कारण यह कैयट का मत सदोष है।

अब नैयायिक की यह आशंका है कि अखण्डस्फोटवादी आप वैयाकरण के मत में भी पूर्वोक्त विकल्पात्मक दोष हैं क्योंकि एक-एक वर्ण के उत्पादक रूप में अभिमत वायु संयोगों की व्यञ्जकता प्रत्येक वर्ण में है या समुदाय में ऐसा संशय संभव है। इसके उत्तर में कहा है कि वायुसंयोग की व्यञ्जकता प्रत्येक वर्ण में है। किन्तु प्रत्येक वर्ण में व्यञ्जकता होने पर भी कोई गकार रूप से, कोई औकार रूप से, कोई विसर्ग रूप से स्फोट का अभिव्यञ्जक होता है। कोई भी वायु संयोग व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिये वर्णों का स्फोट से अतिरिक्त न होना भी उपपन्न हो जाता है। वायुसंयोग के गकार आदि रूप से स्फोट का व्यञ्जक न मानने पर स्फोट से अतिरिक्त वर्ण को स्वीकार करना आवश्यक हो जायगा।

इस प्रकार 'घट' पद के टकार में अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्ध से घवत्व 'ट' शब्द में भासित होता है, ऐसा जो पद ज्ञान, उसकी अर्थबोध कारणता निर्विवाद रूप से सिद्ध है।

एतेन पर्यायस्थलेष्वेक एव स्फोटः, नाना वा ? नाद्यः; घटपदे एव गृहीतशक्तिकस्य कलशादेर्बोधप्रसङ्गात्। न च तात्पर्याभिव्यक्ते शक्ति-ग्रहस्तत्पर्यायश्रवणेऽर्थधीहेतुरिति वाच्यम्, एवं सति प्रतिपर्यायं शक्ति-ग्रहावश्यम्भावेन तत्तत्पर्यायगतशक्तिग्रहहेतुताया उचितत्वात्। तथा सति शक्तिग्रहत्वेनैव हेतुत्वे लाघवाच्च। अन्यथा तत्पर्यायाभिव्यक्तगतशक्ति-ग्रहत्वेन तत्त्वे गौरवात्।

न द्वितीयः, अनन्तपदानां तेषां शक्तिश्चापेक्ष्य कलशवर्णेष्वेव शक्ति-

---

सावित्री

वस्तुतः 'घ' और 'ट' के बीच अकार का व्यवधान होने के कारण अव्यवहितोत्तरत्व सम्बन्ध से अकारणत्व टकार भी रहता है।

यहाँ पुनः यह विचार आता है कि एक ही टकार में उपाधि भेद से घवत्व हो जाय किन्तु अव्यवहितोत्तरत्व किस प्रकार सम्भव है, इसके उत्तर में कहा है—स्वाव्यवहितोत्तरत्वं स्वज्ञानाधिकरणक्षणोत्पत्तिकज्ञानविषयतामिति। अर्थात् स्वम्=घकार आदि रूप से भासमान स्फोट, उस स्फोट के ज्ञान का अधिकरणीभूत जो क्षण, उस क्षण में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषयत्व ही अव्यवहितोत्तरत्व कहलाता है। स्वोत्पत्त्यधिकरणीभूतक्षण-ध्वंशानन्तरभाविक्षणोत्पत्तिकत्वम्' ऐसा अव्यवहितोत्तरत्व नहीं लिया जाता है। यह अव्य-वहितोत्तरत्व ज्ञान में ही होता है न कि उत्पत्ति में सर्वत्र ज्ञान में ही अव्यवहितोत्तरत्व की प्रतीति होती है। यह अव्यवहितोत्तरत्व कहीं अन्यथा नहीं रहता है। यह आनुपूर्वी व्यवहार का संयोजक होता है। इसी से 'घ' ज्ञान के अनन्तर जो 'ट' शब्द ज्ञान, तद्रूप आनुपूर्वी इत्यादि वृद्ध नैयायिकों का व्यवहार संघटित होता है।

वर्णों के नित्य होने पर भी उनकी अभिव्यक्ति के अनित्य होने से अनेक वर्णों से अभिव्यक्त अव्यवहितोत्तरत्व वर्णान्तर में रहने के कारण घट आदि पद का ज्ञान हो जायगा। इस प्रकार पद ज्ञान की अर्थबोध कारणता सुवच होने से कोई दोष नहीं है।

इस भाँति पौर्वापर्य रूप आनुपूर्वी विशिष्ट स्फोट के वाचक होने से अब यहाँ यह संशय है कि घट, कलश आदि स्थल में जहाँ अनेक पर्याय हैं वहाँ एक ही स्फोट होगा या अनेक स्फोट माने जायेंगे। प्रथम विकल्प का उत्तर देते हुये भूषणकार ने कहा है—नाद्यः। अर्थात् अनेक पर्याय स्थलों में एक स्फोट नहीं माना जा सकता है क्योंकि यदि ऐसा हो तो 'घट' शब्द में शक्ति ज्ञान वाले पुरुष को कलश आदि पर्यायों में अगृहीत शक्तिक होने पर भी उनके (कलश आदि) श्रवण से अर्थबोध की आपत्ति होगी।

कल्पनस्य लघुत्वादिति परिलोक्तमपास्तम् । पर्यायेष्वनेकशक्तिस्वीकारस्य सर्वसिद्धत्वात्तदवच्छेदकानुपूर्व्याः प्रागुपपादनादिति दिक् ।

शब्दकौस्तुभे तु वर्णमालायां पदमिति प्रतीतेर्वर्णातिरिक्त एव स्फोटः, अन्यथा कपालातिरिक्तघटाद्यसिद्धिप्रसङ्गश्चेति प्रतिपादितम् ॥६८॥८॥

सावित्री

यदि यह कहें कि जिस पर्याय से अभिव्यक्त स्फोट में शक्तिग्रह होता है उसी पर्याय का श्रवण अर्थबोध में कारण होता है। जैसे—यदि किसी को 'घट' रूप पर्याय से अभिव्यक्त स्फोट में 'अयं स्फोटः कम्बूग्रीवादिमान् पदार्थवाचकः' ऐसा शक्तिग्रह हो गया। उस व्यक्ति को 'घटमानय' इस वाक्य में 'घट' रूप पर्याय के श्रवण से अभिव्यक्त स्फोट द्वारा कम्बूग्रीवादिमान् वस्तु का बोध होता है, यह ठीक है। किन्तु, यदि 'घटमानय' के स्थान पर 'कलशमानय' इस वाक्य का प्रयोग हो तो 'कलश' पद का शक्तिग्रह न रखने वाले पुरुष को कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ का बोध नहीं होना चाहिये। ऐसा होने से अर्थ बोध के लिये प्रति पर्याय शक्तिग्रह आवश्यक है। 'घट' रूप पर्याय से अभिव्यक्त स्फोट कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ का वाचक है, 'कलश' रूप पर्याय से अभिव्यक्त स्फोट भी कम्बुग्रीवादिमान् वस्तु का वाचक है—इस प्रकार तत्तद् पर्यायगत जो शक्तिग्रह, उसकी अर्थबोध में कारणता उचित है। तत्तद् पर्याय गत शक्तिग्रहत्व को कारण मानने में लाघव है। अन्यथा तत्तद् पर्याय से अभिव्यक्त जो स्फोट, तन्निष्ठ शक्तिग्रह को अर्थबोध में कारण मानने पर कारणतावच्छेदक में गौरव होगा। पूर्वोक्त कारणतावच्छेदक की अपेक्षा यह कारणतावच्छेदक गुरुभूत होगा।

इसी प्रकार द्वितीय पक्ष अर्थात् अनेक पर्याय स्थलों में नाना स्फोट मानना भी उचित नहीं है, अनन्त पदों एवं उनकी अनेक शक्ति स्वीकार करने की अपेक्षा कल्पित वर्णों में ही शक्ति कल्पना करने में लाघव है—यह परिमल आचार्य का कथन अपास्त हुआ क्योंकि पर्यायों में अनेक शक्ति मानना सर्वसिद्ध सिद्धान्त है। स्फोट के एक होने पर भी शक्ततावच्छेदक आनुपूर्वी के भेद से शक्ति भेद होगा। शक्ततावच्छेदक आनुपूर्वी स्फोट उपपादन पहले ही किया जा चुका है।

शब्दकौस्तुभ ग्रन्थ के वर्णमाला (वर्णसमूह) में 'पद' की प्रतीति होने से वर्ण के अतिरिक्त पद स्फोट सिद्ध होता है, अन्यथा यदि वर्ण के अतिरिक्त स्फोट को स्वीकार नहीं करते हैं तो दो कपालों के संयोग से घट बनता है पर वह घट कपाल नहीं कहलाता है, ऐसी स्थिति में कपाल से अतिरिक्त घट की सिद्धि नहीं हो सकेगी। ऐसा भट्टोजिदीक्षित ने 'शब्दकौस्तुभ' में प्रतिपादन किया है ॥६८॥

नन्वेवं शास्त्रस्याप्रामाण्यप्रसङ्गः; पदस्याखण्डत्वात्; शास्त्रस्य च प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां पदव्युत्पादनमात्रार्थत्वादित्याशङ्कां समाधत्ते—

पञ्चकोशादिवत्तस्मात् कल्पनैषा समाश्रिता।
उपेयप्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिताः ॥६९॥

उपेयप्रपिपत्त्यर्था इत्यन्तेनान्वयः। अयं भावः—यथा भृगुवल्याम्—"भृगुर्वै वारुणिर्वरुणं ब्रह्म पृष्टवान्। स उवाच—'अन्नम्' इति। तस्योत्पत्त्यादिकं बुद्ध्वा पृष्टे–प्राणमनोविज्ञानाऽनन्दात्मपञ्चकोशोत्तरं, 'ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा' इति ज्ञेयं ब्रह्म प्रतिपादितम्। तत्र कोशपञ्चकव्युत्पादनं शुद्धब्रह्मबोधनाय। यथा वा आनन्दवल्लीस्थपञ्चकोशव्यु-

---

सावित्री

अब सन्देह होता है कि यदि पद स्फोट और वाक्यस्फोट अखण्ड हैं तो पाणिनि आदि मुनियों के द्वारा प्रणीत व्याकरण शास्त्र का अप्रामाण्य हो जायगा—क्योंकि व्याकरण-शास्त्र प्रकृति-प्रत्यय के द्वारा केवल पद व्युत्पादन के लिए होता है। इस सन्देह के समाधान के लिए कहा है—पञ्चकोशादिवदिति। अर्थात् व्याकरणशास्त्र की यह कल्पना पञ्चकोश की भाँति उपयोगिनी है। यतः अखण्ड स्फोट रूप साध्य की सिद्धि के लिए प्रकृति प्रत्यय पद ज्ञान आदि जो उपाय हैं वे अव्यवस्थित हैं। अतः इनकी कल्पना पञ्चकोश की भाँति है। जैसे पञ्चकोश का ज्ञान अखण्ड ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी होता है वैसे ही प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान भी अखण्ड ब्रह्म के ज्ञान में उपयोगी होता है।

यहाँ पञ्चकोश आदि दृष्टान्त को उपस्थित करते हुए कहा है—'भृगुवल्ली' नामक ग्रन्थ में वरुण के पुत्र भृगु ने अपने पिता से पूँछा—ब्रह्म क्या है? वरुण ने उत्तर दिया—अन्न ही ब्रह्म है। अन्न की उत्पत्ति और विनाश आदि समझ कर पुनः पूँछा—ब्रह्म क्या है? उत्तर दिया—प्राण ही ब्रह्म है। इसके अनन्तर क्रमशः मन, विज्ञान और आनन्द को ब्रह्म कहा। ये सभी ब्रह्म के आच्छादक हैं। इसलिए पञ्चकोश कहे जाते हैं। इस प्रकार पञ्चकोश के अनन्तर कहा—"ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा।" यहाँ श्रूयमाण ब्रह्म शब्द ही मुख्य ब्रह्म परक है। इसलिए जगत् के आधार अर्थ वाले पुच्छ पद का ग्रहण उचित है। पुच्छ पद का मुख्य अर्थ लाङ्गूल है उसका आधार होना बाधित है, इसलिए आधार अर्थ में पुच्छ पद लाक्षणिक है। जैसे आनन्दवल्ली में स्थित पञ्चकोश का प्रतिपादन वास्तविक ब्रह्म के ज्ञान के लिए है वैसे ही प्रकृति-प्रत्यय का प्रतिपादन वास्तविक स्फोट के ज्ञान के लिए है।

त्पादनं वास्तवशुद्धब्रह्मबोधनाय। एवं प्रकृतिप्रत्ययादिव्युत्पादनं वास्तव-स्फोटव्युत्पादनायैवेति।

ननु प्रत्यक्षस्य स्फोटस्य श्रवणादितोऽपि बोधसंभवान्न शास्त्रं तदुपाय इत्यत आह—उपाया इति। उपायस्योपायान्तरादूषकत्वात्। तथा च व्याकरणाभ्यासजन्यज्ञाने वैजात्यं कल्पते मन्त्रजन्यमिवार्थ-स्मरणे, वेदान्तजन्यमिव ब्रह्मज्ञाने। तस्य च ज्ञानस्य यज्ञादीनामन्तः करणशुद्धाविव शरीरादिशुद्धावुपयोगः, साक्षात् परम्परया वा स्वर्ग-मोक्षादिहेतुत्वञ्च।

तदुक्तं वाक्यपदीये—

> तद्द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम्।
> पवित्रं सर्वविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते॥

सा[illegible]

यह एक सन्देह होता है कि श्रवण, मनन आदि के द्वारा भी स्फोट का ज्ञान हो सकता है, अतः व्याकरणशास्त्र को स्फोट ज्ञान का उपाय नहीं माना जा सकता है। इसके उत्तर में कहा है—उपाया इति। अर्थात् एक उपाय दूसरे उपाय के लिए दोषाधायक नहीं होता है। आशय यह है कि स्फोट ज्ञान का साधनीभूत श्रवण, मनन इत्यादि व्याकरण-शास्त्र रूप उपाय का दोषाधायक नहीं हो सकता है अपितु एक उपाय दूसरे उपाय का पोषक होता है। व्याकरण के अभ्यास से जन्य ज्ञान में वैजात्य (पुण्य) होता है जैसा कि मन्त्रोच्चारण जन्य अर्थ स्मरण में अदृष्ट लाभ (पुण्य) होता है। एवं ब्रह्म ज्ञान में वेदान्तजन्य ज्ञान पुण्य जनक होता है। जैसे—फल की बिना आकांक्षा से ईश्वर को अर्पण बुद्धि से किया गया यज्ञ आदि अन्तःकरण की शुद्धि में उपयोगी है उसी भाँति व्याकरण-शास्त्र के अभ्यास से जन्य स्फोट ज्ञान शरीर शुद्धि में उपयोगी है। इससे शास्त्र की उप-योगिता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त यह व्याकरण शास्त्र के अभ्यास से जन्य स्फोट का ज्ञान साक्षात् स्वर्ग का हेतु है तथा परम्परया मोक्ष का कारण होता है। स्वर्ग का हेतु होने में 'एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः' इत्यादि भाष्यश्रुति प्रमाण है। परम्परया मोक्ष का हेतु होने में 'द्वे ब्रह्म वेदितव्ये' इत्यादि स्मृति प्रमाण है।

वाक्यपदीय में कहा गया है—यह व्याकरणशास्त्र स्वर्ग का द्वार है, वाणी के दोषों को दूर करने वाला चिकित्सक है, सभी विद्याओं में पवित्र है। अधिक पवित्र होने से विशेष

इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् ।
इयं सा मोक्षमाणानामजिह्मा राजपद्धतिः ।
अत्रातीतविपर्यासः केवलामनुपश्यति ।। इति ।।

न चालीकया प्रकृतिप्रत्ययकल्पनया कथं वास्तवस्फोटबोधः, तस्यालीकत्वासिद्धेर्वक्ष्यमाणत्वात् । एवं रेखागवयन्याय आदिना गृह्यते ।।६९।।

ननु स्फोटस्य वर्णजातीनाञ्च नित्यतया ककार उत्पन्न इति न स्यात् वायुसंयोगनिष्ठजातेः स्फोटे भाने कादिप्रतीतीनां भ्रमत्वापत्तिश्चे-

---

सावित्री

रूप से प्रकाशमान है। सिद्धि की सीढ़ियों के जितने पर्व है उनमें यह आदि है। यह व्याकरण शास्त्र स्वर्ग चाहने वालों के लिये सरल राजमार्ग है। इस व्याकरण शास्त्र के द्वारा ज्ञेय स्फोट में भ्रमरहित होने पर मनुष्य केवला अर्थात् परावाणी को ही जानता है।

यहाँ पुनः यह सन्देह होता है कि इस अलीक (मिथ्या) प्रकृति प्रत्यय की कल्पना से वास्तविक स्फोट का बोध कैसे हो सकता है? इसके उत्तर में कहा है कि प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना का अलीकत्व असिद्ध है यह आगे बता देंगे। इसलिये यह सन्देह अनुचित है। जैसे टेढ़े-मेढ़े रेखा चित्रित गवय के द्वारा वास्तविक गवय का ज्ञान हो जाता है यह लोक प्रसिद्धि है उसी भाँति प्रकृति प्रत्यय आदि की कल्पना से वास्तविक स्फोट का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा समझना चाहिये ।।६९।।

एक शंका यह है कि स्फोट और वर्ण जातियाँ नित्य हैं, इसलिये ककार उत्पन्न हुआ—ऐसा व्यवहार नहीं हो सकेगा क्योंकि उत्पन्न होने पर नित्यता भङ्ग हो जायगी। यदि वायु संयोग में रहने वाली जाति का स्फोट में भान माने तो ककार, गकार आदि की प्रतीति भ्रम कहलायेगी, क्योंकि अन्य के धर्म का अन्य में प्रतीत होना भ्रम होता है। यदि वायुसंयोग में रहने वाली कत्वादि जाति की प्रतीति स्फोट में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से भ्रम होने की आपत्ति होगी। इसके उत्तर में कहा है—कल्पितानामिति। अर्थात् समवाय सम्बन्ध से कत्वादि जाति का स्फोट में न रहने पर भी स्वाभिव्यञ्जक समवाय सम्बन्ध से उपाधित्व=उदात्तादि प्रकारक प्रतीति जनकत्व, संभव है। यहाँ 'स्व' शब्द से स्फोट गृहीत होगा, उसका अभिव्यञ्जक वायुसंयोग होगा, वह समवाय सम्बन्ध से कत्वादि जाति में रहेगा। उन कत्वादि जाति का उपाधित्व=उदात्तादि प्रकारक प्रतीतिजनकत्व,

त्यत आह—कल्पितानामुपाधित्वं स्वीकृतं हि परैरपि। स्वरदैर्घ्याद्यपि ह्यन्ये वर्णोऽन्यस्य मन्वते ॥१०॥७०॥

स्वीकारस्थलमाह—स्वरदैर्घ्याद्यपीति । आदिनोत्पत्तिविनाशादिसंग्रहः । उदात्तत्वादि न वर्णनिष्ठम्, तस्यैकत्वात्, नित्यत्वाच्च । तच्च, स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानात् ।

न च गत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाभावस्तद्विषयः । व्यक्त्यंशाभेदस्यापि भासमानस्य विना बाधकं त्यागायोगात् । न चोत्पत्ति-

---

सावित्री

(वैयाकरण ने स्वीकार किया है और मीमांसकों को भी अभिमत है। इसके दृष्टान्त के लिये कहा है—स्वरदैर्घ्याद्यपीति। मीमांसक लोग वर्ण को नित्य और एक मानते हैं। उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, दीर्घत्व आदि परस्पर भिन्न धर्म हैं और एकवर्ण में रहते हैं, यह मीमांसकों को भी मान्य है। ये स्वर, दीर्घ आदि वर्ण से भिन्न धर्म हैं। मीमांसक लोग जैसे नित्य वर्णों में स्वर, दीर्घ आदि को स्वीकार करते हैं वैसे ही नित्य और एक ब्रह्मरूपी स्फोट में वायुसंयोग निष्ठ कत्व आदि जाति की प्रतीति हो सकती है। समवाय सम्बन्ध से वर्ण में अवृत्ति और वायुसंयोगवृत्ति कत्व गत्व आदि धर्म विशेष, उदात्तत्वादि प्रतीति के जनक होते हैं—अधिक आगे बता देंगे।

इसके स्वीकार स्थल का निर्देश करते हुये कहा है—स्वरदैर्घ्यादिति। यहाँ आदि पद से उत्पत्ति, विनाश आदि का संग्रह समझना चाहिये। वस्तुतः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि धर्म परस्पर विरुद्ध होने से अकार आदि वर्णों के एक होने पर संभव नहीं है, अनेक होने पर संभव है। मीमासक संगत वर्णों का एकत्व और नित्यता में 'सोऽयं गकारः' यह प्रत्यभिज्ञा ही प्रमाण है।

यदि यह कहें कि 'सोऽयं गकारः' यह प्रत्यभिज्ञा मीमांसक सम्मत वर्णों के एकत्व और नित्यत्व की साधिका नहीं हो सकती है किन्तु गत्वाच्छिन्नप्रतियोगिताभेद के अभाव वाला यह गकार है यही बोध कराना ही उस प्रत्यभिज्ञा का अभिप्राय है, उसके उत्तर में कहना है कि उस प्रत्यभिज्ञा से गकार जाति अंश में गत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक भेद वाला भले हो, पर व्यक्ति अंश में भी भासमान अभेद कोई बाधक न होने से त्याग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार 'सोऽयं गकारः' इस प्रत्यभिज्ञा से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में अभेद प्रतीति होती है, यही उसके नित्यत्व की पोषिका होगी।

प्रतीतिर्बाधिका, प्रागसत्त्वे सति सत्त्वरूपाया उत्पत्तेर्वर्णेष्वनुभवविरुद्धत्वात्। अत एव वर्णमुच्चारयतीति प्रत्ययः, न तूत्पादयतीति प्रत्ययो व्यवहारश्च। उच्चरितत्वञ्च—ताल्वोष्ठसंयोगादिजन्याभिव्यक्तिविशिष्टत्वम्। किञ्च व्यञ्जकध्वनिनिष्ठोत्पत्त्यादेः परम्परया वर्णनिष्ठत्वविषयत्वेनाऽभ्युपपत्तेर्न साऽतिरिक्तवर्णसाधिका। परम्परया वर्णनिष्ठत्वाभ्युपगमाच्च न भ्रमत्वम्। साक्षात् सम्बन्धांशे भ्रम इत्यवशिष्यते।

सावित्री

यदि कहें कि 'उत्पन्नो ककारः' इस प्रकार की प्रतीति ही वर्ण के नित्यता की बाधिका है, उचित नहीं है क्योंकि जो पहिले नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ, ऐसी सत्ता को ही उत्पत्ति कहते हैं। वर्णों के विषय में ऐसा अनुभव और व्यवहार नहीं होता है। इसलिए 'वर्ण का उच्चारण करता है' ऐसी प्रतीति होती है, वर्ण की उत्पत्ति करता है ऐसी प्रतीति नहीं होती है और न ऐसा व्यवहार ही होता है। उच्चरितत्व क्या है? इस बारे में कहा है—ताल्वोष्ठसंयोगादिजन्याभिव्यक्तिविशिष्टत्वम्। अर्थात् तालु, ओष्ठ आदि के सयोग से जन्य विशिष्ट अभिव्यक्ति को उच्चारण कहते हैं। जिन लोगों के मत में शब्द अनित्य हैं उनके मत में 'उत्पद्यते वर्णः' इत्यादि व्यवहार इष्ट हैं। इसलिए अनुभव विरोध नहीं होता है। शाब्दिकों के मत में वर्ण नित्य है और ध्वनि से व्यङ्ग्य होता है। उसकी उत्पत्ति आदि का कथन अनुचित है। व्यञ्जक ध्वनि में रहने वाली उत्पत्ति आदि की प्रतीति परम्परया (स्वाश्रय[1] ध्वनिव्यङ्ग्यत्व सम्बन्ध से) वर्ण की उत्पत्ति को युक्ति से उपपन्न करने में सहायक हो सकती है। किन्तु वह वर्ण के अनित्यत्व की साधिका नहीं हो सकती है।

यदि यह कहें कि ध्वनिनिष्ठ उत्पत्ति, विनाश आदि यदि परम्परा से नित्य वर्ण में प्रतीत हों तो ऐसी प्रतीति के भ्रम होने की आपत्ति होगी, तो उसके उत्तर में कहना है कि स्वाश्रय संयोग सम्बन्ध से स्फटिक में जपाकुसुम निष्ठ रक्तत्व की अवगाहिनी 'रक्तः स्फटिकः' की प्रतीति जैसे भ्रम नहीं होती है क्योंकि स्वाश्रयसयोग सम्बन्ध से रक्तत्व स्फटिक में रहता है, वैसे ही परम्परया नित्य वर्णों में भी उत्पत्ति, विनाश की प्रतीति होने से भ्रम होने की आपत्ति नहीं होगी।

यदि यह कहें कि परम्परया नित्य वर्णों में उत्पत्ति, विनाश आदि रहने पर भ्रम की

१—स्वाश्रयाभिव्यङ्ग्यत्वम्—

स्वम्=उत्पत्तिः, तदाश्रयो ध्वनिः, तद्व्यङ्ग्यत्वम् स्फोटे, तेन सम्बन्धेनोत्पत्तिः वर्णनिष्ठेति।

तदपि सोऽयमित्यत्र व्यक्त्यभेदांशे तव भ्रमत्ववत्तुल्यम् । परन्तु ममातिरिक्तवर्णतत्प्रागभावध्वंशकल्पना नेति लाघवमतिरिच्यते । न च वर्णस्थले ध्वनिसत्त्वे मानाभावः, तदुत्पादकशङ्खाद्यभावेन तदसंभवश्चेति वाच्यम्, ककाराद्युच्चारणस्थले तत्तत्स्थानस्य जिह्वाया ईषदन्तरपाते वर्णा-

---

सावित्री

आपत्ति भले न हो, पर साक्षात् सम्बन्ध से नित्य वर्णों में उत्पत्ति आदि की प्रतीति के भ्रम होने की आपत्ति बनी रहेगी, इसके उत्तर में कहा है—साक्षात् सम्बन्धांशे भ्रम इत्यवशिष्यते । अर्थात् साक्षात्—सम्बन्ध से नित्य वर्णों में उत्पत्ति आदि की अवगाहिनी जो प्रतीति, उसके भ्रमत्व का निराकरण शेष रह गया है ।

तथापि अनित्यवर्णवादी के मत में व्यक्ति भेद से गकार में भेद रहने पर 'सोऽयं गकारः' इस प्रत्यभिज्ञा में अभेद प्रतीति भ्रम होने का दोष जैसे होता है वैसे साक्षात् सम्बन्ध से नित्य वर्णों में उत्पत्ति आदि की प्रतीति का भ्रम रूप दोष हम मीमांसकों के मत में भी होता है । इस प्रकार यह दोष दोनों के मत में समान है । परन्तु हम नित्यवर्णवादी के मत में अतिरिक्त वर्ण (अनन्त वर्ण), वर्ण का प्रागभाव, ध्वंश—आदि की कल्पना नहीं करना पड़ता है यह विशेष लाघव है ।

यह यह कहें कि वर्ण स्थल में ध्वनि रहती है इसमें कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि ध्वनि के उत्पादक शङ्ख, भेरी कण्ठ आदि के आमघात से जन्य वायु संयोग आदि नहीं होते हैं वहाँ कारण के अभाव से ध्वनि का रहना भी असंभव है । इसके उत्तर में कहा है कि पूर्वोक्त कथन उचित नहीं है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ककार आदि के उच्चारण स्थल में जहाँ जिह्वा का तत्तद् स्थानों से थोड़ा स्पर्श होता है वहाँ वर्ण की उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जिह्वा के तत्तद् स्थानों के अभिघात से जन्य वायु, कण्ठ संयोग आदि को ध्वनि का जनक माना जाता है । इसलिए वर्ण से पृथक् ध्वनि की प्रतीति होने से वर्णोत्पत्ति स्थल में भी ध्वनि रहती है । इस प्रकार वर्ण उत्पत्ति स्थल में भी ध्वनि के रहने से ध्वनि अभाववादियों की प्रतिबध्य—प्रतिबन्धकभाव कल्पना अप्रमाणिक हो जायगी यह एक विशेष गौरव होगा । इसके अतिरिक्त परस्पर विरोध होने से उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व आदि भी वर्णनिष्ठ धर्म नहीं है किन्तु ध्वनिनिष्ठ है ऐसा मीमांसकों का अभिप्राय है । इस रीति से वर्णों में न रहने वाली उत्पत्ति आदि की प्रतीति और उसके प्रमात्व का निर्वाह जैसे वर्ण नित्यवादी मीमांसकों के मत में होता है वैसे ही हमारे मत में समझना चाहिए । मीमांसकों के मत में वर्ण के नित्य होने पर भी 'उत्पन्नो गकारः, विनष्टो गकारः' ऐसी प्रतीति और प्रमात्व का निर्वाह होता है । इस

नुत्पत्तेर्ध्वन्युत्पत्तेश्च दर्शनाज्जिह्वाभिघातजवायुकंठसंयोगादेर्ध्वनिजनकत्व-कल्पनात्। तस्य च वर्णोत्पत्तिस्थलेऽपि सत्त्वात् तत्रैव प्रतिबन्ध्यप्रतिबन्धकभावकल्पना निष्प्रमाणिका स्यादिति विपरीतं गौरवम्। एवं परस्परविरोधादुदात्तत्वानुदात्तत्वह्रस्वत्वदीर्घत्वादिकमपि न वर्णनिष्ठं युक्तमिति तेषामभिप्रायः। एवं चोत्पत्त्यादिप्रतीतीनां तत्प्रमात्वस्य च निर्वाहः परेषामपि समान इति प्रतिबन्द्यैवोत्तरमिति भावः ।।७०।।

इत्थं पञ्च व्यक्तिस्फोटाः।

जातिस्फोटमाह—

शक्यत्व इव शक्तत्वे जातेर्लाघवमीक्ष्यताम्।
औपाधिको वा भेदोऽस्तु वर्णानां तारमन्द्वत् ॥ ११।७१॥

सावित्री

स्थिति में वर्णों के उत्पत्ति आदि की प्रतीति के प्रमात्व में मीमांसकों ने जिस समाधान का आश्रयण किया है, उसी का अनुसरण हम को करना चाहिए। यह प्रतिबन्दी उत्तर है। इस प्रकार उभय पक्षीय शङ्का का समाधान प्रतिबन्दी उत्तर होता है। अखण्डवाक्यस्फोट स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। पूर्वोक्त प्रकार से ५ व्यक्तिस्फोट सिद्ध होते हैं—

१—वर्णस्फोट।
२—पदस्फोट।
३—वाक्यस्फोट।
४—अखण्डपदस्फोट।
५—अखण्डवाक्यस्फोट।

लाघववश जैसे शक्यता (अर्थगता) जाति मानी जाती है वैसे ही शक्तता (शब्दगता) जाति माननी चाहिये। परन्तु जाति को स्फोट मानने पर सर्वत्र समान अर्थ का बोध होने लगेगा। इसलिये कारिका के उत्तर में कहा है—औपाधिको वा भेदोऽस्तु वर्णानां तारमन्द्वत्। अर्थात् जैसे विभिन्न वायु संयोग से वर्णों में तारत्व, मन्दत्व आदि की प्रतीति होती है। वैसे ही आनुपूर्वी रूप उपाधि के भेद से स्फोट में भेद समझना चाहिये।

जातिस्फोटवादी का कहना है कि जैसे सभी शब्दों में शक्यत्व=अर्थगत, जाति मानी जाती है वैसे ही शक्तत्व=शब्दगत, जाति मानना चाहिये—इसमें लाघव है

अयं भावः—वर्णास्तावदावश्यकाः । उक्तरीत्या च 'सोऽयं गकारः' इतिवत् योऽयं गकारः श्रुतः सोऽयं हकार इत्यपि स्यात्, स्फोटस्यैकत्वात्; गकारोऽयं न हकार इत्यनापत्तेश्च । किञ्च स्फोटे गत्वाद्यभ्युपेयं न वा ।' आद्ये तदेव गकारोऽस्तु, वर्णनित्यतावादिभिरतिरिक्तगत्वानङ्गीकारात् । तथा चातिरिक्तस्फोटकल्पने एव गौरवम् । अन्त्ये गकारादिप्रतीतिविरोधः, वायुसंयोगवृत्ति ध्वनिवृत्ति वा वैजात्यमारोप्य तथा प्रत्यय इति चेत्' न;

सावित्री

क्योंकि सभी व्यक्ति में समान रूप से रहने वाली घटत्व आदि जाति एक होती है और अव्यभिचरित होती है। अतः शब्दगत जाति ही वाचिका होती है—यही पक्ष युक्तियुक्त है। अनेक स्फोट कल्पना में शक्याश्रय अनन्त होंगे तथा व्यभिचार होता है। इसलिये सकलशब्दगत जाति तादात्म्यभावापन्न होकर स्फोट कहलाती है। स्फोट में दृश्यमान जो कत्व, गत्व आदि भेद हैं वे औपाधिक (काल्पनिक) है। नाना जाति वर्ण भेद रूप होता है। स्फोट का वास्तविक स्वरूप अखण्ड ही होता है उसमें व्यक्तिकृत भेद नहीं होता है। यहाँ जाति स्फोट का तात्पर्य शब्दगत जाति से है। जैसे नित्य वर्णवादी मीमांसक के मत में वर्णों का तारत्व = उच्चैस्त्व, मन्दत्व = अल्पत्व, आदि कल्पित होता है। वर्ण वस्तुतः न दीर्घ होता है न ह्रस्व होता है एक रूप से रहता है किन्तु प्रयोजन वश उच्चारण के भेद से दीर्घ, ह्रस्व आदि भेद होते हैं। जैसे वर्णों में भेद आरोपित हैं वैसे ही स्फोट में भी भेद आरोपित ही हैं न कि वास्तविक हैं।

यहाँ एक शङ्का होती है कि स्फोट ब्रह्मरूप है, अखण्ड है, निर्धर्म है वहाँ जाति नहीं रहती है, तब जाति की वाचकता का विचार असंभव है—इस शङ्का के निराकरणार्थ कहा है—अयम्भाव इति। अभिप्राय यह है कि स्फोट में वर्ण स्वीकार करना आवश्यक है। वर्ण को अस्वीकार कर स्फोट को अङ्गीकार करने पर 'सोऽयं गकारः' यह प्रत्यभिज्ञा जैसे होती है वैसे ही 'योऽयं गकारः श्रुतः सोऽयम् हकारः' ऐसी भी प्रत्यभिज्ञा होने लगेगी क्योंकि स्फोट के एक होने से गकार, हकार में एकाकार प्रतीति होने लगेगी।

गकार को 'यह गकार है हकार नहीं है' ऐसी भेद बुद्धि कही नहीं होगी। इस प्रकार गकार, हकार में अभेद होने लगेगा। अतः वर्णों को स्वीकार करना आवश्यक है। स्फोट में औपाधिक भेद होने से हकारोपाधिक स्फोट भिन्न है, गकारोपाधिक स्फोट भिन्न है, इसलिये दोनों में साङ्कर्य नहीं होता है।

प्रतीतेर्विना बाधकं भ्रमत्वासंभवात् । अस्तु वा, वायुसंयोग एव गकारोऽपि तस्यातीन्द्रियत्वं दोष इति चेत् धर्मवदुपपत्तेरिति कृतं स्फोटेन ।

तस्मात् सन्त्येव वर्णाः, परन्तु न वाचकाः गौरवात् । आकृत्यधिकरणन्यायेन जातेरेव वाच्यत्ववद्वाचकस्यपि युक्तत्वाच । इदं हरिपदमित्यनुगतप्रतीत्या हर्युपस्थितित्वावच्छेदेन हरिपदज्ञानत्वेन हेतुत्वात् तदवच्छेदकतया च जातिविशेषस्यावश्यकल्प्यत्वात् ।

न च वर्णानुपूर्व्यैव प्रतीत्यवच्छेदकत्वयोर्निर्वाहः; घटघटत्वादेरपि संयोगविशेषविशिष्टमृदाकारादिभिश्चान्यथासिद्ध्यापत्तेः ।

सावित्री

अब यह एक प्रश्न है कि स्फोट में औपाधिक भेद से गत्व, इत्व आदि भेद स्वीकार किया जाय अथवा नहीं ? यदि स्वीकार करते हैं तो 'तदेव गकारोऽस्तु' यह प्रतीति होती है किन्तु गत्वादि वर्ण के धर्म हैं स्फोट के नहीं । तब गत्वादि स्फोट से भिन्न रहने पर स्फोटात्मक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वर्ण नित्यवादी मीमांसक आदि गत्व आदि अतिरिक्त वर्ण नहीं मानते हैं । गकारादि वर्ण अतिरिक्त है—यह मानकर स्फोट की कल्पना करने से गौरव होगा ।

यदि स्फोट में गत्व आदि को नहीं मानते हैं तो उसमें गकार आदि की प्रतीति का विरोध होगा ।

यदि कहें कि वायु संयोग अथवा ध्वनि में रहने वाला जो कत्व, गत्व आदि वैजात्य (भेद), उसी का स्फोट में आरोप होने से भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीति होती हैं, वस्तुतः स्फोट एक ही रहता है । स्फोट में भेद की प्रतीति भ्रम है । किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि किसी प्रतीति को बाधक ज्ञान के बिना भ्रम नहीं कहा जा सकता है ।

यदि यह कहें कि वायुसंयोग ही गत्वेन प्रतीति का विषय है और वह प्रतीति भ्रम नहीं हो सकती है । इसके उत्तर में कहना है कि वायुसंयोग का अतीन्द्रिय होना ही दोष है । अर्थात् जैसे वायुसंयोग का प्रत्यक्ष नहीं होता है वैसे ही गकार की भी साक्षात् प्रतीति नहीं हो सकती है, यही दोष है क्योंकि अतीन्द्रिय पदार्थ और गत्व आदि उसके धर्म का प्रत्यक्ष नहीं होता है ।

तस्मात् सा जातिरेव वाचिका, तादात्म्येनावच्छेदिका चेति ।

ननु सरो रस इत्यादौ तयोर्जात्योः सत्त्वादर्थभेदबोधो न स्यादित्यत आह—औपाधिको वेति । वा त्वर्थे उपाधिरानुपूर्वी, सैव जातिविशेषाभिव्यञ्जिकेति भेदः कारणीभूतज्ञानस्येति नातिप्रसङ्ग इति भावः । उपाधिप्रयुक्तज्ञानवैलक्षण्ये दृष्टान्तमाह—वर्णानामिति ।

सावित्री

किन्तु पूर्वोक्त प्रकार का कथन उचित नहीं है क्योंकि वायु के अप्रत्यक्ष होने पर भी आप वायुगत स्पर्श रूप धर्म का त्वगिन्द्रिय से जैसे प्रत्यक्ष मानते हैं वैसे ही अतीन्द्रिय वायु संयोग रूप गकार आदि वर्ण की प्रत्यक्षता मेरे मत में भी संभव है । अथवा 'गगने शब्दः' की भाँति 'वायुसंयोगे गत्वम्' यहाँ पर गत्व अंश में श्रोत्रेन्द्रियलौकिकसन्निकर्षजन्यप्रत्यक्षता सिद्ध हो जाती है क्योंकि धर्म के प्रत्यक्ष में धर्मी का प्रत्यक्ष होना हेतु होता है । यहां पर 'धर्मवद्' का गगन धर्मवद् अर्थ है । पूर्वोक्त प्रकार से वायुसंयोग रूप वर्णों के द्वारा ही अर्थ बोध संभव है पुनः स्फोट की पृथक् कल्पना निरर्थक है । पूर्वोक्त प्रकार से स्फोट के अतिरिक्त वर्ण का होना सिद्ध है परन्तु वे वाचक नहीं होते हैं क्योंकि वर्ण अनेक हैं उनको वाचक मानने से गौरव होगा । इसलिये वाचकता जाति में ही माननी चाहिये । मीमांसकोक्त 'आकृत्यधिकरणन्याय' की रीति से व्यक्ति के आनन्त्य तथा व्यभिचार दोष के कारण जाति को ही वाच्य माना गया है । जैसे आनन्त्य आदि दोष के कारण व्यक्ति में वाच्यता न मानकर जाति में मानी जाती है वैसे ही वाचकता भी जाति में ही मानना उचित है । 'इदं हरिपदम्' इस प्रकार की सकल हरि पद में समान प्रतीति से जाति सिद्ध होती है । जहाँ-जहाँ हरि की उपस्थिति होती है वहाँ-वहाँ सर्वत्र उस उपस्थिति के प्रति हरि पद का ज्ञान कारण होता है । इस प्रकार हरि पदका ज्ञान कारण से है । अतः कारणता का अवच्छेदक होने से पदगत जाति की कल्पना करना आवश्यक है ।

यदि यह कहें कि जाति की अभिव्यक्ति के लिये वर्णों की आनुपूर्वी आवश्यक है । तथा च अवश्यक्लृप्त नियत पूर्ववर्त्ती आनुपूर्वी को ही अनुगत प्रतीति तथा कारणता का अवच्छेदक मानने से निर्वाह हो जायगा, पुनः जाति की कल्पना व्यर्थ है । इसका समाधान यह है कि संयोग विशेष से विशिष्ट मिट्टी के द्वारा ही 'घट' की अनुगत प्रतीति हो जायगी, फिर वहाँ भी घटत्व आदि जाति की सिद्धि नहीं हो सकेगी । इसलिये जाति को मानना आवश्यक है तथा अभेद सम्बन्ध से जाति ही पदनिष्ठ वाचकता की अवच्छेदिका होगी ।

ननु जातेः प्रत्येकं वर्णेष्वपि सत्त्वात् प्रत्येकादर्थबोधापत्तिः स्यादित्यत आह—

अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृता।
कैश्चित् व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः ॥१२॥७२॥

अनेकाभिर्वर्णव्यक्तिभिरभिव्यक्त्यैव जातिः स्फोट इति स्मृता। योगार्थतया बोधिकेति यावत्। एतेन स्फोटस्य नित्यत्वात् सर्वदार्थबोधापत्तिरित्यपास्तम्। अयं भावः—यद्यपि वर्णस्फोटपक्षे उक्तदोषोऽस्ति

सावित्री

यहाँ पदगत जाति को वाचक मानने पर सर और रस, इन दोनों पदों में जाति के आश्रयीभूत वर्ण समान होने से समान अर्थ बोध की आपत्ति होगी। इसके उत्तर में ग्रन्थकार ने कहा है—औपाधिको वेति। यहाँ 'वा' पक्षान्तर के अर्थ में नहीं है अपितु 'तु' के अर्थ में है। 'तु' का अवधारण अर्थ होता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ अर्थ भेद में उपाधि अर्थात् वर्णोच्चारण की पौर्वापर्यक्रम रूप आनुपूर्वी ही प्रयोजिका होती है। सर, रस में आनुपूर्वी भिन्न होने से अर्थ भिन्न-भिन्न होता है। 'सर' की आनुपूर्वी से भिन्न जाति का ज्ञान होता है तथा 'रस' की आनुपूर्वी से भिन्न जाति का ज्ञान होता है। इसलिये 'सर' की आनुपूर्वी से 'रस' के अर्थ बोध का अतिप्रसङ्ग नहीं हो सकता है।

उपाधि भेद से ज्ञान भेद का दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए कहा है—वर्णानामिति। जैसे एक ही वर्ण में भेद न रहने पर भी वायु सयोग के भेद से तारत्व=उच्चैस्त्व, मन्दत्व=शनैस्त्व रूप से भेद ज्ञान होता है वैसे ही समान वर्ण जाति रहने पर भी आनुपूर्वी के भेद से अर्थ भेद होता है ॥७१।

वर्णजाति स्फोट स्वीकार करने पर 'घट' इत्यादि के प्रत्येक वर्ण में घत्व, अत्व, टत्व आदि जाति रहेगी और प्रत्येक वर्ण से अर्थ बोध होने की आपत्ति होगी, इस आशंका के उत्तर में कहा है—अनेक व्यक्त्यभिव्यङ्ग्या इति। अर्थात् अनेक वर्ण व्यक्तियों से अभिव्यक्त जातिस्फोट होता है। इसलिये प्रत्येक वर्ण में जाति नहीं रहती है अपितु अनेक वर्ण व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होने वाली जाति होती है, उसे ही स्फोट कहते हैं।

'स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्फोटशब्द बोधक परक है।

तथापि पदवाक्यपक्षयोर्न[1], तत्र तस्या व्यासज्यवृत्तित्वस्य धर्मिग्राहक-मानसिद्धत्वादिति केचिद् व्यक्तयो ध्वनय एव ध्वनिवर्णयोर्भेदाभावा-दित्यभ्युपेयन्ते इति शेषार्थः । उक्तं हि काव्यप्रकाशे—"बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानीभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः" इति ॥७२॥

ननु का सा जातिस्तत्राह—

सत्यासत्यौ तु यौ भागौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ ।
सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयो मताः ॥७३॥

सावित्री

पदघटक यावद् वर्णों से अभिव्यक्त जातिस्फोट को बोधक मानने से यह कथन अपास्त हुआ कि स्फोट नित्य होने से उससे सर्वदा अर्थबोध होना चाहिए, क्योंकि जाति की अभिव्यक्ति सर्वदा नहीं रहती है ।

अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वर्ण से अर्थ बोध की आपत्ति वर्ण स्फोट पक्ष में संभव है, क्योंकि इस पक्ष में पद घटक वर्ण ही स्फोट के अभिव्यञ्जक होते हैं । किन्तु पद-स्फोट, वाक्यस्फोट पक्ष में जाति का पर्याप्तिसम्बन्ध से वृत्ति होना धार्मिग्राहक प्रमाण से सिद्ध है ।

पदत्व आदि प्रतिवर्ण वृत्ति न होने से प्रत्येक वर्ण से अर्थबोध की आपत्ति नहीं होगी । यदि पदत्व आदि जाति प्रत्येक वर्ण में विश्रान्त हो तो वर्णसमुदाय रूप पद आदि की जाति सिद्ध न हो सकेगी ।

कुछ विद्वान् वर्ण और ध्वनि में अभेद मानते हैं । यह कारिका के शेष (उत्तर) भाग से सुस्पष्ट है । ध्वनि और वर्ण में अभेद होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा है—बुद्धिमान वैयाकरणों ने प्रधानीभूत स्फोट रूप व्यङ्ग्य के व्यञ्जक शब्द को ध्वनि शब्द से व्यवहार किया है ।

पूर्वोक्त प्रकार से वाचक रूप में अभिमत जाति स्फोट क्या है, इस जिज्ञासा की शान्ति के लिये कहा है—सत्यासत्यौ तु यौ भागौ इत्यादि । प्रत्येक पदार्थ में सत्य और असत्य

१—दर्पणकारः—धर्मवती जातिस्तद्ग्राहकं मानं पदत्वस्य, वाक्यत्वस्य वाक्यवाचकत्वानुपपत्तिस्तत्सिद्धत्वादित्यर्थः ।

प्रतिभावम् = प्रतिपदार्थम्, सत्यांशो जातिः, असत्या व्यक्तयः। तत्तद्व्यक्तिविशिष्टं ब्रह्मैव जातिरिति भावः। उक्तश्च कैयटेन—'असत्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मतत्त्वं द्रव्यशब्दवाच्यमित्यर्थः' इति। ब्रह्मतत्वमेव शब्दस्वरूपतया इति च। कथं तर्हि—ब्रह्मदर्शने च गोत्वादिजातेरप्यसत्त्वादनित्यत्वम्, "आत्मैवेदं सर्वम् इति श्रुतिवचनात्" इति कैयटः संगच्छताम्? अविद्याऽविद्यको धर्मविशेषो वेति पक्षान्तरमादायेति द्रष्टव्यम् ॥७३॥

तमेव सत्यांशं स्पष्टयति—

इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छब्दतत्त्वं निरञ्जनम्।
ब्रह्मैवेत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः ॥७४॥

सावित्री

दो भाग व्यवस्थित हैं। उसमें जो सत्य भाग हैं वह जाति है और जो असत्य है वह व्यक्ति है।

'प्रतिभावम्' का अभिप्राय प्रतिपदार्थ है। सत्यांश जाति और असत्यांश व्यक्ति हैं। तत्तद्व्यक्ति विशिष्ट ब्रह्म ही जाति है। कैयट ने कहा है—असत्य उपाधि से अवच्छिन्न = आवृत्त, ब्रह्म तत्व ही घट आदि द्रव्य शब्द से वाच्य है। मीमांसक के मत में शब्द द्रव्य है। शब्द द्रव्य से ब्रह्मतत्व ही प्रतिभासित होता है, इसमें श्रुति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं—'ब्रह्मतत्वमेव शब्दरूपतया भाति' इति। अर्थात् ब्रह्मतत्व ही शब्द रूप से प्रतिभासित होता है।

अब यहाँ यह शंका होती हैं कि 'आत्मैवेदं सर्वम्' अर्थात् सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप ही है—इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म साक्षात्कार होने पर गोत्व आदि जाति भी असत् है, अनित्य है, इस कैयट के कथन का पूर्ववचन (तत्तद्व्यक्ति विशिष्ट ब्रह्मैव जातिः) से विरोध होने के कारण उस अर्थ की संगति कैसे होगी? इसका समाधान करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है कि जाति अविद्या रूप है अथवा अविद्या कल्पित धर्म विशेष गोत्वादि रूप है। जाति ब्रह्मरूप नहीं है। इस पक्षान्तर से विरोध का परिहार करना चाहिए।

पूर्वोक्त प्रकार से निर्दिष्ट सत्यांश को प्रकट करते हुये कहा है—इत्थं निष्कृष्यमाणम्—इत्यादि। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त प्रकार से निष्कृष्यमाण = वाचक रूप से अध्यस्त जो प्रकृति, प्रत्यय आदि, उनसे पृथक् किया गया, निरञ्जनम् = जाति, व्यक्ति आदि

अयम्भावः—'नामरूपे व्याकरवाणि' इति श्रुतिसिद्धा द्वयी सृष्टिः। तत्र रूपस्येव नाम्नोऽपि तदेव तत्त्वम्। प्रक्रियांशस्त्वविद्या-विजृम्भणमात्रम्।

उक्तञ्च वाक्यपदीये—

शास्त्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते।
समारम्भस्तु भावानामनादि ब्रह्म शाश्वतम्॥ इति॥

ब्रह्मैवेत्यनेन "अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्' 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' इति श्रुतिसिद्धं स्वपरप्रकाशत्वं सूचयन् स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति स्फोट इति यौगिकस्फोटशब्दस्याभिधेयत्वं

सावित्री

उपाधियों से रहित, अक्षरम्=अविनाशी शब्दतत्त्व, है, ब्रह्म है उस पूर्णात्मा ब्रह्म को नमस्कार है।

अभिप्राय यह है कि "नामरूपे व्याकरवाणि" इस श्रुति के अनुसार नाम=शब्द, रूप=अर्थ, अर्थात् शब्दात्मक और अर्थात्मक, इन दो अवयवों वाली सृष्टि होती है। उस सृष्टि घटक रूप का कारण जैसे ब्रह्म होता है वैसे ही शब्द का भी उपादान कारण ब्रह्म ही है तथा वह ब्रह्म भी शब्दात्मक होता है। उस अखण्डशब्द में प्रकृति, प्रत्यय आदि प्रक्रियांश का ज्ञान अविद्या का विलास मात्र है। इसी भाँति अर्थात्मक अन्न-प्राण मनोमय आदि कोशों तथा आकाश आदि का सृष्टि में प्रतिपादन अविद्या का विलास मात्र होता है जैसे अज्ञान वश रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। वाक्यपदीय में भी कहा गया है—

शास्त्रों में जो प्रकृति, प्रत्यय आदि विभिन्न प्रक्रिया भेद हैं उनके द्वारा अविद्या का ही वर्णन किया गया है। घट आदि पदार्थों का आरम्भ=उत्पत्ति होती है। ब्रह्म अनादि शाश्वत है। वाक्यपदीय की इस कारिका के उत्तरार्द्ध का यह पाठान्तर भी मिलता है—

समारम्भात्तु भावानामादिमद् ब्रह्म शाश्वतम्। घट, पट आदि पदार्थों का कारण होने से अनादि शाश्वत् ब्रह्म आदिमान की भाँति प्रतीत होता है। ग्रन्थ के निर्विघ्न प्रचार के लिये अन्त में नमस्कारात्मक मङ्गल करते हैं—

'तस्मै पूर्णात्मने नमः'॥ महाभाष्यकारने भी कहा है—मङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत् पुरुषाणि च। (१।१।१)

सूचयति । निर्विघ्नप्रचारायान्ते मङ्गलं स्तुतिनतिरूपमाह-पूर्णात्मने इत्यादिना ।।७४।।

अशेषफलदातारमपि सर्वेश्वरं गुरुम् ।
श्रीमद्भूषणसारेण भूपये शेषभूषणम् ।।१४।।

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणपारावारीणधुरीणरङ्गोजिभट्टाऽऽत्मजकौण्ड-
भट्टकृते वैयाकरणभूषणसारे स्फोटवादः ।
समाप्तोऽयं ग्रन्थश्च ।

सावित्री

सम्पूर्ण फल को देने वाले भी गुरु सर्वेश्वर, शेष भूषण भगवान शिव तथा महर्षि पतञ्जलि को इस वैयाकरणभूषणसार' से विभूषित करता हूँ ।

इस प्रकार पद वाक्य के धुरन्धर विद्वान् रङ्गोजिभट्ट के पुत्र कौण्डभट्ट द्वारा विरचित वैयाकरणभूषणसार का 'स्फोटवाद' समाप्त हुआ और इसी के साथ यह ग्रन्थ पूर्ण हो गया ।

भट्टोजिदीक्षितप्रोक्ताः व्याकरणस्य कारिकाः ।
व्याख्याताः कौण्डभट्टेन, भाषया भाषिता मया ॥१॥

नेत्राब्धिशून्यनेत्रेऽत्र वैक्रमाब्दे दले सिते ।
माघे वसन्तपञ्चम्यां शब्दिकानां मनो मुदे ॥ २ ॥

आद्याप्रसादमिश्रेण कृताभिप्सितपूरिका ।
सावित्रीनामिकाव्याख्या सग्रन्थं पूर्णताङ्गता ॥ ३ ॥

नानाव्युत्पत्तिदे सारे वैयाकरणभूषणे ।
व्याख्या भव्या नवा शाब्दी मञ्जुला पूर्णताङ्गता ॥ ४ ॥

तस्मै पूर्णात्मने नमः ॥

परिशिष्ट—क

अथ वैयाकरणभूषणसारस्थकारिकाणां सङ्ग्रहः

अथ धात्वर्थनिर्णयः

फणिभाषितभाष्याऽब्धेः शब्दकौस्तुभ उद्धृतः।
तत्र निर्णीत एवार्थः सङ्क्षेपेणेह कथ्यते ॥ १ ॥

फलव्यापारयोर्धातुराश्रये तु तिङः स्मृताः।
फले प्रधानं व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम् ॥ २ ॥

फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्चिणादयः।
व्यापारे शप्श्नमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयाऽन्वयम् ॥ ३ ॥

उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात्।
तस्माद् यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम् ॥ ४ ॥

व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया।
कृञोऽकर्म्मकताऽऽपत्तेर्नहि यत्नोऽर्थ इष्यते ॥ ५ ॥

किन्तूत्पादनमेवातः कर्म्मवत्स्याद्यगाद्यपि।
कर्म्मकर्त्तर्य्यन्यथा तु न भवेत्तद् दृशेरिव ॥ ६ ॥

निवर्त्त्ये च विकार्य्ये च कर्मवद्भाव इष्यते।
नतु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः ॥ ७ ॥

तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानं यत्नसौ तिङाम्।
पक्वान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि ॥ ८ ॥

किं कार्य्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि।
किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न ॥ ९ ॥

सर्व्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः।
न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम् ॥१०॥

धात्वर्थत्वं क्रियात्वञ्चेद्धातुत्वं च क्रियार्थता।
अन्योऽन्यसंश्रयः स्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् ॥११॥

अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येऽस्त्येव हि भावना।
अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते ॥१२॥

फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्म्मकः ।
धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्म्मक उदाहृतः ॥१३॥

आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता ।
प्रकल्पिता यथाशास्त्रे स घञादिष्वपि क्रमः ॥१४॥

साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरुपनिबन्धना ।
सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञादिनिबन्धनः ॥१५॥

सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमो वतिः ।
धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनञ् ॥१६॥

तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयम् ।
साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्य्यताम् ॥१७॥

यदि पक्षेऽपि वत्यर्थः कारकञ्च नञादिषु ।
अन्वेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्याः स्पृहिकल्पना ॥१८॥

अविग्रहा गतादिस्था यथा ग्रामादिकर्म्मभिः ।
क्रिया सम्बध्यते तद्वत्कृतपूर्व्यादिषु स्थिता ॥१९॥

कृत्वोऽर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युरिति चेत् सन्ति हि क्वचित् ।
अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् ॥२०॥

भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनम् ।
साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्य्यते ॥२१॥

अथ लकारार्थनिर्णयः

वर्त्तमाने परोक्षे श्वो भाविन्यर्थे भविष्यति ।
विध्यादौ प्रार्थनादौ च क्रमाज्ज्ञेया लडादयः ॥१।२२॥

ह्योभूते प्रेरणादौ च भूतमात्रे लङादयः ।
सत्यां क्रियातिपत्तौ च भूते भाविनि लङ्स्मृतः॥१।२३॥

अथ सुबर्थनिर्णयः

आश्रयोऽवधिरुद्देश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा ।
यथायथं विभक्त्यर्थाः, सुपां कर्मेति भाष्यतः ॥१।२४॥

अथ नामाऽर्थनिर्णयः

एकं द्विकं त्रिकं चाऽथ चतुष्कं पञ्चकं तथा ।
नामाऽर्थ इति सर्वेऽमी पक्षाः शास्त्रे निरुपिताः ॥१।२५॥

शब्दोऽपि यदि भेदेन विवक्षा स्यात् तदा तथा।
नोचेच्छ्रोत्रादिभिः सिद्धोऽप्यसावर्थोऽवभासते ॥२।२६॥

अत एव गवित्याह भूवत्तायामितीदृशम्।
न प्रातिपदिकं नापि पदं साधु तु तत्स्मृतम् ॥३।२७॥

अथ समासशक्तिनिर्णयः

सुपां सुपा तिङां नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिङा।
सुबन्तेनेति च ज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः ॥१।२८॥

समासस्तु चतुर्द्धेति प्रायोवादस्तथापरः ॥ ।२८॥
योऽयं पूर्वपदार्थादि प्राधान्यविषयः स च ॥२।२९॥

भौतपूर्व्यात्सोऽपि रेखागवयवदाश्रितः।
जहत्स्वार्थाऽजहत्स्वार्थे द्वे वृत्ती ते पुनस्त्रिधा ॥३।३०॥

भेदः संसर्ग उभय वेति वाच्यव्यवस्थितेः।
समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पङ्कजशब्दवत् ॥४।३१॥

बहूनां वृत्तिधर्म्माणां वचनैरेव साधने।
स्यान्महद्गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः ॥५।३२॥

चकारादिनिषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम्।
कर्तव्य ते न्यायसिद्ध त्वस्माकं तदिति स्थितिः ॥६।३३॥

अषष्ठ्यर्थबहुव्रीहौ व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना।
क्लृप्तत्यागश्चास्ति तव तत् किं शक्तिं न कल्पयेः ॥७।३४॥

आख्यातं तद्धितकृतोर्यत्किञ्चिदुपदर्शकम्।
गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः ॥८।३५॥

पर्यवस्यच्छाब्दबोधाऽविदूरप्राक्-णस्थितेः।
शक्तिग्रहेऽन्तरङ्गत्वबहिरङ्गत्वचिन्तनम् ॥९।३६॥

अथ शक्तिनिर्णयः

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥१।२७॥

असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते।
वाचकत्वाविशेषे वा नियमः पुण्पापयोः ॥२।३८॥

सम्बन्धिशब्दे सम्बन्धो योग्यतां प्रति योग्यता।
समयाद् योग्यता संविन्मातापुत्रादियोग्यवत् ॥३।३९॥

अथ नञर्थनिर्णयः

नञ्समासे चापरस्य प्राधान्यात् सर्वनामता ।
आरोपितत्वं नञ्द्योत्यं नह्यसोऽप्यतिसर्ववत् ॥१।४०॥
अभावो वा तदर्थोऽस्तु भाष्यस्य हि तदाशयात् ।
विशेषणं विशेष्यो वा न्यायतस्त्ववधार्यताम् ॥२।४१॥

अथ निपातार्थनिर्णयः

द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा ।
उपास्येते हरिहरौ लकारो दृश्यते यथा ॥१।४२॥
तथान्यत्र निपातेऽपि लकारः कर्मवाचकः ।
विशेषण द्वयोगोऽपि प्रादिवच्चादिके समः ॥२।४३॥
पदार्थः सदृशाऽन्वेति विभागेन कदापि न ।
निपातेतरसङ्कोचे प्रमाणं किं विभावय ॥३।४४॥
शरैरुस्त्रैरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन् रसानिव ।
इत्यादावन्वयो न स्यात् सुपाञ्च श्रवणं ततः ॥४।४५॥
नञ्समासे चापरस्य द्योत्यं प्रत्येव मुख्यता ।
द्योत्यमेवार्थमादाय जायन्ते नामतः सुपाः ॥५।४६॥
निपातानां वाचकत्वमन्वयव्यतिरेकयोः ।
युक्तं वा न तु तद्युक्त परेषां मतमेव नः ॥६।४७॥
निपातत्वं परेषां यत्तदस्माकमिति स्थितिः ।
व्यापकत्वाच्छक्ततायास्त्ववच्छेदकमिष्यते ॥७।४८॥

अथ त्वादिभावप्रत्ययार्थनिर्णयः

कृत्तद्धितसमासेभ्यो मतभेदनिबन्धनम् ।
त्वतलोरर्थकथनं टीकायां हरिणा कृतम् ॥१।४९॥
अत्रार्द्धजरतीयं स्याद् दर्शनान्तरगामिनाम् ।
सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं त्वादिषु तच्छृणु ॥२।५०॥
प्रयोगोपाधिमाश्रित्य प्रकृत्यर्थप्रकारताम् ।
धर्ममात्रं वाच्यमिति यद्वा शब्दपरा अमी ॥३।५१॥

अथ देवताप्रत्ययार्थनिर्णयः

जायन्ते तज्जन्यबोधप्रकारे भावसंज्ञिते ।
प्रत्ययार्थस्यैकदेशे प्रकृत्यर्थो विशेषणम् ॥१।५२॥

अभेदश्चात्र संसर्ग आग्नेयादावियं स्थितिः ।
देवतायां प्रदेये च खण्डशः शक्तिरस्तु वा ॥२।५३॥
प्रदेय एव वा शक्तिः प्रकृतेर्वास्तु लक्षणा ।
देवतायां निरूढेति सर्वे पक्षा अमी स्थिताः ॥३।५४॥
क्रीडायां णस्तदस्यास्तीत्यादावेषैव दिक् स्मृता ।
वस्तुतो वृत्तिरेवेति नात्रातीव प्रयत्यते ॥४।५५॥

अथाऽभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः

अभेदैकत्वसङ्ख्यायां वृत्तौ मानमिति स्थितिः ।
कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायाद् यथोच्यते ॥१।५६॥

अथ सङ्ख्याविवक्षानिर्णयः

लक्ष्यानुरोधात् सङ्ख्यायास्तन्त्राऽतन्त्रे मते यतः ।
पश्वेकत्वादिहेतूनामाश्रयणमनाकरम् ॥१।५७॥
विधेये भेदक तन्त्रमन्यतो नियमो न हि ।
ग्रहैकत्वादिहेतुनामा यणमना रम् ॥२।५८।
रद न्यां वाक्यभेदेन नकारद्वयलाभतः ।
क्षतिर्नैवास्ति तन्त्रत्वे विधेये भेदकस्य तु ॥३।५९॥

अथ क्त्वाद्यर्थनिर्णयः

अव्ययकृत इत्युक्तेः प्रकृत्यर्थे तुमादयः ।
समानकर्तृकत्वादि द्योत्यमेषामिति स्थितिः ॥१।६०॥

अथ स्फोटनिरुपणम्

वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः ।
साधुशब्देऽन्तर्गता हि बोधका न तु तस्मृताः ॥१।६१॥
व्यवस्थितेर्व्यवहृतेस्तद्धेतुन्यायतस्तथा ।
किञ्चाख्यातेन शत्रादेर्लडेव स्मार्यते यदि ॥२।६२॥
कथं कर्तुरवाच्यत्वं वाच्यत्वे तद्विभावय ।
तरबाद्यन्ततिङ्क्ष्वस्ति नामता कुत्स्विव स्फुटा ॥३।६३।
नामार्थयोरभेदोऽपि तस्मात्तल्योऽवधार्य्यताम् ।
अथादेशा वाचकाश्चेत पदस्फोटस्ततः स्फुटा ॥४।६४॥

घटनेत्यादिषु न हि प्रकृत्यादिभिदा स्थिता ।
वस्नसादाविवेहापि सम्प्रमोहो हि दृश्यते ।।५।६५।।

हरेऽवेत्यादि दृष्ट्वा च वाक्यस्फोटं विनिश्चिनु ।
अर्थे विशिष्य सम्बन्धाग्रहणं चेत् समं पदे ।।६।६५।।

लक्षणादधुना चेत्तत्पदेऽर्थेऽप्यस्तु तत् तथा ।
सर्वत्रैवं हि वाक्यार्थो लक्ष्य एवेति ये विदुः ।।७।६७।।

भाट्टास्तेऽपीत्थमेवाहुर्लक्षणाया ग्रहे गतिम् ।
पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च ।।८।६८।।

वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ।
पञ्चकोशादिवत्तस्मात् कल्पनैषा समाश्रिता ।।९।६९।।

उपेयप्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिताः ।
कल्पितानामुपाधित्वं स्वीकृतं हि परैरपि ।।१०।७०।।

स्वरदैर्घ्याद्यपि ह्यन्ये वर्णेभ्योऽन्यस्य मन्वते ।
शक्यत्व इव शक्तत्वे जातेर्लाघवमीक्ष्यताम् ।। ११।७१।।

औपाधिको वा भेदोऽस्तु वर्णानां तारमन्दवत् ।
अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृतः ।।१२।७२।।

कैश्चित् व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः ।
सत्यासत्यौ तु यौ भागौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ ।।१३।७३।।

सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयो मताः ।
इत्थं निष्कृष्यमाणं यच्छुब्दतत्त्वं निरञ्जनम् ।
ब्रह्मैवेत्यक्षरं प्राहुस्तस्मै पूर्णात्मने नमः ।।१४।७४।।

परिशिष्ट—२

भर्तृहरिप्रणीतात् वाक्यपदीयाद् बह्वयः कारिका भट्टोजिदीक्षितेन स्वनिर्मितव्याकरणसिद्धान्तकारिकास्वविकलमुद्धृताः। कौण्डभट्टेन किमपि निर्देशं विनैव स्वीये वैयाकरणभूषणे, वैयाकरणसारे च ताश्च यथाप्रकरणं संग्रथिताः व्याख्याताश्च। तेन तासां वाक्यपदीयसम्बन्धित्वं न ज्ञायते। अतोऽत्र एतद्रहस्यभेदाय तासां कारिकाणां वाक्यपदीयमूलकत्वं यथायथं प्रकाश्यते -

(१) अनेकव्यक्त्यभिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृता।
कैश्चिद् व्यक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः॥

(१) वा० तृ० का०। आगम। ७३।
(२) वै० भू० सा०। स्फोट० ७२।

(२) अविग्रहा गतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः।
क्रिया सम्बध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता॥

(१) वा० तृ० का०। ६७।
(२) वै० भू० सा०। धात्वर्थ० १६।

(३) असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते।
वाचकत्वाऽविशेषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः॥

(१) वा० तृ० का०। सम्बन्ध० ३०।
(२) वै० भू० सा०। शक्ति० ४९।

(४) आख्यातं तद्धितकृतोर्यत्किञ्चिदुपदर्शकम्।
गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः॥

(१) वा० द्वि० का०। ३०६।
(२) वै० भू० सा० धात्वर्थ १५।

(५) आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता।
प्रकल्पिता यथाशास्त्रे स घञादिष्वपि क्रमः॥

(१) वा० तृ० का०। क्रिया० ४६।
(२) वै० भू० सा० धात्वर्थ० १४।

(६) इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा ।
अनादिरर्थैः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥

(१) बा० तृ० का० । सम्बन्ध० ३० ।
(२) वै० भू० सा० शक्ति० २७ ।

(७) पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्वयवा न च ।
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥

(१) बा० तृ० का० १ । ७३ ।
(२) वै० भू० सा० स्फोट० ६९ ।

(८) सम्बन्धिशब्दे सम्बन्धो योग्यतां प्रति योग्यता ।
समयाद् योग्यतासंविद् मातापुत्रादियोगवत् ॥

(१) बा० तृ० का० सम्बन्ध० ३१ ।
(२) वै० भू० सा० शक्ति० ३९ ।

(९) सत्यासत्यौ तु यौ भागौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ ।
सत्यं यत् तत्र सा जातिः असत्या व्यक्तयो मताः ॥

(१) बा० तृ० का० ३० ।
(२) वै० भू० सा० स्फोट० ७३ ।

(१०) साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना ।
सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञादिनिबन्धनः ॥

(१) बा० तृ० का० । क्रिया० ४७ ।
(२) वै० भू० सा० । धात्वर्थ० १५ ॥

शुद्धिपत्रम्

	अशुद्धरूपम्	शुद्धरूपम्	पृष्ठे	पंक्तौ
(१)	तन्मूलस्यास्य	तन्मूलकस्यास्य	७	३
(२)	कृतमपि	कृतामपि	१७	२
(३)	सामानाधिकरण्यस्यो-पपत्तेरिति	सामानाधिकरण्यस्यो-क्तरीत्योपपत्तेरिति	२०	८
(४)	कतृ	कर्तृं	३०	४
(५)	'द्योतकत्वं यथागमम्'	इत्यस्याग्रे योज्यम्[१]	३२	३
(६)	'इत्यपास्तम्'	इत्यस्याग्रे संयोज्यम्[२]	५४	२
(७)	वाक्यकोटौ	वाच्यकोटौ	१०५	३
(८)	इति च तत्रैवोक्त म्	इत्यस्याग्रे योज्यम्[३]	११५	३
(९)	'स्यात्' इत्यस्याग्रे	'स्यादेव इति योज्यम्	१२१	५

---

१. कर्तृकर्मविषयादौ=पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्यादौ । अत्र हि एकोदनाभिन्नाश्रयकः पाकानुकूलो व्यापार इति शेषः । क्रमादिति आदिपदग्राह्यम् । अत्र सामान्यविशेषज्ञानपूर्वक एकनारदविषयकज्ञानानुकूलः कृष्णाभिन्नाश्रयकोऽतीतो व्यापार इति बोधः । यथोचितमिति -- सकर्मकधातुसमभिव्याहृतभावसाधारणविधिविधेयचिण्यगादिकर्मद्योतकमिति भावः ॥४॥

२. किं च तस्मिन् प्रयोगे य आख्यातार्थं इत्यस्यावश्यकत्वेनाख्यातशून्ये 'देवदत्तः पंक्ता' इत्यादौ देवदत्तस्य।कर्तृतापत्तेरिति दिक् ।

३. घटं करोतीत्याद्यम् । काष्ठं भस्म करोतीति, सुवर्णं कुण्डलं करोतीति द्वितीयम् । तृणं स्पृशतीत्युदासीनम् । विषं भुङ्क्ते इति द्वेष्यम् । गां दोग्धीति संज्ञान्तरैरनाख्यातम् । क्रूरमभिक्रुध्यतीत्यन्यपूर्वकम् ।

अशुद्धरूपम्	शुद्धरूपम्	पृष्ठे	पंक्तौ
(१०) 'वाच्यता लभ्यते' इत्यग्रे योज्यम्	तथा तन्नियमश्च द्विविधो लभ्यते	१४०	३
(११) चरन्तम्	चतन्तम्	१४६	६
(१२) विषयापणम्	विषयार्पणम्	२६४	२
(१३) 'प्रकारैः' इत्यस्याग्रे योज्यम्	अत एव वर्णानां तदतिरेकास्वीकारोऽप्युपपद्यते	३०८	२